लोक-सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

(सातवां सत्र)

Preservation Unit
Parliament
14-10-97

6th Lok Sabha

PARLIAMENT LIBRARY
Acc. No. 5.1.(U)...63
Date.....9...X...).9

(खंड 25 में अंक 31 से 40 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय सूची

अंक 31 मंगलवार, 17 अप्रैल 1979/27 चैत्र 1901 (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :		
*तारांकित प्रश्न संख्या	743 से 746, 794, 750, 752 और 753	1–21
प्रश्नों लिखित उत्तर :		
तारांकित प्रश्न संख्या	747, 748, 751 और 754 से 762	21–30
अतारांकित प्रश्न संख्या	7201 से 7231, 7233 से 7286, 7288 से 7314, 7316 से 7376 और 7378 से 7400	30–202
सभा पटल पर रखे गये पत्र		
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना		203–204
आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि का समाचार		204–209
श्री चित्त बसु		204
श्री चरण सिंह		205
सभा पटल पर रखे गये पत्रों संबंधी समिति		211
14वां प्रतिवेदन		
लोक लेखा समिति		211
75वां प्रतिवेदन		
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति		211
34वां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश		
सदस्य द्वारा वैयक्तिक स्पष्टीकरण		211–212
श्री बलदेव सिंह जसरोटिया		211

*किसी नाम पर अंकित यह चिन्ह +इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था ।

विषय	पृष्ठ
नियम 377 के अधीन मामले	
(एक) एक विदेशी द्वारा दिल्ली में एक बैंक से जारी डालरों को भारतीय मुद्रा में बदले जाने का समाचार श्री बृजभूषण तिवारी	212–216 212
(दो) सांख्यिकी विभाग हंस भवन, नई दिल्ली के कैंटीन कर्मचारियों को परेशान किया जाना श्री रम दास सिंह	 212
(तीन) पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले को कोयले की नियमित सप्लाई का समाचार श्री एस के० साहा	214
(चार) बम्बई सराफा बाजार में सोने और चांदी के मूल्यों में वृद्धि का समाचार श्री उग्रसेन	216
अनुदानों की मांगें, 1979-80	216–230
(एक) ऊर्जा मंत्रालय	
श्री जनेश्वर मिश्र	216
श्री अन्नासाहिब पी० शिन्दे	224
श्री फिरंगी प्रसाद	231
श्री पी० रामचन्द्रन	236
(दो) उद्योग मंत्रालय	
श्री आर० वेंकटारमन	270
प्रो० आर० के० अमीन	288
श्री वेदव्रत बरुआ	293
श्री श्याम सुन्दर दास	298
श्री विजय कुमार एन० पाटिल	302
श्री जगदीश प्रसाद माथुर	305
श्री धीरेन्द्र नाथ बसु	309
श्री पदमाचरण सामान्तसिंहेरा	312
श्रीमती पार्वती कृष्णन्	317
श्री यमुना प्रसाद शास्त्री	321
श्री छविराम अर्गल	329

लोक सभा

मंगलवार, 17 अप्रैल, 1979/27 चैत्र, 1901 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजकर 20 मिनट पर समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर ग्रेड तथा कर्मशियल ग्रेड एल्यूमिनियम का आयात

*743. **श्री वयालार रवि :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलेक्ट्रोलिटिक कण्डक्टर ग्रेड तथा कर्मशियल ग्रेड एल्यूमिनियम की कोई कमी है और यदि हां, तो कितनी;

(ख) क्या सरकार ने वर्ष 1977-78 तथा 1978-79 में इलेक्ट्रोलिटिक कण्डक्टर ग्रेड तथा कर्मशियल ग्रेड एल्यूमिनियम का आयात किया था;

(ग) इन का कुल कितनी मात्रा में आयात किया गया और इसकी खरीद के लिये क्या प्रक्रिया अपनाई गई;

(घ) क्या सब से कम मूल्य के टैंडरदाता से खरीद की गई थी, यह क्या टैंडर खोलकर बातचीत द्वारा सौदा तय किया गया था; और

(ङ) क्या उक्त खरीद के संबंध में कोई शिकायतें मिली हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) जी हां । ई० सी० ग्रेड और वाणिज्यिक ग्रेड एल्यूमिनियम का देशी उत्पादन उसकी मांग से कम रहा है। 1979-80 के दौरान उत्पादन और मांग में अनुमानत : 75,000 टन का अन्तर होगा ।

(ख) जी हां ।

(ग) और (घ) आयातित मात्रा टनों में :—1977-78 : 9000, 1978-79 : 33000 एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है जिसमें खरीद प्रक्रिया की रुप रेखा दी गई है । (ङ) जी नहीं ।

विवरण

भारत एल्यूमिनियम कम्पनी द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में एल्यूमिनियम की खरीद एल्यूमिनियम धातू की विभिन्न उत्पादक और व्यासायिक इकाइयों से पूछताछ करने के बाद की जाती है । अनुबंध-1 में उन पार्टियों की सूची है जिनसे समय समय पर पूछ-ताछ की जाती है । ग्रंथालय में रखा गय /देखिए संख्या एल० टी० 4312 ए० एफ०/79 दृष्टव्य है कि सूची में अनेक पार्टियों के नाम हैं ।

प्रस्ताव सील बन्द प्राप्त होते है और वे सामान्यत: 48 से 72 घंटों तक की अवधि के लिए वैध होते हैं। वे पूछताछ में उल्लिखित समय पर एक कमेटी द्वारा खोल जाते हैं जिसमें निदेशक (वित्त) और मुख्य विपणन अधिकारी होता है । अनुभव यह रहा है कि कोई एक पार्टी उस पूरी मात्रा को पूरा करने में समर्थ नहीं होती जिसके लिए पूछताछ जारी की गई थी खरीदी जाने वाली कुल मात्रा को पूरा करने वाले न्यूनतम प्रस्तावों पर पुन: विचार किया जाता है । अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक के अनुमोदन के बाद संबंधित पार्टियों को प्रस्ताव की विभिन्न शर्तों, जिनमें मात्रा, सुपुर्दगी तिथि-सूची, सप्लायर को ऋण पोतलदान प्रबन्ध, धातु के मूल स्थान और विशिष्टियों आदि का समावेश होता है, पर अलग-अलग बात-चीत के लिए बुलाया जाता है । इन वार्ताओं के बाद पार्टियों से एक-बार पुन: एक निर्धारित अवधि में सामान्यत: 24 से 48 घंटों में सीलबन्द लिफाफों में अपने स्पष्टीकरण और अंतिम मूल्य कथन प्रस्तुत करने को कहा जाता है । इन अंतिम प्रस्तावों के मिलने पर अध्यक्ष व प्रबन्ध निदेशक द्वारा मुख्य विपणन अधिकारी और निदेशक (वित्त) के परामर्श से खरीद निर्णय लिया जाता है । यदि इस प्रक्रिया में जो पार्टी कम मूल्य बताती है वह प्रस्तावित मात्रा बढ़ा देती है तो वह मात्रा प्राप्त कर ली जाती है और उतनी मात्रा का ऊंचे मूल्य कथन से खरीदी जाने वाली मात्रा में समयोजन कर लिया जाता है । यदि कोई पार्टी संशोधित दरें प्रस्तुत करते समय अपने पूर्व-कथित मूल्य में वृद्धि करती हैं तो उसका प्रस्ताव अस्वीकृत किया जा सकता है ।

श्री वयालार रवि : मन्त्री महोदय ने इतना लम्बा उत्तर देकर मुझे कुछ कहने की स्थिति में नहीं छोड़ा है । मैं विस्तृत तथा स्पष्ट उत्तर के लिय उनका आभारी हूं ।

मन्त्री महोदय ने स्वीकार किया है कि यह अन्तराल 1979-80 में लगभग 75,000 टन का है । इसका मतलब यह हुआ कि अन्तराल के आगे तक बढ़ने की संभावना है और स्वाभाविकता है कि यह एक लाख टन तक जा सकता है । इसके परिणाम स्वरुप देश में आयातित एल्यूमिनियम बेचने में काला बाजारी में अत्यधिक गुंजाइश हो जायेगी । इस सम्बन्ध में क्या मैं मन्त्री महोदय से जान सकता हूं कि वह अन्तराल दूर करने और काला बाजारी तथा भ्रष्टाचार में, जहां तक संभव हों, रोकने के लिये क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री बीजू पटनायक : महोदय, दो शब्द, जो आज नहीं, अपितु, बहुत लम्बे समय से प्रचलित हैं, वे हैं काला बाजारी और भ्रष्टाचार काला बाजारी और भ्रष्टाचार को टालने के लिये हमें आयात द्वारा अन्तराल दूर करना है। इसके अलावा हम उत्तर प्रदेश से आवश्यक विद्युत प्राप्त करने की भरसक कोशिश कर रहे है। विद्युत बोर्ड सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों ही क्षेत्रों में हमारे एल्यूमिनियम संयंत्रों के लिये पर्याप्त बिजली सप्लाई नहीं कर सके हैं जिससे उनमें इष्टतम उत्पादन किया जा सके । यदि हम इन दोनों संयंत्रों, जिनमें से एक उत्तरप्रदेश में गैर सरकारी क्षेत्र में है तथा दूसरा मध्यप्रदेश में भारत एल्यूमीनियम क० का संयंत्र है, के लिय पूरी विद्युत प्राप्त कर सके तो हम लगभग यह अन्तराल दूर कर पायगे परन्तु विद्युत सप्लाई में विलम्ब के कारण निश्चय ही हमें भारी चिन्ता हो गई है । मैं आशा कर रहा हूं कि इस चालू वर्ष के दौरान इन संयंत्रों को उनके राज्य विद्युत बोर्डों से बढ़ी हुई विद्युत सप्लाई की जायगी । उपभोक्ताओं को वाणिज्यिक ग्रेड एल्यूमिनियम तथा इलेक्ट्रोलिटिक कण्डक्टर ग्रेड एल्यूमिनियम एवं छड़ो की सप्लाई की स्थिति में भी काभी सुधार होगा ।

श्री वयालार रवि : महोदय आयातित ई० सी० तथा वाणिज्यिक ग्रेड एल्यूमिनियम भारत एल्यूमिनियम कम्पनी द्वारा वितरित किये गये है और इनका वितरण पूर्णरुपेण भारत एल्यूमिनियम कम्पनी के हाथ में है जिसके लिये अब तक कोई मानदण्ड नहीं अपनाया गया है। अत: मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि उपभोक्ताओं में इनके वितरण के लिये क्या मानदंड अपनाये गये हैं और यह सुनिश्चित करने के लिये क्या नियन्त्रण लागू किया गया है भारत एल्यूमिनियम कम्पनी को जो विद्यत दी जाये उसका किसी प्रकार का दुरुपयोग न हो। दूसरे, मन्त्री महोदय ने सभी 'बाल्को' संयंत्र और 'हिंडालकों' संयंत्र का उल्लेख किया है । उनसे आगे बैठे हुए मन्त्री महोदय को 'हिंडालको' में बारे में अधिक जानकारी है। मैं समझता हूं कि किसी सयंत्र हिडालकों के साथ उनके सम्बन्ध के कारण उन्होंने मुख्य मन्त्री पद खो दिया है । अब मन्त्री महोदय संमस्त आक्षेप बिजली की कम सप्लाई पर लगा रहे हैं क्योंकि उन्होंने कहा है कि यदि बिजली की सप्लाई ठीक हो जायगी तो सब कुछ ठीक हो जायेगा जिसके बारे में मेरे विचार उनसे भिन्न है । विद्युत बोर्ड पर आक्षेप लगाने के बजाये क्या आप अपने स्वयं के संयंत्र 'हिंडालको' और 'बाल्को' में उत्पादन बढ़ाने के अन्य उपाय ढूंढगें ?

श्री बीजू पटनायक : मैंने पहले एक सीधी सी बात कही थी। मेरे पास 100,000 टन की अप्रयुक्त क्षमता है । यदि बिजली मिल जाती है तो 100,000 टन उत्पादन हो सकता है । इन दोनों संयंत्रों के बारे में यह एक सीधी सी बात है।

श्री वयालार रवि : हिडालकों उत्तर प्रदेश सरकार को 8 करोड़ रुपये अदा करेग।

श्री बीजू पटनायक : यह मामला उत्तर प्रदेश सरकार तथा उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड और 'हिंडालकों' के बीच का है । यह विवादास्पद मामले से पृथक मामला है और मेरा विश्वास है कि 'हिंडालको' की उच्चतम न्यायालय में इस बारे में जीत हुई है । परन्तु इसके अतिरिक्त, जैसा कि मैं कह चुका हूं कि यदि हमें पर्याप्त बिजली मिल गई, जिसका इन दोनों संयंत्रों को दिये जाने का वचन दिया गया है, विशेषकर किसी न किसी कारण से मध्य प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड पिछले एक वर्ष से सरकारी क्षेत्र के संयंत्र को दिया गया अपना वचन पूरा नहीं कर सका है और मैं आशा करता हूं कि चालू वर्ष में यदि पूरी नहीं तो कुछ बिजली तो मिलेगी, तो जितनी बिजली मिलेगी उतना ही अधिक उत्पादन कमी दूर करने के लिये होगा । जहां तक ई० सी० ग्रेड के वितरण का सम्बन्ध है, यह केवल उन्हीं उपभोक्ताओं को दिया जाता है जो राज्य विद्युत बोर्डो के लिये के बल तथा अन्य विद्युत उपस्कर बनाते है और यह राज्य विद्युत बोर्डो तथा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की सिफारिश पर दिया जाता है । यह किसी और को नहीं दिया जाता ।

एक राष्ट्रीय-फिल्म नीति बनाने का प्रस्ताव

*744. **श्री एडुआर्डो फैलीरो :** क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को व्यापक राष्ट्रीय फिल्म नीति बनाने और क्रियान्वित करने की आवश्यकता के बारे में पता है; और.

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस दिशा में क्या कदम उठाये हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) देश में स्वस्थ सिनेमा के विकास में सहायता देने के उद्देश्य से एक राष्ट्रीय फिल्म नीति बनाने का प्रस्ताव है । इस मामले पर 4-11-1977 को हुए सूचना मंत्रियों के सम्मेलन में व्यापक रूप से चर्चा हूई थी । सम्मेलन की सिफारिशों के अनुपालन में, एकीकृत फिल्म नीति के विभिन्न पहलुओं में गहराई से विचार करने और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक कार्य दल का गठन किया जा रहा है । कार्यदल द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के बाद ही नई नीति को अन्तिम रूप दिया जायेगा ।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : इससे पहले कि मैं अपना प्रश्न पूछूं क्या मैं आपको बता सकता हूं कि 10.00 बजे मैं यहां आया तो मुझे एक उत्तर मिला और जो उत्तर मुझे सभा में आने से पहले मिला वह अलग उत्तर है । पहला उत्तर इस प्रकार था :

> "देश में स्वस्थ सिनेमा के विकास में सहायता करने के लक्ष्य से राष्ट्रीय फिल्म नीति बनाने का विचार है । इस मामले पर 4 नवम्बर, 1977 को हुए राज्य सूचना मंत्रियों के सम्मेलन में विस्तृत विचार किया गया था"

अब पुनरीक्षित उत्तर में से तारीख निकाल दी गई है । केवल यही परिवर्तन है । मेरा निवेदन यह है कि यदि जानकारी न देने का उद्देश्य था तो यह बहुत ही आपत्ति जनक बात है ।

ऐसा लगता है कि इस प्रश्न पर कोई कार्यकारी दल नियुक्त किया जा रहा है और यह कि इस कार्यकारी दल द्वारा उसका प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने के बाद ही नई नीति को अन्तिम रूप दिया जायेगा ऐसा लगता है कि यह ग्रीक कैलेंडर में आयेगा और भविष्य में कुछ नहीं होगा । ऐसा प्रतीत होता है कि इस बीच सरकार धीरे-धीरे सुधार और धीरे-धीरे परिवर्तन करने का विचार कर रही है । मेरा प्रश्न है कि क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में व्यापक नीति बनाने का नहीं है और क्या इस बीच धीरे-धीरे सुधार करना चाहती है । मैं यह प्रश्न फिल्म सेंसर बोर्ड, जो फिल्म सम्बन्धी मामलों पर निर्णय करने वाला अंतिम प्राधिकरण है, को पुन : स्वायत्तता देने के बारे में सिनेमैटोग्राफ अधिनियम में संशोधन के सम्बन्ध में 9 जुलाई, 1978 को सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के प्रवक्ता द्वारा दिये गये वक्तव्य के आधार पर पूछ रहा हूं कि और यह प्रश्न व्यापक फिल्म नीति का महत्वपूर्ण पहलू है । मेरा प्रश्न यह है कि क्या मन्त्री महोदय इस मामले पर अपने लिखित उत्तर की विवेचना करेंगे कि इस कार्यकारी दल की नियुक्ति कब की जायेगी, उसके निदेश पर क्या होंगे, प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत कर दिया जायेगा । इसके अतिरिक्त, क्या ऐसी बात है कि सेंसरशिप कानूनों में विचाराधीन व्यापक सुधार, खण्डश : सुधार लागू किये जायेंगे जैसा कि 9 जुलाई 1978 के मंत्रालय के प्रवक्ता ने बाताया है । यदि हो, तो सेंसरशिप कानूनों में ये सुधार किस प्रकार के होंगे ।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : जहां तक फिल्मों का सम्बन्ध है, फिल्मों से सम्बन्धित बहुत से क्रियाकलाप, अर्थात फिल्मों का उत्पादन वितरण और प्रदर्शन राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आता है । केन्द्रीय सरकार सार्वजनकि प्रदर्शन के लिये फिल्मों के प्रमाणन

जिसका अर्थ है सेंसरशिप, तथा कच्चे माल आदि के आयात के मामले में आवश्यक रूप से सामने आती है । अब यह शब्द "राष्ट्रीय फिल्म नीति" प्रदर्शन, वितरण, मनोरंजन कर, मनोरंजन कर से छूट आदि के क्षेत्र में भिन्न-भिन्न राज्यों द्वारा अपनाई जाने वाली नीति के संदर्भ में उत्पन्न हुआ है । उस संदर्भ में, यह महसूस किया गया और दिल्ली में समवेत हुए सभी सूचना मन्त्री सहमत हुए कि यदि हम, हर प्रकार से विचार किया जाये तो, समूचे देश पर लागू होने वाली एक समान नीति बनायें—एक ऐसी नीति जिससे स्वस्थ ढंग से सिनेमा विकसित हो, तो यह वांछनीय होगा । अत: खण्डश: सुधार करने का कोई प्रश्न नहीं है क्योंकि जहां तक सेंसर बोर्ड का सम्बन्ध है एक फिल्म नीति है । देश के प्रति इस सरकार का उत्तरदायित्व है हम आवश्यकताएं पूरी करने के लिये मार्गदर्शी सिद्धातों में परिवर्तन कर रहे हैं और उसके बाद यदि आवश्यकता पड़ी तो अधिनियम में भी संशोधन किया जायेगा परन्तु यह राष्ट्रीय फिल्म नीति, जिसमें मैं समझता हूं कि प्रदर्शन, वितरण और मनोरंजन कर छूट की समस्याओं पर भी व्यापक संदर्भ में विचार किया जायेगा ।

अध्यक्ष महोदय : उनका प्रश्न यह था कि समिति कब नियुक्त की गई थी ।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : वास्तव में हुआ यह कि मैं इसे पहले ही कर सकता था क्योंकि मूल विचार जैसा कि सूचना मन्त्रियों के सम्मेलन में उत्पन्न हुआ यह था कि इसमें केवल अधिकारी होने चाहिएं । बाद में जब मैंने सूचना और प्रसारण परामर्शदात्री समिति, जिसके माननीय सदस्य भी सदस्य हैं, में संसद सदस्यों के साथ विचार-विमर्श किया तो उन्होंने आग्रह किया यदि हम गैर-सरकारी सदस्यों को भी शामिल करें तो उचित होगा । यह महसूस किया गया कि इसमें केवल अधिकारी ही नहीं होने चाहिएं । मैंने सदस्यों को यह बता दिया था कि इससे विलम्ब होगा क्योंकि मुझे राज्य सरकारों के पास जाना पड़ेगा और एक बार फिर उन्हें उनकी सहमति के लिये कहना पड़ेगा । उसके बिना मैं यह नहीं कर सकता । उन्होंने कहा कि चाहे विलम्ब हो जाये परन्तु आपको पुन: राज्य सरकारों के पास जाना चाहिये और उनकी सहमति लेकर नई समिति नियुक्त करनी चाहिये । अत: विलम्ब हो गया और मैं इसे उतना जल्दी नहीं कर सका जितना मैं चाहता था ।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : महोदय, उन्होने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है । सूचना मंत्रियों का गत सम्मेलन कब हुआ था । क्या यह 4 नवम्बर, 1977 को हुआ था या नहीं । मंत्री महोदय ने फिल्मों आदि में सैंसरशिप, वितरण के बारे में ठीक ही बताया है । भारत में आयोजित हुए अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के चेयरमैंन, श्री औसमाने सेम्बाने का विचार है कि प्रतियोगात्मक चयन में स्तर बहुत ऊंचा नहीं था । भारतीय सिनेमा के बारे में उन्होंने कहा कि यह भारतीय वास्तविकता को चित्रित नहीं करती है। भारतीय सिनेमा में सुधार करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ताकि वह भारतीय वास्तविकता को चित्रित कर सके और भारतीय फिल्मों का स्तर सुधार सके ?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : सूचना मंत्रियों का गत सम्मेलन नवम्बर, 1977 में हुआ था । इसकी आपको जानकारी है । जहां तक अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में श्री औसमाने सेम्बाने द्वारा व्यक्त विचारों का सम्बन्ध है, वे इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं हुए हैं ।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : मैं एक बात कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित कराना चाहता हूं कि उत्तर 10.00 बजे मिला था ।

अध्यक्ष महोदय : आप यह बात पहले ही बता चुके हैं । अब इसे पुन: बताने की कोई बात नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री निर्मल चन्द्र जैन : फिल्म सत्यं शिवं सुन्दरम् में जो अश्लील प्रदर्शन हुआ है वह क्या सरकारी नीति के अन्तर्गत था या फिल्म सेंसर बोर्ड की स्वेच्छाचारिता के कारण ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : महोदय, प्रश्न के (क) भाग के उत्तर से ऐसा लगता है कि सरकार ने प्रश्नकर्त्ता द्वारा बताई गई "व्यापक राष्ट्रीय फिल्म नीति" की आवश्यकता को स्वीकार कर लिया है । मैं जानना चाहूंगा कि क्या ऐसे सभी मामलों में व्यापक राष्ट्रीय नीतियां बनाने की सरकार की नीति है क्योंकि हम शिक्षा सम्बन्धी एक व्यापक राष्ट्रीय निति, स्वास्थ्य सम्बन्धी व्यापक राष्ट्रीय नीति की प्रतीक्षा कर रहे हैं .....

अध्यक्ष महोदय : वह इन सब विषयों के प्रभारी मन्त्री नहीं है ।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : मैंने देखा है कि या तो हम बहुत से मंत्रालयों से कह रहे हैं या वे हमें कह रहे हैं कि वे व्यापक राष्ट्रीय नीतियों बनाने में व्यस्त हैं। सही मायने में "व्यापक राष्ट्रीय फिल्म नीति" का मतलब क्या है जब कि फिल्म ऐसा मामला है जिसे रचनात्मक कलाकारों पर छोड़ना सबसे अच्छा है और जहां भारत में भिन्नता है तो वहां विविधता होनी आवश्यक है ?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं पहले एक प्रश्न के उत्तर में पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं कि राज्य मंत्रियों के सम्मेलन में विचार की गई बहुत सी समस्याएं इस बात से सम्बन्धित थी कि सिनेमा पर कितना मनोरंजन कर लगाया जाना चाहिये । उनका सम्बन्ध इस बात से था कि क्या इस समय देश में जितना प्रदर्शन होता है वह पर्याप्त है और वह पर्याप्त नहीं है तो हम प्रादेशिक फिल्मों, विशेष कर खर्च वाली फिल्मों का प्रदर्शन करके इसे किस प्रकार बढ़ा सकते हैं । इन प्रश्नों पर विचार-विमर्श किया गया था । यह महसूस किया गया कि किसी एक राज्य में सिनेमा का लाइसेंस कतिपय नियमों के अनुसार दिया जाता है तो किसी अन्य राज्य में ऐसे नियमों के अनुसार दिया जाता है जो उससे पूर्णतया भिन्न हैं और विभिन्न राज्यों में दृष्टिकोण में इन मतभेदों से भी समस्याओं को बढ़ावा मिलता है । अत: समूचे राष्ट्र के लिये समान नीति बनाना बेहतर होगा । इस संदर्भ में यह निर्णय किया गया । जहां तक रचनात्मकता का सम्बन्ध है में माननीय सदस्य से सहमत हूं कि रचनात्मकत को निर्माता और कलाकार पर निर्भर करना होगा ।

श्री चन्द्रशेखर सिंह : अध्यक्ष, महोदय, मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा क्या सूचना मंत्रियों के सम्मेलन में किसी तरफ से यह सुझाव भी आया था कि फिल्मों के जरिए से जो

साम्प्रदायिकता का जहर देश में फैल रहा है और अश्लीलता फैल रही है जैसा कि माननीय जैन साहब ने बताया कि फिल्म का नाम था "सत्यं शिवं सुन्दरम" और काम था असत्यं अशिवं असुन्दरम्

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न के साथ इसका कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री चन्द्रशेखर सिंह : मेरा बड़ा साधारण सवाल है कि क्या फिल्मों के जरिए जो साम्प्रदायिकता फैल रही है उसको रोकने के लिए मन्त्री जी कोई उपाय करेंगे । दूसरे फिल्मों में जो अश्लीलता का प्रदर्शन हो रहा है उसके बारे में कुछ करेंगे ? और तीसरे जो टैक्स लगता है उसका प्रतिशत कितना है और क्या उसमें कोई कमी करने का प्रस्ताव है ?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : उस सम्मेलन में इसका जिक्र आया था कि फिल्मों में अश्लीलता और दुष्प्रवृत्तियों को रोकने के लिए उपाय करने चाहिएं इसका भी जिक्र हुआ कि अनेक बार ऐसे पोस्टर लगाए जाते हैं जो फिल्मों में होते नहीं । कई ऐसे मामलों पर चर्चा हुई थी । जिन मामलों में सेन्ट्रल गवर्नमेंट का दायित्व था उनकी जवाबदारी सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने ली और जो बातें स्टेट गवर्नमेंट के क्षेत्र में थीं उनकी जवाबदारी स्टेट गवर्नमेंट ने अपने ऊपर ली ।

आपने टैक्स के बारे में सवाल पूछा है । जैसा कि मैंने पहले बताया, सिनेमा पर जो टैक्स लगते हैं उनमें अधिकांश टैक्स का हिस्सा इंटरटेनमेंट टैक्स के रूप में होता है जो कि स्टेट गवर्नमेंट के अधीन है, हमारे अधीन नहीं ।

प्रेडनीसोलोन, एम्पीसिलीन, एनहाइड्रस आदिका रिलीज़ किया जाना

*745. **श्री मोतीभाई आर० चौधरी :** क्या **पट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या यह सच है कि उनके मन्त्रालय ने कहा है कि सरणीबद्ध कच्चा माल रिलीज़ करने के लिए केवल स्पष्टीकरण पत्र नीति-ढांचे के अन्तर्गत जारी किए गए हैं,

(ख) यदि हां, तो उनके मंत्रालय द्वारा प्रेडनीसोलोन, एम्पीसिलीन, एनहाइड्रस ट्राईमयोप्रिम और सल्फामेथोक्साजोल को रिलीज करने के बारे में स्टेट कैमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड और संबंधित निर्माताओं को जारी की गई हिदायतों का ब्यौरा क्या है, और,

(ग) उनके मंत्रालय द्वारा जारी किए गए स्पष्टीकरणों की परवाह किए बिना अपनी मनपसन्द एककों को सरणीबद्ध वस्तुएं निर्माता कैसे रिलीज कर सके हैं ।

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) से (ग) एक विवरण पत्र सभा पटल पर प्रस्तुत है ।

विवरण

(क) और (ख) वर्ष 1978-79 की आयात नीति में यह निर्धारित किया गया है कि सरणीबद्ध बल्क औषधों का आयात, वितरण और मूल्य निर्धारण पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में सरकार की संबंधित नीति के अनुसार किया जाएगा । तदनुसार मंत्रालय ने 1978-79 के दौरान लघु उद्योग एककों को और अप्रैल-सितम्बर, 1978 की अवधि के दौरान डी० जी० टी० डी० एककों को सरणीबद्ध कच्चे माल की सप्लाई के लिए 8 मई, 1978 को मार्गदर्शन जारी किए थे । डी० जी० टी० डी० एककों को अक्तूबर 1978 से मार्च, 1979 तक की अवधि के दौरान सरणीबद्ध कच्चे माल की सप्लाई के बारे में अक्तूबर, 1978 में कुछ अन्य मार्गदर्शन जारी किए गए थे ।

2. स्टेट कैमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (सी० पी० सी०) ने कादिला लेबोरेटरीज़ को एम्पीसिलीन एनहाइड्रस के आवंटन के बारे में मन्त्रालय से अनुदेश मांगे थे क्योंकि इस फर्म के पास अस्थायी क्षमता दर्शाने वाला सी० ओ० बी० लाइसेंस था । सी० पी० सी० को सलाह दी गई थी कि वे कादिला को इस औषध की 3.48 टन मात्रा सप्लाई करें ताकि वे अपने सी० ओ० बी० लाइसेंस में दर्शायी गई क्षमता प्राप्त कर सकें ।

3. फार्मूलेशन बनाने के लिए ट्राइमेथोप्रिम (टी० एम० पी०) और सल्फामेथोक्साजोन (एस० एम० एक्स०) के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है । ट्राइमेथोप्रिस का बुरोज वैल्कम द्वारा, सल्फामेथोक्साजोल का रोश द्वारा और दोनों का सिप्ला द्वारा निर्माण किए जाने के लिए लाइसेंस शुदा क्षमता इस प्रकार रखी गई है कि प्रथम दो कम्पनियों के पास मिलाकर और सिप्ला के पास स्वयं फार्मूलेशनों के लिए पर्याप्त सामग्री उपलब्ध हो । इसके अलावा मैसर्स बुरोज वैल्कम, रोश और सिप्ला को स्वीकृत स्वदेशी रूप से निर्मित टी० एम० पी० और एस० एम० एक्स० के मूल्य सी० पी० सी० द्वारा सप्लाई किए जाने के लिए निर्धारित आयातित सामग्री के मूल्य की तुलना में उनके फार्मूलेशनों के मूल्य अधिक थे । इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए जुलाई, 1978 में सी० पी० सी० को सलाह दी गई थी कि वे मंत्रालय की पूर्व अनुमति के बिना आयातित स्टाक में से उपरोक्त कम्पनियों को इन औषधों की कोई मात्रा सप्लाई न करें । बाजार में कोई कोटिमोक्सोल फार्मूलेशनों की कमी को दूर करने की दृष्टि से फरवरी, 1979 में सी० पी० सी० को अनुदेश दिए गए थे कि वे आई० डी० पी० एल० को 5 टन सल्फामेथोक्साजोल और 1 टन ट्राइमेथोप्रिम का तदर्थ आवंटन करें ।

4. वर्ष 1978 के अन्त तक यह बात ध्यान में आई थी कि सल्फामेथोक्साजोल के आवंटन के लिए लघु उद्योग एककों द्वारा पंजीकरण में अचानक वृद्धि हो गई है । इन औषधों की कालाबाजारी की रिपोर्टों के संदर्भ में सी पी० सी० को अनुदेश दिए गए थे कि वे सल्फामेथोक्साजोल के आवंटन के लिए 90 दिन की प्रारम्भिक अवधि से संबंधित शर्तों को सख्ती से लागू करें ।

5. वर्ष 1978-79 के दौरान प्रेडनीसोलोन एक सरणीबद्ध बल्क औषध नहीं था ।

6. मंत्रालय ने वर्ष 1978-79 के दौरान प्रेडनीसोलोन, एम्पीसिलीन एनहाइड्रस ट्राइमेथोप्रिम और सल्फामेथोक्साजोल के स्वदेशी निर्माताओं को कोई विशिष्ट अनुदेश जारी नहीं किए थे ।

(ग) ऊपर (क) और (ख) में बताई गई स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

श्री मोतीभाई आर० चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, स्टेटमेन्ट में जैसा बताया गया है उसके मुताबिक यह मंत्रालय चलता नहीं है । स्पष्टीकरण के बहाने जो कनेक्टेड पालिसी बनाई गई है उस के मुताबिक चलते नहीं हैं जैसा कि सी० पी० सी० के द्वारा सीन बायटिक्स को तो कच्चा माल दिया जाता है लेकिन सिपला और अलैंबिक बार-बार मंत्रालय के द्वार पर खड़े रहते हैं, उनको नहीं मिलता है—— इसका कारण क्या है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : अगर कोई निश्चित बात पूछी जाये कि किसको कौन दवाई क्यों नहीं मिली तब तो मैं बता सकता हूं । दवाइयों का रेंज इतना बड़ा है और कारण इतने हो सकते हैं कि मैं साधारणत: कुछ कह नहीं सकता पर इतना मैं कह सकता हूं कि मेरी जानकारी में ड्रग पालिसी के मातहत अलैंबिक और सिपला को जो दवाइयां मिलनी चाहिएं वह मिलती हैं, जो नहीं मिलनी चाहिएं वह नहीं मिलती हैं ।

श्री मोतीभाई आर० चौधरी : सिपला और अलैंबिक को एरिथ्रोमाइसीन स्टोरेट सी० पी० सी० के द्वारा जो मिलनी चाहिए वह नहीं मिलती है । इसका कारण क्या है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो सवाल किया उसको आप देख लें इसमें एक एक दवाई के बारे में मेरे पास इस समय सूचना नहीं है कि सिपला को दवाई क्यों नहीं मिली । जो हमने गाइडलाइन्स दी हैं उसमें कह दिया है कि कैपेसिटी, 1976-77 का प्रोडक्शन और तीसरे जो ड्रग कन्ट्रोल की नीति बताई है उसके मुताबिक वर्ष में जितना मिलना चाहिए उतना मिलता है । कोई कोई कैपेसिटी से बहुत ज्यादा बना रहे थे इसलिए उनको उतना नहीं मिल सकता है ।

श्री मोतीभाई आर० चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले प्रश्न में स्पष्टीकरण मांगा था ....

अध्यक्ष महोदय : आप दो से ज्यादा प्रश्न नहीं कर सकते । उनका उत्तर देना संभव नहीं है । कोई तर्क न दिया जाय ।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : क्या यह सच है कि सल्फामेथाक्ज़ोल, ट्राइमेथोप्रीम की रिलीज़ में जो इण्डस्ट्रियल लाइसेंस की शर्तें हैं उसमें आई० डी० पी० एल० कैनेलाइज्ड बल्क ड्रग्ज़ और इम्पोर्टेड ड्रग्ज़ का प्रयोग करने की आज्ञा नहीं है ? अगर नहीं तो आई० डी० पी० एल० के हक में एडहाक फैसला क्यों किया जाता है ? एक कम्पनी का कोटा 5 टन से घटाकर 1 टन और दूसरी कम्पनी का कौटा 2400 के० जी० से बढ़ाकर 8 टन कर दिया गया ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : मान्यवर, जहां तक आई० डी० पी० एल० का सम्बन्ध है, इन दोनों दवाइयों की बाजार में कमी को पूरा करने के लिए हम ने पब्लिक सेक्टर को दिया, किसी प्राइवेट सेक्टर को नहीं दिया और यह गवर्नमेंट की रेजीडुयेरी पावर्स में होता है कि वह यह देखे कि जनहित में क्या करना वाजिब है । इस चीज़ को देखते हुए मैं कह सकता हूं कि जनहित में जो कुछ हम ने किया, वह ठीक किया । अगर प्राइवेट सेक्टर में दिया होता, तो गलती हो सकती थी और यह कहा जा सकता था कि किसी मतलब से यह किया है और यह जनहित में नहीं था । जहां तक कम देने का सवाल है, किस कम्पनी को कितना कम मिला है, अगर उस का नाम बता दें, तो मैं इसके बारे में बता सकता हूं ।

उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में नेशनल केडिट कोर प्रशिक्षण

*746. **श्री ए० सुन्ना साहेब**
श्री हलीमुद्दीन अहमद } : क्या **उप प्रधान** मंत्री तथा रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में नेशनल केडिट कोर प्रशिक्षण की अवधि कितनी है ;

(ख) क्या शिविर लगाना इसका एक आवश्यक भाग है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सभी केडिट अनिवार्य रूप से इसमें भाग लेते हैं और यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) से (ग) राष्ट्रीय कैडेट कोर के नियमों के अनुसार किसी स्कूल की जूनियर डिवीजन कैडेट कोर एक वर्ष में कम से कम 65 घंटे का सेवा प्रशिक्षण अनिवार्य है । उसके लिए प्रशिक्षण वर्ष के दौरान 10 दिन के एक वार्षिक प्रशिक्षण शिविर में भी भाग लेना अनिवार्य है । परन्तु वित्तीय कठिनाइयों को देखते हुए शिविर में भाग लेने की शर्त को सख्ती से लागू नहीं किया जाता ।

श्री ए० सुन्ना साहेब : यह बताया गया है कि राष्ट्रीय केडेट कोर नियमों के अन्तर्गत किसी स्कूल से जूनियर डिवीजन कैडेट को एक वर्ष में कम से कम 65 घंटे का सेवा प्रशिक्षण अनिवार्य है । उसके लिए प्रशिक्षण वर्ष के दौरान 10 दिन के एक वार्षिक प्रशिक्षण शिविर में भी भाग लेना अनिवार्य है । क्या उप-प्रधान मंत्री तथा रक्षा मंत्री यह सुनिश्चित करने के लिए आगे आएंगे कि वार्षिक शिविर अनिवार्य किया जाये ताकि जो छात्र प्रशिक्षण ले रहे हैं उन्हें उचित प्रशिक्षण मिल सके । क्या सभी कैडेटों के लिये शिविर में भाग लेना आवश्यक होगा ? क्या शिविर लगाना और प्रशिक्षण देना आवश्यक और अनिवार्य किया जायेगा ?

प्रो० शेर सिंह : वित्तीय कठिनाइयों के कारण ऐसा करना हमारे लिये संभव नहीं हो सका । इस समय भी केन्द्रीय सरकार एक वर्ष में औसतन 65 लाख रुपए खर्च कर रही है और इतनी ही राशि राज्य सरकारें खर्च कर रही हैं । वे 50 : 50 के आधार पर वितरित कर लेती हैं । हमारे पास खर्च करने के लिए इतनी राशि ही है, इस राशि से हमें इन शिविरों को आयोजित करना होता है ।

श्री ए० सुन्ना साहेब : जूनियर अधिकारियों को वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है । उन्हें लगभग 50 रुपए का मानदेय दिया जाता है । क्या यह मानदेय बढ़ाया जाएगा ? कुछ कैडेटों का असाधारण कार्यकरण होता है । क्या मंत्री महोदय यह सुनिश्चित करेंगे कि बॉयज फंड में से अत्यधिक होशियार लड़कों को प्रोत्साहन देने हेतु, कुछ राशि दी जाय और शिविर में जो अधिकारी बहुत अच्छा काम करते हैं उन्हें भी राशि दी जाये ?

प्रो० शेर सिंह : गत वर्ष उप प्रधान मंत्री तथा रक्षा मंत्री ने निदेश दिया था कि इस प्रश्न की जांच करने के लिए समिति नियुक्त की जाये कि शिविरों में भाग लेने के लिये अन्य मदों में से कुछ धन दिया जाये । वह समिति इस प्रश्न की जांच कर रही है । शायद इस धन में से यदि हम कुछ और लोगों द्वारा शिविर में भाग लिये जाने की व्यवस्था कर सकें तो ऐसा किया जायेगा ।

श्री फिरंगी प्रसाद : मैं आप के माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि एन० सी० सी० के प्रशिक्षण में जो जाते हैं उनके शारीरिक ह्रास को रोकने के लिए जो जलपान दिया जाता है और उन की वर्दियों के लिए जो राशि निश्चित की गई है, यह शिकायत मिली है कि सरकार से जो उनके लिए निर्धारित है, उतनी मात्रा में उन को नहीं मिलता है। क्या इस की जानकारी मंत्री जी को है और क्या मंत्री जी इस विषय में यह भी बताएंगे कि इस के लिए कोई जांच होती है या नहीं या सिर्फ सम्बन्धित अधिकारियों के ऊपर ही सारी चीज़ निर्भर करती है ?

प्रो० शेर सिंह : अभी तक इस ढंग की कोई शिकायत हमारे पास नहीं आई है। मैं आप को बताऊं कि एक कैडेट के पीछे जो सीनियर विंग है, उस में 37 रुपए भारत सरकार खर्च करती है और जो जूनियर विंग है, उस के लिए 28 रुपये हैं। यह रकम निश्चित की गई है और इसके अन्दर गड़बड़ी की कोई बात हमारे सामने नहीं आई है।

श्री पी० एम० सईद : कैडेटों को दिया जाने वाला धुलाई भत्ता इतना कम है कि कैडेट सुस्त दिखाई देते हैं और चुस्त कार्य पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। मैं स्वयं कैडेटों से सम्बद्ध था और मैं जानता हूं कि इतनी कम राशि, जो कैडेटों को दी जाती थी, से सफाई रखना हमारे लिये कितना मुश्किल था। इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार इस पहलू की जांच करेगी और कैडेटों का धुलाई भत्ता बढ़ायेगी। ?

प्रो० शेर सिंह : इसकी जांच कराई जायेगी।

फिल्मों में मद्यपान के दृश्य

*749. **श्री एस० एस० सोमानी :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कभी-कभी फिल्मों में मद्यपान के दृश्यों से अच्छी धारणा नहीं बनती है और वे भद्दे भी दिखाई देते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में यदि कोई मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए गए हैं, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) फिल्मों में मद्यपान के दृश्यों का दिखाया जाना कहानी या प्रसंग के एक अंश के रूप में होते हैं। तथापि, चलचित्र अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत जारी मार्गदर्शी सिद्धांतों में अन्य बातों के साथ यह व्यवस्था है कि फिल्म सेंसर को यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे दृश्य जो मद्यपान को उचित ठहराते हों, या उनकी प्रशंसा करते हों, नहीं दिखाये जाएं।

श्री० एस० एस० सोमानी : अध्यक्ष महोदय, मद्य निषेध वर्तमान सरकार की नीति है। इसके लिए बड़ी-बड़ी बातें की जा रही हैं। लाखों रुपये इसके लिये खर्च किये जा रहे हैं। परन्तु इसके लिये प्रेरणा या दुष्प्रेरणा देने वाले साधनों की ओर हमारी सरकार का ध्यान बहुत कम है। शराब बन्दी की बात करते हैं और ठेका प्रणाली के माध्यम से नई नई दुकानें खोलते हैं।

शुद्ध और अच्छी शराब के विज्ञापन दिये जाते हैं। फिल्मों में भी वही स्थिति है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या मद्य निषेध की नीति के विपरीत चलचित्रों को भविष्य में प्रतिबन्धित कर दिया जायेगा और अभी जिन फिल्मों में यह मद्यपान है क्या उनको देखा जाएगा ?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मद्य निषेध सरकार की नीति है । उसी के कारण फिल्मों के सेंसर बोर्ड को जो गाइडलाइंस दी गयी है उनमें यह कहा गया है कि अगर कोई ऐसा दृश्य होगा जिस के द्वारा मद्यपान को प्रोत्साहन मिलता है, या उसकी वह ग्लोरीफाई या जस्टिफाई करता है तो वह दृश्य नहीं दिखाया जा सकता है। लेकिन माननीय सदस्य यह स्वीकार करेंगे कि मद्य निषेध का प्रचार करने के लिये उसके जो खराब परिणाम हो रहे हैं, उनको दिखाना उपयोगी होता है ।

श्री एस० एस० सोमानी : अध्यक्ष महोदय, आपने जो मार्गदर्शक सिद्धान्तों का हवाला दिया है वे तो 1952 के अधिनियम के तहत हैं। 1952 से लेकर अब तक इन चिल चित्रों के दुष्परिणाम हम देख सकते हैं। उस समय कितने लोग शराब पीते थे और आज कितने ? कालेज के विद्यार्थी, मैं समझता हूं कि 80 परसेंट लोग शराब पीते हैं । इस तरह की फिल्में एम० पीज० को भी दिखायी जाती हैं। कई फिल्में तो वाइन और वूमैन को लेकर ही चलती हैं। इसलिये मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आप फिल्म सेंसर बोर्ड को रीकांस्टीच्यूट करेंगे, या इसको नये मार्गदर्शक सिद्धांत देंगे जिनके आधार पर भविष्य में ऐसा न हो ?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष जी, कानून 1952 का है लेकिन गाइडलाइंस अभी की हैं। सेंसर बोर्ड भी अभी अभी रिकांस्टीच्यूट किया गया है और गाइडलाइंस भी नयी दी गयी हैं और उन गाइडलाइंस पर ही काम हो रहा है ।

श्री डी० जी० गवई : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह सवाल पूछना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान की जो नैतिकता है, संस्कृति है, उस पर आघात करने वाले या उसको छिन्न-भिन्न करने वाले जो पहले चित्र बने हैं, जैसे कि एक चित्र 'देश परदेश' है उसमें शराब पीने का दृश्य दिखाया गया है । लड़के और लड़कियां शराब पीती हैं, यह उसमें दिखाया गया है । क्या मंत्री महोदय, ऐसी फिल्मों को तत्काल बन्द करने का आदेश देंगे ? क्या मंत्री जी ऐसी फिल्मों को भी बंद करेंगे जिनमें शराब पीना और डकैती चाकू, मारी, गोला बाजी के भयानक दृश्य दिखाये जाते हैं । क्या इस प्रकार की सारी फिल्मों को आप तत्काल बंद करेंगे, या मुझे सवाल पूछना ।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : सेंसर बोर्ड को जो निर्देश दिये गये हैं वे बहुत स्पष्ट हैं और मैं समझता हूं कि उसी के अधीन काम हो रहा है ।

श्री के० राममूर्ति : अब तक हम अपने देश की सभी समस्याओं का समाधान कर चुके हैं, केवल यही समस्या हमारे समक्ष विचाराधीन है । मेरे अच्छे मित्र श्री सोमानी ने यह प्रश्न पूछा है । मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जनता पार्टी नशाबन्दी के बारे में नीति निर्णय करने में गंभीरतापूर्वक सम्बद्ध है, क्या सरकार सभी सिनेमा-गृहों को अनुदेश जारी करेगी कि जो लोग शराब के प्रभाव के अन्तर्गत वहां आते हैं, उन्हें टिकट न दिये जायें ?

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं समझता कि यह प्रश्न मुख्य प्रश्न से उत्पन्न होता है ।

राजस्थान में पालाना तापीय विद्युत परियोजना

*750. **श्री दौलत राम सारण :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पालाना तापीय विद्युत परियोजना का प्रतिवेदन केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की मंजूरी के लिये राजस्थान सरकार से कब प्राप्त हुआ था;

(ख) क्या पश्चिमी राजस्थान में बिजली की कमी को दूर करने के लिये यह परियोजना आवश्यक है और केवल इस परियोजना की सहायता से ही वहां पर विद्युतीकरण में प्रगति हो सकती है ;

(ग) क्या लिग्नाईट, कोयला, भारी मात्रा में भूमिगत जल और पर्याप्त मात्रा में राजस्थान लिफ्ट नहर जल पालाना में उपलब्ध है और इसका रेल तथा सड़क से भी सम्पर्क जुड़ा है; और

(घ) इस परियोजना को कब तक मंजूर किया जायेगा और उसकी वर्तमान स्थिति क्या है तथा इसे मंजूरी देने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) पालाना में लिग्नाईट पर आधारित ताप-विद्युत केन्द्र संबंधी परियोजना रिपोर्ट केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में फरवरी 1979 में प्राप्त हुई थी।

(ख) वर्तमान मूल्यांकन के अनुसार, वर्ष 1979-80 से 1983-84 तक के वर्षों के दौरान राजस्थान राज्य में बिजली की सप्लाई की स्थिति संतोषजनक रहेगी।

(ग) प्रस्तावित संयंत्र के लिये पालाना में लिग्नाईट के खनन भण्डारों की पर्याप्तता अभी तक सुनिश्चित नहीं हुई है। जल की अपेक्षित मात्रा की अबाध रूप से सप्लाई राजस्थान लिफ्ट नहर से मिलते रहने की पुष्टि का इन्तजार भी राजस्थान बिजली बोर्ड से है। परियोजना रिपोर्ट के अनुसार, प्रस्तावित स्थल बीकानेर से रेल तथा सड़क दोनों द्वारा जुड़ा हुआ है ।

(घ) परियोजना रिपोर्ट की केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में जांच की गयी है और कुछ अतिरिक्त सूचना/स्पष्टीकरण राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड द्वारा भेजे जाने हैं । इस स्कीम के गुणावगुण की जांच, अपेक्षित सूचना के प्राप्त हो जाने तक तथा लिग्नाइट के पर्याप्त भण्डारों की पुष्टि हो जाने के बाद उसी समयावधि में शुरू की जाने वाली अन्य स्कीमों के गुणावगुणों के साथ-साथ की जाएगी।

श्री दौलत राम सारण : स्टेटमैन में जो सूचना पहले से ही भेजी जा चुकी है उन सूचनाओं के न होने की बात कही गई है । जैसे पानी की ही बात को आप लें। राजस्थान सरकार ने आठ क्यूसेक पर आवर पानी की आवश्यकता बताई थी लेकिन बारह क्यूसेक पानी राजस्थान लिफ्ट कैनाल से राजस्थान सरकार ने रिजर्व कर दिया है। अंडर ग्राउन्ड वाटर भी वहां पर 7.5 कूबिक मीटर प्रति घंटा की कैपेसिटी से अवेलेबल है । लिग्नाइट के भंडार भी वहां पर हैं। ये कहते हैं कि नहीं हैं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि एक रशियन टीम ने बहुत वर्ष पहले वहां

खोजबीन की थी और बताया था कि वहां लिग्नाइट के पर्याप्त भंडार हैं। साथ ही इंडियन ब्यूरो आफ माइंज के हिसाब से मी० 2 इंटू 60 मैगावाट के प्लांट के लिए 25 वर्ष तक के लिए वहां भण्डार उपलब्ध हैं। इस सब के बावजूद भी ये कहते हैं कि कोयले के भंडारों का स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला है जबकि वह भी मिल चुका है। रशियन टीम, सैन्ट्रल, ब्यूरो आफ माइंज, आदि सबने खोजबीन के आधार पर इस बात को पुष्ट कर दिया है कि वहां पर्याप्त भंडार हैं तो उसके बाद इनको और क्या प्रमाण चाहियें? मंत्री महोदय ने जो सूचना इस प्रश्न के उत्तर में दी है वह सही नहीं है। इसलिये क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि इस प्लाट को वह शीघ्र अनुमति प्रदान करेंगे जो सूचनायें मैंने बताई हैं इनके आधारों को मालूम करके?

श्री पी० रामचन्द्रन: महोदय, विवरण में यह स्पष्ट बताया गया है कि:

"3....योजना की अपेक्षित जानकारी की प्राप्ति और लिग्नाइट के भंडार की पर्याप्तता के सम्बन्ध में पुष्टि के बाद अन्य योजनाओं के गुणों के साथ-साथ आगे जाँच की जायेगी।"

हमारा मतलब यह था कि उस क्षेत्र में लिग्नाइट का भंडार है तथा विभिन्न दलों ने इसकी जांच की है तथा कुछ दलों ने कहा कि केवल 1 करोड़ टन ही उपलब्ध है, एक अन्य दल ने कहा है कि केवल 20 लाख टन उपलब्ध है और तीसरे दल ने कहा है कि यह 2 करोड़ टन उपलब्ध है। इसके अलावा इस लिग्नाइट के खनन की लागत की भी जांच की जाती है, । इन सब बातों की जांच करने के बाद हम योजना की स्वीकृति का कार्य आरम्भ करेंगे। हमारा यही मतलब था। हमने यह कभी नहीं कहा कि लिग्नाइट बिल्कुल नहीं है। लिग्नाइट है परन्तु मुख्य बात यह है कि वह कितनी मात्रा में उपलब्ध है।

श्री दौलत राम सारण: लिग्नाइट के भंडार जैसा मैं ने निवेदन किया है वहां 2 इंटू 60 मैगावाट के प्लांट के लिये पच्चीस साल के लिये पर्याप्त है, इस बात को रशियन टीम के एक्सपर्टस ने और इंडियन ब्यूरो आफ माइंज ने बहुत पहले मालूम कर लिया था। क्या यह सही है कि 1969 में राज्य सरकार की तरफ से स्वीकृति के लिये एक प्रोजैक्ट रिपोर्ट भेजी गई थी। और उसमें यह सारा विवरण दिया गया था? क्या यह भी सही है कि इसके लिए और भी जो सूचना चाहिए वह आपके विभाग को भेजी जा चुकी है और सारी सूचनायें पहले से ही आपके विभाग के पास पड़ी है और उसको देखने का कष्ट नहीं किया जा रहा है और इसलिये विलम्ब हो रहा है? आपने बताया है कि राजस्थान में बिजली की कोई कमी नहीं है। यह भी असत्य बात है। राजस्थान में बिजली का बराबर अभाव रहता है और पीने के पानी के लिये बिजली उपलब्ध नहीं है। चूंकि इस प्राजैक्ट की आवश्यकता राजस्थान को है इस वास्ते इसको क्या तुरन्त स्वीकृति प्रदान की जाएगी चूंकि वहां पर कोल और पानी आदि के पर्याप्त भंडार हैं?

श्री पी० रामचन्द्रन: महोदय, हमें किसी भी योजना पर मंजूरी देने से पहले उसके विभिन्न पहलुओं पर विचार करना पड़ता है। यह सही है कि राजस्थान विद्युत बोर्ड द्वारा 60 एम० डब्ल्यू वाले दो एककों के लिये कहते हुए परियोजना प्रतिवेदन भेजा गया है। परन्तु हमें यह देखना है कि क्या उस क्षेत्र में लिग्नाइट पर आधारित नई परियोजना की आवश्यकता है क्योंकि लिग्नाइट के खनन की लागत प्रति टन 180 रुपये आयेगी और उतने ही कोल से कोयले के लिए लगभग 324 रुपये प्रति टन। हमें इस बात पर विचार करना है कि क्या इस लिग्नाइट

का खनन करना और उससे बिजली पैदा करना वांछनीय है। यह एक पहलू है। अन्य पहलू यह है कि हमारे पास राजस्थान में पहले से ही पर्याप्त विद्युत है और उन्होंने ऐसी विभिन्न अन्य केन्द्रीय योजनाओं में भी हिस्सा बटा रखा है जो उत्तरी क्षेत्र में बन रही है। 1983 या 1984 तक राजस्थान में फालतू बिजली उत्पन्न हुआ करेगी बशर्ते कि सभी चालू योजनायें पूरी हो जाये। हमने पहले ही एक चालू योजना जो कोटा में 200 एम० डब्ल्यू० परियोजना है, पर मंजूरी दे दी है। इसके अलावा हाल ही में हमने कोटा में 210 एम० डब्ल्यू० के दो एककों पर मंजूरी दी है। जब ये सब योजनाएं पूरी हो जायेंगी तो राजस्थान में पर्याप्त बिजली हो जायेगी। इस समय अतिरिक्त बिजली की कोई आवश्यकता नहीं है। परन्तु ज्यों ही हम पायेंगे कि नई योजनाएं मंजूर करने की आवश्यकता है, हम निश्चय ही इन योजनाओं पर निश्चित रूप से विचार करेंगे।

इतालवी सहयोगकर्त्ताओं द्वारा इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड को प्रौद्योगिकी के अन्तरण के लिए अदायगी

*752. **श्री पी०एम० सईद :** क्या **पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पांच मूल औषधियों के लिये प्रौद्योगिकी के अन्तरण के लिये इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड को अपने इतालवी सहयोगकर्ताओं को अधिक मात्रा में शुल्क देना पड़ेगा ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या मुख्य कारण हैं ;

(ग) क्या इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के किसी दल ने उन नवीनतम सुधारों के बारे में अध्ययन करने के लिये इटली की यात्रा की है। जो ऋषिकेश के तथा अन्य संयंत्रों में किए जा सकते हैं ; और

(घ) यदि हां, तो क्या उन्होंने सरकार को कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है।

पैट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) से (घ) एक विवरण-पत्र सभा पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

(क) और (ख) इंडिया ड्रग्स फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (आई० डी० पी० एल०) और इटली के फार्माफिन के बीच हुए करार में यह व्यवस्था की गई है कि फर्माफिन को कच्चे माल का कम से कम उत्पादन/खपत के लिए एक निश्चित राशी का भुगतान किया जाए। यदि गारंटी की अवधी के दौरान अधिक उत्पादन/कम खपत की जाए तो उसके लिए करार में अतिरिक्त भुगतान की भी व्यवस्था की गई है।

(ग) करार के एक अंश के रूप में आई० डी० पी० एल० के तकनीशियनों के एक दल ने प्रक्रिया प्रदर्शन के प्रशिक्षण के लिए 1977 में इटली के सहयोगियों के संयंत्रों के निरीक्षण के लिए आई० डी० पी० एल० शीघ्र ही चार विशेषज्ञों के एक दल को आई० डी० पी० एल० के संयंत्रों में लागू की गई फार्माफिन प्रौधोगिकी को अद्यतन बनाने के लिए इटली भेजेगा।

(घ) फितहाल प्रश्न नहीं उठता

श्री पी० एम० सईद : माननीय मंत्री के विवरण को देखने के पश्चात .....

अध्यक्ष महोदय : इसको पढ़ने के पश्चात आपका कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं रहता।

श्री पी० एम० सईद : श्री बहुगुणा द्वारा इस सभा में दिए गये इस प्रकार के विवरण से मुझे हैरानी हुई है। भगवान की भाषा केवल भगवान ही जानते हैं। और डाक्टर का नुस्का केवल डाक्टर जानता है.....

अध्यक्ष महोदय : और कम्पाउंडर भी।

श्री पी० एम० सईद : उसी प्रकार मंत्री महोदय का विवरण उनको ही मालूम है। ऐसा प्रतीत होता है। मेरे प्रश्न का पहला भाग था :

> "क्या यह सच है कि इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड को प्रौद्योगिकी के अन्तरण के लिये अपने इटालवी सहयोगियों को अधिक शुल्क देना पड़ेगा . . ."

अपने उत्तर में उन्होंने यह नहीं बताया है कि क्या प्रौद्योगिकी के अन्तरण के लिये अधिक शुल्क दिया जाना है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है यदि नई प्रौद्योगिकी की जाती है तो अधिक शुल्क अदा किया जाता है।

श्री पी० एम० सईद : मैंने अधिक शुल्क के कारण पूछे थे। क्या मैं सबसे पहले मंत्री महोदय से इस बात को स्पष्ट करने को कहूं कि क्या इटालवी सहयोगियों द्वारा इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड को अन्तरित प्रौद्योगिकी के लिये अधिक शुल्क देना पड़ेगा और यदि हां तो उसके क्या कारण हैं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : मैं माननीय सदस्य का बहुत सम्मान करता हूं और इसी-लिये मैं यह कह कर उनको प्रत्युत्तर नहीं दूंगा कि उन्होंने प्रश्न पूछने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया उनका उत्तर देना मेरे लिये मुश्किल था और फिर भी मैंने उसकी कोशिश की। जब वह "अधिक शुल्क" की बात करते हैं तो मैं यह नहीं जानता कि किसकी तुलना में अधिक शुल्क की वह बात कर रहे हैं। वह कहते हैं कि इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स ने अधिक शुल्क अदा किया है। परन्तु मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। श्री सईद को यह जान कर खुशी होगी कि इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड का फार्माफिन के साथ यह सहयोग समझौता पिछली सरकार के शासन काल में किया गया था। वह उसी दल के हैं जिसका नेतृत्व इस सभा में अथवा उसके बाहर इस समझौते के लिए उत्तरदायी था। जहां तक उनके प्रश्न का संबंध है, इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स ने फार्माफिन के साथ एक समझौता किया है। मुझे इस बारे में आशंकाएं हैं कि क्या इस समझौते में उल्लिखित बातें सच होंगी। न केवल यह समझौता पिछली सरकार द्वारा किया गया था--मैं आपको घटनाओं का सारांश बताता हूं--सहयोग की शर्तें तत्कालीन सरकार द्वारा 3 फरवरी 1977 को अनु-मोदित की गई थीं। यह सब इस प्रकार से हुआ। विदेशी पूंजी निवेश बोर्ड द्वारा अपनी 17 दिसम्बर, 1976 की बैठक में इसें मंजूरी दी गई। निवेश के लिये राष्ट्रपति की मंजूरी 26 फरवरी, 1977 को प्रेषित की गई। जबकि चुनाव होने को थे। नई सरकार के बनने की संभावना थी। निवृत मान सरकार काम को पूरा करने की जल्दी में थी।

अध्यक्ष महोदय : मेरा विचार है कि आपने उनका उत्तर नहीं दिया।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : मैं एक बात अवश्य कहूंगा वह यह है कि उन्होंने कहा "अधिक शुल्क"। अधिक किन की तुलना में ?

श्री पी० एम० सईद : यह बहुत सीधी अंग्रेजी है। 'अधिक दर' का अर्थ है विश्व के किसी भी भाग में उपलब्ध उक्त प्रौद्योगिकी की तुलना में। यदि ऐसा है तो वर्तमान सरकार को इस ठेके को समाप्त करने की पूरी आजादी है और उसके साथ ही यदि सरकार यह समझती है कि इस ठेके के अनुसार विश्व के किसी भी भाग में उपलब्ध उत्तर प्रौद्योगिकी की तुलना में अधिक दर अदा करनी पड़ेगी तो उसको जारी रखने के और विशेष कारण क्या हैं। इस ठेके में बताया गया है कि एक दल बहुत शीघ्र इटली का दौरा करेगा और इस दल के निष्कर्ष फार्माफिन द्वारा उपलब्ध किये जायेंगे। दल इटली को भेजा जा चुका है और वापस भी आ गया है परन्तु मेरे प्रश्न के भाग (घ) के उत्तर में कहा गया है "फिलहाल प्रश्न नहीं उठता।" इस बात को वे स्पष्ट करें। क्या इस दल ने दौरा पूरा कर लिया है। यदि हां तो इस दल के निष्कर्ष क्या हैं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : प्रारम्भ में ही जिस ढंग से यह सौदा हुआ उसके बारे में बता दूं। जापानियों के एक प्रस्ताव को छोड़ कर, जिनके साथ हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड ने कुछ प्रकार के एंटिबायोटिक्स के निर्माण के लिये सहयोग समझौता किया हुआ था, एन्टीबायोटिक्स की सप्लाई के संबंध में किसी स्रोत से तुलनात्मक आंकड़े उपलब्ध नहीं थे। जापानी लोग हिन्दुस्तान एंटीबायोटिकस लिमिटेड को क्षितिजीय आधार पर प्रौद्योगिकी का अन्तरण करने को सहमत थे। परन्तु तत्कालीन सरकार ने सारे प्रश्न पर इस गहराई से विचार नहीं किया। जिसके आधार पर मैं निश्चित रूप से यह कह सकूं कि यह दर अधिक है अथवा कम। अतः मैं इस विशेष पहलू का उत्तर देने में असमर्थ हूं। वह इस प्रश्न को अपने सहयोगियों से पूछें और यदि वे मेरा पथ प्रदर्शन करें सकें तो मैं माननीय सदस्य का अत्यन्त आभारी हूंगा। जहां तक अन्य भाग का संबंध है, समझौते के अनुसार .....

श्री पी० एम० सईद : वह मुझे पथ प्रदर्शन करने को कह रहे हैं। वह मेरे से प्रश्न पूछ रहे हैं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : मैं केवल पथ प्रदर्शन चाहता हूं। मैं प्रश्न नहीं पूछ रहा। जहां तक प्रश्न का संबंध है ; दल के दौरे के बारे में यह सच है कि कुछ अधिकारी तथा कुछ तकनीशियन प्रारम्भिक अवस्थाओं पर इस बात का पता लगाने के लिये वहां पर गये थे कि किस प्रकार का काम अपेक्षित है, पूरी प्रौद्योगिकी में फार्माफिन में क्या काम किया जाता है। इस बीच उन्होंने प्रौद्योगिकी में कुछ प्रगति प्राप्त करने का दावा किया है जो वह हमें बताने को तैयार हैं। इस बात के लिए भी दल भेजा जा रहा है।

चौधरी बलबीर सिंह : मंत्री महोदय, बतायेंगे कि सोनिया गांधी का रिश्ता ....

अध्यक्ष महोदय : किसी व्यक्ति गत प्रश्न के पूछने की अनुमति नहीं है। किसी व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं।

चौधरी बलबीर सिंह : मिनिस्टर साहब ने अभी आपके सामने कहा है कि यह फरवरी में किया है, इलैक्शन शुरू थे · · · (व्यवधान) गवर्नमेंट की जो हैड थी, उस वक्त की प्रधान मंत्री, उसका सवाल है, इंडीविजुअल का नहीं है।

इस देश की जो पहले प्रधान मंत्री थीं, उन्होंने इटली से जो सौदा किया, क्या उसमें उनकी रिश्तेदारी की वजह से या उनके द्वारा कोई नाजायज फायदा तो नहीं पहुंचाया गया ?

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से यह प्रश्न नहीं उठता। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं मंत्री महोदय को बाध्य नहीं कर सकता। वह कहते हैं कि उनके पास जानकारी नहीं है ।

(**व्यवधान**)

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : कोई भी बच नहीं सकता।

एक माननीय सदस्य : हिन्दी में ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : कोई भी मिनिस्टर पब्लिक सैक्टर की किसी भी चीज को इस हाउस से बचा नहीं सकता है, छिपा नहीं सकता है। और हमारा तो छिपाने का कोई काम ही नहीं है । लेकिन इस सारे मामले में इस सरकार के आने से पहले पहले आधे से ज्यादया पेमेन्ट तक हो चुका था। ला डिपार्टमेन्ट ने हमको कहा कि अगर आप अब इसका एग्रीमेंट तोड़ते हैं, तो आप पर जुर्माना लगेगा। इसलिये हम इस बारे में ट्राई कर रहे हैं। फायदा किस किस को पहुंचा है, इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है। (**व्यवधान**)।.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न 753 डा० वसन्त कुमार पंडित ।

डा० वसन्त कुमार पंडित : प्रश्न संख्या 753 ।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाये।

(**व्यवधान**)**

अध्यक्ष महोदय : वह कहते हैं कि उनके पास जानकारी नहीं है।

(**व्यवधान**)**

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, कृपया शांत रहें। कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित न किया जाये। डा० पंडित ने प्रश्न पूछा है ।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मुझे दुख है वह कहते हैं कि उनके पास जानकारी नहीं है। वह ऐसा कह सकते हैं ।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : श्री बहुगुणा यह जानना चाहते हैं कि क्या आप इस मामले में जांच करेंगे ।

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : मैं इस मामले को उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री को निर्देशित करूंगा क्योंकि वे ही बता सकेंगे कि ...

(व्यवधान)

सिलेण्डरों में कम एल० पी० जी० होने के बारे में शिकायतें

***753. डा० वसन्त कुमार पण्डित :** क्या **पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उपभोक्ताओं को सप्लाई किए जाने वाले गैस सिलेण्डरों में कम एल० पी० जी० होने के बारे में अधिक संख्या में शिकायत प्राप्त हो रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो किस स्तर पर गैस कम की जाती है ; और

(ग) क्या टी० आई० साइकिल आफ इंडिया, मद्रास के डिजाइन और इंजीनियरिंग विभाग ने एल० पी० जी० सिलेन्डरों को मापने का सरल तरीका निकाला है ।

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) , (ख) और (ग) अपेक्षित सूचना दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) मंत्रालय के शिकायत कक्ष को 1979 के पहले तीन महीनों के दौरान तेल कंपनियों द्वारा कम वजन के सिलेंडर दिये जाने के संबंध में पांच शिकायतें प्राप्त हुई थीं। इन शिकायतों तथा तेल कंपनियों द्वारा प्राप्त अन्य शिकायतों की सुधारक कार्यवाही के लिये जांच की जा रही है ।

(ख) गैस सिलेण्डरों को स्वचालित मशीनों तथा अस्वचालित मशीनों द्वारा भरा जाता है। इन मशीनों की नियमित अवधि पर नागरिक आपूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय के माप एवं तोल निदेशालय द्वारा जांच की जाती है और उन पर मोहर लगाई जाती है। सिलेन्डरों को परिवाहकों को सौंपे जाने से पूर्व उनकी अचानक जांच की जाती है। यदि कोई सिलेण्डर कम भरा होता है तो उसे अलग कर लिया जाता है और केवल सही तोल वाले सिलेण्डर बाटलिंग संयंत्र से परिवाहकों को दिये जाते हैं। डीलरों द्वारा डिलीवरी के समय भी शो रुम और गोदामों में सिलेन्डरों की जांच की जाती है ।

इन सावधानियों के बर्ते जाने के बावजूद भी रख रखाव/यातायात के दौरान सिलेण्डरों के वजन में कुछ मामलों में कमी आ सकती है। इस प्रकार की शिकायतों की ओर तुरन्त ध्यान दिया जाता है और आवश्यकतानुसार सुधार के लिये उपाय किये जाते हैं।

(ग) एल० पी० जी० सिलेण्डरों की माप के लिये आविष्कृत उपकरण के संबंध में टी० आई० साइकिल्स आफ मद्रास ने सरकार से कोई पेशकश नहीं की है।

डा० वसन्त कुमार पंडित : उत्तर पूर्ण नहीं है। मैंने पूछा था कि क्या ऐसी शिकायतों की संख्या में वृद्धि हुई है। विवरण में केवल इतना कहा गया है कि गत तीन महीनों में पांच शिकायतें प्राप्त हुई । क्या माननीय मंत्री इस सभा को यह बतायेंगे कि गत वर्ष कितने मामले आए और क्या ऐसे मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है ?

विवरण से यह स्पष्ट है कि ऐसे दो अवसर हैं जहां पर उपभोक्ताओं की कम वजन वाले सिलेन्डरों की सप्लाई हो सकती है ; यह उपभोक्ता के साथ धोखा है ।

यहां पर सारी प्रणाली का वर्णन दिया गया है और जांच के दो बिन्दु हैं। एक के सम्बन्ध में कहा गया है कि माप एवं तोल निदेशालय के कर्मचारी आते हैं और जांच करते हैं। गैस भरने वाली मशीनें दो प्रकार की हैं—स्वचालित और अस्वचालित। मंत्री महोदय का अब तक का क्या अनुभव है कि ऐसे मामले छांटने हैं जिनमें अस्वचालित प्रणाली के द्वारा उपयुक्त मात्रा में गैस नहीं भरी जा रही ? मेरा दूसरा प्रश्न सरकारी जांच के बारे में है। ऐसी घटनाओं की संख्या कितनी है जिनमें यह पाया गया कि सिलेन्डर का भार कम था।

श्री हेमवती नंदन बहुगुणा : मेरी जांच से पता चलता है कि भरने के स्थल पर गड़बड़ी नहीं होती। कभी-कभी परिवहन अथवा डिलिवरी के दौरान चोरी होती है । कभी-कभी ऐसा होता है कि 500 सिलेन्डरों की ढुलाई करने वाले कुछ परिवाहक रास्ते में पड़ने वाले किसी ढाबे अथवा होटल में 2-3 सिलेन्डर छोड़ देते हैं। वे दो तीन दिनों तक उनका उपयोग करते हैं । पीछे आने वाला दूसरा आदमी उनसे वे सिलेन्डर इकट्ठे कर लेते हैं। इस प्रकार की शिकायत प्राप्त हुई है। इस का पता लगा है।

मेरा यह कहना है कि देश में ऐसा होना बहुत शर्म की बात है और हम सब इसको रोकने में असमर्थ हैं। कडवा सत्य यह है कि हमारा देश बहुत लम्बा चौड़ा है और भराई रोषपूर्ण नहीं है ।

दूसरी बात यह है कि कभी-कभी डिलीवरी करने वाला व्यक्ति शरारत करता है और इसे किसी दूसरे को दे देता है । बाद में एक-दो दिन के पश्चात् वहां से लेकर किसी और को दे दी जाती है और उससे कुछ पैसे ले लिये जाते हैं। मैंने सारे वर्ष 1978 में इसकी जांच करने का प्रयास किया । कुल शिकायतें, जनवरी से मार्च के बीच 10, अप्रैल से जून के बीच 5, जुलाई से सितम्बर के बीच 6 तथा अक्तूबर से दिसम्बर के बीच 11 प्राप्त हुईं । शिकायतों का क्रम इस प्रकार से है । परन्तु लगभग 30 लाख प्रयोक्ताओं में से शिकायत निस्सहाय अवस्था अथवा सुस्ती अथवा इन्कारी के सम्बन्ध में है।

मैंने स्थानीय संगठनों को यह आदेश जारी किए हैं कि आज नहीं, इस प्रश्न के आने से बहुत समय पूर्व कि तेल कम्पनियां कभी-कभी सड़कों पर, कभी-कभी डिलीवरी मैन द्वारा डिलीवरी के दौरान और कभी-कभी स्वयं गोदामों में जांच करें जिससे कि इस प्रकार की बात न हो। मैं माननीय सदस्यों की आशाओं के पूरी तरह से अनुरूप बनने की कोशिश करूंगा। परन्तु मानवीय असफलताएं तो अवश्यम्भावी हैं।

डा० वसन्त कुमार पण्डित : मैसर्स टी० आई० साईकल्स लिमिटेड ने एक ऐसी मशीन का आविष्कार किया है जो उपभोक्ता अपने स्थान पर लगा सकते हैं। क्या विभाग इस उपकरण के बारे में किए जा रहे दावे की जांच करेगा। यदि कोई उपभोक्ता इसे लगाना चाहता है तो सरकार बाद में नहीं कह सकती । "हमने इस मशीन के लिये मंजूरी नहीं दी है।" क्या कोई ऐसा उपकरण उनके ध्यान में आया है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : मैं निश्चित रूप से इस की जांच करूंगा।

डा० सुशीला नायर : कुछ ऐसे सप्लायर्स हैं जो तोलने का एक यंत्र साथ लेकर आते हैं जिससे कि गृहणियां, इस बात को देखने के लिये भार पूरा है, सिलेन्डर को तोल लें। अन्य ऐसा नहीं करते। क्या मंत्री महोदय ऐसा सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक एजेंसी अपने डिलीवरी मैन को तोलने का ऐसा यंत्र दे और जनता को भी सूचित करे कि कितने भार की संभावना है जिससे कि वे उसे स्वयं देख लें।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : सिलेन्डर का भार उसके ऊपर खोदा रहता है। गैस का भार 14.5 से 15 किलोग्राम है। अत: दोनों को जोड़ कर कुल भार का पता लगाया जा सकता है। जहां तक तोलने के उपकरण का सम्बन्ध है ....

श्री ज्योतिर्मय बसु : स्प्रिंग बेलेन्स।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : मैं निश्चित रूप से उसकी जांच करूंगा।

श्री विजयकुमार एन० पाटिल : गैस एजेन्सियों का व्यापार पनप रहा है। चूंकि इसकी कमी है इसमें बहुत से कदाचार आ गये हैं। बहुत बार उपभोक्ता को दुकान से कुछ प्रतिफल पर सीधे सिलेन्डर मिल जाता है। इस प्रकार एजेन्ट को 200-300 रु० मिल जाते हैं। जब इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त होती हैं तो क्या मंत्री महोदय, उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करेंगे ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : उपभोक्ता के घर पर सिलेन्डर की सप्लाई करने के स्थान पर सीधे गोदाम से सिलेन्डर सप्लाई करना एक अनधिकृत प्रक्रिया है। यदि इस प्रकार की शिकायत प्राप्त होती है तो एजेन्सी समाप्त की जानी होगी।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

त्रुटिपूर्ण एल० पी० जी० सिलिण्डरों की सप्लाई

*747. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :** क्या **पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कुछ गैस एजेन्सियां महानगरों में त्रुटिपूर्ण एल० पी० जी० सिलिण्डरों की सप्लाई कर रही है, जिसके परिणामस्वरूप दुर्घटनाएं आजकल एक सामान्य बात हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसे रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) क्या इसके लिये उत्तरदायी एजेंसियों के लाइसेंस रद्द करने जैसी कार्यवाही करने का सरकार का विचार है।

पट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) यह कहना सही नहीं होगा कि महानगरों में सप्लाई की जा रही खराब, एल० पी० जी० सिलेन्डरों के कारण आजकल दुर्घटना बहुत अधिक हो गयी है।

(ख) सिलेन्डरों और वाल्वों का उत्पादन भारतीय मानक संस्थान द्वारा निर्धारित विनिर्देशन के अनुसार ही किया जाता है। भारतीय विस्फोटक अधिनियम, 1884 के अन्तर्गत बनाये गय गैस सिलेंडर नियम 1940 के अनुसार सिलेंडरों को अच्छी स्थिति में रखना आवश्यक होता है। सिलेण्डर भरने वाले संयंत्रों में सिलेन्डरों को स्वचालित मशीनों तथा अस्वचालित मशीनों दोनों के द्वारा भरा जाता है। सिलेण्डरों को परिवाहकों को सौंपे जाने से पूर्व उनकी अचानक जांच भी

की जाती है जिन सिलेण्डरों में कोई नुक्स पाया जाता है या जिसकी आयु समाप्त हो गयी है उन्हें अलग करके निकाला जाता है। डीलरों द्वारा ये सिलेण्डर ग्राहकों को दिये जाने के पूर्व डीलर के शोरुम अथवा गोदामों में अचानक जांचे जाते हैं।

(ग) जहां कहीं यह सिद्ध हो जाता है कि वितरक त्रुटिपूर्ण सिलेण्डरों की सप्लाई के कारण किसी दुर्घटना के लिये उत्तरदायी है तो उनके खिलाफ उपयुक्त कार्यवाही की जाती है।

अरुणाचल प्रदेश में तेल वाली संरचनाएं

*748. **श्री शंकरसिंहजी वघेला :** क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अरुणाचल प्रदेश में हाल ही में तेल वाली संरचनाओं का पता लगा है ;

(ख) क्या इन क्षेत्रों की वाणिज्यिक क्षमता का निर्धारण किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो निर्धारण कब तक पूरा किया जायेगा।

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी, हां। खोखली गहराई में कुआ नं खारसंग-III में तेल वाली संरचना का पता लगा है।

(ख) आयल इंडिया लि० ने अरुणाचल प्रदेश में पहले ही पांच अन्वेषी कुओं की खुदाई की है और कुआं सं० कुमचाई 1 पर खुदाई कार्य चल रहा है। खारसंग 3 संरचना की वाणिज्यिक क्षमता का मूल्यांकन करने के लिये वर्ष 1979 में कम्पनी 4 अर्ध-अन्वेषी कुओं की खुदाई करने का प्रस्ताव रखती है। ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तर में अरुणाचल प्रदेश में कुछ समुद्री तृतीयक चट्टानों की संभावना के संबंध में जियोलाजीकल सर्वे आफ इंडिया की रिपोर्ट पर तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग जांच भी करेगा।

(ग) तेल अन्वेषण सतत रूप से चलने वाला कार्यक्रम है और इस क्षेत्र में मूल्यांकन की संभावना के लिये कोई निश्चित समयावधि का उल्लेख बताना संभव नहीं है।

राजस्थान में पालाना तापीय विद्युत परियोजना

*750. **श्री दौलत राम सारण :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) **पालाना तापीय विद्युत परियोजना** का प्रतिवेदन केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की मंजूरी के लिये राजस्थान सरकार से कब प्राप्त हुआ था;

(ख) क्या पश्चिमी राजस्थान में बिजली की कमी को दूर करने के लिये यह परियोजना आवश्यक है और केवल इस परियोजना की सहायता से ही वहां पर विद्युतीकरण में प्रगति हो सकती है;

(ग) क्या लिगनाइट कोयला, भारी मात्रा में भूमिगत जल और पर्याप्त मात्रा में राजस्थान लिफ्ट नहर जल पालाना में उपलब्ध है और इसका रेल तथा सड़क से भी सम्पर्क जुड़ा है; और

(घ) इस परियोजना को कब तक मंजूर किया जाएगा और उसकी वर्तमान स्थिति क्या है तथा इसे मंजूरी देने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) पालाना में लिगनाइट पर आधारित ताप-द्युत केन्द्र संबंधी परियोजना रिपोर्ट केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में फरवरी, 1979 में प्राप्त थी।

(ख) वर्तमान मूल्यांकन के अनुसार वर्ष 1979-80 से 1983-84 तक के वर्षों के दौरान जस्थान राज्य में बिजली की सप्लाई की स्थिति संतोषजनक रहेगी।

(ग) प्रस्तावित संयंत्र के लिये पालाना में लिग्नाइट के खननीय भण्डारों की पर्याप्तता भी तक सुनिश्चित नहीं हुई है। जल की अपेक्षित मात्रा की अबाध रूप से सप्लाई राजस्थान फ्ट नहर से मिलते रहने की पुष्टि का इन्तजार भी राजस्थान बिजली बोर्ड से है। परि-ना रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित स्थल बीकानेर से रेल तथा सड़क दोनों द्वारा जुड़ा है।

परियोजना रिपोर्ट की केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में जांच की गयी है और कुछ अतिरिक्त ना/स्पष्टीकरण राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड द्वारा भेजे जाने हैं। इस स्कीम के गुणावगुण जांच अपेक्षित सूचना के प्राप्त हो जाने तथा लिग्नाइट के पर्याप्त भण्डारों की पुष्टि हो के बाद उसी समयावधि में शुरू की जाने वाली अन्य स्कीमों के गुणावगुणों के साथ-साथ जायेगी।

बिहार में अनधिकृत कोयला खानों की कुल संख्या

*751. **श्री ईश्वर चौधरी** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिहार के विभिन्न भागों में अनधिकृत कोयला खानों की कुल संख्या बारे में कोई निर्धारण किया है;

(ख) क्या सरकार को पता है कि प्रशासकीय अधिकारियों की सांठ-गांठ के साथ इन नों से कोयला निकाला जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो अनधिकृत खनन गतिविधियों के कारण कितनी हानि होती है ?

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) कोयला खान राष्ट्रीयकरण (संशोधन) धिनियम, 1976 की शर्तों के अनुसार केन्द्र सरकार अथवा सरकारी कम्पनी अथवा लोहे और पात का उत्पादन करने वाली कम्पनी को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को कोयला निकालने उसका खनन करने का पट्टा नहीं दिया जाएगा। समझा जाता है कि बिहार में विभिन्न ालतों के आदेश से गैर सरकारी लोगों द्वारा पांच कोलियरियां चलाई जा रही हैं और बिहार कार उनके मुकदमें लड़ रही है। अप्राधिकृत खनन के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा कानूनी र्रवाई की जाती है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

इतालवी सहयोगकर्ताओं द्वारा इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड को प्रौद्योगिकी के अन्तरण के लिए अदायगी ।

*752. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति**
श्री पी० एम० सईद } : क्या **पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री

यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पांच मूल औषधियों के लिये प्रौद्योगिकी के अन्तरण के लिए इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड को अपने इतालवी सहयोगकर्ताओं को अधिक मात्रा में शुल्क देना पड़ेगा ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या मुख्य कारण हैं ;

(ग) क्या इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के किसी दल ने उन नवीनतम सुधारों के बारे में अध्ययन करने के लिये इटली की यात्रा की है। जो ऋषिकेष के तथा अन्य संयंत्रों में किए जा सकते हैं ; और

(घ) यदि हां, तो क्या उन्होंने सरकार को कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ।

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) :

विवरण

(क) और (ख) इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (आई० डी० पी० एल०) और इटली के फार्माफिन के बीच हुए करार में यह व्यवस्था की गई है कि फार्माफिन को कच्चे माल का कम से कम उत्पादन/खपत के लिये एक विनिश्चित राशि का भुगतान किया जाए । यदि गारन्टी की अवधि के दौरान अधिक उत्पादन /कम खपत की जाए तो उसके लिये करार में अतिरिक्त भुगतान की भी व्यवस्था की गई है ।

(ग) करार के एक अंश के रूप में आई० डी० पी० एल० के तकनीशियनों के एक दल ने प्रक्रिया प्रदर्शन के प्रशिक्षण के लिये 1977 में इटली के सहयोगियों के संयंत्रों के निरीक्षण के लिये आई० डी० पी० एल० शीघ्र ही चार विशेषज्ञों के एक दल को आई० डी० पी० एल० के संयंत्रों में लागू की गई फार्माफिन प्रौद्योगिकी अद्यतन बनाने के लिये इटली भेजेगा ।

(घ) फिलहाल प्रश्न नहीं उठता ।

राजाध्यक्ष समिति का प्रतिवेदन

*754. **श्री के० राममूर्ति :** क्या **उप प्रधान** मंत्री तथा **रक्षा** मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) रक्षा अनुसंधान संस्थानों के पुनर्गठन के बारे में राजाध्यक्ष समिति के प्रतिवेदन में क्या मुख्य सिफारिशें की गई हैं; और

(ख) उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) राजाध्यक्ष समिति के विचारार्थ विषयों में रक्षा अनुसंधान संस्थानों के पुनर्गठन का प्रश्न सम्मिलित नहीं था, अतः इस संबंध में कोई सिफारिश नहीं की गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

लौह अयस्क तथा तांबा अयस्क के उत्पादन में कमी

*755. **श्री मखितयार सिंह मलिक :** क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष, 1978 में लौह अयस्क के उत्पादन में 10 प्रतिशत और तांबा अयस्क के उत्पादन में 14 प्रतिशत कमी आई है; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और देश की आर्थिक स्थिति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा।

(ख) वर्ष 1977 में देश में सभी खनिजों का कुल उत्पादन कितना था; और

(ग) क्या देश में सभी प्रकार के खनिजों का उत्पादन बढ़ाने के लिये कोई कदम उठाए गए हैं और यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) जी हां, 1978 के दौरान लौह अयस्क के कम उत्पादन के कारण अन्तर्राष्ट्रीय इस्पात उद्योग की मांग में, विशेषतया जापान की मांग में मंदी होने का था जो हमारे लौह अयस्क का सबसे बड़ा खरीदार है। तांबा अयस्क के उत्पादन में कमी बिजली की अपर्याप्त पूर्ति, विस्फोटकों की कमी तथा श्रमिक अशांति और आन्दोलन के कारण हुई।

तांबा अयस्क के उत्पादन में कमी से हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड के प्रद्रावकों को सान्द्रों की कम उपलब्धि हुई जिस से अनुमानतः 7.5 करोड़ रुपये मूल्य की लगभग 3100 टन ताबां धातु की उत्पादन हानि हुई। इससे लगभग 3.7 करोड़ रुपये के लागत भाड़ा मूल्य पर 3100 टन तांबे का अतिरिक्त आयात करना पड़ा।

लौह अयस्क के उत्पादन में कमी गोआ, बेलाडीला और बड़ाजामदा में हुई। मुख्य कमी गोआ में हुई जहां देश भर की 44 लाख टन की कुल कमी में से 36.40 लाख टन की कमी हुई। गोआ से लौह अयस्क का निर्यात 1978 में घट कर काफी कम अर्थात् 74.20 लाख टन रह गया जबकि 1977 में 103.80 लाख टन निर्यात हुआ था, जिसके फलस्वरूप निर्यात आय में भी काफी कमी हुई। उत्पादन में कमी से लौह अयस्क खनन उद्योग में कामगारों को जबरन छुट्टी भी दी गई। लेकिन 1979 की पहली तिमाही से निर्यात में वृद्धि शुरू हो गई है।

(ख) 1977 के दौरान उत्पादित सभी खनिजों का कुल मूल्य लगभग 1, 41,490 लाख रुपए था।

(ग) खनिजों की मांग देश के भीतर और बाहर के खनिज साधित उद्योगों से उत्पन्न होती है। मांग की स्थिति को ध्यान में रखे बिना उत्पादन नहीं किया जा सकता क्योंकि ऐसा करने से खनिजों के ढेर जमा हो जायेंगे और इसके फलस्वरूप खनन उद्योग को वित्तीय घाटा होगा। लेकिन उन खनिजों/धातुओं के मामले में, जिनकी मांग अधिक होती है, जैसे बाक्साइट, सीसा, जस्ता, तांबा, लौह अयस्क आदि सरकार द्वारा उत्पादन वृद्धि के उपाय किए जा रहे हैं। खनिज उत्पादन को बनाए रखने/बढ़ाने के उद्देश्य से अयस्क भंडारों में वृद्धि हेतु भारतीय भूसर्वेक्षण द्वारा क्षेत्रीय खनिज खोज और खनिज गवेषण निगम द्वारा विकास आधार पर सम्पन्न भंडारों की विस्तृत खोजें भी की गई हैं।

"सिवीअर पावर शार्टेज इन महाराष्ट्र फीयर्ड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

*756. **श्री वसन्त साठे** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 24 मार्च, 1979 के 'स्टेट्समैन' में "सिवीअर पावर शार्टेज इन महाराष्ट्र फीयर्ड" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं तथा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है/ करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) :(क) सरकार को इस समाचार-रिपोर्ट का पता है।

(ख) समाचार-रिपोर्ट में उल्लिखित मुख्य बात यह है कि छठी योजना में परिकल्पित विद्युत कार्यक्रम महाराष्ट्र राज्य में बिजली की प्रत्याशित मांग को पूरा करने में अपर्याप्त होगा और प्रत्याशित कमी पर काबू पाने के लिये केन्द्रीय क्षेत्र में अतिरिक्त विद्युत उत्पादन स्कीमें हाथ में लेनी पड़ेंगी। पंचवर्षीय योजना 1978-83 की रूपरेखा में अर्थ व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों

के विकास से सामंजस्य रखकर इस योजना में योजना आयोग द्वारा यथा अनुमानित मांग, साधनों की उपलब्धता और अर्थ व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के संतुलित विकास के लिये उनका आबंटन, अन्वेषित परियोजनाओं की उपलब्धता और उन्हें क्रियान्वित करने की वास्तविक क्षमता, इत्यादि को मोटे तौर पर ध्यान में रख कर छठी योजना का विद्युत कार्यक्रम तैयार किया गया है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में किए गए अन्तरिम अध्ययनों से पता चलता है कि जो विद्युत कार्यक्रम तैयार किया गया है और जो विद्युत कार्यक्रम इस समय चल रहा है उसके आधार पर, 1982-84 में महाराष्ट्र में विद्युत सप्लाई की स्थिति कुल मिलाकर संतोषप्रद होगी। विद्युत आयोजना एक सतत प्रक्रिया है और समय-समय पर संभावित मांग को पूरा करने के लिए विद्युत कार्यक्रमों की लगातार समीक्षा की जाती है और उनकी पर्याप्तता सुनिश्चित करने के लिए उनमें समायोजन किया जाता है। पश्चिमी क्षेत्र में कोरबा में एक वृहद क्षेत्रीय ताप विद्युत केन्द्र की स्थापना का कार्य केन्द्रीय सरकार ने पहले ही हाथ में ले लिया है और इस परियोजना से प्राप्त होने वाले लाभों का एक अंश महाराष्ट्र राज्य को भी प्राप्त होगा।

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड और भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में आग लगने की घटनायें

*757. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड और भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में मार्च 1978 से 31 मार्च, 1979 तक की अवधि के दौरान आग लगने की कुल कितनी घटनायें हुई हैं; और

(ख) भविष्य में उक्त घटनाओं को रोकने के लिये सरकार ने क्या कदम उठायें हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० और भारत कोकिंग कोल लि० में मार्च, 1978 से 31 मार्च, 1979 तक आग लगने की 17 घटनायें हुई।

(ख) आग लगने का मुख्य कारण कोयले का गर्मी से स्वतः जल उठना है। ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिये निम्नलिखित कदम उठाएं हैं :—

स्वतः पैदा होने वाली गर्मी का पता लगाने के लिये संवेदी उपकरणों या रासायनिक विश्लेषण द्वारा नियमित जांच ;

कोयला खनन के स्थानों और गोफ क्षेत्रों में हवा रोशनी की समुचित व्यवस्था ;

खनन स्थलों में पैनेल प्रणाली;

पुराने खनन स्थलों से गिरे हुए कोयले की सफाई;

खनन स्थलों पर कोयले को कुचलने से बचाने के लिये समुचित सहारा/रेत भराई;

खनन स्थलों को अलग-अलग करने के लिये अलगाव बिन्दु बनाना ताकि आग लगने पर सम्बद्ध एरिया को सील किया जा सके ;

भूमि के नीचे नलों की व्यवस्था जिनमें प्रेशर के साथ पानी आता रहे;

डीपिलरिंग कार्रवाई के दौरान धरातल पर आ गई दरारों को भरना और उन पर बुलडोजर चलाना ताकि जमीन के नीचे हवा न घुस सके ;

जिन पुराने खनन स्थलों पर इस समय सामान्यतया काम नहीं होता है उनका नियमित निरीक्षण , आदि ।

उड़ीसा के क्योझार जिले के टेल्को क्षेत्र में स्वर्ण का पाया जाना

*758. **श्री सरत कार : क्या इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के क्योंझार जिले के टेल्को क्षेत्र में स्वर्ण पाये जाने के बारे में सरकार ने कोई सर्वेक्षण किया है; और

(ख) यदि हां, तो ततत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) और (ख) उड़ीसा सरकार का खनन और भूविज्ञान निदेशालय कयोंझार जिले के टेल्कोई क्षेत्र में स्वर्ण हेतु सर्वेक्षण कर रहा है। प्रारम्भिक खोज कार्यों से इस क्षेत्र में स्फटिक शिराओं में स्वर्ण होने का संकेत मिला है। व्यापक खोज कार्य जारी है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को भी इस खोज में सहयोग देने की सलाह दी गई है ।

ध्वनि और प्रकाश कार्यक्रम

*759. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : क्या सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ध्वनि और प्रकाश कार्यक्रम कब से शुरू किया गया है और यह कार्यक्रम देश में कितने स्थानों पर दिखाया जाता है ;

(ख) इन कार्यक्रमों से कितना लाभ हुआ और उनपर कितनी धनराशी खर्च की गई और टिकटों की बिक्री से इस प्रकार कितनी राशि प्राप्त हुई; और

(ग) क्या उन स्थानों में कार्यक्रमों को बन्द करने का सरकार का विचार है जहां ये घाटे में चल रहे हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) ध्वनि और प्रकाश कार्यक्रम गीत और नाटक प्रभाग द्वारा अप्रैल, 1969 में प्रारम्भ किये गये थे । इस समय 'विजयनगरम्' नामक एक कार्यक्रम जो सुप्रसिद्ध राजा कृष्ण देव राया के जीवन और काल पर आधारित है, हैदराबाद में दिखाया जा रहा है ।

(ख) कार्यक्रम का उद्देश्य ऐतिहासिक तथा विकासात्मक विषयों को प्रतिबिम्बित करने के अतिरिक्त राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करना है। 30 शो के ऐसे एक कार्यक्रम पर औसत खर्चा सामान्यत: एक लाख रुपये से लेकर 3.5 लाख रुपया आता है। कभी-कभी राज्य सरकारों द्वारा

नाम मात्र का प्रवेश शुल्क भी लगाया जाता है परन्तु गीत और नाटक प्रभाग को इन प्राप्तियों में से कोई हिस्सा नहीं मिला है। तथापि, 1977 में प्रभाग ने स्वयं दिल्ली में रामचरित मानस पर एक कार्यक्रम आयोजित किया था जिससे 12,000 रुपये की राशि इकट्ठी हुई थी।

(ग) जी, नहीं। ये कार्यक्रम जन सम्पर्क के लिये एक नये माध्यम के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं और इनका उद्देश्य लाभ अर्जित करना नहीं है।

पश्चिम बंगाल में कोलाघाट तापीय बिजली परियोजना का विस्तार

*760. **श्री मुकुन्द मण्डल :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल की कोलाघाट तापीय बिजली परियोजना के विस्तार के लिये अनुमति देने से इन्कार कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) उक्त परियोजना के विस्तार के सम्बन्ध में पश्चिम बंगाल सरकार के प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार पश्चिम बंगाल में बिजली के बढ़ते संकट को देखते हुए परियोजना के विस्तार पर पुनर्विचार कर रही है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) से (घ) : पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड ने कोलाघाट ताप बिद्युत परियोजना में 210-210 मेगावाट की तीन और यूनिटें स्थापित करने के लिए एक प्रस्ताव भेजा है। इस परियोजना में 210-210 मेगावाट की तीन यूनिटों के प्रथम चरण की प्रतिष्ठापना का कार्य क्रियान्वित किया जा रहा है। परियोजना रिपोर्ट में विस्तार परियोजना की पहली यूनिट को 1984-85 में चालू करने की परिकल्पना की गई है । निर्माणाधीन विद्युत कार्यक्रम से प्राप्त होने वाले लाभों को तथा प्रत्याशित मांग को दृष्टि में रख कर, इस परियोजना का औचित्य सुनिश्चित किया जाना है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से अनुरोध किया गया है कि राज्य बिजली बोर्ड से परामर्श करके इस बात की जांच करें कि यह विस्तार परियोजना किस निर्धारित समय सीमा में अपेक्षित होगी।

सरकारी क्षेत्र में पेट्रोल की खपत

*761. **श्री दुर्गा चन्द :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र में पेट्रोल की खपत की प्रतिशत बहुत अधिक है;

(ख) यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र में पेट्रोल की खपत का, प्रतिशतता कितनी है ; और

(ग) सरकारी क्षेत्र में पेट्रोल की खपत को कम करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है अथवा उठाने का विचार है ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) वर्ष 1978-79 में सार्वजनिक क्षेत्र सहित देश में मोटर स्पिरिट (पेट्रोल) की कुल खपत लगभग 1.5 मि० मी० टन तक होने का अनुमान है जबकि वर्ष 1977-78 में 1.39 मि० मी० टन थी। सार्वजनिक क्षेत्र

पेट्रोल की अपनी आवश्यकता, यदि परिसर में उपलब्ध है तो उपभोक्ता पम्पों अथवा फुटकर बिक्री केन्द्रों (पेट्रोल पम्पों) से पूरा करता है। तेल कंपनियों, फुटकर बिक्री केन्द्रों द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को की गई सप्लाई के आंकड़े नहीं रखती।

(ख) उपर्युक्त कारणों से सार्वजनिक क्षेत्र में पेट्रोल की खपत की प्रतिशतता इस उत्पादन की कुल खपत की तुलना का ब्यौरा देना संभव नहीं है।

(ग) पेट्रोल की खपत में कमी मुख्य रूप से जनता के सहयोग द्वारा प्राप्त करने का विचार है पेट्रोल की खपत में अत्यधिक वृद्धि के लिए केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों तथा राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेश के प्रशासनों का ध्यान भी आकर्षित किया गया है और उनसे अनुरोध किया गया है कि उनके अधीन कार्य कर रहे विभागों सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि में वर्ष 1979-80 के दौरान 1978-79 की अपेक्षा में पेट्रोल की खपत को 15 प्रतिशत तक कम करने के लिए उचित उपाय करें।

भटिंडा की गुरु नानक तापीय बिजली परियोजना के लिए कोयले की आवश्यकता

*762. **डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय**
चौधरी बलबीर सिंह } : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने भटिन्डा की गुरू नानक तापीय बिजली परियोजना के लिए कोयले की आवश्यकताओं के बारे में कोई अध्ययन किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और 1 जनवरी से 31 मार्च, 1979 तक की अवधि के दौरान कितनी मात्रा की सप्लाई की गई ; और

(ग) इस परियोजना को अपेक्षित मात्रा में कोयले की सप्लाई न करने के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) जी, हां।

(ख) विभिन्न ताप विद्युत् केन्द्रों को कोयले की आवश्यकताओं और इन केन्द्रों को कोयले की अपेक्षित मात्रा में सप्लाई करने के लिए विभिन्न खानों को इनसे लिंक करने पर विचार करने हेतु कोयला संबंधी एक स्थायी लिंकेज समिति का गठन किया गया है। जनवरी से मार्च 1979 के दौरान गुरू नानक ताप-विद्युत् केन्द्र को कोयले का आबंटन और उसके द्वारा प्राप्त कोयले की वास्तविक मात्रा नीचे दी गई है :—

माह	आबंटन	प्राप्ति
	(मीटरी टन)	(मीटरी टन)
जनवरी, 1979	70000	38505
फरवरी, 1979	70000	39201
मार्च, 1979 . . .	70000	35080

(ग) इस ताप विद्युत् केन्द्र को कोयले की सम्बद्ध मात्रा की सप्लाई पर मुख्यता माल-डिब्बों की कमी, अशांत औद्योगिक संबंधों तथा विद्युत् केन्द्र द्वारा माल डिब्बों को मुक्त करने में हुए विलम्ब के कारण प्रभाव पड़ा है।

बड़े पैमाने पर जहाजों को तोड़ने का कार्यक्रम

7201. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन**
श्री ए० आर० स्वामीनाथन
श्री पी० एम० सईद : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने स्क्रैप की कमी को पूरा करने और अतिरिक्त रोजगार के अवसर जुटाने के दोहरे उद्देश्यों से बड़े पैमाने पर जहाज तोड़ने का कार्यक्रम प्रारम्भ करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस बड़े पैमाने पर चलाये जाने वाले कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है, और

(ग) क्या 1979-80 के लिये इस कार्यक्रम के अन्तर्गत काफी संख्या में विदेशी पोतों को तोड़ा जाना है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) जी, हां।

(ख) मैटल स्क्रैप ट्रेड कारपोरेशन (स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लि० की एक सहायक कम्पनी) जो तोड़ने के लिए पुराने जहाजों का आयात करने के लिए माध्यम अभिकरण है, भूत में तोड़ने के लिए पुराने भारतीय जहाजों का नीलाम करती रही है। वर्ष 1978-79 में मैटल स्क्रैप ट्रेड कारपोरेशन को पुराने विदेशी ध्वज पोत आयात करने के लिए 5 करोड़ रुपए की उन्मुक्त विदेशी मुद्रा भी दी गई थी। अब तक जहाज तोड़ने का कार्य केवल बम्बई बन्दरगाह तक ही सीमित था। इस कार्य को यथासंभव अन्य बन्दरगाहों पर शुरु करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं। विशाखापत्तनम तथा कलकत्ता की बन्दरगाहों को एक एक आयतित जहाज दिया गया है। पाराद्वीप में भी शीघ्र ही जहाज तोड़ने का कार्य आरम्भ किया जायेगा। इन प्रयत्नों के फल स्वरूप फरवरी, 1979 के मध्य तक तोड़ने के लिए 70,000 एल० डी० टी० उपलब्ध कराए गए थे जबकि 1977-78 के पूरे वर्ष में 30,590 एल० डी० टी० उपलब्ध थे।

(ग) जी, हां। यह अन्तर्राष्ट्रीय बाजार के मूल्यों, बन्दरगाहों पर उपलब्ध सुविधाओं तथा देश में स्क्रैप की मांग की तुलना में उसकी उपलब्धि पर निर्भर करता है।

समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता विधि की व्यवस्था

7202. **श्री मनोहर लाल** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39क के अधीन निर्धारित, नागरिकों, को "समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता" की व्यवस्था करने संबंधी निदश को क्रियान्वित करने के लिए सरकार ने क्या आवश्यक और प्रभावी कार्यवाही की है ;

(ख) न्यायालय में पीठासीन अधिकारियों को प्रस्तुत किये गए आवेदन पत्रों पर केवल नागरिकों से ही न्यायालय फीस लेने के क्या कारण हैं, जबकि राज्य को ऐसी किसी भी न्यायालय फीस से छूट प्राप्त है ; और

(ग) क्या काउन्सेल की सहायता के बिना अपना बचाव करने के लिए न्यायालय के समक्ष सम्बद्ध अधिकारी की व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए, विधि में आवश्यक उपबन्ध करके राज्य और नागरिकों के बीच मुकदमेबाजी को कम करने के लिए उपयुक्त प्रभावी कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ।

गृह मंत्रालय (कार्मिक), विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) जी, हां । सरकार निःशुल्क कानूनी सहायता के विषय पर भगवती समिति की रिपोर्ट के संबंध में कार्यवाही कर रही है ।

(ख) जी, नहीं । "उच्चतम न्यायालय को छोड़कर सब न्यायालयों में ली जाने वाली फीसें" विषय संविधान की सप्तम् अनुसूची की "सूची-2-राज्य सूची" में सम्मिलित है । अतः प्रथमतः यह केन्द्रीय सरकार का विषय नहीं है । तथापि, संघ राज्य क्षेत्रों के विभिन्न न्यायालयों में मुकदमा लड़ने वाले व्यक्तियों से फीस का उद्ग्रहण न्यायालय फीस अधिनियम, 1970 द्वारा शासित होता है और पीठासीन अधिकारियों को राज्य द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदनों पर न्यायालय फीस के संदाय से कोई साधारण छूट देने का उस अधिनियम में कोई उपबन्ध नहीं है । इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा 19 में जिन छूटों का उपबंध है वे छूट नागरिकों और राज्य दोनों को समाज रूप से लागू होती हैं ।

(ग) जी, नहीं । सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 9, नियम 1 में स्वयं या अधिवक्ता द्वारा न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का उपबन्ध है । इस बात का उपबंध करने का कि सम्बद्ध अधिकारी काउन्सेल की सहायता लिए बिना स्वयं उपस्थित हो, राज्य और नागरिकों के बीच मुकदमेबाजी कम करने से कोई संबंध नहीं है ।

दिल्ली तथा फरीदाबाद में मिट्टी के तेल की कीमत एवं उसकी सप्लाई

7203. श्री हुकम चन्द कछवाय : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और फरीदाबाद में मिट्टी के तेल के विक्रय मूल्य में अन्तर है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ।

(ख) क्या यह सच है कि मिट्टी के तेल के थोक विक्रेता मिट्टी के तेल की सप्लाई मनमाने ढंग से करते हैं और, नागरिक पूर्ति विभाग के आदेशों का पालन नहीं करते और यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है और यदि कोई कार्रवाई नहीं की गई है तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या फरीदाबाद के मिट्टी के तेल के थोक विक्रेताओं ने प्रैस कालोनी फरीदाबाद के खुदरा व्यापारियों को 26 जनवरी, 1979 के पश्चात् मिट्टी के तेल की सप्लाई नहीं की है और यदि हां, तो उसके मुख्य कारण क्या हैं और नये बजट के पश्चात् दिल्ली और फरीदाबाद में मिट्टी के तेल के नये भाव क्या होंगे तथा वे भाव किस तिथि से प्रभावी होंगे ।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा): (क) मिट्टी के तेल का वर्तमान फुटकर विक्रय मूल्य दिल्ली में 1.43 रुपये प्रति लीटर तथा फरीदाबाद में 1.52 रु० है । संलग्न विवरण में इन कीमतों के निर्धारण में विभिन्न दरों के भिन्न भिन्न होने के कारण दिये गये हैं ।

(ख) यह सत्य नहीं है कि मिट्टी के तेल के थोक विक्रेता मनमानी सप्लाई करते हैं और वे सिविल सप्लाई विभाग के आदेशों का पालन नहीं करते ।

(ग) प्रैस कालोनी, फरीदाबाद के फुटकर विक्रेताओं को 26-1-1979 के बाद भी मिट्टी का तेल दिया गया । बजट के पश्चात दिल्ली व फरीदाबाद में मिट्टी के तेल की नयी दर 1.42 रु० तथा 1.51 रु० क्रमशः 1-3-79 व 2-3-1979 से लागू है 1-4-1979 से रेल भाड़े में वृद्धि के कारण दर में एक पैसा प्रति लीटर की वृद्धि की गई है ।

विवरण

मिट्टी के तेल की 1-4-1979 से फुटकर विक्रय दर :—

दिल्ली

	रु०/कि०ली०
शकूरबस्ती प्रतिस्थापना से बाहर	1316.81
बिक्री कर 3 प्रतिशत की दर पर	39.50
थोक बिक्रेता द्वारा फुटकर विक्रेता को प्रदान पर मुफत डिलीवरी के लिये परिवहन प्रभार	14.00
डीलर की कमीशन	7.70
थोक विक्रेता की दर	1378.01
फुटकर विक्रेता का लाभ	51.99
फुटकर विक्रय दर	1430.00
फुटकर विक्रय दर प्रति लीटर	1.43

फरीदाबाद

हिसार डिपो से बाहर	1313.03
बिक्री कर 7 प्रतिशत की दर से	91.91
बिक्री कर पर सरचार्ज	1.84
ढुलाई प्रभार/परिवहन प्रभार	42.50
चुंगी	7.00
असाधारण प्रभार/हरियाणा सरकार द्वारा अनुमोदित हैडलिंग	16.00
डीलर की कमीशन	8.00
थोक बिक्रेता की दर	1480.28
फुटकर विक्रेता का लाभ	39.72
फुटकर विक्रय दर	1520.00
फुटकर विक्रय दर प्रति लीटर	1.52

भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

7204. **श्री पवित्र मोहन प्रधान :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता में भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण के कर्मचारियों के एक वर्ग ने हड़ताल कर ली तथा 23 फरवरी, 1979 से काम करना बन्द कर दिया था ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ।

(ग) लगभग कितने प्रतिशत कर्मचारियों ने काम करना बन्द किया है अथवा हड़ताल की है ;

(घ) क्या भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण ने हड़ताल को अवैध घोषित किया है ;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(च) क्या भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण ने यह धमकी दी है कि जब तक वे हड़ताली काम पर नहीं आते और काम नहीं करते तब तक नैमित्तिक श्रमिकों को नहीं निकाला जायेगा ?

इस्पात और खान राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के कलकत्ता स्थित कार्यालयों में अराजपत्रित कर्मचारियों में 23-2-1979 से 25-3-1979 तक आन्दोलन किया था ।

(ख) एसोसिएशन चार अराजपत्रित कर्मचारियों को कलकत्ता से भुवनेश्वर स्थानांतरित किए जाने से असंतुष्ट था ।

(ग) कलकत्ता स्थित कार्यालयों के लगभग 80 प्रतिशत कर्मचारी ।

(घ) और (ङ) भारतीय भूसर्वेक्षण के प्रबंधकों में एक परिपत्र जारी करके कर्मचारियों को सूचित किया था कि उनकी गतिविधि केन्द्रीय सिविल सेवा (आचार) नियमावली का उल्लंघन है, और चूंकि कर्मचारियों ने काम करना बन्द कर दिया इसलिए मूल भूत नियम 17(1) के अन्तर्गत उन्हें वेतन नहीं मिलेगा। प्रबंधकों को यह कार्यवाही इसलिए करनी पड़ी थी क्योंकि एसोसिएशन ने अपनी शिकायतों को दूर करने के लिए न तो संयुक्त परामर्शदात्री व्यवस्था के अंतर्गत क्रियाविधि को अपनाया था और न ही अपनी कारवाई की पूर्व सूचना ही दी थी ।

(च) जी नहीं । लेकिन, चूंकि कलकत्ता स्थित कार्यालयों में कोई काम नहीं हो रहा था, इस लिए दिहाड़ी/ठेका मजदूरों की सेवाओं की जरूरत नहीं थी और 23-2-1979 से उनकी सेवायें समाप्त कर दी गईं। एसोसिएशन के साथ हुए समझौते के अनुसार इन कर्मचारियों को फिर से बहाल कर दिया गया है ।

निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था

7205. **श्री युवराज :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानूनी सलाह और सहायता उपलब्ध कराने के लिये व्यापक तथा पर्याप्त विधियां बनाने के लिऐ कदम उठाये गए हैं ;

(ख) क्या जनसाधारण को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराने तथा उन्हें विधि के उपबंधों से अवगत कराने के लिये कोई योजना बनाई गई है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की ये इच्छा कब तक पूरी होने की संभावना है तथा इस पर कितना व्यय होगा और यदि ऐसी कोई योजना नहीं है तो इसके क्या कारण हैं ।

गृह मंत्रालय (कार्मिक), विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) जी, हां । कानूनी सहायता की स्कीम सावधानी पूर्वक और विस्तार के साथ तैयार करने की दृष्टि से राष्ट्रीय कानूनी सहायता (नेशनल जुरिडिकेयर) पर भगवती समिति की रिपोर्ट के संबंध में कार्यवाही की जा रही है । उस समिति ने दूरगामी प्रकृति की कई सिफारिशें की हैं और उनके संबंध विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से है । एक अन्तर-विभागीय समिति एक नीति पत्र तैयार करने के लिए गठित की गई है जो सरकार के लिए कानूनी सहायता की स्कीम तैयार करने का आधार होगा । आशा है कि वह नीति पत्र शीघ्र ही सरकार को प्रस्तुत कर दिया जाएगा ।

(ख) उपर्युक्त प्रश्न के उत्तर को दृष्टिगत रखते हुए अभी तक नहीं बनाई गई है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पंजाब बिजली बोर्ड को तरल पेट्रोलियम गैस की सप्लाई

7206. चौधरी बलबीर सिंह : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तरल पैट्रोलियम गैस उपलब्ध न होने के कारण पंजाब बिजली बोर्ड को शबार विस्तार परियोजना के नैपस्टाक की संरचना, परीक्षण और स्थापित करने आदि कार्य को पूरा करने में कठिनाई हो रही है ; और

(ख) इसकी तत्काल सप्लाई करने के लिए भारत सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है और अब तक पंजाब राज्य बिजली बोर्ड को इसकी सप्लाई न कर सकने के क्या कारण हैं ।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

आयुध कारखानों के लिए बोर्ड

7207. श्री आर० कोलनथाईवेलु : क्या **उप प्रधानमंत्री तथा तथा रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वित्त और किस्म नियंत्रण तथा निरीक्षण का विलय करके रक्षा आयुध कारखानों के लिए एक स्वशासी निकाय बनाया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह आवश्यक नहीं समझा गया है कि किस्म के स्तर को उचित रूप से लागू करने के हित में किस्म नियंत्रण को निर्माण क्षेत्र से अलग रखा जाना चाहिए जैसा कि बहुत से अन्य देशों में किया जा रहा है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) और (ख) समिति की रिपोर्ट वित्त और लेखे संबंधी कार्यों के एकीकरण के बारे में है। किस्म नियंत्रण और निरीक्षण के बारे में उसमें कोई सिफारिश नहीं की गई है।

फिलहाल न्यायालय के आदेशानुसार आर्डनेंस फैक्टरी बोर्ड की स्थापना स्थापित कर दी गई है । क्योंकि यह मामला न्यायालय में चल रहा है इसलिए ऐसी स्थिति में और अधिक ब्यौरे नहीं दिये जा सकते।

1967 में सेवा निवृत्त हुए सैनिकों को संशोधित पेंशन नियमों का लाभ न दिया जाना

7208. श्री श्याम सुन्दर लाल : क्या उप प्रधान मंत्री तथा रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेंशन के लिए न्यूनतम सेवा पूरी करने के बाद 1967 में सेवा निवृत्त हुए सैनिकों को पेंशन के संशोधित नियमों का लाभ नहीं दिया जा रहा है क्योंकि नियमों में यह संशोधन 1967-68 के अन्तिम दिनों में किया गया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि नौसेना के जिन अधिकारियों को आरक्षी सूची में रखा गया है उनको अन्यों को मिलने वाली अन्य सुविधाएं न दी जाकर पेंशन के रूप में केवल 20/- रु० दिए जाते हैं ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उनको बाद में सेवा निवृत्त होने वालों के समान आधार पर कब लाया जाएगा?

उप प्रधान मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जी हां। सशस्त्र सेनाओं के कार्मिकों को सेवानिवृति/सेवा मुक्ति के समय विद्यमान विनियमों के अनुसार पेंशन दी जाती है । संशोधित पेंशन लाभ 1-3-1968 से दिए गए हैं।

(ख) से (घ) नौसेना के अफसरों तथा नौसैनिकों के बारे में प्रतिधारण फीस तथा पेंशन की स्थिति इस प्रकार है :—गैर पेंशन प्राप्त नौसैनिक रिजर्विस्टों की 1-1-1973 से पहले प्रतिधारण फीस की दर 20/- रुपए प्रति माह थी जिसे बढ़ाकर उन रिजर्विस्टों के लिए 30/- रुपए प्रति माह कर दिया गया था जिनका 1-1-1973 से पहले रिजर्व सूची में नाम आ गया था। नियमानुसार प्रतिधारण फीस के साथ कोई राहत नहीं दी जाती फिर भी, जिन नौसैनिकों को अपने रैंक की पेंशन लेने के बाद रिजर्व सूची में रखा गया है वे समय समय पर मंजूर की जाने वाली राहत तथा प्रतिधारण फीस के अतिरिक्त अपनी सेवा पेंशन के भी हकदार हैं।

नौसेना के स्थायी नियमित कमीशन प्राप्त उन अफसरों को रिजर्व सूची में रखा जाता है जो 55 वर्ष की आयु से पहले सेवा निवृत्त हो जाते हैं । इन अफसरों को कोई प्रतिधारण फीस नहीं दी जाती ।

इंडियन नेवल वालंटियर रिजर्व और इंडियन नेवल रिजर्व में कमीशन प्राप्त अफसरों को 400 रुपए प्रति वर्ष की दर से प्रतिधारण फीस मिलती है जबकि सार्ट सर्विस कमीशन के उन अफसरों को, जिन्हें इमरजैन्सी लिस्ट में रखा जाता है, 200 रुपए प्रति वर्ष की दर से प्रतिधारण फीस दी जाती है । तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप इन दरों में संशोधन नहीं किया गया । इन श्रेणियों के अफसर गैर पेंशन भोगी हैं।

जिनकी भूमि का अधिग्रहण किया गया है उनको/उनके आश्रितों को रोजगार देना

7209. **श्री आर० के० महालगी :** क्या **उप प्रधान मंत्री तथा रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को फरवरी, 1979 के उत्तरार्द्ध में तालेगाओं डामाडे (महाराष्ट्र) नगर परिषद के प्रेजीडेंट से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिससे सरकार से अनुरोध किया गया है कि उन व्यक्तियों/उनके आश्रितों को रोजगार दिया जाए जिनकी भूमि का रक्षा प्रयोजनों के लिए सरकार ने अधिग्रहण कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी सही सही मांगें क्या हैं; और

(ग) सरकार ने प्रत्येक मांग पर अब तक क्या कार्यवाही की है या करने का विचार है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) ऐसा कोई अभ्यावेदन मंत्रालय में प्राप्त हुआ नहीं प्रतीत होता । लेकिन मौजूदा आदेशों के अनुसार, जिन व्यक्तियों की भूमि अधिग्रहीत की गई है उन्हें इन परियोजनाओं में केवल निर्माण स्तर पर रोजगार देने में कुछ वरीयता दी जा सकती है लेकिन निर्माण स्तर का कार्य पूरा हो जाने पर रोजगार के लिए उन्हें कोई वरीयता नहीं दी जा सकती है । अधिग्रहीत भूमि के लिए हमेशा पूरा मुआवजा दिया जाता है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

कोयले के मूल्य में वृद्धि

7210. **श्रीमती मोहसिना किदवई :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस तथ्य के बावजूद कि कोयले का उत्पादन बढ़ा है और कोयला खानों के मुहानों पर भारी मात्रा में कोयला पड़ा हुआ है, पिछले दो वर्षों के दौरान कोयले का मूल्य निरन्तर बढ़ा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उस समय कोयले का प्रति क्विंटल मूल्य क्या था और इस समय मार्च, 1979 में क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क), (ख) और (ग) सरकार ने गत दो वर्षों के दौरान कोयले की खान मुहाना कीमतों में कोई वृद्धि नहीं की है। अंतिम बार इनमें 1-7-1975 को वृद्धि की गई थी। तब से कोयले की औसत खान मुहाना कीमत लगभग रु० 64·90 पैसे प्रति टन चली आ रही है। कोयले की फुटकर कीमतों का निर्धारण "आवश्यक वस्तु अधिनियम" के अधीन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। ये कीमतें जिन बातों पर निर्भर करती हैं वे इस प्रकार हैं :—कोयले का ग्रेड, कोयला क्षेत्र से उपभोक्ता केन्द्र की दूरी, परिवहन के साधन, थोक विक्रेता और फुटकर विक्रेताओं का लाभ, स्थानीय कर और अन्य शुल्क। फिर भी, यह संभव है कि कुछ स्थानों पर कुछ अवांछित तत्वों ने कोयले की अस्थायी कमी का लाभ उठाना हो और फुटकर कीमतें बढ़ा दी हों। ऐसे मामलों में राज्य सरकारों द्वारा कानून के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

दूरदर्शन के स्टाफ आर्टिस्टों के सम्बन्ध में एस० आई० यू० रिपोर्ट की क्रियान्विति

7211. **श्री सचीन्द्र लाल सिंघा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन के अधिकारियों ने अनियमितताओं को दूर करने हेतु स्टाफ आर्टिस्टों के सम्बन्ध में एस० आई० यू० रिपोर्ट को क्रियान्वित किया है।

(ख) एस० आई० यू० रिपोर्ट की क्रियान्विति न रोकने के क्या कारण हैं जोकि दूरदर्शन जैसे विशिष्ट विभाजन के लिए उपयुक्त नहीं है ;

(ग) क्या कमरामैन श्रेणी में समय पर पदोन्नति के अवसर हैं, यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) वर्गीज रिपोर्ट को अब तक क्रियान्वित न करने के क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या एस० आई० यू० रिपोर्ट और वर्गीज रिपोर्ट क्रियान्वित की जायेगी?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) कर्मचारी निरीक्षण एकक की रिपोर्ट, जो दूरदर्शन केन्द्र में स्टाफ पैटर्न से संबंधित है, स्टाफ आर्टिस्टों के मामले में अभी कार्यान्वित की जानी है। कर्मचारी निरीक्षण एकक की रिपोर्ट में स्टाफ आर्टिस्टों के संबंध में कोई अनियमितताएं नहीं बताई गई हैं।

(ख) प्राक्कलन समिति (64 वीं रिपोर्ट, 1973-74) द्वारा की गई इन सिफारिशों, कि दूरदर्शन में समूचे स्टाफ पैटर्न और कर्मचारियों की स्थिति की जाँच उस स्टाफ इन्सपेक्शन यूनिट द्वारा की जानी चाहिए जिसके साथ दूरदर्शन के क्षेत्र में विशेषज्ञ भी सहयोजित हों, के फलस्वरूप स्टाफ इन्सपेक्शन यूनिट ने दूरदर्शन केन्द्रों की कर्मचारियों संबंधी आवश्यकताओं की जांच की थी। एस० आई० यू० ने विशेषज्ञों की परामर्श से अध्ययन किया। इसकी रिपोर्ट को सरकार ने स्वीकार कर लिया है। रिपोर्ट को कियान्वित न करने का प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) दूरदर्शन में कैमरामैनो के दो ग्रेड हैं--550-900 रुपए के वेतनमान में कैमरामैन ग्रेड-2 और 840-1200 रुपए के वेतनमान में कैमरामैन ग्रेड एक । कैमरामैन ग्रेड-2 सीधी भर्त्ती द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और कैमरामैन ग्रेड-1 कैमरामैन ग्रेड-2 में से 100 प्रतिशत आधार पर पदोन्नति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं । कमरामैन ग्रेड-1 की श्रेणी में पदोन्नतियां रिक्तियों की उपलब्धि पर की जाती हैं।

(घ) और (ङ) वर्गीज समिति की सिफारिशों की जांच की जा रही है और आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के भावी ढांचे पर एक विधेयक संसद के चालू सत्र के दौरान पेश किया जायेगा । स्टाफ आर्टिस्टों के संबंध में एस० आई० यू० की रिपोर्ट को शीघ्र ही क्रियान्वित किया जायेगा ।

आसाम में नये तेल क्षेत्रों का पता लगाया जाना

7212. श्री अहमद हुसैन : क्या **पट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम में हाल ही में नये तेल क्षेत्र का पता लगा है; और

(ख) यदि हां, तो स्थानों का ब्यौरा क्या है और वहां से कितना तेल उपलब्ध होने की सम्भावना है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

उर्वरकों के लिए राज सहायता दिया जाना

7213. श्री किशोर लाल : क्या **पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :--

(क) उर्वरकों के लिए प्रतिवर्ष कुल कितनी राज सहायता दी जा रही है,

(ख) क्या यह सच है कि उर्वरकों में (एक) लाइट्रोजन (दो) "पी" और (तीन) "के" शामिल हैं ।

(ग) क्या यह भी सच है कि देश में उर्वरकों के कुल उपयोग का 15 प्रतिशत भाग "पी" का होता है,

(घ) "पी" उर्वरक की आयात लागत क्या होगी, और

(ङ) यह अब किस मल्य पर बनाया जा रहा है/ बेचा जा रहा है ।

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) वर्ष 1978-79 तथा 1979-80 के दौरान स्वदेशी उर्वरकों पर आर्थिक सहायता के लिए व्यवस्था निम्न प्रकार है :—

वर्ष	व्यवस्था (करोड़ रुपये)
1978-79	178.85
1979-80	303.63

(ख) जी, हां।

(ग) गत चार वर्षों के दौरान उर्वरक न्यूट्रियेन्ट के कुल उपभोग में पी2 ओ5 की प्रतिशतता 16 प्रतिशत से 20.6 प्रतिशत के बीच है।

(घ) आयातित उर्वरक की लागत विश्व बाजार में इसकी उपलब्धता, मांग आदि पर निर्भर करती है। इसलिए वह लागत, जिसपर फास्फेटिक उर्वरक खरीदी जाएगी, बताना कठिन है।

(च) देश में विभिन्न फाइफेटिक उर्वरकों की निर्माण लागत संयंत्र से संयंत्र में भिन्न-भिन्न होती है जोकि परियोजना की पूंजी लागत, संयंत्र के पुरानापन, अपनाई गई प्रक्रिया, कच्चे माल की लागत, आदि जैसे तथ्यों पर निर्भर करती है।

इस समय प्रति किलोग्राम पी०2 ओ०5 का अधिकतम फुटकर बिक्री मूल्य 3.26 रुपये से 4.98 रुपये तक भिन्न-भिन्न है।

बी० सी० सी० एल० द्वारा श्रमिकों के लिये क्वार्टरों का निर्माण

7214. **श्री ए० के० राय** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1977 और 1978 में बी० सी० सी० एल० द्वारा श्रमिकों के लिए निर्मित किये गये क्वार्टरों की संख्या कितनी है और इस पर कितनी राशि खर्च की गई और क्षेत्रवार विस्तृत ब्यौरा क्या है;

(ख) निर्माण कार्य में लगे ठेकेदारों के नाम क्या हैं और इसमें कितनी राशि सम्बद्ध है;

(ग) दोषयुक्त निर्माण कार्य और घटिया किस्म की सामग्री के बारे में प्रबन्धकों को कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उन पर क्या कार्याही की गई है और तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं;

(घ) क्या बी० सी० सी० एल० के क्षेत्र संख्या 7 में एकरा ग्राम के वास्तविक कारीगरों के संगठन को निर्माण कार्य देने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क), (ख), (घ) और (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) कामगारों के क्वार्टरों के निर्माण में पाई गई कुछ त्रुटियों के बारे में बेरा कोलियरी के कामगारों से कुछ शिकायतें जनवरी, 1979 में प्राप्त हुई थीं। यह त्रुटियां—वायरिंग, पिछले दरवाजों, डब्ल्यू०/सी० शटर्स, रसोई की विभाजक दीवालों और कुछ क्वार्टरों में किए गए पलस्तर के बारे में थीं। संबद्ध ठेकेदार से इन त्रुटियों को ठीक करने के लिए कहा गया है इस बीच ठेकेदार को देय धनराशि में से इतनी धनराशि रोक ली गई है जिससे त्रुटियों की लागत को पूरा किया जा सके।

नैमित्तिक कर्मचारियों को नियमित करना

7215. **श्री नरेन्द्र सिंह** : क्या **उप प्रधान** मंत्री तथा **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय के मुख्य प्रशासनिक कार्यालय में चार वर्ष से भी अधिक समय से कार्य कर रहे नैमित्तिक कर्मचारियों को नियमित आधार पर नहीं खपाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है; और

(ग) उन्हें नियमित आधार पर खपाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

उप प्रधान मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) और (ख) सशस्त्र सेना मुख्यालय में दिहाड़ी पर काम करने वाले ऐसे 20 कर्मचारी हैं जो चार वर्षों में अधिक समय से काम कर रहे हैं लेकिन इनमें से केवल छः ही समूह "घ" पदों पर नियमित किए जाने के पात्र हैं।

(ग) दिहाड़ी पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए नियमित आधार पर समूह के "घ" पद बनाने का एक प्रस्ताव पहले ही विचाराधीन है। नियमित पदों के बनते ही दिहाड़ी पर काम करने वाले पात्र कर्मचारियों को इन पदों पर नियुक्त करने के बारे में विचार किया जाएगा।

अनुसंधान तथा विकास मुख्यालय में कार्य करने वाले कर्मचारी

7216. **श्री दयाराम शॉक्य** : क्या **उप प्रधान** मंत्री तथा **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसंधान तथा विकास मुख्यालय में राजपत्रित तथा अराजपत्रित वैज्ञानिक/तकनीकी कर्मचारियों को श्रेणीवार और निदेशालयवार संख्या कितनी हैं;

(ख) वैज्ञानिक/राजपत्रित/अराजपत्रित व्यक्तियों की श्रेणीवार और निदेशालयवार, कुल संख्या कितनी है जिनको तकनीकी/वैज्ञानिक काम सौंपा हुआ है और जो प्रशासनिक काम कर रहे हैं और वे मुख्यालय में कब से काम कर रहे हैं ; और

(ग) इन वैज्ञानिक/तकनीकी कर्मचारियों को केवल प्रशासनिक काम में लगाए रखने के कारणों का ब्यौरा क्या है ?

उप प्रधान मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) एक विस्तृत विवरण संलग्न है।

(ख) सभी वैज्ञानिकों का आवश्यकतानुसार वैज्ञानिक या वैज्ञानिक-एवं प्रशासनिक कार्यों में उपयोग किया जा रहा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

अनुसंधान और विकास संगठन में काम करने वाले राजपत्रित तथा अराजपत्रित वैज्ञानिकों/तकनीकी कर्मचारियों की श्रेणी तथा निदेशालय संख्या ।

	वै० स० सचिवालय	सी० सी० (पी-7)	सी० सी० (ए)	सी० सी० आर०	सी० सी० सी० ए०	ए० ए०सी०	एस० ए० एस०	ए० सी०ए निदे० एस०	अ० निदे०	आ० निदे०	ई० एस० जी०	आई० एंड एम० निदे	विद्युत निदे०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
डी० एम० एस० अफसर													
एस० एस० एस० अधिकारी													
वै० सलाहकार	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
निदे०, ग्रेड-1	—	रिक्त		—	—	—	—	—	—	—	1	—	
निदे, ग्रेड-II	—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	
डी० सी० एस० ओ०	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	
पी० एस० सी० ओ०	—	—	—	—	1	1	1	—	2	2	6	2	
एस० एस० ओ० ग्रेड-I	—	—	1	—	2	2	2	1	2	3	2	3	
एस० एस० ओ० ग्रेड-II	—	—	—	—	2	2	2	—	—	—	—	—	
जे० एस० ओ०	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
अराजपत्रित	—	—	—	—	2	2	2	—	7	3	5	8	
जे० एस० ए० ग्रेड-1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	

	इंजी० निदे०	ब्ही० निदे०	एयरो० निदे०	डी० एन० आर० डी०	डी० डी० सैल०	फायर सलाहकार	डी० एम० जी० एस०	टेक्नी कोआर्ड	एस० ए० जी०	डी० एस० ई०	योग
1	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
डी० एस० एस० अफसर											
एस० एस० एस० अधिकारी											
वै० सलाहकार	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
निदे० ग्रेड-I	—	1	1	—	1	—	1	—	—	2	7
निदे० ग्रेड-II	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	5
डी० सी० एस० ओ०	—	1	—	—	—	—	2	1	1	—	6
पी० एस० सी० ओ०	1	3	7	1	—	—	6	1	1	5	40
एस० एस० ओ० ग्रेड-I	3	2	8	2	1	1	7	2	2	12	58
एस० एस० ओ० ग्रेड-II	1	—	—	—	—	1	—	—	8	7	23
जे० एस० ओ०	2	—	—	—	—	1	—	—	—	2	5
योग											145

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11.	12	13
ड्राविंग कर्मचारी												
डी० मैन ग्रेड-I	.	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1
डी० मैन ग्रेड-II	.	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—
डी० मैन ग्रेड-III	.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—

1	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
अराजपत्रित	4	4	6	4	—	2	9	—	9	8	75
जे० एस० ए० ग्रेड-1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	4
योग											79
ड्राविंग कर्मचारी											
डी० मैन ग्रेड-I	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	6
डी० मैन ग्रेड-II	1	—	2	1	—	—	—	—	—	1	7
डी० मैन ग्रेड-III	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
योग											15

विदेशों द्वारा मंगलौर इस्पात संयंत्र में सहयोग देने के बारे में तीव्र रुचि प्रदर्शित किया जाना

7217. **श्री जनार्दन पुजारी : क्या इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ बाहर के देशों ने मंगलौर इस्पात संयंत्र में सहयोग देने के बारे में तीव्र रुचि प्रदर्शित की है, और

(ख) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं, और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) और (ख) सरकार समुद्री तट पर इस्पात कारखाने लगाने के लिए विकसित देशों से तकनीकी तथा वित्तीय सहयोग प्राप्त करने की संभावनाओं का पता लगा रही है । जर्मन संघी गणराज्य, सोवियत रूस, अमरीका, ब्रिटेन, रूमानिया, फ्रांस तथा जापान ने इस मामले में अभिरुचि दिखाई है । मंगलौर में एक इस्पात कारखाना लगाने के बारे में अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

कोयला खानों के कार्यकरण में सुधार

7218. **श्री बागुन सुम्बरूई** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोयले के उत्पादन में वृद्धि करने और उसमें गुणात्मक सुधार करने के लिए कोयला खानों के कार्यकरण में सुधार किया जा रहा है; और

(ख) क्या कोयला खानों के श्रमिकों की स्थिति में सुधार करने के लिए भी कोई प्रस्ताव विचाराधीन है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) कोयले के उत्पदन में वृद्धि करने के लिए कोयला खानों के काम में निरन्तर सुधार किए जा रहे हैं । सुधार कार्य इस प्रकार किए जा रहे हैं —नई प्राद्योगिकी लागू करना, परिवहन व्यवस्था में सुधार, खानों का पुनर्गठन तथा उत्पादन में वृद्धि करने के लिए आवश्यक उत्पादन सामग्री की व्यवस्था । अच्छी वातायन, ड्रेनेज नालियां और उच्चस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था करके कोयले की खानों में गुणात्मक सुधार के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं ।

(ख) कोयला खान श्रमिकों के काम की और रहन सहन की दक्षाओं में स्थायी सुधार के प्रयास किए जा रहा है और इसमें और आगे सुधार करने का विचार है । सुधार के लिए सोचे गए मुख्य कार्य इस प्रकार हैं :—

(i) बेहतर आवास व्यवस्था,

(ii) पेय जल की सप्लाई में वृद्धि ;

(iii) चिकित्सा सुविधाओं में सुधार; और

(iv) कोयला क्षेत्रों में काफी मात्रा में सहकारी भण्डारों, प्राथमिक उपभोक्ता केन्द्रों, ऋण समितियों, स्कूलों बैंकों, डाक और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था । कोल इंडिया लि० में उपर्युक्त विभिन्न कल्याणकारी स्कीमों पर खर्च की मात्रा 1974-75 के लगभग 6 करोड़ रुपए से बढ़कर 1978-79 में 20 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है । आगामी वर्षों में इन मदों पर और अधिक खर्च का प्रस्ताव किया गया है ।

राजस्थान में ग्रामीण विद्युतीकरण

7219. **श्री चतुर्भुज** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राजस्थान में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है और उसके लिए कितनी राशि आवंटित की गई है और उसमें शामिल किए जाने वाले गावों के नाम जिले सहित क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : 1979-80 के वार्षिक कार्यक्रम में राजस्थान में ग्राम विद्युतीकरण के लिए 1.67 करोड़ रुपए के आबंटन की व्यवस्था है । तथापि, राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड ने सूचित किया है कि वाणिज्यिक बैंकों और अन्य वित्त-पोषक संस्थाओं से ऋण सहायता प्राप्त करके और ग्राम्य डिबेंचरों को जारी करके बोर्ड अपने ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम के वित्त पोषण के लिए अतिरिक्त साधन जुटा रहा है ।

अगर अतिरिक्त साधन उपलब्ध हो गए तो 1979-80 की अवधि में राज्य में 2,000 गांवों का विद्युतीकरण कर लेने की आशा बोर्ड को है । विद्युतीकृत किए जाने वाले गांवों का जिलेवार पता निर्धारण करने के संबंध में अभी निर्णय नहीं लिया गया है ।

पूर्वी कोयला क्षेत्र में कोयले की बिक्री की "लिंकेज" प्रणाली

7220. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईस्टर्न कोलफील्ड्स में कोयले की बिक्री की 'लिंकेज" प्रणाली के बारे में सरकार को जानकारी है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान "लिंकेज" प्रणाली के अधीन कुल कितनी मात्रा में कोयले की बिक्री की गई और उन पार्टियों के नाम क्या हैं जिन्हें कोयले की बिक्री की गई और पृथक पृथक कितनी मात्रा में कोयले की बिक्री की गई; और

(ग) क्या कुछ पार्टियों द्वारा जालसाजी से सौदा करने और जाली परमिट के बारे में सरकार को कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं और यदि हां, तो क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरों द्वारा मामले की जांच की गई थी; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) पश्चिम बंगाल के और बिहार के कुछ भागों के उन औद्योगिक उपभोक्ताओं को कोयले की सप्लाई मासिक संयोजन प्रणाली के आधार पर की जाती है जो ईस्टर्न कोल फील्ड्स लि० से कोयला लेते हैं । अलग अलग उपभोक्ताओं की जरूरतों का निर्धारण उपभोक्ता की यूनिट के निरीक्षण के आधार पर, अथवा जहां निरीक्षण संभव नहीं होता वहां प्रलेखों की जांच के आधार पर, अथवा रेल संचलन का यदि

कोई प्रायोजित कोटा होता है तो उसके आधार पर की जाती है। बिजली घरों और इस्पात कारखानों की जरुरतों का निर्धारण केन्द्र सरकार की स्थायी संयोजन समिति करती है तथा इस्पात कारखानों की जरुरतों के लिए आंबंटन कोयला नियंत्रक द्वारा किया जाता है ऐसे संयोजनों में अधिकतम मात्रा की हकदारी तय की जाती है और उपभोक्ताओं से आशा की जाती है कि वह अपनी वास्तविक जरूरत के अनुसार कोयला लें। वास्तविक जरूरत उनके उत्पादन पर निर्भर करते हुए समय समय पर अलग अलग होती है। संयोजन प्रणाली के अन्तर्गत अधिकतम हकदारी स्टीम कोयले के मामले में 13 लाख टन प्रति वर्ष और स्लैक कोयले के माल में 18 लाख टन प्रति वर्ष है। पिछले दो वर्षों में इस प्रणाली के अन्तर्गत सड़क से कोयला मंगाने वाले विभिन्न औद्योगिक उपभोक्ताओं को लगभग 19 लाख टन स्टीम कोयला भेजा गया। सड़क से ही कोयला मंगाने वाले बिजली घरो, इस्पात कारखानों, उर्वरक कारखानों और कागज मिलों को लगभग 25 लाख टन स्लैक कोयला इसी अवधि में भेजा गया, इन सभी पार्टियों के नाम और उनमें से हर एक को अलग अलग सप्लाई किए गए कोयले की मात्रा से संबंधित सूचना तो बहुत विशाल हो जाएगी क्योंकि विभिन्न उपभोक्ताओं के लगभग 1200 नाम हैं और हर उपभोक्ता को सप्लाई किए गए कोयले की मात्रा प्रत्येक उपभोक्ता द्वारा उठाए गए माल की मात्रा के अनुसार अलग अलग होती है। फिर भी, इस संयोजन प्रणाली के अन्तर्गत की गई सप्लाई के मुख्य विवरण निम्नलिखित है :—

उपभोक्ता	सप्लाई प्रतिमास (टनों में)
जूट	5000 है
लास	9000
रिफ्रैक्टरी/सेरामिक्स	22000
रबड़	5500
रसायन	9000

शेष कोयला विभिन्न उपभोक्ताओं को सप्लाई किया जाता है जिनकी संख्या बहुत अधिक है।

(ग) ऐसी शिकायतें मिली हैं कि इस योजना के अन्तर्गत उपलब्ध कराए गए कोयले को अन्य लोगों को दे दिया जाता है। ऐसी शिकायतें भी हैं कि कुछ उपभोक्ताओं के नाम जाली हैं या फिर कुछ उपभोक्ता वास्तव में तो हैं ही नहीं। ऐसी शिकायतों पर कोयला कम्पनियां तुरन्त कार्रवाई करती हैं और इस सम्बन्ध में वे निरीक्षण करती हैं या सम्बद्ध कागजात की जांच करती हैं और इसके बाद तो ऐसे उपभोक्ताओं को सप्लाई बिल्कुल बन्द कर दी जाती है अथवा उनका मासिक कोटा घटा दिया जाता है। वर्ष 1977-78 में ऐसे 300 से अधिक उपभोक्ताओं को सप्लाई या तो घटा दी गई थी या बिल्कुल बन्द कर दी गई थी। इस सप्लाई से सम्बन्धित कोयले की मात्रा लगभग 15000 टन थी। ऐसी अनियमितताओं से सम्बन्धित जो भी मामले ईस्टर्न कोल फील्ड्स लि० की जानकारी में आते हैं उन्हें यह कम्पनी आवश्यक जांच पड़ताल और कार्रवाई के लिए पुलिस और केन्द्रीय जांच ब्यरों के पास भेज देती हैं।

शहरों में खाना पकाने की गैस के अतिरिक्त कनैक्शनों का आबंटन

7221. **श्री दुर्गा चन्द : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक शहर में इस समय खाना पकाने की गैस के कितने कनैक्शन दिये गये हैं ;

(ख) अगले पांच वर्षों के दौरान प्रत्येक शहर में प्रति वर्ष कितने प्रतिशत कनैक्शन देने का विचार है ;

(ग) प्रत्येक राज्य में उन शहरों के क्या नाम हैं जिन्हें ऐसे शहरों की सूची में शामिल करने का विचार है ;

(घ) क्या सरकार ने गैस कनैक्शन देने हेतु शहरों को शामिल करने के बारे में कोई नीति बनाई है; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) देश में तरल पेट्रोलियम गैस के लगभग 3 मिलियन घरेलू उपभोक्ता हैं। शहर वार ब्यौरा इस समय उपलब्ध नहीं है ।

(ख) और (ग) इस विषय में शहरवार ब्यौरा अभी तक नहीं बनाया गया है क्योंकि ये कई पहलुओं, जैसे प्रत्येक वर्ष के दौरान तरल पेट्रोलियम गैस की वास्तविक उपलब्धता, सिलेंडरों तथा सिलेंडर स्टील आदि की उपलब्धता पर आधारित होंगे ।

(घ) और (ङ) वर्ष 1980 के आसपास अतिरिक्त तरल पेट्रोलियम गैस की प्रत्याशित उपलब्धता होने पर निम्नलिखित विचारधाराओं पर आधारित, चरणबद्ध रूप में और स्थानों पर एल० पी० जी० के विपणन को बढ़ावा संभव होगा :

(i) प्रत्याशित उपभोक्ता क्षमता

(ii) पूर्ति के स्रोत से बाजार की दूरी

(iii) वितरण उपस्कर का अधिकतम उपयोग; और

(iv) कार्य संचालन की व्यवहार्यता ।

गुजरात को घटिया किस्म का डीजल सप्लाई किया जाना

7222. **श्री धर्म सिंह भाई पटेल : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या घटिया किस्म के डीजल की सप्लाई के कारण गुजरत के सौराष्ट्र प्रदेश में पोरबन्दर से लेकर कुतियागा, राणाबाट्ट, उपलेटा कोराजी, राजकोट, भूज, जामनगर तक अनेक ट्रक (सार्वजनिक वाहन), गुजरात परिवहन निगम की बसें मार्च, 1979 में न चल सकीं;

(ख) पेट्रोलियम पम्पों द्वारा परिवहन कर्ताओं (ट्रांसपोर्टर्स) को ऐसे डीजल की सप्लाई करने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार इस संबंध में जांच करने का है; यदि हां, तो कब और कैसे;

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की जायेगी कि भविष्य में ऐसा घटिया डीजल परिवहनकर्ताओं को सप्लाई न किया जाये; और

(ङ) सौराष्ट्र—कच्छ क्षेत्र में मार्च, 1979 में कितने ट्रक (सार्वजनिक वाहन) और राज्य परिवहन की बसें न चल सकी!

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) मार्च 1979 के शुरू में तेल कंपनियों को सूचना मिली थी कि गुजरात राज्य सड़क परिवहन की कुछ बसें तथा ट्रक गुजरात के भुज और सौराष्ट्र में डीजल की सप्लाई के कारण सुबह नहीं चल सके थे।

(ख) संबंधित डीजल तेल उस क्षेत्र में वर्ष के उस विशेष समय में सामान्य परिवेशी तापमान के अनुकूल था फिर भी सुबह के असंभावी तापमान को देखते हुए उस क्षेत्र में डीजल को साफ करने में कठिनाई हुई थी।

(ग) उपर्युक्त कारणों के कारण जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

(घ) जैसा कि ऊपर कहा गया है अचानक उस क्षेत्र में सुबह के परिवेशी तापमान में कमी आने के कारण समस्या पैदा हो गई थी साधारणतः सामान्य परिवेशी तामापन पर पूर्ति किया गया डीजल तेल ठीक होना चाहिये था।

(ङ) गुजरात स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट की सूचना के अनुसार इन कारणों से सौराष्ट्र और कच्छ में 644 बसें रुक गई थी। डीजल में मोम रहने के कारण कितने प्राइव्हेट ट्रक रुके इसकी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

औद्योगिक खनिजों के बारे में कार्यकारी दल का प्रतिवेदन

7223. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय द्वारा बनाये गये औद्योगिक खनिज संबंधी कार्यकारी दल ने सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां तो इस संबंध में दल ने क्या मुख्य सिफारिशें की हैं, और

(ग) उस प्रतिवेदन के आधार पर उनके मंत्रालय ने क्या उपाय किये हैं?

इस्पात और खान राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) और (ख) योजना आयोग द्वारा गठित औद्योगिक खनिज (गैर-धात्विक) के बारे में गठित कार्यकारी दल ने विभिन्न खनिज समूहों पर रिपोर्ट देने के लिए 4 उप दल बनाए हैं। उप दलों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मुख्य कार्यकारी दल ने दिसम्बर, 1978 में स्वीकार कर ली। रिपोर्टें सरकार के विचाराधीन हैं।

(ख) इन उप दलों की मुख्य सिफारिशें विवरण-I में दी गई हैं।

विवरण I

कार्यकारी दल के अधीन उप दलों की मुख्य सिफारिशें

(1) औद्योगिक (गैर धात्विक खनिज) कार्यकारी दल का उप दल-1

1. दक्षिण क्षेत्र में और अधिक फ्लक्स ग्रेड चूना पत्थर भंडार की पुष्टि की जाए।

2. खनिज जिप्सम और समुद्री जिप्सम के निर्यात को बढ़ावा दिया जाए।

3. एसवेस्टस सीमेंट उद्योग में क्राइसोटाइल एसवेस्टस के स्थानापन्न के लिए अनुसंधान और विकास का कार्य तेज किया जाए।

4. मध्य क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र में रिफ्रक्टरी ग्रेड डोलोमाइट के पर्याप्त भंडारों की पुष्टि की जाए।

5. सिलिका खनिज, फाल्सेफर और बुलस्टोनाइट के निर्यात को बढ़ावा दिया जाए।

(2) उर्वरक खनिज कच्चे माल पर उप दल–2

1. उन राक फास्फेट भंडारों की तेजी से वहन खोज की जाए जिनकी इस समय खुदाई नहीं हो रही है। इन भंडारों के अयस्क का परीक्षण परिष्करण भी किया जाए। उपर्युक्त कार्यों की रूपरेखा तैयार करने के लिए एक केन्द्रीय मानीटरिंग एजेंसी का गठन किया जाए ताकि विभिन्न भंडारों की गुणवत्ता के निर्धारण हेतु साध्यता-पूर्व रिपोर्टें बनाई जा सकें।

2. सल्फर एसिड के उत्पादन हेतु और क्षारीय मिट्टी की सुधार सामग्री के रूप में उत्पादनहेतु देशी पाइराइट के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए उपाय किए जाएं।

3. पोटाश भंडारों के खोज कार्यों को तेज किया जाए।

4. निम्न ग्रेड राक फास्फेट की विशेषताओं का अध्ययन किया जाए ताकि फास्फोरिक एसिड-डी-कैल्सियम फास्फेट एलिमेंटल फास्फोरस तथा डिटरजैंट्स के निर्माण हेतु समुचित रसायनिक प्रक्रिया का विकास किया जा सके।

5. राक फास्फेट भंडार से यूरेनियम निष्कर्षण की संभावना की जांच की जाए।

(3) योजना आयोग द्वारा गठित औद्योगिक (गैर-धात्विक खनिज) संबंधी कार्यकारी दल के अधीन उप दल–3

1. वैराइट्स का निर्यात बनाने के लिए प्रयास किए जाएं ताकि वर्तमान 1.8 लाख टन का वार्षिक निर्यात बढ़कर 1983-84 तक 5 लाख टन हो जाए।

2. फ्लूरलस्पार के कुछ सांकेतिक वर्ग के भंडार को अनुमित भंडारों में और अनुमानित वर्ग के भंडारों को आकलित भंडारों के रूप में बदलने के लिए पर्याप्त खोज करना।

3. सम्पन्न अभ्रक मेगमाटाइट पिन्डों की खोज की वैज्ञानिक विधियों के विकास हेतु योग्य वैज्ञानिकों द्वारा समेकित अध्ययन कराया जाए। इसके लिए भारतीय खान ब्यूरो या भारतीय भूसर्वेक्षण के अधीन एक विशेष अनुसंधान यूनिट की स्थापना वाँछनीय होगी।

4. अभ्रक वाले उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मिटको द्वारा सतत प्रयास किए जाएं । उनके द्वारा गैर-निर्मित अभ्रक के बजाए निर्मित अभ्रक के अधिक निर्यात के लिए प्रभावी उपाय किए जाएं । उनके द्वारा अभ्रक के विविध उपयोग को संभव बनाने के लिए अनुसंधान व विकास कार्यों को तेज किया जाए ।

(4) गैर-धात्विक (औद्योगिक) खनिज संबंधी कार्यकारी दल का उप दल-4

औद्योगिक खनिजों के अनुसंधान और विकास कार्यों को तेज किया जाए ताकि निम्न ग्रेड अयस्कों का उपयोग किया जा सके और आयातों पर निर्भरता कम की जा सके ।

एन० एम० डी० सी० मुख्यालय को हैदराबाद स्थानान्तरित करना

7224. **क्या इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सहित अन्य राज्यों की तुलना में एन० एम० डी० सी० एक सरकारी उपक्रम, की अधिकांश परियोजनाएं मध्य प्रदेश में हैं;

(ख) क्या यह सच नहीं है कि मध्य प्रदेश सरकार की मध्य प्रदेश में ही मुख्यालय बनाने और सभी आवश्यक सुविधाएं जुटाने की रजामन्दी के बावजूद उसका मुख्यालय हैदराबाद में स्थानान्तरित करने का निर्णय किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने एन० एम० डी० सी० का मुख्यालय हैदराबाद स्थानान्तरित करने की आवश्यकता क्यों महसूस की है, और

(घ) क्या सरकार का विचार उपरोक्त निर्णय पर पुनः विचार करने और एन० एम० डी० सी० के मुख्यालय को मध्य प्रदेश स्थानान्तरित करने का है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) जी, हां ।

(ख) राष्ट्रीय खनिज विकास नियम का मुख्यालय हैदराबाद ले जाने के बारे में फैसला सन् 1971 में किया गया था । इस बात का कोई संकेत नहीं है कि उस समय मध्य प्रदेश सरकार का राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का कार्यालय मध्य प्रदेश में रखने के लिए आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए प्रस्ताव था ।

(ग) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का मुख्यललय दिल्ली से हैदराबाद ले जाने के पक्ष में अन्य बातों के साथ-साथ मुख्य बात यह थी कि उस समय पहुंच, संचार तथा परिचालन नियंत्रण की दृष्टि से हैदराबाद ज्यादा बीच में स्थित होगा । राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की लौह-अयस्क की खानें बिहार में किरिबुरू, मध्य प्रदेश में बैलाडिला, और कर्नाटक में दोणिमलै और कुद्रेमुख में है ।

(घ) लगभग पिछले 7 वर्षो से राष्ट्रीय खनिज विकास निगम का मुख्यालय हैदराबाद में होने से इसके कार्यकरण में स्थिरता आ गई है । इस उपक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए वार-बार इसके मुख्यालय को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना ठीक न होगा । इसके अलावा इससे बहुत रुपया खर्च होगा जिसका कोई लाभ नहीं होगा ।

इन्स्टीट्यूट आफ फायर एण्ड रिसर्च के कब्जे में भूमि

7225. **श्री बालक राम :** क्या **उप प्रधान मंत्री तथा रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में नांगल राया और तिहाड़ के ग्रामवासियों की 18.39 एकड़ भूमि किराए पर दी हुई है और इंस्टीच्यूट आफ फायर एण्ड रिसर्च रक्षा मंत्रालय के कब्जे में है ;

(ख) क्या उपरोक्त भूमि का किराए के रूप में मुआवजा सैनिक सम्पदा अधिकारी, दिल्ली को केवल 31-12-1977 तक दिया गया है ;

(ग) क्या सरकार द्वारा किराए के रूप में मुआवजे की दरों का अग्रेतर अवधि के लिए पुनरीक्षण किया जा रहा है जैसाकि भू-स्वामियों ने मांग की है, यदि हां, तो किन दरों पर और भू-स्वामियों को किराए का भुगतान कब तक किया जाएगा; और

(घ) क्या भू-स्वामियों ने अनुरोध किया है कि सरकार को उनकी उपरोक्त भूमि का अधिग्रहण कर लेना चाहिए, यदि हां, तो किस मूल्य पर और सरकार इस भूमि का अधिग्रहण कब तक कर लेगी?

उप प्रधान मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) किराए पर ली 1839 एकड़ भूमि में से 2.45 एकत्र भूमि जनवरी 1975 में उसके मालिकों को लौटा दी गई है और उसके बाद 15.94 एकड़ भूमि रक्षा मंत्रालय के रक्षा अग्नि अनुसंधान संस्थान के पास है ।

(ख) जी हां । 31 दिसम्बर 1977 तक के किराए अदा कर दिए गए हैं। सिवाय 1.07 एकड़ भूमि के किराए के, जिसका 1 जनवरी 1975 से आगे का किराया इसलिए अदा नहीं किया जा सकता कि भूमि के मालिक की मृत्यु हो गई थी और उसके उत्तराधिकारी इस किराए को लेने के लिए अपना हक साबित नहीं कर सके। 1 जनवरी 1978 से आगे का किराया अदा करने की कार्रवाई भी चल रही है ।

(ग) कुछ भूमि मालिकों से 25 अक्तूबर 1978 का एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें उन्होंने 1 जनवरी 1978 से किराया बढ़ाने की मांग की है। किराया बढ़ाने के मामले पर विचार किया जा रहा है ।

(घ) भूमि मालिकों ने सैनिक सम्पदा अधिकारी से निवेदन किया है कि सरकार द्वारा भूमि का अधिग्रहण किया जाए लेकिन चूंकि इस भूमि की आवश्यकता दिसम्बर 1979 के बाद न तो रक्षा अग्नि अनुसंधान संस्था को है और न ही सेना को, इसलिए इसे अधिग्रहीत करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

लो एश कोकिंग कोल के बारे में अनुसंधान के लिये सोवियत संघ और भारत के बीच करार

7226. **श्री के० प्रधानी :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंगरौली और रायगढ़ निक्षेपों तथा अन्य क्षेत्रों में परियोजनाओं की डिजायन तयार करने और उनका निर्माण करने और धमन भट्टी के लिए कोकिंग कोल में राख के

अंश के बारे में अनुसंधान करने के लिए सोवियत संघ और भारत के बीच अभी हाल में कोई करार हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) जी हां । भारत और सोवियत रूस के बीच आर्थिक व्यापारिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के दीर्घकालीन कार्य क्रम में इन मदों से संबंधित सहयोग शामिल है :— कोयले के उपयोग ; कोयले से ईधन गैस, तरल ईधन और रसायन के उत्पादन की प्रक्रियाओं का विकास, कोयला तैयार करने वाले संयंत्रों से निकले पदार्थों का उपयोग । यह निर्णय किया गया है कि दोनों पार्टियों के पास उपलब्ध जानकारी, आंकड़ों और वर्त्तमान कार्य की स्थिति संबंधी सूचना का परसार आदान प्रदान किया जाए ताकि सहयोग के विशिष्ट क्षेत्रों का पता लगे।

सोवियन रूस की सरकार के साथ दिसम्बर, 1973 में जिस समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे उसके संलेख में भारत रूस सहयोग की एक महत्वपूर्ण मद के रूप में सिंगरौली कोयला क्षेत्र का विकास शामिल था । इस संलेख के अनुसरण में केन्द्रीय खान आयोजन और डिजाइन संस्थान लि० ने सोवियत विशेषज्ञों के सहयोग से उक्त योयला क्षेत्र के विकास के लिए एक समाध्यता रिपोर्ट तैयार की है जिससे 1990-91 तक 45 मिलियन टन उत्पादन की संभावनाओं का पता चला है । इसी सिलसिले में 10 मिलियन टन की अन्तिम क्षमता वाली जयंत नामक ओपेनकास्ट खान का साध्यता अध्ययन भी तैयार किया गया था । रूस के 'जिप्प्रोशाख्त' के सहयोग से अब रामगढ़ ओपेन कास्ट खान के लिए एक विस्तृत साध्यता रिपोर्ट तैयार की गई है ।

उड़ीसा में नौसैनिक प्रशिक्षण स्कूल

7227. श्री पदमाचरण सामन्त सिंहेरा : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में नौसैनिक प्रशिक्षण स्कूल में निर्धारित तिथि के अनुरुप प्रगति नहीं हो रही है ; और

(ख) यदि हां तो इसकी कुल अनुमानित लागत कितनी है और कितनी राशि खर्च नहीं हुई तथा इसके पूरा होने पर इस की लागत कितनी होगी ?

उप प्रधान मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) चिलका ब्वाइज नेवल ट्रेनिंग सेंटर का निर्माण कार्य विभिन्न चरणों के अनुसार संतोषजनक रूप से चल रहा है यद्यपि कुछ अपरिहार्य कारणों से निर्माण कार्य पूरा करने की निर्धारित अवधि में कुछ विलम्ब हुआ है क्योंकि इसे पहले 1979 के शुरू में पूरा किरा जाना था परन्तु अब 1979 के मध्य तक पूरा होगा ।

(ख) परियोजना के चरण 1 और चरण 1-क के लिए 3.39 करोड़ की लागत पर फरवरी 1975 और अगस्त 1977 में स्वीकृति दी गई थी ।

परियोजना के पहले चरण जो 1979 के मध्य तक पूरा होना है, पर 1973 की दरों पर किए गए अनुमान से अधिक व्यय करने की संभावना है क्योंकि सामग्री और श्रम की लागत बढ़ गई है ।

इस्पात संयंत्रों में उत्पादन में हानि

7228. **श्री रोबिन सेन :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों में वर्ष 1977 तथा 1978 में निम्न कारणों से कितनी उत्पादन हानि हुई :—

(ख) श्रमिक संकटों से,

(ग) दामोदर घाटी निगम तथा अन्य विद्युत सप्लाई करने वाली अन्य एजेंसियों द्वारा कम बिजली सप्लाई से,

(घ) कच्चे माल की कमी से तथा उस कमी के क्या कारण हैं,

(ङ) फालतू पुर्जों की कमी संबंधी उस कमी के क्या कारण हैं, और

(च) किन्हीं अन्य कारणों से।

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) से (च) वर्ष 1977 और 1978 में सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों में इस्पात के उत्पादन पर कई कारणों से प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, जिनमें मुख्य कारण हैं—गुण और मात्रा दोनों की दृष्टि से कोककर कोयले की सप्लाई सम्बन्धी समस्याएं, बिजली की सप्लाई में कमी तथा प्रायः रुकावटें/घट-बढ़, कुछ कारखानों में मालिक-मजदूर सम्बन्ध अच्छे न होना; सितम्बर, 1978 में परिश्चम बंगाल में अभूतपूर्व वर्ष तथा बाढ़ जिसके परिणामस्वरुप कोयला क्षेत्रों तथा दुर्गापुर के इस्पात कारखानों में पानी भर गया और रेल यातायात पर प्रभाव पड़ा और वर्ष 1978 में यातायात की कठिनाइयों के कारण कुछ कारखानों में कच्चे माल की स्थिति नाजुक हो गई। वर्ष 1977-78 तथा 1978-79 में श्रमिक झगड़ों के कारण इस्पात के उत्पादन में हुई अनुमानित हानि इस प्रकार है :—

कारखाना	श्रमिक झगड़ों के कारण विक्रेय इस्पात के उत्पादन की अनुमानित हानि (टनों में)	
	1977-78	1978-79
भिलाई इस्पात कारखाना	21400	23914
दुर्गापुर इस्पात कारखाना	2200	40671
राउरकेला इस्पात कारखाना . .	13400	51124
बोकारो इस्पात कारखाना . .	42500	2698
इस्को .	81100	28797

यह कहना कठिन है कि एकीकृत इस्पात कारखानों में इन कारणों में से प्रत्येक कारण से उत्पादन में कितनी-कितनी हानि हुई है।

भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था के पूर्वी क्षेत्र के कुछ कर्मचारियों का स्थानान्तरण

7229. **श्री समर मुखजी :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय के सचिव द्वारा नई दिल्ली में आयोजित एक बैठक में 7 सितम्बर 1978 को इस्पात और खान मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव तथा भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था कर्मचारी एसोसियेशन के बीच इस आशय पर एक समझौता हुआ था कि जब तक भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था के प्रबंधक बोर्ड नई स्थानान्तरण नीति न बना लें तब तक वर्तमान नीति जारी रहेगी ; और

(ख) क्या इस समझौते के बावजूद भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था के पूर्वी क्षेत्र के कुछ कर्मचारियों का विभाग द्वारा निर्धारित स्थायी सिद्धान्तों और मानदंड के उल्लंघन में स्थानान्तरण कर दिया गया जिससे इस संस्था के कर्मचारियों द्वारा सामूहिक आंदोलन किया गया ?

इस्पात और खान राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) जी नहीं।

(ग) स्थायी सिद्धतो के उल्लंघन का प्रश्न ही नहीं उठता । कर्मचारियों की संख्या में असंतुलन को दूर करने के लिए भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण के कलकत्ता स्थित पूर्वी क्षेत्र कार्यालय के चार अराजपत्रित कर्मचारियों का भुवनेश्वर स्थित सर्किल कार्यालय को स्थानांतरण किया गया था । कर्मचारियों द्वारा किया गया आन्दोलन न्यायोचित नहीं था।

ज्वालामुखी में ड्रिलिंग कार्य का स्थगन

7230. **श्री मही लाल :** क्या **पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ज्वालामुखी, हिमाचल प्रदेश में ड्रिलिंग का कार्य स्थगित किया जा रहा है क्योंकि गुजरात, आसाम, मद्रास आदि जैसे अन्य स्थानों से विशेषज्ञ इस स्थान पर नहीं आना चाहते हैं और अधिकारियों का विचार मशीनरी तथा कर्मचारियों को दूरस्थ स्थानों में भेजने का है ;

(ख) वहां कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, कर्मचारियों और सामग्री को स्थानान्तरित करने में कितना व्यय आयेगा, ऐसी गलत योजना बनाने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के नाम क्या है ;

(ग) क्या कुछ "डीप रिग" पीलीभीत और जोधपुर आदि स्थानों में पड़े हैं और उनका लाभप्रद रूप से ज्वालामुखी में उपयोग किया जा सकता है;

(घ) क्या हिमाचल प्रदेश के स्थानीय लोगों में और तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के कर्मचारियों में भारी आक्रोश है ; और

(ङ) यदि उपरोक्त भाग (क) और (घ) का उत्तर हां में है तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी, नहीं।

(ख) दिनांक 31-12-79 को ज्वालामुखी प्रायोजना में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 246 थी । खुदाई कार्यअस्थगित किये जाने के पश्चात कर्मचारियों का विभिन्न अन्य प्रायोजनाओं में तबादला किया गया है । वी० यू०-80 रिग को पश्चिमी क्षेत्र में मेहसाना भेजा गया है । कर्मचारियों तथा सामग्री को अन्य प्रायोजनाओं में भेजे जाने पर लगभग 31 लाख रुपये का व्यय हुआ है।

जहां तक रिंग और कर्मचारियों के उपयोग किये जाने का संबंध है इसके लिये कोई गलत योजना नहीं थी । अन्वेषणात्मक कुओं की खुदाई के लिए कर्मचारियों सहित रिग के उपयोग किये जाने और खुदाई के अस्थगित/समाप्त किये जाने की स्थिति में रिग और कर्मचारियों को दूसरे स्थान पर भेजे जाने में अन्तर्राष्ट्रीय प्रथा को अपनाया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता क्योंकि ज्वालामुखी में खुदाई कार्य अस्थगित किये जाने का कारण रिग का अभाव नहीं था । परन्तु वह इस कारण किया गया था क्योंकि ऊपरी सतह में गैस भण्डारों का पता लगाने के लिये खोदे गये दोनों कुए (जे० एम० आई० 3 और जे० एम० आई०-6 (सुखे निकले थे अत· ज्वालामुखी में ऊपरी सतह में गैस अन्वेषण कार्य अस्थगित करने का निर्णय लिया गया था।

(घ) तबादला होने पर कर्मचारियों को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उनके लिये ओ० एन० जी० सी० कर्मचारी यूनियन ने प्रतिवेदन दिया है परन्तु इस क्षेत्र में कार्य बन्द किये जाने को देखते हुए कर्मचारियों को ज्वालामुखी में रोके रखने के लिए अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

(ङ) (क) का उत्तर हां में नहीं है । (घ) का उत्तर हां है ।कर्मचारी यूनियन द्वारा व्यक्त की गई समस्याओं पर ओ० एन० जी० सी० विचार रखता रहा है और कठिनाई को कम से कम रखने के उद्देश्य से जहां तक संभव हो सकता है कर्मचारियों को उनके चयन किये गये स्थान पर तबादला करने के लिये विचार किया जाता है।

फिल्म वित्त निगम से ऋण प्राप्त करने वाली फिल्में

7231. **श्री सुरेन्द्र झा सुमन** : क्या 'सूचना' और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) देश में सौदेश्य और बढिया फिल्मों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए फिल्म वित्त निगम ने वर्ष 1976-77, 1977-78 और 1978-79 के दौरान किन फिल्मों के लिए ऋण दिया था तथा प्रत्येक फिल्म के लिए कितना ऋण दिया गया था; और

(ख) किन भाषाओं की फिल्मों के लिए सहायता दी गई तथा उनका प्रदर्शन किन राज्यों में किया गया।

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) सुचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

1976-77, 1977-78, और 1978-79 के दौरान फिल्म वित्त निगम द्वारा जिन फिल्मों को ऋण दिए गए उनके नाम, भाषा आदि

क्र० सं०	प्रौड्यूसर का नाम	फिल्म का नाम और भाषा	मंजूर किया गया ऋण	वितरित ऋण यदि कोई हो।	कैफियत
1	2	3	4	5	6
		1976-77			
1.	रजिन्द्र सिंह बेदी	'आंखों देखी' (हिन्दी)	4,50,000	4,47,463	फिल्म पूरी हो गई है परन्तु रिलीज नहीं हुई है।
2.	जगदीश बनर्जी	'प्लांट नट्रियट्स' (इंगलिस)	75,000	71,443	फिल्म पूरी हो गई है तथा प्रायोजकों को दे दी गई है।
3.	चित्रलेखा फिल्म को-आप०	'किरात्तन' (मलयालम)	3,00,000	—	ऋण करार तथा अन्य कागज तैयार किए जा रहे हैं। (ऋण अभी नहीं दिया गया है।)
		1977-78			
1.	के० प्रेम सिंह वर्मा, बम्बई	'दि लास्ट टाइगर' (हिन्दी और अंग्रेजी)	4,50,000	2,51,057	निर्माणाधीन
2.	मैसर्स चित्रा भारत मद्रास	'सुरावली' (तमिल)	3,00,000	—	1978 के अंत तक ऋण नहीं दिया गया था।
3.	अली सरदार जाफरी बम्बई	'डा० मोहम्मद इकबाल' (अंग्रेजी में डाकुमेंट्री)	50,000	50,000	फिल्म पूरी हो गई है तथा प्रायोजकों को दे दी गई हैं।
4.	शिवेन्द्र सिन्हा, बम्बई,	'ह्यूमेन डिगनिटी' (अंग्रेजी में डाकुमेंट्री)	32,000	31,957	फिल्म पूरी हो गई है तथा प्रोयोजकों को दे दी गई हैं।

1	2	3	4	5	6
5.	राज कुमार आडवाणी बम्बई	'क्रास रोड, दि इंडियन सिनेमा सिस 1899' (अंग्रेजी में लघु फिल्म)	1,50,000	1,50,000	फिल्म अभी पूरी नहीं हुई है।
6.	युक्स्त फिल्म कोआप० लि० पूणे	'स्टेज फेट आफ अरविद देसाई" (हन्दी)	4,50,000	4,29,010	फिल्म "पूरी हो गई है परन्तु रिलीज नहीं हुई है।
7.	विमल दत्त, बम्बई	'कस्तूरी' (हिन्दी)	4,50,000	4,49,865	अभी ऋण नहीं दिया गया।
8.	होमी होर्मीस्जी	'समूईथर्ड वाइसिस (हिन्दी)	4,50,000	4,45,472	अभी ऋण नहीं दिया गया है।
9.	मुजफ्फर अली, बम्बई	'गमन' (हिन्दी)	4,50,000	4,43,872	महाराष्ट्र में रिलीज हुई ।
10.	बी० डी० गर्ग, बम्बई	'इट इज इंडियन इट इज गुड' (अंग्रेजी में डाकु-मेंट्री)	70,000	63,217	फिल्म पूरी हो गई है है तथा प्रायोजकों को दे दी गई है।
11.	सरैया प्रोडकशंस, बम्बई	'महा कवि नंदलाल' (गुजराती में डाकुमेंट्री)	20,000	,00011	फिल्म अभी पूरी नहीं हुई है।
12.	मीबिन अंसारी, बम्बई	'गढ़वाली' (हिन्दी)	4,50,000 (3,50,000)	—	अभी ऋण वितरित नहीं किया गया ।
13.	श्रीमती कविता नागपाल, नई दिल्ली	'प्रतिशोध' (हिन्दी)	2,15,300 (1,72,000)	—	,, ,,
14.	विनोद चोपड़ा, बम्बई	'समय और सर्स्ती सराय (हिन्दी)	4,50,000 (3,50,000)	—	,, ,,

1	2	3	4	5	6
15.	सुरेश जिंदल, बम्बई	शतरंज के खिलाड़ी (हिन्दी)	5,00,000	5,00,000	ऋण फिल्म के वितरण के लिए दिया गया। फिल्म बम्बई, बंगाल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, केन्द्रीय भारत तथा दक्षिण में रिलीज हो गई है।
16.	इन्द्र टेकचन्देय	'अनटाइटल्स (हिन्दी)	4,50,000 3,50,000	—	ऋण अभी नहीं दिया गया है।
17.	फाली विलीमोरिया फ्रोड	डाकुमेंट्री फिल्म आन० एल० आई० सी० (अंग्रेजी) में	₹50,000	₹50,000	फिल्म पूरी हो गई है और प्रायोजकों को दे दी गई है।

1978-79 (दिसम्बर 1978 तक)

1.	रविन्द्र गुप्ता	'तरंग' (हिन्दी)	4,50,000	1,66,273	फिल्म निर्माणाधीन है।
2.	बी० डी० गर्ग	वर्कर्स एंड प्रोडक्टिविटी' डाकुमेंट्री अंग्रेजी में)	30,000	30,000	,, ,,
3.	एस० सुखदेव	'मीना कुमारी' (हिन्दी)	1,00,000	56,840	,, ,,
4.	बी० डी० गर्ग	'श्रीमती कमलादेवी चट्टोपाध्याय' (डाकुमेंट्री अंग्रेजी में)	53,000	29,058	,, ,,
5.	जहानू बरूआ	'अपारपा' (असमिया)	4,50,000 (3,50,000)	—	ऋण अभी वितरित नहीं किया गया।
6.	नचीकेत पटवर्धन	'22 जून 1897' (मराठी)	4,50,000 (3,50,000)	—	,, ,,
7.	नारायण जे० केनी	'संकट' (हिन्दी)	4,50,000	—	,, ,,
8.	मैसर्स न्यूशक्ति फिल्म्स प्रा० लि०	'बरा' (कन्नड़)	4,50,000	—	,, ,,

इस्पात उद्योग में मजूरी सम्बन्धी बातचीत

7233. **श्रीमती पार्वती कृष्णन :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात उद्योग में मजूरी संबंधी बातचीत के बाद कोई निष्कर्ष निकल है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है तो इस समय बातचीत किस स्तर पर है?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) मजदूरी सम्बन्धी बातचीत अभी चल रही है। इस्पात उद्योग के लिए राष्ट्रीय संयुक्त सलाहकार समिति की 17 और 18 अप्रैल, 1979 को होने वाली अगली बैठक में इस मामले पर आगे विचार-विमर्श किया जाएगा।

'टुडे इन पार्लियामेंट' कार्यक्रम का प्रसारण

7234. **श्री बापूसाहेब परुलेकर :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 'टुडे इन पार्लियामेंट, कार्यक्रम का क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण करने का है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या इस संबंध में किसी संसद सदस्य ने अनुरोध किया है और यदि हां, तो कब; और

(ग) क्या इस अनुरोध पर कोई कार्यवाही की गई है।

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क), (ख) तथा (ग); सीमित ट्रांसमिशन सुविधाओं तथा अन्य तकनीकी कठिनाइयों के कारण फिलहाल 'टुडे इन पार्लियामेन्ट' के आधार पर प्रादेशिक भाषाओं में संसदीय कार्यवाही की दैनिक समीक्षा प्रसारित नहीं की जा रही है। तथापि, माननीय सदस्य द्वारा 19 दिसम्बर, 1978 को इस विषय पर लिखे गए एक पत्र को ध्यान में रखते हुए मामले पर नये सिरे से विचार किया जा रहा है।

आकाशवाणी और दूरदर्शन से 'थम्स अप' का विज्ञापन

7235. **श्री श्याम सुन्दर दास :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'थम्स अप' को 'रिफ्रेशिंग कोला' बताने वाला विज्ञापन बंद किए जाने का क्या कारण हैं ;

(ख) सामान्य रूप से कोला और विशेष रूप में 'थम्स अप' के विज्ञापनों के बारे में स्वास्थ्य मंत्रालय का मत क्या है ;

(ग) दूरदर्शन और आकाशवाणी के विज्ञापन स्वीकार किये जाने अथवा रद्द किए जाने के बारे में वाणिज्यिक विज्ञापन संहिता के अधीन प्रक्रिया क्या है; और

(घ) वाणिज्यिक विज्ञापन संहिता के उपबंधों को क्रियान्वित करने की प्रक्रिया क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण की सलाह पर, "रिफ्रेशिंग कोला" के रूप में "थम्स अप" के विज्ञापन का आकाशवाणी और दूरदर्शन पर वाणिज्यिक विज्ञापन सम्बन्धी संहिता के प्रावधानों के सन्दर्भ में पुनर्विलोकन किया गया था और यह महसूस किया गया था कि विज्ञापन, जैसा शब्दाभिव्यक्त है, संहिता के अनुसार नहीं था।

(ख) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम/नियमों के अन्तर्गत "कोला" शब्द की परिभाषा अभी तक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अधिसूचित नहीं की गई है। उस मंत्रालय ने बताया है कि जब तक 'कोला' शब्द को परिभाषा खाद्य अपमिश्रण निवारक अधिनियम/नियमों के अन्तर्गत नहीं दी जाती तब तक वह कोला पेय के रूप में पेय के किसी विज्ञापन पर आपत्ति करने या स्वीकृत करने की स्थिति में नहीं है।

(ग) और (घ) विज्ञापन स्वीकृत करने से पूर्व विज्ञापक की तरफ से विज्ञापन एजेंसी द्वारा भेजे गए विज्ञापन की स्क्रिप्ट/दृश्य की सामग्री की जांच वाणिज्यिक विज्ञापन की संहिता के प्रावधानों के सन्दर्भ में की जाती है। अगर किसी विशिष्ट मामले में, बाद में यह पाया जाता है कि संहिता के किसी उपबन्ध का उल्लंघन हुआ है, तो सम्बन्धित एजेंसी को सामग्री में उपयुक्त रूप से संशोधन करने के लिए कहा जाता है।

सेना अधिकारियों के परिवारों के लिए एल० पी० गैस कनैक्शन

7236. श्री बी० जी हांडे : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेना अधिकारियों के परिवारों के लिए एल० पी० जी० गस कनैक्शन का कोई आरक्षित कोटा नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सेना अधिकारियों के परिवारों के लिए एल० पी० जी० गैस कनैक्शनों का कुछ वार्षिक आरक्षित कोटा देने के लिए एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) एल० पी० जी० गैस कनैक्शनों के आबंटन के लिए सेना अधिकारियों से प्राप्त आवेदन पत्रों में से कितने आवेदन पत्र 31-3-79 को कम्पनीवार (इंडियन आयल तथा बुरसेन) निलम्बित पड़े थे और आवेदन पत्र किस स्तर पर निलम्बित पड़े हैं तथा उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा): (क) जी हां। सेना अधिकारियों के परिवारों के लिए एल० पी० जी० (खाना पकाने की गैस) कनेक्शन का आरक्षित कोटा नहीं है।

(ख) इसी प्रकार परिस्थिति में पड़े सरकारी/अर्धसरकारी कर्मचारियों को छोड़कर केवल सेना अधिकारियों के परिवारों के लिये ही एल० पी० जी० कनेक्शन के कोई कोटे का आरक्षण संभव नहीं हो सका है।

(ग) नये गैस कनेक्शन लेने के इच्छुक व्यक्तियों को खाना पकाने की गैस के डीलरों से अपने आप को पंजीकृत करवाना होगा। सेना अधिकारियों या उनके परिवारों के लिये अलग प्रतीक्षा सूची रखने की अब कोई पद्धति नहीं है; इसलिए डीलरों द्वारा सेना कर्मचारियों या उनके परिवारों से प्राप्त प्रार्थना पत्रों की संख्या बताना सम्भव नहीं है।

उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधिपतियों के सम्मेलन में की गई सिफारिशें

7237. **श्री ओम प्रकाश त्यागी**: क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को भारत के मुख्य न्यायाधिपति की अध्यक्षता में उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधिपतियों के हाल ही में हुए सम्मेलन में हुई कार्यवाही की एक प्रति प्राप्त हो गई है;

(ख) क्या सरकार को, बकाया पड़े हुए मामलों को निपटाने के लिए सभी उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की सिफारिश भी प्राप्त हुई है; और

(ग) इस सम्बन्ध में उक्त सम्मेलन में की गई सिफारिश को क्रियान्वित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय (कार्मिक), विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल): (क) जी हां।

(ख) मुख्य न्यायाधिपतियों के सम्मेलन में यह सिफारिश की गई है कि उच्च न्यायालय में बकाया पड़े मामलों और पिछले तीन वर्षों में संस्थित मामलों की संख्या को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीशों की संख्या समुचित रूप से बढ़ाई जानी चाहिए।

(ग) साधारणतया, उच्च न्यायालयों में स्थायी तथा अपर न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने के प्रस्तावों की समीक्षा इस बात को ध्यान में रख कर की जाती है कि कितने मामले संस्थित किए गए, कितने मामले निपटाए गए और कितने मामले लम्बित हैं। मुख्य न्याधिपतियों तथा राज्य प्राधिकारियों के प्रस्तावों पर भारत सरकार तुरन्त ध्यान देती है।

तारीख 1-4-1977 से निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के मंजूर पदों की संख्या, उनके भरे जाने की तारीखों से बढ़ा दी गई है :—

उच्च न्यायालय का नाम	बढ़ाए गए पदों की संख्या
इलाहाबाद	9
मध्य प्रदेश	6
कर्नाटक	6
हिमाचल प्रदेश	2
पटना	3
राजस्थान	1
दिल्ली	4
मद्रास	3
	34

आपात काल के दौरान नुकसान उठाने वाले समाचारपत्रों को मुआवजा

7238. **श्री अहमद एम० पटेल :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन समाचारपत्रों को, जिन्होंने शिकायत की है कि उन्होंने आपात काल के दौरान नुकसान उठाय था, मुआवजा देने के लिए कोई नीति बनाई है अथवा कोई निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार का मुआवजा दिया गया है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) : जहां भी शोधक कार्रवाई यथा विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा विज्ञापनों को फिर से दिया जाना आदि संभव थी, वह की गई है। परन्तु जहां तक आर्थिक मुआवजे, जो केवल समाचार पत्रों तक ही सीमत नहीं है बल्कि अन्य क्षेत्रों पर भी लागू होता है, का प्रश्न है, सरकार के लिए इस प्रकार का दायित्व अपने ऊपर लेना संभव न होगा।

बंगाल इलेक्ट्रिकल लैम्पस वर्कस लिमिटेड

7239. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी** कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 30 नवम्बर, 1978 को पार्क होटल, कलकत्ता में हुई बंगाल इलेक्ट्रिकल लैम्पस वर्क्स लिमिटेड की जनरल बाडी की महत्वपूर्ण वार्षिक बैठक की ओर गया है जिसमें प्रबन्धकों की आलोचना की गयी थी, और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस बारे में यदि कोई कार्यवाही गई है तो वह क्या है?

गृह, विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) तथा (ख) : हां। कम्पनी से बंगाल इलेक्ट्रिक लेम्पस वर्क्स लिमिटेड की वार्षिक महासभा की बैठक का कार्यवृन्त मांगा गया था तथा सरकार द्वारा उसकी परीक्षा की गई थी। कार्यवृन्त में उल्लेख किया गया है कि कतिपय संकल्प के सम्बन्ध में आलोचना के रूप में कुछ चर्चा की गई थी और विशेषत: कुछ सदस्यों ने पूछा कि श्री जी० ए० परसुराम और श्री एस० पी० साह के नामों को तुलन पत्र में क्यों मुद्रित किया गया जबकि वे वास्तविक रूप से बोर्ड की बैठक में लेखों का पारित करते समय उपस्थित नहीं हुए थे। बैठक के अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि यह मुद्रण की गलती थी और भविष्य में इस प्रकार की गलतियों को दूर करने के लिए पूर्ण सावधानी बरती जाएगी। कम्पनी रजिस्ट्रार, कलकत्ता से इस मामले में कम्पनी अधिनियम 1956 के किन्हीं उपबन्धों के उलंघन को निर्धारित करने की दृष्टि से इसकी आगे परीक्षा करने को कहा गया है। कुछ सदस्यों ने शिकायत की थी कि बैठक के आयोजन करने के नोटिस का अनुपूरक एवं शुद्धि-पत्र उनके द्वारा प्राप्त नहीं किया गया। बैठक के अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि यह डाक न पहुंचने की अनियमितताओं के कारण हुआ।

दीनापुर छावनी के नागरिकों के विरुद्ध दायर किए गए मामलों पर व्यय राशि

7240. श्री एम० एन० गोविन्दन नायर : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1976 से 20 जनवरी, 1979 के दौरान छटनी अधिनियम, भारतीय दण्ड संहिता और अपराध प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत दीनापुर छावनी के नागरिकों के विरुद्ध कितने मामले दायर किए गए;

(ख) कितने मामले उच्चतम न्यायालय, पटना उच्च न्यायालय, पटना उच्च न्यायालय तथा पटना और दीनापुर के अन्य छोटे न्यायालयों में अनिर्णीत हैं तथा कितने मामलों में बोर्ड जीता और हारा तथा वकीलों की फीस, अधिकारियों और कर्मचारियों के यात्रा भत्ते तथा अन्य मदों पर कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) क्या यह सच है कि मुकदमें बाजी पर छावनी द्वारा धनराशि के दुरूपयोग के बारे में छावनी बोर्ड के सदस्य श्री मोहन अंसारी ने अप्रैल, 1978 में रक्षा मंत्री को एक ज्ञापन दिया था; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) से (घ) : निम्नलिखित अधिनियमों की व्यवस्था के अन्तर्गत दीनापुर छावनी बोर्ड ने छः मुकदमें दायर किए :—

1. छावनी अधिनियम, 1924	5
2. खाद्यान्नों में मिलावट निवारण अधिनियम	1
3. भारतीय दण्ड संहिता/अपराध प्रक्रिया संहिता	शून्य

न्यायालयों में अनिर्णीत पड़े मामलों की संख्या इस प्रकार है :—

1. उच्चतम न्यायालय	4
2. पटना उच्च न्यायालय	8
3. पटना/दीनापुर सिविल न्यायालय	57

छावनी बोर्ड ने दस मामले जीते अ र ए क मामले में इसकी हार हुई।

इस अवधि के दौरान किया गया खर्च तथा अन्य विवरण इस प्रकार हैं :—

1. वकीलों की फीस	28,596·00 रुपए
2. स्टाफ और अधिकारियों का यात्रा भत्ता	1,236·00 रुपए
3. विविध मदें	9,080·00 रुपए

छावनी बोर्ड द्वारा धन के दुरुपयोग के बारे में श्री मोहन अंसारी से अप्रैल 1978 में कोई ज्ञापन नहीं मिला। दीनापुर छावनी के विकास के बारे में श्री मोहन अंसारी का 17 अप्रैल, 1978 का एक अन्य ज्ञापन प्राप्त हुआ था। छावनी की सहायतानुदान और अपने साधनों से इन योजनाओं को क्रियान्वित करने की योजना बनानी होती है।

मेघालय विधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन

7241. **श्री पूर्ण नारायण सिन्हा** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मेघालय विधान सभा के कम से कम दो सदस्य गोलपाड़ा और गारो पर्वतीय जिलों के सीमावर्ती क्षेत्रों के गावों में रह रहे असम के लोगों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि यही ग्रामवासी असम विधान सभा के विधायकों का निर्वाचन करने के लिए भी मतदान करते हैं ;

(ग) यदि हां, तो पूर्वोत्तर क्षेत्र के न दो विभिन्न राज्यों के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं के परिसीमन में ऐसी असंगत स्थिति किस प्रकार उत्पन्न हुई है; और

(घ) मताधिकार के ऐसे दोहरेपन और दो विभिन्न राज्यों के प्रति निष्ठा के विभाजन को समाप्त करने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है?

गृह मंत्रालय (कार्मिक), विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) और (ख): न तो सरकार को और न निर्वाचन आयोग को इस बारे में कोई अधिप्रमाणित जानकारी है कि मंत्रालय विधान सभा के दो सदस्य उन ग्रामों में रहने वाले असमी लोगों द्वारा निर्वाचित हुए हैं, जो गोलपाड़ा और गारो पर्वतीय जिलों की सीमाओं से लगें हैं और यह कि उन ग्रामवासियों ने असम विधान सभा के निर्वाचन में मतदान किया है।

(ग) और (घ) परिसीमन आयोग द्वारा असम मेघालय राज्यों के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन उन मानचित्रों और सांख्यिकीय आंकड़ों के आधार पर किया था जो उन राज्यों सरकारों ने आयोग को उपलब्ध किए थे और ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि निर्वाचन-आयोग-क्षेत्रों के वर्णन या वास्तविक परिसीमन में कोई स्पष्ट त्रुटि रह गई है। ऐसा मालूम होता है कि कतिपय ग्रामों के संबंध में असम और मेघालय सरकारों के बीच सीमा विवाद है। यदि ऐसा है तो यह काम संबंधित राज्य सरकारों का है कि वे विवाद को सुलझाने के लिए भारत सरकार से कहें।

जम्मू में रह रहे शरणार्थियों के लिए मतदान का अधिकार

7242. श्री कंवर लाल गुप्त : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जम्मू में शरणार्थियों की ऐसी बहुत बड़ी संख्या है जो वहां गत 20 से लेकर 25 वर्षों से रह रहें है;

(ख) क्या यह सच है कि उन्हें अब तक मतदान का अधिकार नहीं दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार जम्मू-कश्मीर सरकार को, उन्हें मतदान अधिकार देने के लिए, निदेश देने का है ?

गृह मंत्रालय (कार्मिक), विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क), (ख) और (ग) : जम्मू-कश्मीर राज्य के जम्मू प्रान्त में रह रहे शरणार्थियों की संख्या काफी अधिक है। उन सभी भारतीय नागरिकों के नाम, जिनके अन्तर्गत जम्मू-कश्मीर राज्य में रह रहे शरणार्थी भी हैं और जो वहां के स्थायी निवासी नहीं हैं, संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों के निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावलियों में दर्ज किए गए हैं। तथापि वे व्यक्ति जो स्थायी निवासी नहीं हैं जम्मू-कश्मीर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1957 की धारा 12 (ख) के उपबन्धों के आधीन विधान सभा निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामवलियों में रजिस्टर किए जाने के लिए अर्हित नहीं हैं। "स्थायी निवासी" शब्द की परिभाषा जम्मू-कश्मीर के संविधान के भाग 3 में की गई है।

(घ) जम्मू कश्मीर की विधान सभा के निर्वाचन जम्मू-कश्मीर के संविधान तथा जम्मू-कश्मीर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1957 के उपबन्धों द्वारा शासित होते हैं। इसलिए भारत सरकार को ऐसी कोई अधिकारिता प्राप्त नहीं है कि वह जम्मू-कश्मीर सरकार को उस राज्य के व्यक्तियों के ऐसे वर्गों के संबंध में कोई निदेश दे जिन्हें उस राज्य की विधान सभा के निर्वाचनों के लिए मतदान के अधिकार दिए जाने हैं।

मंत्रालयों में की गई नियुक्तियों के बारे में संघ लोक सेवा आयोग का प्रतिवेदन

7243. श्री कचरु लाल हेमराज जैन : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय द्वारा की गई अनियमित नियुक्तियों के बारे में संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या उस पर कार्यवाही की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) संघ लोक सेवा आयोग की 27वीं रिपोर्ट के संबंधित उद्धरण पर संलगन है । (विवरण-I)

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है जिसमें अपेक्षित ब्यौरा दिया गया है। विवरण-II

विवरण–I

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में केन्द्रीय सूचना सेवा के सभी ग्रेडों में कई वर्षों से तदर्थ नियुक्तियां चली आ रही हैं। संघ के निम्नतम ग्रेड, यानी ग्रेड-4, में 74 पद तदर्थ आधार पर भरे जा रहे थे। यद्यपि ये नियुक्तियां भर्ती नियम के अनुसार नहीं की गई, फिर भी मंत्रालय के द्वारा बताई गई कुछ प्रशासनिक समस्याओं को देखते हुए आयोग ने ग्रेड-4 के पदों पर काम करने वाले अधिकारियों को नियमित बनाने के लिए 1976 में अपनी सहमति दे दी। इसी प्रकार, इस सेवा के ग्रेड-II में, जब से मंत्रालय ने 1973 में भारतीय प्रशासनिक सेवा आदि परीक्षा के माध्यम से इस ग्रेड में भी करना बन्द कर दिया था, तब से इन रिक्तियों को कैसे भरा जा रहा था, इसका आयोग को कोई ज्ञान नहीं है। इस सेवा के ग्रेड-में 1972 के बाद कोई विभागीय पदोन्नति समिति नहीं बैठी है। जहां तक आयोग की जानकारी, इस ग्रेड के 116 पद आयोग के अनुमोदन के बिना तदर्थ आधार पर भरे जा चुके हैं। अद्यतन चरित्रवृत्तों और सत्यनिष्ठा के प्रमाणपत्रों के अभाव में पदोन्नति के लिए अधिकारियों का चयन करने के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की कोई बैठक नहीं हो पाई। कोई पद सीधी भर्ती द्वारा भी नहीं भरा गया। केन्द्रीय सूचना सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में 1972 के बाद विभागीय पदोन्नति समिति की कोई बैठक नहीं हुई जिसके फलस्वरूप 20 पदों पर, आयोग के अनुमोदन के बिना तदर्थ नियुक्तियां चल रही हैं।

विवरण–II

संघ लोक सेवा आयोग की 27वीं रिपोर्ट मार्च, 1977 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए है और बाद में विभागीय पदोन्नति समिति की अनुवर्ती बैठक बुलाने और यथा संभव सीमा तक केन्द्रीय सूचना सेवा के विभिन्न ग्रेडों के अधिकारियों के नियमन के परिणामस्वरूप उसमें बताई गई स्थिति अब बदल चुकी है। ग्रेड-II, ग्रेड-I और जूनियर प्रशासनिक ग्रेड के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक जनवरी-मार्च, 1978 में हुई थी और अब इन ग्रेडों में क्रमशः केवल 60, 67 और 6 अधिकारी तदर्थ नियुक्तियों पर तैनात हैं। सेवा के ग्रेड-4 में कोई अनियमित नियुक्तियां नहीं की गई हैं। तथापि ग्रेड-4 में कुल पदों को पूर्णतया अस्थायी और तदर्थ आधार पर अन्य सेवाओं से प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों को लेकर भरा गया है।

इस ग्रेड में आम प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियमित पदाधिकारियों द्वारा रिक्तियों को भरने के लिए एक प्रमाण-पत्र, जैसा कि केन्द्रीय सूचना सेवा नियमावली, 1959 में प्रावधान है, आयोग को भेज दिया गया है।

बरौनी रिफाइनरी के अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

7244. श्री राज नारायण : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें श्री जे० एस० नैयर की ओर से बरौनी रिफाइनरी के वरिष्ठ अधिकारियों के विरुद्ध एक पत्र प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त पत्र का सारांश क्या है ; और

(ग) उस पर सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है और यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) : जी, हां।

(ख) बरौनी शोधनशाला में काम करने वाले एक इंजीनियरिंग सहायक श्री जे० एस० नैयर नवम्बर, 1975 से सरकार को प्रतिवेदन भेजते रहे हैं जिसमें यह आरोप लगाये गये हैं कि फैक्ट्री स्थल से शोधनशाला आवास क्षेत्र बेगूसराय तक सड़क की मरम्मत के लिए 1970-71 के ठेका संख्या डी० सी० आर०-632 में फालतू रकम दी गई है। श्री नैयर का यह आरोप लगाया है कि जबकि ठेका एक इंच मोटी सड़क की सतह के लिये था परन्तु किये गये कार्य में वास्तविक सतह केवल आधा इंच मोटी है इन्होंने इस अनियमितता से अपने ऊपर के अधिकारियों को अवगत कराया था परन्तु इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया था और ठेकेदार को अदायगी 3/4 इंच मोटी सतह के आधार पर की गई थी। श्री नैयर ने यह भी आरोप लगाया था कि जिस समिति ने इस काम से संबंधित शिकायतों की जांच की थी उसने यह गलत निष्कर्ष निकाला था कि सतह 3/4 इंच मोटी थी। श्री नैयर की शिकायत यह है कि फालतू दी गई रकम पर पर्दा डालने के लिए उसके खिलाफ ठेके की देखरेख में तथाकथित कार्यवाही की गई है। अपने विभिन्न प्रतिवेदन में श्री नैयर ने अध्यक्ष सहित विभिन्न अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी षडयंत्र और चालबाजी के आरोप लगाये हैं। उसने यह भी अनुरोध किया है कि इनके खिलाफ चल रही विभागीय जांच को रोक दिया जाय और उनके खिलाफ आई० ओ० सी० द्वारा लगाये गये आरोपों तथा आई० ओ० सी० के अधिकारियों के खिलाफ लगाये गये उनके आरोपों की जांच एक स्वतंत्र निकाय द्वारा की जाय। दिनांक 19-2-79 और 2-3-79 के अपने पत्रों में श्री नैयर ने उपरोक्त आरोपों को दोहराया है।

(ग) मामले की जांच की जा रही है।

भारत इलैक्ट्रानिक्स, गाजियाबाद में तालाबन्दी

7245. श्री पी० के० कोडियन
श्री ज्योतिर्मय बसु
श्री दयाराम शाक्य
श्री भगत राम } : क्या उप प्रधान मंत्री तथा रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड के प्रबंधकों ने 18 मार्च, से तालाबन्दी की घोषणा कर दी है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) और (ख) : भारत इलेक्ट्रानिक्स की गाजियाबाद यूनिट में 9 मार्च, 1979 से तालाबन्दी है। प्रबंधकों को इन कारणों से तालाबन्दी करने पर बाध्य होना पडा-- कर्मचारियों द्वारा नगर प्रति पूर्ति भत्त के संबंध में अपनी मांगों पर जोर देने के लिए बार बार डराने- धमकाने की कार्रवाई करना, काम धीरे करना और बल प्रयोग करना। उनकी यह मांग वेतन और भत्तों के बारे पहले ही लागू समझौते की शर्तों को स्पष्ट उल्लंघन है जबकि यह समझौता जून, 1981 तक के लिये वैद्य है।

छोटे बिजली घरों की स्थापना

7246. **श्री नवाब सिंह चौहान :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बड़े बिजली घरों की स्थापना करना के बजाय देश के विभिन्न भागों, विशेषकर उत्तरी और उत्तर पूर्वी पर्वतीय राज्यों में छोटे बिजली घर स्थापित करने की सरकार की कोई योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे किस प्रकार त्वरान्वित किया जाएगा ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क)और (ख) : बड़े बिजली घरों की स्थापना करने के बजाए देश के विभिन्न भागों में छोटे बिजली घर स्थापित करने की योजना सरकार ने नहीं बनाई है। तथापि जहाँ मध्यम और लघु जल विद्युत विकास के लिए आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद उपयुक्त स्थल उपलब्ध हैं और अलग-अलग स्थानों पर, जहां कि भारी मांगों की दृष्टि से केवल छोटे बिजली घरों की ही स्थापना करना उचित हो वहां छोटे बिजली घरों की स्थापना के लिए उनके गुणावगुण और औचित्य के आधार पर कार्रवाई की जा रही है।

जम्मू व काश्मीर में सेना के कब्जे में भूमि के मालिकों को देय राशि

7247. **श्री बलदेव सिंह जसरोटिया :** क्या **उप प्रधान मंत्री तथा रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू व काश्मीर राज्य के कठुआ, जम्मू राजौरी, पुंछ तथा ऊधमपुर जिलों में सेना के कब्जे में भूमि के मालिकों को देय कुल राशि का वर्षवार तथा ज़िलावार ब्यौरा क्या है ; और

(ख) क्या यह सच है कि सैनिक अधिकारी भूमि के मालिकों को उनका बकाया देय राशि का भुगतान करने में रुचि नहीं ले रहे हैं जिसके कारण काफी शोर-शराबा हो रहा है ; यदि हां, तो इस स्थिति को ठीक करने के लिए सरकार किन द्रुत-उपायों पर सक्रियता से विचार कर रही है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) :(क) और (ख) : सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी ।

विभिन्न राज्यों में बिजली की दरें

7248. **श्री रामानन्द तिवारी : क्या ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में बिजली की दरों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) यदि यह दरें अलग-अलग हैं तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार देश भर में समन दरें लागू करने की आवश्यकता महसूस करती है ; और

(घ) यदि हां, तो इसे लागू करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) घरेलू वाणिज्यिक, कृषि, लघु उद्योगों और बृहत उद्योगों के लिए विभिन्न राज्यों में लागू बिजली की औसत दरें दिखाने वाला विवरण संलग्न है ।

(ख) से (घ) : विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 के उपबंधों के अन्तर्गत राज्य बिजली बोर्ड अपने उपभोक्ताओं को सप्लाई की जाने वाली विद्युत के लिए टैरिफ निर्धारित करने में सक्षम है ।

विद्युत के उत्पादन और वितरण की लागत अलग-अलग राज्य में भिन्न-भिन्न है तथा यह अनेक बातों पर निर्भर करती है जिनमें से मुख्य-मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :—

(क) जल विद्युत-ताप विद्युत का मिश्रण;
(ख) विद्युत केन्द्र का साइज और उनकी आयु,
(ग) विद्युत केन्द्र पर ईंधन की लागत ;
(घ) खरीदी गई विद्युत की लागत ;
(ड़) कार्मिकों की संख्या और उनके वेतन और भत्तों का स्तर ;
(च) कार्मिकों और संयंत्रों के कार्यनिष्पादन की दक्षता के स्तर ; और
(छ) स्थलाकृति संबंधी स्वरूप और भारों का स्वरूप ।

इन बातों को ध्यान में रखते हुए देश में बिजली की समान दरें लागू करना कठिन है ।

घरेलू, वाणिज्यिक, कृषि, लघु उद्योगों तथा बृहत उद्योगों के लिए विभिन्न राज्यों में बिजली की समग्र दरों को दिखाने वाला विवरण ।

क्रम सं०	राज्य बिजली बोर्ड का नाम	घरेलू प्रकाश तथा पंखे (30 यूनिट प्रति माह)	वाणिज्यिक प्रकाश और पंखे (20 यूनिट प्रति माह)	कृषि 5 अश्व-शक्ति 10 प्रतिशत भार अनुपात (272 यूनिट प्रति माह)	लघु उद्योग, 5 अश्वशक्ति 10 प्रतिशत भार अनुपात (272 यूनिट प्रति माह)	बड़े उद्योग, 1000 कि० वा० 50 प्रतिशत भार अनुपात (3,65,000 यूनिट प्रति माह)
		ईंधन अधिभार व विद्युत कर को मिला कर औसत दर	ईंधन अधिभार व विद्युत कर को मिला कर औसत दर	ईंधन अधिभार व विद्युत कर को मिला कर औसत दर	ईंधन अधिभार व विद्युत कर को मिला कर औसत दर	ईंधन अधिभार व विद्युत कर को मिला कर औसत दर
1.	आंध्र प्रदेश	42.90	77.90	19.68	34.90	28.67
2.	असम	51.00	63.00	21.00	27.00	34.89*
3.	बिहार	50.00	60.00	20.00	42.41*	34.91*
4.	गुजरात	42.16	55.71	25.77	31.15	34.56*
5.	हरियाणा	40.00	63.75	23.68	27.60	27.51
6.	हिमाचल प्रदेश	38.50	43.00	10.90	25.00	21.77
7.	जम्मू व कश्मीर	31.08	43.47	11.50	15.36 13.06	6.08 4.36
8.	कर्नाटक	49.50	77.75	21.53	31.03	22.34
9.	केरल	40.83	41.80	13.02	16.50	20.10
10.	मध्य प्रदेश	39.00	53.00	16.00	26.00	26.72*
11.	महाराष्ट्र	38.25	57.25	29.00*	35.25*	26.41*
12.	मेघालय	45.00	50.00	14.00	20.00	18.13
13.	उड़ीसा	37.25	48.75	18.61*	26.51*	28.68*
14.	पंजाब	41.87	65.30	12.50	25.33	22.30
15.	राजस्थान	44.00	61.00	21.00	26.00	27.49*
16.	तमिलनाडु	38.00	71.50	15.84	34.00×	32.14
17.	उत्तर प्रदेश	48.00	57.00	27.57	31.00	29.92*
18.	पश्चिम बंगाल	51.00	68.00	41.00	37.33	32.34*

×मद्रास नगर के लिए 2 पैसे प्रति यूनिट अधिक ।

*उन मामलों में जहां ईंधन अधिभार लागू है तथा इसमें शामिल किया गया है ।

	लगाया गया ईंधन अधिभार (पैसे/प्रति यूनिट)
1. महाराष्ट्र	7.0
2. उड़ीसा	1.11
3. बिहार	8.0
4. असम	10.00
5. गुजरात	0.75
6. मध्यप्रदेश	6.6
7. राजस्थान	0.4
8. उत्तर प्रदेश	8.90
9. पश्चिम बंगाल	4.7

समाचार माध्यमों पर विदेशी एजेंसियों का नियंत्रण

7249. **श्री सी० के० जाफर शरीफ :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कोई ऐसी शिकायतें मिली हैं कि बड़े व्यापार ग्रह और कुछ विदेशी एजेंसियाँ समाचार माध्यमों पर नियंत्रण रख रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) : इस आशय को सामान्य सन्दर्भ समय समय पर सरकार के ध्यान में आये हैं; इस मंत्रालय को कोई स्पष्ट या किसी विशिष्ट शिकायत की जानकारी नहीं है ।

भूमि का बेनामी अन्तरण

7250. **श्री डी० डी० देसाई :**
श्री पी० के० गोडियन :

क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ प्रमुख व्यक्तियों ने भूमि का बेनामी अन्तरण इसीलिए किया है कि वे अधिकतम सीमा संबंधी विधियों से बच सकें ;

(ख) क्या इस क्षेत्र में काम करने वाले राजस्व अधिकारियों की सक्रिय सांठगांठ के के कारण ऐसा हुआ है ; और

(ग) इस बुराई को दूर करने के लिये क्या सक्रिय उपाय किये गये हैं या करने का विचार है ।

गृह मंत्रालय (कार्मिक), विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस डी० पाटिल) : (क) और (ख) : इस विषय में इस मंत्रालय को कोई जानकारी नहीं है ।

(ग) विधि आयोग ने अपनी सत्तावनवीं रिपोर्ट में यह सिफारिश की है कि एक पृथक विधि अधिनियमित करके यह उपबंध किया जाए कि कोई भी सिविल वाद बेनामी के आधार पर नहीं चलाया जा सकेगा और कुछ अपवादों के अधीन रहते हुए बेनामी को प्रतिरक्षा का आधार बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए। उक्त सिफारिशों को प्रभावी बनाने के लिए एक विधेयक शीघ्र ही संसद में पुरःस्थापित किए जाने की संभावना है।

निर्धारित मूल्य पर एल्यूमिनियम प्राप्त करने में उपभोक्ताओं को होने वाली कठिनाई

7251. श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस आशय की कोई शिकायत प्राप्त हुई है कि एल्यूमिनियम एकक अपने विपणन के मामले में ईमानदार नहीं है और वास्तविक प्रयोक्ताओं को सरकार द्वारा निर्धारित मूल्यों पर इसे प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) और (ख) : बिजली की पूरी सप्लाई नहीं मिलने से एल्यूमिनियम प्रद्रावक अपनी पूरी क्षमता से उत्पादन नहीं कर रहे हैं। फलतः देशी उत्पादन से बढ़ी हुई मांग की पूर्ति नहीं की जा सकती। इसलिए एल्यूमिनियम उत्पादक अपर्याप्त सप्लाई की शिकायत करते हैं। खपत इकाइयों को एल्यूमिनियम की कमी न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित मात्रा में एल्यूमिनियम आयात के प्रबंध किए गए हैं और किए जा रहे हैं। उत्पादकों द्वारा नियंत्रित मूल्य पर एल्यूमिनियम बेचा जा रहा है। वितरण प्रबंधों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

मध्य प्रदेश में खनिज निक्षेपों पर आधारित संयंत्रों और कारखानों की स्थापना

7252. श्री लक्ष्मी नारायण नायक : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने (एक) सरगुजावें बाक्साइट पर आधारित एल्यूमीनियम का कारखाना (दो) बिलासपुर में कोयले पर आधारित उर्वरक का कारखाना (तीन) सरगुजा में कोयले पर आधारित लो टैम्परेचर कारबोनाइजेशन का कारखाना (चार) कोरवा में रेड मद पर आधारित वेनीडियन का कारखाना (पांच) राजघाट (वस्तर) में इस्पात सयंत्र और (छः) वेलाडीला में पेलेटाईजेशन और स्पंज आयरन संयंत्र की योजनाएं भारत सरकार को प्रस्तुत की हैं; और

(ख) यदि हां, तो इनकी स्वीकृति कब मिल जाएगी तथा भारत सरकार के पास यह योजनाएं कब से पड़ी हैं?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) और (ख): मध्य प्रदेश सरकार ने भारत सरकार को सरगुजा में एक एल्यूमीनियम कारखाना विलासपुर में एक उर्वरक कारखाना तथा कोरवा में एक वैनेडियम कारखाना स्थापित करने के लिए कोई योजनाएं प्रस्तुत नहीं की हैं।

मध्य प्रदेश सरकार से कटकोना में धुआं रहित घरेलू कोक और गैस के उत्पादन के लिए एक निम्न तापीय कार्बनीकरण संयंत्र करने का प्रस्ताव मिला है। नए एल० टी० सी०

संयंत्रों की स्थापना के बारे में कोई निर्णय उस समय लिया जा सकता है जब निर्माणाधीन संयंत्रों के संचालन द्वारा प्रौद्योगिकी की पुष्टि हो जाएगी।

मध्य प्रदेश में राजघाट में इस्पात संयंत्र की स्थापना की कोई योजना नहीं है। जैसे ही किसी नए इस्पात संयंत्र की स्थापना के बारे में निर्णय किया जाएगा तो सभी संभावित स्थलों के बारे में विचार किया जाएगा तथा अंतिम निर्णय प्रौद्यो-आर्थिक विचारों पर आधारित होगा।

मध्य प्रदेश सरकार से स्पंज आइरन के निर्माण के लिए औद्योगिक लाइसेंस की मंजूरी हेतु अक्तूबर, 1978 में एक आवेदन मिला था। यह भारत सरकार के विचाराधीन है। भारत सरकार वैलाडिला में 72 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 20 लाख टन वार्षिक क्षमता वाला एक पैलेटाइजेशन प्लांट स्थापित करने के बारे में विचार कर रही है।

मजगांव डाक्स लिमिटेड

7253. श्री एस० आर० दामाणी : क्या उप प्रधान मंत्री तथा रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मजगांव डाक्स लिमिटेड के लिए बजट में रखे गए 4 करोड़ रुपए के परिव्यय को अगले वित्त वर्ष के दौरान किस प्रकार उपयोग में लाया जाएगा ;

(ख) क्या सरकार अगले वित्त वर्ष के दौरान मजगांव शिपयार्ड का जहाज बनाने के लिए और अधिक उपयोग करने के किन्हीं प्रस्तावों पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) भजगांव डाक लिमिटेड के लिए वर्ष 1979-80 के लिए सरकार ने 5.84 करोड़ रुपए के परिव्यय की स्वीकृति दी है। इसमें 4 करोड़ रुपए की सरकारी सहायता और कम्पनी के आंतरिक साधनों से प्राप्त होने वाली 1.84 करोड़ रुपए की राशि सम्मिलित है। बजट के उपयोग का प्रस्तावित ब्यौरा इस प्रकार है :

(i) अपतट स्थाई प्लेटफार्म परियोजना	1.34 करोड़
(ii) जहाज निर्माण सुविधाओं का विस्तार	2.50 करोड़
(iii) नई सुविधाएं उपलब्ध करना और पुरानी सुविधाओं को बदलना	2.00 करोड़
कुल	5.84 करोड़

(ख) और (ग) विश्व के जहाज उद्योग में मन्दी का मजगांव डाक लिमिटेड पर कुछ सीमा तक बुरा असर पड़ा है। कम्पनी की जहाज निर्माण की क्षमताओं का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रकार के नौसैनिक पोत, तट रक्षक गश्ती नौकाएं, यात्री जहाज, मालवाहक पोत, मछली पकड़ने की नौकाएं, टग, बजरे और ड्रेजरों आदि का निर्माण के आर्डर प्राप्त करने के लिए सरकार और कम्पनी के प्रबंधक सतत् प्रयास कर रहे हैं।

हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड की जावर इकाई की मिल में तकनीकी खराबी

7254. **श्री राम सागर :** क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारत सरकार के प्रतिष्ठान हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड की जावर इकाई की मिल में तकनीकी खरावी की ओर दिलाया गया है जिसके कारण सूखे पाउडर की जगह गीला घोल निकल रहा है ;

(ख) यदि हां तो, यह तकनीकी खराबी कब से चल रही है और इसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार अधिकारियों के नाम क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि इस घोल को उक्त मिल से देवारी संयंत्र तक ले जाने के लिए ट्रकों का उपयोग किया जाता है जबकि उसमें बहुत माल रिस जाता है तथा रेल वैगनों का उपयोग नहीं किया जाता है जबकि उसमें माल नहीं रिसेगा; और

(घ) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) हिन्दुस्तान जिंक लि० की जावर इकाई में स्थापित सान्द्रक में ऐसी कोई तकनीकी खराबी नहीं है। जावर में उत्पादित जस्ता सान्द्रों की प्रकृति ऐसी है कि उसमें भी की कुछ न कुछ मात्रा, जो इस समय लगभग 10 ०/० है, अवश्य रहेगी ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

(ग) और (घ) : जस्ता सान्द्रों की ढुलाई ट्रक से की जाती है क्योंकि रेल की अपेक्षा यह ढुलाई सस्ती पड़ती है । ट्रक ढुलाई में माल के उठाने धरने में जो छीजन होती है वह भी रेल-ढुलाई की तुलना में कम होती है ।

जे० सी० बी० कोटे में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों का कोटा पूरा किया जाना

7255. **श्री आर० एल० कुरील :** क्या **उप प्रधान मंत्री तथा रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली के जे० सी० बी० विभाग में 16 मार्च, 1979 को हुई डी० पी० सी० की बैठक में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के राजपत्रित पदों में आरक्षण पूरा करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए जाते हैं; और

(ख) यदि हां, तो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों की उपेक्षा करना कहां तक न्यायोचित है, क्या यह भी सच है कि केवल एक व्यक्ति को जिसने वर्ष 1974 में आई० पी० एस० अधिकारी चुने जाने के बाद जे० सी० बी० विभाग छोड दिया था, आरक्षित पद पर समझा जाता है और यदि हां तो चालीस सूत्री फार्मूले का पालन क्यों नहीं किया जाता है और पैनल के लिए सभी आठ पदों को मिलाकर जिसके लिए डी० पी० सी० हुई थी पहले चार तथा आठ पद अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को क्यों नहीं दिए जाते हैं ?

उप प्रधान मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) जे० सी० बी० में वर्ग "ख" के राज पत्रित पदों में जिनके लिए 16 मार्च 1979 को डी० पी० सी० की बैठक हुई थी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षण के बारे में विवरण इस प्रकार है :—

ग्रेड	रिक्त पदों की संख्या	आरक्षित पदों की संख्या	
		अनु० जाति	अनु० जन जाति
संकलन अधिकारी (वर्ग "ख" राजपत्रित : वेतनमान 650–1200रु०	6	1	1
कनिष्ठ अभिरक्षक अधिकारी वर्ग "ख" राजपत्रित, वेतनमान 650-1200 रु०	1	—	—
तकनीकी उत्पादन अधिकारी (वर्ग "ख" राजपत्रित वेतनमान 650-1200रु०)	3	1	—
कनिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (वर्ग "ख" राजपत्रित वेतनमान 650-1200 रु०)	1	—	—

चूंकि कनिष्ठ अभिरक्षक अधिकारी तथा कनिष्ठ अनुसंधान अधिकारी के ग्रेडों में केवल एक-एक पद खाली थे इसलिए इस बारे में मौजूदा अनुदेशों के अनुसार इन ग्रेडों के पदों को अनारक्षित मान लिया गया । तथापि, इन्हीं मौजूदा अनुदेशों के अनुसार रिक्तियों को अगले तीन भर्ती वर्षों के लिए आगे ले जाया जाएगा ।

(ख) जे० सी० बी० विभाग में वर्ग "ख" के राजपत्रित पदों को भरने के लिए चयन करते समय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लिए आरक्षण संबंधी चालीस सूत्री फार्मूले का पूरी तरह से पालन किया गया । पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों के मामले में मौजूदा आदेशों के अनुसार प्रत्येक ग्रेड अथवा पद पर अलग से आरक्षण आदेश लागू होते हैं और अनुसूचित जन जाति के लिए आरक्षण के संबंध में विभिन्न श्रेणी के पदों को इकट्ठा नहीं मिलाया जाता । अनुसूचित जाति के केवल एक अधिकारी को छोड़कर जो केन्द्रीय जांच ब्यूरो में प्रति नियुक्ति पर गए हुए हैं, के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति का कोई भी दूसरा विभागीय उम्मीदवार इन पदों के चयन क्षेत्र में नहीं आया ।

आकाशवाणी और टेलीविजन से अंतराष्ट्रीय बाल वर्ष के बारे में कार्यक्रम

7256. श्री लालजी भाई : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के संदर्भ में आकाशवाणी और दूरदर्शन से जिन विभिन्न कार्यक्रमों को प्रस्तुत करने का विचार है, उनकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ख) तत्संबंधी पूरा ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) : आकाशवाणी और दूरदर्शन दोनों ने अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष के संदर्भ में भारी संख्या में कार्यक्रम प्रसारित/टेलीकास्ट किए हैं । इस प्रकार के कार्यक्रमों में वार्ताएं, परिचर्चाएं, इंटरव्यू, लेख, रूपक, लघु-कथाएं, गीत, कठपुतली-शो, क्विज-कार्यक्रम , राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय लोक और परीलोक कथाएं, प्रख्यात व्यक्तियों के साथ भेंट और आत्मनिर्भरता तथा साहसिक भावना पर कार्यक्रम शामिल है ।

जनवरी-फरवरी, 1979 के दौरान आकाशवाणी ने इस संबंध में संलग्न विवरण (परिशिष्ट-1) में दिए गए विषयों पर लगभग 673 कार्यक्रम प्रसारित किए । वर्ष की बाकी की अवधि के दौरान इसी प्रकार के और समान विषयों पर और कार्यक्रम भी प्रसारित करने का प्रस्ताव हैं ।

विभिन्न दूरदर्शन केन्द्रों से टेलीकास्ट किए गए और टेलीकास्ट किए जाने वाले प्रस्तावित कार्यक्रमों का ब्यौरा संलग्न विवरण (परिशिष्ट-2) में दिया गया है ।

[ग्रंथालय में रखा गया : देखिए संख्या एल० टी० 4312/79]

विदेशी फीचर फिल्मों का आयात

7257. श्री एस० आर० रेड्डी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) देश में दिखाए जाने के लिए फिल्म वित्त निगम द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार तथा देश बार, आयात की गई विदेशी फीचर फिल्मों का ब्यौरा क्या है ?

(ख) किन नगरों में विदेशी फिल्में बहुत अधिक पसंद की जाती हैं ;

(ग) आयात करने के लिए फिल्मों का चयन करने और बाद में देश में दिखाए जाने के लिए उन्हें अनुपयुक्त पाये जाने से कितनी हानि हुई ; और

(घ) क्या इस संबंध में उन जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध भी कोई कार्यवाही की गई है जिन्होंने गत दो वर्षों में ऐसी फिल्मों का चयन और आयात किया ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ख) इस तरह का कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है किन्तु उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार विदेशी फिल्मों महानगरों और बड़े शहरों में अच्छी चलती है ।

(ग) शून्य ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

वर्ष 1976-77, 77-78 और 78-79 के दौरान फिल्म वित्त निगम द्वारा आयात की गई विदेशी फीचर फिल्मों के बारे में वर्ष-वार और देश-वार ब्यौरा ।

क्रम संख्या	देश का नाम	फिल्मों की संख्या	फिल्मों का नाम
1976-77			
1.	इंग्लैंड	3	मर्डर आन द ओरियन्ट एक्सप्रेस स्पेनिश फ्लाई मिस्टर जेस्सिको
2.	अमरीका . . .	2	मैसक्रे इन रोम बेनजी
3.	यूगोस्लाविया . . .	1	डेप्स
4.	इटली . . .	1	लास्ट बेटल
5.	फ्रांस	1	स्ताविस्की
1976-77			
6.	इंगलैंड	8	इन्टरनीसिने प्रोजेक्ट रेनसम जर्नी इनटू फीजर सेवन नाइट्स इन जापान स्वीनी एसिस हाई द लव केटामाउण्ट किलिंग
7.	अमरीका . . .	1	ब्लेजिंग मेगनम
1978-79			
8.	इंग्लैंड	4	डाक्टर इन ट्रेबल फादर डियर फादर कैरावान टू वेकारीज द लिगेसी
9.	अमरीका . . .	6	ब्लाइंड रेज वेन्जीएन्स इन माइन स्टिंगरे टेक्साल डीटूर स्कार्ची दि डैल्टा फैक्टर
10.	हंगरी	3	एन्टस नेस्ट प्रोफेसर केन्नीबाल कारोस्सल

11. फ्रांस	6	एनीमल द गूज चेंज फलैश आफ दि आरचिड चार चोकरान दि ग्रेट पोलिसी पाइयान
12. यूगोस्लाविया . .	1	द एसेसिनेशन
13. श्रीलंका . .	1	श्रीपाल एण्ड रणमेणिका
14. कनाडा .	1	ब्लैक क्रिसमस
15. स्पेन	1	रेड लाइट
16. इटली . . .	3	फ्नटोज्जी मर्डर टू द ट्यून आफ सेवन ब्लैक नोटस शार्वस केव
17. जापान	1	बुलैट ट्रैन

फिल्म सेंसर बोर्ड, कलकत्ता का नया सलाहकार पेनल बनाया जाना

7258. **श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिल्म सेंसर बोर्ड कलकत्ता का अक्तूबर, 1978 में एक नया सलाहकार पेनल बनाया गया है ; यदि हां तो उसके सदस्यों के नाम क्या हैं ;

(ख) क्या नियुक्तियां करने से पूर्व पश्चिम बंगाल सरकार अथवा पश्चिम बंगाल में फिल्म उऊोग किन्हीं प्रमुख व्यक्तियों की सलाह ली गयी थी ;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार भविष्य में पेनल बनाने से पहले संबंधित राज्य सरकारों और फिल्म उद्योग में लगे अन्य व्यक्तियों की सलाह लेगी ताकि उनके विचारों से वह अवगत हो सकें ; और

(घ) क्या इस संबंध में पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से कोई अभ्यावेदन मिला है और यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) कलकत्ता में फिल्म सेंसर बोर्ड के सलाहकार पैनल का 1-3-78 को पुनर्गठन किया गया था। वर्तमान सदस्यों के नाम निम्नखिवत है :—

(1) श्री सरत मिश्र
(2) डा० गौरी शंकर भट्टाचार्जी

(3) श्री बागेश्वर झा
(4) श्रीमती आरती टैगोर
(5) श्रीमती कृष्णा घोष
(6) श्री प्रफुल्ल राय
(7) श्री मनीन्द्र राय
(8) श्री राणाजी कालेकर
(9) श्री तरुण राय
(10) श्री अरोती श्रीपा
(11) श्री अमिताव चौधरी
(12) श्री प्रशान्त सान्याल
(13) डा० अजीत कुमार घोष
(14) श्री जी० पी० बरुआ
(15) श्री हिरेन फूकन
(16) श्री पी० के० महापात्र
(17) श्री कृष्णकान्त शास्त्री
(18) श्री विनय सरकार
(19) प्रो० के० एम० लोढ़ा
(20) डा० ज्योतिर्मय घोष

(ख), (ग) और (घ) नवम्बर, 1977 में सूचना राज्य मंत्रियों के सम्मेलन के अनुसार राज्य सरकारों को सलाहकार पैनलों के लिए अपने सुझाव, अगर कोई हो, भेजने के लिए अनुरोध किया गया था। तथापि, 1-3-78 तक किसी भी राज्य सरकार से कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ था।

पैनल के पुनर्गठन के बाद, पश्चिम बंगाल की सरकार ने यह कहते हुए लिखा कि सलाहकार पैनलों का गठन राज्य सरकारों से सुझाव प्राप्त होने के बाद ही किया जाना चाहिए। इस पर राज्य सरकार का ध्यान सूचना राज्य मंत्रियों के सम्मेलन के निर्णय की ओर दिलाया गया था जिसके अनुसार उन्हें आवश्यक सिफारिशें भेज देनी चाहिए थीं। यह भी सुझाव दिया गया था कि अगर पास अभी कोई सिफारिशें हैं तो इन्हें भेज दिया जाए और भावी रिक्तियों को भरते हुए इन पर ध्यान रखा जाएगा।

स्वदेशी पौलीटैक्स लि० के लेखों की विशेष लेखापरीक्षा

7259. श्री के० लकप्पा : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत पाच वर्षों के दौरान स्वदेशी पौलीटैक्स लि०, गाजियाबाद द्वारा अर्जित भारी लाभ के बावजूद भी कम्पनी की लेखा बहियों में घाटा दिखाया गया है ;

(ख) क्या कम्पनी द्वारा जाली लेखा रखे जाने के बारे में अनेक बार शिकायतें की गई हैं, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) प्रबन्धकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है, अथवा करने का विचार है; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा एक विशेष लेखा परीक्षा कराने का विचार है ?

गृह, विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) :

(क) नहीं श्रीमान् जी । कम्पनी द्वारा यथा प्रकाशित गत पांच वर्षों की लाभ-हानि लेखाओं की बाबत तथ्यात्मि स्थिति निम्न प्रकार है :—

वर्ष समाप्ति	30-9-74 लाभ	155.53 लाख रु०
,,	30-9-75 हानि	95.49 लाख रु०
,,	30-9-76 लाभ	405.90 लाख रु०
,,	30-9-77 लाभ	122.94 लाख रु०
,,	30-9-78 लाभ	102.53 लाख रु०

(ख) इस विनिर्देश पर कोई ऐसी विशिष्ट शिकायत की गई प्रतीत नहीं होती । परन्तु कम्पनी के कार्य-क्लापों से सम्बन्धित (लेखाओं के छल साधन सहित) कुछ सामान्य प्रकृति की अनेक शिकायतें भूतपूर्व में प्राप्त हुईं थीं । इन शिकायतों के अनुसरण में, कम्पनी अधिनियम की धारा 209क के अन्तर्गत मार्च/अप्रैल, 1978 में एक निरीक्षण किया गया था । निरीक्षण के दौरान निम्नलिखित अनियमितताओं का पता चला था :—

(क) कुछ न्यासों को ब्याज मुक्त अग्रिम धन देना ।

(ख) दो आयातित बैलिंग प्रैसों की आरोपित अवियमानता ।

(ग) उत्पाद प्रवर्तकों की नियुक्ति एवं उन्हें बिना किसी औचित्य के कमीशन देना ।

(घ) कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक तथा उप मुख्य कार्यकारी के आवास तथा परिलब्धियों का प्रावधान उच्च लागत पर एवं विहित सीमाओं से अधिक करना ।

(ङ) कम्पनी द्वारा प्रबन्ध निदेशक तथा उसके परिवार के सदस्यों के लिए प्रयोग के लिए चांदी के बर्तन खरीदने का आरोप ।

(च) उप-उत्पादों को कुछ पार्टियों को अन्यों से वसूल की जाने वाली दरों से न्यूनतर दरों पर बेचने के आरोप ।

(छ) अनुबन्ध में कोई उपबन्ध न होने पर भी हैन्डलिंग अभिकर्ताओं को अग्रिम धन देना । हैन्डलिंग अभिकर्ता कम्पनी द्वारा, कमीशन के आधार पर खरीदे गए कच्चे माल के बन्दोबस्त करने के लिए नियुक्त किए गए हैं ।

(ज) प्रबन्ध निदेशक के पक्ष में परिपत्र संग्रह करने के लिए कर्मचारियों को पारितोषिक तथा यात्रा व्यय देने के आरोप ।

(झ) प्रयोग न की गई रद्दी को न्यूनतर दरों पर बेचना तथा पीछे उसी सामग्री को उच्चतर दरों पर खरीदना ।

(ग) निरीक्षण रिपोर्ट से प्रकाश में आई सामग्री के आधार पर, कम्पनी विधि बोर्ड ने कम्पनी अधिनियम की धारा 408 के अन्तर्गत एक कारण बताओ नोटिस प्रेषित किया था। कम्पनी ने अपना उत्तर भेज दिया है, जो परीक्षान्तर्गत है।

(घ) नहीं, श्रीमान् जी।

कम्पनियों द्वारा होटलों में कमरे किराये पर लिया जाना

7260. श्री बेदब्रत बरुआ : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विभिन्न स्थानों पर लगाए इस आरोप की जांच की है कि कुछ कम्पनियां विभिन्न बड़े होटलों में पूरा वर्ष स्थायी आधार पर कमरे और सूट रोके रखती हैं जिस से कम्पनियों का काफी धन खर्च हो जाता है ;

(ख) क्या भारत के भव्य होटलों से स्थायी आधार पर इस प्रकार किराए पर कमरे आदि लिए जाने का ब्यौरा मंगाया गया है ;

(ग) क्या यह सच है कि जबकि इस प्रकार का बौरा न मांगा गया है और न ही प्राप्त हुआ है, निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर, किए गए दौरों तथा होटल व्यय के लिए कुछ कम्पनियों के विरुद्ध मनमाने रूप में कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार की स्थिति यह है कि कम्पनी के काम के बिना कुछ दिनों के लिए शहर जाने और किसी होटल में ठहरने की अनुमति नहीं दी जा सकती जबकि स्थायी आधार पर सूट और कमरों का किराये पर लिया जाना व्यापार प्रयोजन से लिया गया समझाजाता है ?

गृह, विधि न्याय और कम्पतनी कार्य मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल)

(क) तथा (ख) सरकार का इस बार समुचित जांच करने का प्रस्ताव है।

(ग) यदि निरीक्षण रिपोर्ट से कोई प्रथम दृश्या अनियमितता प्रकाश में आती है, तो उसके लिए कम्पनी के साथ सम्पर्क किया जाता है एवं ऐसा करते समय प्रवर्तमान वाणिज्यक प्रक्रियाओं समेत सभी सम्बन्धित कारकों को दृष्टि में रखा जाता है।

(घ) यह प्रत्येक मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।

गैस पर रायल्टी में वृद्धि करने के लिए मांग

7261. श्री एफ० पी० गायकवाड़ : क्या **पैट्रोलियम, रसायन और उवरक** मंत्री मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने गैस पर रायल्टी में वृद्धि करने के लिए तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग से मांग की है ;

(ख) यदि हां, तो इस समय गुजरात को गैस पर कितनी मात्रा में रायल्टी का भुगतान किया जाता है और कितनी वृद्धि की मांग की गई है ;

(ग) क्या यह सच है कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने औद्योगिक उपभोक्ताओं को सप्लाई की जाने वाली गैस के मूल्य में वृद्धि कर दी है; और

(घ) यदि हां तो राज्य की मांग का क्या परिणाम निकला ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नंदन बहुगुणा) : (क) जी, हां ।

(ख) गैस पर रायल्टी 6.60 रुपए प्रति 1000 मी^{3} की दर से भुगतान की जाती है। गुजरात सरकार ने इसको प्रति 1000 मी^{3} के लिए 20 रुपए तक बढ़ाने की मांग की है।

(ग) जी, हां। गुजरात में उद्योगों के लिए गैस का मूल्य दिनांक 1-4-1978 से बढ़ा दिया गया है ।

(घ) गैस पर रायल्टी की दर में वृद्धि के लिए राज्य सरकार की मांग कुआं शीर्ष मूल्य 202 रुपए पर आधारित है । इन गणनाओं में कुछ गलतियां ध्यान में आई हैं और राज्य सरकार को यह सुझाव दिया गया है कि गणना तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग तथा गुजरात सरकार द्वारा संयुक्त रूप से की जानी चाहिए। राज्य सरकार की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा की जा रही है ।

आकाशवाणी को वाणिज्यिक सेवाओं से होने वाली आय

7262. **श्री जी० वाई कृष्णन्** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आकाशवाणी को अपनी वाणिज्यिक सेवाओं के जरिए अर्जित आय के बारे में ब्यौरा क्या है; और

(ख) वर्ष 1978-79 के दौरान ऐसी कितनी आय होने का अनुमान है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान आकाशवाणी द्वारा अपनी विज्ञापन सेवाओं से प्राप्त आय के ब्यौरे निम्नवत हैं :—

	कुल राजस्व
1975-76 . . .	6,25,88,974 रुपए (अनन्तिम आंकड़े)
1976-77 . . .	6,80,07,832 रुपए (अनन्तिम आंकड़े)
1977-78 . . .	7,74,10,800 रूपए (अन्तिम आंकड़े)

(ख) वर्ष 1978-79 के दौरान इस प्रकार की आय 8,50,00,000 रूपए होने का अनुमान है ।

बैलाडिला लौह अयस्क परियोजना में मध्य प्रदेश के कर्मचारियों की उपेक्षा किया जाना

7263. **श्री राघवजी** : क्या **इसपात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश निवासी संघ, बेलाडीला लौह अयस्क परियोजना, बचोली (जिला बस्तर) ने लौह अयस्क परियोजना में मध्य प्रदेश के कर्मचारियों की उपेक्षा होने की कोई शिकायत भेजी है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या उक्त शिकायत की जांच कराई गई है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है, और

(ग) इस शिकायत को दूर करने के लिए गत दो वर्षों में क्या कार्रवाई की गई है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) से (ग) मध्य प्रदेश निवासी संघ से विभिन्न अवसरों पर दो शिकायतें प्राप्त हुई हैं । इन शिकायतों में सामान्यत: ये आरोप लगाए गए थे कि बैलाडीला की लौह अयस्क परियोजना में भर्ती के मामले में बाहर के लोगों को मध्य प्रदेश के रहने वाले लोगों के मुकाबले में तरजीह दी जा रही है । इन दोनों शिकायतों की जांच की गई थी जिससे मालूम हुआ कि इन आरोपों में कोई सचाई नहीं थी ।

सरकारी क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों में भर्ती की नीति मोटे तौर पर सरकार द्वारा बनाई गई है तथा बैलाडीला की लौह अयस्क परियोजना में भी इस नीति का पालन किया जा रहा है । अन्य बातों के साथ-साथ इस नीति में यह व्यवस्था है कि कर्मचारियों की रिक्तियों के बारे में परियोजना के समीप के रोजगार केन्द्रों को सूचना दी जाएगी और जहां भर्ती के लिए विज्ञापन दिए जाते हैं, ये स्थानीय समाचार-पत्रों में और स्थानीय भाषाओं में दिए जाएंगे । इन विज्ञापनों में यह भी बताया जाएगा कि जिन व्यक्तियों के नाम रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत हैं उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी । भर्ती नीति में इस बात की भी व्यवस्था है कि चयन समितियों में राज्य सरकारों के प्रतिनिधि अथवा उनके द्वारा मनोनीत किए गए व्यक्ति भी शामिल किए जाएंगे । परियोजना के लिए अर्जित किए गए क्षेत्रों से विस्थापित व्यक्तियों, विशेषकर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों, को प्राथमिकता दी जाएगी । सरकार ने यह भी फैसला किया है कि सरकारी कार्यालयों में उन पदों पर, जिनके अधिकतम वेतनमान 800/– रुपए प्रतिमास से कम है, भर्ती राष्ट्रीय रोजगार सेवाओं के माध्यम से की जाएगी और अन्य स्रोतों से भर्ती तभी की जाएगी जब रोजगार केन्द्र अनुपलब्धि प्रमाण-पत्र जारी करेंगे ।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण द्वारा भिलाई में सीमेंट संयंत्र की स्थापना करने का प्रस्ताव

7264. श्री एम० कल्याणसुन्दरम : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भिलाई में सीमेंट संयंत्र की स्थापना करने का भारतीय इस्पात प्राधिकरण का प्रस्ताव है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) तथा (ख) स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० ने पोर्टलैंड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग (पी० बी० एफ० एस०) सीमेंट संयंत्र लगाने के सम्बन्ध में सरकार को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है । इनमें से एक संयंत्र राउरकेला में तथा दूसरा चिलहाती में लगाया जाएगा जिनकी पोर्टलैण्ड ब्लास्ट फर्नेस

स्लैग सीमेंट की कुल क्षमता 16.7 लाख टन वार्षिक होगी । यह प्रस्ताव मध्य प्रदेश के बिलास पुर जिले में चिलहाली क्षेत्र में लगाए जाने वाले केन्द्रीय किलंकराइजेशन संयंत्र की स्थापना पर आधारित है। भिलाई से प्रतिवर्ष लगभग 6 लाख टन दानेदार धातुमल चिलहाती ले जाया जाएगा जिससे चिलहाती में 9.35 लाख टन पोर्टलैंड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट का उत्पादन किया जाएगा तथा चिलहाती से प्रतिवर्ष लगभग 4 लाख टन क्लिकर राउरकेला ले जाया जाएगा जिससे राउरकेला में लगभग 7.35 लाख टन पोर्टलैंड ब्लास्ट फर्नेस सीमेंट का उत्पादन किया जाएगा । यह प्रस्ताव इस समय विचाराधीन है।

उच्च न्यायलयों के न्यायधीशों का स्थानान्तरण

7265. प्रो० पी० जी० मावलंकर : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 अप्रैल, 1977 और 31 मार्च, 1979 के बीच भारत में उच्च न्यायलयों के मुख्य न्यायाधिपतियों सहित न्यायाधीशों का स्थानान्तरण हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उसके पूरे तथ्य क्या हैं ;

(ग) उक्त स्थानान्तरण करने के क्या कारण हैं ।

(घ) क्या उक्त स्थानान्तरण संबंधित न्यायाधीश अथवा मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से किए गए थे; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय (कार्मिक), विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालाय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क), (ख) और (ग) आवश्यक जानकारी देने वाला एक विवरण संलग्न है ।

(घ) जी, हां ।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

विवरण

क्र० सं०	नाम	स्थानान्तरण का ब्यौरा	कारण
1	2	3	4
1.	न्यायमूर्ति श्री एस० ओबुल रेड्डी	गुजरात उच्च न्यायालय से इनके मूल उच्च न्यायायलय अर्थात् आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय को ।	'आपात-स्थिति' के दौरान इनका स्थानान्तरण इनकी सहमति के बिना किया गया था और इन्होंने अपने मूल उच्च न्यायालय में वापस जाने की इच्छा प्रकट की थी ।

1	2	3	4
2.	न्यायमूर्ति श्री बी० जे० दीवान	आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय से इन के मूल उच्च न्यायालय अर्थात् गुजरात उच्च न्यायालय को ।	—यथोक्त—
3.	न्यायमूर्ति श्री राजेन्दर सच्चर	राजस्थान उच्च न्यायालय से इनके मूल उच्च न्यायालय अर्थात् दिल्ली उच्च न्यायालय को ।	—यथोक्त—
4.	न्यायमूर्ति श्री एस० आई० रंगराजन	गोहाटी उच्च न्यायालय से इनके मूल उच्च न्यायालय अर्थात् दिल्ली उच्च न्यायायलय को।	—यथोक्त—
5.	न्यायमूर्ति श्री डी० एम० चन्द्रशेखर	इलाहाबाद उच्च न्यायालय से इन के मूल उच्च न्यायालय अर्थात् कर्नाटक उच्च न्यायालय को ।	—यथोक्त—
6.	न्यायमूर्ति श्री सी० कोंडिया	मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय से इनके मूल उच्च न्यायालय अर्थात् आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय को।	—यथोक्त—
7.	न्यायमूर्ति श्री ओ० चिनप्पा रेड्डी	पंजाब और हरियाणा उच्च न्याया-लय से इनके मूल उच्च न्याया-लय अर्थात् आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय को।	—यथोक्त—
8.	न्यायमूर्ति श्री एस० एस० सेठ	आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय से इनके मूल उच्च न्यायालय अर्थात् गुज-रात उच्च न्यायालय को।	—यथोक्त—
9.	न्यायमूर्ति श्री ए० डी० कौशल	मद्रास उच्च न्यायालय से इनके मूल उच्च न्यायालय अर्थात् पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय को ।	—यथोक्त—
10.	न्यायमूर्ति श्री डी० एस० तेवटिया	कर्नाटक उच्च न्यायालय से इनके मूल उच्च न्यायालय अर्थात् पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय को।	—यथोक्त—
11.	न्यायमूर्ति श्री सी० एम० लोढा	न्यायाधीश के रूप में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय से मुख्य न्यायाधि-पति के रूप में गोहाटी उच्च न्यायालय को और तत्पश्चात् मुख्य न्यायाधिपति के रूप में इनके मूल उच्च न्यायालय अर्थात्	'आपात-स्थिति' के दौरान इनका स्थानान्तरण इनकी सहमति के बिना किया गया था और इन्होंने अपने मूल उच्च न्यायालय में वापस जाने की इच्छा प्रकट की

1	2	3	4
		राजस्थान उच्च न्यायालय को।	थी । वह पहले गोहाटी उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधिपति के रूप में नियुक्त किए गए थे और तत्पश्चात् इनका स्थानान्तरण मुख्य न्यायाधिपति के रूप में इनके मूल उच्च न्यायालय में कर दिया था ।
12.	न्यायमूर्ति श्री ए० पी० सेन	न्यायाधीश के रूप में राजस्थान उच्च न्यायालय से मुख्य न्यायाधिपति के रूप में न मूल उच्च न्यायालय अर्थात् मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय को ।	'आपात स्थिति' के दौरान इनका स्थानान्तरण इनकी सहमति के बिना किया गया था और उन्होंने अपने मूल उच्च न्यायलय में वापस जाने की इच्छा प्रकट की थी ।
13.	न्यायमूर्ति श्री डी० बी० लाल	कर्नाटक उच्च न्यायालय से पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय को और तत्पश्चात् इनके मूल उच्च न्यायालय अर्थात् हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय को ।	"आपात-स्थिति' के दौरान इनका स्थानान्तरण इनकी सहमति के बिना किया गया था और इन्होंने अपने मूल उच्च न्यायालयों में वापस जाने की इच्छा प्रकट की थी। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में पद रिक्त न होने के कारण इन्हें पहले पास के उच्च न्यायालय अर्थात् पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में इनकी सहमति से स्थानान्तरित किया गया था और तत्पश्चात् इनके मूल उच्च न्यायालय में पद रिक्त होने पर वहां इनक स्थानान्तरण किया गया ।

1	2	3	4
14.	न्यायमूर्ति श्री मुफ्ती बहाउद्दीन फारुकी	इलाहाबाद उच्च न्यायालय से इनके मूल उच्च न्यायालय अर्थात् जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय को।	'आपात-स्थिति' के दौरान इनका स्थानान्तरण इनकी सहमति के बिना किया गया था और इन्होंने अपने मूल उच्च न्यायालय में वापस जाने की इच्छा प्रकट की थी।
15.	न्यायमूर्ति श्री एम० एल० जैन	इनके मूल उच्च न्यायालय अर्थात् राजस्थान उच्च न्यायालय से दिल्ली उच्च न्यायालय को।	इनके अनुरोध पर स्थानान्तरित किया गया।

टिप्पणी:— इसके अतिरिक्त, कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री सी० हनिया को राजस्थान उच्च न्यायाय के मुख्य न्यायाधिपति के रूप में नियुक्त किया गया था।

आकाशवाणी में विदेश सेवा हेतु प्रयुक्त भाषायें

7266. श्री अगासाहेब गोटखिण्डे : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी की विदेश सेवाओं के लिए प्रयुक्त भारतीय भाषाओं की सूची में मराठी भाषा का नाम नहीं है जबकि उसमें कोंकणी भाषा का नाम है; और

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) जी, हां। ऐतिहासिक कारणों के लिए विदेश सेवाओं में कोंकणी में 10 मिनट का समाचार बुलेटिन शामिल किया गया है। तथापि मामले पर पुनर्विलोकन किया जा रहा है।

भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था का पुनर्गठन

7267. श्री के० टी० कोसलराव : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था का पुनर्गठन करने का है; और

(ख) यदि हां तो प्रस्तावित कार्यवाही का ब्यौरा क्या है और इसको कब क्रियान्वित किया जायेगा :

इस्पात और खान राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) और (ख) भारतीय भू-सर्वेक्षण पुनरीक्षा समिति की सिफारिशों के आधार पर संगठन के प्रशासनिक तंत्र के पुनर्गठन के लिए निम्नलिखित प्रमुख उपाय किए गए हैं :—

(1) एक प्रबंध बोर्ड बनाया गया है। यह बोर्ड संगठन की कार्य प्रणाली हेतु मुख्य नीतियों और प्राथमिकताओं का निर्धारण करेगा। ऐसे अनेक अधिकार भी बोर्ड को दिए गए हैं जिनका उपयोग पहले पूरी तरह इस्पात और खान मंत्रालय ही करता था। इससे संगठन में अधिक स्वात्यता आएगी तथा कार्यक्रमों के आयोजन और क्रियान्वयन में वैज्ञानिकों का अधिक सहयोग भी प्राप्त होगा।

(2) समूह 'ग' और 'घ' के 104 काडरों का समायोजन/एकीकरण किया गया है। इससे अनेक छोटे-छोटे काडरों को नियंत्रित करने में आने वाली प्रशासनिक कठिनाइयां कम होंगी। साथ ही, अलग-अलग काडरों को एक साथ मिला देने से, कर्मचारियों को पदोन्नति के अधिक अवसर भी सुलभ होंगे।

(3) मंत्रालय के अनेक वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार भी स्वतन्त्र और प्रत्यक्ष उपयोग हेतु महानिदेशक को सौंप दिए गए हैं।

(4) संगठन के मुख्य कार्य प्रभागों का निर्धारण कर दिया गया है तथा इन प्रभागों के काम में तालमेल रखने के लिए उच्च स्तर के विशेषज्ञ पदों का निर्माण किया गया है।

आयुध कारखानों में रक्षा उत्पादन का पुर्नगठन किया जाना

7268. **श्री सी० एन० विश्वनाथन** : क्या उप प्रधान मंत्री तथा रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रक्षा आयुध कारखानों में क्या मुख्य त्रुटियाँ हैं जिनके कारण आयुध कारखानों में रक्षा उत्पादन का पुर्नगठन करने हेतु एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति नियुक्त करना आवश्यक हो गया है।

(ख) क्या यह सच है कि पुनर्गठन की पद्धति रेलवे बोर्ड की पद्धति पर आधारित होगी ; और

(ग) यदि हाँ, तो युद्ध सामग्री का उत्पादन करने वाले संगठन पुर्नगठन की पद्धति रेलवे बोर्ड की पद्धति पर आधाहित करने का क्या औचित्य है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो शेर सिंह) : (क) उच्च स्तरीय समिति (न कि उक्च अधिकार समिति) के विचारार्थ विषय निम्नलिखित

(I) उत्पादन की बढ़ी मदों के संबंध में होने वाली चूकों पर विचार करना।

(II) भविष्य में उत्पादन में होने वाली चूकों को रोकने के लिए निवारक उपायों का सुझाव देना

(III) नई मदों का उत्पादन शुरू करने में विलंब नहोने देना तथा जहाँ आवश्यक हो वहाँ उत्पादन क्षमता बड़ाना।

(IV) महानिदेशक (आयुध कारखाना के संगठन और फैक्टरियों की मौजूदा कार्य प्रणाली की जाँच करना तथा उसके पुर्नगठन पुनर्संरचना के बारे में सुझाव देना।

(V) कोई अन्य मद चिस पर समिति विचार करना चाहती हो।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पैलेटिकृत लोहे की सप्लाई के लिए इन्डोनेशिया के साथ करार

7269. **श्री सौगत राय** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने 10 लाख टन पैलेटिकृत लोहे की सप्लाई के बारे में इन्डोनेशिया के साथ एक करार किया है ;

(ख) क्या बेलाडीला नीले चूर्ण को "पैलेटिकृत" लोहे में बदलने के संबंध में हमारे पास देश में जानकारी है, और

(ग) यदि नहीं, तो करार क्यों किया गया और हमारे देश को किस स्रोत से जानकारी प्राप्त होगी ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) जकार्ता में 7 मार्च, 1979 को भारत और इंडोनेशिया के बीच एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ भारत से इन्डोनेशिया को दीर्घकालिक आधार पर लौह-अयस्क के पैलेटों की सप्लाई करने की भी व्यवस्था है। लेकिन पैलेटों की प्रस्तावित सप्लाई के बारे में आवश्यक तकनीकी और वाणिज्यिक ब्यौरे अभी तय नहीं किए गए हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) लोह-अयस्क के पैलेट बनाने की अभी मात्र 2 या 3 ही सुप्रमाणित विधियां हैं। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने इन विधियों की तकनीकी जानकारी प्राप्त करने के लिए विश्व आधार पर निविदाएं आमंत्रित की थीं और इस बारे में जो निविदाएं प्राप्त हुई हैं उन पर विचार किया जा रहा है। प्रयोगशाला में लौह-अयस्क के चूरे नीली धूलि (ब्लू-डस्ट) पर किए गए परीक्षणों से यह पूरी तरह सिद्ध हो गया है कि इनसे पैलेट बनाए जा सकते हैं तथा इनमें कुछ अन्य तकनीकी लाक्षणिक गुणधर्म भी विद्यमान हैं। इन परीक्षण फलों तथा लौह अयस्क के चूरे, नीली धूलि की उपलब्धि तथा अन्य सुविधाओं के बारे में उपलब्ध जानकारी के आधार पर इण्डोनेशिया के साथ किया गया समझौता सर्वथा उचित है।

बैरकपुर स्थित हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स मरम्मत एकक को निर्माण एकक के रूप में बदलने के लिये अनुरोध

7270. **श्री चित्त बसु** : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है कि पश्चिम बंगाल में बैरकपुर स्थित हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स के उपकरण मरम्मत एकक को जगुवार विमान की प्रस्तावित खरीद के संबंध में नए वायुयान उपकरणों के लिए एक निर्माण एकक के रूप में बदल दिया जाए ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रस्ताव पर इस बीच विचार कर लिया गया है और उसे व्यवहारिक पाया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (वी० शेर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) इस प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड आफिसर्सएसोसिएशन से ज्ञापन

7271. **श्री के० लकप्पा :** क्या **उप प्रधान मंत्री तथा रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एयारोनाटिक्स लिमिटेड आफिसर्स एसोसियशन, बंगलौर ने 5 मार्च, 1979 को प्रधान मंत्री के बंगलौर आगमन के समय उन्हें दो ज्ञापन दिए थे ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) उनमें दिए गए मुद्दों को तत्काल हल करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) ज्ञापनों में उठाये गये मुख्य मुद्दे निम्नलिखित हैं :

(1) हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड आफ़िसर्स एसोसियेशन को ट्रेड यूनियन के रूप में पंजीकृत होने से पूर्व की सभी सुविधाएं बहाल करना।

(2) 27 अक्तूबर, 1978 को सामूहिक आकस्मिक अवकाश पर जाने वाले अफसरों, इसी से संबंधित बाद की घटनाओं के संबंध में कुछ अफसरों के विरुद्ध की गई कारवाई वापस लेना।

(3) हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड की कार्यप्रणाली की जांच करना।

(ग) तथा (घ) हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड बंगलौर में, हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड कर्मचारियों की एक यूनियन पहले से काम कर रही है जो इस ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के अन्तर्गत पंजीकृत है। हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड के अफसरों की एसोसियेशन के पंजीकृत होने से एक यूनिट में एक से अधिक ट्रेड यूनियनें हो गई हैं। ट्रेड यूनियन के रूप में पंजीकृत होने से पहले अफसर एसोसियेशन को कुछ सुविधाएं दी जा रही थीं और कुछ विशेषाधिकार दिए गए थे जैसे, वेतन बिलों से सदस्यों की देय राशि की कटौती कराना, फैक्ट्री भवन के अन्दर कार्यालय के लिए स्थान आदि की सुविधाएं। ये सुविधाएं ट्रेड यूनियनों को नहीं दी जाती हैं। इन सुविधाओं को जारी रखने से दो ट्रेड यूनियनों के बीच भेद-भाव बरतना होता इसलिए कम्पनी प्रबंधकों ने अफसर एसोसियेशन को दी गई ये सुविधायें वापस ले ली गई हैं।

2. अनेक प्रकार के दुराचार के लिए हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड के कुछ अधिकारियों को निलम्बित कर दिया गया था। वे अफसर एसोसियेशन के पदाधिकारी भी हैं। 27 अक्तूबर, 1978 को अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने वाले अफसरों के वेतन में कटौती भी की गयी थी। यह कटौती अफसरों को वापस की जा चुकी है। हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स के प्रबंधकों और अफसर एसोसियेशन के बीच सामान्य स्थिति लाने के उद्देश्य से प्रबंधकों ने एसोसियेशन के पदाधिकारियों के निलम्बन आदेश पर इस शर्त पर समाप्त करने की पेशकश की है कि भविष्य में आन्दोलनकारी कार्यों में भाग न लेने का एसोसियेशन आश्वासन दे।

एसोसियेशन ने प्रबंधकों की पेशकश स्वीकार नहीं की है। दूसरी ओर, एसोसियेशन इस बात पर जोर दे रही है कि जब तक इसके पदाधिकारियों तथा कार्यकारिणी के सदस्यों पर लगाए गए सभी आरोप वापस नहीं लिए जाते तब तक वह इस प्रकार का आश्वासन नहीं देगी। प्रबंधकों को यह शर्त मंजूर नहीं है ।

3. हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड के प्रबंधकों ने अपने अफसरों के साथ निलम्बन और उचित रवैया अपनाया है। अफसरों की न्याय संगत मांगों को पूरी करने की दिशा में भी विचार किया जा रहा है। अतः हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड की कार्य-प्रणाली की जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता।

निर्माताओं को बल्क औषधियों के लिये दिए गए लाइसेंस पर आधारित फार्मूलेशन

7272. **श्री छवि राम अर्गल :** क्या **पैट्रोलियम रसायन और उर्वरक** मंत्री 27 फरवरी, 1979 के अंतरांकित प्रश्न संख्या 1180 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि अधिसूचना संख्या 3(3)/66-सी० एच०-III दिनांक 27 मई, 1969 वापिस ले लिया गया है परन्तु इसके साथ उनका मंत्रालय इस अधिसूचना के अन्तर्गत निर्माताओं को बल्क औषधियों के लिए दिए गए लाइसेंस पर आधारित फार्मूलेशन की मंजूरी भी दे रहा है ;

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या सुरक्षात्मक उपाय किए गए हैं कि अनुमति पत्र जारी करने के मामले में की गई भूल-चक लाइसेंस की क्षमताओं का पृष्ठांकन करते समय न दोहराई जाएं, और

(ग) जब हाथी समिति ने अधिसूचना सं० 3(3)/65 वापिस न लेने की सिफारिश की थी तो यह वापिस क्यों ली गई तथा इसके कारणों का ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हे० न० बहुगुणा) : (क) औद्योगिक विकास विभाग द्वारा दिनांक 30-8-1978 को जारी की गई अधिसूचना के अनुसार दिनांक 27-5-1968 की अधिसूचना संख्या 3(3)/65-सी० एच०-III निरस्त हो गई तथा औद्योगिक उपक्रमों को, दिनांक 27-5-1969 की उल्लिखित अधिसूचना के प्राधिकार के अधीन उनके द्वारा निर्मित मदों के लिए आई० (डी० एण्ड आर०) अधिनियम के अधीन औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करने अपेक्षित हैं।

(ख) सी० ओ० बी० लाइसेंस पूर्णतया उद्योग मंत्रालय द्वारा निर्धारित किये गये मापदण्डों के अनुसार प्रदान किये जायेंगे।

(ग) दिनांक 27-5-1969 की अधिसूचना के अन्तर्गत निर्धारित नीति की सरकार द्वारा नई औषध नीति में दिये गये अपने निर्णणों को ध्यान में रखते हुए समीक्षा की गई थी तथा ये उस सन्दर्भ में हैं कि पहले 27-5-1969 को जारी की गई अधिसूचना वापिस ले ली गई है ।

मूल उत्पादकों को निर्माण सुविधा

7273. **श्रीमती मृणाल गोरे :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अपनी गलत क्षमता के 50 प्रतिशत तक निर्माण क्षमता स्थापित करने के लिए मूल उत्पादकों को अनुमति लेने की सरकारी नीति के कारण सहायक उत्पादकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है जिनमें से अधिकांश मध्यम स्तर के निर्माता हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इससे बचने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) और (ख) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

प्रोसेसिंग में त्रुटि के कारण डीजल में अपद्रव्य

7274. **श्री विजय कुमार एन० पाटिल :** क्या पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात सरकार के ध्यान में लायी गई है कि प्रोसेसिंग में त्रुटि के कारण कुछ स्रोतों (यथा बम्बई हाई) के डीजल में मोम जैसे अपद्रव्य पाए गए हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि ऐसे अपद्रव्यों की अधिक प्रतिशतता के कारण डीजल गाड़ियों के फिल्टर विशेषकर सर्दी के दौरान खराब हो जाते हैं; और

(ग) डीजल की किस्म में सुधार करने के लिए सरकार क्या उपाय करेगी ?

पट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी, हां । डीजल तेल में शीतकाल के दौरान जम जाने वाले मोम का अंश अधिक होने के संबंध में कभी-कभी शिकायतें प्राप्त हुई हैं यह इस कारण है कि बम्बई हाई, असम, अंकलेश्वर और उत्तर गुजरात जैसे स्वदेशी कच्चे तेलों में अन्य कच्चे तेलों की तुलना में मोम की मात्रा अधिक होती है। इन कच्चे तेलों का मोम एक अभिन्न अंग है और इसे अशुद्धता नहीं समझा जाता और न ही यह शोधन में किसी खराबी के कारण उत्पन्न होती है। इन कच्चे तेलों में से तैयार किए गए डीजल तेल में मोम का अंश बिल्कुल रोका नहीं जा सकता।

(ख) डीजल तेल में मोम की कुछ मात्रा के कारण कुछ मामलों में असाधारण शीतकाल के दौरान जब डीजल तेल अधिक "पोर प्वाइंट" पर उपलब्ध होता है इसके जम जाने तथा फिल्टरों में रुकावट उत्पन्न होती है।

(ग) शीतकाल में डीजल तेल के लिए विभिन्न "पोर प्वाइंट" निर्धारित किए गए हैं । अधिकतम सर्दी वाले पहाड़ी इलाकों में जो डीजल तेल सप्लाई किया जाता है उसमें कुछ ऐसे विशिष्ट उपाय किए जाते हैं ताकि अधिकतम सर्दी में डीजल तेल की क्वालिटी पर्याप्त रूप से उपयुक्त हो। जैसे-जैसे कैटलिटिक क्रैकर जैसी अनुपूरक प्रासेसिंग सुविधाएं जिनकी विभिन्न शोधनशालाओं में स्थापित किए जाने की योजना है, उपलब्ध होंगी तो यह समस्या और भी कम होगी क्योंकि मोम का इन यूनिटों में विभाजन किया जायेगा।

गुजरात के खम्भात क्षेत्र में तेल की खोज के लिये सर्वेक्षण

7275. श्री छीतू भाई गामित : क्या पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के खम्बात क्षेत्र में तेल की सम्भावना का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कितनी मात्रा में तेल प्राप्त होने की सम्भावना है ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी, हां ।

(ख) भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा गुरुत्व चुम्बकीय सवक्षण 1952-53 में किए गए थे । इस के बाद ओ० एन० जी० सी० ने 1957-58 और 1960-61 के दो क्षेत्रीय मौसमों और 1976-77 के एक क्षेत्रीय मौसम के दौरान भू-कम्पीय सर्वेक्षण किया था।

(ग) वर्ष 1957-58 और 1960-61 में ओ० एन० जी० सी० द्वारा किए गए सवक्षण से खम्भात क्षेत्र में कैम्बे संरचना का पता चला था जोकि खम्भात नगर के उत्तर-पश्चिम में है । यह अब एक स्थापित गैस क्षेत्र है और दिनांक 1-1-1978 को इसका प्रारंभिक अनुमानित प्राप्ति योग्य भण्डार लगभग 2427 मि० घन टन गैस का था।

वर्ष 1976-77 के क्षेत्रीय मौसम के दौरान ओ० एन० जी० सी० ने खम्बात नगर के के आसपास कैम्बे संरचना के पश्चिम और दक्षिण में परम्परागत तथा सी० डी० पी० भकम्पीय सर्वेक्षण किए थे । इसके फलस्वरूप खम्भात के दक्षिण-पश्चिम में माही हाई संरचना का पता चला था। इस संरचना पर शीघ्र खुदाई करने का प्रस्ताव है। इस कुएं की खुदाई तथा परीक्षण किए जाने तक इस संरचना में संभवत: प्राप्त होने वाले तेल तथा अन्य हाड्र-ड्रोकार्बन की मात्रा का अनुमान लगाना संभव नहीं है ।

गुजरात में गैस एजेन्सियां

7276. श्री अमर सिंह वी० राठवा : क्या पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य में जिलेवार कितनी घरेलू गैस एजेंसियां कार्य कर रही ह;

(ख) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों को कितनी एजेंसियां आबंटित की गई थीं, इन एजेंसियों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या नई एजेंसियां केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बेरोजगार शिक्षित व्यक्तियों को आबंटित करने के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार के निर्णय के लिए कितने आवेदन पत्र लम्बित पड़े हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) गुजरात राज्य में जिलेवार कार्य कर रही घरेल गैस एजेंसियों की संख्या अनुबंध में दर्शायी गई हैं ।

(ख) संलग्न अनुबंध में दर्शायी गई एजेंसियों में दो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को एक अहमदाबाद तथा एक राजकोट में आवंटित की गई है ।

(ग) सरकार की वर्तमान नीति के अन्तर्गत जारी मार्गदर्शी रूपरेखाओं के अनुसार सभी डीलरशिप/एजेंसियों (खाना पकाने की गैस सहित) की 25 % एजेंसियां अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों को आबंटित की जाती हैं ।

(घ) पूर्वकथित मार्गदर्शी रूप रेखाओं में यह भी बताया गया है कि डीलरशिप तथा एजेंसियों की नियुक्तियां विज्ञापन के द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त करने के बाद ही की जाएंगी। इस प्रकार के आवेदन पत्र प्राप्त होने के बाद चयन समिति बनी है जो इन पर विचार करती है अत : सरकार के पास निर्णय के लिए आवेदन पत्रों का लम्बित पड़े रहने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

विवरण

गुजरात में जिलेवार खाना पकाने की गैस की एजेंसियों को दर्शाने वाला विवरण

जिले का नाम	एजेंसियों की संख्या
अहमदाबाद/गांधीनगर	16
अमरेली	01
कच्छ	02
वरुच	02
भावनगर	03
खेडा	03
सुरेन्द्रनगर	01
पंचमहल	02
राजकोट	07
जामनगर	03
जूनागढ़	02
सूरत	32
बड़ोदा	15
बड़ोच	02
मेहसाना	01
केरा	10
बलसार	09
कुल	111

बिहार के हाजीपुर जिले में गांवों का विद्युतीकरण

7277. **श्री राम विलास पासवान** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने गत पांच वर्षों के दौरान बिहार के हाजीपुर जिले के कितने गांवों का विद्युतीकरण किया; और

(ख(1978-80 और 1980-81 में इस जिले में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम का क्या कार्यक्रम है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) बिहार के हाजीपुर जिले में 1,391 गांव हैं। 576 गांवों का विद्युतीकरण हो गया है । इनमें ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के अन्तर्गत विद्युतीकरण हुए 46 गांव शामिल हैं ।

(ख) 1979-80 और 1980-81 के विद्युतीकरण कार्यक्रम को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है ।

बिहार में एल्यूमिनियम संयंत्र की स्थापना के लिये आशय पत्र का जारी किया जाना

7278. **श्री डा० रामजी सिंह** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1974 में बिहार में एक एल्यूमीना संयंत्र की स्थापना करने के लिए बिहार सरकार ने आशय पत्र के लिए इस्पात और खान मंत्रालय से अनुरोध किया है ;

(ख) क्या यह सच है कि जबकि आशयपत्र जारी करने के लिए बिहार सरकार के आवेदन पत्र को अभी तक मंजूरी नहीं दी गई है, गुजरात सरकार को एल्यूमीना संयंत्र की स्थापना के लिए आशय पत्र दे दिया गया है ;

(ग) यदि हां, तो क्या औद्योगिक दृष्टि से अपेक्षाकृत विकसित क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना करने की भारत सरकार की समय नीति का यह उल्लंघन नहीं है ; और

(घ) क्या एल्यूमीना परियोजना के लिए बिहार को आशयपत्र जारी करने का सरकार की इच्छा है और यदि हां तो आशयपत्र के कब तक जारी कि जाने की संभावना है ;

इस्पात और खान राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम लि० ने बिहार में एक एल्यूमिना संयंत्र की स्थापना हेतु औद्योगिक लाइसेंस की मंजूरी के लिए 1974 में एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था।

(ख) से (घ) बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम लि० का आवेदन पत्र रद्द कर दिया गया था क्योंकि प्रस्ताव सही ढंग से तैयार नहीं किया गया था और निगम ने बाक्साइट और बिजली की उपलब्धि बारे में पूरी जानकारी नहीं दी थी । गुजरात में एक एल्यूमिना संयंत्र लगाने के लिए गुजरात सरकार को कोई आशय पत्र मंजूर नहीं किया गया है ।

राजस्थान और मध्य प्रदेश में चूना-पत्थर के निक्षेपों का पता लगाना

7279. **श्री भानु कुमार शास्त्री :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृप करेंगे कि :

(क) राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों के ऐसे स्थानों के नाम क्या हैं जहां भारतीय भूगर्भीय सवेक्षण ने सीमेंट कारखानों की स्थापाना के लिए पर्याप्त मात्रा में चूना पत्थर के निक्षेपों का पता लगाया है; और

(ख) प्रत्येक मामले में सरकार को इन निक्षेपों के समाचार किन-किन तारीखों को मिले थे ?

इस्पात और खान राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) भारतीय भू-वज्ञानिक सर्वेक्षण ने राजस्थान में ड्रिलिंग द्वारा चूना-पत्थर भंडारों की पुष्टि का कार्य नहीं किया है। लेकिन सर्वेक्षण के दौरान, अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, चितौड़गढ़, झुझनूं, जोधपुर, नागौड़, सिरोही, पाली और उदयपुर जिलों में कई स्थानों पर चूना-पत्थर धारी विभिन्न क्षेत्रों का पता चला है।

मध्य प्रदेश के बस्तर, विलासपुर, जबलपुर, रायपुर, रीवा, सतना और सागर आदि जिलों के कई क्षेत्रों में सीमेंट ग्रेड चूनापत्थर के कुछ भंडार पाये गए हैं। और उनका ड्रिलिंग द्वारा मूल्यांकन किया गया है।

(ख) पूर्ववर्ती खोजों के परिणाम इकानामिक जिआलौजी बुलेटिन नंबर 26, जी० एस० आई० सीरिज ए०-1965 में प्रकाशित किए गए थे। बाद की खोजों के परिणाम भारतीय भवैज्ञानिक सवेक्षण समय-समय पर प्रस्तुत की गई वार्षिक प्रगति रिपोर्टों में दिए गए हैं।

दिल्ली-उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल का सम्पर्क स्थापित करके बंगलौर के लिये टेलीविजन कार्यक्रम

7280. **श्री के० एस० बीरभद्रप्पा :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली-उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल का सम्पर्क स्थापित करके बंगलौर के लिये टेलीवीजन कार्यक्रमों की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, छठी पंचवर्षीय योजना अवधि (1978–83) के दौरान बंगलौर में एक पूर्णरूपेण दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। 75 किलोमीटर वाले सेवा क्षेत्र के साथ यह ट्रांसमीटर 10 किलोवाट का होगा।

किरिबुरू परियोजना में रोजगार संबंधी करार

7281. **श्री गोबिंद मंडा** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या उड़ीसा और बिहार के चालू रजिस्टरों में दर्ज व्यक्तियों को किरिबुरू परियोजना में रोजगार देने संबंधी करार को रद्द कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को किरिबुरू के लोगों से कोई अध्यावेदन मिला है ;

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ; और

(घ) किरिबुरू के लोगों की मांगों को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) सेल के महाप्रबंधक को लिखे एक पत्र में सचिव, गोपबन्धु पाथागर किरिबरू ने इस बात का दावा किया है कि सन 1970 में उड़ीसा सरकार तथा राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के प्रतिनिधियों ने यह स्वीकार किया था कि किरिबुरू परियोजना के लिए भर्ती बिहार और उड़ीसा राज्यों से 50 : 50 के आधार पर की जाएगी। प्रारम्भिक पूछ-ताछ से प्रतीत होता है कि न तो राष्ट्रीय खनिज विकास निगम और न ही किरिबुरू परियोजना के अधिकारियों को इस प्रकार के करार, यदि कोई है की जानकारी है। फिर भी, जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी

(ख) जी, हां। उड़ीसा की राज्य सरकार, एक संसद सदस्य, चार विधायकों तथा सचिव, गोपबन्धु पाथागर, किरिबुरू, से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें यह शिकायत की गई है कि किरिबुरू लौह अयस्क परियोजना में खाली स्थानों की सूचना उड़ीसा राज्य के जोडा और क्योंझर स्थित रोजगार कार्यालयों को नहीं भेजी जा रही है।

(ग) और (घ) सरकार इस मामले पर श्रम मंत्रालय से परामर्श करके विचार कर रही है।

इलैक्ट्रोनिक्स कंडक्टर ग्रेड और कर्मीशियल ग्रेड एल्यूमिनियम का आयात

7282. **श्री व्यालार रवि** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1978 से 31 जनवरी, 1979 तक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर ग्रेड एल्यूमिनियम और कर्मशियल ग्रेड एल्यूमिनियम की कितनी मात्रा आयात की गई है ;

(ख) फरवरी, 1979 से आगे (महीनेवार) इलेक्ट्रोलाइटिक कंडकटर ग्रेड और कर्मशियल ग्रेड एल्यूमिनियम की कितनी मात्रा आने की संभावना है ; और

(ग) क्या उपभोक्ताओं को ऐसे आयातित एल्यूमिनियम के वितरण के बारे में कोई नीति निर्धारित की गई है और क्या यह सभी मामलों में लागू की गई थी ?

इस्पात और खान राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा): (क) मार्च, 1978 से 31 जनवरी, 1979 तक 13500 टन इलैक्ट्रोलाइटिक कन्डक्टर ग्रेड और 17000 टन वाणिज्यिक ग्रड एल्यूमिनियम का आयात किया गया।

(ख) इलैक्ट्रालाइटिक तथा वाणिज्यिक ग्रेड एल्यूमिनियम के फरवरी और मार्च, 1979 महीनों में वास्तविक आयात के और अक्तूबर, 1979 तक संभावित आयात के माह-वार आंकड़े निम्नलिखित हैं:—

(टन)

	ई० सी० ग्रेड	वाणिज्यिक ग्रेड
फरवरी, 1979 .	3,000	—
मार्च, 1979 . . .	1,000	1000
अप्रैल, 1979 . . .	2,500	500
मई, 1979	2,100	—
जून, 1979 .	4,500	—
जुलाई, 1979 .	7,500	—
अगस्त, 1979 .	3,000	—
सितम्बर, 1979	1,000	—
दिसम्बर, 1979 . . .	1,000	—

(ग) जी हां। आयातित धातु का वितरण प्रायोजक प्राधिकारियों (अर्थात तकनीकी विकास महानिदेशक और लघु उद्योग विकास आयुक्त) द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं/आवंटनो के आधार पर किया जाता है।

विमानों के डिजाइन तैयार करने में आत्म निर्भरता

7283. श्री तुलसी दास दासप्पा: क्या **उप प्रधान मंत्री तथा रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विमानों के डिजाइन तैयार करने में अत्मनिर्भरता प्राप्त करने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं और तत्संबंधी तकनीकी जानकारी के मामले में विदेशी निर्भरता से कितने वर्षों में मुक्ति मिल जाएगी ;

(ख) अगले दस वर्षों में, विमानों के डिजाइन देश में ही तैयार करने हेतु कितनी राशि का नियतन किया गया है ; और

(ग) क्या जैगुआर विमानों की खरीद के कारण देश में ही विमानों के डिजाइन तैयार करने के कार्य को ठेस पहुंचेगी ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह): (क) वायुयान और इसकी प्रणालियों का डिजाइन तथा विकास देश में करने को सरकार ने सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। हिन्तुस्तान

एयरोनाटिक्स लिमिटेड (एच० ए० एल०) ने विभिन्न लड़ाकू, प्रशिक्षण तथा कृषि संबंधी विमानों का सफलतापूर्वक विकास और उत्पादन कर लिया है। हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड का डिजाइन विंग भावी वायुयानों के डिजाइनों का विकास करने में लगा हुआ है। गैस टर्बाइन रिसर्च इस्टैब्लिशमेंट हमारी भावी आश्यकताओं की पूर्ति के लिए एयरो इंजनों का विकास कर रहा है। फिर भी सेवाओं की आवश्यक जरूरतों को पूरा करने तथा वायुयान निर्माण के क्षेत्र में आधुनिक प्रौद्योगिकी की नवीनतम जानकारी प्राप्त करने के लिए देशी डिजाइन और विदेशी जानकारी का विवेकपूर्ण सम्मिश्रण अपनाना जरूरी है।

(ख) देशी डिजाइन क्षमता के वास्ते पर्याप्त धन दिया जा रहा है। इस बारे में और अधिक विवरण देना लोक हित में नहीं है।

(ग) जी नहीं।

फोटो डिविजन के कुछ कर्मचारियों के वेतनमान

7284. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय के फोटो डिविजन में प्रिन्टर्स फिनिशर्स तथा ड्राईमाऊटिन्ग असिस-टैन्ट् के वेतनमान एक समान हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि वेतनमान समान होने पर भी प्रिन्टर को फिनिशर अथवा ड्राईमाउंटिंग असिसटेंट के पद पर पदोन्नति दी जाती है ;

(ग) क्या सरकार फोटो डिविजन में इस स्थिति के बारे में विचार कर रही है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी, हां।

(ख), (ग) तथा (घ) ट्राईमाऊंटिग असिसटेंटस के पदों के लिए भर्ती नियमों में यह व्यवस्था है कि ये पद 66 2/3 प्रतिशत व्रो माइड प्रिंटर्स तथा फिनिशर्स में से पदोन्नति द्वारा और 33 1/7 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा भरने चाहिए नियमों में इस विसंगत स्थिति को ठीक करने की कार्रवाई की जा रही है।

मध्य प्रदेश में आदिवासियों के लिए आकाशवाणी के कार्यक्रम

7285. **श्री दलपत सिंह परस्ते** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के मध्य प्रदेश में वहां के आदिवासियों के मनोरंजन हेतु, यह देखते हुए कि रेडियो ही एकमात्र प्रचार तथा प्रसार माध्यम है, उन्हीं की भाषाओं में आकाशवाणी कार्यक्रम प्रसारित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उसके प्रचार के सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) जी, हां। मध्य प्रदेश में अम्बिकापुर और जगदलपुर द्वारा प्रसारित ग्रामीण श्रोताओं के लिए कार्य-क्रम क्रमशः सरगुजा और हालवी में तैयार किए जाते हैं। इसके अलावा, अम्बिकापुर और जगदलपुर केन्द्र प्रतिदिन नियमित आधार पर क्रमशः 20 और 10 मिनटों की अवधि के आदिवासी लोक संगीत प्रसारित करते हैं। अन्य कार्यक्रमों में वार्ताएं, कृषि सम्बन्धी सुझाव, नाटक, पत्रिका कार्यक्रम शामिल हैं।

राज्याध्यक्ष समिति के प्रतिवेदन को देखते हुए आयुध कारखानों का भविष्य

7286. **श्री निर्मल चन्द्र जैन** : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आयुध उत्पादन बोर्ड से 4 कारखानों को अलग करने के सम्बन्ध में राज्याध्यक्ष समिति के प्रतिवेदन को देखते हुए आयुध उपकरण कारखाना समूह (यथा आयुध उपकरणकारखाना, कानपुर आयुध पैराशूट कारखाना, कानपुर, आयुध कपड़ा कारखाना, शाजहांपुर और कपड़ा कारखाना, अवाड़ी) का क्या भविष्य होगा ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : जैसा कि 20 मार्च 1979 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3911 के उत्तर में स्पष्ट किया जा चुका है फिलहाल यह फैक्टरी समूह महानिदेशक, आयुध कारखाना-संगठन के साथ रहेगा। राजाध्यक्ष समिति की रिपोर्ट की सिफारिश कार्यान्वित किए जाने पर भी न तो कर्मचारियों की कोई छंटनी की जाएगी और न ही सेवा शर्तों में ऐसा कोई परिवर्तन किया जाएगा जो कर्मचारियों के लिए अहितकर हो।

आजाद हिन्द फौज के शस्त्रास्त्रों का परिरक्षण

7288. **प्रो० समर गुह** : क्या **उप प्रधान** मंत्री तथा **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश सरकार द्वारा आजाद हिन्द फौज के जब्त किए गए शस्त्रों, गोला बारूद ध्वज, चिह्नों आदि को परिरक्षित रखा गया है ;

(ख) यदि हां, तो आजाद हिन्द फौज की ब्रिटिश सरकार द्वारा जब्त की गई ऐसी वस्तुओं का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या उक्त वस्तुओं का परिरक्षण किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उनके परिरक्षण एवं सार्वजनिक प्रदर्शन हेतु तथा संग्रहालय स्थापित करने का है ?

उप प्रधान मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम : (क) से (ग) माननीय सदस्य द्वारा मांगी गई सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

उष्ण कटिबन्धीय बीमारियों के लिए औषधियों का उत्पादन

7289. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **पैट्रोलियम रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह आरोप लगाया गया है कि बहुराष्ट्रीय औषध निगम उष्ण कटिबंधीय बीमारियों के लिए औषधियों के उत्पादन की निरन्तर उपेक्षा कर रहे हैं क्योंकि ट्रावल्लीलाइजरों जैसी नई औषधियों की तुलना में इनमें कम लाभ होता है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा): (क) जी, नहीं। अनेक विदेशी कम्पनियां उष्ण कटिबन्धीय रोगों के लिए औषधों के निर्माण में लगी हुई हैं। उष्ण कटिबन्धीय रोगों के लिए विदेशी कम्पनियों द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान महत्वपूर्ण बल्क औषधों के निर्माण को दर्शाने वाला एक विवरण पत्र संलग्न है ।

(ख) ऊपर भाग (क) में उल्लिखित विवरण पत्र से यह देखा जा सकता है कि विदेशी कम्पनियों द्वारा उष्ण कटिबन्धीय रोगों के लिए औषधों के उत्पादन की उपेक्षा किए जाने का कोई कारण नहीं है ।

विवरण

क्रम सं०	औषध का नाम	उत्पादक का नाम	उत्पादन		1978-79 (अप्रैल से दिसम्बर 1978)	पूरे वर्ष के लिए अनुमान
			1976-77	1977-78		
1	2	3	4	5	6	7
			(आंकड़े टनों में)			
(क)	एन्टी डाइसेंट्री और एन्टी एमोबिक फेथालील सेल्फाथियाजोल	मे० एण्ड बेकर लि० ।	6.15	8.34	उपलब्ध नहीं ।	
2.	आईडोक्लो-रेहाइड्रोक्सी क्यूनोलीन	सिनबायो-टिक्स ।	1.99	0.25	0.79	
3.	डी-आइडो-हाई-ड्रोक्सी क्यूनोलीन	1. मे० एण्ड बेकर लि० ।	2.65	0.15	उपलब्ध नहीं ।	
		2. साईन-बिओटिक्स	शून्य	0.45	उपलब्ध नहीं ।	
4.	मेट्रोनिडाजोल	मे० एण्ड बेकर ।	4.58	7.65	7.34	12.00
5.	इंटेस्टोसोपान सब्सटांन्स ।	सेन्डोज (इंडिया) ।	40.66	34.18	29.97	35.00

1	2	3	4	5	6	7
	(ख) एन्टी-मलेरिया					
1.	क्लोरोक्वीन फोस्फेट	बेयर (इंडिया) लि० ।	24.25	30.29	22.52	30.00
2.	ऐमीडीक्वीन	पार्के डेवीस ।	21.27	18.20	12.48	24.00
	(ग) एन्टी फिलेरियल					
1.	डिथाईल कारबा-माजाइन	बूरोज़ वेलकम ।	10.10	13.11	11.70	15.00
	साइट्रेट	यूनी-यू० सी० बी० ।	5.18	5.40	5.45	8.50
	(घ) एन्टी लिरारोटिक					
1.	डेपसोन	बूरोज़ वेलकम ।	13.59	13.75	8.44	15.00

गैस के कनेक्शन देने के बारे में दिल्ली की एजेंसियों द्वारा अनियमितताये किया जाना

7290. **श्री गंगा भक्त सिंह** : क्या **पैट्रोलियम, तथा रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दिल्ली की गैस एजेंसियोंएं प्रतीक्षा सूची में दर्ज लोगों को गैस क्नैक्शन न देकर गैस कनैक्शनों के आवंटन के मामलों में गम्भीर अनियमितताये और मनमानी कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्बंध में कोई तुरन्त कार्यवाही करेगी और इन एजेंसियों के कार्यकरण पर नजर रखने के लिए और समय-समय पर स्थिति का जायजा लेने के लिए कोई सतर्कता दल नियुक्त करेगी ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नदंन बहुगुणा) : (क) जब भी पंजीकृत व्यक्तियों से यह शिकायत प्राप्त होती है उन्हें उनकी बारी पर तरल पेट्रोलियम गैस नहीं प्राप्त होती तो उस शिकायत की जांच की जाती है और सुधारक कार्यवाही की जाती है । हाल ही में कुछ ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि उनकी बारी आने पर व्यक्तियों को नए कनैक्शन दिए जाने की सूचना नहीं प्राप्त होती । जांच के दौरान उनकी शिकायतें वास्तविक पाए जाने पर उन्हें बिना किसी अधिक प्रतीक्षा के गैस कनैक्शन दिए गए थे । वितरकों के कार्य संचालन की देख रेख तेल कम्पनियों के फील्ड कर्मचारियों द्वारा की जाती है। वे नए गैस कनैक्शनों के दिए जाने की भी जांच करते हैं। इसके अतिरिक्त तेल कम्पनियों से कहा गया है कि वे गैस डीलरों पर अचानक और नियमित जांच को और तेज करें । तेल कम्पनियों से यह भी कहा गया है कि जो डीलर कदाचार के दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्य-वाही की जाए । इस सम्बन्ध में किसी सतर्कता दल के नियुक्त किए जाने की आवश्यकता नहीं समझी जाती ।

मद्रास उच्च न्यायालय की एक न्यायपीठ मदुरै में स्थापित करने के लिए अभ्यावेदन

7291. **श्री के० गोपाल** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास उच्च न्यायालय की एक न्यायपीठ मदुरै में स्थापित करने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन अभ्यावेदनों पर विचार किया गया है ;

(ग) क्या मदुरै में न्यायपीठ स्थापित करने के सम्बन्ध में कोई निर्णय कर लिया गया है ; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (ग) का उत्तर नकारात्मक है तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय (कार्मिक), विधि, न्याय और कम्पनी कर्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस डी० पाटिल) : (क) जी हां ।

(ख) (ग) और (घ) मदुरै में मद्रास उच्च न्यायालय की एक न्यायपीठ स्थापित करने के लिए राज्य सरकार ने एक प्रस्ताव सितम्बर, 1977 में भेजा था । उनसे उक्त प्रस्ताव पर मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति के विचार भेजने का अनुरोध किया गया था । राज्य सरकार से उक्त विचार अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं ।

एल्यूमिनियम के स्वदेशी पिंडों के मूल्य में वृद्धि करना

7292. **श्री के० ए० राजन** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एल्यूमिनियम के स्वदेशी पिंडों के मूल्यों में वृद्धि करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा): (क) जी नहीं

(ख) सवाल नहीं उठता ।

कोरबा उर्वरक सयंत्र

7293. **श्री गणनाथ प्रधान** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोरवा उर्वरक संयंत्र के निर्माण पर अब तक कुल कितनी राशि खर्च की गई है ;

(ख) क्या यह सच है कि इस परियोजना के निर्माण कार्य को निलम्बित किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) कोर वा उर्वरक संयंत्र पर दिनांक 31-3-1979 तक 21.60 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च की गई है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) संसाधनों की कठिनाई के कारण 1974 के मध्य में परियोजना का कार्यन्वियन धीमा कर दिया गया था । यह भी निर्णय किया गया था कि कच्चे माल के रूप में कोयले पर आधारित अतिरिक्त क्षमता की स्थापना के साथ-साथ इस परियोजना का आगामी कार्यान्वियन पर तभी विचार किया जाएगा जब तालचर और रामागुण्डम में इस समय कोयले पर आधारित दो संयंत्रों के संचालन से अनुभव प्राप्त हो जाएगा ।

मध्य प्रदेश में मथुरा तेल शोधक कारखाने के उप-उत्पादों पर आधारित पेट्रो-रसायन उद्योग समूह की स्थापन

7294. **श्री सुरेन्द्र सिंह :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मथुरा तेल शोधक कारखाने के उप-उत्पादों पर आधारित पेट्रो-रसायन उद्योग समूह स्थापित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने कोई प्रस्ताव भेजा है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

पट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) (क) जी, हां । ऐसे उद्योग समूह के लिए अन्य राज्यों द्वारा अपने दावे वाले इसी तरप के प्रस्ताव भेजे गए हैं ।

(ख) मध्य प्रदेश में मथुरा शोधनशाला के उत्पादों पर आधारित उर्वरक तथा पेट्रो-रसायन उद्योग समूह की स्थापना का प्रस्ताव है ।

(ग) इस विषय में अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है ।

आकाशवाणी और दूरदर्शन के कार्यकरण में परिवर्तन के लिये पश्चिम बंगाल सरकार की मांग

7295. **श्री सी० आर० माहाटा :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने आकाशवाणी और दूरदर्शन की आयोजना तथा कार्यकरण के बारे में परिवर्तन की मांग की है ताकि उनसे राज्य का राजनैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन परिलक्षित हो सके ; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने इस बारे में अब तक क्या कार्यवाही की है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल सरकार से आकाशवाणी और दूरदर्शन की योजना और कार्यकरण में परिवर्तन के सम्बन्ध में कोई विशिष्ट अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है । तथापि, सरकार ने 16 मई, 1979 के पैट्रिअट में एक रिपोर्ट देखी है कि राज्य के सूचना और सांस्कृतिक मामले के मंत्री ने अपने विभाग के अनुदान प्रस्तुत करते हुए ऐसी मांग की है । इस प्रेस रिपोर्ट के अनुसार राज्य सरकार का यह दृष्टिकोण है कि इस माध्यम की योजना और कार्यकरण में इसका उपयुक्त अधिकार होना चाहिए ताकि इसके माध्यम से एक खास क्षेत्र की विशेष समस्याएं राजनैतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन या आचार विचार या विशिष्टता प्रतिबिम्बित सुनिश्चित की जा सके ।

आकाशवाणी और दूरदर्शन केन्द्रों का हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनके द्वारा कवर किए जाने वाले क्षेत्रों की विशिष्ट सामाजिक तथा सांस्कृतिक तत्व प्रतिबिम्बित किए जाएं । केन्द्रों को कार्यक्रम सलाहकार समितियों में राज्य सरकार के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाता है । इन समितियों की बैठकों में उनको कार्यक्रमों के सुधार के बारे में सुझाव देने के पर्याप्त अवसर मिलते हैं । अन्यथा भी कार्यक्रमों में सुधार करने के लिए सुझाव देने पर कोई रोक नहीं है । ऐसे सुझावों पर उचित विचार किया जाएगा ।

समाचार-पत्रों को दिये गये विज्ञापन

7296. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1976-77, 1977-78 और 1978-79 में समाचार-पत्रों को कुल कितने विज्ञापन दिए गए ;

(ख) उनमें से हिन्दी समाचार-पत्रों को कितने विज्ञापन दिए गए ; और

(ग) ऐसे विज्ञापनों की संख्या कितनी थी जिनके पाठ इन हिन्दी समाचार-पत्रों को अंग्रेजी में भजे गए थे और ऐसा करने के कारण क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (ग) तक एक विवरण है :—

हिन्दी के समाचारपत्रों को यथासंभव अधिक से अधिक विज्ञापन केवल हिन्दी में रिलीज करने के प्रयास किए जाते हैं, किन्तु समयाभाव और उपलब्ध स्टाफ के कारण सामान्यतः केवल

(1) सजावटी विज्ञापनों (2) संघ लोक सेवा आयोग के वर्गीकृत सजावटी विज्ञापनों के ही हिंदी रूपांतर तैयार करना संभव होता है ।

विवरण

वर्ष	समाचारपत्रों को रिलीज किए गए विज्ञापनों की कुल संख्या	हिन्दी समाचारपत्रों को रिलीज किए गए विज्ञापनों की कुल संख्या	उन विज्ञापनों की कुल संख्या जिनके मूल-पाठ हिन्दी के समाचार-पत्रों को अंग्रेजी में भेजे गए थे
1	2	3	4
1976-77 .	13488	10668	9385
1977-78 . .	12083	9454	8234
1978-79 . . (31 दिसम्बर, 1978 तक)	12084	9221	9047

नर्मदा घाटी उर्वरक कम्पनी और गुजरात राज्य उर्वरक निगम के प्रसार हेतु गैस के प्रयोग के लिये अनुरोध

7297. **श्री आर० के० अमीन :** क्या **पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात सरकार ने दिनांक 10-11-78 के अपने प्रस्तावों द्वारा नर्मदा घाटी उर्वरक कम्पनी और गुजरात राज्य उर्वरक निगम के प्रसार हेतु गैस के प्रयोग के लिए कहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) (क) जी, हां ।

(ख) मैसर्स गुजरात राज्य उर्वरक कम्पनी लिमिटेड तथा मैसर्स गुजरात नर्मदा घाटी उर्वरक कम्पनी से अपने प्रस्तावों के बारे में विस्तृत तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध किया गया था ताकि सरकार उनके प्रस्तावों पर विचार करने में समर्थ हो सके। जबकि जी० एस० एफ० सी० व्यवहार्यता रिपोर्ट अभी-अभी प्राप्त हुई है और जी० एन० एफ० सी से एक विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट की प्रतीक्षा है। दोनों प्रस्तावों का ध्यानपूर्वक मूल्यांकन करने के पश्चात ही प्रस्तावों पर कोई निर्णय सम्भव होगा ।

विधि आयोग की एक अखिल भारतीय न्यायिक सेवा बनाने की सिफारिश

7298. **श्री हरि विष्णु कामत :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विधि आयोग ने एक अखिल भारतीय न्यायिक सेवा बनाने की सिफारिश की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या विधि आयोग की वह रिपोर्ट जिसमें यह सिफारिश की गई है, सभा-पटल पर रखी जाएगी ;

(घ) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने न्यायिक अधिकारियों के वेतन-मानों के बारे में सिद्धारिशें की हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय (कार्मिक) विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) और (ख) विधि आयोग ने सितम्बर, 1958 में अपनी 14वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और उसमें उसने सिफारिश की थी कि राज्य न्यायिक सेवा वर्ग 1 (उच्चतर न्यायिक सेवा) के 40 प्रतिशत पद ऐसे व्यक्तियों द्वारा भरे जाने चाहिएं जिनकी भर्ती अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित एक प्रतियोगी परीक्षा के जरिए की जाएगी । इस रिपोर्ट के अध्याय 9 के पैरा 130 से उद्धरण उपाबन्ध 1 में दिए गए हैं जिसमें सुसंगत सिफारिशों का संक्षेप दिया गया है । विधि आयोग ने अपनी 77वीं रिपोर्ट (नवम्बर, 1978) में उस सिफारिश का उल्लेख किया है जो 14वीं रिपोर्ट में की गई थी और विधि आयोग ने सिफारिश की है कि एक अखिल भारतीय न्यायिक सेवा बनाने के सुझाव पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए । इस रिपोर्ट से सुसंगत उद्धरण उपाबन्ध 2 में दिए गए हैं ।

विधि आयोग की 14वीं रिपोर्ट में एक अखिल भारतीय न्यायिक सेवा बनाने के लिए की गई सिफारिश पर जून, 1960 में विधि मंत्रियों के सम्मेलन में विचार किया गया था । सम्मेलन का विचार था कि अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का सृजन व्यावहारिक नहीं है इसलिए इससे सम्बन्धित सुझाव को स्वीकार न किया जाए । मार्च, 1966 में तत्कालीन गृह मंत्री ने इस विषय पर सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों को उनके विचार जानने के लिए एक पत्र लिखा था । अधिकतर राज्य प्रस्ताव के विरुद्ध थे । अतः इस प्रस्ताव को छोड़ देने का विनिश्चय किया गया ।

वर्तमान सरकार का आम रुख, विकेन्द्रीकरण की उसकी नीति के संदर्भ में, नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के पक्ष में नहीं है ।

(ग) विधि आयोग की उक्त दोनों रिपोर्टें सदन के पटल पर रख दी गई हैं ।

(घ) और (ङ) दिल्ली न्यायिक सेवा एसोसिएशन ने अपनी सेवा-शर्तों में सुधार के सम्बन्ध में, जिसके अन्तर्गत वेतनमानों का पुनरीक्षण भी है, तारीख 12-10-1977 को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था ।

उनके ज्ञापन में निम्नलिखित वेतनमानों की मांग की गई थी :—

दिल्ली न्यायिक सेवा :

1. 700–1300 रु०	. काल वेतनमान
2. 1200–1800 रु०	. वरिष्ठ वेतनमान (पांच वर्ष के पश्चात) ।
3. 1500–2000 रु०	. चयन ग्रेड—20 प्रतिशत

दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा :

4 2000–2250 रु०	. अपर जिला और सेशन न्यायाधीशों के लिए काल वेतनमान ।
5. 2500–2750 रु०	. चयन ग्रेड
6. 3000 रु०	. जिला और सेशन न्यायाधीशों के लिए ।

दिल्ली प्रशासन को दिए गए उक्त ज्ञापन में दिए हुए वेतनमानों के सम्बन्ध में दिल्ली उच्च न्यायालय ने सिफारिश की कि मांगों को स्वीकार कर लिया जाए ।

वेतन का वर्तमान ढांचा तृतीय वेतन आयोग ने सभी सुसंगत बातों को, जिनके अन्तर्गत अल्प सेवाओं के लिए नियत वेतनमान भी थे, ध्यान में रखने के पश्चात नियत किया था। न्यायिक और अन्य सेवाओं के बीच विद्यमान संतुलन में फेरबदल करने से दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के अन्य काडरों की तथा देश के शेष भाग के भिन्न-भिन्न काडरों की वेतन संरचना पर पेचीदा प्रभाव पड़ सकता है । इस कारण से दिल्ली न्यायिक सेवा या दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा के वेतनमानों में, उनको अन्य सेवाओं से अलग-अलग रख कर किसी वृद्धि पर एकतरफा तौर से विचार करना सम्भव नहीं होगा ।

यह उल्लेखनीय है कि दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा के वेतनमान भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान, चयन ग्रेड और सुपर टाइम वेतनमान के अनुरूप हैं।

विवरण-1

भारत के विधि आयोग की 14वीं रिपोर्ट, 1958 के अध्याय 9 के पैरा 130 से उद्धरण

— — —

(16) एक अखिल भारतीय न्यायिक सेवा बनाई जानी चाहिए जिसमें प्रत्येक राज्य की उच्चतर न्यायपालिका के कुल पदों के 40 प्रतिशत पद हों।

(17) ये अधिकारी भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा के आधार पर एक अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षा द्वारा चुने जाएं ।

(18) अभ्यर्थी विधि स्नातक होने चाहिएं और उनकी आयु 21 वर्ष और 25 वर्ष के बीच की होनी चाहिए तथा उनसे यह अपेक्षा की जानी चाहिए कि वे विधि विषय में कम से कम दो वैकल्पिक प्रश्न-पत्र परीक्षा के लिए चुने ।

(19) उनके मामले में वकालत की किसी न्यूनतम अवधि को अनिवार्य नहीं बनाया जाना चाहि ।

(20) ऐसे अधिकारी प्रसामान्यतया उनके मूल राज्यों से भिन्न राज्यों को आवंटित किए जाने चाहिए ।

(21) चयन के पश्चात् अधिकारियों को दो वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ।

(22) आरम्भ में इन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के साथ प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ।

(23) भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को बढ़ाए जाने वाले विषयों जैसे भाषा, आदि के अतिरिक्त भारतीय न्यायिक सेवा के प्राधिकारियों को अतिरिक्त विषयों जैसे सिविल प्रक्रिया, कम्पनी विधि और ऐसे ही अन्य विषयों का अध्ययन भी करना चाहिए ।

(24) भारतीय प्रशासनिक सेवा स्कूल में प्रशिक्षण के पश्चात् राज्य में एक वर्ष की अवधि के लिए सघन प्रशिक्षण का अतिरिक्त काल भी होना चाहिए ।

— — —

(26) प्रशिक्षण के पश्चात् ये अधिकांश मजिस्ट्रेटों के रूप में तैनात किए जाएंगे।

(27) मजिस्ट्रेट, मुंसिफ और अधीनस्थ न्यायाधीशों के रूप में कार्य करने के पश्चात उन्हें अपनी सेवा के दसवें वर्ष के आसपास जिला और सेशन न्यायाधीश के रूप में तैनात किया जाना चाहिए ।

(28) भारतीय न्यायिक सेवा अधिकारियों की उपलब्धियां वे ही होनी चाहिए जो भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों की हैं ।

(29) जिला और सेशन न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किए जाने पर, उनका पारिश्रमिक उसी वेतनमान के अनुसार होगा जो राज्य न्यायिक सेवा अधिकारियों का है ।

(30) ये अधिकारी उच्चतर न्यायिक सेवा के 40 प्रतिशत पदों पर कार्य करेंगे ।

(31) शेष 60 प्रतिशत पद राज्य न्यायिक सेवा से प्रोन्नति द्वारा और "बार" से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने चाहिए ।

(32) 30 प्रतिशत पद राज्य न्यायिक सेवा के अधिकारियों की प्रोन्नति द्वारा और 30 प्रतिशत पद "बार" से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने चाहिएं ।

(33) यदि भारतीय न्यायिक सेवा सृजित करने का संतोषप्रद परिणाम निकलता है तो अखिल भारतीय आधार पर भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की प्रतिशतता को बढ़ाना वांछनीय हो सकता है ।

(34) यह आवश्यक है कि जिला न्यायाधीशों के स्तर पर "बार" से की जाने वाली सीधी भर्ती जारी रखी जाए ।

— — —

(43) जिला न्यायाधीश का वेतनमान भारतीय प्रशासनिक सेवा के वेतनमान से कम नहीं होना चाहिए ।

विवरण-2

विधि आयोग की नवम्बर, 1978 में प्रस्तुत की गई 77 वीं रिपोर्ट से उद्धरण

अखिल भारतीय न्यायिक सेवा :

9.6 इसके साथ ही, हमारा विचार है कि इस सुझाव पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए कि एक ऐसी अखिल भारतीय न्यायिक सेवा हो जिसका रैंक और जिसके वेतनमान वही हो जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के हैं । संशोधित अनुच्छेद 312 के अनुसार संसद, विधि द्वारा संघ और राज्यों के लिए सम्मिलित एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं (जिसके अन्तर्गत अखिल भारतीय न्यायिक सेवा भी है) के लिए उपबंध कर सकेगी । हम इस बात को जानते हैं कि एक विचारधारा विशेष के व्यक्ति तथा अनेक राज्य अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के सृजन के घोर विरोधी हैं । उनकी आपत्ति मुख्य रूप से इस बात पर आधारित है कि अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष कार्यवाहियां प्रादेशिक भाषाओं में की जाएंगी । इसलिए अन्य राज्यों से आने वाले उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्य अपने कृत्यों का दक्षतापूर्वक निर्वहन करने की स्थिति में नहीं होंगे । इस कठिनाई से तब बचा जा सकता है जब भारतीय प्रशासनिक सेवा में भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के समान ही अखिल भारतीय न्यायिक सेवा में भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों को भी दो वर्ष की अवधि तक प्रशिक्षण दिया जाए । उस अवधि के दौरान वे उस राज्य की प्रादेशिक भाषा से परिचित और उसमें प्रवीण भी हो सकता हैं जिस राज्य को वे अपनी प्रशिक्षण अवधि के पूरा होने के पश्चात् आबंटित किए जाने हैं । अखिल भारतीय न्यायिक सेवा में भर्ती के लिए वकालत की शर्त को कदाचित छोड़ देना पड़ेगा क्योंकि वे अपेक्षाकृत कम आयु में भर्ती किए जाएंगे । किन्तु यह अनिवार्य होना चाहिए कि इस प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने वाले व्यक्ति विधि स्नातक हों ।

अखिल भारतीय सेवा का आकर्षण :

9.6क अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के सृजन के पक्ष में एक कारण वह आकर्षण भी है जो उदीयमान युवक स्नातकों को, जिनके अन्तर्गत विधि स्नातक भी हैं, एक अखिल भारतीय सेवा के प्रति होता है । परिणाम यह है कि उनमें से अनेक भारतीय प्रशासनिक सेवा की प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेते हैं और उसके लिए चुने जाते हैं । यदि भारतीय प्रशासनिक सेवा

के समान रैंक और वेतनमान वाली अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का सृजन किया जाता है तो कदाचित उपयुक्त विधि स्नातकों के लिए न्यायिक सेवा के प्रति अधिक आकर्षण होगा। ऐसी दशा में न्यायिक सेवा में होनहार युवा जनों की कमी नहीं होगी। श्री सीतलवाड़ की अध्यक्षता में विधि आयोग ने भी इस कठिनाई को अनुभव किया था और यह कहा था कि न्यायिक सेवा के प्रति आकर्षित न होने का एक महत्वपूर्ण कारण कार्यपालक अधिकारी की तुलना में न्यायिक अधिकारी की परिस्थिति का लघुतर होना है। विधि आयोग ने इस सम्बन्ध में एक अनुभवी मुख्य न्यायाधिपति के निम्नलिखित विचारों का उल्लेख किया :—

"प्रतिभावान युवक अथवा ऐसे युवा वकील जिनकी अपनी कुछ ख्याति है, न्यायिक सेवाओं से दूर रहते हैं जिसका एक कारण यह है कि जिले के कार्यपालक अधिकारियों की तुलना में जिले के न्यायिक अधिकारियों की प्रास्थिति अपेक्षाकृत लघुतर होती है। पूर्वकाल में, जिला मजिस्ट्रेट के समान ही जिला न्यायाधीश भरतीय सिविल सेवा का सदस्य होता था और जिलें में उसकी स्थिति जिला मजिस्ट्रेट की स्थिति से ऊंची होती थी। वर्तमान प्रणाली के अधीन जिला मजिस्ट्रेट भारतीय प्रशासनिक सेवा का, जो अखिल भारतीय स्वरूप की एक सेवा है सदस्य होता है जबकि जिला न्यायाधीश उच्चतर न्यायिक सेवा का एक सदस्य होता है जो एक राज्य सेवा है। उनके काडरों के प्रवर्ग में जो अन्तर है वह उस प्रास्थिति में प्रतिबिम्बित होता है जो एक दूसरे की तुलना में, उनकी होती है और जो जनता की नजरों में ऊंची या नीची है। जिला मजिस्ट्रेट की तुलना में जिला न्यायाधीश अपने को छोटा समझता है और उसे कम महत्व का व्यक्ति माना जाता है। जिला न्यायाधीश स्वतंत्रता की उस भावना को प्राप्त नहीं कर सकता है जो वह उस स्थिति में प्राप्त कर सकता जबकि वह अपनी सेवा के सम्बन्ध में राज्य सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन न होता।"

राजस्थान के सीमा क्षेत्र के लिये रेडियो/टेलिविजन प्रसारण

7299. श्री नाथू सिंह : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान के साथ बहुत बड़ी अन्तर्राष्ट्रीय सीमा लगती है परंतु बहुत बड़े सीमा क्षेत्र में हमारे स्वयं के रेडियो/टेलिविजन प्रसारण नहीं सुने जाते जबकि सीमापार से शक्तिशाली रेडियो/टेलिविजन प्रसारण किया जाता है और लोगों को स्वाभाविक रूप से उसे प्राथमिकता देनी पड़ती है;

(ख) राजस्थान में आकाशवाणी का केन्द्र पिछली बार कब स्थापित किया गया;

(ग) राजस्थान में नया आकाशवाणी केन्द्र कब स्थापित किया जायेगा; और

(घ) इस अवधि के भीतर राज्य-वार कितने नये आकाशवाणी केन्द्र चालू किये गये ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) राजस्थान में बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर जिलों का सीमान्त क्षेत्र आकाशवाणी के मीडियम वेव

सेवा के दिन के प्राथमिक ग्रेड मीडियम वेव सेवा के द्वारा इस समय पर्याप्त कवर नहीं किया जाता है। न ही उनके पास टी०वी० सुविधाएं हैं। इन सीमावर्ती क्षेत्रों में आकाशवाणी और पाकिस्तान से रेडियो के ट्रांसमीटरों का रिसेप्शन बराबर है, हालांकि पाकिस्तान रेडियो के मुल्तान ट्रांसमीटर से बेहतर रिसेप्शन की रिपोर्ट मिली है।

(ख) राजस्थान में अन्तिम रेडियो स्टेशन उदयपुर में मार्च, 1967 में चालू किया गया था।

(ग) राजस्थान में रेडियो स्टेशन सूरतगढ़ में 1979 में चालू होने की आशा है।

(घ) 1967-1979 की अवधि के दौरान चालू किए जाने वाले नये रेडियो स्टेशनों की राज्यवार एक सूची नीचे दी गई है —

राज्य का नाम	**स्टेशनों की संख्या**
असम	1
बिहार	2
गुजरात	1
हरियाणा	1
जम्मू और काश्मीर	1
केरल	1
मध्य प्रदेश	4
कर्नाटक	2
महाराष्ट्र	4
उत्तर प्रदेश	2
संघ शासित क्षेत्र	
अरुणाचल प्रदेश	2
पाण्डिचेरी	1

बिहार में डीजल की सप्लाई

7300. **श्री राम दास सिंह :** क्या **पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) क्या बिहार राज्य में विशेषकर कोयला तथा इस्पात औद्योगिक क्षेत्रों में डीजल सप्लाई में कमी की गयी है;

(ख) यदि नहीं, तो झरिया, बर्मो कोयला क्षेत्र में डीजल ट्रकों के लिए डीजल क्यों सप्लाई नहीं किया जा रहा है और क्या कभी-कभी बहुत से वाहनों को डीजल पम्पों पर दो दिन तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है;

(ग) क्या सरकार डीजल की नियमित सप्लाई के लिए शीघ्र कोई व्यवस्था करेगी;

(घ) क्या सरकार को औद्योगिक क्षेत्रों में डीजल की कमी के बारे में कोई रिपोर्ट मिली है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार ने अब तक क्या सुधारात्मक कार्यवाही की है?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा): (क) हाई स्पीड डीजल तेल की मांग बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। यद्यपि जनवरी से मार्च, 79 के दौरान बिहार को डीजल की सप्लाई अनुमानित मांग से अधिक की गयी थी परन्तु झरिया और बमर्गो क्षेत्र में फरवरी और मार्च 79 के दौरान इस उत्पाद की सप्लाई में कुछ स्थानीय समस्याएं अनुभव की गयी थीं। यह इस कारण था कि हल्दिया शोधनशाला में कच्चे तेल के शोधन में कमी और आयात की प्राप्ति में विलम्ब हुआ था।

(ख) इसका उत्तर उपर्युक्त (क) में दिया गया है।

(ग) आयातित हाई स्पीड डीजल तेल की अतिरिक्त प्राप्ति और हल्दिया शोधनशाला में कच्चे तेल के शोधन के सामान्य होने के साथ डीजल तेल की सप्लाई को सुधारने के लिए सभी प्रयत्न किए जा रहे हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) उपर्युक्त (ग) में जो कुछ कहा गया है उसके अतिरिक्त रेलवे अधिकारियों के साथ घनिष्ट सम्पर्क बनाए रखा जा रहा है ताकि इस उत्पाद का बेहतर परिवहन सुनिश्चित किया जाए। राज्य सरकार से भी अनुरोध किया गया है कि वह उपलब्ध उत्पाद के समान वितरण को सुनिश्चित करे और काला बाजार करने वाले तथा अन्य कदाचार करने वाले समाज विरोधी तत्वों के साथ कड़ी कार्यवाही करें।

उरकर्व संयंत्र निर्माण तथा औषध एवं तेल उद्योगों में विदेशी हित

7301. श्री धर्म वीर वशिष्ठ: क्या **पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत में उर्वरक संयंत्रों के निर्माण में किस प्रकार के तथा कितने विदेशी हित हैं और किन-किन अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति की फर्मों के पास कितने कितने शेयर हैं और तकनीकी और वित्तीय क्षेत्र में उनका कितना कितना हिस्सा और सहायता है, और

(ख) क्या सरकार का विचार तेल और औषध उद्योगों में उसी प्रकार के सहयोग का विस्तार करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है।

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा): (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

हिमाचल प्रदेश में राम शहर, जिला सोलन में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बोरिंग

7302. श्री गंगा सिंह: क्या **पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रामशहर, जिला सोलन (हिमाचल प्रदेश) में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बोरिंग का काम छोड़ दिये जाने के कारण क्या है; और

(ख) क्या भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था द्वारा बताये गये स्थानों और गहराई तक बोरिंग किया गया था; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) राम शहर कुआ सं० 1 की प्रायोजित गहराई 4000 मीटर थी। सुबाथू भाग की खुदाई करने की योजना थी। लेकिन 1700 मीटर की गहराई तक खुदाई करने के बाद पाओटा थ्रस्ट की उपस्थिति के कारण शिवालिक सक्सेशन की पुनरावृत्ति हुई जिसका पहले अनुमान नहीं था। प्राप्त जानकारी का पुनर्मूल्यांकन किया गया है और यह संकेत है कि सुबाथू की गहराई 6 कि०मी० से अधिक होगी और थ्रस्ट के नीचे कोई एंटिक्लाइन संरचना नहीं है। इस तरह 2648 मीटर की गहराई पर खुदाई रोक दी गई थी।

(ख) जी, हां। भूगर्भीय सर्वेक्षण द्वारा सुझाये गये स्थान पर छिद्रण कार्य किया गया था। लेकिन 2648 मी० की गहराई पर ही कुएं को रोक देना पड़ा था जिसका कारण उपर्यक्त (क) में दिया गया है।

प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित पत्रिकाएं

7303. श्री राम नरेश कुशवाहा : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित अंग्रेजी और हिन्दी पत्रिकाओं के नाम क्या हैं और गत तीन वर्षों में उनमें से प्रत्येक पत्रिका के सम्पादकों तथा अन्य सम्पादन कर्मचारियों के वेतनमानों और अर्हताओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि केन्द्रीय राजभाषा समिति ने दो वर्ष पहले निर्णय किया था कि अंग्रेजी और हिन्दी प्रकाशनों को समान दर्जा और सुविधाएं दी जानी चाहियें; और

(ग) यदि हां, तो कुछ पत्रिकाओं के संबंध में इस निर्णय को क्रियान्वित न करने के क्या कारण हैं तथा निर्णय के क्रियान्वयन का पूरा ब्यौरा क्या है और उसके लिये उत्तरदायी अधिकारियों के विरुध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) एक विवरण संलग्न है। पत्रिकाओं के लिए पूरा सम्पादिकीय स्टाफ केन्द्रीय सूचना सेवा से सम्बन्धित है जिसकी भर्ती संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाती है। पदधारी ग्रेड के अन्दर अन्य पदों पर स्थानान्तरणीय है।

(ख) जी, हाँ।

(ग) केन्द्रीय राजभाषा समिति की सिफारिशें सिद्धान्तत स्वीकार कर ली गई है। तथापि, कतिपय पत्रिकाओं के मामले में इन सिफारिशों का कार्यान्वयन को अन्तिम रूप देने की विभिन्न अवस्थाओं में है।

विवरण

क्रम सं०	प्रकाशन का नाम	आवधिकता	स्टाफ का ढांचा			
			प्रधान सम्पादक (वेतनमान 1500-1800 रु०)	सम्पादक/ वरिष्ठ संवाददाता (वेतनमान 1200-1600 रु०)	सहायक सम्पादक (वेतनमान 1200 रु०)	उपसम्पादक (वेतनमान 650-470-750 रु०)
1.	योजना (अंग्रेजी)	पाक्षिक	1	—	2	1
2.	योजना (हिन्दी)	तदैव	—	1	1	1
3.	कुरुक्षेत्र (अंग्रेजी)	तदैव	—	1	2	1
4.	कुरुक्षेत्र (हिन्दी)	मासिक	—	—	1	1
5.	बाल भारती हिन्दी	तदैव	—	1	—	1
6.	आजकल (हिन्दी)	तदैव	—	1	—	1
7.	आजकल (उर्दु)	तदैव	—	1	—	1
8.	इंडियन एंड फारेन रिव्यू (अंग्रेजी)	पाक्षिक	1	—	2	1

नोट: प्रधान सम्पादक (योजना) के पद के पदधारीय समन्वय और 'योजना' के अन्य सभी भाषायी प्रकाशनों के सम्पादन कार्य की देखभाल के उत्तरदायी हैं। गत तीन वर्षों में उपर्युक्त स्टाफ के ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है सिवाय इसके फरवरी, 1979 में 'बाल भारती' (हिन्दी) का सहायक सम्पादक के पद को बढ़ाकर सम्पादक के पद में बदल दिया गया है।

यह भी उल्लेखनीय है कि एक अन्य पत्रिका 'भगीरथ' (हिन्दी) और (अंग्रेजी) कृषि और सिंचाई मंत्रालय की ओर से प्रकाशन विभाग द्वारा मुद्रित की जाती है किन्तु प्रकाशन विभाग का उस पत्रिका की नीति और स्टाफ ढांचे पर कोई नियंत्रण नहीं है।

गुरुनानक देव तापीय बिजली संयंत्र का कोयले की कमी के कारण बंद किया जाना

7304. **श्री इकबाल सिंह ढिल्लो**
चौधरी बलबीर सिंह
डा० बलदेव प्रकाश
श्री गंगा सिंह : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुरु नानक देव तापीय बिजली संयंत्र को कोयले की कमी के कारण 21 मार्च 1979 को पूरी तरह बन्द कर दिया गया था;

(ख) क्या उक्त संयंत्र केवल कोयले की कमी के कारण से जनवरी से अव्यवस्थित ढंग से चल रहा था;

(ग) यदि हां, तो क्या पंजाब की जनता को इस संयंत्र के बन्द होने के कारण भारी हानियों का सामना करना पड़ रहा है; और

(घ) इस संयंत्र को समय पर कोयले की सप्लाई न करने के क्या कारण हैं ताकि यह संयंत्र नियमित रूप से चलता रहता ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) जी नहीं ।

(ख) कोयले की लिंक मात्रा की उपलब्धता भी इस केन्द्र के प्रचालन में एक बाधा थी ।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता कि पंजाब के लोग भारी हानि उठा रहे हैं क्योंकि ताप विद्युत केन्द्र से विद्युत उत्पादन में हुई कमी को जल-विद्युत उत्पादन में उसी अनुपात में वृद्धि करके पूरी तरह से पूरा कर लिया गया था।

(घ) यह ताप विद्युत केन्द्र सी० सी० एल० और डब्ल्यू० सी० एल० की खानों से सम्बद्ध है और माल डिब्बों की कमी, कोयला सप्लाईकर्ताओं और रेलवे दोनों ही के समक्ष आई श्रमिक-समस्याओं तथा विद्युत केन्द्र द्वारा माल-डिब्बों को मुक्त करने में हुए विलम्ब जैसे कई कारणों से इन दोनों स्रोतों से प्राप्त कोयले की मात्रा आबंटित की गई मात्रा की अपेक्षा कम रही थी ।

कच्चे तेल तथा पैट्रोलियम उत्पादों के आयात को उदार बनाना

7305. श्री यादवेन्द्र दत्त : क्या **पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तारांकित प्रश्न संख्या 391 दिनांक 20 मार्च, 1979 के उत्तर में पेट्रोलियम राज्य मंत्री ने श्री आर० के० अमीन द्वारा विदेशी मुद्रा संबंधी सन्तोषजनक स्थिति को देखते हुए कच्चे तेल तथा पेट्रोलियम उत्पादों के आयात को उदार बनाने संबंधी सुझाव को स्वीकार कर लिया था;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार पेट्रोल और पेट्रोलियम उत्पादों के गैर-सरकारी एजेन्सियों अथवा राजकीय एजेन्सियों के माध्यम से आयात को उदार बनाने का है; और

(ग) क्या उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित सुझाव को पेट्रोलियम राज्य मंत्री द्वारा स्वीकार करने से सरकार की इस घोषित नीति का उल्लंघन नहीं होता कि पेट्रोल और पेट्रोलियम उत्पादों का आयात देश की आवश्यकता के अनुसार राजकीय से राजकीय आधार पर किया जायेगा ।

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) लोक सभा की 20-3-1979 को हुई बैठक के कार्यवृत्त से यह पता चलेगा कि पेट्रोलियम राज्य

मंत्री विदेशी मुद्रा संबंधी संतोषजनक स्थिति को देखते हुए केवल कच्चे तेल तथा पेट्रोलियम उत्पादों के आयात को उदार बनाने संबंधी सुझाव को जांच करने के लिये सहमत हुए थे।

(ख) तथा (ग) कच्चे तेल/उत्पाद के आयात की आवश्यकता का निर्धारण प्रतिवर्ष कुल पेट्रोलियम उत्पादों की अनुमानित मांग, संभावित देशीय कच्चे तेल की उपलब्धता तथा देश में वर्तमान शोधनक्षमता के आधार पर किया जाता है। देश में शोधन [शालाओं में कच्चे तेल के उत्पादन को अनुकूलतम बनाने के पश्चात ही उत्पादों के आयात की योजना बनाई जाती है। इसके साथ ही साथ पेट्रोलियम उत्पादों की खपत में यथासंभव कमी लाने के लिए उपाय किये जा रहे हैं।

हमारे कच्चे तेल और उत्पादों के आयात का अधिकतर भाग तेल उत्पादक देशों की राष्ट्रीय तेल कंपनियों के साथ किये गये ठेकों की शर्तों के अन्तर्गत है। सरकार द्वारा समय समय पर जारी की गई मार्गदर्शी रूप रेखाओं के अनुसार केवल सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के माध्यम से कच्चे तेल व उत्पादों के सारणीबद्ध आयात की व्यवस्था की वर्तमान नीति में कोई अन्तर नहीं आया है। कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के निजी एजेंसियों के माध्यम से आयात की अनुमति देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

गुलबर्गा और भद्रावती रिले स्टेशन

7306. श्री एफ० एच० मोहसिन : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुलबर्गा और भद्रावती स्थित वर्तमान रिले स्टेशनों को पृथक पूर्ण स्टेशन का दर्जा दिया जायेगा, क्योंकि ये स्टेशन काफी समय से कार्य कर रहे हैं, और

(ख) इन्हें पृथक पूर्ण स्टेशन बनाने में कितना समय लगेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) छठी पंचवर्षीय योजना अवधि (1978-83) के दौरान गुलबर्गा और शिमोगा (आकाशवाणी भद्रावती के लिए) में स्थायी स्टूडियो की स्थापना कर के पूर्णरूपेण गुलबर्गा और भद्रावती के सहायक केन्द्रों को मूलरूप से कार्यक्रम तैयार करने वाले पूर्णरूपेण केन्द्रों में बदलने का प्रस्ताव है।

ईटों को पकाने के लिये कोयले की सप्लाई

7307. श्री लखन लाल कपूर : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने कोयला खानों से ईटों को पकाने के लिए कोयले की सप्लाई करना केवल मुगमा-शालनपुर क्षेत्र में सीमित कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उस के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) यह सही है कि ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० से ईंटें पकाने के लिए किए जाने वाले कोयले का आबंटन अधिकतर मुगमा सालनपुर क्षेत्र से ही किया गया है जो घटिया ग्रेड के कोयले का उत्पादन करता है।

(ख) इसके मुख्य कारण इस प्रकार ह :—

(i) इस कोयला क्षेत्र में भारी मात्रा में स्लैक कोयले का स्टाक उपलब्ध है ।

(ii) रानीगंज कोयला क्षेत्र में बढ़िया ग्रेड के कोयले के उत्पादन को गत मानसून में भारी धक्का लगा और इसके फलस्वरूप इन ग्रेडों के स्लैक कोयले को सीमेंट कारखानों, कागज मिलों और स्लैक कोयले के उन अन्य औद्योगिक उपभोक्ताओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए सुरक्षित रखना पड़ा जिनको तकनीकी रूप से ऐसे कोयले की जरूरत पड़ती है । ईंटें भट्ठे तो मुगमा सालनपुर क्षेत्र में उत्पादित घटिया ग्रेड के कोयले का उपभोग भी तकनीकी रूप से कर सकते हैं ।

लद्दाख के कारगिल अंचल में ट्रास, सुरू, और चिकतेन में लघु पन बिजली परियोजनाएं

7308. **श्रीमती पार्वती देवी :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार लद्दाख के कारगिल अंचल में ट्रास, सुरू और चिकतेन में लघु पन बिजली परियोजनाओं के लिए सर्वेक्षण करने और निर्माण के लिए कदम उठाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार रोंग, दुमखार, हानुडों, हुन्द्रार नुबारा और ससूमा-बुबारा में पन बिजली परियोजनाएं प्रारम्भ करने की संभावना की जांच कर रही है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) और (ख) केन्द्रीय जल आयोग ने दरास (3 मेगावाट) और सुरू (4×2.4 मेगावाट) के सर्वेक्षण और अन्वेषण 1973 में पूरे कर लिए थे और प्रारंभिक परियोजना रिपोर्टें तैयार हो गई हैं । इन स्कीमों के क्रियान्वयन पर विचार संबंधित प्राधिकारियों के साथ परामर्श करके उचित समय पर किया जाएगा ।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और जैसे ही यह उपलब्ध हो जाएगी सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

"इराक इन्क्रीजेज क्रूड प्राइसेस" (इराक द्वारा अशोधित तेल) मूल्यों में वृद्धि

7309. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल :** क्या **पैट्रोलियम, रासायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 9 मार्च 1979 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "इराक इन्क्रीजेज क्रूड प्राइसेस" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो 1 मार्च, 1979 से भूतलक्षी प्रभाव से अपने अशोधित तेल के मूल्यों में 9 प्रतिशत तक वृद्धि करने के इराक के निर्णय पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) वर्ष 1979 के दौरान ईराक से सभी प्रकार के तेल कितनी मात्रा में खरीदे जायेंगे और ईराक के तेल के मूल्यों में वृद्धि के कारण कितनी राशि का अतिरिक्त भुगतान करना पड़ेगा ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा): (क) जी, हां।

(ख) जनवरी, 1979 से लागू मूल्यों के ऊपर फरवरी/मार्च 1979 के दौरान कई एक ओपेक सदस्य राज्यों ने निर्धारित मूल्यों पर प्रीमियम जोड़ दिया था। ईराक ने मार्च महीने की अपनी कच्चे तेल की सप्लाई में ऐसा प्रीमियम जोड़ दिया है। जनेवा में 26 मार्च को हुई ओपेक की बैठक में ओपेक सदस्य राज्यों ने 1 अप्रैल, 1979 से माकर कच्चे तेल का मूल्य 14.546 यू०एस० डालर पर निर्धारण का फैसला किया जोकि दिसम्बर 1978 के दामों पर 14.5% की वृद्धि थी। इसके अतिरिक्त प्रत्येक सदस्य राज्य को छूट दी गई है कि यदि वे तर्कसंगत समझे तो वे और प्रीमियम जोड़ दे।

हालांकि सरकार कच्चे तेल के दामों में वृद्धि से अपनी अर्थव्यवस्था पर विपरीत प्रभाव से चिन्तित हैं, ओपेक ने अपने कारणों से तेल आयात करने वाले विकासशील देशों के लिये अलग अलग दामों की धारणा को स्वीकार नहीं किया है।

(ग) इंडियन आयल कोर्पोरेशन तथा ईराकी नेशनल आयल कंपनी के बीच एक ठेके की शर्तों के अनुसार 1979 में ईराक 5.5 मि०मी० टन कच्चे तेल की सप्लाई करेगा। इस के अतिरिक्त ईराक ने वायदा किया है कि उपलब्धता के आधार पर इस वर्ष में एक मि० मी० टन कच्चे तेल की अतिरिक्त सप्लाई करने का भरसक प्रयत्न करेगा। यह संतोष की बात है कि हमारे दुबारा अनुरोध किए जाने पर ईराक ने अपने 1 मि० मी० टन में से 3.50 लाख मी० टन कच्चा तेल जनवरी/मार्च, 1979 में दिया था। जहां तक ईराक द्वारा घोषित कच्चे तेल के मूल्यों में वृद्धि अनुबंध की व्यवस्था के अनुरूप है और यह ओपेक के कच्चे तेल के मूल्यों पर निर्णय के अनुसार है; ईराकी तेल के आयात पर अधिक मूल्य दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

श्रव्य तथा दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा विज्ञापनों के प्रदर्शन पर व्यय किया गया धन

7310. **श्री जी० एम० बनातवाला**: क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) श्रव्य तथा दृश्य प्रचार निदेशालय ने वर्ष 1975-76, 1976-77 और 1977-78 के दौरान, अलग-अलग (एक) विज्ञापनों के प्रदर्शन और (दो) वर्गीकृत विज्ञापनों पर कुल कितना धन व्यय किया था;

(ख) इन वर्षों में उर्दू भाषा के समाचार पत्रों में उपरोक्त प्रकार के विज्ञापनों पर कितना धन व्यय किया गया; और

(ग) क्या उर्दू के लिए आवंटन पर्याप्त मात्रा में बढ़ाने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो कितना ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा वर्ष 1675-76, 1976-77 और 1977-78 के दौरान सजावटी तथा वर्गीकृत दोनों प्रकार के विज्ञापनों पर कुल विज्ञापन व्यय निम्न प्रकार से किया था :—

	सजावटी	वर्गीकृत
(1) 1975-76	1,09,35,726 रुपए	1,11,33,171 रुपए
(2) 1976-77	1,15,97,018 रुपए	1,19,89,604 रुपए
(3) 1977-78	85,84,182 रुपए	1,48,37,487 रुपए

(ख) 1975-76, 1976-77 और 1977-78 के दौरान उर्दू भाषा के पत्रों में (1) सजावटी विज्ञापनों (2) वर्गीकृत विज्ञापनों पर कुल व्यय निम्न प्रकार से किया गया था :—

	सजावटी	वर्गीकृत
(1) 1975-76	10,87,753 रुपए	6,23,155 रुपए
(2) 1976-77	14,54,121 रुपए	7,21,240 रुपए
(3) 1977-78	6,84,699 रुपए	8,13,477 रुपए

(ग) जी, नहीं। उर्दू के पत्रों और पत्रिकाओं पर पहले से ही विशेष विचार किया जा रहा है तथा उसको सरकारी विज्ञापनों का अच्छा भाग मिल रहा है और विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के विज्ञापनों के स्थान तथा मूल्य के मामले में विभिन्न भाषाओं में उनका स्थान तीसरा है।

डी० जी० आई० के पद के लिये स्थायी आदेश

7311. **श्री राजकृष्ण डान** : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा रक्षा मंत्री** : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी० जी० आई० में सैनिक तथा सिविल अधिकारियों में से उच्च पदों को भरने के लिये कोई स्थायी आदेश हैं;

(ख) वैज्ञानिक और सैनिक अधिकारियों के बीच डी० जी० आई० संगठनों के विभिन्न उच्च पदों के वितरण की क्या व्यवस्था है;

(ग) क्या यह सच है कि बराबर की तकनीकी अर्हताओं के बिना जैसा कि सिविल अधिकारियों के लिये आवश्यक है इन संगठनों में बहुत से सैनिक अधिकारियों को स्थायी रूप से खपा लिया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो इन गैर सैनिक संगठनों में इन सैनिक अधिकारियों को स्थायी रूप से खपाने को न्यायोचित ठहराने के लिये संघ लोक सेवा आयोग के अधीन प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों की छानबीन समिति न बनाये जाने के क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी ii के रैंक तक के सभी पदों पर सिविलियन हैं। कोई उच्च पद मंजूर करते समय, उस पद के महत्व को देखते हुए यह निश्चित किया जाता है कि इस पद पर सिविलियन को तैनात किया जाये या सेना के किसी अफसर को।

(ग) यह केवल उन्हीं अफसरों के मामले में सत्य है जो इन्फैन्टरी, आर्मर, आर्टीलरी और आयुध जैसी गैर-तकनीकी कोरों से लिए जाते हैं। उनके लिए निर्धारित की गई अर्हता भिन्न हैं क्योंकि उनके सेवा के अनुभव और संगत क्षेत्र में प्रशिक्षण को ध्यान में रखा जाता है।

(घ) सचिव की अध्यक्षता में एक विभागीय बोर्ड छानबीन करता है और इस बोर्ड में 4 अफसर होते हैं। यह बोर्ड सेवा के लेखे-जोखे, वैयक्तिक अर्हताएं और निरीक्षण महा-निदेशालय में आवधिक तैनाती के दौरान उसकी कार्यकुशलता पर विचार करता है। इस अन्तर सेवा संगठन के लिए यह व्यवस्था पर्याप्त समझी जाती है।

27 मई, 1969 की अधिसूचना 3-3-65 के अन्तर्गत मैसर्स फाइजर द्वारा किया गया उत्पादन

7312. **चौधरी ब्रह्म प्रकाश** : क्या **पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 27 मई, 1969 की अधिसूचना 3-3-65 के अन्तर्गत गत तीन वर्षों के दौरान मैसर्स फाइजर द्वारा कितनी मदों का उत्पादन किया गया, और

(ख) क्या आपात तत्व और लाइसेंस क्षमता के अन्दर 25 प्रतिशत के बारे में इस अधिसूचना की मुख्य शर्त का पालन किया गया था, यदि नहीं तो क्या सरकार इस फर्म द्वारा ऐसे फार्मूलेशनों के उत्पादन पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने पर सहमत है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं।

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हे० न० बहुगुणा) : (क) 27 मई 1969 की अधिसूचना 3(3)/65-केस० III के अन्तर्गत तीन वर्षों के दौरान मैसर्स फाइजर द्वारा केवल एक औषध फार्मूलेशन के निर्माण का दावा किया गया है।

(ख) उपर्युक्त उल्लिखित अधिसूचना के निवर्तन के अनुसरण में इस फार्मूलेशन का निर्माण करने के लिये एक सी० ओ० बी लाइसेंस हेतु मैसर्स फाइजर ने दिनांक 30-8-1978 को एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। मैसर्स फाइजर लि० का यह आवेदन पत्र इस मंत्रालय द्वारा हाल ही में प्राप्त किया गया है। इस फार्मूलेशन का निर्माण करने के लिये इस कम्पनी को सी० ओ० बी० लाइसेंस केवल तब ही दिया जायेगा यदि उसका उत्पादन दिनांक 27-5-1969 की अधिसूचना के अनूसार है।

महाराष्ट्र में खनन गतिविधियों को तेज करना

7313. **श्री केशव राव घोंडगे** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र राज्य में खनन गतिविधियों को तेज करने के लिये क्या प्रयास किये जा रहे हैं;

(ख) इस समय किन स्थानों पर खनिज उत्पादन कार्य जारी है;

(ग) खनिजों का उत्पादन बढ़ाने के बारे में सरकार की क्या नीति है; और

(घ) क्या महाराष्ट्र सरकार ने इस बारे में केन्द्रीय सरकार को कुछ सुझाव दिये हैं और यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) और (ग) महाराष्ट्र में खनिज निक्षेपों की खोज और मूल्यांकन के लिए महाराष्ट्र सरकार के भूविज्ञान और खनन निदेशालय द्वारा तथा केन्द्रीय संस्था भारतीय भू-सर्वेक्षण द्वारा अधिक से अधिक क्षेत्र में भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और खनिजों का पता लगाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इनके अलावा, खनिज भंडार के दोहन के लिए 1973 में महाराष्ट्र राज्य खनन निगम की स्थापना की गई है। इस निगम द्वारा सीमेंट कारखाने, निम्नतापीय कार्यनीकृत संयंत्र आदि खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य सरकार भी अपने विभिन्न संगठनों जैसे भूविज्ञान और खनन निदेशालय, विकास निगमों आदि की मार्फत खनिज आंकड़े, आधारभूत सुविधाएं और ऋण आदि प्रदान कर उद्यमियों को प्रोत्साहन देती है।

(ख) राज्य के प्रायः प्रत्येक जिले में इमारती पत्थर, बालू आदि गौण खनिजों की खुदाई होती है। इस समय कोयला, लौह अयस्क, चूनापत्थर, बाक्साइट, मैंगनीज, सिलिकारेत, काइनाइट, सिलिमेनाइट खनिज मिट्टियां आदि प्रमुख खनिज नागपुर जिले के नागपुर, रामटेक, ऊरमेर और सावनेर तहसीलों, भंडारा जिलों, चन्द्रपुर जिलें की चन्द्रपुर, बरारा, राजूरा, गादचिरोली तहसीलों, यवतमान जिले की बनी तहसील, रत्नगिरि जिले की बेनगुर्ला, कनकावली, कुडाल, राजापुर, मालवन तहसीलों, कोल्हापुर जिले की चंगाद, अजरा, राधानागरी तहसीलों में पाए जाते हैं।

(घ) महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में खनिज और उद्योगों के विकास हेतु रेल सुविधाओं सहित आधारभूत सुविधाओं हेतु तथा सरकारी क्षेत्र में खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना हेतु समय-समय पर केन्द्र सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। इस प्रस्ताव पर समुचित निर्णय लेने से पूर्व उनकी कई कारकों को ध्यान में रख कर जांच की जाती है।

फरवरी, 1979 के दौरान हेलीकाप्टर तथा विमान दुर्घटनाएं

7314 **श्री वीरेन्द्र प्रसाद** : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फरवरी, 1979 में सेना के कितने हेलीकाप्टर तथा विमान दुघटनाग्रस्त हुए और उन दुर्घटनाओं के क्या कारण हैं;

(ख) उनमें कितने व्यक्तियों की जानें गईं; और

(ग) कितनी अनुमानित हानि हुई ?

उप प्रधान मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (ग) फरवरी 1979 में सेना का एक हेलीकाप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था जिसमें सेना के दो पाइलट मारे गए। दुर्घटना का पता लगाने के लिए गठित जांच अदालत का कार्य पूरी अभी नहीं हुआ है।

फिल्म वित्त निगम द्वारा दिया गया ऋण

7316. **श्री हरगोविन्द वर्मा**: क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) फिल्म वित्त निगम द्वारा अब तक कितनी राशि का ऋण दिया जा चुका है;

(ख) इस में से कितना ऋण वसूल हो चुका है; और

(ग) अभी तक वसूल न हुए ऋण संबंधी ब्यौरा क्या है और उसको वसूल करने के लिये क्या प्रबंध किए जा रहे हैं।

सूचना और प्रारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) और (ख) दिसम्बर, 1978 तक फिल्म वित्त निगम ने 288.74 लाख रुपए के ऋण का भुगतान कर दिया था जिसमें से 131.79 लाख रुपयों की वसूली हो गयी है।

(ग) 31 दिसम्बर, 1978 तक बकाया ऋणों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। सभी मामलों में जहां ऋण की अदायगी समय पर नहीं होती है, कानूनी कारवाई की जा चुकी है। सर्वप्रथम मामला ऋण के करार की शर्तों के अनुसार मध्यस्थ को सौंपा जाता है और उसके बाद निर्णय को न्यायालय में डिक्री प्राप्त करने के लिए फाइल किया जाता है और तब सामान्य अवस्था में डिक्री तामील की जाती है।

विवरण

31 दिसम्बर, 1978 तक फिल्म वित्त निगम के संबंध में बकाया ऋणों के ब्यौरे।

क्रम सं०	निर्माता का नाम	फिल्म का नाम	31 दिसांबर, 1978 तक बकाया	
			मूल रु०	ब्याज रु०
1	2	3	4	5
1.	चित्रा शारदा	ते माझे घर	8907.69	—
2.	चित्रा निकेतन	फकीरा	118449.08	2000.89
3.	रचना फिल्म	प्यास	469500.00	261177.41
	लेखा नं० 1	प्यास	62566.30	—
	लेखा नं० 2			
4.	आनन्द फिल्म	आग और पानी	233903.00	28845.17
5.	बिमल राय पिक्चर्स	दो दुनी चार	165000.00	—
6.	रूप रेखा	जन्म भूमि	200000.00	10693.95

1	2	3	4	5
7.	जुल वेलियन	नया जन्म	200000.00	34569.82
8.	गिरिनार चित्राकेला	बहुरूपी	62329.11	4561.25
9.	लल्ला मनोहर	अलेवा तूफान दरयाला	94954.40	31515.47
10.	कान्तिलाल राठोड़	कन्कू	124500.00	—
11.	रोचक पंडित	उसकी रोटी	259606.92	82679.60
12.	चितनदास गुप्ता	बिलेट फेरात	235500.00	55796.67
13.	प्रेम कपूर	बदनाम बस्ती	195694.77	2381.37
14.	राज मारब्रो	त्रिसन्ध्या	215500.00	48909.09
15.	सत्य देव गौविंद प्रोडक्शन	शांतता कोर्ट चालू है	115000.00	—
16.	मणि कौल	अशर्द का एक दिन	202669.00	40631.44
17.	अरुणदत्ती देवी	पादी पिसिर बर्मी	217800.00	48161.26
18.	गजानन जागीरदार	दोन्हीं गरला पहुना	78349.91	—
19.	सुरेश सैंगल	संकल्प	308964.66	43320.51
20.	अर्जुन देव रश्क	सशा	248615.07	42203.47
			3817809.91	737447.31
		पिछला योग	3817809.91	737447.31
21.	ए० के० फिल्म	ग्रहण	253461.71	17776.90
22.	कुमार टी० शन्नी	माया दर्पण	288954.00	15176.74
23.	गिरीश वैध	आक्रांत	161304.00	10568.41
24.	निरंजन पटनायक	मनसारा बिलाप	150000.00	10402.91
25.	रीटो प्रोडक्शंस	जुक्ति ताको और गप्पो	264838.44	—
26.	अवतार कृष्ण कौल	27 डाउन	297626.74	—
27.	काव्य चित्रा	धकम	138665.89	—
28.	यूनिट 3 एम० एम०	गरम हवा	158759.49	—
29.	मृणाल सेन	पदातिक	253339.10	—
30.	गिरीश रंजन	डाक बंगला	257068.39	—
31.	मणि कौल	दुविधा	70675.00	—
32.	समानान्तर चित्रा	परिणय	72574.60	—
33.	एस० एस० राव	दिगात्रा पार्वती	87056.94	—
34.	श्यामल गुहा	ताशेर देश	240000.00	—
35.	प्रचाला मूवीज	त्याग पत्र	430000.00	—
36.	प्रकाश अरोरा	न्यू ब्रिज आन नर्मदा	37875.99	—
37.	रमेश धानी पिक्चर्स	मनसई ना दिचा	155331.35	—
38.	आर० एस० बेदी	बाँखी देखी	447463.04	—

1	2	3	4	5
39.	अली सरदार जाफरी	डा० मोहम्मद इकबाल	—	—
40.	टी० पी० रामा रेड्डी	चंदा मारुता	143502.93	—
41.	शिवेन्द्र सिन्हा	ह्यूमेन डिगनिटी	—	—
42.	हीरो एच० अडवानी	क्रास रोड्स	150000.00	—
		इंडियन सिनेमा सिंस 1899		
43.	युक्त फिल्म सोसायटी लि०	अरविंद देसाई की अजीब		
		दास्ता	429010.35	—
44.	डी० डी० गर्ग	इट इज इंडियन	—	—
		इट इज गुड	—	—
45.	सरैया प्रोडक्शन	महाकवि ननलाल	11000.00	—
46.	प्रेम सिंह वर्मा	दि लास्ट टाइगर	251057.29	—
47.	मूसाफिर अली	गबन	443871.67	—
48.	बिमल दत्त	कस्तूरी	449864.59	—
49.	फाल पिलिमोरिया	लाइफ इंसोरेंस		
		कारपोरेशन लि०	—	—
50.	देवकी चित्रा	शतरंज के खिलाड़ी	500000.00	—
51.	बी० डी० गर्ग	वर्कर्स एंड प्रोडक्टीविटी	30000.00	—
52.	बी० डी० गर्ग	श्रीमती कमला देवी		
		चट्टोपाध्याय	29058.00	—
53.	एस० सुखदेव	डी० आन मीना कुमारी	56840.28	—
54.	रवीन्द्र गुप्ता	तरंग	166273.11	—
			10243303.29	791372.33

औद्योगिक गृहों तथा राजनीतिक न्यासों द्वारा नियंत्रित राष्ट्रीय दैनिक समाचार-पत्र

7317. **श्री के० मालन्ना :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक गृहों और राजनीतिक न्यासों के नियंत्रण में विभिन्न राष्ट्रीय दैनिक समाचार-पत्रों द्वारा एकत्र की गई विदेशी धनराशि और लेखा बाह्य धनराशि का कोई अनुमान लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे समाचार-पत्रों के नाम क्या हैं तथा ऐसी धनराशि कितनी है; और

(ग) क्या सरकार का विचार समाचार-पत्रों को किसी दबाव से मुक्त रखने के लिए प्रैस की स्वतन्त्रता बनाये रखने हेतु जांच करने का है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) तथा (ख) मामले का कोई सामान्य मूल्यांकन नहीं किया गया है तथापि जब भी दैनिक पत्रों के लेखों की जांच पड़ताल के दौरान विना हिसाब किताब की रकमें ध्यान में आती हैं, उनके मालिकों के आयकर निर्धारण में आवश्यक जांच की जाती है।

(ग) सरकार समाचार माध्यमों की स्वतन्त्रता से सम्बन्धित है और प्रेस आयोग सभी प्रकार के दबावों से प्रेस की स्वतन्त्रता के परिरक्षण के प्रश्न की जांच करेगा।

लाइसेंस क्षमता के आधार पर सरकारी माध्यम से आयात किए जाने वाले कच्चे माल का रिलीज किया जाना

7318. **श्री फूल चन्द वर्मा : क्या पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या उनके मन्त्रालय के पास सभी मामलों में लाइसेंस क्षमता के स्तर पर सरकारी माध्यम से आयात किए जाने वाले कच्चे माल की रिलीज़ को सीमित करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो ऐसा कब किया जाएगा;

(ख) क्या यह सच है कि कडीला को एम्पीसिलीन एनहाइडस की रिलीज़ गत खपत अथवा 1976-77 की रिलीज़ के आधार की बजाए सभी मदों को एक साथ मिलाकर निर्धारित अस्थायी क्षमता के आधार पर सिफारिश की गई है, इस मामले में नीति के उल्लंघन करने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या उनके पक्ष में अनुमोदित समग्र लाइसेंस क्षमता के आधार पर निर्माताओं द्वारा वांछित सीमा तक सरकारी माध्यम से आयात किए जाने वाले कच्चे माल की रिलीज़ की अनुमति देने के लिए सरकार का कोई प्रस्ताव है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) नई औषध नीति के एक भाग के रूप में सरकार ने डी०जी०टी०डी० के प्रत्येक एकक को एक समेकित लाइसेंस जारी करने का निर्णय किया है जिसमें किसी विशेष बल्क औषध पर आधारित फार्मूलेशनों के लिए बल्क औषध की मात्रा के अनुसार क्षमता दर्शाई जाएगी। एक बार ऐसा करने पर सरणीबद्ध बल्क औषधों की सप्लाई स्वत: ही डी० जी० टी० डी० एककों की लाइसेंस शुदा क्षमता के अनुसार हकदारी से सम्बद्ध हो जाएगी।

समेकित लाइसेंस जारी करने के उद्देश्य से सम्बन्धित एककों से आंकड़े एकत्र किए गए हैं। जहां कुछ एककों ने उत्तर दिया है, लेकिन कुछ ने अभी उत्तर नहीं दिया है। इस प्रकार प्राप्त आंकड़ों की जांच करना आवश्यक है और कुछ मामलों में कम्पनियों के साथ पर्याप्त पत्राचार हुआ है। इसके अलावा समेकित लाइसेंस जारी करने के लिए भी आई० डी० आर० अधिनियम, 1951 के कुछ प्रावधानों में संशोधन करना अपेक्षित है। इस बात को ध्यान में रखते हुए यह बताना कठिन है कि समेकित लाइसेंस जारी करने का कार्य कब तक पूरा हो जाएगा।

(ख) वर्ष 1977-78 तक मैसर्स कादिला लैबोरेटरीज को एक लघु उद्योग एकक माना जाता था। 1977-78 के अन्त में इस कम्पनी का स्वरूप एक डी० जी० टी० डी० एकक में बदलने के बाद उनको एक सी० ओ० बी० लाइसेंस जारी किया गया था। वर्ष 1978-79 के लिए इस कम्पनी को एक डी० जी० टी० डी० एकक के रूप में एम्पीसिलीन एनहाइड्रस सहित सरणीबद्ध बल्क औषधों की सप्लाई की जा रही है। एम्पीसिलीन एनहाइड्रस के मामले में स्टेट कैमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (सी० पी० सी०) ने मन्त्रालय से यह स्पष्टीकरण मांगा कि क्या उनको कादिला के सी० ओ० बी० लाइसेंस में दर्शाई गई अस्थायी क्षमता के सन्दर्भ में मात्रा की सप्लाई की जाए। जून 15, 1978 को सी० पी० सी० को सलाह दी गई कि वे वर्ष 1978-79 के प्रथम 6 महीनों में सप्लाई की मात्रा को 1977-78 की सप्लाई के 50 प्रतिशत तक सीमित करें। तथापि पार्टी ने इस निर्णय के खिलाफ अभ्यावेदन दिया था, इसे ध्यान में रखते हुए 7 जुलाई 1978 को सी० पी० सी० को सलाह दी गई थी कि वे उक्त पार्टी को उनकी हकदारी निश्चित करने तक 3240 किलोग्राम की एम्पीसिलीन एनहाइड्रस की सप्लाई की अनुमति दे दें। इसके अलावा 3 अक्तूबर 1978 और 7 मार्च 1979 को क्रमशः 3240 किलोग्राम और 2000 किलो ग्राम एम्पीसिलीन एनहाइड्रस की सप्लाई की भी अनुमति दी गई थी। एम्पीसिलीन एनहाइड्रस की सप्लाई के लिए यह सिफारिश मैसर्स कादिला लैबोरेटरीज को 28 फरवरी 1977 को जारी किए गए सी० ओ० बी० लाइसेंस में दर्शाई गई अस्थायी क्षमता पर आधारित थी, उक्त सी० ओ० बी० लाइसेंस प्रारम्भ में अगस्त 1978 तक वैध था लेकिन बाद में उसे 1978-79 तक बढ़ा दिया गया था, जबकि कम्पनी की अन्तिम क्षमता को उनके वास्तविक उत्पादन के आधार पर निर्धारित किए जाने की आशा थी।

(ग) इस आशय का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

कोयले की कमी के कारण उर्वरक संयंत्रों में उत्पादन में गिरावट

7319. **श्री अनन्त राम जायसवाल :** क्या **पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या कोयले की कमी के कारण वर्ष 1978 के अन्तिम 6 महीनों में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के उर्वरक सन्यन्त्रों में उत्पादन में गिरावट आई है और भटिन्डा तथा पानीपत के उर्वरक सन्यन्त्र चालू किए जाने में विलम्ब हुआ है;

(ख) यदि हां, तो 1 जुलाई से 31 जनवरी, 1979 तक की अवधि के दौरान सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के उर्वरक सन्यन्त्रों को अलग-अलग कितना कोयला सप्लाई किया गया और यह मात्रा उनकी अनुमानित मांग की मात्रा से कितनी कम थी; और

(ग) उन उर्वरक सन्यन्त्रों ने 1 जुलाई, 1978 से 31 जनवरी, 1979 तक की अवधि के दौरान कितनी मात्रा में फास्फेटी और नाइट्रोजनी उर्वरकों का उत्पादन किया और पिछले वर्ष के उत्पादन की तुलना में यह स्थिति क्या है ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) यद्यपि वर्ष 1978-79 के दूसरे अर्ध (अक्तूबर 1978 से मार्च 1979) के दौरान नाइट्रोजन का उत्पादन वर्ष 1978-79 के पहले अर्ध (अप्रैल 1978—सितम्बर 1978) के उत्पादन से अधिक है। फिर भी सरकारी क्षेत्र में गोरखपुर तथा नंगल (विस्तार) यूनिट और गर-सरकारी क्षेत्र में कोटा एकक नामक कुछ संयन्त्रों में कोयले की अपर्याप्त सप्लाई के कारण दूसरे अर्ध में उत्पादन पर प्रभाव पड़ा।

इसके अतिरिक्त, कोयले की अपर्याप्त सप्लाई के कारण भटिण्डा और पानीपत परि-योजनाओं के प्रारम्भ होने में भी विलम्ब हुआ था।

(ख) जुलाई 1978—जनवरी 1979 की अवधि के दौरान कोयले की सप्लाई की गई मात्रा तथा प्रभावित एककों में अनुमानित खपत की कमी की प्रतिशतता निम्न प्रकार है :—

यूनिट का नाम	सप्लाई की गई मात्रा (000 मी० टन)	अनुमानित खपत की कमी की प्रतिशतता
1. सरकारी क्षेत्र :		
1. गोरखपुर . . .	74.5	7.8
2. नंगल विस्तार . . .	120.0	36.2
2. गैर-सरकारी क्षेत्र :		
1. कोटा . . .	81.0	27.7

(ग) जुलाई 1978—जनवरी 1979 की अवधि तथा गत वर्ष की तद्नुरूपी अवधि के दौरान यूनिट-वार उत्पादन दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(000 मी० टन में)

संयंत्र	1-7-78 से 31-1-79 के दौरान उत्पादन		1-7-77 से 31-1-78 के दौरान उत्पादन		कमी की मात्रा	
	नाइट्रोजन	फास्फेट	नाइट्रोजन	फास्फेट	नाइट्रोजन	फास्फेट
1	2	3	4	5	6	7
सिन्दरी	—	1.7	5.6	—	—5.6	+1.7
गोरखपुर	54.0	—	54.7	—	—0.7	—
नामरूप	21.4	—	25.9	—	—4.5	—
नामरूप विस्तार	44.4	—	33.6	—	+10.8	—

1	2	3	4	5	6	7
दुर्गापुर	27.3	—	34.1	—	—6.8	—
बरौनी	38.5	—	30.0	—	+8.5	—
ट्राम्बे	53.9	22.5	51.8	22.7	+2.1	—0.2
ट्राम्बे	20.8	20.8	—	—	+20.8	+20.8
नंगल	41.7	—	34.3	—	+7.4	—
नंगल विस्तार	34.6	—	1.7	—	+2.9	—
उद्योग मंडल	30.7	17.0	33.5	17.7	—2.8	—0.7
कोचीन I	58.1	—	43.0	—	+15.1	—
कोचीन II	19.0	31.3	11.7	16.5	+7.3	+14.8
राऊरकेला	44.8	—	43.7	—	+1.1	—
नैवेली	25.6	—	27.5	—	—1.9	—
मद्रास	91.5	65.9	80.6	59.4	+10.9	+6.5
उप-उत्पाद	14·9	—	12·7	—	+2·2	—
वाराणसी	2·8	—	2·5	—	+0·3	—
इन्दौर	4·8	6·5	5·2	6·5	—0·4	—
बड़ौदा	92·1	22·6	95·8	23·3	—3·7	—0·7
विजाग	40·1	40·8	38·0	40·1	+2·1	+0·7
कोटा	65·1	—	79·8	—	—14·7	—
कानपुर	112·9	—	121·8	—	—8·9	—
गोवा	85·6	18·2	93·2	20·4	—7·6	+2·2
टूटीकोरिन	106·2	23·4	111·2	12·6	—5·0	+10·8
मंगलौर	84·4	—	44·3	—	+40·1	—
आई०एफ०एफ० सी०ओ०	147·6	101·6	123·8	91·8	+23·8	+9·8
खेत्री	—	9·8	—	—	—	+9·8
एस० एस० पी०	—	98·4	—	93·6	—	+4·8
योग :	1362·8	480·5	1240·0	404·6	+122·8	+75·9

गन कैरिज फैक्टरी, जबलपुर में हड़ताल

7320. श्री शरद यादव : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गन कैरिज फैक्टरी, जबलपुर में श्रमिकों के निलम्बन के मामले को लेकर फैक्टरी में पूरी हड़ताल है और काम पूरी तरह से रुक गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं; और

(ग) हड़ताल समाप्त करने की दृष्टि से फैक्टरी के दोषी अधिकारियों को सजा देने के लिए तथा प्रभावित हुए श्रमिकों के हित में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

बम्बई हाई के लिए गैस का अधिक भण्डार तथा राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश को इसकी पाईप लाइनों द्वारा सप्लाई

7321. **श्री राम किशन** : क्या **पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई हाई तथा साउथ बसीन में गैस के विशाल अतिरिक्त भण्डार पाये गए हैं;

(ख) यदि हां, तो वहां से गैस की कितनी अतिरिक्त मात्रा प्राप्त होने की आशा है;

(ग) इस गैस का उपयोग करने के बारे में सरकार का प्रस्ताव क्या है; और

(घ) क्या केन्द्र सरकार इस गैस को पाईप लाइनों द्वारा राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश को सप्लाई करने तथा वहां उर्वरक कारखाने स्थापित करने के एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) उत्तर बेसिन के उत्तर में महत्वपूर्ण गैस भण्डार मिलने तथा दक्षिण बेसिन में पूर्वानुमानों से अधिक गैस के भण्डार होने की सम्भावना होने के फलस्वरूप समुद्री क्षेत्र से गैस की उपलब्धता का अनुमान पहले से अच्छा है।

(ख) गैस सप्लाई का निश्चित मूल्यांकन ओ० एन० जी० सी० द्वारा किया जा रहा है और मई जून, 1979 तक स्थिति स्पष्ट होने की सम्भावना है ओ० एन० जी० सी० का अनुमान है कि स्वतन्त्र गैस की उपलब्धता 17-27 मि० घन मीटर प्रतिदिन होगी जबकि पूर्वानुमान 10 मिलियन घन मीटर प्रतिदिन का था।

(ग) गैस की उपलब्धता की संभावित वृद्धि को ध्यान में रखते हुए 19 मार्च, 1979 को एक कार्यकारी दल का गठन किया गया था जो कि अन्य बातों के साथ-साथ कच्चे तेल/स्वतन्त्र गैस और संबद्ध गैस के उत्पादन कार्यक्रम को विचार में रखते हुए समुद्री गैस के अधिकतम आर्थिक उपयोग के लिए सिफारिश करेगा। यह कार्यकारी दल गैस के अधिकतम उपयुक्त परिवहन तथा समुद्री गैस को तट पर किस स्थल पर लाया जाये आदि की भी जांच करेगा। इस कार्यकारी दल से कहा गया है कि वह अपनी रिपोर्ट दो महीनों की अवधि में प्रस्तुत करे। इस रिपोर्ट की प्राप्ति पर सरकार समुद्री गैस के विभिन्न प्रयोगों जैसे उर्वरकों का उत्पादन आदि के सम्बन्ध में निर्णय करेगी।

(घ) राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकारों से यह अनुरोध प्राप्त हुए हैं कि समुद्री गैस पर आधारित उर्वरक सन्यन्त्र इन राज्यों में स्थापित किए जायें। समुद्री गैस पर आधारित अतिरिक्त उर्वरक क्षमता की योजना पर विचार करते समय अन्य राज्यों के सुझावों सहित राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकारों के सुझावों को भी ध्यान में रखा जायेगा।

नई दिल्ली में मनोहर पार्क में डी-ब्लाक में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था

7322. श्री दाजीवा देसाई : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनोहर पार्क, नई दिल्ली-26 में डी० ब्लाक में एक गली में स्ट्रीट लाइट की कोई व्यवस्था नहीं की गयी है और वहां एक भी बिजली का खम्भा नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और उसके परिणामस्वरूप होने वाली अत्यधिक असुविधा को पूरा करने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) पश्चिम दिल्ली के मनोहर पार्क का अधिकांश रूप से विद्युतीकरण कर दिया गया है। तथापि, डी-ब्लाक में एक गली में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था नहीं है।

(ख) दिल्ली नगर निगम के क्षेत्र में गलियों में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था इसके सामान्य स्कन्ध द्वारा की जाती है। मनोहर पार्क, नई दिल्ली के डी-ब्लाक में प्लाट सं० 9 से 22 तक की सर्विस लेन में स्ट्रीट लाइट के लिए निधि की व्यवस्था करने के लिए दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने दिल्ली नगर निगम के सामान्य स्कन्ध को तथा इस क्षेत्र के निगम पार्षद को लिखा है।

कर्नाटक में ब्रिटेन के सहयोग से ग्राम विकास परियोजनाएं

7323. श्री के० एस० वीरभद्रप्पा : क्या **पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :--

(क) क्या ब्रिटिश सरकार तथा तुंगभद्रा ग्रामीण बैंक के सहयोग से रायचूर जिले में हरूर में तथा कर्नाटक में बेलारी जिले में संगनकल में मंगलौर कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स द्वारा 1976 में आरम्भ की गई ग्राम विकास परियोजना के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उर्वरकों के रूप में बिटेन सरकार द्वारा दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है ?

पट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) निर्धारित किए गए लक्ष्यों के बारे में ब्यौरे देने वाला एक विवरण पत्र संलग्न है।

(ख) यू० के० सरकार द्वारा 17:17:17 एन० पी० के मिश्रित उर्वरकों के रूप में निम्नलिखित सहायता उपलब्ध की गई है :—

वर्ष	मात्रा (टन)	मूल्य (एस० पौण्ड)
1978-79	1,200	1,56,000
1979-80	1,500	1,95,000

उपरोक्त में से 17:17:17 एन० पी० के मिश्रित उर्वरक के 1186 टन अक्तूबर 1978 में प्राप्त किए गए थे तथा उर्वरक की शेष मात्रा जून 1979 के दौरान प्राप्त होने की सम्भावना है ।

विवरण

ब्रिटिश सरकार—मंगलौर कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स तुंगभद्रा ग्रामीण बैंक ग्राम विकास (ग्राम विकास) परियोजना के अधीन कर्नाटक के बैलारी जिले के संगनकल तथा रायपुर जिले के हरूर, दो गांवों के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्यों के ब्यौरों को दर्शाने वाला विवरण पत्र :—

लक्ष्यों के ब्यौरे	संगनकल	हरूर
1. परियोजना के अन्तर्गत आने वाले किसान परिवारों की कुल संख्या	200	709
2. परियोजना के अधीन कुल क्षेत्र	1,000 एच०ए०	2,312 एच० ए०
3. सिंचाई साधनों का इष्टतम उपयोग	648 एच०ए०	1,518 एच०ए०

निम्नलिखित सहित अन्य लक्ष्य

(क) फसल पद्धति में परिवर्तन, जिससे कि दुगनी फसल प्राप्त की जा सके

(ख) फसलों का सन्तुलित उपजाऊपन

(ग) उच्च उत्पादकता किस्मों के साथ विकसित किया जाने वाला समस्त क्षेत्र ।

(घ) प्रति हेक्टेयर उत्पादकता को इष्टतम बनाना

(च) भेड़ पालन, सुअर-बाडा, डेरी फार्म, हाथकरघा तथा कुटीरउद्योगों आदि की वृद्धि का विकास

(छ) अच्छी आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना तथा परिवार कल्याण कार्यक्रमों, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों तथा सांस्कृतिक कार्यकलापों को प्रोत्साहन ।

काठमाण्डू में भारत और नेपाल के इंजीनियरों की बैठक

7324. श्री उग्रसेन : क्या **ऊर्जा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) करनाली, भालुवाग और पंचेश्वर परियोजनाओं के लिए पूरा सर्वेक्षण करने के सम्बन्ध में नेपाल सरकार के निमन्त्रण पर हाल ही में काठमांडू में भारतीय और नेपाली इंजीनियरों की संयुक्त बैठक हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या मुख्य निर्णय लिए गए;

(ग) क्या उक्त नदी घाटी परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए विश्व बक को ऋण सम्बन्धी आवेदन-पत्र प्रस्तुत किए गए हैं; और

(घ) (घाघरा नदी पर) करनाली परियोजना पर निर्माण-कार्य कब तक आरम्भ किया जाएगा ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) (1) राप्ती (भालुभंग) परियोजना के बारे में विचार-विमर्श करने के लिए एक भारतीय प्रतिनिधि मण्डल मार्च, 1978 में काठमांडू गया था।

(2) करनाली परियोजना के कार्यान्वयन के लिए गठित समिति, जिसमें भारतीय और नेपाली अधिकारी शामिल हैं, की एक बैठक नवम्बर, 1978 में काठमांडू में हुई थी।

(3) पंचेश्वर परियोजना से सम्बन्धित संयुक्त विशेषज्ञ दल, जिसमें महामहिम नेपाल सरकार और भारत सरकार के प्रतिनिधि शामिल थे, की पहली बैठक अप्रैल, 1978 में नई दिल्ली में हुई थी और बाद में, नवम्बर-दिसम्बर, 1978 में एक संयुक्त दल ने परियोजना स्थल का दौरा अन्वेषणात्मक कार्य के भाग के रूप में किया था।

(ख) (1) राप्ती (भालुभंग) के बारे में, भारत-नेपाली संयुक्त तकनीकी समिति के निर्देशन में आगे अन्वेषण करने का प्रस्ताव है।

(2) करनाली परियोजना के बारे में, परियोजना के विभिन्न पहलूओं पर दल की रिपोर्टों को अन्तिम रूप देने का फैसला किया गया था ताकि समिति को अन्तिम सिफारिशें दोनों सरकारों को की जा सकें।

(3) पंचेश्वर परियोजना के सम्बन्ध में, संयुक्त तकनीकी समिति ने दो वर्ष की अवधि में अन्वेषण-कार्य पूरे करने का प्रस्ताव किया है। इस समिति में महामहिम नेपाल सरकार के तथा भारत सरकार के प्रतिनिधि शामिल हैं। भारतीय और नेपाली दल द्वारा अतिरिक्त अन्वेषणों के लिए संयुक्त रूप से तैयार की गई रिपोर्ट विचाराधीन है।

(ग) हमें ऋण सम्बन्धी ऐसे किसी आवेदन-पत्र की जानकारी नहीं है जो इन नदी घाटी परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक को भेजा गया हो। तथा

(घ) निर्माण के कार्यक्रम को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

योजना आयोग द्वारा प्रकाशित पत्रिकायें

7325. **श्री सचीद लाल सिंदा**
श्री एम० ए० हनान अलहाल } : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना आयोग द्वारा प्रकाशित पत्रिकायें कौन-कौन सी हैं;

(ख) इनके परिचालन का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन पत्रिकाओं की मानार्थ प्रतियां मान्यता प्राप्त सम्वाददाताओं और भाषायी दैनिक समाचार-पत्रों के सम्पादकों को वितरित नहीं की जाती हैं;

(घ) यदि नहीं, तो इसके विस्तृत कारण क्या हैं;

(ङ) क्या यह सच है कि योजना आयोग की दिन प्रतिदिन के समाचार भाषायी समाचार-पत्रों में प्रकाशित नहीं होते हैं;

(च) यदि हां, तो इसके विस्तृत कारण क्या हैं; और

(छ) ग्रामीण लोगों को सूचना के प्रचार के लिए योजना आयोग और भाषायी समाचार-पत्रों के बीच बेहतर सम्पर्क समन्वय हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) अंग्रेजी और हिन्दी की इन पत्रिकाओं की भेंट रूप में [प्रतियां चुने हुए प्रेस प्रतिनिधियों और सम्पादकों में वितरित की जाती हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, नहीं। योजना आयोग की गतिविधियों के बारे में भारतीय भाषायी समाचार पत्रों में पर्याप्त कवरेज दिया जाता है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) लोगों को सूचना देने, विशेषकर गांव में रहने वाले लोगों को बेहतर जीवन यापन के लिए नए तरीके तथा योजना के सम्बन्ध में सूचना देने के लिए कई कदम पहले ही उठाए जा चुके हैं। दिए जाने वाले सन्देश तथा श्रोताओं या पाठकों को ध्यान में रखते हुए योजना आयोग द्वारा प्रकाशित पत्रिकाओं, समाचार पत्रों और पत्रिकाओं, समाचार बुलेटिनों और आकाशवाणी के कार्यक्रम सभी का प्रयोग किया जाता है। इन उपायों पर बराबर पुनर्विलोकन किया जाता है और बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए योजना आयोग से आवधिक बैठकें की जाती हैं।

विवरण

क्रम संख्या	पत्रिका का नाम	परिचालन
1.	योजना (अंग्रेजी)	8778
2.	योजना (हिन्दी)	5431
3.	योजना (तमिल)	3975
4.	योजना (मराठी)	2741
5.	योजना (बंगला)	2326
6.	योजना (गुजराती)	2918
7.	योजना (तेलुगु)	2069
8.	योजना (मलयालम)	2800
9.	योजना (असमिया)	1625

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड द्वारा प्राकृतिक "सोफ्ट कोक" का पता लगाया जाना

7326. **श्री युवराज**: क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत कोकिंग कोल लिमिटेड ने घरेलू ईंधन के रूप में उपयोग के लिए प्राकृतिक "सौफ्ट कोक" का पता लगाया है;

(ख) क्या प्राकृतिक सौफ्ट कोक परम्परागत सौफ्ट कोक की तुलना में महंगा होगा; और

(ग) यदि हां, तो इस सौफ्ट कोक को किस प्रकार तथा कब तक सस्ता बनाया जाएगा और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र): (क) जी नहीं। प्राकृतिक सौफ्ट कोक जिसे 'झामा' कहा जाता है, उसका पता बहुत पहले से है।

(ख) और (ग) साफ्ट कोक के उत्पादन की अपेक्षा झामा का खनन महंगा है क्योंकि इसकी परतें काफी सख्त हैं जिनके लिए अधिक विस्फोटक पदार्थों की जरूरत होती है।

सशस्त्र सेनाओं से सेवा निवृत्त हुए लोगों की श्रेणीवार संख्या

7327. **श्री हुकम चन्द कछवाय**: क्या **उप प्रधान मंत्री तथा रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान तीनों सशस्त्र सेनाओं से सेवा निवृत हुए लोगों की श्रेणी वार संख्या कितनी है और उसमें तकनीकी तथा गैर तकनीकी व्यक्तियों की संख्या कितनी-कितनी है; और

(ख) उनमें से कितने व्यक्तियों को असैनिक सेवाओं में नौकरियां दी गई और कितने व्यक्ति अभी तक बेरोजगार हैं क्या उन्हें भी रोजगार प्रदान करने के लिए कार्यवाही की जा रही है ?

उप प्रधान मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) 1977 और 1978 के दौरान थलसेना, नौसेना और वायु सेना में से **सेवा-निवृत** हुए लोगों की संख्या नीचे दी गई है :—

वर्ष	अफसर	जे०सी०ओ०/ अन्य रैंक	जोड़
थलसेना			
1977 . .	419	28,585	29,004
1978 . .	565	51,305	51,870
नौसेना			
1977 .	65	1422	1487
1978 .	42	1694	1736
वायु सेना			
1977 . .	89	3366	3455
1978 . .	150	4644	4794

तकनीकी तथा गैर-तकनीकी कर्मचारियों के बारे में अलग-अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) 1977 तथा 1978 (सितम्बर 1978 तक) के दौरान क्रमशः 17,842 तथा 14,397 भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार दिया गया। सितम्बर 1978 के अन्त में 1,49,298 भूतपूर्व सैनिक रोजगार कार्यालयों तथा पुनर्वास महानिदेशालय के रजिस्टरों में दर्ज थे। चूंकि रोजगार के लिए पंजीकृत भूतपूर्व सैनिकों के आंकड़े उनकी सेवानिवृत्ति के वर्ष के अनुसार नहीं रखे जाते हैं इसलिए उपर्युक्त सूचना उन भूतपूर्व सनिकों के बारे में है जिन्हें पिछले दो वर्षों में रोजगार दिया गया।

मध्य प्रदेश में एक समन्वित लोहा और इस्पात संयंत्र की स्थापना हेतु व्यवहार्यता अध्ययन

7328. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "मैकन" ने बेलाडिला में लौह अयस्क निक्षेपों पर आधारित एक समन्वित लोहा और इस्पात सन्यन्त्र की स्थापना करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग के साथ एक व्यवहार्यता अध्ययन किया था और क्या इसका परियोजना प्रतिवेदन भारतीय इस्पात प्राधिकरण के पास है, और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार अथवा भारतीय इस्पात प्राधिकरण ने उक्त सन्यन्त्र की स्थापना के बारे में मध्य प्रदेश सरकार को कोई सूचना न देने के क्या कारण हैं?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) और (ख) :

बेलाडिला में एक इस्पात कारखाना लगाने के बारे में मैकन ने अप्रैल, 1975 में एक शक्यता प्रतिवेदन तैयार किया था तथा सेल को प्रस्तुत किया था। इस शक्यता प्रतिवेदन की तैयारी के लिए आवश्यक आंकड़े एकत्र करने हेतु मध्य प्रदेश सरकार के सम्बन्धित विभागों/अभिकरणों से सहयोग प्राप्त किया गया था। ये शक्यता अध्ययन इस उद्देश्य से किए गए थे ताकि कुछ परियोजनाओं के बारे में शक्यता रिपोर्ट हमारे पास तैयार रहें और आर्थिक स्थिति, संसाधनों की उपलब्धि, इस्पात की मांग आदि जैसी कई बातों को देखते हुए उचित समय पर इस पर कार्रवाई की जा सके।

उर्वरक कारखाने

7329. श्री हुकम चन्द कछवाय : क्या **पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय कितने उर्वरक कारखाने हैं और उनमें कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं तथा इन कारखानों का वार्षिक उत्पादन कितना है;

(ख) प्रत्येक कारखाने से गत दो वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य को कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य के उर्वरक सप्लाई किए गए; और

(ग) क्या सरकार सभी प्रकार के उर्वरकों के लिए एक जैसी दरें निर्धारित करने हेतु कोई कार्यवाही करेगी?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हे० न० बहुगुणा) : (क) दिनांक 1-4-1979 को देश में 55 उर्वरक कारखाने (29 सिंगल सुपर फास्फेट कारखानों सहित) उत्पादन कर रहे हैं। इन कारखानों की कुल वार्षिक स्थापित क्षमता 32.59 लाख टन नाइट्रोजन तथा 10.80 लाख टन फास्फेट है। इन कारखानों में लगभग 65,000 कर्मचारी कार्य कर रहे हैं।

(ख) सूचना को एकत्रित करने में लगने वाले समय और श्रम की तुलना में प्राप्त होने वाले परिणाम लाभप्रद नहीं होंगे।

(ग) यूरिया, अमोनियम सल्फेट तथा समस्त मिश्रित फास्फेटिक उर्वरकों के सी० ए० एन० और ठी० एस० पी० नामक तीन प्रमुख उर्वरकों के अधिकतम मूल्य कानूनों के अन्तर्गत निर्धारित किये जाते हैं तथा ये देश के सब भागों में लागू होते हैं। अतः इस समय देश में प्रचलित प्रत्येक प्रमुख उर्वरक के लिये फुटकर मूल्य एक समान हैं।

फरवरी, 1979 में सेन्ट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड द्वारा सर्वाधिक उत्पादन

7330. श्री पवित्र मोहन प्रधान : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फरवरी, 1979 में 97.26 टन की दैनिक औसत दर्शाते हुए सेन्ट्रल कोल-फील्ड्स लिमिटेड की कोयला खानों द्वारा सर्वाधिक उत्पादन किया गया है जो 1956 में इसके

प्रारंभ होने से लेकर अब तक किसी भी वित्तीय वर्ष के पहले ग्यारह महीनों के दौरान कोयले की सर्वाधिक दैनिक दर है;

(ख) फरवरी, 1979 के दौरान इसकी चार वाशरियों से कोयले का कितना उत्पादन हुआ;

(ग) क्या यह सच है कि यदि माल की उठान और बिजली की सप्लाई की स्थिति बेहतर होती तो उत्पादन में वृद्धि होती;

(घ) क्या कम माल की उठान और बिजली की खराबियों के कारण कोयले का स्टाक बहुत हो गया है जिस पर काबू नहीं पाया जा सका; और

(ङ) क्या तालचेर कोयला खान और डेयलबेरा कोयला खान इस सर्वाधिक उत्पादन की बराबरी पर है अथवा नहीं?

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र): (क) सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि० की कोयला खानों में फरवरी, 1979 में दैनिक औसत उत्पादन, वर्ष 1956 के बाद किसी भी वित्तीय वर्ष के प्रथम ग्यारह महीनों में सबसे अधिक हुआ था।

(ख) इसकी चार वाशरियों से फरवरी, 1979 के दौरान साफ कोयले का उत्पादन 2.95 लाख टन हुआ है।

(ग) जी हां।

(घ) प्रेषण कम होने के फलस्वरूप फरवरी, 1979 में कोयले के स्टाक में पर्याप्त वृद्धि हुई है। दिनांक 1-2-1979 का 37.69 लाख टन का स्टाक 1-3-1979 को बढ़कर 41.49 लाख टन हो गया अर्थात् 3.80 लाख टन की वृद्धि हुई।

(ङ) सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि० की अन्य कोलियरियों की तरह तालचेर तथा देउलबेरा कोलियरियों में भी कोयले की उत्पादन में सुधार के लिए प्रयास किए गए। वहां रेकार्ड उत्पादन के लिए कोई निर्दिष्ट प्रतियोगिता नहीं थी। कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिए कुल मिलाकर जोरदार प्रयास ही किया गया था ताकि कोयले की बढ़ती हुई मांग को पूरा किया जा सके।

इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी द्वारा निर्मित इस्पात पिण्डों की मात्रा तथा कीमत

7331. श्री पवित्र मोहन प्रधान: क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी में 1977-78 में इस्पात पिण्डों का कितनी मात्रा में उत्पादन हुआ है और उसका मूल्य कितना रुपये है;

(ख) क्या इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी में वर्ष 1978-79 में उत्पादन में कोई कमी होने की आशंका है, और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा): (क) वर्ष 1977-78 में इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लि० में इस्पात पिण्ड का उत्पादन 651,163 टन हुआ। चूंकि इस्पात पिण्ड तैयार माल नहीं होता है और बिक्री के लिए नहीं होता है अत: इसके मूल्य के बारे में बताना सम्भव नहीं है। संयुक्त संयंत्र समिति ने इस मद का कोई विक्रय-मूल्य निर्धारित नहीं किया है।

(ख) वर्ष 1978-79 में इस्को में इस्पात पिण्ड का उत्पादन 627,609 टन हुआ।

(ग) वर्ष 1978-79 में उत्पादन में हुई कमी के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं:—

(1) मात्रा तथा क्वालिटी दोनों की दृष्टि से कोककर कोयले की आपूर्ति में चल रही समस्याएं,

(2) कच्चे माल की घटिया क्वालिटी के कारण धमन भट्टियों के परिचालन में प्राय: समस्याएं,

(3) बिजली की कमी में प्राय: घट-बढ़,

(4) कुछ कारखानों में मालिक-मजदूर सम्बन्ध अच्छे न होना, और

(5) सितम्बर, 1978 में पश्चिम बंगाल में अभूतपूर्व वर्षा और बाढ़ के परिणामस्वरूप कोयला क्षत्रों और इस्पात कारखाने में पानी भर जाने के कारण यातायात ठप्प हो जाना।

टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के आधुनिकीकरण की योजना

7332. **श्री पवित्र मोहन प्रधान**: क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पता है कि टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी को अपने संयंत्रों का आधुनिकीकरण करने और उत्पादन बढ़ाने के लिए 120 करोड़ रुपए की योजना आरम्भ करनी है,

(ख) क्या टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी इसके लिए वित्त पोषण हेतु विश्व बैंक से अनुरोध कर रही है, और

(ग) क्या इस वित्त हेतु टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा): (क) टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी ने 118 करोड़ रुपये की पूंजीगत लागत से एक योजना बनाई है जो आवश्यक रूप से इस्पात कारखाने के आधुनिकीकरण के लिए है। अगर यह योजना कार्यान्वित की जाती है तो इससे उनकी वर्तमान स्थापित क्षमता में सीमान्त वृद्धि होगी। अभी तक योजना के विभिन्न पहलुओं के लिए सरकार की यथापेक्षित औपचारिक अनुमति नहीं मांगी गई है।

(ख) और (ग) अभी तक इस बारे में कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

मथुरा तेल शोधक कारखाने की लागत

7333. **श्री पवित्र मोहन प्रधान** : क्या **पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मथुरा तेल शोधक कारखाने की मूल अनुमोदित लागत 97 करोड़ रुपए थी ;

(ख) क्या यह लागत अब बढ़ कर दुगनी से अधिक हो गयी है और लगभग 200 करोड़ रुपये है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी, हां।

(ख) मथुरा शोधनशाला प्रयोजना की कुल संशोधित लागत 192.32 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

(ग) लागत अनुमानों में वृद्धि के कारण निम्न प्रकार हैं:—

(i) वर्ष 1973 में संभाव्यता रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के पश्चात उपकरणों, सामग्री एवं श्रम लागत में वृद्धि

(ii) बिजली के संयंत्र , जल सप्लाई, तरल पेट्रोलियम गैस की सुविधाएं कच्चे तेल के लिए भण्डारण व्यवस्था रेल लाइनों जैसी सुविधाओं के जोड़े जाने या बढ़ाये तथा बिजली के संयंत्र को शोधनशाला से हटाकर दूर ले जाने, सभी नियंत्र वाल्वों के लिए ब्लाक एवं वाई—पास वाल्वों की व्यवस्था, लदाई पंक्ति की लम्बाई में वृद्धि और प्रदूषण अध्ययओं जिनकी पहले व्यवस्था नहीं थी, की लागत के कारण लागत में वृद्धि;

(iii) वित्तीय लागत जिनकी मूल अनुमानों में व्यवस्था नहीं थी ;

(iv) टैंकेज, पम्प स्टेशनों, प्रेषण सुविधाओं आदि जेसी मदों के कारण वृद्धि, जिनकी लागत केवल विस्तृत अध्ययन के बाद ही निश्चित की जा सकती थी।

(v) आयातित उपकरणों और सामग्री के लिए सीमा शुल्क तथा निकासी प्रभार दरों परिवर्तन के कारण वृद्धि; और

(vi) आवास क्षेत्र की लागत में वृद्धि।

आर्थिक शक्ति के केन्द्रीकरण को रोकने के लिये कार्यवाही

7334. **श्री श्याम सुन्दर दास** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: सरकार द्वारा गैर-सरकारी निगमित क्षेत्र में आर्थिक शक्ति के केन्द्रीकरण को रोकने के लिये उठाये गये कदमों के क्या परिणाम निकलते हैं?

गृह, विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : वह अध्ययन जो एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम, 1969 की धारा 26 के अन्तर्गत पंजीकरण के अनुसार वर्ष, 1972 और 1976 के लिए बड़े औद्योगिक घरानों से

सम्बन्धित कम्पनियों की आस्तियों के मूल्य तथा व्यापारावर्त के सम्बन्ध में किये गये हैं, उनसे प्रदर्शित हुआ है कि बड़े औद्योगिक घरानों की आस्तियों और व्यापारावर्त दोनों ही में तथा लाभों में सामान्य वृद्धि हुई है।

एकाधिकार एवं निर्बन्धनकारी व्यापार प्रथा अधिनियम में साथ-साथ यह व्यवस्था है कि आर्थिक पद्धति का परिचालन सामान्य हानि करने वाले आर्थिक सकेन्द्रण का परिणामी नहीं हो। अधिनियम के अध्याय III में उपरोक्त उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए परिचालित व्यवस्थाओं का उल्लेख है। इन उपबन्धों के अन्तर्गत भारी विस्तार, नये उपक्रमों की स्थापना, विलियन, समामिलन तथा अधिग्रहण के लिए अधिनियम की धारा 26 के अन्तर्गत पंजीकृत उपक्रमों से प्राप्त प्रस्तावों को अधिनियम की धारा 28 में उल्लिखित मापदडों तथा वर्तमान औद्योगिक लाइसेन्स नीति को दृष्टिगत करते हुए छानबीन की जाती है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन प्रस्तावों से सामान्य हानि करने वाली आर्थिक शक्ति के संकेन्द्रण की सम्भावना नहीं है तथा लोकहित के विपरीत होने की भी सम्भावना नहीं है।

बृहद् औद्योगिक घराने, दिनांक 2 फरवरी, 1973 के औद्योगिक नीति वक्तव्य के परिशिष्ट 1 में वर्णित उद्योगों में सहभाग लेने के पात्र हैं। फिर भी इन उद्योगों की बाबत वृहद् औद्योगिक घरानों द्वारा सारवान विस्तार अथवा नवीन उपक्रमों की स्थापना के प्रस्ताव, केवल सार्वजनिक क्षेत्र, गैर-एकाधिपतीय एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा वाले तथा लघु मापक उद्योगों को ध्यान में रखने के पश्चात् तथा यह संतुष्टि हो जाने के पश्चात् ही अनुमोदित किये जाते हैं कि इन एक्कों पर इससे विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। जबकि बृहद् औद्योगिक घरानों द्वारा विस्तार अथवा नवीन परियोजनाओं के वित्त-प्रबन्ध की नीति को अधिक जटिल बना दिया गया है, वहां गैर-एकाधिपतीय एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा कम्पनियों के मामले में यह नीति, उनके विकास को प्रोत्साहन देने के लिये उदार बना दी गई हैं। बृहद् घरानों पर इन निबंधनों से यह सुनिश्चित हो गया है कि वे सकलरूप में विस्तार नहीं कर सकते, वहां गैर-एकाधिपत्तीय एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा वाले उद्योग तथा लघु कम्पनियों में विस्तार की क्षमता है तथा उसी सीमा तक बृहद् घरानों के विकास को रोक दिया गया है।

अशोधित तेल का मूल्य

7335. श्री एडुआर्डो फैलीरो : क्या **पट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय अशोधित तेल का जो पेट्रोलियम निर्यातक राष्ट्र संगठन का सरकारी स्तर का मूल्य है, उससे खुले बाजार में विशेषकर अंतर्राष्ट्रीय तेल कंपनियों ने मूल्य बहुत बढ़ा दिया है ; और

(ख) सरकार ने तेल में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने और देश में ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का विकास करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

पट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) मार्केट पत्रिकाओं में उपलब्ध जानकारी से ऐसा देखा गया है कि कच्चे तेल के स्थल मूल्य, तेल का

उत्पादन तथा निर्यात करने वाले देशों के इन तेलों के लिए निर्धारित विक्रय मूल्यों से काफी अधिक है।

(ख) जबकि हमारी अन्वेषणात्मक प्रक्रियाओं को तीव्र बनाने और स्थापित भण्डारों का पूरा लाभ उठाने के लिए योजनाएं बनायी जा रहीं हैं। परन्तु ऊर्जा के इस साधन के संरक्षण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह कहना कठिन है कि कच्चे तेल के मामले में आत्म-निर्भरता प्राप्त हो जायेगी। हमारे हाईड्रोकार्बन संसाधनों की सूची बढ़ाने के उद्देश्य से हमारी अन्वेषण नीति का उत्साह पूर्वक पालन किया जा रहा है। इसके साथ ऊर्जा मंत्रालय तथा वि ान एवं तकनोलाजी विभाग इस समय सौर ऊर्जा, ज्वार भाटा ऊर्जा, जीयोथमल ऊर्जा, वायु ऊर्जा तथा जीव गैस जैसे ऊर्जा के विभिन्न वेकैल्पिक साधनों के संबंध में अनुसंधान तथा विकास और अन्वेषण प्रक्रियाओं के समन्वय में जूटे हुए हैं।

आकाशवाणी और दूरदर्शन केन्द्रों के कार्यकरण में परिवर्तन करने के बारे में अभ्यावेदन

7336. **श्री वसन्त साठे** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनता के क्षेत्रीय सामाजिक-सांस्कृतिक आवश्यकताओं तथा अन्य आवयश्यकतायों तथा राज्य के सामान्य नीतियों के साथ उनकी सम्मति को ध्यान रखते हुए उनके मंत्रालय को विभिन्न राज्यों में आकाशवाणी और दूरदर्शन केन्द्रों की आयोजना और उनके कार्यकरण में परिवर्तन के संबंध में अध्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी , राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में की गई/की जाने वाली कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क), (ख) और (ग) पश्चिम बंगाल सरकार से आकाशवाणी और दूरदर्शन की योजना और कार्यकरण में परिवर्तन के सम्बन्ध में कोई विशिष्ट अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ । तथापि, सरकार ने 16 मार्च, 1979 के पैट्रिअट में एक रिपोर्ट देखी है कि राज्य के सूचना और सांस्कृतिक मामले के मंत्री ने अपने विभाग के अनुदान प्रस्तुत करते हुए ऐसी मांग की है । इस प्रेस रिपोर्ट के अनुसार राज्य सरकार का यह दृष्टिकोण है कि इस माध्यम की योजना और कार्यकरण में इसका उपयुक्त अधिकार होना चाहिए ताकि इसके मध्य में से एक खास क्षेत्र की विशेष समस्यायें राजनैतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन या आचार विचार या विशिष्टता प्रतिबिम्बित सुनिश्चित की जा सके।

आकाशवाणी और दूरदर्शन केन्द्रों का हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनके द्वारा कवर किये जाने वाले क्षेत्रों की विशिष्ट समाजिक तथा सांस्कृतिक तत्व प्रतिबिम्बित किए जाएं । केन्द्रों की कार्यक्रम सलाहकार समितियों में राज्य सरकार के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाता है । इन समितियों की बैठकों में उनको कार्यक्रमों में सुधार के बारे में सुझाव देने के पर्याप्त अवसर मिलते हैं अन्यथा भी कार्यक्रमों में सुधार करने के लिए सुझाव देने पर कोई रोक नहीं है। ऐसे सुझावों पर उचित विचार किया जायेगा।

दूरदर्शन स्टाफ आर्टिस्टों के बारे में तीसरे वेतन आयोग के प्रतिवेदन में असंगतियां

7337. **श्री सचीन्द्र लाल सिंघा : क्या सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन के स्टाफ आर्टिस्टों के लिए तीसरे वेतन आयोग द्वारा उत्पन्न हुई असंगीतियों को अब तक दूर नहीं किया गया है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या 1968 और 1971 में स्टाफ आर्टिस्टों के वेतनमानों में कोई संशोधन किया गया था, यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या 650-30-1100 रुपए के वेतनमान में कैमरामैन (ग्रेड-II) को मंत्रालय के अन्य संगठनों जैसे टी० बी० इंस्टीटयूट, पुणे और फिल्मस डिवीजन के कर्मचारियों जैसा क्यों नहीं माना जाता है ; और

(घ) दूरदर्शन कैमरामैन के वेतनमान में यह असंगति कब दूर की जाएगी और संशोधित वेतमान कब लागू किये जायेंगे, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) तृतीय वेतन आयोग ने दूरदर्शन के स्टाफ आर्टिस्टों के बारे में कोई सिफारिश नहीं की थी । नियमित सिविल पदों के बारे में तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप दूरदर्शन के स्टाफ आर्टिस्टों के फ्री स्केल 1-1-1973 के पुर्व प्राप्ति के साथ मार्च, 1977 में संशोधित किए गए थे । स्टाफ आर्टिस्टों को कुछ एक श्रेणियों लाभान्वित नहीं हुई । उनके मामले में अन्तर्विभागीय समीक्षा और युक्तियुक्तकरण समिति ने विचार किये थे। समिति ने महसूस किया कि पूर्व संशोधित मानों और वे जो संशोधित मानों के स्वीकार्य किए गए थे, उनके बीच का अन्तर भावी वृद्धियों में शामिल होने वाला निजी वेतन मान लिया गया था, ना तो कोई अनियमितता निहित है और न ही यह दूरदर्शन के स्टाफ आर्टिस्टों के लिए अनोखी है।

(ख) 31 मार्च 1976 तक दूरदर्शन आकाशवाणी का एक अंग था। आकाशवाणी की टी० वी० साइट में काम कर रहे स्टाफ आर्टिस्टों के शुल्क मान 1968 में निर्धारित किए गए थे। स्टाफ आर्टिस्टों को कतिपय श्रेणियां जो रेडियो और दूरदर्शन के लिए सामान्य थीं, को वही वेतनमान दिए गए जो ध्वनि साइट में लागू थे। दूरदर्शन साइट में 1971 में कोई वेतनमान संशोधित नहीं किए गए थे।

(ग) दूरदर्शन के ग्रेड-2 के कैमरामैन 550-900 रुपए के फ्री स्केल में हैं। यह स्केल विभागीय समिति जिसने आकाशवाणी के ध्वनि प्रसारण, फिल्म प्रभाग में और अन्य तुलनीय विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों के एक सामान या तुलनीय श्रेणियों की सेवा आवश्यकताओं, निर्धारित अर्हताएं भर्ती पद्धति, परिलाभों पर विचार किया, की सिफारिशों पर 1968 में निर्धारित 325-25-500 द० रो०-30-560 रुपए के वेतनमान का संशोधित रूप था।

दूरदर्शन फिल्म प्रभाग तथा भारतीय फिल्म तथा टेलीवीजन संस्थान के कैमरामैनों की सेवा शर्तें, वेतनमान आदि अलग-अलग हैं क्योंकि इन तीनो संगठनों की भर्ती पद्धति संस्थाओं

की कार्य सम्बन्धी आवश्यकताएं तथा अर्हताएं अलग-अलग हैं । इसके अलावा भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट आफ 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत एक स्वायत्तशासी सोसायटी है ।

(घ) दूरदर्शन में कैमरामैनों के लिए निर्धारित फ्री-स्केल में कोई अनियमितता नहीं है और अतः इसके संशोधन का कोई प्रश्न नहीं है।

फर्टिलाइजर एसोसियेशन आफ इंडिया

7338. श्री किशोर लाल : क्या **पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फर्टिलाइजर एसोसिएशन आफ इंडिया नाम का कोई संगठन है,

(ख) क्या यह सच है कि उक्त संगठन उर्वरक बनाने वाले सभी 33 कारखानों से प्रति वर्ष प्रति टन उत्पादन पर पांच रुपये वसूल कर रहा है;

(ग) क्या उक्त संगठन के लेखों का लेखा परीक्षण होना अनिवार्य है,

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान इस संगठन के किस-किस शीर्षों के अधीन खर्च किया तथा कितनी राशि खर्च की, और

(ङ) क्या उर्वरक बनाने वाले सरकारी कारखाने भी उक्त राशि दे रहे हैं।

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी हां।

(ख) फर्टिलाइजर एशोसिऐशन एक गैर-सरकारी संस्था है और इसकी सदस्यता स्वेच्छिक है। जिन सदस्यों ने इस एसोसिऐशन की सदस्यता ग्रहण कर ली है, वे सब एसोसिऐशन के खर्च में भागीदार होते हैं। अंशदान की दर संस्था के निदेशक मंडल द्वारा अपनी बजट संबंधी आवश्यकताओं के अनसार निर्धारित की जाती है। फिलहाल बड़े कारखानों के लिये अंशदान की दर प्रति टन न्यूटियन्ट पर रुपये 5/- है और प्रतिवर्ष की अधिकतम सीमा 1 लाखा रुपये है। लघु निर्माताओं पर अंशदान की रियायती दर लागू है।

(ग) एसोसिएशन लेखा परीक्षा के लिये अपनी व्यवस्था स्वयं करता है।

(घ) खर्चे के मुख्य शीर्ष इस प्रकार है---कार्मिक, सामान्य प्रशासन, प्रशिक्षण ग्रुप चर्चा, गोष्ठियां और प्रकाशन

गत तीन वर्षों के दौरान व्यय निम्न प्रकार हुआ है :—

1975-76	24.18 लाख रुपये
1976-77	24.48 लाख रुपये
1977-78	27.26 लाख रुपये

(ङ) सरकारी क्षेत्र के एक्कों सहित सभी सदस्य इसी दर से अंशदान करते हैं ।

भारत कोकिंग कोल लि० द्वारा 1977 और 1978 में "टिस्को" को सप्लाई किया गया कोयला

7339. श्री ए० के० राय : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत कोकिंग कोल लि० ने वर्ष 1977 और 1978 में "टिस्को" को कितना कोकिंग कोल सप्लाई किया और उसके लिए क्या दर वसूल की गई ;

(ख) क्या बोकारो इस्पात लिमिटेड को उसके द्वारा उपयोग किये जाने हेतु सप्लाई किया गया कुछ कोकिंग कोल भी कोक बनाने के बाद "टिस्को" को दे दिया गया ;

(ग) क्या "टिस्को" के पास अपने उपयोग के लिए पहले ही रक्षित कोयला खानें हैं और सरकारी क्षेत्र के एक ऊंची दर पर विदेशों से कोकिंग कोल का आयात कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो "टिस्को" को सस्ती दरों पर कोकिंग कोल सप्लाई किये जाने के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) भारत कोकिंग कोल लि० द्वारा 1977 और 1978 में टाटा आयरन एण्ड स्टील कं० को की गई, कोककर कोयले की सप्लाई और इस सप्लाई के लिए ली गई कीमत की दरें निम्नलिखित थीं :—

	सप्लाई की मात्रा		
	1977	1978	ली गई कीमत की दरें
	(हजार टनों में)		
धुला कोयला	321.0	154.0	ग्रेडों के अनुसार लगभग 165.00 रुपए से 192.00 रुपये प्रति टन तक रही।
सीधे इस्तेमाल का कच्चा कोककर कोयला	55.1	30.7	विभिन्न ग्रेडों के अनुसार रु० 87.70 से रु० 100.80 तक रही (लेवी को छोड़कर)।

(ख) बोकारो इस्पात कारखानों को जो कोककर कोयला सप्लाई किया जाता है उससे कोक तैयार करके, अपनी जरूरतें पूरी करने के बाद, शेष कोक अन्य इस्पात कारखानों को दे देता है जिसमें टाटा आयरन एण्ड स्टील कं० भी शामिल है।

(ग) टाटा आयरन एण्ड स्टील कं० की अपनी अधिग्रहीत कोलियरियां है किन्तु इन कोलियरियों के उत्पादन से उनकी कुल जरूरतें पूरी नहीं हो पातीं अतः उन्हें भी अन्य कोयला उत्पादकों की सप्लाई पर निर्भर रहना पड़ता है। सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्र, इस्पात संयंत्रों को चलाने में मिश्रित कम राखवाले आयातित कोयले की प्रौद्यो-आर्थिक सुविधाओं को अध्ययन के लिए, थोड़ी मात्रा में विदेश से कोककर कोयले का आयात कर रहे है। इस आयातित कोयले की कीमत देसी कोयले की कीमत से अधिक है।

(घ) कोककर कोयले की कीमतें सांविधिक रूप से निश्चित की जाती है तथा टाटा आयरन एण्ड स्टील कं० को की गई सप्लाई के लिए कीमत की दरें वहीं है जो सरकारी क्षेत्र के अन्य इस्पात संयंत्रों से वसूल की जाती है।

मैसर्स फार्माफिन और इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के बीच तकनीकी सहयोग समझौता

7340. श्री मोती भाई आर० चौधरी : क्या **पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड द्वारा मैसर्स फार्माफिन के साथ तकनीकी सहयोग समझौता कब किया गया था, निदेशक मंडल द्वारा कब मंजर किया गया, मंत्री मंडल द्वारा कब मंजूर किया गया था और धन का प्रत्यावर्तन कब किया गया था,

(ख) इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड और भारत सरकार की ओर से समझौते के लिए बातचीत करने वाले अधिकारियों के नाम तथा पद क्या हैं और कितनी धनराशि व्यय की गई तथा क्या व्यय की गई धनराशि के लिये बोर्ड से मंजूरी ली गई थी, यदि हां, तो किस तारीख को और इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड और फार्माफिन के बीच समझौते की बातचीत किस के द्वारा प्राधिकृत की गई है, और

(ग) फार्माफिन प्रौद्योगिकी को स्वीकार करने के कारण विभिन्न बल्क औषधियों के उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा।

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हे० न० बहुगुणा) : (क) इंडियन ड्रग्स एण्ड फर्मास्यूटिकल्स लि० (आई० डी० पी० एल०) ने पेंसिलिन जी पोटासियम लवण, ट्रेटासाइक्लीन एच० सी० एल० और एरिथ्रोमाइसीन एस्टोलेट के निर्माण के लिये स्ट्रेन और जानकारी तथा सेमी सिन्थोटिक पैंसिलिन और डाक्सीसाइक्लीन के उत्पादन के लिये जानकारी के लिये इटली के मैसर्स फार्माफिन के साथ एक करार किया है। डोक्सीसाइक्लीन के लिये 19 जून 1976 को करार किया गया था और अन्य उत्पादों के लिये 6 दिसम्बर 1976 को करार किया गया था।

मंत्री मंडल ने एन्टीबायोटिक्स प्लांट के विस्तार पर 16 फरवरी 1977 को निवेश की अनुमति दे दी थी जिसमें अन्य उत्पादों के साथ प्रथम चार उत्पाद शामिल हैं। आई० डी० पी० एल० के निदेशक मंडल ने अपनी 21 मार्च 1977 की बैठक में इस प्रायोजना को मंजूरी दे दी थी। बाहर भेजी गई राशि और-तिथि को दर्शाने वाला एक विवरण पत्र संलग्न है।

(ख) इन करारों पर आई० डी० पी० एल० के अध्ययन एवं प्रबन्ध निदेशक और कम्पनी के अन्य संबंधित अधिकारियों द्वारा इटली में बातचीत की गई थी, इटली में की गई बातचीत से भारत सरकार प्रत्यक्ष रूप से सम्बद्ध नहीं थी जो कि आई० डी० पी० एल० की जिम्मेदारी थी, बात चीत के लिये आई० डी० पी० एल० के प्रतिनिध मंडल के इटली के दौरे पर हुए वास्तविक खर्च के ब्यौरे उपलब्ध नहीं है उन्हें एकत्र करके सभा पटल पर प्रस्तुत किया जायेगा। बोर्ड अथवा सरकार द्वारा बातचीत के लिये किसी विशिष्ट प्राधिकार की आवश्यकता नहीं थी और नहीं आई० डी० पी० एल० के दल द्वारा इटली का दौरा किए जाने के लिए खर्च करने हेतु बोर्ड की मंजूरी अपेक्षित थी बातचीत की प्रगति के बारे में बोर्ड को समय-समय पर सूचित किया गया था करार में यह निर्दिष्ट किया गया था कि अन्य बातों के साथ आई० डी० पी० एल० द्वारा भारत सरकार को अनुमति प्राप्त करने पर करार लागू किये जायेंगे।

(ग) चूंकि फार्माफिन प्रौद्योगिकी और कार्यान्वयनाधीन है अतः आई० डी० पी० एल० द्वारा सम्बन्धित बल्क औषधों के उत्पादन पर इस प्रौद्योगिकी के प्रभाव का अभी मूल्यांकन करना सम्भव नहीं है।

विवरण

आई० डी० पी० एल० द्वारा मैसर्स फार्माफिन को भेजी गई राशि के ब्यौरे

क्रम सं०	उत्पादन	I किस्त		II किस्त		III किस्त		IV किस्त		टिप्पण
		यू० एस० डालर	*देय तिथि	यू० एस० डालर	**देय तिथि	यू० एस० डालर	**देय तिथि	यू० एस० डालर	**देय तिथि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	पोटासियम पेनस्लीन जी-साल्ट।	60,000	5-3-77	1,20,000	7-7-77	1,40,000	3-8-77	—	—	बंका कार्मशियल इटालियन से प्राप्त सूचना के अनुसार तिथि।
2.	टेट्रासाइक्लीन	60,000	5-3-77	90,000	8-7-77	83,448	10-8-77	—	—	**मैसर्स फार्माफिन द्वारा दर्शायी गई।
3.	ऐरीथ्रोमाइसीन	60,000	5-3-77	90,000	8-7-77	1,00,800	10-8-77 और 24-3-78	—	—	रूप की तिथि
4.	सेमी सिन्थो-टिक पेनीसी-लीन।	1,00,000	5-3-77	1,50,000	8-7-77	1,00,000	8-7-77	50,000	—	4/5 जनवरी 1979।
5.	डोक्सी साईक्लीन हाईक्लेट	8,000	8-7-77	16,000	8-7-77	8,000	14-2-79 (*)	—	—	*बैंक आफ कार्मशियल इटालियन को दी गई स्वीकृति।

कर्नाटक में आकाशवाणी केन्द्रों के पास रजिस्टर्ड विज्ञापन एजेंसियां

7341. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक राज्य में आकाशवाणी केन्द्रों में विज्ञापन देने के लिये कार्यरत रजिस्टर्ड विज्ञापन एजेन्सियों की संख्या कितनी है; और

(ख) 1977-78 और 1978-79 के दौरान वाणिज्यिक प्रसारण सेवाओं द्वारा कितना वार्षिक राजस्व अर्जित किया गया ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) कर्नाटक राज्य में आकाशवाणी केन्द्रों में विज्ञापन देने के लिए कार्यरत रजिस्टर्ड विज्ञापन एजेंसियों की संख्या 8 है ।

(ख) 1977-78 और 1978-79 के दौरान वाणिज्यिक प्रसारण सेवाओं द्वारा अर्जित वार्षिक राजस्व निम्नलिखित था :—

	कुल राजस्व
1977-78	7,74,10,800 रुपये (अस्थायी आंकड़े)
1978-79	8,50,00,000 रुपये (अस्थायी आंकड़े)

किशनगंज-शाहबाद में गांवों का विद्युतीकरण

7342. **श्री चतुर्भुज** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान राज्य सरकार ने किशनगंज-शाहबाद (स्टेट) बिजली परियोजना केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजना केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन कब से पड़ी हुई है और क्यों पड़ी हुई है तथा इसे कब तक स्वीकृत किया जायेगा ;

(ग) आदिवासी क्षेत्र के 423 गांवों में से ऐसे कितने गांव हैं जहां पहले ही बिजली पहुंचाई जा चुकी है ; और

(घ) समूचे क्षेत्र के विद्युतीकरण के लिये प्रस्तावित योजना क्या है और इसे कब तक स्वीकृति प्रदान कर दी जायेगी तथा क्षेत्र में बिजली लगा दी जायेगी और उसका ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचद्रन) : (क) और (ख) राज्य बिजली बोर्ड से प्राप्त राजस्थान के कोटा जिले के शाहबाद पंचायत समिति क्षेत्र और किशनगंज पंचायत समिति क्षेत्र के लिए क्रमश: 1 .09 करोड़ रुपए और 1 .17 करोड़ रुपये की ऋण सहायता की 2 ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों का अनुमोदन ग्राम विद्युतीकरण निगम ने मार्च, 1979 में कर दिया था।

(ग) और (घ) शाहबाद और किशनगंज पंचायत समिति क्षेत्रों में 435 गांव हैं। 2 गांव नामश: किशनगंज और जलवाड़ा, विद्युतीकृत हैं । बाकी बचे सभी गांवों का विद्युतीकरण ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा अनुमोदित 2 स्कीमों के अन्तर्गत आता है। इन स्कीमों को पांच वर्ष की अवधि में सोपानबद्ध रूप में पूरा किया जाना है।

छीपा बड़ौद, छबड़ा तहसील, राजस्थान के लिये बिजली विस्तारण योजना

7343. **श्री चतुर्भुज** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने छीपा बड़ौद, छबड़ा तहसील के लिये एक विशेष प्रकार की बिजली विस्तारण योजना बनाई है और उसे केन्द्रीय सरकार को भेजा है, यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

(ख) केन्द्रीय सरकार उक्त योजना पर कब तक स्वीकृति दे देगी ; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) विलम्ब के लिये किस भाग को उत्तरदायी ठहराया जायेगा और इसके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है और इसका पूरा ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) से (ग) : ग्राम विद्युतीकरण का कार्यक्रम राज्य बिजली बोर्डों द्वारा बनाया जाता है और उन्हीं के द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।

राजस्थान के कोटा जिले की छाबरा पंचायत समिति के विद्युतीकरण के लिए राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड की एक स्कीम ग्राम विद्युतीकरण नियम ने 1975-76 में मंजूर की थी। यह स्कीम चार वर्षों की अवधि में सोद्देश्य रूप में पूरी की जानी है।

राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड ने सूचित किया है कि ग्राम विद्युत् सहकारी समितियों के गठन के लिए चुने गए क्षेत्रों में से एक क्षेत्र कोटा जिले का छीपा बड़ौदा भी है और बोर्ड ग्राम विद्युतीकरण नियम के मानदण्डों के अनुसार अब स्कीम की रिपोर्ट तैयार कर रहा है। स्कीम प्राप्त हो जाने पर निगम इस पर ऋण सहायता के लिए कार्रवाई करेगा।

दुर्गापुर इस्पात कारखाने में कोकिंग कोल का उत्पादन

7344. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में, वर्षवार, दुर्गापुर इस्पात कारखाने में कोकिंग कोल का कुल उत्पादन कितना है ;

(ख) कोकिंग कोल की बिक्री के बारे में प्रचलित पद्धति क्या है ;

(ग) 1976-77, 1977-78 और 1978-79 में कोकिंग कोल का प्रति टन मूल्य क्या है; और

(घ) क्या भारी मांग और अपर्याप्त सप्लाई की स्थिति के कारण कोकिंग कोल के मूल्य में असामान्य वृद्धि से कुटीर और लघु उद्योग तथा क्षेत्र के आसपास के आम लोग बुरी तरह प्रभावित हुए हैं ; यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; यदि हां, तो सरकार का विचार इस मामले में क्या कार्यवाही करने का है ?

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र): (क) दुर्गापुर इस्पात फैक्टरी कोककर कोयल का कोई उत्पादन नहीं करती। इस्पात संयंत्रों को कोककर कोयले की सप्लाई कोल इंडिया लि० करता है।

(ख) धातुकर्मी ग्रेड का कोक कर कोयला सांविधिक रूप से कोक कर कोयले के वितरण के प्राधिकारी कोयला नियंत्रक के आवंटनों अनुसार इस्पात संयंत्रों और अन्य कोकरियों को बेचा जाता है। कुछ ऐसे ग्रेडों का कोककर कोयला जो वाशरियों और इस्पात संयंत्रों में उपयोग लायक नहीं होता, कोयला नियंत्रक द्वारा दूसरे उपभोक्ताओं और ऐसी कोकरियों को बेचा जाता है जो हाइब हार्ड कोक अथवा साफ्ट कोक का निर्माण करती हैं।

(ग) कोक कर कोयले की खान मुहाना कीमतें जो सांविधिक रूप सरकार द्वारा निश्चित की गई थीं, अगस्त, 1975 से वही रही हैं। विभिन्न ग्रेडों की यह सांविधि कीमतें इस प्रकार हैं :—

ग्रेड	प्रतिटन कीमत
	रु० पै०
ए	100.80
बी	98.30
सी	96.70
डी	95.10
ई	93.45
एफ	91.00
जी	89.35
एच	87.30
एच एच	81.95
जे	73.80 से अधिक नहीं
के	63.10 से अधिक नहीं

(घ) कोक की कीमतें भी सांविधिक रूप से निश्चित की जाती हैं और सरकारी कोयला कम्पनियों द्वारा बेची गए बीहाइक और उपोत्पाद कोक के लिए ली जाने वाली कीमतें वही रहीं हैं। किन्तु मांग और पूर्ति पर निर्भर करते हुए जिस बाजार भाव पर प्राइवेट स्रोतों से जो कोयला खरीदा जाता है, वह पता चला है कि अधिक रहता है। यह भाव खासतौर से गत मानसून के दौरान अधिक रहा जब कोककर कोयले के उत्पादन और कोक के निर्माण दोनों को अभूतपूर्व भारी वर्षा और बाढ़ के कारण गंभीर धक्का लगा था। इस बारे में प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं।

सरकार द्वारा उठाए गए कदम इस प्रकार हैं:—

(I) नवम्बर, 1978 और उसके बाद से अब लाइसेंसधारी, प्राइवेट कोकरियों को अधिक मात्रा में कोककर कोयला दिया जा रहा है। इन कोकरियों में कोक के बढ़े हुए उत्पादन से कीमत की वृद्धि रोकने में मदद मिलेगी।

(II) भारत कोकिंग कोल लि० की अपनी कोक भट्टियों से नियंत्रित कीमतों पर बीहाइव कोक का उत्पादन और सप्लाई बढ़ाने के लिए भी कदम उठाए गए हैं।

गुजरात में ग्रामीण विद्युतीकरण के लिये निर्धारित धनराशि

7345. **श्री धर्म सिंह भाई पटेल :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण विद्युत् निगम ने 4,200 से अधिक गांवों में बिजली पहुंचाने के लिए 23 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है ;

(ख) यदि हां, तो इसमें गुजरात राज्य के लिये कितनी राशि निर्धारित की गई है और वह किन-किन ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं के लिये मंजूर की गई है; और

(ग) गुजरात सरकार को 1978 के दौरान किन-किन योजनाओं के लिए सहायता दी गई है; कब दी गई है और कितनी तथा किस प्रकार की सहायता दी गई है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) ग्राम विद्युतीकरण निगम ने 4200 से अधिक गांवों में बिजली पहुंचाने के लिए 24.69 करोड़ रुपये की ऋण सहायता की ग्राम विद्युतीकरण स्कीमें 21 जनवरी, 1979 से 2 मार्च, 1979 के बीच मंजूर की हैं।

(ख) 24.69 करोड़ रुपये की धनराशि में से, 1.29 करोड़ रुपये की राशि गुजरात की ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के लिए मंजूर की गयी है। जिन ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के लिए 1.29 करोड़ रुपये की यह राशि मंजूर की गयी है उनका ब्यौरा संलग्न विवरण-एक में दिया गया है।

(ग) 1978-79 के दौरान, इस निगम ने गुजरात बिजली बोर्ड को 45 ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के लिए 12.96 करोड़ रुपये ऋण के रूप में मंजूर किए थे। इन स्कीमों के ब्यौरे संलग्न विवरण दो में दिए गए हैं।

वर्ष (1978-79) के दौरान निगम ने गुजरात की इस वर्ष मंजूर की गयी नयी स्कीमों के लिए प्रथम किस्त के रूप में 4.77 करोड़ रुपये ऋण सहायता के रूप में वितरित किए और इससे पहले के वर्षों में स्वीकृत की गयी स्कीमों के लिए 2.31 करोड़ रुपये की दूसरी और परवर्ती किस्तें वितरित कीं।

विवरण-I

गुजरात की उन ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण जिनके लिए ग्राम लिए ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा 1.29 करोड़ रुपये की ऋण सहायता मंजूर की गयी है ।

जिला	तहसील	ऋण (लाख रुपयों में)
1. सूरत	मंगरोल	56.2
2. जामनगर	खेनभाटिया	51.7
3. अहमदाबाद	साबरमती	7.7
4. खेड़ा	नाडियाद	9.4
5. राजकोट	धोराजी	3.9
	जोड़	128.9

विवरण-II

1978-79 के दौरान गुजरात की स्वीकृत ग्राम विद्युतीकरण स्कीमें

क्रम सं०	स्कीम का नाम	स्वीकृत ऋण राशि (लाख रुपयों में)
1.	वाघोडा	16.9
2.	पार्डी	29.6
3.	चोटीला	52.3
4.	वीरमगांव	52.9
5.	बोताड	26.9
6.	व्यारा	26.3
7.	चांसमा	41.6
8.	सूरत	41.5
9.	सबारकुण्डला	13.6
10.	डाभोई	13.0
11.	लाठी	13.0
12.	वल्लभीपुर	40.3
13.	गाधड़ा	49.8
14.	बड़गांव	11.8
15.	पालनपुर	14.6
16.	दीसा	9.8
17.	हिम्मतनगर	8.7
18.	मेहमदाबाद	12.3
19.	जूनागढ़	9.5
20.	मानबदार	8.6
21.	नखतराणा	7.5
22.	प्रन्तिज	13.1
23.	कलोल	46.4
24.	धनधुका	80.9
25.	सायला	46.0
26.	गोंडल	11.8
27.	बोताड़	46.7
28.	भुज	6.5
29.	लिंच	29.9
30.	मेहसाना	84.9
31.	अंजर	13.6

क्रम सं०	स्कीम का नाम	स्वीकृत ऋण राशि (लाख रुपयों में)
32.	पादना	17.5
33.	लकथर	5.1
34.	बदवान	14.3
35.	साबरमती	7.7
36.	नाडियाद	9.4
37.	हरीज	44.8
38.	डोराजी	3.9
39.	खम्भालिया	51.7
40.	मंगरोल	56.3
41.	धारड़	70.1
42.	रापड़	55.7
43.	सामी	60.8
44.	मंगरोल	7.6
45.	वीरावल	10.7
	कुल जोड़	1295.8

प्राइवेट पार्टियों को दिये गये विभिन्न अयस्कों/खनिजों के खनन पट्टों की संख्या

7346. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा सरकार ने 1978 तक प्राइवेट पार्टियों को विभिन्न अयस्कों/खनिजों के कुल कितने खनन पट्टे दिये;

(ख) अयस्कों/खनिजों के नाम क्या हैं और जिलावार किन पार्टियों ने पट्टे लिये;

(ग) उन में से कितने कार्य करने और कितने कार्य न करने की दशा में हैं; और

(घ) उड़ीसा सरकार ने खानों को बन्द होने से रोकने के लिये क्या कार्यवाही की है?

इस्पात और खान राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क), (ख), (ग) और (घ) उड़ीसा सरकार ने खनन और भूतत्व निदेशालय, से मिली जानकारी के अनुसार विभिन्न अयस्कों/खनिजों के लिए प्राइवेट पार्टियों को 1978 तक 480 खनन पट्टे मंजूर किये गये हैं। इन पट्टों का जिलावार ब्यौरा नीचे दिया गया है। इस समय 209 खानों में खुदाई होने की सूचना है। राज्य सरकार के अनुसार पट्टा शर्तों के उल्लंघन और खानों को बन्द रखने के विरुद्ध समुचित कार्रवाई की गई है।

जिला-वार ब्यौरा जिला	मंजूर पट्टों की संख्या
1. क्योंझर	75
2. कोरापुट	26
3. फूलबानी	9
4. पूरी	5
5. धेनकनाल	19
6. सम्बलपुर	72
7. बोलनगिर	87
8. मयूरभंज	35
9. कालाहान्डी	25
10. सुन्दरगढ़	107
11. कटक	20
जोड़	480

उड़ीसा के कोरापुट जिले में धात्विक तथा गैर-धात्विक खनिज

7347. **श्री गिरिधर गोमांगो :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के कोरापुट जिले में अब तक कुल कितने धात्विक तथा गैर-धात्विक खनिज पाय गये हैं;

(ख) गैर-सरकारी फर्मों को कितने पट्टे दिये गये हैं तथा फर्मों और खानों/खनिजों के नाम क्या हैं; और

(ग) वर्ष 1977 तथा 1978 में कितनी खानें बन्द की गई तथा कितनी नई चालू की गईं ?

इस्पात और खान राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) कोरापुट जिले में पाये गये धात्विक तथा अधात्विक खनिज और उनके भंडार इस प्रकार हैं : बौक्साइट—9220 लाख टन, डोलोमाइट—लगभग 1000 लाख टन, चूनापत्थर—लगभग 1870 लाख टन, लौह अयस्क—लगभग 15 लाख टन, मैंगनीज अयस्क—लगभग 13 लाख टन, क्वार्टजाइट—लगभग 800 लाख टन तथा टिन अयस्क, चीनी मिट्टी, सोपस्ट्रोन ग्रेफाइट आदि के कुछ भंडार ।

(ख) और (ग) उड़ीसा सरकार के खान और भूतत्व निदेशालय के अनुसार विभिन्न खनिजों के 26 खनन पट्टे निजी पार्टियों को स्वीकृत किये गये हैं। 1977 में 2 खानें खोली गई किन्तु कोई खान बन्द नहीं की गई। 1978 में 3 खानें बन्द की गईं और कोई नहीं खोली गई।

मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में तांबा अयस्क के लिये खनन

7348. **श्री माधवराव सिन्धिया** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बता की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश के जिला बालाघाट में तांबा अयस्क के खनन के लिये परियोजना प्रतिवेदन तो तैयार कर लिया गया है परन्तु कार्य में विलम्ब किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और कार्य को निकट भविष्य में आरम्भ करने के लिये क्या कदम उठाये जाने हैं?

इस्पात और खान राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश के बालाघाट जिल में मालजखंड ताम्र परियोजना के लिये एक व्यापक परियोजना रिपोर्ट सोवियत, सलाहकार मै० स्वेतमेत प्रोमएक्सपोर्ट द्वारा तैयार की गई थी। इस परियोजना में ताम्र अयस्क के और खनन एक सान्द्रक की स्थापना की परिकल्पना है। इस परियोजना को सरकार ने फरवरी, 1977 में मंजूरी दी थी।

परियोजना पर प्रारम्भिक कार्य जन, 1977 में शरू हुआ। परन्तु, धन की तंगी के प्रसंग में इस परियोजना के कार्यान्वयन के बारे में योजना आयोग द्वारा समीक्षा किये जाने तक 1978–79 में काम की गति धीमी करनी पड़ी। यह समीक्षा नवम्बर, 1978 में पूरी हुई और यह तय हुआ कि परियोजना को कार्यान्वित किया जाये। परियोजना पर प्रारम्भिक कार्य जैसे आधारभूत सुविधाओं का विकास तथा मशीनों की खरीद आदि का काम इस समय पूरे जोर पर है तथा नियमित खान निर्माण कार्य जुलाई, 1979 तक शुरू हो जाने की आशा है।

रक्षा मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली के नांगल राया गांव तथा तिहार की भूमि को किराये पर लिया जाना

7349. **श्री बालक राम** : क्या **उप प्रधान** मंत्री तथा **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली में नांगल राया गांव तथा तिहार की 18.39 एकड़ भूमि रक्षा मंत्रालय द्वारा किराये पर ली गई थी;

(ख) क्या सरकार इस भूमि को खाली करना तथा उसका कब्जा उसके मालिकों को देना चाहती है। यदि हां, तो कब तक; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार का विचार और आगे क्या कार्यवाही करने का है?

उप प्रधान मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) किराये पर ली गई 18.39 एकड़ भूमि में से जनवरी 1975 में 2.45 एकड़ भूमि खाली करके मालिकों को वापस कर दी गई है और उसके बाद 15.94 एकड़ भूमि रक्षा मंत्रालय के रक्षा अग्नि अनुसन्धान संस्थान के पास है।

(ख) जी हां। किसी समय जनवरी 1980 में।

(ग) भूमि को वापस करने को आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करना और भूमि के मालिकों को अपनी भूमि लेने के लिये उचित समय पर आवश्यक सूचना भेजना।

उड़ीसा में खनिजों का सर्वेक्षण

7350. श्री गिरिधिर गोमांगो : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने राज्य की खनिज संपदा का अनुमान लगाने हेतु खनिज पट्टियों में खानों का गहन तथा विस्तृत सर्वेक्षण करने हेतु कदम उठाये हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य के भूतत्वीय नक्शे में दिखाई गई कितनी पट्टियों का सर्वेक्षण किया गया है और अभी कितनी का सर्वेक्षण किया जाना है;

(ग) जिलावार कितने धातु तथा गैर-धातु अयस्क/खनिज पाये गये हैं तथा उनका अनुमान लगाया गया है; और

(घ) वर्ष 1978–79 और 1979–80 के लिये खनिजों का सर्वेक्षण और उनका अनुमान लगाने के लिये क्या कार्यक्रम बनाये गये हैं तथा इसके लिये कितना धन रखा गया है?

इस्पात और खान राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) उड़ीसा सरकार का खनन और भू विज्ञान निदेशालय और भारतीय भूसर्वेक्षण जैसी केन्द्रीय एजेंसियाँ राज्य की खनिज सम्पदा का मूल्यांकन करने के लिये खोज कार्य कर रही हैं।

(ख) राज्य निदेशालय ने अब तक 11,000 वर्ग किलोमीटर खनिज पट्टी का खनिज सर्वेक्षण और 200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का व्यापक समन्वेषण किया है। लगभग 89,000 वर्ग किलोमीटर का खनिज सर्वेक्षण बाकी है, जिसके बाद चुने हुए क्षेत्रों का व्यापक समन्वेषण किया जायेगा।

(ग) विभिन्न एजेंसियों द्वारा खोजे गये और मूल्यांकन किये गये धात्विक और अधात्विक अयस्कों/खनिजों का जिलावार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) राज्य निदेशालय ने 1978–79 के दौरान 940 वर्ग किलोमीटर की खनिज सूचियां बनाईं, 16 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का बड़े पैमाने पर मानचित्रण किया; 7300 घन मीटर की परीक्षण खुदाई और 8460 मीटर ड्रिलिंग की तथा 5000 नमूने एकत्र किये। 1979–80 का कार्य शुरू हो गया है;

राज्य सरकार द्वारा 1978–79 में सर्वेक्षण और मूल्यांकन हेतु आबंटित धनराशि इस प्रकार है : योजना स्कीमों हेतु 61.13 लाख रुपये और गैर-योजना स्कीमों के लिये 22.46 लाख रुपये। 1979–80 के बजट अनुमानों में योजना स्कीमों के लिये 48.46 लाख रुपये और गैर-योजना स्कीमों के लिये 27.54 लाख रुपये रखे गये हैं।

विवरण

खनिज	जिला	भंडार मिलियन टनों में	ग्रेड
1	2	3	4
चूना पत्थर	सम्बलपुर	32.86	सभी ग्रेड
	सुन्दरगढ़	636.36	सभी ग्रेड
	कोरापुट	187.30	सभी ग्रेड
	योग	856.52	
डोलोमाइट	सम्बलपुर	534.14	सभी ग्रेड
	कोरापुट	100.00	अवर्गीकृत
	सम्बलपुर	55.50	अवर्गीकृत
	योग	689.64	
लौह अयस्क	धेनकनाल	1.40	55–60% लौहा
	कटक	10.00	55–63% लौहा
	क्योंझर	1791.89	सभी ग्रेड
	कोरापुट	1.50	–62% लौहा
	मयूरभंज	16.99	–63 लौहा
	सम्बलपुर	50.00	55-60 लौहा
	सुन्दरगढ़	837.94	सभी ग्रेड
	योग	2709.72	
वेनेडीफैरस मैगनेटाइट	मयूरभज	5.39	0.21 से 2.41% $बी_2$ $ओ_5$ और
	क्योंझर और बालासोर	1.20	अधिकतम 0.78 से 19.74% टी आई ओ 2 के बीच
	योग	6.59	

1	2	3	4
मगनीज अयस्क	बोलनगिर	0.582	25 से 35% मैगनीज
	सम्बलपुर	0.120	25 से 35% मैगनीज
	सुन्दरगढ़	5.654	25 से 46% मैगनीज
	क्योंझर	24.501	25 से 46% मैगनीज
	कोरापुट	0.130	25 से 46% मैगनीज
	योग	30.987	
क्रोमाइट	कटक	13.574	सी० आर$_2$ ओ$_3$ सामान्यतः 35 से 45%
	धेनकनाल	0.253	सभी ग्रेड
	क्योंझर	0.959	सभी ग्रेड
	योग	14.786	
तांबा अयस्क	मयूरभंज	1.66	1.59% तांबा
सीसा अयस्क	सुन्दरगढ़	6.01	5.77% सीसा
बाक्साइट	कोरापुट	841.17	एल्यूमिना 43 % से 49% तक और 5%से कब सीलिका
	कालन्दी	67.00	–वही–
	कोरापुट और कालान्दी	139.00	–वही–
	बोलनगिर और सम्बलपुर	116.54	औसत ए एल 2 ओ3 46.8 % एस आई ओ० $_2$: 2.5%
	उड़ीसा में कुल बाक्साइट	1163.71	
निकिल अयस्क	कटक	130.45	1.03 से 1.09% निकिल
	मयूरगंज	7.50	0.97% निकिल
	उड़ीसा में कुल निकिल अयस्क	137.95	

टिन अयस्क : उड़ीसा के कोरापुट जिले के मुण्डागुडा में जलोद मिट्टी और एक मीटर चौड़ी और 35 मीटर लम्बी पैगमेटाइट पट्टी में कैसिटेराइट पाया गया है। यह मध्य प्रदेश के टिन भंडार क्षेत्र का एक विस्तार है। उड़ीसा का खान और भूतत्व निदेशालय इसकी और खोज कर रहा है।

1	2	3	4
चीनी मिट्टी	सुन्दरगढ़	0.018	
	मयूरभंज	57.79	
	सम्बलपुर	0.061	
	क्योंझर	1.78	
	फूलबानी	0.008	
	बोलनगिर	0.001	
	उड़ीसा में कुल चीनी मिट्टी	59.658	
फायर क्ले	धेंनकनाल	26.23	
	पुरी	0.285	
	सम्बलपुर	18.18	
	सुन्दरगढ़	0.618	
	कटक	0.293	
	उड़ीसा में कुल फायर क्ले	45.606	
काइनाइट ग्रेफाइट	धेनकनाल	0.07	
	सम्बलपुर, बोलनगिर, पटना, धेनकनाल, फूलबानी, और कालाहान्दी	भंडारों का अनुमान नहीं लगाया गया	सभी ग्रेड
इलिमेनाइट मोनोजाइट	कटक, पुरी और गन्जम जिलों समुद्र तट के रेत टीलों और बालू में काफी मात्रा में इलिमेनाइट मारनेंट, सिलिमेनाइट,		
कोयला	रुटाइल, मोनोजाइट और जिरकॉन है।		

जिला	कोलफील्ड	गहराई मीटरों में	भंडार मिलियन टनों में			
			प्रमाणित	सांकेतिक	अनुमानित	योग
धेनकनाल	तालचर	0 से 300	913	2718	—	3531
सम्बलपुर	ईब नदी	0 से 600	83	730	1563	2376
		कुल योग				5907

इसके अलावा कोयला सुन्दरगढ़ जिले के हिनगिर बेसिन और फूलबानी जिले में भी मिलता है, लेकिन उसके भंडारों का अनुमान उपलब्ध नहीं है।

देश में टेलीविजन के अन्तर्गत क्षेत्र

7351. **श्री सुनेन्द्र झा सुमन :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश टेलीविजन के अन्तर्गत अभी तक केवल 5 प्रतिशत क्षेत्र ही आता है;

(ख) क्या टेलीविजन सेवा के प्रसार के लिये चरणबद्ध कार्यक्रम बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या हैं?

सुचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) इस समय दूरदर्शन सेवा द्वारा देश का 6% क्षेत्रफल कवर किया जाता है।

(ख) और (ग) छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान निम्नलिखित केन्द्र *स्थापित* किये जाने का प्रस्ताव है :—

(1) पूर्ण रूपेण दूरदर्शन केन्द्र

(1) अहमदाबाद (2) बंगलौर (3) त्रिवेन्द्रम

(2) रिले केन्द्र

(1) अजमेर (2) कटक (3) पणजी (4) जम्मू (5) मदुरै (6) विजयवाड़ा (7) वाराणसी (8) मुर्शिदाबाद (9) आसनसोल (10) कसौली

नोट : अन्तरिम स्थापना के रूप में जालन्धर में एक पूर्णरूपेण दूरदर्शन केन्द्र 13-4-79 को चालू किया गया था।

पश्चिम बंगाल स्थित लक्ष्मीकांतपुर कूप संख्या 1 में छिद्रण कार्य

7352. **श्री शंकरसिंह जी बाघेला**
डा० विजय मण्डल } **: क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि 24 परगना पश्चिम बंगाल में लक्ष्मीकांतपुर स्थित कूप संख्या 1 में कार्य रोक रखा गया है; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ख) क्या उक्त रूप में कार्य रोके रखने के कारणों की जानकारी इस सम्बन्ध में बार-बार स्मरण पत्र भेजे जाने पर भी केन्द्र सरकार को नही दी गई है और यदि हां, तो तत्सम्बधी ब्यौरा क्या है?

पट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी, हां। पश्चिम बंगाल में 24 परगना में लक्ष्मीकान्तपुर कुआं सं० 1 पर खुदाई को इस समय खोदे जा रहे डायमण्ड हार्बर कुआं सं० 1 से प्राप्त परिणामों के संदर्भ में संभावित पुनर्मुल्यांकन के होने तक आस्थगित रखा गया है।

(ख) इस कुएं को आस्थगित रखने के कारणों की सूचना केन्द्रीय सरकार को दी गई थी।

गैरीसन इंजीनियर्स, कानपुर के विरुद्ध शिकायतें

7353. **श्री मनोहर लाल :** क्या **उप प्रधान मंत्री तथा रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को संसद सदस्यों और संघों के नेताओं सहित अनेक लोगों से गैरीसन इंजीनियर्स कानपुर डिवीजन के अधिकारियों के विरूद्ध भ्रष्टाचार की अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की है?

उप प्रधान मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जगजीवनराम): : (क) जी हां

(ख) की गई जांच के फलस्वरूप अधीक्षक ग्रेड I के विरूद्ध अदालत में मकदमां चलाया जा रहा है, एक सहायक अधिशासी अभियंता दो अधीक्षक ग्रेड II, एक स्टोर कीपर और चार अन्य अराजपत्रित कर्मचारियों के विरूद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाइयां की जा रही हैं। इसके अलावा एक अधीक्षक ग्रेड I को "रिकार्डएकल वार्निंग" दे दी गई है।

बिलेटों का उत्पादन और सप्लाई

7354. **कुमारी अनन्तन :** क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कपा करेंगे कि:

(ग) क्या पुनर्वेलन मिलों को 6000 टन प्रतिमास बिलेट की उनकी आवश्यकता के विरूद्ध मश्किल से केवल 30 प्रतिशत की सप्लाई होती है,

(ख) क्या यह सच है कि समेकित इस्पात संयंत्र बिलेट के उत्पादन को दूसरी प्राथमिकता देते हैं,

(ग) क्या बिलेट की अत्यधिक कमी के कारण कितने कारखाने बन्द हो गये हैं; और

(घ) बिलेट के उत्पादन को बढ़ाने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) एक समिति इस बात का पता लगा रही है कि देश में पुनर्वेलन उद्योग की कुल कितनी क्षमता है। इस समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है। इस बीच यह दावा किया गया है कि इस उद्योग की कुल वार्षिक क्षमता 42 लाख टन के लगभग है। वर्ष 1978–79 में इस क्षमता के मुकाबले में इस उद्योग को मख्य उत्पादकों द्वारा लगभग 13.5 लाख टन पुनर्वेलन योग्य सामग्री सप्लाई की गई, जिसमें लगभग 740,000 टन बिलेट भी शामिल हैं। इसके अलावा लघ इस्पात कारखानों द्वारा लगभग 14.9 लाख टन पिण्ड/बिलेट सप्लाई किये गये। इस तरह कुल मिलाकर 28.4 लाख टन माल सप्लाई किया गया। यह सप्लाई बताई गई क्षमता के 68 प्रतिशत के लगभग बैठती है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(घ) पिछले 18 महीनों में सरकार द्वारा लघु इस्पात कारखानों को पुन: ठीक हालत में लाने तथा इसका उत्पादन बढ़ाने के लिये कई उपाये किये गये हैं। इन उपायों के फलस्वरूप

पैंसिल इन्गट/कंकास्ट बिलेट के उत्पादन में काफी वद्धि हुई है। पुनर्वेलकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये बिलेटों का आयात करने की संम्भावनाओं पर भी विचार किया जा रहा है। दीर्घकालिक उपाय के रूप में बिलेट का उत्पादन, विशेषतया पुनर्वेलन उद्योग के लिये, इनका उत्पादन नये इस्पात कारखानों जैसे विशाखापत्तनम में लगाये जाने वाले इस्पात कारखाने के प्राडक्ट मिक्स में शामिल किया जा रहा है।

कच्चे माल का सीधा आवंटन

7355. **श्री ओम प्रकाश त्यागी :** क्या **पैट्रोयलयम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सी० पी० सी० द्वारा घोषित नीति के उत्तर में बल्क औषधियों के कच्चे माल के सीधे आबंटन के लिये वर्ष 1977–78 और 1978–79 के दौरान कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ख) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, आयात व्यापार नियंत्रण अधिनियम, विदेशी मद्रा विनियमन अधिनियम के किन उपबन्धों के अधीन कच्चे माल के सीधे आवंटन के लिये घोषणा की गई थी, और

(ग) क्या इस घोषणा के अधीन कच्चे माल के आवंटन के लिये आवेदन करने वाली सभी पार्टियों से सरकार चार्टर्ड एकाउन्टेन्टों का प्रमाण पत्र प्राप्त करेगी और यदि नहीं, तो क्यों और चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के प्रमाण पत्र के अभाव में सी० पी० सी० पिछली खपत के आंकड़ों की जांच किस प्रकार कर सकती है।

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा): (क) और (ख) कुछ सरणीबद्ध बल्क औषधों, औषध मध्यवर्ती पदार्थों को सीधे ही आबंटन करने से संबंधित पद्धति को, आयात व्यापार नियंत्रण नीति 1977–78 (खण्ड-1) की I धारा-III) में किये गये उल्लेख के अनुसार उक्त नीति के पैराग्राफ 92-93 में निर्धारित किया गया है। वर्ष 1977–78 के दौरान मैसर्स इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड और स्टेट कैमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड के सीधे आवंटन पद्धति के अन्तर्गत क्रमश: 605 और 444 आवेदन पत्र पंजीकृत कराये हैं। वर्ष 1978–79 की आयात नीति में सरणीबद्ध कच्चे माल के सीधे आवंटन के लिये सीधे आवंटन की योजना का कोई प्रावधान नहीं है।

(ग) जैसा कि ऊपर बताया गया है वर्ष 1978–79 में सीधे आवंटन की योजना को समाप्त किया गया है। अत: उक्त योजना के अन्तर्गत सनदी लेखापाल का प्रमाण पत्र प्राप्त करने का प्रश्न नहीं उठता। तथापि वर्ष 1978–79 में सरणीबद्ध कच्चे माल के वितरण के लिये जारी किये गये मार्गदर्शनों के अनुसार फार्मुलेंशनों की लाइसेंस शुदा क्षमता पर आधारित हकदारी निर्धारित करने के उद्देश्य से स्टेट कैमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड और मैसर्स इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यटिकल्स लिमिटेड के पास पंजीकत डी० जी० टी० डी० एककों को ऐसी लाइसेंसशुदा क्षमता पर आधारित अपनी हकदारी के बारे में सनदी लेखापाल का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ता है।

डा० गुप्ता के (हार्मनी प्लान) का प्रचार

7356. **श्री वसन्त साठे :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रधान मंत्री ने दिल्ली के एक फिजीशन डा० महावीर प्रसाद गुप्ता द्वारा विकसित (हार्मनी प्लान) को इस मामले में अग्रेतर कार्यवाही करने और इस प्लान का समचित प्रचार करने हेतु उसे सूचना और प्रसारण मंत्री को भेजा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सूचना और प्रसारण मंत्री को प्रधान मंत्री से इस बारे में पत्र प्राप्त हुआ है जैसा कि 25 फरवरी, 1979 के 'नेशनल हेरल्ड' में प्रकाशित हुआ है तथा डा० गुप्ता द्वारा विकसित 'हार्मनी प्लान' की मुख्य बातें क्या हैं तथा उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गई/की जाने वाली कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण अडवाणी) : (क), (ख) और (ग) : प्रधान मंत्री के कार्यालय से डा० महावीर प्रसाद गुप्ता के लेखों के बारे में कुछ कागज सूचना और प्रसारण मंत्री मंत्रालय में उपयुक्त कार्रवाई के लिये भेजे गये थे। डा० गुप्ता मंत्री जी से भी मिल चके हैं और उन्होंने अनुरोध किया है कि मंत्रालय उनके लेखों को प्रचारित करने की व्यवस्था करे । उनको यह बताया गया कि मंत्रालय निजी नागरिकों की ओर से प्रचार करने की व्यवस्था नहीं करता है।

मैसर्स सिंथेटिक्स एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड को नये लाइसेंस दिया जाना

7357. **श्री सुरेन्द्र विक्रम :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों में सिंथेटिक्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड को विविधीकरण के लिये कितने नये लाइसेंस जारी किये गये हैं;

(ख) इस कम्पनी द्वारा कितने लाइसेंसों का उपयोग किया गया और कितने लाइसेंसों का उपयोग नहीं किया गया और वापस कर दिये गये और इसके कारण क्या हैं; और

(ग) इनमें से कितनी परियोजनायें पूरी हो गई हैं और उनका काम कैसे चल रहा है और ऐसी कौन सी परियोजनायें निर्माणाधीन हैं और वे कब तक पूरी हो जायेंगी ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) मैसर्स सिंथेटिक्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड को पिछले बारह वर्षों में निम्न लिखित औद्योगिक लाइसेंस जारी किये गये हैं :—

औद्योगिक लाइसेंस नं० व तिथि	मद का उत्पादन
सी०: आई० एल०: 220(74) दिनांक 17-7-74	नाइट्राइल 2000 टन प्रति वर्ष
सी०: आई० एल०: 318(77) दिनांक 5-11-77	बूटाडीन कैटेलिस्ट–60 टन प्रति वर्ष
सी०: आई० एल०: 346(77) दिनांक 9-12-77	ए० बी० एस० रेजिन्स और प्लास्टिक 2000 टन प्रति वर्ष

(ख) तथा (ग): उपरोक्त तीन औद्योगिक लाइसेंसों में से नाइट्राइल रबड़ तथा बूटाडीन कैटेलिस्ट संयंत्र आरम्भ किये जा चके हैं और कम्पनी के अनसार ये सन्तोषजनक कार्य संचालन कर रहे हैं। उत्पाद की मांग तथा धन की उपलब्धता के आधार पर ए० एस० बी० योजना को चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जा रहा है।

इस्पात उद्योग, रेलवे, तापीय विद्युत संयंत्रों आदि पर कोयले की ऊंची कीमतों का प्रभाव

7358. **श्री ए० आर० बद्रीनारायण :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले की विद्यमान ऊंची कीमतों के कारण घर के काम में लाने वालों के अतिरिक्त लोहा तथा इस्पात उद्योग, रेलवे, तापीय विद्युत संयंत्रों, सीमेंट तथा अन्य कोयले का उपयोग करने वाले अन्य उद्योगों पर पहले ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ चुका हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या कोयले की बढ़ी हुई कीमत में और आगे परिवर्तन करने से उपरोक्त उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा;

(ग) यदि हां, तो कोयले की कीमत में और आगे बढ़ोतरी को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(घ) औद्योगिक क्षेत्र में तथा प्रयोक्ताओं पर इस समय तथा भविष्य में कोयले की कीमत का कुल क्या प्रभाव पड़ेगा;

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) कोयले की वर्तमान खान मुहाना कीमतें 1-7-1975 से लागू हैं और इन्हें अधिक नहीं कहा जा सकता।

(ख) और (ग) कोयले की उत्पादन लागत के बढ़ने के कारण हैं :— उत्पादन उपादानों की लागत में वद्धि, कामगारों की मजदूरी का बढ़ना, उपादानों पर उत्पाद कर का अधिक भार, मूल्य ह्रास और ब्याज। फिर इसका प्रभाव कोयले के सभी उप- भोक्ताओं पर पड़ेगा।

(घ) कोयले की लागत, उद्योग की प्रवृत्ति के अनसार, उत्पादन लागत का अलग-अलग प्रतिशत होती है। चूंकि 1-7-1975 के कोयले की खान मुहाना कीमत में कोई वद्धि नहीं की गई है इसलिये उद्योगों पर इसके प्रभाव का प्रश्न नहीं उठता।

उपक्रमों में नियुक्त किये गये सेना के सेवा-निवृत्त अधिकारी

7359. **श्री दयालराम शाक्य :** क्या उप प्रधान मंत्री तथा रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्थल सेना, नौसेना और वाय सेना के ब्रिगेडियर से जनरल तक के रैंकों के उन अधिकारियों की पृथक-पृथक संख्या कितनी है जो गत तीन वर्षों में सेवा निवत्त हुए तथा सरकारी सेवा और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में उन्हें किन-किन पदों पर नियक्त किया गया; और

(ख) क्या उक्त अधिकारी वर्तमान पदों से 58 वर्ष की आयु में सेवा निवृत्त होते हैं और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

उप प्रधान मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) पिछले तीन वर्षों ब्रिगेडियर से जनरल तक के रैंक के थल सेना, नौसेना और वाय सेना के सेवा निवृत्त अफसरों की संख्या इस प्रकार है :—

थल सेना

ब्रिगेडियर	मेजर जनरल	लेफ्टिनेन्ट जनरल	जनरल
99	30	7	1

नौसेना

कैप्टेन/कमोडोर	रियर एडमिरल	वाइस एडमिरल	एडमिरल
22	3	7	1

वायु सेना

एयर कोमोडोर	एयर वाइस मार्शल	एयर मार्शल	एयर चीफ मार्शल
27	13	10	2

डी० जी० ए० एफ० एम० एस०

	थल सेना	नौसना	वायुसेना
ब्रिगेडियर तथा समकक्ष	35	4	6
मेजर जनरल तथा समकक्ष	10	1	1
लेफ्टिनेन्ट जनरल तथा समकक्ष	5	—	1

पुनर्वास महानिदेशालय, सेना मुख्यालयों, और सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा महा निदेशालय के माध्यम से सरकारी सेवा में और सार्वजनिक उपक्रमों में जिन पदों पर थल सैना के ब्रिगडियर तथा उच्च स्तर के अधिकारी और नौसेना तथा वायु सेना के उनके समकक्ष अधिकारी नियुक्त हुए उनकी सूची संलग्न है।

(ख) सेवा निवृत्ति के बाद पुनः नियुक्त होने वाले अधिकारी उस सेवा में नियुक्ति के नियमों के अधीन होते हैं जिनमें वे नियुक्त होते हैं। इन पदों से निवृत्ति होने की आयु के बारे में इस मंत्रालय के पास सूचना उपलब्ध नहीं है।

विवरण

पुनर्वास महानिदेशालय, सेना मुख्यालयों और सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा महानिदेशालय के माध्यम से सरकारी सेवा में और सार्वजनिक उपक्रमों आदि में जिन पदों पर सेवा निवृत्ति के बाद थल सेना के ब्रिगेडियर तथा उच्च स्तर के अधिकारी और नौसेना तथा वायु सेना में उनके समकक्ष अधिकारी पुनः नियोजित हुए उनकी सूची।

पुनर्वास महानिदेशालय के माध्यम से

मेजर जनरल निदेशक, सिविल डिफेंस, दिल्ली प्रशासन अध्यक्ष, टेनरी एण्ड फुटवीयर कारपोरेशन आफ इण्डिया, कानपुर।

सम्पर्क विकास अधिकारी, सेन्टरल बैंक आफ इंण्डिया महानिदेशक सिविल डिफेंस।

ब्रिगेडियर

चीफ आपरेशन मैनेजर, कलकत्ता ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन, कलकत्ता
उप महा प्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम लिमिटेड, पूर्वी जोन
परियोजना मनेजर, इंजीनियर्स इण्डिया लिमिटेड, बढ़ौंदा
मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रागा टूल्स लिमिटेड, सिकन्दराबाद
उप निदेशक, आसूचना ब्यूरो, गृह मंत्रालय
सचिव, राज्य सैनिक बोर्ड, जयपुर
निदेशक, आन्ध्र प्रदेश राज्य सैनिक बोर्ड, हैदराबाद
कोल इण्डिया लिमिटेड में अध्यक्ष के सलाहकार
चीफ आफ मेटीरियल, भारत कूंकिंग कोल, धनबाद
चीफ आफ मेटीरियल, वेस्ट्रन कोल फील्ड, नागपुर
सिविल सम्पर्क अधिकारी, जम्मू काश्मीर सरकार, जम्मू.
मुख्य कार्यपालक अधिकारी, फर्टीलाइजर कारपोरेशन आफ इण्डिया, सिन्दरी
उप महानिरीक्षक, सीमा सुरक्षा दल, बान्दीपुर (जम्मू-काश्मीर)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी (4) फर्टीलाइजर कारपोरेशन आफ इण्डिया
सचिव, राज्य सैनिक बोर्ड, उड़ीसा
महाप्रबन्धक, स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड, लखनऊ
उप महानिदेशक, होम गार्डस
सचिव, राज्य सैनिक बोर्ड, केरल
उप महानिरीक्षक, सीमा सुरक्षा दल, इम्फाल
सम्पर्क/विकास अधिकारी, सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया
सचिव, राज्य सैनिक बोर्ड, गुजरात
मुख्यालय महानिदेशक, सीमा सुरक्षा दल, गृह मंत्रालय
डिप्टी कमांडेट, सीमा सुरक्षा दल, टेकनपुर

कोमोडोर

सचिव, राज्य सैनिक बोर्ड, बिहार, पटना।

एयर कोमोडोर

मुख्य कार्यपालक अधिकारी. फर्टीलाइजर कारपोरेशन आफ़ इण्डिया

सेना मुख्यालय के माध्यम से

एयर मार्शल

अध्यक्ष, हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड, बंगलौर

एयर कोमोडोर

हवाई पत्तन निदेशक, अन्तरराष्ट्रीय हवाई पत्तन प्राधिकरण

सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा महानिदेशालय के माध्यम से

मेजर जनरल

सलाहकार, चिकित्सा सेवा, फैन्सी गांव रिफाइनरी तथा पट्रोकेमिकल लिमिटेड, असम

ब्रिगेडियर

निश्चेतक, पश्चिमी बंगाल स्वास्थ्य सेवा, कलकत्ता

सी० एन० ओ०, दामोदर वैली कारपोरेशन, कलकत्ता

सी० एम० ओ, हिन्दुस्तान कारपोरेशन लिमिटेड कलकत्ता

एयर कोमोडोर

सी० एम० ओ०, सिविल डिफेंस, डी० जी० एच० एस, नई दिल्ली।

गैर-सरकारी कम्पनियों में निदेशकों की बिना काम नियुक्ति

7360. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर सरकारी कम्पनियों में ऐसे बहुत से व्यक्ति निदेशकों के पद पर नियुक्त है जिसके पास कोई काम नहीं है और वे वेतन तथा अन्य भारी लाभ प्राप्त कर रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप कम्पनियों द्वारा लाभ का अधिकांश भाग अपने रिश्तेदारों को दिया जा रहा है; और

(ख) इस प्रथा को रोकने के लिये सरकार का क्या ठोस कदम उठाने का विचार है?

गृह, विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालयों में राज्य मंत्री श्री एस० डी० पाटिल) : (क) तथा (ख) कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत, केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन, पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों और प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों, जो पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों की सहायक हैं, के प्रबन्धकीय/पूर्णकालिक निदेशकों और प्रबन्धकों की केवल नियुक्ति या पुन-नियुक्ति तथा परिश्रमिक की अदायगी के लिये अपेक्षित है। इस प्रकार का अनुमोदन प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों जो पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों को सहायक नहीं है, के लिये अपेक्षित नहीं है। इसके अन्तोक्त वर्ग में, देश में 38,000 प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों से अधिक हैं। कम्पनी कार्य विभाग के पास प्रश्न के भाग (क) के सम्बन्ध में इस प्रकार से कोई सूचना नहीं है। इस प्रकार की सूचना आसानी से एकत्र नहीं की जा सकती है। क्योंकि इसके लिए भारी प्रयास और समय अपेक्षित है तथा इसके परिणाम इसके प्रयासों और व्यय में समानुपातिक नहीं होंगे। पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों और प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों, जो पब्लिक लिमिटेड

कम्पनियों की सहायक हैं, के प्रबन्धक पूर्णकालिक निदेशकों और प्रबन्धकों की नियुक्तियों/पुन-नियुक्तियों तथा परिश्रमिक की अदायगी के लिये आवेदन पत्रों में प्रबन्धकीय कार्मिकों द्वारा किये गये कार्यों की प्रकृति को विशेषत: मांगा जाता है। इस पहलू पर, नियुक्ति के अनुमोदन और परिश्रमिक को निर्धारित करते समय ध्यान दिया जाता है। जहां तक साधारण निदेशक का सम्बन्ध है, वे सामान्यत: बैठक शुल्क के हकदार है। बैठक शुल्कों से अधिक उनके पारि-श्रमिक को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 309 के उपबन्धों द्वारा विनियमित किया जाता है।

दामोदर घाटी निगम अधिनियम का संशोधन

7361. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति**
श्री पी० एम० सईद
श्री आर० वी० स्वामीनाथन : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दामोदर घाटी निगम अधिनियम का संशोधन करने के कुछ प्रस्तावों की जांच कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में कितने सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(ग) सुझावों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) अधिनियम में संशोधन के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक कर लिया जाएगा ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन,) (क) से (घ) : दामोदर घाटी निगम के पुनर्गठन के लिए विभिन्न प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिनमें अधिनियम में संशोधन शामिल है। निर्णय उचित समय पर लिया जाएगा।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में ग्रामीण विद्युतीकरण

7362. **श्री अहमद हुसैन** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर क्षेत्र का ग्रामीण विद्युतीकरण करने के सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है और 31 मार्च, 1979 को समाप्त हुए गत पांच वर्षों में, राज्यवार इन राज्यों को कितनी सहायता/अनुदान/ऋण दिए गए;

(ख) वर्ष 1979-80 और 1980-81 में आसाम के गोलपाड़ा जिले के किन स्थानों में तथा आसाम के कितने गांवों में बिजली लगाई जाएगी और केन्द्र और आसाम सरकार ने इस प्रयोजन हेतु अब तक कितना धन निर्धारित किया है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन, (क) उत्तर पूर्वी क्षेत्र में असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैण्ड तथा त्रिपुरा राज्य और अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोराम संघ शासित क्षेत्र शामिल हैं। इन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में 1974-79 के दौरान ग्राम विद्युतीकरण कार्यों के लिए विभिन्न वित्तीय साधनों के अन्तर्गत स्वीकृत किए गए कुल परिव्यय को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

हालांकि समग्र रूप से देश में ग्राम विद्युतीकरण ने अच्छी प्रगति की है तथापि इस दिशा में उत्तर पूर्वी राज्य/संघ शासित क्षेत्र पिछड़े हुए हैं। भौगोलिक स्थितियों, संचार सुविधाओं की कमी, अपर्याप्त पारेषण/वितरण तारजाल, भार विकास की कमी आदि के कारण इन राज्यों में ग्राम विद्युतीकरण की गति सामान्यतः धीमी रही है। क्षेत्रीय असन्तुलनों को दूर करने की दृष्टि से ग्राम विद्युतीकरण के कार्य को पांचवीं योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के एक भाग के रूप में हाथ में लिया गया था ताकि जो राज्य इस सम्बन्ध में पिछड़े रहे हैं उनके साधनों की अनुपूर्ति की जा सके। पंचवर्षीय योजना 1978-83 के संशोधित न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत इस पर विशेष ध्यान दिया जाता रहा है। संशोधित न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में आगामी दस वर्षों अर्थात 1978-88 के दौरान प्रत्येक राज्य में कम से कम 50 प्रतिशत विद्युतीकरण की परकल्पना है।

(ख) 1979-80 की वार्षिक योजना में असम में ग्राम विद्युतीकरण के लिए 8 करोड़ रुपए आबंटित करने का प्रावधान है। इसका विवरण निम्नानुसार है :—

	करोड़ रुपए
ग्राम विद्युतीकरण निगम का सामान्य कार्यक्रम . .	2
संशोधित न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	3
राज्य का सामान्य विकास कार्यक्रम	1
पर्वतीय क्षेत्र योजना	2
	8

लगभग 1200 गांवों का विद्युतीकरण करने का लक्ष्य है।

राज्य बिजली बोर्ड का अन्तरिम कार्यक्रम 1979-80 में गोलपाड़ा जिले के 130 गांवों का विद्युतीकरण करने का है। जिन गांवों का विद्युतीकरण किया जाना है उनकी सूची को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

1980-81 का कार्यक्रम तैयार नहीं किया गया है।

विवरण

पिछले पांच वर्षों अर्थात 1974-79 के दौरान उत्तर पूर्वी क्षेत्र में ग्राम विद्युतीकरण के कार्यों के लिए स्वीकृत परिव्यय को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपयों में)

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	परिव्यय			जोड़
		सामान्य विकास कार्यक्रम	ग्राम विद्युतीकरण निगम	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	
1.	असम	363.00	962.00	975.00	2300.00
2.	मणिपुर	20.00	10.00	85.00	115.00
3.	मेघालय	—	424.00	361.00	785.00
4.	नागालैण्ड	45.00	—	169.00	214.00
5.	त्रिपुरा	6.00	100.00	399.00	505.00
	संघ शासित क्षेत्र				
6.	अरुणाचल प्रदेश	134.00	—	281.50	415.50
7.	मिजोरम	86.00	—	232.00	318.00
	जोड़	654.00	1496.00	2502.50	4652.50

हिन्दुस्तान इन्सेक्टीसाइडस लिमिटेड की उत्पादन क्षमता

7363. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या **पैट्रोलियम, रासायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान इन्सेक्टीसाइडस लिमिटेड की उत्पादन क्षमता कम हो गई है जिससे विभिन्न किस्मों की महत्वपूर्ण कृमिनाशक और कीटनाशक औषधियों की कमी हो गई है,

(ख) यदि हां, तो इससे कृमिनाशक औषधियां चोर बाजार में बेची जा रही हैं, और

(ग) इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हे० न० बहुगुणा) : (क) जी, नहीं । हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइडस लिमिटेड केवल डी० डी० टी० तथा बी० एच० सी०, तकनीकी का उत्पादन करती है । वर्ष 1978-79 के दौरान इन दोनों मदों का अधिकतम उत्पादन 6403 मी० टन है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

प्रचार नीति और भाषायी दैनिक समाचार पत्रों का विकास

7364. **श्री सचीनद्रलाल सिंधा :** क्या सूचना और प्रसारण यह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मन्त्रालय की देश में प्रचार नीति का ब्यौरा क्या है ?

(ख) क्या मन्त्रालय के ध्यान में यह बात लाई गई है कि विभिन्न राज्यों तथा विशेषकर पिछड़े क्षेत्रों में भाषायी दैनिक समाचार पत्रों के विकास में कोई उचित प्रगति नहीं हुई है ?

(ग) यदि हां, तो क्या उनके मन्त्रालय के कुछ अधिकारियों ने विभिन्न राज्यों के भाषायी समाचार पत्रों के सम्पादकों से भेंट की है;

(घ) यदि हां, तो गत दो वर्षों में, तिथिवार, उसका ब्यौरा क्या है;

(ड) भाषायी समाचार पत्रों को अध्यतन गतिविधियों से अवगत रखने के लिए प्रचार विभाग द्वारा अब तक की गई व्यवस्था का ब्यौरा क्या है; और

(च) इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) सरकारी प्रचार का आवश्यक रूप से उद्देश्य होता है। देश के लोगों को सरकारी नीतियों तथा कार्यक्रमों का निष्पक्ष और सौद्देश्य रूप से सूचना देना।

(ख) भाषाई पत्रों में अपने विकास और वृद्धि के बारे में सरकारी सहायता की आवश्यकता के बारे में एक आम भावना रही है। समाचार एजेंसियों के भविष्य के बारे में सरकारी निर्णय में यह बात रही। प्रेस आयोग को भी इस पहलू की जांच करने के लिए कहा गया है।

(ग) और (घ) भाषायी समाचारपत्रों के प्रतिनिधियों के साथ सरकारी अधिकारियों की बैठक सतत और सामान्य बात है। इन बैठकों के बारे में इस प्रकार का कोई अलग रिकार्ड नहीं रखा जाता है। तथापि, पत्र सूचना कार्यालय के प्रधान सूचना अधिकारी ने हाल ही में हैदराबाद, बम्बई और कलकत्ता में एक क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किए जहां उन्होंने भाषायी सभाचार पत्रों के सम्पादकों और प्रतिनिधियों से भेंट की। उन्होंने जब वे जनवरी 1979 में जयपुर यात्रा पर गए, वहां भाषायी समाचारपत्रों के सम्पादकों और पत्रकारों के साथ भी भेंट की थी।

(ङ) एक विवरण संलग्न है।

(च) इसका परिणाम यह हुआ कि भाषायी समाचारपत्रों में विकासोन्मुख गतिविधियों को अधिक स्थान दिया गया तथा देश की सामाजिक और आर्थिक बेहतरी के लिए सरकार द्वारा प्रारम्भ किए गए कार्यक्रमों और नीतियों के बारे में लोगों के बीच आर्थिक जागरूकता और समझने की भावना पैदा हुई।

विवरण

पत्र सूचना कार्यालय सभी भाषाओं में देश के समाचारपत्रों की सूचना आंकड़े आदि देता है । हाल ही में, छोटी और मझोले भाषाई समाचारपत्रों को शीघ्रातिशीघ्र समाचार पहुंचाने के लिए अधिक जोर दिया जा रहा है । इसके अलावा, छोटे और मझौले समाचार-पत्रों के प्रयोग के लिए समाचार रिलीजें, प्रेस नोट और अन्य सूचना सामग्री, फोटोग्राफ, एबी नाइड ब्लाक और चार्ट्स (उर्दू के समाचारपत्रों के लिए) सप्लाई किए जा रहे हैं। पिक्चरों की संख्या, जिसके लिए सभी भाषाओं में छोटे और मझौले समाचारपत्रों से काफी मांग है, में वृद्धि की गई है । छोटे और मझौले समाचारपत्रों के इस्तेमाल के लिए कुछ विशिष्ट सेवाएं ग्रामीण पत्र सेवा, साप्ताहिक समाचार समीक्षा, विज्ञान पत्रिका, कृषि पत्रिका आदि की भी व्यवस्था की जा रही है। छोटे समाचारपत्रों के लिए प्रत्ययन सुविधाओं के लिए प्रत्ययन नियमों में भी संशोधन किए गए हैं जो प्रत्ययन की पात्रता के लिए सर्कुलेशन के न्यूनतम स्तर तक पहुंचने के लिए सम्मिलित हो सकते हैं । पत्र सूचना कार्यालय मुख्यालय तथा प्रादेशिक केन्द्रों से जिन प्रेस पार्टियों को ले जाता है उनमें भारतीय भाषायी समाचारपत्रों के काफी प्रतिनिधियों को शामिल किया जाता है । कुछ मामलों में प्रधान मंत्री की विदेश यात्रा पर आंशिक निशुल्क किराया देकर भाषायी समाचार पत्रों का अपने संवाददाताओं को भेजने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है ।

गोआ में छोटे इस्पात संयत्र

7365. **श्री एडुआर्डो फैलारो :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे

(क) क्या गोआ में छोटे इस्पात कारखाने स्थापित करने की मांग होती रही है,

(ख) यदि हां, तो मांग किसने की और यह मांग कब की गई थी ;

(ग) क्या सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है, और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा)। (क) गोआ में एक विद्युत चाप भट्टी इकाई, जिसे साधारण भाषा में छोटा इस्पात कारखाना कहते हैं, लगाने के बारे में कोई आवेदन-पत्र इस्पात विभाग में अनिर्णीत नही है ।

(ख) से (घ) : प्रश्न नहीं उठते।

मैसर्स इंडिया कोकिंग और सी० ई० फुलफोर्ड को जेन्टामाइसीन का जारी किया जाना

7366. **श्री मोतीभाई आर० चौधरी :** क्या **पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) या यह सच है कि इंडियन कोकिंग और सी० ई० फुलफोर्ड को जेन्टामाइसीन की निकासी सरकार ने बन्द कर दी है और यदि हां, तो 1 अप्रैल, 1978 को इन दोनों कम्पनियों के पास कितना भण्डार उपलब्ध था, उसके बाद विभिन्न स्रोतों से जेन्टामाइसीन की प्राप्ति का तारीखवार ब्यौरा क्या है और वह अब तक कुल कितनी मात्रा में प्राप्त की गई है;

(ख) यदि दोनों कम्पनियों ने सरणीबद्ध एजेंसियों के अलावा अन्य स्रोतों से जेन्टामाइसीन प्राप्त की है, तो उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम और आई० टी० सी० नीति आदि का उल्लंघन करने के लिए उन दोनों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी, हां । सी पी० सी० द्वारा मैसर्स इंडिया शेरिंग तथा सी० ई० फुलफोर्ड को 1978-79 में जेन्टामाइसीन की सप्लाई बन्द कर दी गई है । 1 अप्रैल 1978 को उसके पास उपलब्ध भण्डार, उसके बाद विभिन्न स्रोतों से जेन्टाइमाइसीन की अधिप्राप्ति तथा अब तक प्राप्त की गई कुल मात्रा के बारे में सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ख) उपरोक्त भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए इस अवस्था में प्रश्न नहीं उठता ।

हल्दिया में पेट्रोलियम रसायन संयंत्र की स्थापना

7367. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान हल्दिया में एक पेट्रो-रसायन संयंत्र स्थापित करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) हल्दिया में एक पेट्रो-रसायन काम्प्लैक्स की स्थापना के लिए नवम्बर, 1977 में बंगाल इंडस्ट्रियल कार्पोरेशन लि० को निम्नलिखित क्षमताओं के लिए एक आशय पत्र दिया गया था ।

वस्तु उत्पादन	मी० टन में वार्षिक क्षमता
1. इथाइलीन	54,000
2. प्रोपाइलीन	30,000
3. प्रोनाइसिस गैसोलीन	46,000
4. बूटाडीन	8,000
5. वैंजीन	8,000
6. इथाइलीन अक्साइड	3,000
7. इथाइलीन ग्लाइकोल	10,000
8. डाईथाइलीन ग्लाईकोल	1,500
9. इथाइल हैक्सानोल	21,000
10. आइसोबूटानोल	8,100
11. एन-बुटानोल	3,150
12. एच० डी० पी० ई०	20,000
13. पी० वी० सी०	45,000

मैसर्स फाइजर द्वारा आक्सीटेट्रासाइक्लिन की खपत

7368. **श्री शंकरसिंह जी वाघेला** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि /

(क) गत तीन वर्षों के दौरान मै० फाइजर द्वारा आक्सीट्रेट्रासाइक्लिन की की गई खपत का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है ; मै० फाइजर द्वारा उत्पादित इस बल्क औषधि पर आधारित फार्मुलेशनों का ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान उनका कितना उत्पादन हुआ ;

(ख) वर्ष 1976-77, 1977-78 और 1978-79 के दौरान मै० फाइजर को इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि० द्वारा आक्सीटेट्रासाइक्लिन की कितनी मात्रा में सप्लाई की गई और उपर्युक्त अवधि के दौरान इस बारे में उनके मंत्रालय द्वारा इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि० को जारी किए गए सभी पत्रों का पूरा ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इन पत्रों को जारी करते समय यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई कि मै० फाइजर को उनके औद्योगिक लाइसेंस में निर्दिष्ट विभिन्न फार्मूलेशनों और बल्क औषधियों के लिए उनकी लाइसेंस प्राप्त क्षमता से अधिक आक्सीटेट्रासाइक्लिन प्राप्त न हो ।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) मैसर्स फाइज़र लिमिटेड द्वारा उत्पादित किए जा रहे आक्सीटेट्रासाइक्लीन पर आधारित फार्मूलेशनों के ब्यौरे अनुबन्ध मे दिए गए हैं ।

वर्ष 1976-77. 1977-78 और 1978-79 के दौरान मैसर्स फाइज़र लिमिटेड द्वारा आक्सीटेट्रासाइक्लीन पर आधारित फार्मूलेशनों के उत्पादन तथा आक्सीट्रेट्रासाइलीन की खपत के ब्यौरे एकत्रित किए जा रहे हैं और लोक सभा पटल पर रख दिए जाएंगे ।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान आई० डी० पी० एल० ने मैसर्स फाइज़र को आक्सीटेट्रासाइक्लीन की निम्नलिखित मात्राएं सप्लाई कीं :—

1976 (कलेण्डर वर्ष) . .	21.57	मी० टन
1977-78	5	मी० टन०
1978-79	27	मी० टन०

आक्सीटेट्रासाइक्लीन का आयात वर्ष 1977-78 के दौरान किया गया था ।

मैसर्स फाइज़र लिमिटेड द्वारा सामना की जा रही कुछ समस्याओं के सम्बन्ध में मंत्रालय ने दिनांक 21 नवम्बर 1977 को मैसर्स इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड को आक्सीटेट्रासाइक्लीन की 5 मी० टन की एक मात्रा मैसर्स फाइज़र को देने की सलाह दी जिससे कि वे इस श्रेणी के फार्मूलेशनों का उत्पादन चालू रखने में समर्थ हो सकें ।

(ग) आयातित बल्क औषध के मामले में, डी० जी० टी० डी० एककों और छो पैमाने के एककों को आयातित कच्ची सामग्री के वितरण के लिए मंत्रालय ने मार्गदर्शिका निर्धारित की है जिसका सी० पी० सी० तथा आई० डी० पी० एल० नामक केनेलाइजिंग/वितरण करने वाली एजेंसियों द्वारा अनुसरण में किया जा रहा है । नई औषध नीति के अनुसरण सरकार ने सम्बद्ध बल्क औषधों की स्वीकृत मात्राओं के अनुरूप एकीकृत क्षमताएं दर्शाते हुए समस्त डी० जी० टी० डी० एककों को एकीकृत लाइसेंस जारी करने के लिए भी कार्यवाही प्रारम्भ कर दी है । एक बार ये लाइसेंस जारी कर दिए जाएं, आयातित कच्चे माल की सप्लाई लाइसेंसीकृत क्षमताओं के अनुरूप हकदारी से अपने आप सम्बद्ध हो जाएगी ।

विवरण

1. टेरामाइसीन इन्टरवीनस सोल्यूशन
2. टेरामाइसीन इन्टरमस्कूलर सोल्यूशन
3. टेरामाइसीन गोलियां
4. टेरामाइसीन कैप्सूल्स
5. टेरामाइसीन एस० एफ० कैप्सूल्स
6. टेरामाइसीन सिरप
7. टेरामाइसीन प्रीमिक्सड पेडिएट्रिक ड्राप्स
8. टेरामाइसीन आफथालमिक मरहम
9. टेरामाइसीन डेण्टल
10. टेरामाइसीन टोपिकल मरहम
11. टेरामाइसीन इन्जैक्टेबल सोल्यूशन
12. एम्बियोटिक कैप्सूल्स
13. टेरामाइसीन आंख/कान सस्पैन्शन
14. टेरामाइसीन तरल
15. टेरामाइसीन पाउडर
16. टेरामाइसीन एनिमल फार्मूला मास्टिटिस के लिए
17. टेराकोर्ट्रिल मरहम
18. यूरिबियोन्टिक कैप्सूल्स
19. मेस्टेलोन
20. टेरामाइसीन पोल्ट्री फार्मूला एन्टीजर्म-77 के साथ
21. टेरामाइसीन ओबिक सोल्यूशन ।

मैसर्स आई० डी० पी० एल० फाइजर और होचेस्ट को कच्चे माल का वितरण

7369. **श्री शंकर सिंहजी वाघेला** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में, वर्षवार, आई० डी० पी० एल०, फाइज़र और होचेस्ट को दिए गए सरकारी माध्यम से आयातित कच्चे माल का ब्यौरा क्या है, प्रत्येक फार्मूलेशन के लिए जिसके लिए सरकारी माध्यम से आयातित कच्चा माल दिया गया था, उनकी लाइसेंसशुदा क्षमता का ब्यौरा क्या है तथा यह सच है कि उन्हें कच्चे माल का वितरण लाइसेंस शुदा क्षमता तक सीमित नहीं था ;

(ख) क्या यह सच है कि इन 3 एककों को सरकारी माध्यम से आयातित कच्चे माल के वितरण और फार्मूलेशनों में उनकी खपत तथा पिछले स्टाक में मिलान नहीं होता है और यदि हां, तो क्या उन्होंने अतिरिक्त कच्चे माल को अथवा सरकारी एजेंसी से भिन्न अन्य स्रोत से प्राप्त बल्क औषधियों को बेच दिया है ;

(ग) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और आयात व्यापार नियन्त्रण नीति का उल्लंघन करने के लिए के इन तीन कम्पनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) हाल ही में समेकित कच्चे माल (औषधों) के ब्यौरे जोकि आई० डी० पी० एल०, फाइज़र, हैक्सट को वर्ष 1976-77 और 1977-78 के दौरान दिए गए थे संलग्न विवरण पत्र में दर्शाए गए हैं। वर्ष 1978-79 के लिए इसी प्रकार के आंकड़े एकत्र किए जा रहे हैं और सभा पटल पर प्रस्तुत किए जाएंगे । इन तीन फर्मों सहित डी० जी० टी० डी० एककों को वर्ष 1976-77 और 1977-78 के दौरान सरणीबद्ध बल्क औषधों की सप्लाई प्रत्येक औषध फार्मूलेशन की लाइसेंसशुदा क्षमता के अनुसार हकदारी के आधार पर नहीं की गई थी । इन तीन फर्मों और डी० जी० टी० डी० के अन्य एककों को वर्ष 1978-79 के दौरान सरणीबद्ध बल्क औषधों की सप्लाई निम्न आधार पर की गई थी ।

अप्रैल-सितम्बर 1978 :

वर्ष 1976-77 के लिए प्रत्येक पद के आवंटन के 50% तक ।

अक्तूबर 1978—मार्च 1979 :

(i) जहां एकक के औद्योगिक लाइसेंस में फार्मूलेशन-वार क्षमता दर्शाई गई हो वहां ऐसी क्षमता पर उसकी हकदारी के 50 प्रतिशत तक आवंटन ।

(ii) जहां औद्योगिक लाइसेंस में फार्मूलेशन-वार क्षमता नहीं दर्शाई गई है वहां वर्ष 1966-67 के लिए औद्योगिक मद के आवंटन के 50 प्रतिशत तक आवंटन ।

इन 3 फर्मों सहित डी० जी० टी० डी० एककों की फार्मूलेशन-वार क्षमता अभी दर्शाई जानी है जोकि समेकित औद्योगिक लाइसेंस जारी करने का एक भाग है, यह निर्णय हाथी समिति की सिफारिशों पर सरकार के निर्णय के अनुसरण में लिया गया है । इसके बारे में 29-3-78 को सभा पटल पर एक विवरण-पत्र प्रस्तुत किया गया था । डी० जी० टी० डी० एककों को समेकित औद्योगिक लाइसेंस जारी करने के बाद उनकी हकदारी के स्तर तक सरणीबद्ध बल्क औषधों की सप्लाई को सीमित करने का प्रस्ताव है ।

तथापि मैसर्स हैक्सट के मामले में स्ट्रेप्टोमाइसीन सल्फेट, क्लोरमफेनिकल पाउडर और टेट्रासाइक्लीन एच० सी० एल० की सप्लाई वर्ष 1978-79 के दौरान ऊपर बताई गई 1978

79 की सप्लाई नीति के अनुसार फार्मूलेशन-वार लाइसेंसशुदा क्षमता के आधार पर उनकी हकदारी तक सीमित की गई थी ।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन तीन फर्मों द्वारा सरणीबदद्ध बल्क औषधों की खपत/स्टाक से सम्बन्धित आंकड़े उनसे एकत्र किए जा रहे हैं । तत्पश्चात उनके द्वारा कैनेलाइजिंग एजेंसियों से प्राप्त प्रत्येक औषध की सप्लाई के आंकड़े से उनकी तुलना करने का प्रस्ताव है । यदि दोनों आंकड़ों में अन्तर पाया गया तो उनकी जांच की जाएगी ताकि यह देखा जा सके कि क्या इन फर्मों द्वारा अपनी आवश्यकता से अधिक अथवा कैनेलाइजिंग एजेंसियों के अलावा अन्य स्रोतों से प्राप्त बल्क औषधों को बेचा गया था अथवा नहीं ।

(ग) इन तीन कम्पनियों द्वारा आयात नीति का उल्लंघन किया गया है अथवा नहीं यह मामला तभी प्रकाश में आ सकता है जब उपरोक्त (ख) में बताई गई प्रक्रिया पूरी हो जाए अतः इन फर्मों के खिलाफ इस प्रकार का उल्लंघन किए जाने के लिए कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

विवरण

क्रम सं०	केनालाईज्ड बल्क औषध का नाम	(मात्रा किलोग्राम में)	
		1976-77	1977-78
1	2	3	4
I.	आई० डी० पी० एल० :		
1.	क्लोरमफेनीकोल पाउडर	11150	12770
2.	एम्पीसीलीन ट्राइहाइड्रेट	3500	5000
3.	एम्पीसीलीन सोडियम स्ट्राइल	380	200
4.	स्ट्रेप्टोमाइसीन स्टीयरेट	—	1500
5.	स्ट्रेप्टोमाइसीन एस्टोलेट	2	2500
6.	स्ट्रेप्टोमाइसीन बेस	1	—
7.	क्लोरोक्वीन फोसफेट	40000	32500
8.	मेथाइल डोपा	12000	4000
9.	इण्डोमेथोसीन	595	245
10.	सल्फामेथेक्साजोल	—	1025
II.	हेक्सट :		
1.	क्लोरोक्वीन फोस्फेट	—	175
2.	क्लोरमफैनीकोल पाउडर	3137	3015
3.	टेट्रासाइक्लीन एच० सी० एल०	14180	14180
4.	स्ट्रेप्टोमाइसीन सल्फेट	5930	5930
5.	विटामिन बी$_1$ ओरल	66	140
6.	विटामिन बी०$_2$	30	70

III. फाइजर

1. स्ट्रेप्टोमाइसीन सल्फेट . . .	12000	2000
2. पिपराजाईन हैक्साहाइड्रेट . . .	5000	13185
3. विटामिन बी$_1$ एच० सी० एल० . . .	—	150
4. विटामिन बी$_1$ एम्पोफस ग्रेड . . .	100	50
5. विटामिन बी$_1$ मानो	6124	8800
6. विटामिन बी$_2$	2998	3550
7. क्लोरोक्वीन फास्फेट	550	775

राजस्थान में आकशवाणी केन्द्र

7370. **श्री दौलत राम सारण** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां आकाशवाणी केन्द्र कार्य कर रहे हैं और उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां आगे आकाशवाणी केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है ;

(ख) इन दैनिक प्रसारणों में से कितने कार्यक्रम राजस्थानी भाषा में हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि राजस्थानी भाषा के कार्यक्रमों में भी राजस्थानी भाषा को उचित स्थान नहीं दिया गया है और अन्य भाषाओं में कार्यक्रमों का प्रसारण होता है ;

(घ) क्या यह सच है कि राजस्थानी भाषा के अच्छे लेखकों "बात एवं खियात" और कवियों, गीतकारों, संगीतकारों, लोकगीतों में विशेषज्ञों, कहानीकारों पुराणशास्त्र और विभिन्न शैलियों में लोक गीतों के अच्छे गायकों और कलाकारों को अवसर नहीं दिया जाता है ; और

(ङ) क्या यह सच है कि राजस्थानी भाषा के नाम पर जोधपुर बोली में कार्यक्रम प्रसारित किये जाते हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवानी) : (क) राजस्थान में इस समय जयपुर, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर और जोधपुर में आकाशवाणी के केन्द्र हैं। सुरतगढ़ में एक और केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है जो निर्माणाधीन है।

(ख) राजस्थानी भाषा/बोली में कार्यक्रम निम्न प्रकार से प्रसारित किए जाते हैं :—

दैनिक	साप्ताहिक	पाक्षिक/मासिक
(1) 10 मिनट के प्रादेशिक समाचार	(1) 5 मिनट जनरुचि के समाचार	(1) 30 मिनट मासिक मैगजीन कार्यक्रम
(2) औसतन 45 मिनट राजस्थानी लोक-संगीत	(2) सप्ताह में तीन बार प्रत्येक 10-10 मिनट के सामान्य कार्यक्रमों में स्पोकन वर्डज आई-टम्स	(2) ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के लिए 30 मिनट का पाक्षिक कार्यक्रम
(3) कृषि सम्बन्धी बातों पर हर सुबह 5 मिनट (रविवार छोड़कर)	(3) 10 मिनट साप्ताहिक कविता पाठ	(3) ग्रामीण क्षेत्र में मास में 6 बार प्रत्येक 30 मिनट के महिला कायक्रम ।

(ग) जी नहीं।

(घ) राजस्थानी भाषा की कविता, लघु कथा, लोकगीत में उपलब्ध और जानी मानी प्रतिभाओं का बिना किसी भेदभाव के उपयोग किया जा रहा है। लोक संगीत में नियमित स्वर परीक्षाएं आयोजित करने के अलावा दूरदराज के क्षेत्रों के लोक कलाकारों की ध्वनियां भी उसी स्थान पर रिकार्ड की जाती हैं।

(ङ.) जी, नहीं। मारवाड़ी को भी राजस्थानी बोली के रूप में लिया जाता है।

चासनाला तथा कान्द्रा गांवों के लोगों का भूमिगत खानों में काम के लिए सहमत न होना

7371. **श्री ईश्वर चौधरी :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान "इण्डियन एक्सप्रैस" दिनांक 24 मार्च, 1979 में छपे इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि चासनाला और कान्द्रा गांवों के निवासी जिन्होंने 70 वर्ष पुरानी कोयला खान की स्थापना में अपनी जमीन और व्यवसाय दिसम्बर, 1975 में हुई दुर्घटना में खो दिया था और बहुत से परिवारों के जीविका उपजिका भी बलि दे दिये थे अब अपने अंतिम "निष्कासन" के दिन गिन रहे हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि दुर्घटना और उससे उत्पन्न हुई उपेक्षा ने उनको तोड़ दिया है और उनमें से बहुतों ने निर्णय कर लिया है कि वे भूमिगत खानों में काम नहीं करेंगे, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) दिसम्बर, 1975 में हुई दुर्घटना के बाद इस्को के कर्मचारी भूमिगत खानों में काम करने से कतराने लगे थे। अब उन्होंने अपने इस आरम्भिक भय पर काफी हद तक काबू पा लिया है और उनमें से काफी कर्मचारी जब और जैसे जरूरत होती है, भूमिगत खानों के काम कर रहे हैं।

भारत-पाकिस्तान उर्वरक शैक्षिक परियोजना

7272. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति**
श्री पी० एम० सईद
श्री ए० आर० बद्रीनारायण } क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने हाल में भारत-पाकिस्तान उर्वरक शैक्षिक परियोजना को मंजूरी दी है जिसके लिए धन की व्यवस्था ब्रिटेन की सरकार द्वारा उपलब्ध 3 करोड़ पौंड मूल्य के उर्वरकों की बिक्री से प्राप्त होने वाली राशि से की जायेगी ;

(ख) यदि हां, तो उस संबंध में समझोते पर कब हस्ताक्षर किये जायेंगे, और

(ग) इस समझौते की मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी, नहीं। सरकार द्वारा हाल ही में भारत-पाकिस्तान उर्वरक शैक्षिक परियोजना के लिए कोई मंजूरी नहीं दी गई है। तथापि

एक इन्डो-यू० के० उर्वरक शैक्षिक परियोजना हाल ही में मंजूर की गई है जिसका वित्त प्रबन्ध निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ यू० के० सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई 30 मिलियन पौंड के मूल्य की उर्वरक बिक्री से प्राप्त की गई राशि से किया जाएगा :—

(1) स्थानीय खेती की परिस्थितियों को सुविधाजनक बनाने और उर्वरक प्रयोगों के लाभ लागत अनुपात में सुधार करने के लिए उर्वरकों के वैज्ञानिक प्रयोग को बढ़ाना।

(2) कृषि उत्पादन को अधिकतम करने के लिए विभिन्न कच्चे मालों की सामयिक सप्लाई सुनिश्चित करना।

(ख) यू० के० के साथ परियोजना करार को शीघ्र ही अन्तिम रूप दिए जाने की आशा है।

(ग) परियोजना में 6 राज्यों अर्थात् उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और असम में 25 चुने हुए जिले सम्मिलित होंगे। परियोजना की मुख्य/मुख्य बातें निम्न-प्रकार हैं :—

(क) उर्वरकों की उचित पसन्द और प्रयोग पर किसानों को शिक्षा देना।

(ख) कच्चा माल अर्थात् उच्च उत्पादकता वाले बीज, उर्वरक, पैस्टीसाइड्स, पम्पसैट और अन्य कृषि उपकरणों की सप्लाई के लिए प्रबन्ध करने व (1) कृषि राज्य विभाग (2) राष्ट्रीयकृत बैंक और सहकारी संमितियों (3) कृषि उद्योग निगम (4) पैस्टीसाइडस निर्माताओं और (5) उर्वरक डीलरों के साथ उचित समन्वय के द्वारा उचित समय पर ऋण तथा किसानों के पास उपलब्ध संसाधनों के आधार पर किसानों के लिए फसल कार्य क्रम तैयार करना।

(ग) चुने हुए गांवों में 100 से 200 हैक्टेयर सम्मिलित करते हुए संगठनात्मक ब्लाक प्रदर्शन।

(घ) उर्वरक डीलर्स प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना।

(ङ) योजना के अनुसार किसानों को समय पर सामग्री की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए चुने हुए गावों में गोदामों का निर्माण।

(च) क्षेत्र में मिट्टी के विश्लेषण के लिए मिट्टी परिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराना तथा उर्वरकों के नमूनों की जांच के लिए उर्वरक किस्म नियंत्रण सुविधाएं उपलब्ध कराना।

बंगाल लैम्प वर्क्स लिमिटेड का थोक व्यापार

7373. **श्री सी० के० चन्द्रप्रपन :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बंगाल लैम्प वर्क्सलि० ने अपने वास्तविक थोक विक्रेताओं से संबंध तोड़कर अपना अधिकांश थोक व्यपार वैलरैक्स इण्डिया लि० नाम की पब्लिक लि० कम्पनी को दे दिया है जिसके अधिकांश शेयर बंगाल लैम्प वर्कस लि० के निदेशकों के निकट संबंधियों द्वारा नियंत्रित है ;

(ख) क्या सरकार का ध्यान इस बात पर दिलाया गया है कि इस व्यवस्था से कम्पनी को उत्पादन शुल्क का अपवचन करने में सहायता मिलती है ; और

(ग) यदि हा, तो क्या कार्यवाही की गयी है और उसके क्या परिणाम निकले ?

गृह, विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) यह परिकल्पना है कि यह प्रश्न बंगाल इलैक्ट्रिक लैम्प वर्क्स लिमिटेड से सम्बन्धित है, मैं० वैलरैक्स इन्डिया लिमिटेड इस कम्पनी का एक थोक विक्रेता है ; वित्त मंत्रालय ने सूचित किया है कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कलक्टर, कलकत्ता ने यह सूचना भेजी है कि बंगाल इलैक्ट्रिक लैम्प वर्क्स लिमिटेड से वैलरैक्स इन्डिया लिमिटेड को माल की सीधी पूर्ति की मात्रा से यह प्रतीत नहीं होता कि बंगाल इलैक्ट्रिक लैम्प वर्क्स लिमिटेड द्वारा अपना थोक बिक्री का अधिकांश भाग वैलरक्स इन्डिया लिमिटेड को सौप दिया गया है ।

(ख) वित्त मंत्रालय द्वारा बताया गया है कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कलक्टर, कलकत्ता ने यह सूचना भेजी है कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की कोई अपवंचना नहीं की गई है तथा मैं० वेलरेक्स इण्डिया लिमिटेड को दिये गये माल का निर्धारण, अन्य थोक बिक्री व्यापारियों को भेजे गये माल के निर्धारण के समान मूल्य पर किया जाता है ।

(ग) उत्पन्न नहीं होता ।

राष्ट्रीय विद्युत् ग्रिड

7374. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति**
श्री निहार लास्कर :
श्री ए० आर० बद्रीनारायण } क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या देश में बिजली की आवश्यकता को पूरा करने के लिये राष्ट्रीय तापीय विद्युत् निगम ने बिजली भेजने का राष्ट्रीय ढांचा (विद्युत ग्रिड) तैयार किया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित योजना का ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस योजना को कब तक क्रियान्वित करने की संभावना है ; और

(घ) इस पर कितना खर्च होगा ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) से (घ) : जी नहीं । तथापि, लाभभोगता राज्यों में अधिक मात्रा में बिजली की सप्लाई लेने वाले स्थानों की सिंगरोली, कोरबा, रामागुंडम और फरक्का के वृहत् क्षेत्रीय ताप विद्युत् केन्द्रों से बिजली के पारेषण के लिए राष्ट्रीय ताप विद्युत् निगम 400 के० वी० की सम्बद्ध पारेषण लाइनों का निर्माण कर रहा है । पारेषण परियोजनाओं की अनुमानित लागत नीचे दी गई है :—

(1) सिंगरोली चरण-एक (600 मेगावाट) से सम्बद्ध पारेषण प्रणाली . . . 31.64 करोड़ रुपए

(2) कोरबा चरण–एक (100 मेगावाट) से सम्बद्ध पारेषण प्रणाली . . . . . 100.90 करोड़ रुपए

(3) रामागूंडम चरण-एक से (1100मेगावाट से सम्बद्ध पारेषण प्रणाली 116.14 करोड़

(4) फरक्का सोपान—एक चरण–एक (600 मेगावाट) से सम्बद्ध पारेषण प्रणाली . . . 30.20 करोड़ रुपये

विद्युत् केन्द्रों को चालू करने के कार्यक्रम के अनुसार ही पारेषण परियोजनाएं पूर्ण हो जाने की आशा है ।

लोहे की छीलनों को एकत्रित करने तथा उन्हें संशिलष्ट करने के उद्योग का पुनर्गठन

7375. **श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति**
श्री आर० वी० स्वामीनाथन
श्री पी० एम० सईद
श्री बालासाहिब विखे पाटिल : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लोहे की छीलन का एकत्रित करने तथा उसे संशलिष्ट संबंधी उद्योग का पुनर्गठन तथा सुनियमन किया जा रहा है ताकि देश में निजी इस्पात संयंत्रों की बढ़ती हुई मांग को पूरा किया जा सके ।

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस्पात मंत्रालय ने लोहे की छीलन उद्योग के विकास संबंधी समिति की कुछ मुख्य सिफारिश स्वीकार कर ली जिसमें इस उद्योग को सरकारी नियंत्रणाधीन लाने के उपायों का सुझाव दिया गया है, और

(घ) यदि हां, तो इस समिति की कितनी सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं ।

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कडिया मुण्डा) : (क) और (ख) रद्दी लोहा एकत्रीकरण और विधायन उद्योग इस समय भी काफी हद तक एक सुव्यवस्थित उद्योग है । केवल रद्दी लोहे के विधायन के सीमित पहलू को उद्योग विकास और विनियमन अधिनियम के क्षेत्राधिकार में लाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

(ग) यह कहना सही नहीं है कि फैरस स्क्रेप उद्योग के विकास के बारे में नियुक्त की गई समिति ने यह सिफारिश की थी कि इस उद्योग को सरकार के नियंत्रण में लाया जाए ।

(घ) समिति द्वारा की गई 25 सिफारिशों में से 9 नोट कर ली गई थीं, 9 स्वीकार कर ली गई थीं, 6 विचाराधीन हैं और एक आंशिक रूप से स्वीकार की गई है ।

ध्वज नियमावली का पालन किया जाना

7376. **डा० वसन्त कुमार पण्डित :** क्या **उप प्रधान मंत्री तथा रक्षा** मंत्री यह बताने की करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई में पश्चिमी नौसेना कमान के भवन पर तथा नौसेना भवन पर राष्ट्रीय ध्वज गणतंत्र दिवस तथा स्वतंत्रता दिवस पर फहराया जाता है ;

(ख) क्या यह सच है कि उक्त प्रक्रिया भारतीय ध्वज नियामावली का उल्लंघन करते हुए बन्द नहीं की गई है ।

(ग) क्या यह सच है कि बम्बई के एक समाज सेवी श्री सी० बी० बराड ने अनुरोध किया है कि भारतीय ध्वज नियमावली के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज (एक) गणतन्त्र दिवस (दो) स्वतंत्रता दिवस (तीन) महात्मा गांधी के जन्म दिवस और (चार) जलियांवाला बाग के शहीदों की समृति में राष्ट्रीय सप्ताह पर फहराया जाना चाहिये ; और

(घ) उक्त मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उप प्रधान मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (घ) श्री सी० वी० बराड़ ने सरकार को लिखा था कि बम्बई में पश्चिमी नौसेना कमान तथा नौसेना भवन से स्वतंत्रता दिवस गणतन्त्र दिवस और राष्ट्रीय महत्व के अन्य दिवसों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने को कहा जाय ।

श्री बराड़ को पता दिया गया है कि पश्चिमी नौसेना कमान के भवनों पर पूरे साल नौसेना ध्वज फहराया जाता है । नौसेना ध्वज में राष्ट्रीय ध्वज सम्मिलित है और इस प्रकार राष्ट्रीय ध्वज को पूरा सम्मान दिया जाता है । यह प्रक्रिया नौसेना नियमों और राष्ट्रीय झंडा संहिता के अनुरूप है, जिसमें व्यवस्था है कि रक्षा स्थापनाएं राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए अपने ही नियमों का पालन करेंगी ।

घाटे पर चल रहे उर्वरक कारखाने

7378. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या **पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बरौनी, सिन्दरी और नामरुप (असम) में घाटे पर चल रहे उर्वरक कारखानों के नाम क्या हैं तथा उसके क्या कारण हैं ; और

(ख) यदि किन्हीं कारणों से कोई कारखाना लगातार घाटे पर चल रहा है तो सरकार उसका स्थायी समाधान खोजने के लिए क्या कार्रवाही कर रही है ?

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) फर्टिलाइज़र कारपोरेशन आफ इंडिया का सिन्दरी एकक तथा हिन्दुस्तान फर्टिलाइज़र कारपोरेशन आफ इंडिया के बरौनी और कामरूप एकक घाटे पर चल रहे हैं।

सिन्दरी एकक देश के सबसे पुराने उर्वरक संयंत्रों में से एक है जिसने 1951-52 में उत्पादन आरम्भ किया था। इस एकक में हानि के मुख्य कारण हैं:—अपर्याप्त क्षमता उपयोग तथा संयंत्र के पुराना पड़ जाने के कारण कच्चे माल की अधिक खपत और उपयोग के मानदण्ड और उर्वरकों के लिए प्रतिधारण मूल्यों की योजना की शुरुआत से पहले उत्पादित उर्वरकों के लिए अलाभप्रद मूल्य ।

बरौनी और नामरूप एककों ने डिज़ाइन की त्रुटि कम क्षमता उपयोग, उपकरण विफलता तथा पावर के घटने-बढ़ने गतिरोधों के कारण हानि उठा रहे हैं।

(ख) सिन्दरी संयंत्र की स्थिति में खराबी तथा मरम्मत और अनुरक्षण पर बढ़ते हुए भार को ध्यान में रखते हुए कुछ पुराने संयंत्रों का नवीकरण किया जा रहा है जबकि अन्य संयंत्रों के चरणबद्ध कार्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं। इसी प्रकार सिन्दरी में संयंत्रों को आधुनिक बनाने तथा उत्पादन के विधिकरण के लिए सिन्दरी सुव्यवस्थीकरण तथा सिन्दरी आधुनिकीकरण नामक नई परियोजनाएं सिन्दरी में स्थापित करने के लिए कार्यवाही की

गई है । यह आशा है कि सुव्यवस्थीकरण परियोजना 1980 में निर्धारित क्षमता के लगभग उत्पादन को स्थिर कर लेगी। सिन्दरी आधुनिकीकरण परियोजना मशीनी तौर पर पूरी हो गई है तथा जुलाई 1979 तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ किए जाने की आशा है।

बरौनी और नामरूप में डिज़ाइन की त्रुटियों तथा उपकरणों संबंधी समस्याओं की पहचान की गई है तथा उपचारी उपाय किए जा रहे हैं । आने वाले वर्षों में इन संयंत्रों से उत्पादन में सुधार होने की आशा है। स्थिर विद्युत सप्लाई उपलब्ध कराने के लिए नामरूप स्थान पर नामरूप-III के भाग के रूप में निजी प्रयोग हेतु विद्युत पैदा करने की सुविधाएं स्थापित करने का भी प्रस्ताव है। नवम्बर 1977 से प्रतिधारण मूल्य योजना की शरूआत के साथ, सिन्दरी, नामरूप और बरौनी सहित विभिन्न निर्माण करने वाले एककों को उनके उत्पादों के लिए प्रतिधारण मूल्यों की स्वीकृति दी गई है जिससे उनको कुल पूंजी पर उचित वसूली प्राप्त होगी बशर्ते कि वे कार्यकुशलता के प्रतिबंधित स्तर पर कार्य करें ।

अखिल भारतीय विद्युत मजदूर संघ की ओर से ज्ञापन

7379. **डा० वसन्त कुमार पंडित :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय विद्युत मजदूर संघ ने विद्युत ऊर्जा के उत्पादन और वितरण संबंधी उद्योग के मजदूरों की विभिन्न मांगों के संबंध में सरकार को एक ज्ञापन दिया है;

(ख) यदि हां, तो वे मांगें क्या हैं;

(ग) क्या यह सच है कि भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 विद्युत प्रदाय अधिनियम, 1948 और बोनस संदाय अधिनियम के अन्तर्गत बोनस के भुगतान के बारे में भेद भाव है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का विचार विद्युत उत्पादन और वितरण उद्योग में लगे मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए और उन्हें पर्याप्त बोनस देने के लिए क्या कार्यवाही करने का है?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) जी, हां।

(ख) अखिल भारतीय विद्युत मजदर संघ द्वारा दिए गए विज्ञापन की विभिन्न मांगें सेवा शर्तों से संबंधित हैं। इनमें सेवा की सुरक्षा, छुट्टी के नियम, भत्तों को उदार बनाया जाना, बोनस का भुगतान, राज्य बिजली बोर्डों के कर्मचारियों का भविष्य शामिल है । प्रशासनिक तौर पर, राज्य सरकारें/राज्य बिजली बोर्ड इन मांगों से संबंधित हैं।

(ग) और (घ) कामगारों को बोनस का भुगतान, समय समय पर यथा संशोधित बोनस संदाय अधिनियम, 1965 द्वारा शासित होता है । भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 में या विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 में बोनस की मात्रा के बारे में कोई उल्लेख नहीं है ।

दूरदर्शन पर दिखाये जाने के लिए फिल्म का चयन

7380. **श्री वसन्त साठे :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन केन्द्रों में फिल्म दिखाये जाने के लिए फिल्म का चयन करने के लिए क्या पद्धति अपनाई जाती है और तत्संबंधी मार्गदर्शी सिद्धातों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या फिल्मों के चयन के लिए मार्गदर्शी सिद्धांतो/प्रक्रिया में कोई परिवर्तन/संशोधन किया गया है और यदि हां, तो इसके क्या विस्तृत कारण हैं ;

(ग) वर्ष 1977-78, 1978-79 के दौरान फिल्मों के चयन के बारे में पक्षपात और अन्य प्रकार की कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं और उनमें से कितनी सही पायी गईं और अन्तर्गस्त अधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ;

(घ) वर्ष 1977-78 और 1978-79 के दौरान दूरदर्शन केन्द्र-वार कुल कितनी फिल्में दिखाई गई और उन पर खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) क्या यह सच है कि फिल्म 'किस्सा कुर्सी का' को दूरदर्शन पर दिखाए जाने की अनुमति नही दी गई और इसके क्या कारण है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) दूरदर्शन द्वारा टैलीकास्ट करने हेतु फीचर फिल्मों को चयन करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया और चयन के मार्गदर्शी सिद्धांत संलग्न नोट में बताए गए हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

(ङ) बम्बई के एक फिल्म वितरक ने बम्बई दूरदर्शन केन्द्र से सम्बन्ध स्क्रीनिंग कमेटी को प्रिव्यू के लिए फिल्म 'किस्सा कुर्सी का' प्रस्तुत की थी। फिल्म के प्रिव्यू के बाद स्क्रीनिंग कमेटी ने टेलीकास्ट करने के लिए इस फिल्म को उपयुक्त नहीं समझा। तथापि, मामले पर पुनर्विलोकन किया जा रहा है।

विवरण

फीचर फिल्मों के निर्माताओं को जिन्हें दूरदर्शन अधिकार प्राप्त हैं द्वारा प्रस्तुत हिन्दी फीचर फिल्म की एक सूची प्रत्येक तिमाही दूरदर्शन महानिदेशालय के बम्बई दूरदर्शन केन्द्र को भेजी जाती है। निदेशालय सूची में से लगभग 20 फिल्में चुनता है और इन फिल्मों की एक सूची प्रिव्य के लिए बम्बई दूरदर्शन केन्द्र को भेजता है। हिन्दी फीचर फिल्मों का चयन, जीवन के विभिन्न पहलुओं के विशिष्ट व्यक्तियों की एक स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा बम्बई दूरदर्शन केन्द्र में केंद्रित है। प्रत्येक स्क्रीनिंग सत्र के लिए तीन सदस्य हेर-फेर से आंमंत्रित किये जाते हैं। क्षेत्रीय फिल्मों का कलकत्ता, मद्रास आदि जैसे केन्द्रों में प्रिव्यू किया जाता है और चुनी जाती है।

दूरदर्शन पर दिखाई गई फीचर फिल्मों के चयन के लिए लागू मार्गदर्शी सिद्धांत नीचे दिए गए हैं :—

1. दूरदर्शन पर दिखाई गई कोई फिल्म या अन्य सामग्री केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड को फिल्मों के प्रमाणिकरण के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप होगी।
2. केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा प्रमाणीत 'ए' फिल्में टेलीकास्ट नहीं की जाएंगी।
3. 'ए' प्रमाणीकृत फिल्मों से कोई दृश्य 'चित्रहार' या अन्य ऐसे कार्यक्रमों में भी नहीं दिखाए जाएंगे :
4. यहां तक कि 'य' प्रमाणीकृत फिल्में यथाविधि गठित समिति द्वारा प्रिव्य की जानी चाहिएं और फिल्मों को टेलीकास्ट करने से पहले उनकी स्वीकृति प्राप्त करनी चाहिए।
5. कोई फिल्म जिसे प्रदर्शन के लिए रोक दिया गया है। उसे 'अप्रमाणिकृत' समझकर टी० वी० पर नहीं दिखाया जायेगा।
6. दूरदर्शन से टेलीकास्ट की गई फिल्में सामाजिक उद्देश्य की होनी चाहिएं और परिवार सहित देखने योग्य होनी चाहिएं।

उड़ीसा राज्य में फिल्म समारोह का आयोजन

7381. **श्री सरत कार :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार उड़ीसा राज्य में फिल्म समारोह अथवा विदेशों के सांस्कृतिक समारोह का आयोजन कराने में अनिच्छुक है ; और

(ख) सरकार ने देश के विभिन्न नगरों अथवा राज्यों में ऐसे फिल्म समारोह आयोजित करने हेतु क्या मापदण्ड अपनाया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी, नहीं।

(ख) भारत में अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह सामान्यतया महानगरों में आयोजित होते हैं क्योंकि यहां अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों और बड़े सिनेमा कम्पलैक्सों की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। जहां तक सांस्कृतिक आदान-प्रदान के कार्यक्रमों के अन्तर्गत फिल्म समारोहों का सम्बन्ध है, आयोजक देश के साथ परामर्श करके दिल्ली के अतिरिक्त एक या दो मुख्य नगरों में फिल्म समारोह आयोजित करने के प्रयास किए जाते हैं।

भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड में तालाबंदी

7382. श्री **रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या **उप प्रधान मंत्री** तथा **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत एलैक्ट्रानिक्स , लिमिटेड, गाजियाबाद, (भारत सरकार के उपक्रम) में 9 मार्च, 1979 से तालाबंदी कर दी गई है तथा क्या इससे इसको प्रतिदिन 4 लाख रुपए का नुक्सान हो रहा है;

(ख) क्या इस तालाबन्दी के कारण अधिकारियों को सितम्बर, 1977 से नगर प्रतिपूर्ति भत्ता दिया जाना और यह लाभ श्रमिकों को न दिया जाना है; और

(ग) सरकारी उपक्रमों में ऐसी भेदभावपूर्ण नीति पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, यदि हां, तो दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड, गाजियाबाद ; 9 मार्च 1979 से तालाबन्दी कर दी गई है । तालाबन्दी के कारण कम्पनी को प्रति दिन होने वाले नुकसान का इस समय अनुमान लगाना सम्भव नहीं है । फिर भी प्रतिदिन लगभग 4 लाख रुपए के उत्पादन की क्षति हो रही है ।

(ख) और (ग) कर्मचारियों द्वारा लगातार डराने, धमकाने, धीरे काम करने तथा बल प्रयोग के अन्य तरीके अपनाने के कारण प्रबन्धकों को मजबूरन तालाबन्दी करनी पड़ी । कामगारों को शहरी प्रतिपूर्ति भत्ता देने की उनकी मांग पूर्णतया अनुचित है । पिछले वर्ष मजदूरी और भत्तों के बारे में एक व्यापक समझौता किया गया था जो जून, 1981 तक लागू रहेगा । इस समझौते के अनुसार जब तक इस समझौते की अवधि लागू रहेगी तब तक वित्त संबंधी कोई भी मामला नहीं उठाया जा सकता है ।

अफसरों को नगर प्रति पूर्ति भत्ता दिया जाता है क्योंकि उनका मंहगाई भत्ता अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबंद्ध है । गाजियाबाद यूनिट के कामगारों का मंहगाई भत्ता स्थानीय (दिल्ली) उपभोक्ता मूल्य सूचांक पर आधारित है । अतः इस संबंध में किसी प्रकार का भेद-भाव नहीं किया जा रहा है और किसी अधिकारी के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्रवाई करने का प्रश्न नहीं उठता ।

"हायर प्राइसेज फार पावर कोल" शीर्षक समाचार

7383. **श्री दुर्गाचन्द :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 28 फरवरी, 1979 के टाइम्स आफ इण्डिया में प्रकाशित बिजली तथा कोयले के मूल्यों में भारी वृद्धि के बारे में योजना आयोग के सदस्य तथा ऊर्जा संबंधी उच्च शक्ति प्राप्त समिति के चेयरमैन श्री बी० जी० राज्याध्यक्ष द्वारा दिए गए एक वक्तव्य की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या उक्त समिति ने सरकार को कोई प्रतिवेदन पेश किया है;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऊर्जा के अनुरक्षण के लिये क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) टैरिफ के ढांचे सहित विद्युत क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने तथा उन पर रिपोर्ट देने, के लिये श्री वी० जी० राज्याध्यक्ष की अध्यक्षता में एक विद्युत समिति का गठन किया गया है। समिति ने अभी तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है तथापि कोयले की कीमत का मामला इस समिति को नहीं सौंपा गया है।

(ङ) देश की राष्ट्रीय ऊर्जा नीति में यह परिकल्पना की गई है कि ऊर्जा के उपयोग के सभी क्षेत्रों में ऊर्जा उत्पादन और उसका उपयोग जहां तक संभव हो सके दक्षतापूर्वक किया जाए । बिजली क्षेत्र की नीति और कार्यक्रम में पारेषण हानियों को कम करने ऊर्जा के दुरुपयोग रोकने के लिये प्रयास करने तथा बिजली के दक्षतापूर्ण उपयोग में सुधार करने के उपायों का अध्ययन करने की परिकल्पना की गई है ।

तेल संबंधी ऊर्जा नीति में यह परिकल्पना की गई है कि जहां तकनीकी और आर्थिक दृष्टि से संभव हो, वहां तेल को ऊर्जा के अन्य साधनों से प्रतिस्थापित किया जाए । तेल के उपभोग की ओर हानियों को कम करने के लिए तेल शोधक कारखानों और इस्पात संयंत्रों आदि जैसे कुछ आधारभूत उद्योगों में अध्ययन किए जा रहे हैं। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ ने पैट्रोलियम, उत्पादों की औसत दक्षता में 1981-82 तक 5 प्रतिशत सुधार करने का लक्ष्य रखा है तथा इस संबंध में अनेक अध्ययन क्षेत्रीय गतिविधियां और परियोजनाएं चल रही हैं।

कोयले के क्षेत्र में विशेषत: कोकिंग कोल के क्षेत्र में संरक्षण हेतु खानों से कोयला निकालने की मात्रा में वृद्धि करने के लिये खनन पद्धतियों में सुधार करने हेतू उपायों की परिकल्पना की की गई है तथा झरिया कोयला क्षेत्रों में ओपन कास्ट माइनिंग पर वृहत अध्ययन शुरू किए गए हैं। कोयले को धोकर तथा अन्य तकनीकों द्वारा कोयले की उपलब्धि में सुधार करने के लिए अन्य अनुसंधान और विकास कार्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं ।

नेशनल केडिट कोर के पूर्णकालिक और अंशकालिक अधिकारी

7384. **डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या **उप प्रधान मंत्री तथा रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रक्षा मंत्रालय के नेशनल केडिट कोर डिवीजन में पूर्णकालिक और अंशकालिक अधिकारियों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या यह सच है कि नेशनल केडिट कोर के कुछ अधिकारियों के पद रिक्त पड़े हैं; यदि हां, तो कितने;

(ग) वर्ष 1979 के अन्त तक कुल कितने रिक्त स्थान हो जायेंगे;

(घ) क्या यह सच है कि सरकार ने 45 वर्ष की आयु पूरी करने पर नेशनल केडिट कोर के अंशकालिक अधिकारियों को अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्त करने का निर्णय लिया है;

(ङ) क्या अखिल भारतीय नेशनल केडिट कोर अधिकारी संघ ने सरकार को नई नीति में परिवर्तन करने के बारे में ज्ञापन दिया है; और

(च) सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है?

उप-प्रधान मंत्री तथा रक्षा मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) से (च) खाली स्थानों सहित राष्ट्रीय कैडेट कोर के पूर्णकालित तथा अंशकालिक अफसरों की वर्तमान संख्या और रिक्तियां इस प्रकार हैं:—

	संख्या		खाली स्थान	
	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
राष्ट्रीय कैडेट कोर के पूर्णकालिक अफसर	645	43	—	25
राष्ट्रीय कैडेट कोर के अंशकालिक अफसर	8310	995	1482	372

अधिकतर खाली स्थान अंशकालिक अफसरों के हैं। राष्ट्रीय कैडेट कोर में इन अफसरों की सेवा स्वैच्छिक है। इसलिये इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि वर्ष 1979 के अन्त तक उनके रैंक में कितने स्थान खाली हो जायेंगे। जहां तक पूर्णकालिक अफसरों के खाली स्थानों का सवाल है, ऐसी आशा है कि वर्ष 1979 के अन्त तक थाड़े ही खाली स्थान रह जायेंगे।

अगस्त, 1977 से पहले राष्ट्रीय कैडेट कोर के पुरुष अफसरों की सेवा निवृत्ति की आयु 45 वर्ष थी जिसे 50 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता था। तथा महिला अफसरों की 52 वर्ष थी जिसे 55 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता था। राष्ट्रीय कैडेट कोर की मूल्यांकन समिति ने स्थिति की समीक्षा करके सिफारिश की है कि राष्ट्रीय कैडेट कोर के अंशकालिक अफसरों को 15 वर्ष की सेवा के बाद या 45 वर्ष की आयु होने पर इनमें से जो भी पहले हो, सेवा निवृत्ति किया जाए। इस सिफारिश को मान लिया गया है और कोर में कार्य-कुशलता बढ़ाने की दृष्टि से इसे पुरुष अफसरों पर लागू किया गया है। चूंकि महिला अफसरों के पद बहुत अधिक संख्या में खाली पड़े हैं, इसलिए उनकी सेवा निवृत्ति की आयु में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

पुरुष अफसरों के इस समय खाली पड़े पदों को भरने के लिये एक प्रस्ताव विचाराधीन है जिसमें यह व्यवस्था की गई है कि अंशकालिक पुरुष अफसरों की सेवा अवधि पर विचार किए बिना कोर में आवश्यक कार्य-कुशलता के अनुरूप उन्हें 45 वर्ष की आयु तक सेवा में रखा जाए। इस संबंध में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कैडेट कोर अफसर एसोसिएशन नाम के एक संगठन से एक ज्ञापन भी मिला है जिसमें वर्तमान नीति को बदलने का अनुरोध किया गया है।

पेट्रोलियम की खपत

7385. **श्री दुर्गाचन्द :** क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र में पैट्रोल की खपत का कुल प्रतिशत कितना है;

(ख) क्या छोटे उपभोक्ताओं पर पैट्रोल के लिये राशन अथवा अधिभार लगाने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) देश में पैट्रोल की खपत कम करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं।

पेट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) वर्ष 1978-79 में सार्वजनिक क्षेत्र सहित देश में मोटर स्पिरिट (पैट्रोल) की कुल खपत लगभग 1.5 मि० मी० टन तक होने का अनुमान है। सार्वजनिक क्षेत्र, पैट्रोल की अपनी आवश्यकता यदि परिसर उपलब्ध है तो उपभोक्ता पम्पों अथवा फुटकर बिक्री केन्द्रों (पैट्रोल पम्पों) से पूरा करता है। तेल कंपनियां फुटकर बिक्री केन्द्र द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को की गई सप्लाई आंकड़े नहीं रखतीं। उपर्युक्त कारणों से सार्वजनकि क्षेत्र में पैट्रोल की खपत की प्रतिशतता इस उत्पादन की कुल खपत की तुलना में ब्यौरा देना संभव नहीं है।

(ख) जी नहीं।

(ग) सरकार का इरादा पूर्णरूपेण पैट्रोल की खपत में कमी करने का है जिससे नैफ्था की अधिक मात्रा उर्वरक के उत्पादन के लिये उपलब्ध हो सके। छाटे उपभोक्ताओं के लिये अलग पद्धति को अपनाना आवश्यक नहीं समझा गया है।

(घ) पैट्रोल की खपत में कमी मुख्य रूप से जनता के सहयोग के द्वारा प्राप्त करने का विचार है। पैट्रोल की खपत में अत्यधिक वृद्धि के लिये केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों तथा राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेश के प्रशासनों का ध्यान भी आकर्षित किया गया है और उनसे अनुरोध किया गया है कि उनके अधीन कार्य कर रहे विभागों सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि में वर्ष 1979-80 के दौरान 1978-79 की अपेक्षा पैट्रोल की खपत को 15 प्रतिशत तक कम करने के लिये उचित उपाय करे।

दिल्ली में भिन्न-भिन्न कालोनियों के लिये बिजली की दरें

7386. श्री दुर्गाचन्द : क्या ऊर्जा मंत्री यह बातने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली की गृह निर्माण सहकारी समितियों की कालोनियों में बिजली की दरे अनधिकृत कालोनियों की बिजली की दरों से ज्यादा हैं ;

(ख) यदि यहां, तो इस असमानता के क्या कारण हैं ; और

(ग) गृह निर्माण सहकारी समितियों की कालोंनियों में बिजली की दरें को अनधिकृत कालोनियों की बिजली की दरों के बराबर निर्धारित करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : (क) जी, नहीं। बिजली के उपभोग के प्रभारों की दरें दिल्ली के सभी क्षेत्रों के लिए एक समान हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

सैलिसिलिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड की कमी

7387. डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में सैलिसिलिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड की भारी कमी है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी कमी को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) देश में इसका उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा): (क) जी नहीं। देश में सालीसिलिक (न कि सैलिसिलिक) एसिड तथा सलफ्यूरिक एसिड की कमी के बारे में हाल में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) देश में इन एसिडों की सम्भावित कमी पर काबू पाने के लियें अतिरिक्त क्षमताएं लाइसैंसीकृत करने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं।

मध्य प्रदेश में रेडियो स्टेशनों की ट्रांसमिशन क्षमता

7388. डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में रेडियो स्टेशनों की ट्रांसमिशन क्षमता बहुत निम्न है और इसी कारण वहां से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम दूरस्थ स्थानों पर ठीक तरह से नहीं सुने जा सकते;

(ख) क्या विभिन्न स्थानों पर रेडियों स्टेशनों की स्थापना स्थानीय जनता की रुचि को ध्यान में रख कर और आम लोगों के लाभ के लिये की जाती है;

(ग) क्या यह भी सच है कि मध्य प्रदेश को इस सुविधा से वंचित रखा गया है;

(घ) क्या नीमच में रेडियों स्टेशन की स्थापना की मांग की गई है; और

(ड़) यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी)। (क): जी नहीं। मध्य प्रदेश के 9 रेडियों स्टेशनों में से एक उच्च शक्ति वाला ट्रासमीटर और अन्य मीडियम शक्ति वाले ट्रांसमीटर है। इस समय राज्य की आबादी के 86% लोगों को प्राथमिक ग्रेड दिन के समय की सेवा उपलब्ध है।

(ख): जी हां।

(ग): जी, नहीं।

(घ): जी, नहीं। नीमच सहित पूरा मन्दसौर जिला इन्दौर में उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटर के मीडियम वेव द्वारा भली प्रकार से कवर होता है।

(ड़): प्रश्न नहीं उठता:

आकाशवाणी के केन्द्रों के लिए सलाहकार समितियां

7389. डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न आकाशवाणी केन्द्रों का सुचारु कार्यकरण सुनिश्चित करने के लिये सलाहकार समितियों का गठन किया जाता है अथवा वे विद्यमान है; और

(ख) यदि हां, तो इन्दौर और भोपाल के लिए ऐसी समितियां कब गठित की गयी और उनके सदस्यों के नाम क्या हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) और (ख): सलाहकार समितियां भोपाल, कालीकट, जम्मू, जंलधर त्रिचर और त्रिवेंद्रम में गठित की गई हैं।

भोपाल में सलाहकार समिति 21–2–1979 को गठित की गई थी। सदस्यों के नाम संलग्न विवरण में दिये गए हैं। आकाशवाणी इन्दौर को सलाहकार समिति अभी गठित नहीं की गई है।

विवरण

(1) श्री राजेन्द्र मल्होत्रा
(2) श्री के० पी० नारायण
(3) डा० रवि प्रकाश माथुर
(4) प्रो० ए० सी० मिनीखा
(5) श्री अब्दुल कावी दासनवी
(6) डा० चन्द्र प्रकाश वर्मा
(7) श्रीमती सरोज लालवानी
(8) श्री सवाई सिंह सिसौदिया, (संसद सदस्य)
(9) श्री मिश्री लाल तिवारी
(10) श्री यशवन्त जरगारे
(11) डा० श्रीमती सुशीला पोहानकर
(12) श्री राधवजी, संसद सदस्य
(13) डा० चांदनारायण हस्कर
(14) श्री माधव शंकर इन्द्रापुरकर सदस्य विधान सभा

इस्पात के उत्पादन में वृद्धि

7390. डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस्पात उत्पादन से देश की आवश्यकता पूरी नहीं होती है और इससे इस्पात की कीमत में लगातार वृद्धि हो रही है,

(ख) : क्या इस्पात संयंत्र अपनी क्षमता से कार्य नहीं कर रहे हैं,

(ग) : क्या यह भी सच है कि वित्तीय कठिनाइयों के कारण नये इस्पात संयंत्रों की स्थापना में विलम्ब किया जा रहा है, और

(घ) : यदि हां, तो उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इस्पात के उत्पादन में वद्धि करने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है?

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : (क) यह सच है कि इस समय इस्पात का घरेलू उत्पादन देश की सम्पूर्ण आवश्यकता पूरी करने के लिए पर्याप्त नहीं है। लेकिन संयुक्त संयंत्र समिति धारा वर्ष 1978–79 में इस्पात के मूल्यों में की गई वृद्धि की घोषणा इस्पात के घरेलू उत्पादन के अपर्याप्त होने के कारण नहीं थी अपितु यह निम्नलिखित मुख्य कारणों से की गई थी ;

(1) लोहे और इस्पात के उत्पादन में हुई मूल्य वृद्धि को पूरा करने के लिए ;
(2) उत्पादकों को उचित लाभ सुनिश्चित करने के लिए ;
(3) कुछ समय से औसत दूरी में वद्धि हो जाने के कारण भाड़े के बोझ में हुई वृद्धि को पूरा करने के लिए ;

4. इस्पात उद्योग के आधुनिकीकरण, प्रतिस्थापन और विकास के लिए पर्याप्त संसाधन जुटाने तथा बजट पर इसकी निर्भरता कम करने के लिए ; और

5. कुछ क्षेणियों के आयातित तथा घरेलू इस्पात के मूल्यों को मिला कर एक समान बनाने के लिए ।

(ख) जी, हाँ । ऐसे कारणों से जो अधिकतर उनके बस से बाहर थे ।

(ग) जी, नहीं । नए इस्पात कारखाने लगाने के लिए ऋण तथा अन्य सुविधाएं प्राप्त करने के लिए रूस तथा अन्य देशों से बातचीत चल रही है । यह बातचीत इस उद्देश्य से की जा रही है कि योजना में की गई व्यवस्था के अलावा अतिरिक्त संसाधन जुटाए जाएं ताकि बजट से रुपया लिए बिना ये परियोजनाएं शुरू की जा सकें। इस्पात कोष के लिए इस्पात के मूल्यों में हाल में लगाए गए अधिभार से भी अतिरिक्त संसाधन जुटाए जाए रहें हैं । इस कोष में प्राप्त होने वाली राशि मुख्यत: इस्पात की नई क्षमता के सृजन के लिए खर्च की जाएगी ।

(घ) जैसाकि ऊपर कहा गया है नई इस्पात क्षमता के सृजन के अलावा वर्तमान कारखानों के आधुनिकीकरण/पुन:स्थापन के लिये बड़े पैमाने पर कार्यक्रम बनाए गए है तथा वर्तमान सुविधाओं में प्रौद्योगीकीय/उत्पादिता सम्बन्धी सुधार करने के लिए उपाए किए गए है तथा किए जा रहें हैं । अल्प-कालिक उपाय के रूप में वर्तमान क्षमता से अधिकाधिक उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए कोककर कोयले, बिजली तथा रेल यातायात जैसे आदानों की पर्याप्तता पर लगातार निगरानी रखी जा रही है तथा सम्बन्धित मंत्रालयों से निकट तथा शतत् सम्पर्क रखा जा रहा है ।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग में कर्मचारियों की कमी

7391. श्री श्याम सुन्दर लाल
श्री डी० डी० देसाई
श्री विजय मंडल
श्री के० गोपाल : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के अन्वेषण कार्यक्रम और अन्य कर्मचारियों की कमी के कारण अत्यधिक कुप्रभावित हो रहे हैं :

(ख) क्या आयोग के अनेक योग्य व्यक्ति फारस की खाड़ी में बहुराष्ट्रिक कम्पनियों में जा रहे है जो बहुत अधिक वेतन देती है ;

(ग) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा किये जा रहे विदेशी फर्मों को बन्द करने का मजबूत मामला बनता है ताकि ड्रिलरो, भू-वैज्ञानिकों और उत्पादन इंजीनियरों की देश में उपलब्धता की सम्पूर्ति की जा सके : और

(घ) उनका विचार यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही करने का है कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का कार्य, जो देश की आर्थिक मजबूती के लिए अत्यधिक महत्व-पूर्ण है, रोजगार क्षमता पैदा करने संबंधी सरकारी नीति के कारण कर्मचारियों की कमी के कारण न रुके ।

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जिन लोगों ने तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग से इस्तीफा देने के पश्चात् बहु-राष्ट्रिक कम्पनियों में नौकरी करली है उनका ब्यौरा ओ० एन० डी० सी० के पास नहीं है। तथापि कुल भरी गई नियुक्तियों की तुलना में पिछले वर्षो में उन अधिकारियों की संख्या जिन्होंने ओ० एन० जी० सी० से इस्तीफा दिया था, बहुत थोड़ी है।

(ग) ड्रिलरों भ-वैज्ञानिकों तथा उत्पादन इंजीनियरों की देश में उपलब्धताएं बढ़ाने के लिए ओ० एन० जी० सी० के विदेशी कार्य संचालनों को बन्द करने का कोई औचित्य नही है। खुदाई भू-वैज्ञानिक कार्य तथा उत्पादन के लिये देश में उपयुक्त योग्य व्यक्ति उपलब्ध हैं।

(घ) ऊपर भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

औषधियों की नई मूल्य नीति

7392. श्री राधवजी : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औषध मल्य नियंत्रण आदेश कब जारी किया जायेगा ; और

(ख) 29 मार्च 1978 की धोषित समूची नीति कब तक क्रियान्वित की जायेगी;

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) औषध (मल्य नियंत्रण) आदेश, 1979 जिससे औषध (मल्य नियंत्रण) आदेश, 1970 का स्थान लिया है, 31 मार्च 1979 को जारी किया गया था। नए आदेश की एक प्रति शीघ्र ही लोक सभा पटल पर रखी जा रही है।

(ख) 29 मार्च, 1978 को लोक सभा पटल पर रखी गई औषध नीति के विवरण पत्र में दर्शाए गए सभी निर्णयों पर कार्यवाही आरम्भ की जा चुकी है। इसमें कुछ ऐसे निर्णय हैं जिनमें अन्य मंत्रालय, संगठन तथा राज्य सरकारें शामिल हैं। ऐसे मामलों में सभी संबंधित एजेन्सियों ने आवश्यक कार्यवाही करने हेतु उपाय किये हैं। कुछ निर्णयों के कार्यान्वयन के लिए अधिनियमों/विनियमों का संशोधिन अपेक्षित है जिनपर संबंधित मंत्रालयों द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

विदेशी औषध कम्पनियों को लाइसेंस जारी करने के निर्णय मामले

7393. श्री जी० वाई० कृष्णन् क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी औषध कम्पनियों को लाइसेंस देने के ऐसे कितने मामले अनिर्णीत थे तथा नई औषध नीति को ध्यान में रखते हुए उन्हे हाल में नवीकृत किया गया है ; और

(ख) इन सम्बन्ध में सरकार की नीति का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) दिनांक 31-3-1979 को ऐसे मदों के निर्माण में जो इस समय निर्मित किये जा रहे है पर्याप्त विस्तार लागू करने अथवा नये मदों के निर्माण के लिये औद्योगिक लाइसेंस जारी करने के लिये विदेशी कम्पनियों से प्राप्त 30 (तीस) आवदेन पत्र इस मंत्रालय के पास लम्बित है। इसके अलावा, विदेशी कम्पनियों से सम्बद्ध 4 (चार) आवेदन पत्र हैं, जिनके बारे में निर्णय ले लिया गया है।

(ख) विदेशी कम्पनियों का औद्योगिक लाइसेंस जारी करने के बारे में सरकार की नीति, नई औषध नीति के विवरण पत्र के पैरा 25 में दर्शाई गई है, जिसकी एक प्रति दिनांक 29-3-1978 को लोक सभा पटल पर रखी गई थी।

विदेशी फर्मों द्वारा बल्क औषधियों का उत्पादन

7394. **श्री राघवजी** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 29 मार्च 1978 को सभा पटल पर रखे विवरण में यह बताया गया है कि ऐसी सभी विदेशी औषध कम्पनियों को, जिन्होंने कोई भी बल्क औषध का उत्पादन नहीं किया है अपनी विदेशी साम्य पूंजी 40 प्रतिशत तक कम करनी पड़ेगी और अन्य विदेशी कम्पनियों को अपनी विदेशी साम्य पूंजी नीति के अनुसार कम करनी पड़ेगी जो उस गतिविधि पर लागू होगी जैसा कि वर्ष 1976-77 में प्रचलित थी ;

(ख) क्या यह सच है कि विभिन्न विदेशी कम्पनियों को 6 महीने में बल्क औषधियों का निर्माण करने के लिये अपने आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के लिये कहा गया है यदि हा, तो ऐसा किस प्राधिकार से किया गया है और किस कारण से ऐसा परिपत्र जारी किया गया है, परिपत्र का ब्यौरा क्या है और इसका नीति वक्तव्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा ;

(ग) क्या ऐसा परिपत्र जारी किया जाना नीति संबंधी मंत्रिमंडल के निर्णय की भावना के प्रतिकूल नहीं है ;

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवतीन नन्दन बहुगुणा) : (क) दिनांक 29 मार्च 1978 को गई औषध नीति के बारे में लोक सभा पटल पर प्रस्तुत किये गये विवरण पत्र के पैरा 15 में अन्य बातों के साथ-साथ यह उल्लेख किया गया है कि जहां तक केवल फार्मूलेशनों अथवा उच्च प्रोद्योगिकी रहित बल्क औषधों अथवा दोनों के निर्माण में लगी हुई विदेशी कम्पनियों का संबंध है उनको यह निर्देश दिये जाने चाहिये कि वे अपनी विदेशी साम्यपूंजी को घटा कर तुरन्त 40 प्रतिशत तक लाएं।

जहां तक अन्य विदेशी कम्पनियों का संबंध है विवरण पत्र के पैरा 18 के अनुसार अन्य उद्योगों पर लागू फेरा मार्गदर्शन और साम्यपूंजी में कमी का फार्मूला उन कम्पनियों पर भी लागू होगा बशर्ते कि परिशिष्ट 1 के कार्य-कलापों की गणना पैरा 17 के अनुसार की जाएगी। इन कम्पनियों से अनुरोध किया गया है कि वे 31 मार्च 1977 को समाप्त होने वाली 3 वर्ष की अवधि के आंकडे भेजे।

(ख) मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसरण में जो विदेशी कम्पनियां इस समय परिशिष्ट 1 की वर्तमान मद संख्या 1 में दी गई व्यवस्था के अनुसार कार्य कर रही है उनको कहा गया है कि वे 2 वर्ष की अवधि के अर्न्तगत बल्क औषधि और फार्मूलेशनों में 1:5 का अनुपात प्राप्त कर लें और उस संबंध में अपने प्रस्ताव रसायन और उर्वरक विभाग के 20-22 नवम्बर 1978 के पत्र को जारी करने की तारीख से 6 महीने के अन्तर्गत प्रस्तुत करे। इस पत्र को नई औषध नीति के प्रावधानों को लागू करने के लिये जारी किया गया था।

(ग) जी नहीं।

औषध मूल्य समानीकरण विधि

7395. **श्री राघवजी** : क्या **पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नई नीति के अन्तर्गत मूल्य निर्धारित न करके निर्माताओं की लागत को मान्यता देने का है और इन लागतों के अतिरिक्त अलग-अलग निर्माताओं को अलग-अलग उत्पादों पर ग्राह्य लाभ की अनुमति दी जायेगी ताकि कीमत में कमी से एकक बन्द न हों ;

(ख) क्या यह सच है कि अधिक लागत वाले निर्माताओं की प्रतिपूर्ति करने के लिये औषध मूल्य समानीकरण निधि बनाने के विचार है, यदि हां, तो इस खाने से निर्माताओं की मदद करने में सरकार को कितना समय लगेगा, और

(ग) इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड तथा हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लि० द्वारा निर्मित विभिन्न औषधियों की उत्पादन लागत की तुलना में गैर सरकारी क्षेत्र के अन्य एककों द्वारा निर्मित औषधियों की उत्पादन लागत कितनी है ?

पेट्रोलियम' रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) नई मूल्य निर्धारण नीति के अन्तर्गत मूल्य नियंत्रिक बल्क औषधों के मूल्य के निर्धारित करने के लिये आमतौर पर सरकार ऐसे औषधों के प्रमुख निर्माताओं की औसत उत्पादन लागत को ध्यान में रखती है और शुद्ध मुल्य पर उपयुक्त लाभ की अनुमति भी देती है। तथापि, अपवाद के तौर पर सरकार ऐसे औषधों के प्रत्येक निर्माता के लिये अलग प्रतिधारण मूल्य निर्धारित कर सकती है और गैर सम्बद्ध निर्माताओं के लिये एक समान बिक्री मूल्य निर्धारित कर सकती है।

(ख) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1979 के अन्तर्गत औषध मूल्य समीकरण खाता खोला जायेगा और जो राशि इस खाते में जमा होगी उसकों निम्नलिखित उद्देश्यों के लिय खर्च किया जायेगा:--

(i) निर्माताओं आयातकर्ताओं अथवा वितरकों जैसा भी मामला हो, को भुगतान, प्रतिधारण मूल्य और समान बिक्री मूल्य अथवा जैसा भी मामला हो, के बीच के अन्तर, उत्पादन बढ़ाने के लिये पूल मूल्य अथवा औषधों के उचित मूल्य पर समान वितरण और उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये भुगतान

(ii) औषध मूल्य समीकरण खाते को रखने से सम्बन्धित कार्य के लिये सरकार द्वारा किया गया खर्च।

इस खाते को चालू करने के लिये कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है।

(ग) आई० डी० पी० एल० और एच० ए० एल० तथा गैर सरकारी क्षेत्र के अन्य एककों द्वारा बल्क औषध और फार्मूलेशन सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित मूल्यों पर बेचे जाते हैं। आई० डी० पी० एल० और एच० ए० एल० द्वारा उत्पादित विभिन्न औषधों और फार्मूलेशनों की उत्पादन लागत और गैर सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों की उत्पादन लागत की कोई तुलना नहीं की गई है।

औषध फर्मों की आवश्यकताएं सी० पी० सी० के पास रजिस्टर कराना

7396. श्री राघवजी : क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1978–79 की आयात नीति में व्यवस्था है कि सरणी-बद्ध औषध निर्माता वर्ष में किसी भी समय अपनी आवश्यकताएं रजिस्टर करवा सकते हैं और सी० पी० सी० को ऐसे रजिस्ट्रेशन के तीन महीने के अन्दर सामग्री सप्लाई करनी होती है।

(ख) क्या यह सच है कि सी० पी० सी० में विभिन्न औषध निर्माताओं की आवश्यकताओं को इस आधार पर रजिस्टर करने से इन्कार कर दिया है कि उनके आवेदन पत्र 31–12–1978 तक नहीं दिये गये हैं ; यदि हां, तो उन निर्माताओं का ब्यौरा क्या है जिनके आवेदन सी० पी० सी० द्वारा रजिस्टर नहीं किय गये हैं और आई० टी० सी० नीति और अधिनियम के किन उपबन्धों के अन्तर्गत ऐसा किया गया है ; और

(ग) यदि सी० पी० सी० में आयात नीति और अधिनियम का उल्लंघन किया है तो उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है और यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है कि जो निर्माता लाइसंस अवधि के अन्दर रजिस्ट्रेशन के लिये आवेदन करे उनको अविलम्ब सरणीबद्ध कच्चा माल दे दिया जाये।

पैट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी, नहीं। वर्ष 1978–79 की आयात नीति के परिशिष्ट 9 में जो अन्य बातों के साथ-साथ सरणीबद्ध बल्क औषधों से भी संबंधित है, व्यवस्था की गई है कि इन औषधों का आयात वितरण और मूल्य निर्धारण सी० पी० सी० द्वारा पैट्रोलियम रसायन और उर्वरक मंत्रालय में सरकार की संबंधित नीति के अनुसार किया जायेगा। तदनुसार मंत्रालय ने मई 1978 में यह निर्धारित करते हुए अनुदेश जारी किये थे कि औषध निर्माताओं को पंजीकृत करने की छूट होगी लेकिन सी० पी० सी० द्वारा व्ययस्था करने के लिये 3 माह की अग्रिम अवधि दी जाएगी।

(ख) वर्ष 1978 के अन्त तक यह देखा गया था कि क्लोरमफेनीकल पावडर पाल-मोटेट, स्ट्रेप्टोमाइसीन सल्फेट, सल्फामथाक्साजोल, टैट्रासाइक्लीन, एच० सी० एल० आदि जैसे कुछ सरणी बद्ध बल्क औषधों के लिए। अक्तूबर 1978 के बाद पंजीकरण में अनुपात से अधिक वृद्धि हुई है। चूंकि इस अत्यधिक पंजीकरण को संबंधित बल्क औषधों की निर्धारित सप्लाई योजना में बाधक पाया गया था, अतः सी० पी० सी० और आई० डी० पी० एल०

को सलाह दी गई थी कि जहां तीन माह की अग्रिम अवधि नहीं दी गई हो वहां इस बल्क औषधों से संबंधित किसी भी आवेदन पत्र पर कोई आवंटन न किया जाये। उपरोक्त सलाह के अनुसार जिन निर्माताओं के आवेदन पत्रों को सी० पी० सी० के पास पंजीकृत नहीं किया गया है उनके ब्यौरे एकत्र किए जा रहे है और सभा पटल पर प्रस्तुत किये जायेंगे।

(ग) उपरोक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर में बताई गई स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

कोयले की नियमित और पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही

7397. प्रो० पी० जी० मावलंकर : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में विशेषकर गुजरात में अहमदाबाद तथा अन्य नगरों व स्थानों को कोयले की नियमित और पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने के लिये वर्ष 1979 के प्रथम तिमाही के दौरान रेल मंत्रालय के साथ मिलकर कोई कदम उठाये गये हैं ;

(ख) यदि हां तो उनका मुख्य ब्यौरा क्या हैं !

(ग) क्या उपरोक्त कदम उठाये जाने और कार्यवाही किये जाने से कोयले की सप्लाई की स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके मुख्य संकेत क्या हैं ?

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) देश के विभिन्न भागों को, जिसमें अहमदाबाद और गुजरात के अन्य स्थान भी शामिल हैं, कोयले की नियमित और पर्याप्त सप्लाई करने के लिये 1979 की पहली तिमाही में रेलवे के साथ समन्वय जारी रहा। दिनांक 17 फरवरी, 1979 को कैबिनेट स्तर के मंत्रियों की एक उच्चस्तरीय बैठक हुई जिसमें कोयले के लदान से सम्बंध जोनल रेलवे, कोयला कम्पनियों, कोयला विभाग और विद्युत विभाग तथा रेलवे बोर्ड ने भी भाग लिया। इस बैठक में विभिन्न कोयला क्षेत्रों में कोयले के लदान में सुधार की संभावनाओं की जांच की गई तथा सप्लाई और लदान में सुधार के लिए उपाय निश्चित किये गये ।

(ख), (ग) और (घ) लदान में सुधार करके प्रमुख कोयला क्षेत्रों में 100 से 200 वैगन प्रतिदिन और लदान करने की योजना बनाई गई थी ताकि लदान में कुल मिलाकर 700 वैगन प्रतिदिन से अधिक की वृद्धि हो सके और उपभोक्ताओं की न्यूनतम जरूरतों को पूरा किया जा सके।

पेंच, वर्धा, उमरेर, कोरिया रेवा और सेन्ट्रल इंडिया आदि उन कोयला क्षेत्रों से कुल मिलाकर प्रतिदिन 2175 वैगन भरने की योजना बनाई गई थी जो गुजरात सहित पश्चिमी भारतको कोयला भेजते हैं। इन कोयला-क्षेत्रों से प्रतिदिन कुल वैगनों का लदान जनवरी, 1979 के 1876 वैगन प्रतिदिन से बढ़कर मार्च, 1979 में 2091 वैगन प्रतिदिन और अप्रैल में (10 अप्रैल तक) 2145 वैगन प्रतिदिन हो गया । अहमदाबाद तथा गुजरात के अन्य भागों को कोयले की प्रतिदिन सप्लाई में भी सुधार हुआ है और जनवरी 79 में की गई 533 वैगन की सप्लाई मार्च 1979 में 574 तथा अप्रैल 1979 में (10 अप्रैल तक) 581 वैगन हो गई है।

पोलैण्ड के सहयोग से कोकिंग कोल का उत्पादन

7398. श्री जनार्दन पुजारी : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोकिंग कोल के उत्पादन के लिए पोलैण्ड ने भारत के साथ सहयोग करने के मामले में रूचि दिखाई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौर क्या है ?

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी हां ।

(ख) देश में कोककर कोयला खानों का विकास करने के लिये भारत पोलैण्ड के साथ सहयोग कर रहा है । पौलैण्ड के सहयोग से झरिया कोयला क्षेत्र के मध्य भाग में स्थित सुदामडीह और मोनीडीह कोककर कोयला खानों का विकास किया गया है ।

केन्द्रीय खान आयोजन और डिजाईन संस्थान ने पौलैण्ड के विशेषज्ञों के सहयोग से झरिया कोयला क्षेत्र के पुनर्निर्माण के लिए एक साध्यता रिपोर्ट तैयार की है । इस रिपोर्ट का उद्देश्य अलग अलग खानों के पुनर्निर्माण के लिए विस्तृत खान आयोजन और डिजाइन के लिए मार्ग दर्शन प्रस्तुत करना है । इसके अतिरिक्त पूटकी साउथ लोयाबाद में कोयला खानों के निर्माण और शैफ्ट पैबिस्त करने हेतु भारत कोकिंग कोल लि० में एक संगठन गठित करने के लिए पोलिश-संगठनों के साथ करार किए गए हैं । भारतीय कार्मिकों को पोलैण्ड में प्रशिक्षण देने के लिए भी इस समझौते के संलेख में व्यवस्था है ।

फिल्म समारोहों के फिल्मों के चयन हेतु प्रक्रिया की आलोचना

7399. श्री जनार्दन पुजारी
श्री के० मालन्ना } : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशी फिल्म समारोह के लिए फिल्मों के चयन हेतु उनके मंत्रालय द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया पर गम्भीर आपत्तियां उठाई गई हैं ।

(ख) क्या यह सच है कि इस समय अपनाई जा रही प्रक्रिया के कारण बहुत सी ऐसी फिल्में जिन पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए देश से कभी बाहर नहीं गई;

(ग) क्या यह सच है कि पेनल के सदस्यों ने उनसे भेट की है और भारत में फिल्म निर्माताओं के हित में इन पहलुओं में सुधार करने की जरूरत पर बल दिया है ; और

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (ग) अंतर्राष्ट्रीय समारोहों के लिए फिल्मों के चयन के लिए अखिल भारतीय पैनल के अध्यक्ष और कुछ सदस्य 13–3–79 को सूचना और प्रसारण मंत्री से मिले और उन्होंने वर्तमान प्रक्रियाओं पर अपना दृष्टिकोण व्यक्त करने वाला एक पत्र उन्हें दिया ।

अखिल भारतीय पैनल की सिफारिशों पर भारतीय फिल्में अंतर्राष्ट्रीय समारोह के सरकारी सेक्शन में प्रविष्ट की जाती है पैनल द्वारा सिफारिश के लिए फिल्मों को प्रवेश देने का अवसर सभी निर्माताओं को दिया जाता है । तथापि ऐसे अवसर आए है, जब निर्माताओं

ने उप-शीर्षकों के साथ प्रिंटें सप्लाई नहीं की हैं जो अंतर्राष्ट्रीय समारोह में फिल्मों की प्रविष्टि के लिए अनिवार्य है।

वर्तमान प्रक्रिया अंतर्राष्ट्रीय समारोहों में भाग लेने के लिए फिल्म निर्माताओं को यथा संभव विशाल अवसर सुनिश्चित करने के लिए रखी गई है। अखिल भारतीय पैनल के अतिरिक्त सरकार ने बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में क्षेत्रीय पैनल स्थापित किये हैं। क्षेत्रीय पैनल समारोह संबंधी महत्व की फिल्में चुनता है जो अखिल भारतीय पैनल को दिखाई जाती है। राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली फिल्में केन्द्रीय पैनल को दिखाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय पैनल और क्षेत्रीय पैनल भी निर्माताओं/निर्देशकों से प्राप्त सीधे अनुरोधों पर फिल्में देखेते हैं। इस प्रकार प्रत्येक निर्माता, जो इच्छुक होता है चयन के लिए फिल्मों को प्रस्तुत करने के अवसर का लाभ उठा सकता है।

पैनल ने सिफारिश की है कि कोई फिल्म जिसे पैनल ने स्वीकृत नहीं किया है अंतर्राष्ट्रीय समारोह के सरकारी सेक्शन को नही भेजी जानी चाहिए। यह भी सिफारिश की गई है कि पैनल द्वारा अस्वीकृत फिल्म समारोह में प्रविष्ट नहीं की जानी चाहिये ये दोनों बातें पहले से ही की जा रही हैं।

हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड के कानपुर और बंगलौर काम्पलैक्स में कार्यभार का कम होना

7400. श्री डी० डी० देसाई
श्री जनार्दन पुजारी } : क्या **उप प्रधान** मंत्री तथा रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड के कानपुर और बंगलौर कम्पलैक्स में कार्यभार के कम होने की समस्या उत्पन्न हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इन एककों की क्षमताओं का पूरा उपयोग करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) सरकार ने जगुआर विमानों का निर्माण बंगलौर कप्पलेक्स में करने का निर्णय किया है। एच०जी०टी० 32 (बेसिक ट्रेनर) के निर्माण का कार्य कानपुर डिवीजन को दिया जाएगा।

श्री छबिराम अर्गल (मुरैना) : अध्यक्ष महोदय, शेडयूल्ड कास्टस और शड्यूल्ड ट्राइब्स कमिशनर की रिपोर्ट 1973–74 के बाद इस सदन में प्राप्त नहीं हुई है। सारा सदन इस बात से चिंतित है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी जांच करूँगा।

श्री मोहन लाल पिपिल (खुर्जा) : चार साल बाद रिपोर्ट आती है और उस पर भी सदन को विचार करने का टाइम नहीं मिलता

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको कहा है कि मैं इस बारे में जांच करूंगा।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

वर्ष 1979-80 के लिए निर्माण और आवास मंत्रालय के अनुदानों की ब्यौरेवार मांगें

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम किंकर) : म वर्ष 1979–80 के लिए निर्माण और अवास मंत्रालय के अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। [ग्रंथालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल० टी० 4298/79]

केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान, बंगलौर

का वर्ष 1977-78 का वार्षिक प्रतिवेदन और उसे सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ज्ञानेश्वर मिश्र) : मै निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) केन्द्रीय विदयत अनसंधान संस्थान बंगलौर का वर्ष 1977–78 का वार्षिक प्रति वेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण। [ग्रंथालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल०टी० 4299/79]

पाइराइट्स फास्फेट्स एंड केमीकल्स लिमिटेड, डेरी-ओन-सोन, के कार्यकरण की समीक्षा तथा उसका वार्षिक प्रतिवेदन।

पैट्रोलियम, रसायन और उवर्वरक मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरसिंह यादव) : मैं कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) पाइराइटस फास्फेट्स एंड केमीकल्स लिमिटेड, डेरी-ओन-सोन, जिला रोहतास (बिहार) के वर्ष 1977–78 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पाइराइटस फास्फेट एंड केमीकल्स लिमिटेड, डेरी-ओन-सोन, जिला रोहतास (बिहार का वर्ष 1977–78 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल० टी० 4300/79]

निक्षेप बीमा तथा ऋण प्रतिभूति निगम के 31 दिसम्बर, 1978 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण संबंधी प्रतिवेदन

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकार उल्लाह) : मै निक्षेप बीमा तथा ऋण प्रतिभूति निगम अधिनियम, 1961 की धारा 32 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निक्षेप बीमा तथा ऋण प्रतिभूति निगम के 31 दिसम्बर, 1978 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण सम्बन्धी प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं । [ग्रंथालय में रखी गयी देखिये संख्या एल० टी० 4301/79]

कुछ माननीय सदस्य खड़े हुए—

अध्यक्ष महोदय : मै आपकी बात नहीं सुन पा रहा हूं। इसका क्या फायदा? आइये और मुझसे मिलिये और चर्चा कीजिये। इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जायेगा।

श्री वयालार रवि (किरंदिकील): महोदय मेरा व्यवस्था का प्रश्न है····· **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप हर रोज व्यवस्था का प्रश्न उठाते है और भाषण देते हैं

श्री वयालार रवि: महोदय, कल आपने गृह मंत्री को जमशेदपुर की घटनाओं के बारे में वक्तव्य देने का निदेश दिया था लेकिन वक्तव्य नहीं दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय: वह वक्तव्य कल देंगे। वह दुबारा जमशेदपुर गये है। मैने उन्हें कल वक्तव्य देने को कहा है।

श्री वयालार रवि: चर्चा भी कल ही है।

अध्यक्ष महोदय: जी, हां। ···· **(व्यवधान)**

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : माननीय सदस्यों की बात से मै अनुमान लगाता हूं कि वे अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों संबंधी आयुक्त के प्रतिवेदन पर चर्चा करना चाहते हैं। वित्तीय कार्य के समाप्त होते ही सरकार सत्र के दौरान इस प्रतिवेदन पर चर्चा करने हेतु समय निकालेगी ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि के समाचार

श्री चित्त बसु (बारसाट) : महोदय, मै उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाता हूं और निवेदन करता हूं कि वे इस संबंध में एक वक्तव्य दें :—

> "इस आश्वासन के बावजूद कि बजट प्रस्तावों के बाद मल्यों में एक प्रतिशत से अधिक वृद्धि नहीं होगी, आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में निरन्तर वृद्धि के समाचार और सरकार द्वारा मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए की गई कार्यवाही।"

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री चरण सिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, जैसे कि सदन को मालूम है और जैसा कि "आर्थिक समीक्षा 1978–79" में बताया गया है, नई सरकार ने जब से मार्च 1977 में कार्यभार संभाला है तबसे कीमतों में उल्लेखनीय स्थिरता रही है। थोक कीमतों का सूचक अंक (970–71=100) जो मार्च, 1977 में 182.9 पर था, उसमें उसके बाद बहुत सीमित मात्रा में घटबढ़ होती रही और फरवरी 1979 में वह 183.5 के स्तर पर था। 24 फरवरी, 1979 को समाप्त हुए सप्ताह का सूचक अंक 183.6 पर था परन्तु अगले चार सप्ताहों के दौरान उसमें 3.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई और वह 189.4 हो गया। निस्संदेह यह काफी अधिक वृद्धि थी क्योंकि वह एक छोटी सी अवधि में हुई थी।

तथापि मैं सरकार से इस आश्वासन के बारे में स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं कि बजट प्रस्तावों के कारण कीमतों में 1 प्रतिशत से अधिक वृद्धि नहीं होगी। शायद यह तथ्य पूरी तरह नहीं समझा गया है कि एक वस्तु-विशेष की कीमत में चाहे कितनी भी वृद्धि क्यों न हो जाए लेकिन कीमतों के सामान्य स्तर पर उसके प्रभाव का निर्धारण इस बात से ही किया जाएगा कि थोक लेन-देन की समष्टि के संदर्भ में उसे कितना महत्व दिया जाता है।

चालू थोक कीमतों के सूचक अंक में बहुत सी वस्तुएं और भाव समाविष्ट होते है। प्राथमिक वस्तुओं के समूह पर, जिसके सुचक अंक के कुल भार में लगभग 42 प्रतिशत अंश होता है, बजट प्रस्तावों का कोई असर नहीं हुआ है, सिवाय सिर्फ कच्ची तम्बाकू के, जिस पर से तो वास्तव में उत्पाद शुल्क हटाया गया है। फिर भी अकेले इसी समूह ने कीमतों की वृद्धि में 31.6 प्रतिशत योगदान दिया है।

जहां तक विनिर्मित वस्तुओं का संबध है। ध्यान रहे कि वर्तमान बजट में लगाए गए करों/शुल्कों से कुछ ही वस्तुएं प्रभावित हुई हैं। वास्तव में सूचक, अंक का लगभग पांचवां भाग (भार के अनुसार) 1979–80 के बजट में लगाए गए उत्पाद शुल्कों से प्रभावित हुआ है और सूचक अंक के इस पांचवें भाग में भी, अकेला पेट्रोलियम समूह की वद्धि के 15.9 प्रतिशत तक अंश के लिए जिम्मेदार पाया जाएगा, और चीनी, खाण्डसारी और गुड़ तथा अलौह धातुएं यद्यपि बजट में लगाए गए करों/शुल्कों से अप्रभावित रही है फिर भी उन्होंने इस वृद्धि में 22.8 प्रतिशत तक योगदान दिया है। दूसरी ओर, अलौह धातुओं की कीमतों में वृद्धि खनिज ओर धातु व्यापार निगम द्वारा लगभग बजट के समय ही कीमतें बढाए जाने के कारण हुई हैं। आयातित वनस्पति तेलों की कीमतें भी दुनियाँ के बाजारों में इनकी कीमतें वढ़ जाने के कारण बढ़ी हैं। अतः इन सब बातों से यह स्पष्ट है कि बजट से प्रभावित वस्तुओं की कीमतें बढ़ने में कोई खास हाथ नही रहा है और इसमें सन्देह करने की कोई गुन्जाइश नहीं है कि थोक कीमतों के सूचक अंक में हुई 3.2 प्रतिशत की कुल वृद्धि में बजट में लगाए गए करों/शुल्कों का हिस्सा लगभग 1 प्रतिशत ही बैठता है। जैसाकि आमतौर पर देखा जाता है, वर्ष के इस भाग में बजट के अलावा अन्य कारण भी अपना असर दिखाने लगते हैं।

अपने मंत्रालय के प्राक्कलनों का समर्थन करते हुये कुछ विशेष वर्गों को उनके द्वारा प्रयुक्त वस्तुओं पर मूल्य वृद्धि के कारण उन्हे हुए कष्ट को कम महत्व देने का मेरा इरादा नहीं है, किन्तु मैं यह कहना चाहता हूं यद्यपि एक या एक से अधिक वस्तुओं की कीमतों में काफी वृद्धि हुई प्रतीत होती है लेकिन कुल मिलाकर कीमतों की स्थिरता को किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। दूसरी ओर, पिछले दो वर्षो में मुद्रा उपलब्धि में हुई उल्लेखनीय वृद्धि के बावजूद कीमतों में काफी हद तक स्थिरता कायम रखी गयी है। लेकिन वास्तव में आने वाले दिनों में चिन्ता का विषय तो यह है कि मद्रा उपलब्धि में होने वाली वृद्धि वास्तविक उत्पादन की वद्धि की अपेक्षा अधिक तेजी से हो रही है। सरकार इस समस्या के प्रति हमेशा सजग रही है और समय-समय पर समुचित उपाय किए जाते रहे हैं ताकि कीमतों को अनावश्यक रूप से बढ़ने से रोका जा सके।

मै यह जानता हूं कि इस समय कुछ वस्तुओं के निर्माता और व्यापारी वस्तुओं की अस्थायी कमी का नाजायज फायदा उठाकर कीमते बढ़ा रहे है। में उनसे कहना चाहता हूं कि वे ऐसा समाज-विरोधी काम करना छोड़ दें। जैसा कि सदन को मालूम है, इस वर्ष जुलाई के महीने से देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और मजबूत बनाया जा रहा है और जनसाधारण की अत्याधिक आवश्यकताएं इस प्रकार पूरी करने की व्यवस्था की जाएगी कि जिससे उसे कम से कम कठिनाई का सामना करना पड़े मैं, सदन को यह विश्वास भी दिलाना चाहता हूँ कि कीमतों को एक उचित स्तर पर कायम रखने के लिये जो भी कदम उठाए जाने जरूरी समझे जाएंगे सरकार उन्हे उठाने से गुरेज नहीं करेगी ।

मेरा वक्तव्य अभी पूरा नहीं हुआ है। श्रीमन इस वक्तव्य की एक प्रति आपको भेजने के पश्चात दिल्ली प्रशासन से जानकारी मांगी गई जिसका एक पैराग्राफ मैं स्थिति स्पष्ट करने के लिये पढ़ूंगा।

दिल्ली प्रशासन ने इस प्रश्न के उत्तर में निम्नलिखित टिप्पणी की है। यह इस प्रकार है। मैं केवल एक पैराग्राफ पढ़ूंगा ।

> "दिल्ली के विभिन्न बाजारों के हाल के सर्वेक्षण से पता चला है कि साबुन और माचिस बाजार में सुलभ हैं और इनकी कोई कमी नहीं है .....

श्री ज्योति र्य बसु : किस मूल्य पर?

श्री चरण सिंह : यह भी पता चला है कि 28 फरवरी, 1979 को सामान्य बजट-पेश किये जाने के बाद ये वस्तुएं बाजार से गायब नहीं हुईं। जहां तक नहाने के साबुन का सम्बन्ध है, इन वस्तुओं के व्यापार मूल्यों पर बेचे जाने का समाचार है। फिर भी, शिप तथा विटको जैसी विशिष्ट ब्रान्ड की माचिसों के बारे में दुकानदार 13 पैसे के स्थान पर जो मूल्य

माचिस बाक्सों पर अंकित है 15 पैसे प्रति बाक्स की दर ले रहे हैं। इस पर सूचीबद्ध अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्य और भंडार का दिल्ली प्रदर्शन आदेश, 1977 लागू होता है और विभाग आवश्यक छापे मारने की व्यवस्था कर रहा है तथा दोषी पाये जाने वालों के विरुद्ध वर्तमान कानून के अन्तर्गत कार्यवाई की जायेगी।

इस पैराग्राफ को पढ़ने से मेरा तात्पर्य यह है कि सरकार इस मामले में संतुष्ट नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : श्री वेंकटारमन, आपकी क्या आपति है।

श्री वेंकटारमन : मैं चाहता हूं कि इस वक्तव्य को सभी सदस्यों को उपलब्ध कराया जाये क्योंकि इसमें बहुत सी जानकारी है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार करूंगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : माचिस 20 पैसे प्रति बाक्स के हिसाब से बेची जाती हैं।

8606 श्री चित्तबसु (बारसा) : माननीय उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री द्वारा दिया गया वक्तव्य मैंने सावधानी पूर्वक सुना है। मुझे यह टिप्पणी करते हुए खेद होता है कि उन्होंने इसलिए कि सदन मामले की सही स्थिति न जान सके इधर उधर की बातों का सहारा लिया है। जनता पार्टी के एक सम्मानित नेता, जो अब देश के उप प्रधान मंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं, द्वारा ऐसे हथकंडे अपनाने पर मुझे दुख है।

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपको ज्ञात है फरवरी, 1979 के अन्तिम दिन बजट पेश करने के पश्चात वित्त मंत्रालय द्वारा एक सार्वजनिक वक्तव्य में कहा गया कि नये करों से मूल्यों पर कोई अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। उनका मत था कि थोक मूल्य सूचकांक में 1 प्रतिशत की वृद्धि होगी और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 0. 5 प्रतिशत की वृद्धि होगी। खेद की बात है कि माननीय उप प्रधान मंत्री अभी तक अपनी विचारधारा पर अड़े हुए हैं। अर्थात आने वक्तव्य आरम्भ से अन्त तक उन्होंने यही कहा है कि अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों में 1 प्रतिशत से अधिक वृद्धि नहीं हुई है।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : (कन्नानूर) : थोक मूल्य न कि उपभोक्ता मूल्य ।

श्री चित्तबसु : (बारसाट) : मैं उस बात पर आता हूं। आप कृपया व्यवधान न करें। परन्तु देश में आज वास्तविक स्थिति, विशेषतया मूल्यों की क्या है? सरकारी सूचकांक से जो कि मेरे पास उपलब्ध है, ज्ञात होता है कि 27 फरवरी, 1979 को बजट पेश किये जाने के बाद मूल्य निरन्तर बढ़ते रहे हैं। ध्यान देने के लिये यह एक महत्वपूर्ण बात है। मैं अपने आरोप के समर्थन में निम्नलिखित जानकारी उधृत करूंगा।

(ए) मार्च 3 को समाप्त होने वाले सप्ताह में बजट पेश किये जाने के तुरन्त बाद की अवधि थोक मूल्य सूचकांक में 1. 7 प्रतिशत वृद्धि हुई। तीन वर्ष पूर्व जब मुद्रा स्फीति पर नियंत्रण पाया गया तब से केवल सप्ताह में इतनी अधिक वृद्धि कभी रजिस्टर नहीं की गई। इसके बाद भी 10 मार्च को समाप्त होने वाले सप्ताह में थोक मूल्य सूचकांक में . 7 प्रतिशत की

और वृद्धि हुई। 17 मार्च को समाप्त होने वाले अगले सप्ताह में सूचकांक में .3 प्रतिशत की और वृद्धि हुई।

यदि हम इन सब को जोड़ें तो पता चलेगा कि इन दो तीन सप्ताहों में मूल्य वृद्धि 2.7 प्रतिशत हुई है। परन्तु यह सब कुछ बजट प्रस्तुत किये जाने के बाद हुआ है। यह बात याद रखने और नोट करने की है कि 20 फरवरी से पहले, बजट प्रस्तुत किये जाने से पूर्व, थोक मूल्य सूचकांक निरन्तर गिर रहा था और पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में कम था। यह नोट करने की दूसरी बात है।

अतः मैंने जो निष्कर्ष निकाला है वह बहुत ही स्वाभाविक है और वह मत कि मेरी गणना के अनुसार 2.7 प्रतिशत की वृद्धि केवल नये करों के कारण ही नहीं है। मेरे तर्क का यह महत्वपूर्ण पहलू है। हमें स्मरण रखना चाहिये कि फुटकर मूल्यों में वृद्धि और भी अधिक थी। यह 2.7 प्रतिशत की वृद्धि जो मैंने बताई है, थोक मूल्य सूचकांक की है। मेरे पास कुछ यह दिखाने के लिये कुछ प्रमाण हैं कि चीनी के मूल्य किस प्रकार बढ़े हैं। अध्यक्ष महोदय, आज मुझे कुछ अधिक समय दिया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, आप क्योंकि अकेले ही बोलने वाले हैं, अतः मैं आपको थोड़ा समय और दूंगा परन्तु उसकी भी एक सीमा है।

श्री चित्त बसु : श्रीमन, मैं कुछ समय चाहता हूं। उन्होंने मूल्य वृद्धि के बारे में विश्लेषण किया है कि वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हुई है। मेरे पास भी विश्लेषण है अतः मंत्री महोदय को मेरी बात भी सुननी चाहिये। ईंधन, ऊर्जा, बिजली तथा स्नेहक पदार्थों के मूल्यों में 5.1 प्रतिशत वृद्धि हुई है। क्या यह बजट में कर प्रस्तावों के कारण नहीं हुई है? निर्मित उत्पादों के मूल्यों में भी वृद्धि हुई है और यह वृद्धि किस सीमा तक हुई है यह बताने के लिए मेरे पास आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। खाद्य उत्पादों के मूल्यों में 1·4 प्रतिशत, तम्बाकू उत्पादों के मूल्यों में 8·3 प्रतिशत तथा कागज और कागज उत्पादों के मूल्यों में 1·7 प्रतिशत की वृद्धि हुई। रसायनों के मूल्य 1·4 प्रतिशत बढ़े हैं। ये मूल्य वृद्धि मंत्री महोदय द्वारा बतायी गयी वृद्धि से पूरी तरह भिन्न हैं और मेरे विचार से इनका कारण उत्पादन शुल्क के माध्यम से 604 करोड़ रुपये की राशि के कर हैं।

देश पर्यन्त विरोध हुआ है। विरोध केवल साधारण व्यक्तियों द्वारा ही नहीं अपितु वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री मोहन धारिया जैसे हमारे साथी ने भी इसका विरोध किया है। 17 मार्च को राज्य सभा में रखे गये एक लिखित विवरण में उन्होंने बताया है कि

"वह वित्त मंत्रालय के सरकारी रिकार्ड, गणना और भविष्य, वाणियों से सहमत नहीं हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने विरोध किया है। राज्य के मुख्य मंत्री ने प्रधान मंत्री को लिखा है कि नये करों से मूल्य वृद्धि की स्थिति पैदा होगी। जिस से देश में अन्ततः कानून और

व्यवस्था बनाये रखने की समस्या कैसे होगी। मुख्य मंत्री ने प्रधान मंत्री को लिखा है कि इस बारे में वह सरकार के निर्णय पर फिर से विचार करें।

जैसा कि सभी को ज्ञात है उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री ने 17 मार्च को कुछ रियायतों की घोषणा की।

अध्यक्ष महोदय : श्री बसु आप इस अवसर को बजट भाषण का अवसर मत बनाइये

श्री चित्त बसु : केवल चार, पांच बातें और कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है। आप दो तीन मिनट का समय और ले सकते हैं।

श्री चित्त बसु : मंत्री महोदय ने कुछ मुद्दे उठाये हैं। मुझे भी कुछ मुद्दे उठाने हैं। मैं केवल उनके मुद्दों पर आपति प्रकट कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप दो, तीन मिनट का समय और लें। नियमों में केवल 4 मिनट का समय दिया गया है। परन्तु मैंने आपको अधिक समय दिया है।

श्री चित्तबसु : नियमों में ऐसी व्यवस्था भी नहीं है कि उप प्रधान मंत्री अपना वक्तव्य दें और उस पर कोई आपति प्रकट न करें। आप मुझे कुछ मिनट का समय और दें। मैं अधिक समय नहीं लूंगा। कुछ छूट दी गई है। इन छूटों के बारे में मैं दिनांक 18 मार्च के हिन्दुस्तान टाइम्स से उद्धरण देता हूं :

> "दिल्ली प्रशासन के कथानुसार वित्त मंत्री द्वारा संसद में घोषित रियायतों का फुटकर बाजार में कोई प्रभाव पड़ा प्रतीत नहीं होता है।

अब, मैं राष्ट्रीय लोक वित्त तथा नीति संस्थान के विचारों के बारे में बताना चाहता हूं :

> "सामान्य मूल्य स्तर में ·6 प्रतिशत वृद्धि की आशा की जा सकती है। अतिरिक्त कर का अधिकांश भार है निर्धन वर्ग ग्रामवासियों को, जिनका प्रतिव्यक्ति मासिक व्यय 100 रुपये से भी कम , 69·35 प्रतिशत लगभग 70 प्रतिशत अतिरिक्त कर भार वहन करना पड़ेगा जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक व्यय करने वाले वर्ग को 30·56 प्रतिशत भार वहन करना पड़ेगा।

अतः इस बजट से नागरिक तथा ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों के लोग प्रभावित हुए हैं। अपने व्यक्तव्य में वित्त मंत्री ने बताया है कि बजट प्रस्तावों के परिणामस्वरूप मुद्रा स्फीति नहीं बढ़ेगी। इस बारे में मैं फिर राष्ट्रीय लोक वित्त तथा नीति संस्थान के विचारों का उद्धरण देता हूं।

> "मुद्रा स्फीति की दर 6 से 12 प्रतिशत होगी और इस दर से मूल्य वृद्धि की परिस्थितियां उत्पन्न होगीं।

अध्यक्ष महोदय : अब आप समाप्त कीजिये।

श्री चित्तबसु : मैं मंत्री महोदय से केवल एक, दो प्रश्न पूछना चाहता हूं। पहला प्रश्न यह कि मैंने जिन पहलुओं का उल्लेख किया है क्या सरकार उन पर ध्यान देकर बजट प्रस्तावों का पुनरीक्षण करेगी और साधारण आदमी को सीधे प्रभावित करने वाले कुछ नये करों को समाप्त करेगी।

क्या यह सच नहीं है कि अत्यावश्यक वस्तुओं के वितरण के लिये सार्वजनिक वितरण प्रणाली को स्थगित कर दिया गया है? यह मामला फिर से मंत्री मंडलीय समिति और अधिकारियों की समिति को सोंप दिया गया है।

क्या यह भी सच नहीं है कि वितरण प्रणाली से कोई लाभ नहीं हो सकता जब तक की आवश्यक वस्तुओं के मूल्य सांविधिक रूप से निर्धारित नहीं किये जाते। इसे प्रमाणित करने के लिये मैं आपके सामने सुपर बाजार कनाटसर्कस से खरीदी गई 1 किलोग्राम चीनी की रसीद पेश करता हूं। उसमे एक किलोग्राम चीनी का मूल्य 3.10 पैसे लिखा गया है जबकि चीनी के बारे में सरकार की नीति यह है कि यदि चीनी का मूल्य 2.75 रुपये से अधिक हो तो सरकार हस्तक्षेप करेगी। क्या मैं माननीय वित्त मंत्री से पूछ सकता हूं कि क्या सरकार चीनी से नियंत्रण हटाने के अपने निर्णय की समीक्षा करेगी अथवा अत्यावश्यक वस्तुओं की खरीद और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की नीति अपनायेगी ताकि मूल्य वृद्धि को रोका जा सके।

श्री चरण सिंह : मैंने आज विद्यमान आर्थिक स्थिति के बारे में साफ-साफ बताया है। परन्तु मेरे माननीय मित्र श्री चित्त बसु न तो मेरे द्वारा दिये गये किन्हीं आंकड़ों को ही काट सके हैं और न स्थिति के तथ्यों को। मुझे उनसे कुछ अधिक आशा थी परन्तु यह मेरा भ्रम ही सिद्ध हुआ। आपकी अनुमति से श्रीमन मैं सदन को यह बताना चाहता हूं कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव बजट प्रस्तावों के परिणामस्वरूप मूल्य वृद्धि के बारे में है। माननीय सदस्य ने चीनी इस्पात का अन्य वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि का उल्लेख किया है। उन्होंने लोकमत संस्थान के कुछ उद्धरण भी दिये हैं। तथ्य और आंकड़े मौजूद हैं। हम उनसे स्वयं तो निष्कर्ष निकाल सकते हैं। विचार बनाने तथा आशय के जानने के लिये इन्हें हम किसी संस्थान अथवा किसी व्यक्ति को भेजने की आवश्यकता नहीं है। जैसाकि मैंने बताया है, सरकार स्थिति के प्रति जागरूक है। साधारण लोगों के लिये कठिनाईयां पैदा करने जैसी कोई बात नहीं है। जैसा कि मैं बता चुका हू सरकार इस बात का ध्यान रखेगी कि मूल्यों में अंधाधुंध वृद्धि न हो।

श्री वसंत साठे : (अकोला) : उन्होंने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है।

अध्यक्ष महोदय : यह मुख्य वक्तव्य में पहले ही बता दिया गया है।

श्री वसंत साठे : उन्होंने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में पूछा है। इसके लिये एक समिति नियुक्त की गई है।

अध्यक्ष महोदय : यह माननीय उप प्रधान मंत्री और श्री चित्त बसु के बीच की है बात नहीं है।

श्री वसंत साठे : मैं पूछना चाहता हूं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली चालू होगी अथवा नहीं।

श्री चरण सिंह : इस समय में विस्तार से नहीं बता सकता। जहाँ तक वाणिज्यि मंत्रालय का संबंध है वे जुलाई से सार्वजनिक वितरण प्रणाली बना रहे हैं। मैं इतना ही बता सकता हूं।

श्री वसन्त साठे : आप इसे क्रियान्वित नहीं होने देंगे।

सभा पटल पर रखे गए प्रत्रों सम्बन्धी समिति

14 वां प्रतिवेदन

श्री कंवरलाल गुप्त (दिल्ली सदर) : मैं सभा पटल पर रखे गये प्रश्नों सम्बन्धी का 14वां प्रतिवेदन (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

लोक लेखा समिति

75 वां प्रतिवेदन

श्री पी० वी० नरसिम्हा राव (हनमकोंडा) : मैं भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वर्ष 1975-76 के प्रतिवेदन, संघ सरकार (रेल) के पहियों के सैटों के आयात से सम्बन्धित पैराग्राफ 11 पर लोकलेखा समिति का 75वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति, 34वां प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश

श्री ज्योतिर्मय बसु (डाममंड हार्बर) : मैं भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड द्वारा तम्बाकू की खरीद पर सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति का 34 वां प्रतिवेदन तथा उससे सम्बन्धित समिति की बैठकों के कार्यवार्ता सारांश प्रस्तुत करता हूं।

सदस्य द्वारा वैयक्तिक स्पष्टीकरण

श्री बलदेव सिंह जसरोटिया (जम्मू) : श्रीमन् 4 अप्रैल को जब गृह मंत्रालय की अनुदानों की मांग पर विचार हो रहा था, लोक सभा नियमों का उल्लंघन करते हुए श्रीमती अकबर जहां बेगम ने जम्मू तथा कश्मीर राज्य के मुख्यमंत्री के सम्मान में, जो उनके पति हैं? एक तैयार किया हुआ वक्तव्य पढ़ा।

वक्तव्य पढ़ते समय उन्होंने मुझ पर गम्भीर आरोप लगाये (क) कि छात्रों को स्कूल जाने के लिये तैयार करने हेतु मैं घर घर गया (ख) दबाव डालने, दोहरी प्रशासन बनाने का अभियान चालू किया।

बड़े दुःख की बात है कि माननीय महिला सदस्य ने इतने गलत, गुमराह करने वाले तथा अविवेकता के आरोप मुझ पर लगाए हैं।

श्री कंवर लाल (दिल्ली सदर) : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। आपने इस सदन को वचन दिया था कि आप उस पुस्तक की एक प्रति मंगवारंगे' जिसमें कुछ आरोप लगाए गए हैं। वह पुस्तक आ गई है। यह एक महत्वपूर्ण मामला है और जैसा कि आपने वचन दिया था, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस सदन में चर्चा के लिए कोई तारीख नियत की जाए।

अध्यक्ष महोदय : वह पुस्तक मेरे पास नहीं है। लगता है मेरी अपेक्षा आप ज्यादा जानते हैं।

श्री कंवर लाल गुप्त : कभी कभी ऐसा हो जाता है। यह बड़ा ही गंभीर मामला है; सारा देश उत्तेजित है।

अध्यक्ष महोदय : मैं मामले की जांच करूंगा।

नियम 377 के अधीन मामला

(एक) विदेशी द्वारा दिल्ली में एक बैंक में जाली डालरों को भारतीय मुद्रा में बदले जाने का समाचार

श्री ब्रजभूषण तिवारी (खलीलाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से नियम 377 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय का उल्लेख करना चाहता हूं :—

27 नवम्बर, 1978 को यूनियन बैंक की आसफअली रोड शाखा में 500 अमरीकी डालर एक जर्मन महिला द्वारा भुनाया गया और भारतीय मुद्रा में उक्त भुगतान किया गया। जब ये डालर बम्बई मुख्यालय भेजे गये, तो वहां इनको जाली करार दिया गया और ऐसी रिपोर्ट के साथ पुनः आसफअली रोड़ शाखा को भेज दिया गया। उक्त जर्मन महिला ने दरियागंज दिल्ली का पता दिया था और वह बनारस से दिल्ली-वाराणसी के एक व्यक्ति के साथ बैंक गई थी और उस व्यक्ति की जान-पहचान वहां के रिजनल मैनेजर से थी, जिसकी पहचान पर ही उक्त डालर का भुगतान कराया गया। यह आश्चर्य की बात है कि उस जर्मन महिला ने भुगतान कराने का कारण अपनी स्वदेश यात्रा बताया था और यह पता भी चला कि वह उसी दिन रात को जहाज से जर्मनी वापस चली गई। जर्मनी में भारतीय मुद्रा की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। उस व्यक्ति की जान-पहचान शाखा के रिजनल मैनेजर से पुरानी है। सपर्युक्त तथ्यों से यह प्रमाणित होता है कि देश के अन्दर एक ऐसा गिरोह है, जो इस प्रकार के जाली डालर बनाता है और बैंक के अधिकारियों से मिल कर उनका भुगतान कराता है।

यह बहुत ही गंभीर और सार्वजनिक महत्व का विषय है। इसके लिए मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह इस पूरी घटना की सी० बी० आई० द्वारा जांच कराये और इससे सम्बद्ध व्यक्तियों तथा बड़े गिरोह का पता लगाये और उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करे। सारी स्थिति को साफ करने के लिए आवश्यक है कि वित्त मंत्री सदन में बयान दें।

(दो) सांख्यिकी विभाग, हंस भवन, नई दिल्ली में कैंटीन कर्मचारियों का परेशान किया जाना

श्री रामदास सिंह (गिरिडीह) : अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन योजना मंत्री का ध्यान नैशनल सैम्पल सर्वे आर्गनाइजेशन के सांख्यिकी विभाग, हंस भवन, नई दिल्ली, में व्याप्त भ्रष्टाचार और सरकार के नियमों का उल्लंघन करके गरीब कर्मचारियों को सताने की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

नैशनल सैम्पल सर्वे आर्गनाइजेशन के अन्तर्गत जो कैन्टीन है, उसमें काम करने वाले निम्नवेतन-भोगी कर्मचारियों के एक वर्ग को 170 रुपये माहवार और दूसरे वर्ग को 239 रुपए

माहवार तन्ख्वाह मिलती है । पर्सोनेल डिपार्टमेंट के हैड ने अपने मीमो नम्बर 6/(2)/23/76-वेलफेयर, तारीख 7-1-77 के जरिये आदेश दिया कि उनकी तन्ख्वाह में सुधार किया गया है और मिनिमम वेज के मुताबिक उनकी तन्ख्वाह में बढ़ोतरी की गई है। लेकिन उस डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने इतने दिनों से आज तक इस नियम के मुताबिक तन्ख्वाह नहीं दी। अभी एक महीने पहले, जब उन कर्मचारियों को मालूम हुआ, तो उन्होंने डायरेक्टर, पर्सोनेल को लिखा।

अध्यक्ष महोदय : आपको सिर्फ लिखित वक्तव्य तक ही सीमित रहना है ; उससे बाहर आप नहीं जा सकते।

श्री रामदास सिंह : मैंने उस विनियम को उद्भूत किया है जिसका उद्धृत किया है जिसका उल्लंघन किया है और इसी लिए मैं यह सब कह रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : आपको केवल वक्तव्य तक ही सीमित रहना है। अपनी बात जल्दी समाप्त करें। सदन का समय बहुत कीमती है।

श्री रामदास सिंह : इस महीने, अर्थात् मार्च में, उनको मिनिमम वेज के मुताबिक तन्ख्वाह मिल गई है। इसलिए मैं आग्रह करता हूं कि 1976 से फरवरी, 1979 तक दोनों वेतनमानों में अन्तर का उनका जो बकाया है, उसका उन्हें भुगतान किया जाए।

दूसरा जो उन को मिला था उस के लिए आर्डर परसौनेल डिपार्टमेंट ने दिया। उसका मेमो नं० 6(2)/9/77 वैलफेयर डेटेड 21-2-78 है, उस के मुताबिक उन को गर्मी और जाड़े में वर्दी मिलनी चाहिए जो आज तक नहीं मिली।

तीसरा जो नियम मैंने कोट किया है वह है मेमो नं० 6(2)/24/77 डेटेड 30-8-1978।.....

अध्यक्ष महोदय : आप एक स्टेटमेंट देते हैं और पढ़ते दूसरा हैं।

श्री रामदास सिंह : मैं दो मिनट में खत्म कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप का स्टेटमेंट दूसरा है।

श्री रामदास सिंह : वही है जो मैंने मेमो नम्बर लिखा है उसी के वायलेशन का है। ..... (**व्यवधान**) ..... मैं कह चुका हूं कि यह फलां-फलां विनियम के मनमाने उल्लंघन के बारे में है।

वही तीन चार जो वायलेशन किया है उस के नम्बर हैं, वही मैं बोल रहा हूं। दूसरा मैं बोल नहीं रहा हूं। उस के मुताबिक एकाउंट रजिस्टर और वाउचर जिस तरह से मैन्टेन होना चाहिए वह मैन्टेन नहीं किया गया है और उन्हें कैंटिन के लिए 8 हजार रुपया जो खर्च करने के लिए दिया गया था उसमें से 3696 रुपया 93 पैसे का खर्च उन्होंने दिखाया है लेकिन बाकी 4303 रुपये 7 पैसे का न उन्होंने खर्च दिखाया है और न कानून के मुताबिक जो उन को उसे डायरेक्टर के पास जमा करना चाहिए था वह जमा किया है। इस तरह की जो रिपोर्ट मिली है उस रिपोर्ट के मुताबिक एक और खबर है कि नियम के मुताबिक उन्होंने एप्वाइंटमेंट लेटर नहीं दिया है। वह क्या करते हैं कि जिस कर्मचारी से नाराज़ हो जाते हैं उस को हटा देते हैं.....

अध्यक्ष महोदय : मुझे दुख है कि मझे आपको रोकना पड़ेगा क्योंकि आपने मुझे 5 पंक्ति का वक्तव्य दिया है और अब आप पूर भाषण देने लगे हैं। यहां इसमें केवल 5 पंक्तियां हैं

श्री रामदास सिंह : मेरा नोटिस का० ज्ञा० के मनमानी ढंग से उल्लंघन किए जाने के बारे में है।

अध्यक्ष महोदय : आप ऐसा नहीं कर सकते। एक वरिष्ठ सदस्य होने के नाते, मैंने आपको कुछ छूट दे दी है।

श्री रामदास सिंह : तो उस के अन्तर्गत उन को वर्दी आज तक नहीं दी गई है। वहां पर **एकाउंट आफिसर-कम-ऐडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर हैं जो कि पांच साल से डेपुटेशन में हैं जो नियम-विरुद्ध है। उन का एप्वाइंटमेंट या तो सरकार को रेगुलराइज़ करना चाहिए या उन्हें हटा देना चाहिए। पंजाब सरकार ने इस के बारे में यह कहा है कि डेपुटेशन पर रहने से फेवरिटिज्म, निपोटिज्म और मैल-प्रैक्टिसेज़ होती हैं।...

अध्यक्ष महोदय : सारे नाम निकाल दिए जाएं।

श्री रामदास सिंह : तो ये तीन नियम मैंने दिखाये हैं इनको अधिकारियों ने वायलेट किया है। इन नियमों को लागू कर के वहां के कर्मचारियों का जो बकाया है उस का भुगतान किया जाना चाहिए और इन नियमों के मुताबिक उन को सुविधाएं प्रदान करनी चाहिएं।

(तीन) पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले को कोयले की अतिरिक्त सप्लाई का समाचार

श्री अजीत कुमार साही (विष्णुपुर) : महोदय, नियम 377 के अधीन मैं यह मामला उठाना चाहता हूं :

बांकुरा थोक उपभोक्ता सहकारी समिति लि०, जो एक सरकारी एजेंसी है, को दिसम्बर 1978 के साफ्ट कोक कोयले की अनियमित सप्लाई के कारण बांकुरा जिले में गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। बसंती माता कोयला खान और सालनपुर क्षेत्र कोयला खान द्वारा बांकुरा जिले को भेजे गए कोयले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :

माह	कोटा	अब तक की गई सुपुर्दगी	शेष	टिप्पणी
1	2	3	4	5
दिसम्बर, 76	200 मी० ट०	62 मी० ट०	138 मी० ट०	शेष कोयला अभी तक कोयला खान द्वारा सप्लाई नहीं किया गया है।
जनवरी, 79	700 मी० ट० बांकुरा के लिए और 180 मी० ट० विष्णुपुर के लिए।	इस कोला खान में कोई माल नहीं उठाया गया।	880 मी० ट०	कोयला खान ने सप्लाई करने से मना कर दिया

**अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

1	2	3	4	5
फरवरी, 79	540 मी० ट०	उस कोयला खान में कोई माल नहीं उठाया गया।	540 मी० ट०	सालनपुर क्षेत्र कोयला खान ने बी० डब्ल्यू० सी० सी० एल० को गौरण्डी कोयला खान से साफ्ट कोक उठाने का निदेश दिया। चूंकि गौरण्डी कोयला खान का भण्डार अच्छी किस्म का नहीं है बी० डब्ल्यू० सी० सी० एल० ने बांजूमेहरी तथा अन्य कोयला खानों से डिलीवरी के प्रबंध करने का अनुरोध किया, लेकिन अनुरोध स्वीकार नहीं किया गया है।
मार्च, 79	504 मी० ट०	कोई माल नहीं उठाया गया।	540 मी० ट०	16-3-79 को कोयला खान प्राधिकारी से सम्पर्क किया गया, लेकिन कोई उत्तर नहीं प्राप्त हुआ है।

इस संबंध में मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि जैसा कि संबंधित प्राधिकारी ने बतलाया है, माल की सुपुर्दगी के लिए रेल वैगन उपलब्ध नहीं हैं। लेकिन हमको इस बात का तीखा अनुभव है कि जब भी कोई निजी कंपनी या यह समिति जिसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है, किराए के ट्रकों द्वारा कोयला ले जाती है तो उन ट्रकों को अनावश्यक ही कोयला खान क्षेत्र में दो से तीन दिनों और कभी कभी चार दिनों तक रोक लिया जाता है। सामान्य प्रथा यह है : "जितनी अधिक घूस आप देंगे, उतनी ही जल्दी माल की सुपुर्दगी आपको मिलेगी।" यह भ्रष्टाचार सारे कोलया क्षेत्र में ऊपर नीचे तक फैला हुआ है जिसका पता सबको है और इसी वजह से लोगों को तकलीफ उठानी पड़ती है। अतः आपके माध्यम से मैं संबंधित मंत्रालयों से निवेदन करूंगा कि (क) बांकुरा जिले को माल की सुपुर्दगी निर्धारित कोटे के अनुसार नियमित रूप से की जाए, (ख) तत्काल ही इस सारे मामले की पूरी तरह जांच की जाए तथा उत्तरदायित्व नियत किया जाए और (ग) एक विवरण जिसमें तथ्यात्मक ब्यौरा दिए गए हों सभा पटल पर रखा जाए।

श्री भगत राम (फिल्लौरा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा आप से एक सबमिशन है।

अध्यक्ष महोदय : उसका यह समय नहीं है।

श्री भगत राम : मैं लगातार कई दिनों से आपसे कह रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : वह वक्तव्य किसी अन्य द्वारा दिया जा चुका है। आप लगातार बोलते नहीं चले जा सकते ; मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री भगत राम : तीन हफ्ते से 377 के मातहत**

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृतांत में शामिल न करें यहां मेरे पास लिखा हुआ है कि वक्तव्य किसी अन्य सदस्य द्वारा पहले ही दिया जा चुका है। यदि आप सदन की कार्यवाही में विघ्न डाल कर ही खुश होना चाहते हैं, तो कीजिए। मैंने अनुमति नहीं दी है।

(चार) बम्बई सर्राफा बाजार में सोने और चांदी के मूल्यों में वृद्धि का समाचार

श्री उग्रसेन (देवरिया) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से नियम 377 के अन्तर्गत निम्नलिखित वक्तव्य सदन के सम्मुख प्रस्तुत करता हूं :

"बम्बई सर्राफा कारोबार के इतिहास में सोने के भाव ने उच्चतम कीर्तिमान कल स्थापित किया जबकि सभी पिछले रेकार्ड तोड़कर सोना 1000 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। यह कहा नहीं जा सकता कि यह भाव वृद्धि किस स्तर तक जायेगी। इसकी देखादेखी में चांदी का भी भाव बढ़ गया और उसका भाव प्रति किलोग्राम 1701 रुपए पर पड़ा है। इसका असर सभी जीवनोपयोगी वस्तुओं पर पड़ा है। स्थिति अत्यन्त गम्भीर होती चली जा रही है और जिन्दगी दूभर हो रही है। मैं वित्त मंत्री जी से तत्काल हस्तक्षेप करते हुए स्पष्टीकरण की मांग करता हूं।

अनुदानों की मांगें 1979-80

(एक) (ऊर्जा मंत्रालय)

अध्यक्ष महोदय : अब हम ऊर्जा मंत्रालय की अनुदान मांगों पर आगे चर्चा तथा मतदान करेंगे। श्री जनेश्वर मिश्र।

श्री सोमानाथ चटर्जी (जादवपुर) : दो माननीय सदस्य अनुपस्थित हैं। मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर 377 के अन्तर्गत नोटिस देना है :

अध्यक्ष महोदय : यदि आप नोटिस दे चुके हैं, तो मैं उस पर विचार करूंगा। यह बुरी प्रथा होगी।

श्री वयालार रवि (चिरमिकील) : मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। कल जब इस मंत्रालय की मांगों पर बहस हो रही थी। उस समय प्रो० मावलंकर यहां उपस्थित थे; 7 बजे से कुछ ही पहले जब हम यहां बैठे हुए थे, हमें बोलने के लिए बुलाया गया और हम केवल एक या

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

दो मिनट ही बोले उस समय शाम के 7 बजने में 20 मिनट बाकी थे । बोलने वाला कोई नहीं था । तब सभापति महोदय ने मंत्री महोदय को मांगों का उत्तर देने के लिए आमंत्रित किया । दुर्भाग्य से यहां बहस में कुछ भी रिकार्ड नहीं किया गया । मैं नहीं जानता ऐसा क्यों हुआ । मंत्री जी को बोलने के लिए बुलाए जाने की बात रिकार्ड नहीं की गई । सामान्यतया हम यह अपेक्षा करते हैं कि सभापति महोदय जो कुछ कहें, वह उस पुस्तक में रिकार्ड होना चाहिए, लेकिन यह बात रिकार्ड नहीं की गई है । यही मेरा विरोध है । मैं इस बारे में आपका विनिर्णय चाहता हूं कि जब मंत्री महोदय, बहस का उत्तर दे रहे हैं, तो श्री जनेश्वर मिश्र को उत्तर देने के लिए सभापति द्वारा आमंत्रित किया गया था या वह हस्तक्षेप कर रहे हैं।

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : हस्तक्षेप कर रहे हैं।

श्री वयालार रवि : मैं इस बारे में विनिर्णय चाहता हूं । मन्त्री महोदय से उत्तर देने के लिए कहा गया था । किसी भी वक्ता द्वारा भाषण दिया जाना शेष नहीं था । केवल श्री रामचन्द्रन और उनके सहयोगी मन्त्री को छोड़कर जनता बैंचों में से कोई भी सदस्य नहीं बचा था । विपक्ष की बैंचों पर लगभग 15 सदस्य बैठे हुए थे । स्पष्टतः किसी को भी भाषण देना शेष नहीं था । सभापति महोदय ने मन्त्री महोदय से बहस का उत्तर देने के लिए कहा था । आप बहस का अध्ययन करने की कृपा करें । मैं इस बारे में आपका विनिर्णय चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं तथ्यों को जाने बिना विनिर्णय नहीं दे सकता । मैं तथ्यों का अध्ययन करूंगा और उसके बाद विनिर्णय दूंगा । मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम । ऐसा कोई भी अभ्यावेदन मेरे पास नहीं आया है । मैं उक्त मामले का अध्ययन करूंगा और उसके बाद विनिर्णय दूंगा । उनका कहना यह है कि वह उत्तर नहीं दे रहे हैं, बल्कि बहस में केवल हस्तक्षेप कर रहे हैं ।

श्री के० गोपाल : (करनर) : कल लगभग 6·50 पर, जैसा कि श्री रवि ने उल्लेख किया, विभिन्न विरोधी पार्टियों के कुछ सदस्य यहां उपस्थित थे । जनता पार्टी का एक भी सदस्य नहीं था । केवल मन्त्री महोदय और उनके सहयोगी मन्त्री बैठे हुए थे। सेन्ट्रल हाल में भी कोई नहीं था । हमने कोरम का सवाल भी नहीं उठाया, क्योंकि यह एक सज्जनतापूर्ण समझौता है कि भोजन-काल के दौरान और सायंकाल 6 बजे के बाद हम कोरम का सवाल नहीं उठाते । हमारे पक्ष से कोई भी वक्ता नहीं था, क्योंकि हमारा समय समाप्त हो चुका था । जनता पार्टी के जिन सदस्यों के नाम को भाषण देने के लिए पुकारा गया, वे उपस्थित नहीं थे । इसलिए, सभापति महोदय ने मन्त्री महोदय से भाषण देने के लिए कहा । उन्होंने यह नहीं कहा कि वह बहस में हस्तक्षेप करें । सामान्यतः मैं जानता हूं कि उप मन्त्री बहस में हस्तक्षेप करते हैं । परन्तु जब उन्होंने मन्त्री महोदय से भाषण देने के लिए कहा, तो हमने यह समझा कि वह बहस का उत्तर देना आरम्भ कर रहे हैं। इसलिए, हम सबने सदन-त्याग किया । वह केवल अपने वरिष्ठ साथी और सभापति से बातचीत कर रहे थे । यह एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थी । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मन्त्री महोदय से बहस का उत्तर देने के लिए कहा गया था और यदि हां, तो उन्हें बहस का उत्तर जारी रखना चाहिए और वह उसे समाप्त करना चाहिए ।

प्रो० पी० जी० मावलंकर (गांधीनगर) : मैं दो मुद्दों पर व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं । कल शाम को लगभग 6·40 पर दुर्भाग्यवश मैंने इस मामले को उठाया था । मैं यह कोई शिकायत नहीं कर रहा हूं कि इसे समाचारपत्रों में प्रकाशित नहीं किया गया, क्योंकि क्या छापें या क्या नहीं छापें––यह निर्णय करना प्रेस का काम है । मेरी चिन्ता तो इस बारे में है कि रिकार्ड में क्या शामिल किया गया है । समाचारपत्रों में प्रकाशित खबरों के बारे में मेरी रुचि नहीं है । मैंने यह व्यवस्था का प्रश्न उठाया था कि सभी जनता सदस्य अनुपस्थित थे । वस्तुतः श्री रामचन्द्रन, मेरे अच्छे मित्र श्री जनेश्वर मिश्र और अकाली पार्टी के एक सदस्य––यही तीन सदस्य सत्तारूढ़ बैंचों पर उपस्थित थ । मैं लगभग 10 या 12 सदस्य उपस्थित थे, जिनमें कांग्रेस (आई), कांग्रेस और अन्य पार्टियों के सदस्य, श्री ए० के० राय और कुछ अन्य सदस्य उपस्थित थे। एक के बाद एक जनता सदस्यों के नाम पुकारे गए और उन्हें अनुपस्थित पाया गया । आपने यह विनिर्णय किया था कि अगर सदस्य अनुपस्थित हों, तो उनके नाम को दुबारा पुकारा जाए । इस विनिर्णय का पालन किया गया । परन्तु मेरी आपत्ति यह है कि अगर उनके नाम को कल दुबारा नहीं पुकारा गया, तो क्या उनके नाम को आज दुबारा पुकारा जाएगा ?

अध्यक्ष महोदय : नहीं ।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : मुझे खुशी है कि आपने ऐसा कहा है। जब ये सदस्य अनुपस्थित थे, तो सभापति महोदय को मजबूर किया गया––मैं उनके शब्दों का ही प्रयोग कर रहा हूं––उन्होंने मुझे बताया था, "मैं आपसे सहमत हूं । मैं आपको अनुपात से अधिक समय देने के लिए बाध्य हूं, क्योंकि विपक्ष के सदस्यों को समय देकर सम्भवतः समय को तो पूरा करना ही है––उसे 'किल' करना है। क्या समय को 'किल' करने के लिए ही सदन की बैठक 6 बजे से 7 बजे तक बैठाई जाती है ?

अध्यक्ष महोदय : इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : उस समय मैंने सभापति महोदय से यह अनुरोध किया था कि वह मन्त्री महोदय से उत्तर देने के लिए कहें । सभापति महोदय ने कहा हाँ; मन्त्री महोदय उत्तर दें । उस समय मन्त्री महोदय ने कहा : "नहीं, मेरे साथी उत्तर देंगे।" मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं : बहस को किस प्रकार विनियमित किया जाता है ? मैं यह समझता हूं कि राज्य मंत्री बहस के बीच में, विभिन्न भाषणों के बीच में हस्तक्षेप करते हैं और उसके बाद कुछ और भाषण होते हैं और उसके बाद मन्त्री महोदय उत्तर देते हैं। परन्तु कल जो कुछ हुआ वह यह था, कि जिस समय सदस्यों के भाषण समाप्त हुए, सदस्य चले गए और जिन सदस्यों के नाम पुकारे गए, वे अनुपस्थित थे। फिर, मन्त्री महोदय द्वारा उत्तर देने के बजाय, राज्य मन्त्री ने उत्तर देना शुरू कर दिया । यह सर्वाधिक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है । मैं आप से यह अनुरोध करूंगा कि आप जनता पार्टी के मेरे दोस्तों को बता दें कि वे अपने भाषण देने के तत्काल बाद बाहर न चले जाया करें ।

अध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है। श्रीमान जी आपने और आपके सुप्रसिद्ध पूर्ववर्ती अध्यक्षों के बार-बार यह विनिर्णय दिया है कि संसद सदस्यों को, विशेष रूप से उन संसद सदस्यों को जो भाषण दे चुके हैं, अन्य सदस्यों के भाषणों को सुनना चाहिए । कल जो कुछ हुआ, वह यह था कि जैसे ही सदस्यों के भाषण समाप्त हुए, वे सदन छोड़कर चले गए ।

अध्यक्ष महोदय : आप एक अन्य भाषण देने का प्रयास कर रहे हैं । यह बुलेटिन में दिया हुआ है । मैं उन्हें ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता । आप पहले ही एक लम्बा भाषण दे चुके हैं।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : हममें से कुछ सदस्य जिन्होंने कभी भी भाषण नहीं दिया, अन्य सदस्यों का भाषण सुनते रहे, लेकिन जो सदस्य भाषण दे चुके वे तत्काल सदन छोड़कर चले गए । क्या यह ठीक है ?

अध्यक्ष महोदय : आप पहले ही एक भाषण दे चुके हैं। इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । यह बार-बार कहा गया है और सदस्यों से अनुरोध किया गया है कि बहस के दौरान उन्हें सदन में उपस्थित रहना चाहिए । यह उचित अथवा संसदीय प्रथा नहीं है कि भाषण दो और फिर उसके फौरन बाद बाहर चले जाओ । यह भी संसदीय प्रथा नहीं है कि भाषण देने के समय ही सदन में आओ। इसके अलावा, हमने यह नियम भी बना दिया है कि जब किसी सदस्य का नाम भाषण देने के लिए पुकारा जाता है, और अगर वह अनुपस्थित है, तो उसका नाम दुबारा नहीं पुकारा जाएगा । यह एक नियम बन गया है । इसलिए, इस में व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है ।

राज्य मंत्री ने मुझे बताया है कि वह बहस में हस्तक्षेप कर रहे हैं, बहस का जवाब नहीं दे रहे । बहस का जबाव मन्त्री महोदय देंगे ।

13-02 **ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) :** अध्यक्ष महोदय, कल मैं बता रहा था ।

श्री वगालार रवि : सभापति महोदय के शब्द रिकार्ड में हैं।

एक माननीय सदस्य : इसे क्यों रिकार्ड नहीं किया जाता ?

अध्यक्ष महोदय : मैं इस मामले को देख लूंगा ।

श्री जनेश्वर मिश्र : कल मैं बता रहा था कि अधिग्रहण से पहले कोयला खदानों का नियंत्रण करने के लिए मसलमैन रखे जाते थे और विशेष रूप से मजदूरों की निगरानी और नियंत्रण के लिए वे रखे जाते थे । अब स्थिति बदली हुई है । मजदूर अपने अधिकार पहचानने लगा है लेकिन पहले के पहलवान, खदान के मालिक और उनके साथ लगे हुए दूसरे मुनाफाखोर लोग अब भी खदानों के इर्द-गिर्द घूमते रहते हैं अधिकृत तौर पर और गैर-अधिकृत

तौर पर और इनकी यह सक्रियता कोयले के उत्पादन को भी प्रभातिव करती है । इनकी सक्रियता डिस्पैच को भी प्रभावित करती है और इनकी सक्रियता के कारण वहां पर कानून व्यवस्था भी प्रभावित होती है और मज़दूरों की जो वर्तमान दयनीय स्थिति है, उसके लिए इन तत्वों की सक्रियता भी एक मुख्य कारण है । इनको दूर करने के लिए, निर्मूल करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। मैं उनकी चर्चा बाद में करूंगा । सब से पहले मैं कोल इंडिया की चर्चा करूंगा जिसके बारे में यहां बहुत बहस चली थी ।

कोल इंडिया के लिए 474.31 करोड़ रुपए रखे गए हैं, जिनमें से 274.31 करोड़ रुपये तो योजना के लिए हैं और 200 करोड़ रुपये गैर-योजना के लिए हैं। कोल इंडिया ने पिछले साल 90 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया था और इस साल का लक्ष्य 101 मिलियन टन कोयला उत्पादन करने का है और उत्पादन का लक्ष्य जो उसने बढ़ाया है, तो यह तय है कि जो उसकी पुरानी खदान है, इस में ज्यादा उत्पादन किया जाए, दूसरी खदान का एक्सपेंशन किया जाए, उस में सुधार किया जाए तथा नई योजना चालू की जाए और इसके लिए जरूरी था कि 204.31 करोड़ रुपये की योजना मंजूर की जाए । अब 1978-79 में उत्पादन पर भी कुछ प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और वह इस कारण कि बिहार और बंगाल में अप्रत्याशित बाढ़ आई । इसके अलावा समय-समय पर बिजली भी फैल होती रही । तथा परिवहन के भी ठीक से साधन नहीं मिल पाए और इस कारण से और कई वजह से हम अपने पूरे लक्ष्य को हासिल नहीं कर सके । ये हमारे बाहरी तत्व थे । लेकिन कई सदस्यों ने बार-बार इस बात को उठाया है कि भारत में कोयले का भंडार पर्याप्त है ·····

श्री वयालार रवि : (चिरयिंकल) : यह रेलवे की समस्या नहीं है । क्योंकि उत्पादन कम होता है, इसलिए वे सप्लाई नहीं कर सकते ।

अध्यक्ष महोदय : यह तो सामान्य विवाद है । यह कोई जिरह नहीं है ।

(डा० सुशीला नायर पीठासीन हुई)

श्री जनेश्वर मिश्र : एक बात कई सदस्यों द्वारा बार-बार कही गई कि भारत में कोयले का भंडार पर्याप्त है फिर भी विदेशों से कोकिंग कोल मंगाने की योजना इस्पात मंत्रालय की तरफ से चली है । इस्पात मंत्रालय ने कोयला बाहर से मंगाने का जो निर्णय लिया है वह केवल प्रयोग के तौर पर तथा यह देखने के लिए लिया है कि उत्पादन की आर्थिकी पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है । मैं यहां यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि भारत के कोक कर कोयले में एश कन्टेन्ट ज्यादा हुआ करता है । फिर भी कोल इंडिया लिमिटेड कोक कर कोयले की नौ वाशरी और कोक कोयले की एक वाशरी चलाती है । इस समय सुदामडीह मोनीडीह रामगढ़ और बरोरा में चार वाशरीयों का निर्माण किया जा रहा है । इसके बाद केडला और नन्दन में भी दो वाशरियों की स्थापना होगी । जब यह वाशरियां पूरी हो जाएंगी तब आशा है कि कोक कर कोयले का उत्पादन वर्तमान 10 मिलियन टन के बढ़ कर 16 मिलियन टन हो जाएगा । वाशरियों के उत्पादन में बिजली की कमी और परिवहन की अनपयुक्तता के कारण भी बहुत धक्का सहना पड़ता है । नवम्बर 78 में कोक कर कोयले और धुले कोयले के उत्पादन को बहुत धक्का लगा था और वह इस कारण से लगा था कि परिवहन की सुविधाएं ठीक नहीं थीं

और कई सदस्यों ने यहां पर सुझाव भी दिए थे कि आप केप्टिव रेलवे क्यों नहीं रखते, कोयला उद्योग की तरफ से । इस सम्बन्ध में मैं यह साफ करना चाहता हूं और माननीय सदस्य श्री ए० के० राय जी को यह बताना चाहता हूं कि कोयला उद्योग में कोयला खान से परिवहन का प्रबंध हमेशा उपभोक्ताओं की जिम्मेदारी पर होता है और उत्पादकों की जिम्मेदारी यह नहीं हुआ करती है । जहां कहीं तकनीकी और आर्थिक दष्टि से सुविधाजनक हुआ करता है वहां केप्टिव रोपवे प्रणाली का प्रबंध उपभोक्ताओं ने किया है । इसके लिए मैं मिसाल दूंगा बोकारो बिजली घर, दुर्गापुर इस्पात कारखाने, कोरबा सुपर पावर कम्पनी और तलचर ताप बिजली कम्पनी की । इनमें इस तरह की व्यवस्थाएं हैं कि केप्टिव रेलवे का वे अपनी-अपनी तरफ से चलन करें । यह तो हम को इस बारे में कहना है ।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि देश में जो कोयले की कमी है, इस कमी का मुख्य कारण उत्पादन है या परिवहन, इस बारे में सदन स्वयं विचार करे । इस पर हम ज्यादा नहीं कहेंगे, केवल इतना ही कहेंगे कि कोयला उद्योग रेलवे विभाग से लगातार समन्वय और सम्पर्क स्थापित करने की कोशिश कर रहा है कि कम हम सब को समय पर कोयला पहुंचा सकें ।

एक बात रामदास जी ने भी कही और दूसरे सदस्यों ने भी कही कि कोल इंडिया की तरफ से, कोल उद्योग की परफ से मजदूरों की छंटनी की जा रही है । उन लोगों ने बताया कि पिछले साल करीब पांच हजार मजदूरों की संख्या में पहले साल के मुकाबले में कमी की गई । मैं समझता हूं कि इसको कर्मचारियों की छंटनी नहीं कहते । कोई भी कर्मचारी बर्खास्त नहीं किया गया, हां भर्ती पर कठोर नियंत्रण रखा गया है और इस भर्ती पर कंट्रोल रखने का कारण यह है कि बावेजा कमेटी, जिस पर इस सदन में कई सदस्यों ने हमला किया था, और यह कहा था कि बावेजा कमेटी ने श्रमिक नेताओं से सलाह नहीं ली उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि आज भी कोयला उद्योग में 50 हजार से ऊपर अतिरिक्त मजदूर काम कर रहे हैं । पचास हजार मजदूरों पर इस समय चालीस करोड़ रुपया सालाना के करीब खर्च होता है । यह मामूली रकम नहीं है । किसी भी मजदूर की छंटनी हम नहीं करेंगे, नौकरी से निकालेंगे नहीं लेकिन और मजदूर रिटायर कर जाता है तो नई भरती करते समय हम को सख्ती जरूर बरतनी पड़ेगी ।

इसी सिलसिले में राय साहब ने कहा कि एक तरफ मजदूरों की छंटनी करने की बात चलती है और दूसरी तरफ अधिकारियों की तादाद बढ़ती चली जा रही है । मैं आंकड़ा पेश करना चाहता हूं । 1976 में अधिकारी 6700 थे, 1977 में 7400, 1978 में 8000 और 1979 में 8310 हैं । जहां तक कामगारों का सम्बध है, 1976 में उनकी संख्या 6 लाख 5 हजार थी, 1977 में 5 लाख 86 हजार, 1978 में 5 लाख 83 हजार और 1979 में 5 लाख 73 हजार है । इस तरह से मजदूरों की संख्या जरूर कम हुई है क्योंकि नई भरती पर कंट्रोल किया गया है । अब अधिकारी क्यों बढ़ गए हैं इसको भी मैं बता देना चाहता हूं । कुछ तो इंस्टीट्यशनरी पोस्ट्स हुआ करती हैं जोकि जरूरी होती हैं, इंजीनियर या दूसरे वैंटीलेशन वगैरह को देखने वाले लोग होते हैं । इसके अलावा पहले जब प्राइवेट ओनर्ज़ के पास कोयला खदानें थीं तो उनकी चिकित्सा सुविधा के लिए बहुत अधिक इंतजाम नहीं होता था । अब डाक्टर जोकि अधिकारियों की श्रेणी में आते हैं उनकी भी भरती की गई है और इस तरह से यह तादाद

भी बढी हैं । इसके अलावा जो नई योजनाएं चली हैं उनके निर्माण और डिजाइनिंग के लिए भी इंजीनियर और दूसरे एग्जेक्टिव भरती किए गए हैं। वहां मजदूर अभी भरती नहीं किए गए हैं बल्कि डिजाइन तैयार करने के लिए अधिकारी भरती किए गए हैं। इसके अलावा बहुत से जो सुपरवाइजरी ग्रेड के कर्मचारी थे उनकी तरक्कियां हुई हैं और वे भी अधिकारी हो गए हैं। इस तरह से उनकी तादाद बढ़ी है । इस तादाद में वृद्धि को अगर माननीय सदस्य आपत्ति की निगाह से देखेंगे तो मैं समझता हूं कि श्रमिकों के साथ वे न्याय नहीं करेंगे । इस समय कोयला उद्योग में करीब 85 परसेंट तो कामगार हैं और पंद्रह परसेंट कामगारों का इंतज़ाम करने वाले दूसरे लोग हैं जिनको सब को अधिकारी नहीं किया जा सकता है बल्कि प्रबन्धकार कहा जा सकता है, गैर कामदार कहा जा सकता है ।

छटनी के बारे में गांधी जी का नाम लिया गया है और साथ ही साथ जनता पार्टी की नीती की चर्चा की गई है । यह कहा गया है कि भारत में आदमियों की तादाद बहुत अधिक है और मशीनों का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है कई कामों के लिए । मैं कहना चाहता हूं कि मशीन केवल आदमी की छंटनी के लिए नहीं होती है, आदमी के हाथ की मदद के लिए भी होती है, काम करने में सहूलियत देने के लिए भी होती है । उसके साथ-साथ उत्पादन बढ़ाने के लिए भी होती है । मशीन के नाम पर घबरा जाने वाले सदस्यों से मैं कहना चाहता हूं कि कोयले की मांग देश में जिस रफ्तार से बढ़ रही है अगर पुराने तरीके पर ही कोयले के खनन का काम होता रहा तो कोयला उद्योग भारत की मांग को पूरा करने में बिल्कुल फेल हो जाएगा । इस वास्ते इस गम्भीरता को भी हमें समझना होगा ।

बावेजा कमेटी की रिपोर्ट की जब आलोचना होती है तो कोयला उद्योग जिस संकट में फंसा हुआ है, जिस तरह से आदमियों की तादाद वहां पर है, जिस तरह की बदइंतजामी का वह शिकार हुआ है उसकी चर्चा की जाती है । उस अवस्था में जब कभी भी कोई ड्रास्टिक कदम उठाया जाएगा बदलाव के लिए तो उस कदम को लोग अप्रिय मानेंगे, उस कदम को दूसरों की आलोचना का शिकार होना पड़ेगा । जहां तक मजदूरों की छंटनी का सम्बध है मैं आश्वासन और विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जब कभी भी कोई इस प्रकार का कदम कोयला उद्योग या सरकार उठाएगी तो मजदूरों से सलाह किए बिना, उनसे मश्विरा किए बिना, उनसे राय किए बिना नहीं उठाएगी । इरादा फिलहाल छंटनी करने का नहीं है, इतना भी विश्वास मैं दिलाना चाहता हूं । कोयला उद्योग में एक चर्चा चली है कि सुरक्षा का इंतजाम नहीं है, और कहा गया है कि दुर्घटनाओं और आगजनी की बातें बहुत बड़े पैमाने पर होने लगी हैं । यहां पर मैं यही कहना चाहता हूं कि पिछले साल राष्ट्रीयकरण के बाद कोल इंडिया लिमिटेड में सुरक्षा के ख्याल से सर्वोत्तम रेकार्ड साल रहा है । दुर्घटनाओं में मृत्यु दर 1976 तक जो बढ़ती जा रही थी वह घटने लगी है । 1978 में मृतकों की संख्या 151 रही, जबकि 1976 में 249 और 1977 में 157 थी । कोयला खानों में सुरक्षा के सम्बन्ध में विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक सुरक्षा समिति बैठाई गई है, और आशा है कि समिति की रिपोर्ट शीघ्र तैयार हो जाएगी और उस पर कार्य-वाही की जाएगी । मज़दूरों के लिए इस बीच में करीब 44 हजार से भी अधिक मकान बनाए गए हैं। यह उनको सुविधाएं दी जा रही हैं। कहा जाता था कि इनको कोई सुविधा नहीं दी गई । 8 लाख मज़दूरों के परिवार के लोगों के लिए पानी रखने भर का और पहुंचने का

इंतजाम अब तक किया जा चुका है। तथा उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूल की व्यवस्था भी की जा रही है, जो पहले नहीं हुआ करती थी। तो यह सारी बातें सहूलियत के ख्याल से की जा रही हैं। लेकिन फिर भी सरकार का दुर्भाग्य है कि माननीय सदस्य और खास कर विरोधी दल के लोग सरकार जो यह कदम उठा रही है उसकी तरफ़ नहीं देख रहे हैं।

यह सही है कि कोल इंडिया लिमिटेड राष्ट्रीयकरण के बाद से घाटे में चल रहा है, और आशा की जाती है कि इस वर्ष भी 170 करोड़ रु० का घाटा होगा। इसका मुख्य कारण कोयले की अलाभकारी कीमत है। कोयले की जो स्टेट्यूटरी कीमत तय की गई थी उससे भी साढ़े चार रु० कम है जो 1975 में अन्तर मंत्रालय कमेटी ने तय की थी। साढ़े चार रु० कम आज भी उससे कोयले की कीमत तय है। 1975 के बाद से जो इनपुटस थे मज़दूरी, मंहगाई या दूसरे जो साधन लगते हैं उनकी कीमत में बढ़ोत्तरी के बाद भी कोयले की कीमत नहीं बढ़ी है। तो इस समय 1 टन पर 20 रु० का घाटा कोयला उद्योग को हो रहा है। और इसको यदि माननीय सदस्य समझेंगे तो ये कितने करोड़ में जाएगा इसका भी हिसाब देश और सदन को रखना चाहिए कि कोयला उद्योग कितना घाटे पर चले।.....

श्री भारत भूषण (नैनीताल) : उपभोक्ता को कम पर मिल रहा है या ज्यादा में ? 1976 में जो स्टेट्यूटरी प्राइस थी उससे कम प्राइस आप की हो गई। उपभोक्ता के लिए व ढाई गुना हो गई। दोनों के बीच में ये अन्तर क्यों है यह भी जरा बता दीजिए।

श्री जनेश्वर मिश्र : यह तो बहुत मामली बात है। कोयला उपभोक्ता मोहान पर जब खरीदेगा तो उसको जिस भाव पर मिलेगा वहां से जब उसके घर तक पहुंचेगा भटिन्डा या बम्बई तक तो उसकी ढलाई का खर्चा बढ़ जाएगा। उपभोक्ता जो हमारे यहां से मुहान पर जिस भाव पर लेता है केवल वही मैं कहूंगा। उपभोक्ता के घर दूसरे लोग पहुंचाते हैं और उसमें जो भाड़ा जुड़ता है उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। कोयला जो मुहान पर बिकता है वही भाव मैं बताऊंगा, और उसमें हमको 1 टन पर 20 रु० का घाटा इस समय हो रहा है। इसके लिए जो उद्योग कार्यालय के महानिदेशक थे उनके नेतृत्व में एक कमेटी बनी थी और उन्होंने सलाह दी थी कि कोयले की कीमत कैसे कम की जांए या कोयले की कीमत के बारे में क्या सिफारिशें हों। उन सिफारिशों के आधार पर सरकार की तरफ़ से कोल इंडिया लिमिटेड को सलाह दी गई है कि उन्हें लागू करें और 5 साल के दौरान 7.77 पैसे पर टन कोयले के दाम में कमी करने की योजना बनाई है। इसके साथ ही उस सिफारिश में था कि ढाई रु० पर टन कम किया जा सकता है। और इन सारी सिफारिशों को देखते हुए और कोयला उद्योग में कोयले की कीमत में घाटे को देखते हुए इस समय कोयले का दाम क्या हो यह सवाल सरकार के विचाराधीन है।

जो अंतिम बात मैं यहां कहना चाहता हूं, वह श्रमिक सम्बन्धों के बारे में हैं। 1978 में 623 हड़तालें हुई थीं, जबकि 1977 में 340 हड़तालें हुई थीं। इसके परिणामस्वरूप जहां 1977 में 3,15,584 मैनडेज़ का नुकसान हुआ था, वहां इस साल 7,01,182 मैनडेज़ का नुकसान हुआ है। इसी तरह से उत्पादन में भी नुकसान हुआ है। पिछले साल होने वाले 3,59,209 टन के नकसान की तुलना में इस साल 7,22,537 टन का नुकसान हुआ है। कामबन्दी की बारदातों में बढ़ोत्तरी का सब से बड़ा कारण यह रहा है कि कोयला उद्योग में बहुत ज्यादा ट्रेड यूनियने हैं और उनमें आपस में राइवेलरी, प्रतिद्वंद्विता, चलती रहती है।

कल कुछ माननीय सदस्यों ने कोयला उद्योग के इर्द-गिर्द गुंडागर्दी की चर्चा की और कहा कि वह बहुत बड़े पैमाने पर व्याप्त है । आज शरू में मैं ने उसकी तरफ़ इशारा कर दिया था। मैं फिर उन्हीं सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि वे ही इस बारे में सरकार की मदद करें, और कोयला उद्योग की मदद करें । उनकी मदद से हम वहां पर बाकी तत्वों का भी मुकाबला कर सकते हैं।

लेकिन हमने देखा है कि खास तौर से बिहार और बंगाल के कोयला उद्योग के क्षेत्र में जो कत्ल की वारदातें होती हैं, उनमें ट्रेड यूनियन के लीडर, नेता, भी रहते हैं । कहीं ट्रेड यूनियन के नेताओं का वेस्टेड इन्ट्रेस्ट भी होता है और कहीं-कहीं वे कंट्रेक्टर भी होते हैं। वे वहां पर एक अजीब किस्म का चक्कर बना रहे हैं । इसलिए मैं ट्रेड यूनियनों के लीडरों से अपील करूंगा कि गुंडागर्दी की वारदातों के मामले में वे हमारी मदद करें । हमको यह बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है ।

यह आरोप लगाया गया है कि इस बीच में मज़दूरी को तय करने के लिए कोयला उद्योग और श्रमिक संघों के बीच में जो विपक्षीय वार्ता हो रही है, सरकार उसमें अड़ंगेबाजी कर रही है । सरकार की नीयत अड़ंगेबाजी की नहीं है । हमने स्वयं श्रमिक नेताओं और कोयला उद्योग से बातचीत की और चाहा कि वे जल्दी से जल्दी किसी निर्णय पर पहुंचें । इस द्विपक्षीय वार्ता समिति की पांच बैठकें अभी तक हो चुकी हैं । आने वाले तीन चार दिनों में उसकी बैठक फिर होने वाली है और हम उम्मीद करते हैं कि वह अवश्य किसी निर्णय पर पहुंचेगी।

मैं कहना चाहता हूं कि यह सरकार मज़दूर-विरोधी नहीं है । सरकार की दृष्टि में मज़दूर की हालत ज़रूर है और उस दृष्टि से सरकार यह मान कर चलती है कि मज़दूर को नाराज़ करके हम न तो उद्योग की तरक्की कर सकते हैं और न उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। एक तरफ़ तो हम चाहते हैं कि मज़दूर की हालत में तरक्की हो और उसके साथ-साथ दूसरी तरफ़ हमारी दृष्टि यह भी है कि ऐसा न हो कि एक उद्योग के मज़दूरों को इतनी सुविधाएं मिलें कि बगल के उद्योग उसके कारण घुटने टेक दें, दम तोड़ दें । तीसरी तरफ़ भी हमारी दृष्टि रहती है कि कोयले, हमारे उत्पादन, के जो उपभोक्ता हैं, उनकी कमर पर भी इतना अधिक बोझ न पड़े । मैं सदन से निवेदन करूंगा कि वह सरकार की इस दृष्टि, इस दिशा और इस इरादे में समन्वय करने के लिए पूरी मदद करें।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं ।

सभापति महोदय : कांग्रेस के लिये केवल 9 मिनट तथा अन्ना डी० एम० के० के लिये 10 मिनट बचे हैं। जनता पार्टी के इलावा और किसी अन्य का समय नहीं बचा है।

श्री सी० एन० विश्वनाथन : वह यहां नहीं हैं ।

श्री अण्णा साहेब पी० शिंदे !

श्री अण्णा साहेब पी० शिंदे (अहमदनगर) : सभापति महोदया, आपने मझे समय दिया इसके लिये मैं आपका धन्यवाद करता हूं। जब कोई ऊर्जा मंत्रालय के प्रतिवेदनों को देखता है ये दो प्रतिवेदन हैं—तो यह महसूस करता है तथा यह धारणा बनाता है कि यह मंत्रालय राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर दोनों ही स्तरों पर ऊर्जा की समस्या के बारे में वह वस्तुतः ही बहुत ढीला है। मैं इस बारे में कुछ बाद में चर्चा करूंगा ।

इस समय तो मैं इस तथ्य पर कुछ कहना चाहुंगा कि मालूम नहीं कुप्रबंध के लिये रेलवे जिम्मेवार है अथवा कि ऊर्जा मंत्रालय जिम्मेवार है। व्यक्तिगत रूप से तो मंत्रीगण अच्छे लोग हैं, उन के मंशा क्या हैं, व्यक्तिगत रूप में से मुझे इनसे कोई शिकायत नहीं है। परन्तु देखना यह है कि देश की अर्थ-व्यवस्था और उपभोक्ता के साथ क्या कुछ हो रहा है। अब क्योंकि कुप्रबंध के बारे में अनेक मुद्दों पर यहां चर्चा हो चुकी है, अतः मैं इस समस्या के सभी पहले पहलुओं पर बात नहीं करूंगा। मैं मंत्री महोदय का ध्यान केवल दो मुद्दों की ओर दिलाना चाहूंगा।

सर्वप्रथम तो मैं लघु पैमाने के उद्योगों के संबंध में उनकी सहायता लेना चाहूंगा। देश में भारत सरकार सहित सभी राज्य सरकारें छोटे पैमाने के उद्योगों को उन्नत कर रहीं हैं तथा बढ़ावा दे रही हैं और ऐसे लघु उद्योग हैं जिन्हें कोयले की जरूरत है। परन्तु इन बड़े उद्योगों के साथ साथ छोटे पैमाने के उद्योगों की जरूरतों में भी कटौती कर दी गई है। मैं मंत्री महोदय से यह आश्वासन चाहूंगा कि देश में छोटे उद्योगों की आवश्यकताओं को पूरी तरह से पूरा किया जाये वह कुछ आवश्यकता के 10 या 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे।

दुर्भाग्य से राष्ट्रीयकरण के बावजूद अनेक विचौलिये कोयला खानों में पैदा हो गये हैं और वहां भ्रष्टाचार पनप गया है। अफसरों तथा अन्य लोगों को घूस लिये बिना कोयले की डिलिवरी नहीं होती। यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और छोटे उद्योग तो घूस दे ही नहीं सकते।

दूसरे मैं मंत्री महोदय से सरकारी एककों के लिये के आश्वासन चाहूंगा कि वे एकक बड़े हो सकते हैं परन्तु घूस देने की उनकी क्षमता नहीं है। प्रतिवेदन के जो दो उद्धरण मैं यहां पढ़ूंगा मेरे इस कथन की पुष्टि करते हैं कि कोयले के उपलब्ध न होने के कारण सरकारी क्षेत्र के एककों को भी हानि हो रही है। यह बात सर्वविदित है कि इस्पात मंत्री ने सभा में आकर उत्पादन कम करने की घोषणा की थी। इस समय जबकि देश को इस्पात की जरूरत थी और वह इसका आयात कर रहा था मंत्री महोदय यहां आकर कहते हैं कि कोक आदि की कमी के कारण उन्होंने क्षमता के उपयोग को कम कर दिया है। यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मैं नहीं जानता कि यह किसका दायित्व है। लोकतंत्र में, दायित्व तो अन्ततः निश्चित होता ही है न केवल आपराधिक मामलों में प्रशासन के चलाने तथा नीतियों को क्रियान्वित करने में भी। सरकार किसी न किसी को तो इसके लिये जिम्मेदार होना ही पड़ता है।इन पहलुओं पर भारतीय जनता के प्रति उत्तरदायी तो होना ही पड़ेगा।

मैं प्रतिवेदन के पृष्ठ 21 से पढ़ रहा हूं :

"इस्पात संयंत्र

चालू वर्ष के दौरान गर्म धातु के 109.6 लाख टन के अनुमानित उत्पादन के लिये अनुमानतः 166.8 लाख टन कोकिंग कोल की जरूरत थी जिसके समक्ष दिसम्बर 1978 के अन्त तक सप्लाई 103.4 लाख टन ही थी।"

अब मैं साफ्ट कोक के बारे में पढ़ता हूं :

"साफ्ट कोक

देश में साफ्ट कोक की कुल वार्षिक आवश्यकता अनुमानतः 34 लाख टन है। चालू वर्ष के दौरान (अप्रैल-दिसम्बर, 1978) इसका उत्पादन तथा सप्लाई 16.0 लाख टन ही हुई। चालू वर्ष के दौरान बाढ़ तथा भारी वर्षा के कारण उत्पादन तथा सप्लाई को आघात पहुंचा।"

मैं स्पष्टीकरण नहीं चाहता कि क्या हुआ। परन्तु हालत यही है। इसी कारण मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं। इन दो सुझावों पर, जहां तक सरकारी क्षेत्र के एककों और छोटे पैमाने के उद्योगों का संबंध है मेरी कामना है कि मंत्री महोदय विशेष रुचि लें और इन दो क्षेत्रों के बारे में यह नीति संबंधी घोषणा करें कि उनकी इन दोनों क्षेत्रों की पूरी पूरी आवश्यकता को पूरा किया जायेगा ताकि कम से कम मंत्रालय की सहायता का भारतीय जनता को विश्वास हो जाये।

अब मैं विश्व भर में ऊर्जा संकट के मूल विषय पर आता हूं। ऊर्जा संकट बहुत गंभीर है। परन्तु दुर्भाग्य से हमारे रवैये को इस गंभीरता की प्रतिध्वनि प्रकट नहीं होती है। अनेक देश स्वाभाविक रूप में ही इस बारे में चिंतित हैं। मैं आपके इंडियन एक्सप्रेस पत्र से पढ़ रहा हूं। यह एक सीमित मामला है परन्तु इसमें से एक बहुत बड़ा मामला पैदा होता है।

वाशिंगटन, 16 अप्रैल

शनिवार को एक सेनेट विदेशी संबंधी इस समिति ने कहा है कि सऊदी अरेबिया का तेल उत्पादन वर्ष 1980 से आरम्भ होने वाले दशक के अन्तिम वर्षों में विश्व की मांग से कम रह जायेगा तथा इस से उपभोक्ता राष्ट्रों के बीच एक भीषण राजनैतिक तथा आर्थिक संघर्ष पैदा हो जाने की संभावना है।"

अध्ययन में कहा गया है कि जहां सऊदी अरेबिया में किसी भी अन्य राष्ट्र से अधिक तेल-निक्षेप उपलब्ध है वहां जरुरत के अनुसार इस देश की आफर तेल उत्पादन करने की क्षमता तथा इच्छा के बारे में पहले की गई भविष्य वाणियों को भूलना होगा

प्रतिवेदनों में कहा गया है कि जब तक मध्यपूर्वी तेल के आयातक अमरीका तथा अन्य औद्योगीकृत देश अपनी ऊर्जा संबंधी नीतियों में काफी पुनरीक्षण नहीं करते हैं तब तक हर कहीं लोगों के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की परिस्थितियां बनती रहेंगी।

मेरे विचार से भारत इस मामले में अपवाद नहीं बन कर रह सकता। स्थिति बेहद गंभीर है। अतः मैं तो केवल यह सुझाव दूंगा चाहे पहली सरकार रही हो चाहे अब की सरकार, उत्तरदायित्व के मामले में दोनों ही एक समान रही हैं। सबसे पहले तो मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह एक श्वेत-पत्र रखें जो विद्युत संबंधी नीति पर नहीं बल्कि देश की ऊर्जा नीति के बारे में हो। श्वेत-पत्र तथा व्यापक दृष्टिकोण के अभाव में, स्पष्ट निर्देश अथवा स्पष्ट रूप से नीति की क्रियान्विति के बिना यह देश कठिनाइयों में घिर जायेगा। जहां तक प्रशासन का संबंध है उसमें तो आप पहले से ही असफल हैं। कोयले के काफी निक्षेप रहते हुए भी तापीय केन्द्र तक अपनी क्षमतानुसार कार्य नहीं कर रहे हैं। फिर भी कोई स्पष्ट नीति इस बारे में नहीं है।

मंत्री महोदय को मालम है कि संसद की प्राक्कलन समिति ने इस समस्या पर कई बार विचार किया है तथा सरकार से अनुरोध किया है कि वह इस बारे में एक श्वेत-पत्र प्रमाणित करे परन्तु, दुर्भाग्य से, ऐसा नहीं किया गया है। यह मामला तो पहली सरकार के सामने भी आया था। अपने हाल ही के प्रतिवेदन में प्राक्कलन समिति ने कहा है :

"समिति यह बता देना चाहेगी कि 4 नवम्बर, 1976 को तत्कालीन ऊर्जा मंत्री ने लोक सभा में यह स्पष्ट वक्तव्य दिया था कि सरकार एक राष्ट्रीय विद्युत नीति

तैयार करने में हाथ रखती है। समिति को ऐसा लगता है कि एक राष्ट्रीय विद्युत नीति और एक राष्ट्रीय ऊर्जा नीति के बीच कुछ भ्रम है। जबकि यह स्वीकारणीय है कि विद्युत ऊर्जा का एक स्रोत है तथा यह विषय राष्ट्रीय ऊर्जा नीति के अन्तर्गत आ जायेगा, तथापि समिति को यह बताना पड़ रहा है कि सरकार ने ऐसा कोई श्वेत पत्र अथवा कोई अन्य सरकारी दस्तावेज प्रमाणित नहीं किया है जिसमें राष्ट्रीय ऊर्जा नीति को विस्तार से स्पष्ट कर दी गई हो।"

अब आपका अभिप्राय यह है कि एक कार्यदल नियुक्त कर दिया गया है। मैं नहीं जानता कि यह कार्यदल कितना समय लेगा। परन्तु आवश्यकता तो इसी वक्त है। आपके मंत्रालय में बहुत सारे प्रखरबुद्धि अधिकारी तथा अच्छे सलाहकार हैं।

आपके पास काफी जानकारी है। अब आपको ऊर्जा संबंधी नीति के विभिन्न पहलुओं के बारे में देश के सामने घ्घोषणा करने में क्यों समय लगाना चाहिये? और फिर जहां तक हमारी ऊर्जा नीति का संबंध है, मेरे विचार से, हमारा जोर ऊर्जा के आवृत्त ससाधनों पर होना चाहिये। अब पनबिजली के बारे में मेरी धारणा है कि हमारे प्राक्कलन सही नहीं हैं। पहला अध्ययन 1953–60 में किया गया था और वे सभी तथा तथ्य आपको मालूम हैं। सारा प्रयास 60 प्रतिशत लोडफैक्टर पर आधारित है। मैं समझता हूं कि यह बिल्कुल गलत है। हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं में वर्षा ऋतु के समय सभी नदियां अपने सम्पूर्ण वेग के साथ बहती हैं। जिस ढंग से हिमालय पर्वत की नदियां बहती हैं, उसको देखते हुए ऐसे कितने ही स्थल हैं जहां से वर्षाऋतु के समय विद्युत के लिए देश की समूची ऊर्जा-आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है। परन्तु हमारा समूचा दृष्टिकोण तो 60 प्रतिशत लोड फैक्टर अध्ययन पर केन्द्रित है। उसे त्यागना होगा। इसी प्रकार विद्युत उत्पादन की सक्षमता को भी विचार में रखना होगा। यदि कोई नदी केवल छः या चार महीने के लिये भी विद्युत का उत्पादन कर सकती है तो उस क्षमता का भी उपयोग किया जाना चाहिये क्योंकि अन्य कोई चारा नहीं है।

अब कोयले के मामले में हम आज तो काम चला सकते हैं परन्तु हमें अपनी भावी पीढ़ियों के बारे में भी तो सोचना होगा। ऊर्जा के जिन संसाधनों का पुनः उपयोग नहीं हो सकता उनका उपयोग सावधानी के साथ करना होगा। मुझे मालूम है कि माओ के समय में चीन में क्या विवाद था। अन्य बातों में हमारे कुछ भी मतभेद हों परन्तु इस बात में माओ का कथन सही था जबकि उसने इस बात पर जोर दिया कि जहां तक अनावृत्त ऊर्जा संसाधनों यथा कोयले, तेल आदि का संबंध है, उन्हें तो सुरक्षित ही रखना चाहिये और अत्यन्त किफायत के साथ इस्तेमाल करना चाहिये।

अतः इस देश में दो बातें हैं। पन-बिजली की क्षमता का विकास करना होगा। पहले तो यह बात है कि पन-बिजली की आवश्यकता संबंधी प्राक्कलन बिल्कुल ही गलत हैं। मेरे विचार से हमारे देश में पर्वतीय क्षेत्र तथा भारी मानसून होने के कारण तथा कई अन्य बातों की वजह से पन-बिजली की उत्पादन-क्षमता बहुत अधिक है। इस दिशा में एक बिल्कुल नये ढंग से तथा नये प्रकार का अवलोकन किया जाना चाहिये। और आप कहते हैं कि इस समस्या पर विचार करने के लिये 30 लाख रुपये मंजूर किये गये हैं।

यह 30 लाख रुपये की राशि क्या है? आप यह भी कहते हैं कि पांच वर्ष की अवधि लगेगी। यही ढीलापन तो हमें सरकार में दिखाई देता है। पांच वर्षों में तो विश्व भर में तेल तथा ईंधन संबंधी बिल्कुल ही बदल जायेगी। जैसा कि मैंने पहले कहा विश्व में ईंधन की अर्थ-व्यवस्था संबंधी एक भयंकर युद्ध होने वाला है और गरीब देशों को उस समय सबसे अधिक परेशानी होगी तथा भारत उनमें से एक देश है। आप इस मामले में ढिलाई से काम करना सहन नहीं कर पायेंगे। मैं अनुरोध करता हूं कि आप पन-बिजली क्षमता के लिये सर्वोच्च प्राथमिकता दें। अपनी लालफीताशाही छोड़ दीजिये और पन बिजली तैयार करने के लिए योजनायें बनाइये।

मैं ऊर्जा के एक अन्य आवृत्त संसाधन का जिक्र करता हूं। आपने तो काफी साहित्य पढ़ा होगा। गन्ना सौर ऊर्जा को सोख लेने में विश्व का एक अत्यन्त विचित्र पौधा है। विश्व भर के वैज्ञानिक इससे सहमत हैं कि गन्ने में सौर ऊर्जा को उपयोगी ऊर्जा में परिवर्तित कर देने की अन्य पौधों में सबसे अधिक क्षमता है। आप शीरा पैदा कर सकते हैं और शीरे से शराब बना सकते हैं और शराब को पैट्रोल में मिला सकते हैं और इस प्रकार पेट्रोल की खपत को घटा सकते हैं। यह संभव है और गन्ना उत्पादन करने हेतु अधिक भूमि का उपयोग किये बिना ही इसकी वहुत गुंजाइश है। ब्राजील में ऐसा किया जा रहा है। किसी प्रकार के प्रयोग अथवा अनुसंधान की जरूरत नहीं है। ब्राजील में लोग इसी मिश्रण से अपनी गाड़ियां चला रहे हैं।

इसलिए, मैं सुझाव दूंगा कि आप इन आवृत्त ऊर्जा संसाधनों के वारे में व्यापक रूप से विचार करें और यदि वह शीरा हो, चाहे गन्ना हो या कोई अन्य पौधा; आपको समस्या के इस पहलू पर विचार करना ही होगा। दूसरी बात यह है कि आपकी समूची कोयला तथा विद्युत से सम्बन्धित है। परिवहन के बारे में क्या नीति है? हम व्यक्तिगत परिवहन को प्रोत्साहित करते हैं। लोग मोटर कारें इस्तेमाल करते हैं। मेरे विचार से हम व्यक्तिगत कारों पर अपने ईंधन-संसाधनों को व्यर्थ करना सहन नहीं दरकर सकते। संभव है कुछ स्थानों पर यह सर्वथा अनिवार्य हो। उदाहरणार्थ, मंत्रियों के लिये कार के उपयोग पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु, निजी कारों के लिये पेट्रोल के इस्तेमाल को देश में हतोत्साहित किया जाना चाहिये और हमें चीन का उदाहरण सामने रखना चाहिये। वहां सरकारी ड्यूटी के अलावा व्यक्तिगत कारों का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं देते हैं। इस देश में बिजली के बिना खेती-बाड़ी अभावग्रस्त है। हमारे मंत्रियों को ही शुरूआत करनी चाहिए। हम सबको आरम्भ करना चाहिये। देश के सभी वातानुकूलन यंत्रों को बन्द कर दीजिये। आप हर जगह देखते हैं कि कृषि को अपनी आवश्यकतानुसार बिजली नहीं मिल रही है।

उस दिन मैंने पंजाब में हजारों लोगों को डीजल के लिए खड़े देखा क्योंकि उन्हें बिजली नहीं मिल रही थी। उनका कहना है कि बिजली की कमी है। उपकरणों की कमी है। जमाराशियां दे दिये जाने के बावजूद बिजली बोर्ड वर्षों में जाकर कनेक्शन देते हैं। यह बात सिर्फ पंजाब में ही नहीं है बल्कि सभी जगहों की यही कहानी है। आप कहते हैं कि आप कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहे हैं और श्रीमान् मैं समझता हूं कि हमारी इस कथनी तथा करनी के बीच का अन्तर समाप्त होना चाहिये। अन्यथा देश में, राजनीतिज्ञों

तथा जनता के बीच विश्वास की खाई बढ़ती जा रही है और जनता इस निष्कर्ष पर पहुंच रही है कि इस देश में राजनीतिज्ञों पर विश्वास नहीं करना चाहिये भले ही वे किसी भी दल से संबंधित हों। हमें इस स्थिति को बदलना चाहिये ···

सभापति महोदय : कृपया समाप्त कीजिये। आपने अपने दल को देय समय से अधिक समय ले लिया है।

श्री अण्णा साहेब पी० शिण्दे : बस एक बात और कहकर समाप्त करूंगा। ऊर्जा नीति का एक और पहलू है। इस देश में ईंधन की सर्वाधिक खपत घरेलू क्षेत्र में है जहां खाना प्रकाने में ईंधन का उपयोग होता है और इसके अनुमान कम लगाये गये हैं। इस देश में, 1130-1120 लाख टन लकड़ी जलाई जाती है। परन्तु यदि आप वन संबंधी रिकार्ड देखें तो वहां से केवल 80-90 लाख टन जलाने वाली लकड़ी ही निकाली जाती है। फल-स्वरूप बड़े पैमाने पर वनों का ह्रास हो रहा है। आप लोगों को दोष नहीं दे सकते क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं है। ऊर्जा की सबसे अधिक खपत घरों में होती है। हम पहले ही यह महसूस कर रहे हैं कि हमारे वन नष्ट हो रहे हैं। यदि वे हिमालय में हों, सह-पादरियों में हों अथवा पश्चिमी घाटों पर स्थित हों। बड़े पैमाने पर वन समाप्त होते जा रहे हैं जिसके फलस्वरूप देश की अर्थव्यवस्था पर भविष्य में जरूर विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा। हमें देखना है कि इस समस्या को कैसे हल किया जाये। इसीलिए, एक ऊर्जा नीति की बेहद जरूरत है। कृपा एक व्यापक श्वेत-पत्र ऊर्जा नीति के बारे में लाइए ताकि इस देश के प्रारब्ध का सुनिश्चय कर सकें और देश की अर्थव्यवस्था के विकास हेतु इसे एक ठोस आधार देश के और उद्योग तथा कृषि के लिये अपेक्षित ऊर्जा उपलब्ध कर सके। अन्यथा हमारी अर्थव्यवस्था धराशायी हो जायेगी और जनसंख्या के बोझ के नीचे हम परेशान हो उठेंगे तथा हमारा लोकतांत्रिक ढांचा टूट जायेगा। यही मुझे भय है। धन्यवाद।

सभापति महोदय : श्री इकबाल सिंह ढिल्लों—अनुपस्थित। श्री फिरंगी प्रसाद।

श्री वयालार रवि : ये नाम कल पुकारे गए थे और अध्यक्ष ने विनिर्णय दिया था कि जो नाम कल पुकारे गये तथा अनुपस्थित पाये गये उन्हें फिर नहीं बुलाया जायेगा।

सभापति महोदय : मैं केवल वही नाम बोल रहा हूं जो मुझे आज के लिये दिये गये हैं। जो लोग पुकारे गए हैं और अनुपस्थित हैं उन्हें पुनः नहीं पुकारा जायेगा। यहां सूची है।

श्री वयालार रवि : मुझे किसी के बोलने पर आपत्ति नहीं है। परन्तु काम उचित ढंग से चलना चाहिये।

सभापति महोदय : आप किसके नाम पर आपत्ति कर रहे हैं?

श्री वयालार रवि : शासक दल द्वारा जो नाम दिये गये थे उन लोगों को कल पुकारा गया था।

सभापति महोदय : मेरे पास आज के लिये सूची है। मुझे दो जनता पार्टी के और दो कांग्रेस सदस्यों के नाम दिये गये हैं। दोनों ही अनुपस्थित थे और इसीलिए मैंने श्री शिन्दे को बुलाया उनकी पार्टी के केवल दस मिनट बचे हैं। श्री फिरंगी प्रसाद !.....**(व्यवधान)** अब अन्ना डी० एम० के० के पास केवल दस मिनट हैं। यदि वह सज्जन यहां हैं तो मैं उन्हें बुलाऊंगा। यदि वह नहीं हैं तो.....**(व्यवधान)**

श्री वयालार रवि : सभापति महोदय, मेरी आपत्ति यह है कि आप संसद को शासक दल की सुविधा के अनुसार चला रही हैं न कि नियमों के अनुसार। कल सभापति ने हर सदस्य को पुकारा था। सूची समाप्त हो गई थी और इसलिए उन्होंने मंत्री महोदय को चर्चा का उत्तर देने के लिये बुलाया था।

सभापति महोदय : रवि साहब, क्या आप अपने स्थान पर बैठ जायेंगे।

श्री वयालार रवि : मैं अपने स्थान पर बैठ जाऊंगा महोदया।

सभापति महोदय : यहां मेरे सामने उन सदस्यों की एक सूची है जिन्हें नहीं पुकारा गया है। जो लोग उपस्थित नहीं थे उनके नाम के सामने 'क' चिह्न लगा हुआ है। जहां 'क' अंकित नहीं है उसके लिये मैं समझती हूं कि वे अनुपस्थित नहीं थे। इसलिए मैं उन्हें बुला रही हूं।

मुझे जो सूची दी गई है वह अध्यक्ष द्वारा दी गई है। अतः हम उस प्रक्रिया का अनुसरण कर रहे हैं जिस पर सहमति हुई है और हम प्रक्रिया से नहीं हट रहे हैं।

श्री वयालार रवि : महोदया, मैं आपसे सहमत नहीं हूं। कल शाम, सभापति ने मंत्री महोदय को उत्तर देने के लिए बुलाया था क्योंकि सूची में लिखे सदस्यों के नाम समाप्त हो गये थे। कोई नाम शेष नहीं था इसीलिए मंत्री महोदय को उन्होंने चर्चा का उत्तर देने के लिए बुलाया था।

सभापति महोदय : जब सचेतक ने मुझे यही सूची दी है तो मैं क्या करूं? मैं कुछ नहीं कर सकती। फिर भी, रवि साहब कृपया सभा का समय व्यर्थ मत कीजिये। क्या आप अपने स्थान पर बैठेंगे?

श्री मुकुन्द मण्डल (मथुरापुर) : आप कृपया हमारे दल के सदस्य को बोलने की अनुमति दे दीजिए।

सभापति महोदय : क्या आप कृपा करके अपने स्थान पर बैठेंगे? श्री फिरंगी प्रसाद को बोलने दीजिए।

श्री वयालार रवि : सभापति महोदया, यह बहुत अनुचित है।

सभापति महोदय : इस बारे में आप मुझसे बाद में बात कर सकते हैं। सभा का समय नष्ट मत कीजिए।

श्री वयालार रवि : आप पहले वह समय नष्ट कर चुकी हैं।

सभापति महोदय : क्या आप इतना नहीं समझते?

श्री वयालार रवि : मुझे यह प्रक्रिया समझ में नहीं आती है। सभापति ने मंत्री महोदय को उत्तर देने के लिये बुलाया था। स्पष्टीकरण यह दिया गया था कि श्री जनेश्वर मिश्र ने बीच में हस्तक्षेप किया था। कल सभापति ने सूची के सभी नाम पुकारे थे तथा सूची समाप्त हो गई थी। इसीलिए उन्होंने मंत्री महोदय को बुलाया था।

सभापति महोदय : राज्य मंत्री ने हस्तक्षेप किया था, वह बोल चुके हैं।

श्री वयालार रवि : उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया है। कृपया रिकार्ड देखिए।

सभापति महोदय : मैं रिकार्ड नहीं देख रही हूं। मैं इसके लिए उत्तरदायी नहीं हूं कि कल सभापति ने क्या कहा था। आप को सभापति के विनिर्णय के अनुसार चलना है। आप सभा का समय नष्ट कर रहे हैं।

श्री वयालार रवि : मैं समय नष्ट नहीं कर रहा हूं। आप प्रक्रिया संबंधी नियमों को देखिए। आप सभा में मनमानी चलाना चाहती हैं।

सभापति महोदय : रवि साहब, मैं आपके इस दुर्व्यवहार पर कड़ी आपत्ति करती हूं।

श्री वयालार रवि : नियम पढ़िये। नियमों की किताब यहां है। आप कृपया उसे देखिए।

सभापति महोदय : मैं आपकी आपत्ति को स्वीकार नहीं करती।

श्री वयालार रवि : कृपया नियम पढ़िये।

सभापति महोदय : क्या आप कृपा करके अपने स्थान पर बैठेंगे? श्री फिरंगी प्रसाद।

श्री फिरंगी प्रसाद (बांसगांव) : अधिष्ठाता महोदय, आज ऊर्जा का बड़ी तेजी के साथ दोहन हो रहा है, यदि यही स्थिति चलती रही तो जैसा कि ऊर्जा वैज्ञानिकों का कथन है सन 2000 तक इसमें लगभग समाप्ति की स्थिति पैदा हो जायेगी, क्योंकि सरकार की जितनी योजनायें हैं, बल्कि पहले से जितनी योजनायें चल रही हैं, उन सब में बहुत तेजी से इसकी मांग बढ़ रही है, जिसकी पूर्ति आज भी नहीं हो पा रही है। चारों तरफ से यह बात आ रही है कि ऊर्जा की बड़ी कमी है। जिसमें कोयला और बिजली प्रमुख हैं। जहां तक ऊर्जा के स्रोतों की बात है विश्व के वर्तमान ऊर्जा स्रोतों में खनिज तेल 44 प्रतिशत है, कोयला 39 प्रतिशत है और प्राकृतिक गैस के रूप में 15 प्रतिशत है। इस तरह से देखा जाए, तो करीब-करीब बात यह बैठती है कि जितनी आवश्यकता है, उसके लिए अतिरिक्त साधन सरकार को काफी प्रयास करके जुटाने होंगे। इसके वैकल्पिक खोज के लिए सरकार ज्यादा प्रयत्नशील है कि इसको कहां से उपलब्ध कराया जाए। सर्वप्रथम 1933 में, एक वैज्ञानिक रथरफोर्ड हुए हैं, जिन्होंने हाइड्रोजन को ऊर्जा स्रोत के रूप में प्रयोग करने का प्रस्ताव रखा था। इसके साथ-साथ जबसे अपनी लोकप्रिय सरकारों का प्रचलन हुआ, तो जितने भी ऊर्जा मंत्री आए, सब लोगों ने अपनी पंचवर्षीय योजना के आधार पर इसकी पूर्ति करने का प्रयास अपने ढंग से किया और अपने कैबिनेट मण्डल द्वारा इसको कराया गया लेकिन शुरू से ही इसकी कमी बनी रही है और आज भी वह कमी है। हमारी जो सरकार है, उसकी यह नीति है कि ऊर्जा के स्रोतों को बढ़ाया जाए और हमारे माननीय राज्य मंत्री ने अनेक स्थितियों पर प्रकाश

डाला है और उन सबसे लड़ते हुए यह सरकार चाहती है कि हम भी इस दिशा में आगे बढ़ें। इस समय जो छटी योजना की बात है, तो हमारे ऊर्जा मंत्री ने कहा है कि हम नई-नई परियोजनायें शुरू करने जा रहे हैं और उनके द्वारा जितनी पूर्ति हो सकती है, वह हम करेंगे। उन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि हमारे यहां जो ऐसी स्कीमों की कमी है, आगे से हमारा यह प्रयास होगा कि यह कमी की स्थिति न रह जाए। ऐसा कह तो दिया जाता है लेकिन आगे चल कर जब इसका मूल्यांकन किया जाता है, तब सारी बातों का पता चलता है। माननीय हमारा जो उत्तर प्रदेश है, जहां से मैं आता हूं, वह बहुत पिछड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश और बिहार प्रान्त ऐसे हैं, जहां पर काफी पिछड़ापन है। उद्योग-धंधे के लिए वहां पर ऊर्जा की बहुत कमी है और यह उनके विकास में काफी बाधा उत्पन्न करता है। कई पन-बिजली और तापघर ऐसे हैं, जो आज संकट की स्थिति में हैं। वहां पर आज संकट की स्थिति पैदा हो गई है। नये खुलवाने की बात तो अलग रही, जो पुराने हैं, उनमें भी सुधार नहीं हो पा रहा है। उनकी क्षमता जितने मेगावाट बिजली पैदा करने की है, उसमें भी कमी होती जा रही है। आप राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति बिजली की खपत का औसत देखिए। यह करीब 108.8 यूनिट है जबकि हमारे उत्तर प्रदेश का सिर्फ 72.7 यूनिट है, गुजरात का 180 यूनिट है, पंजाब का औसत 231.3 है और महाराष्ट्र का 174.1 यूनिट है। इस तरह से जब हम तुलनात्मक आंकड़ों से अपने प्रदेश की तुलना करते हैं, तो हम यह पाते हैं कि हम दूसरे प्रदेशों से बहुत पीछे हैं। आज उत्तर प्रदेश अनेक स्थितियों में पिछड़ा हुआ है। यह केवल कुछ ही मामलों में बिहार से आगे है अन्यथा हिन्दुस्तान के दूसरे सभी प्रान्तों से यह पिछड़ा हुआ है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि इस देश के जितने भी पिछड़े हुए प्रान्त हैं, या तो वहां के संसाधन आप बढ़ाइए या दूसरे प्रान्तों में जहां उनकी क्षमता ज्यादा है—वैसे मैं समझता हूं कि हर एक जगह यह दिखाई नहीं देती—वहां से पिछड़े हुए प्रान्तों को सहायता दें और एक समतामूलक दृष्टि स्थापित करके इन प्रदेशों को साथ लें ताकि इन पिछड़े हुए प्रदेशों में बेरोजगारी की समस्या हल हो।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि कोयले की खानों में जितने मजदूर जाते हैं, वे बिहार और यू० पी० से जाते हैं और उनकी बड़ी दुर्दशा है। उनकी दवा-दारू और शिक्षा के विषय में माननीय राज्य मंत्री ने अपने भाषण में कहा है कि वे नई व्यवस्था करने जा रहे हैं। इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। इस देश में ऐसा हो रहा है कि आज-कल कोयले की कमी बड़ी तेजी से हो रही है और उसके लिए जो कारण बताए गये हैं प्रश्नों के माध्यम से और अन्य माध्यमों से, उनमें एक मुख्य कारण यह बताया गया कि बोगियां नहीं मिलतीं इस नाते कोयला नहीं आता। उस मंत्रालय की बात कुछ और है लेकिन इससे देश की जनता असमंजस की स्थिति में पड़ी हुई है और कोई निर्णायक पैमाना नहीं हो पा रहा है कि आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह आग्रह करूंगा कि यह जो असमंजस की स्थिति है, जिसमें देश की जनता पड़ी हुई है, यह खत्म होनी चाहिए। जनता आशा की दृष्टि से देख रही है कि हमें कैसे चीजें मिलें। खासकर वे चीजें जो रोज-मर्रा के काम में आती हैं।

मैं देख रहा हूं कि पिछले दस वर्षों से ईंट का रेट सौ रुपये प्रति हजार से कुछ अधिक था। हमारे उत्तर प्रदेश में यह रेट 138 रुपये प्रति हजार है। आज कल इस भाव में भी वहां ईंटें

नहीं मिल रही हैं। कोयले के अभाव में ईंट-भट्टे नहीं चल पा रहे हैं जिसकी वजह से ईंटों का अभाव है। पहले किसान अपना पेट काट कर कहीं अपना कमरा बनवा लेता था लेकिन आज ईंट और सीमेंट के न मिलने के कारण आज वह भी नहीं कर पा रहा है? इसलिए इस दिशा में सरकार को आगे बढ़ कर नयी योजना चलानी पड़ेगी और पुरानी योजनाओं में सुधार करना पड़ेगा।

उत्तर प्रदेश के राज्य में कई योजनाओं को चलाना पड़ेगा। किसी समय माननीय मंत्री जी ने बनारस में जा कर कहा था कि हम तीन योजनाएं उत्तर प्रदेश को देने जा रहे हैं। वे योजनाएं हैं मनेरी माली, काटेश्वर बांध जल विद्युत योजना। मैं इनके बारे में मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इन योजनाओं में गति लाने के लिए जो भी कमी वहां पड़ती है, उसकी कमी केन्द्र द्वारा दूर की जाए। तभी उत्तर प्रदेश का पिछड़ापन दूर होगा और लोगों को रोजगार के साधन मिलेंगे। उत्तर प्रदेश के बिजली मंत्री श्री रेवतीरमण सिंह जी ने कहा है कि किसानों की गेहूं की फसल खलिहानों में पड़ी हुई है। उसके लिए, उसकी मढ़ाई के लिए ही पर्याप्त बिजली देने का आश्वासन दें। मैं माननीय मंत्री जी से यह भी आग्रह करूंगा कि वे प्रदेश सरकारों को ऐसी सलाह दें कि कभी कभी जो लाइन कट जाती है, उसको जोड़ने के लिए जो हफ्तों का समय लग जाता है वह उसमें न लगे। इससे किसानों को परेशानी होती है। इस समय बदली छाया हुई है। अगर बरसात हो गयी तो खलहिन में ही अनाज सड़ने लगेगा। मैं मंत्री जी से इस ओर और उत्तर प्रदेश की योजनाओं की ओर ध्यान देने का आग्रह करूंगा। केन्द्रीय मंत्री जी उत्तर प्रदेश को जो नयी नयी योजनाओं को देने जा रहे हैं, मैं चाहूंगा, तुरन्त दें।

बिजली विभाग में काम कर रहे कर्मचारियों में से जिनकी सेवा काल में मृत्यु हो जाती है उनके आश्रितों और विधवाओं को साल-साल, दो साल तक बिजली विभाग के चक्कर काटने पड़ते हैं लेकिन विभाग उनकी ओर कोई ध्यान नहीं देता। जबकि ऐसे मामलों में सरकार की नीति है कि उनके आश्रित को या उनकी विधवा को किसी न किसी पद पर सेवा का अवसर दिया जाएगा। मंत्री जी इस बात को देखें कि ऐसे लोगों को सेवा में लेने की, उनकी रोटी-रोजी की तुरन्त व्यवस्था हो। यह स्थिति केन्द्र में भी है और राज्यों में भी है कि आश्रितों को और विधवाओं को बहुत चक्कर लगाने पड़ते हैं और उनसे कह दिया जाता है कि स्थान खाली नहीं है। आये दिन उत्तर प्रदेश में इस बात के लिए यूनियन हड़ताल करती हैं। जब सरकार ने इस संबंध में जी० ओ० निकाले हुए हैं तो फिर यह स्थिति क्यों पैदा होने दी जाती है। जी० ओ० जो निकाले गये हैं वे सभी परिस्थितियों को ध्यान में रख कर ही निकाले जाते हैं। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि जो लोग देश की सेवा में रहते हुए मर जाते हैं उनके आश्रितों को काफी से काफी और जल्दी से जल्दी सहायता दें ताकि आपकी योजनाएं सफल हों।

कुछ पुराने टाइप के पन बिजली घर हैं जहां पर कि मशीनें टूट जाने पर उनका सुधार बहुत देर से हो पाता है। इसका सीधा असर किसानों पर पड़ता है और छोटे-छोटे उद्योग धंधों पर पड़ता है। हम देखते हैं कि उन बिजली घरों में इतने पुराने यंत्र लगे होते हैं कि उनके सुधार में बड़ी दिक्कते पेश आती हैं और जिस में विलम्ब होता है और फिर जल्दी ही बिगड़ जाती

हैं। इस तरह से स्थिति काफी दुखद है। जब इस ओर ध्यान दिलाया जाता है तो कह दिया जाता है कि पिछले समय से ऐसा हो रहा है। जो सरकारी नौकरी में होता है वह सरकारी काम को अपना काम न समझ करके सरकारी काम समझता है और यह जो मनोवृत्ति है यह देश को पीछे की ओर ले जा रही है। इस में सुधार होना चाहिए। लोगों को सरकारी काम अपना काम समझ करके करना चाहिए। ऐसा होगा तो स्थिति बहुत जल्दी सुधर सकती है।

अन्त में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि कोयले के विषय में जो दुखद स्थिति है उसको मंत्री महोदय सम्भालें और उसको ठीक करें।

सभापति महोदय : मंत्री महोदय !

डा० सरदीश रॉय (बोलपुर) : अभी काफी समय है, कृपया हम में से किसी को बोलने की अनुमति दे दी जाये ..... **(व्यवधान)** ....

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : मैंने अनुरोध किया है कि मुझे बोलने की अनुमति दी जाये।

श्री के० गोपाल (करूर) : इसके लिये पांच घण्टे आबंटित किये गये हैं, अभी काफी समय बचा है।

सभापति महोदय : क्या मैं स्थिति स्पष्ट कर दूं ? हमने जब शुरू किया था तब दो घण्टे बचे थे। हम एक घण्टा ले चुके हैं। विभिन्न दलों को समय इस प्रकार दिया गया था : जनता पार्टी--एक घण्टा 49 मिनट, कांग्रेस के पास 9 मिनट थे और अन्ना डी० एम० के० के पास 10 मिनट बचे थे। कांग्रेस पार्टी बोल चुकी है। अन्ना डी० एम० के० का सदस्य यहां नहीं है। वे नहीं बोले हैं। श्री शिन्दे ने 9 मिनट से अधिक समय ले लिया और अन्य सदस्यों ने भी समय लिया है। अध्यक्ष महोदय ने बहुत ही स्पष्ट निदश छोड़े हैं कि जो व्यक्ति अनुपस्थित था उसे न बुलाया जाये।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं तो अनुपस्थित नहीं था .... **(व्यवधान)**।

सभापति महोदय : आपका नाम यहां नहीं है क्योंकि आपके दल के लिये कोई समय नहीं बचा है।

अब मैंने मंत्री महोदय को बुलाया है ..... **(व्यवधान)**

डा० सरदीश रॉय : गणपूर्ति नहीं है ..... **(व्यवधान)**

श्री कृष्ण चन्द हाल्दर (दुर्गापुर) : सभा में गणपूर्ति नहीं है .... **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइये, मैं बोल रही हूं।

एक माननीय सदस्य : कृपया बोलने के इच्छुक प्रत्येक सदस्य को पांच मिनट दे दीजिए ..... **(व्यवधान)** .....

सभापति महोदय : क्या आप अपने अपने स्थानों पर बैठ जायेंगे ? आपने एक माननीय सदस्य को हुल्लड़ करते सुना है। उन्होंने आपत्ति की कि .....

श्री के० गोपाल : यह हुल्लड़ क्या होता है ?

सभापति महोदय : ठीक है। यह कहते हुए काफी शोर मचाया गया था कि कल मंत्री को बुलाया गया था और वह (सदस्य) चाहते थे कि मैं रिकार्ड देखूं। मैंने उन्हें बताया कि मैं कल का रिकार्ड नहीं देखूंगी। आज मेरे सामने एक सूची है जिसे स्वयं अध्यक्ष महोदय ने यहां पर छोड़ा है। मैं उस सूची का अनुसरण कर रही हूं। मैं उन सदस्यों को नहीं बुला रही हूं जिनके नाम कल पुकारे गए थे परन्तु वे अनुपस्थित थे। अध्यक्ष महोदय ने जो सूची मुझे दी थी वह समाप्त हो चुकी है। और अब जैसा कि स्थिति है पूरा एक घण्टा बचा है। प्रायः हम मंत्री के उत्तर के लिए एक घण्टा रखते हैं जिसमें कटौती प्रस्ताव आदि निपटाये जाते हैं ····(**व्यवधान**)। मैं आप का अभिप्राय नहीं समझ पा रही हूं···· (**व्यवधान**)

श्री पूर्ण नारायण सिन्हा (तेजपुर) : आप मंत्री को एक घण्टा दे रही हैं।

सभापति महोदय : मंत्री जी, आप अपना भाषण शुरू कीजिए। यह जारी रहेगा···· (**व्यवधान**)

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : मैंने गणपूर्ति के बारे में एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया है।

श्री के० राममूर्ति (धर्मपुरी) : गणपूर्ति नहीं है।

सभापति महोदय : गणपूर्ति की घण्टी बजाई जा रही है·····अब गणपूर्ति है। मैंने मंत्री को बोलने के लिये कहा है। मंत्री महोदय·····(**व्यवधान**)

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० रामचन्द्रन) : मैं निश्चय ही अत्यन्त····(**व्यवधान**)

सभापति महोदय : एक घण्टा अभी और बाकी है।····(**व्यवधान**)····यह सब हो-हल्ला किस लिये हो रहा है? ····(**व्यवधान**) मंत्री जी, आप कृपया अपना भाषण शुरू कीजिये। कृपया खड़े हो जाइए और बोलना शुरू कर दीजिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं नहीं समझती कि जब बहुत सारे व्यक्ति एक साथ बोलते ·····

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : कृपया इतनी कड़ाई मत कीजिए। आपको दो या तीन सदस्यों को पांच-पांच मिनट देकर बोलने की अनुमति देनी चाहिये। हमारी ओर से आप श्री सोमनाथ चटर्जी को बुला सकती हैं। उस ओर से आप आसाम के सदस्य को और इस ओर से एक सदस्य को बोलने को कह सकती है।

सभापति महोदय : मैं समझती हूं कि आप में से कुछ लोग बोलना चाहते हैं। श्री सोमनाथ चटर्जी बोलना चाहते हैं परन्तु उनके लिये समय नहीं है····(**व्यवधान**)··· क्या आप समझने की कोशिश करेंगे? भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) के लिए 11 मिनट आबंटित किये गये थे।····(**व्यवधान**)···कृपया मुझे बात पूरी करने दें। 11 मिनट की बजाय उनके दल के सदस्य ने 18 मिनट ले लिये और अब और अधिक समय देने की स्थिति में नहीं हूं····(**व्यवधान**)····अब मैंने मंत्री महोदय को बुलाया है।

श्री पी० रामचन्द्रन : सभापति महोदया, मैं निश्चय ही माननीय सदस्यों का बहुत आभारी हूं।

श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर : यदि आप हमारे वक्ता को बोलने की अनुमति नहीं दे रही हैं तो मैं विरोध प्रकट करता हूं और हम आपके व्यवहार के विरोध में सभा से उठकर बाहर जा रहे हैं।

इसके पश्चात् श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर तथा कई अन्य सदस्य सभा से उठकर बाहर चले गये।

सभापति महोदय : मंत्री महोदय कृपया अपना भाषण शुरू करें, मैं मंत्री महोदय को बुला रही हूं।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : परन्तु गणपूर्ति ही नहीं है।

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री लारंग साय) : सभापति महोदय, समय तो लगेगा, अगर समय लगेगा तो आने वाले विषय के लिये समय बहुत कम होगा। अगर कोई ऐसे माननीय सदस्य चाहते हैं तो थोड़ा बहुत समय उनको देकर आप कर सकते हैं।

सभापति महोदय : यह प्रथा नहीं है। एक बार मंत्री को बुलाने के बाद किसी अन्य को नहीं बुलाया जायेगा। मैं किसी को नहीं बुलाऊंगी····(**व्यवधान**)···नहीं, नहीं, केवल मंत्री महोदय ही बोलेंगे।

श्री पी० रामचन्द्रन : मैं उन माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने चर्चा में भाग लिया और ऊर्जा मंत्रालय तथा सरकार के कार्य को सफलतापूर्वक चलाने के लिए अमूल्य सुझाव दिये। देश में विद्युत की स्थिति में काफी सुधार हुआ है और आज हम पहले की तुलना में अच्छी स्थिति में हैं। विद्युत का उत्पादन 12 प्रतिशत बढ़ा है। जो आंकड़े उपलब्ध हैं उसके अनुसार वर्ष 1977–78 में विद्युत की कमी 15 प्रतिशत थी। वर्ष 1978–79 में यह 10 प्रतिशत रह गई। इसके साथ विद्युत की मांग में लगभग 6 प्रतिशत वृद्धि हुई। इसलिए आप देखते हैं·····

प्रो० पी० जी० मावलंकर : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। सदन में गणपूर्ति नहीं है।

सभापति महोदय : घंटी बजाई जा रही है। अब गणपूर्ति हो गई है। मंत्री महोदय अपना वक्तव्य जारी रखें।

श्री पी० रामचन्द्रन : जैसा मैंने आपको पहले कहा था कि देश में विद्युत की स्थिति संतोषजनक है। न केवल सभी जगह विद्युत के उत्पादन में वृद्धि हुई है परन्तु कुछ क्षेत्रों में विद्युत के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है। और हम विद्युत के उत्पादन में सभी जगह हुए सुधार को देख सकते हैं।

माननीय सदस्यों ने पूर्वी क्षेत्र में विद्युत की कमी पर चिन्ता जाहिर की है। पिछले सप्ताह मैंने सदन में कहा था कि हम यह सुनिश्चित करेंगे कि पश्चिम बंगाल को पड़ोसी राज्यों से पर्याप्त विद्युत मिले। मुझे सदन को यह सूचना देते हुए प्रसन्नता है कि पश्चिम

बंगाल में विद्युत की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। हम उड़ीसा और उत्तर प्रदेश से विद्युत की व्यवस्था कर सके हैं। इसके अलावा दामोदर घाटी निगम में विद्युत का बेहतर उत्पादन होने से हम पश्चिम बंगाल को उसकी आवश्यकतानुसार पर्याप्त विद्युत दे सके हैं।

माननीय सदस्यों ने क्षेत्रीय बिजली बोर्डों के कार्यकरण पर चिन्ता प्रकट की है। यह सच है कि यदि देश में विद्युत का एकीकृत संचालन करना है तो क्षेत्रीय बिजली बोर्डों को प्रभावी रूप से कार्य करना पड़ेगा। मैं माननीय सदस्यों से पूरी तरह से सहमत हूं। जब तक बिजली बोर्ड संचालन का एक अनुशासनबद्ध तरीका नहीं अपनाते तो हमारे लिए देश में विद्युत का अधिकतम उपयोग करना कठिन हो जायगा।

माननीय सदस्यों ने देश में विद्युत की क्षमता का कम उपयोग करने पर चिन्ता जाहिर की है। यह सच है कि वर्ष 1977–78 में जब यह सरकार सत्ता में आई तब देश में उपयोग के रूप में उपलब्ध क्षमता केवल लगभग 22,000 मेगावाट थी और उपयोग न किये जाने के रूप में केवल 24,000 मेगावाट थी। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता होती है कि गत दो वर्षों में हमने लगभग 500 मेगावाट विद्युत और पैदा की है। अधिकांश यूनिट काम कर रहे हैं। और बिजली पैदा कर रहे हैं। आगामी कुछ सप्ताह में····

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : यहां गणपूर्ति नहीं है। यदि गणपूर्ति नहीं है तो सदन की कार्यवाही कैसे चल सकती है?

सभापति महोदय : यदि आप कार्यवाही में रुकावट डालना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। आप जब गणपूर्ति का प्रश्न उठायेंगे तो गणपूर्ति के लिए घंटी बजानी पड़ती है। गणपूर्ति के लिए घंटी बजाई जाए।

सभापति महोदय : अब गणपूर्ति है। मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे सदन में बैठे रहें क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि जब केवल 15 ही सदस्य होते हैं तो उस समय गणपूर्ति का प्रश्न नहीं उठाया गया है। आज कुछ सदस्य गणपूर्ति का प्रश्न उठने पर तुले हुए हैं। मेरा उनसे अनुरोध है कि वे अपने स्थान पर बैठे रहें। मंत्री महोदय अपना वक्तव्य जारी रखें।

श्री वयालार रवि : सभापति महोदया सहयोग नहीं दे रही हैं। वह हमेशा रुकावट पैदा कर रही हैं। मुझे उनके कथन पर आपत्ति है।

श्री पी० रामचन्द्रन : हमारा सातवीं योजना में भी विद्युत की क्षमता में वृद्धि करने का विचार है। हमने सातवीं योजना के लिए पहिले ही 11,000 मेगावाट के लिए विद्युत जनन योजनाओं की मंजूरी दी है। इसके अतिरिक्त आगामी कुछ महीनों में 5,000 मेगावाट विद्युत की परियोजनाओं पर विचार किया जायगा। हमने पहिले ही संबंधित लोगों को कहा है कि वे इन सभी परियोजनाओं पर, जिनके लिए हमने पहिले ही मंजूरी दे दी है, पूर्व कार्यवाही करें।

माननीय सदस्य जसरोटिया ने बैरास्युल और सलाल परियोजनाओं का उल्लेख किया है। बैरास्युल का पहला एकक मार्च 1980 से कार्य करना आरम्भ कर देगा और अन्य एकक 6 महीने बाद कार्य करना आरम्भ कर देंगे।

सलाल परियोजना को लगभग 7 वर्ष पहिले मंजूरी दी गई थी और इसको 5-6 वर्ष में पूरा हो जाना चाहिए था परन्तु इस योजना के क्रियान्वयन में उठी तकनीकी समस्याओं के कारण इसमें विलम्ब हो गया है नहीं तो हम इसको कुछ समय पहले पूरा कर लेते।

माननीय सदस्यों ने देश में पन विजली क्षमता का प्रश्न उठाया है। यह सच है कि देश में लगभग 75,000 मेगावाट पनबिजली क्षमता है और वर्तमान क्षमता केवल 11,000 मेगावाट है। हमारा प्रयास यह है कि अधिकांश योजनायें आरम्भ की जायें और जब हमारे पास संसाधन हों तथा इस संबंध में व्यहार्यता प्रतिवेदन मिल जाये तो नए पनबिजली परियोजनाओं को आरम्भ किया जाये।

पश्चिम बंगाल के संबंध में अनेक आलोचनाएं की गई हैं। पश्चिम बंगाल में समस्या यह है कि 1,000 से अधिक मेगावाट की अनेक योजनाएं, जिनको 6-7 वर्ष पूर्व मंजूरी दी गई थी, अभी पूरी नहीं हुई हैं। वे अभी निर्माणाधीन हैं। यदि वे समय पर पूरी हो जाती तो आज पश्चिम बंगाल में विद्युत की कमी की कोई समस्या नहीं होती। इन सबके बावजूद हमने पश्चिम बंगाल की सहायता की है और उनकी समस्या का समाधान किया है।

कुछ माननीय सदस्यों ने सप्लाई किए गए उपकरण का प्रश्न उठाया है। मैं यह बताना चाहता हूं कि स्वदेश निर्मित उपकरण बहुत अच्छा है और उसकी तुलना आयातित उपकरण से की जा सकती है। उपकरण को दोष नहीं दिया जा सकता। हमें विभिन्न विद्युत परियोजनाओं में बेहतर देखरेख बनाए रखना चाहिए। यदि प्रभावी प्रबंध और देखरेख बनाई जा सके तो निश्चय ही आज की तुलना में बिजली का उपादन बढ़ जायेगा और किसी भी नए उद्योग में विशेषकर विद्यत उपकरण जैसे आधुनिकतम उपकरण के निर्माण में संलग्न उद्योग में न केवल प्रौद्योगिकी को पूर्ण करने में कुछ समय लगता है अपितु एककों को जमने में कुछ समय लगता है। यही बात वर्तमान उपकरण के साथ हो रही है जो विभिन्न विद्युत परियोजनाओं के लिए सप्लाई की जा रही है और हमें भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की निर्माण क्षमता पर विश्वास है जो विभिन्न विद्युत परियोजनाओं को विद्युत उपकरण की सप्लाई कर रही है।

क्षमता उपयोग के बारे में एक सदस्य ने कहा है कि इस देश में क्षमता का उपयोग अथवा लोड फैक्टर अन्य देश की तुलना में बहुत कम है। संभवतः माननीय सदस्य गलती पर हैं क्योंकि विद्युत की उपलब्धता इसके उपयोग से भिन्न है। हमारे देश में इसकी उपलब्धता 70 प्रतिशत से अधिक है। अधिकांश अन्य देशों में विद्युत की उपलब्धता मोटेतौर पर लगभग 75 प्रतिशत है। विद्युत का उपयोग कम खपत वाले समय के दौरान इसकी मांग पर निर्भर करता है। आज देश में लंबे समय से चली आ रही कठिनाई यह है कि अधिकांश प्रदेशों और क्षेत्रों में इसकी अधिक खपत वाले समय में कमी रहती है। वास्तव में रात के समय हमारे पास बहुत अधिक फालतू बिजली है। न केवल ऐसी बात है अपितु जब मानसून अच्छा रहता है और पन बिजली उत्पादन बढ़ता है तो स्वभावतः तापीय बिजली उत्पादन कम हो जायेगा जिससे औसतन क्षमता का उपयोग भी कम हो जायेगा। वास्तव में पूर्वी क्षेत्र में भी अथवा सभी प्रदेशों में रात में बिजली की मांग बहुत कम रहती है और यहां तक कि रखरखाव में जो समय लगता है वह आमतौर पर

जितना समय लगना चाहिए उससे कुछ अधिक है। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि यदि अनेक एकक सूखा प्रभावित क्षेत्रों में हैं तो स्वभावतः क्षमता के उपयोग में भी कमी आती है। इन सब विभिन्न कारणों से अन्य देशों की तुलना में क्षमता का उपयोग कम है। जब तक हम यह देखने के लिए प्रभावी उपाय नहीं अपनाते हैं कि कम खपत वाले समय में विद्यत का अधिक से अधिक उपयोग किया जाता है, क्षमता का उपयोग केवल कम होगा। जब तक विद्युत भार को कम नहीं किया जाता है तब तक अधिक क्षमता का उपयोग को प्राप्त करना कठिन है। इसलिए राज्य सरकारों और माननीय सदस्यों को सुझाव देना चाहिए कि कम खपत वाले समय में तथा विशेषकर रात के समय विद्युत का उपयोग कैसे किया जाये। उदाहरण के लिए एक सुझाव यह दिया गया था कि कुछ उद्योगों में एक पारी रात में चलाई जाए। उसके लिए भी न केवल औद्योगिक एककों को अपितु श्रमिकों को भी जो रात की पारी में काम करते हैं कुछ प्रोत्साहन दिया जा सकता है। यदि इन उपायों को अपनाया जाता है तो कम खपत वाले समय में विद्युत का उपयोग करने से न केवल क्षमता का उपयोग बढ़ेगा अपितु राष्ट्रीय बरबादी भी कम की जा सकेगी।

इस सरकार के सत्ता में आने के बाद तापीय बिजली घर की परियोजनाओं की निर्माणावधि कम की गई है। पहले निर्माणावधि 60 महीने थी। आज हमने इसको औसतन 51 महीने कर दिया है और हमारा प्रयास यह है कि जिस दिन से परियोजना आरम्भ की जाती है उस समय से इसकी निर्माणावधि 48 और यहां तक कि 42 महीने लाई जाये। तब लागत में वृद्धि को कम से कम किया जा सकेगा और बरबादी भी नहीं होगी। इन विद्युत परियोजनाओं को समय पर आरम्भ किया जा सकता है और हम उपलब्ध विद्यत का उपयोग कर सकते हैं।

माननीय सदस्यों ने बिजली बोर्डों के कार्यकरण और उनको हो रहे घाटों का उल्लेख किया था। हमने योजना आयोग के एक सदस्य की अध्यक्षता में एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति नियुक्त की है जो इन बिजली बोर्डों के कार्यकरण की जाँच करेगी और इसके प्रबंध में सुधार लाने हेतु उनको परामर्श देगी। यह समिति बिजली बोर्डों के कर्मचारियों का चयन, टैरिफ, बिजली बोर्डों तथा विद्युत क्षेत्र से संबंधित विभिन्न समस्याओं पर भी विचार करेगी। मुझे आशा है कि समिति अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी और उनके सुझावों को राज्य बिजली बोर्डों को परिचालित किया जायेगा ताकि वे कठिनाइयां आने पर उनको अमल में ला सकें।

भावी ऊर्जा नीति के बारे में माननीय सदस्य श्री ए० पी० शिंदे ने कुछ सुझाव दिए हैं। मैं उन पर बोलना चाहूंगा। वर्ष 1973 से अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के मूल्य में भारी वृद्धि होने से विश्व की ऊर्जा अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली घटनाओं ने एक वृहत ऊर्जा नीति संरचना की आवश्यकता पर ध्यान केन्द्रित किया जो सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था के विकास और संसाधनों की उपलब्धता के अनुरूप ऊर्जा की मांग और ऊर्जा के विभिन्न रूपों के विकास का मार्गनिर्देशन करेगी। हमारी ऊर्जा की कुछ आधारभूत विशेषताएं हैं जिससे हमारी ऊर्जा की समस्याएं अधिक जटिल बन जाती हैं। इस समय हम ऊर्जा की जो खपत करते हैं वह विकसित देशों की तुलना में बहुत कम है और ऊर्जा की हमारी मांग का एक बड़ा भाग ईंधन की लकड़ी, गाय का गोबर तथा कृषि के अवशिष्ट पदार्थों से पूरा होता है यद्यपि

छठे दशक के आरम्भ में उनका उपयोग जो 67 प्रतिशत था वह इस समय कम होकर लगभग 43 प्रतिशत हो गया है। योजनाबद्ध विकास के आरम्भ होने के बाद से ऊर्जा के वाणिज्यिक खपत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्ष 1953-54 से वर्ष 1975–76 की अवधि के दौरान सम्पूर्ण वाणिज्यिक ऊर्जा खपत में प्रति वर्ष 6.78 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई है। बिजली की खपत में 10.33 प्रतिशत की दर से तेजी से बृद्धि हुई है। उसके बाद तेल के उत्पादों के सीधे उपयोग का नम्बर आता है जो 7.4 प्रतिशत की दर से बढ़ा और फिर कोयला का सीधा उपयोग का नम्बर आता है जो 4.2 प्रतिशत की दर से बढ़ा।

वर्ष 1973 में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के मूल्यों में भारी वृद्धि होने के बाद सरकार द्वारा उठाये गये वित्तीय तथा अन्य उपायों के कारण तेल के उत्पादों की खपत वर्ष 1974 और 1975 में लगभग स्थिर रही परन्तु वर्ष 1976 से इसमें वृद्धि हुई। कोयले का उपयोग किए जाने के सन्दर्भ में देश में खपत की जाने वाली वाणिज्यिक ऊर्जा में तेल उत्पाद का भाग लगभग 45 प्रतिशत है। शेष भाग कोयले और बिजली के सीधे उपयोग में बराबर-बराबर हैं।

यद्यपि ऊर्जा के आधुनिक वाणिज्यिक रूप में ऊर्जा खपत की मांग में पिछले 30 वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। हमारी अब भी उन्नत देशों की तुलना में कम ऊर्जा वाली अर्थ-व्यवस्था है। हमारी वाणिज्यिक ऊर्जा की प्रतिव्यक्ति खपत विश्व के औसत खपत का 10 प्रतिशत है और विकसित अर्थव्यवस्था के औसत में केवल लगभग 3.5 प्रतिशत है। हमारी जनता का आधार मानकर संसाधनों की उपलब्धता को देखते हुए हम ऐसी नीतियां नहीं अपना सकते हैं जिससे हम ऊर्जा की मांग को असीमित रूप से पूरा कर सकें। वर्तमान दशाब्दि में विश्व ने यह जाना है कि ऊर्जा बहुत बहुमूल्य है और इसका उपयोग इस प्रकार नहीं किया जा सकता जिससे इसकी बरबादी हो। हाल के वर्षों में ऊर्जा सप्लाई की लागत में वद्धि हुई है और इसके मूल्य में वृद्धि होने की संभावना है क्योंकि संसाधन अधिक से अधिक दुर्लभ होते जा रहे हैं। इन प्रवृत्तियों को देखते हुए हमारे लिए ऐसी विकास नीति अपनाना विवेक-पूर्ण होगा जिसमें ऊर्जा का कम से कम प्रयोग हो परन्तु वह हमारे सामाजिक, आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु आर्थिक विकास के अनुरूप हो और जिससे हमारे लोगों की आकांक्षाओं की पूर्ति हो सके। हमारी नीति ऐसी होनी चाहिए जिससे किसी स्थिति में अधिकतम लाभ प्राप्त करने हेतु ऊर्जा प्रधान तथा श्रम प्रधान प्रौद्योगिकी को विवेकपूर्ण ढंग से दोनों का उप-योग किया जाये। राष्ट्र के रूप में हम मुक्त तथा असंयमित ऊर्जा अर्थव्यवस्था की आकांक्षा कर सकते हैं । दूसरी ओर हमारे मुख्य लक्ष्य तथा उद्देश्य के अनुरूप ऊर्जा की मांग और उसकी सप्लाई के कुशल प्रबंध के लिए उपाय अपनाना चाहिए। पंचवर्षीय योचना 1978-83 में मोटे तौर पर ऐसा उद्देश्य निहित है।

हमारे संसाधन को देखते हुए कोयला आगामी कुछ दशाब्दियों के लिए प्रमुख ऊर्जा का मुख्य साधन होगा। सरकार की नीति यह है कि तेल और प्राकृतिक गैस ऐसे उद्योगों तथा उपयोगों में प्रयुक्त करके बरबाद न किया जाये जो इसके बदले कोयले का उपयोग कर सकते हैं। तेल के मूल्य में वृद्धि से पूर्व ऊर्जा की खपत में प्रवृत्ति को देखते हुए यह बहुत ही तर्कसंगत है। हाल में कोयला उद्योग को कार्यकरण से यह आशा और विश्वास

मिलता है कि वे निकट भविष्य में ऊर्जा की बढ़ती मांग को पूरा करेंगे। तेल तथा गैस की खपत पर रोक लगने से बिजली के विभिन्न उपयोग और उसको चलाने में सुविधा को देखते हुए उसकी मांग में वृद्धि होगी। जहां भी उपयुक्त स्थान मिलेगा वहां पन बिजली के विकास को प्राथमिकता दी जायेगी परन्तु कोयले पर आधारित तापीय बिजली जनन निकट भविष्य में बिजली का मुख्य साधन रहेगा।

श्री० के० राममूर्ति: मैडम सभापति जी, यहां गणपूर्ति नहीं है।

सभापति महोदय: गणपूर्ति के लिए घंटी बजाई जाए। अब गणपूर्ति हो गई है। मंत्री महोदय अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

श्री पी० रामचन्द्रन: सरकार देश में ऊर्जा की उपलब्धता और उसकी सप्लाई की समस्याओं तथा उसके मूल्य में वृद्धि होने से उत्पन्न समस्याओं तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की सप्लाई में असुरक्षा के प्रति सजग है। ऊर्जा की समस्याओं पर पिछला व्यापक पुनर्विचार कुछ वर्ष पूर्व ईंधन नीति समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर किया गया था। आर्थिक विकास में ऊर्जा की महत्वपूर्ण भूमिका और श्रम प्रधान प्रौद्योगिकी तथा एकीकृत ग्रामीण विकास पर अधिक जोर दिये जाने को देखते हुए ऊर्जा नीति पर विचार करने के लिए एक कार्यकारी दल स्थापित किया गया है जो ऊर्जा अर्थव्यवस्था के विकास के लिए नीति तथा भविष्य में उपलब्ध ऊर्जा का अधिकतम उपयोग करने के उपायों के बारे में सिफारिश करेगा।

मेरे मित्र श्री के० राममूर्ति ने क्षेत्रीय बिजली बोर्डों विशेषकर उत्तरी क्षेत्र के टेंडरों के बारे में कुछ प्रश्न उठाये हैं। आप जानते हैं कि इस बारे में एक प्रक्रिया अपनाई जाती है। जब भी विश्व बैंक सहायता के अन्तर्गत इन टेंडरों को आमंत्रित किया जाता है, उनकी एक तकनीकी समिति जाँच करती है और उसको विश्व बैंक के पास उसकी राय जानने हेतु भेजा जाता है। वहां से आने पर उसको सचिवों की समिति के समक्ष रखा जायेगा और आवश्यकता हुई तो उसको मंत्रालय को भी भेजा जायेगा। मुझे दुःख है कि मैं यह नहीं बता सकता हूं कि इस समय टेंडर किस चरण पर हैं क्योंकि उनको विश्व बैंक को भेजा गया है और अभी तक इसको मंजूरी नहीं मिली है। मैं एक-दो बात और कहना चाहता हूं।

प्रो० पी० जी० मावलंकर: प्रश्न यह है कि क्या प्रक्रिया का भली-भांति अनुकरण किया गया था।

श्री पी० रामचन्द्रन: जी हां, इसका भली-भांति अनुकरण किया गया।

श्री० के० राममूर्ति: तीन टेंडर दिये गए हैं। मेरा प्रश्न है कि क्या तीनों टेंडर विश्व बैंक को प्रस्तुत किए हैं।

श्री पी० रामचन्द्रन: जब तक यह वापस नहीं आता है मैं आपको कुछ नहीं बता सकता हूं (**व्यवधान**)

श्री पी० जी० मावलंकर: आप हमें कुछ और नहीं बताइये परन्तु यह तो बताइए कि किस प्रक्रिया का पालन किया गया है तथा क्या इसका पालन सही ढंग से किया गया।

श्री पी० रामचन्द्रन : जहां तक बिजली प्रेसण वितरण में हानि का सवाल है, यह सच है कि हमारे देश में यह मोटे तौर पर 20 प्रतिशत है और कुछ अन्य देशों में यह काफी कम ह। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे देश में इसका जाल बहुत विस्तृत है तथा हमने ग्रामीण विद्युतिकरण पर जोर दिया है । यही कारण है कि हमारे देश में घाटा कुछ अधिक है। हमने पहिले ही लगभग 2,26,000 गांवों में बिजली लगाई है। हमने पहले ही गांवों में 35. 2 लाख पंप सेट को बिजली दी है । जब आपको बिजली दूरस्थ स्थानों में ले जानी पड़ती है तो स्वभावतः घाटा होगा ही । हम यह प्रयास कर रहे हैं कि प्रभावी संचालन द्वारा तथा विभिन्न स्थानों पर कुछ धारित्र रखकर और आवश्यकता पड़ने पर अधिक सब-स्टेशनों का निर्माण करने से भी घाटे को कम किया जा सकता है।

कोयले के बारे में माननीय सदस्य ने अपनी टिप्पणी की है। खपत करने वाल विभिन्न क्षेत्रों के लिए कोयले की उपलब्धता के बारे में मैं सदन को यह आश्वासन दे सकता हूं कि कोयला इतना अधिक उपलब्ध है कि उससे उपभोक्ताओं की मांग तथा यहां तक कि लघु उद्योगों तथा अन्य उपभोक्ताओं की मांग को पूरा किया जा सकेगा। प्रश्न यह है कि जैसे ही हम कोयला उपलब्ध करते हैं, इसकी ढुलाई में कुछ रुकावटें आ सकती हैं । वास्तव में जब उपभोक्ता लघु उद्योगों तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानों से वैध परमिट और प्रमाणपत्र लेकर आता है तो हम कोयले को सड़क द्वारा भेजे जाने की अनुमति दे देते हैं ।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : क्या आपने गुजरात के एक मंत्री के आश्वासन को देखा है ?

श्री पी० रामचन्द्रन : मुझे पत्र भी मिला है।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : आप उस पर क्या कर रहे हैं ?

श्री पी० रामचन्द्रन : हम कोयला भेज रहे हैं तथा रेलवे मंत्रालय के साथ हमारी समन्वय बैठकें हो रही हैं तथा वैगनों की स्थिति में सुधार किया जा रहा है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि आगामी दो सप्ताह में वैगनों की उपलब्धता में स्पष्ट सुधार होगा और हमें आशा है कि कोई भी उपभोक्ता कोयले के अभाव में परेशान न होगा।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : मैं यही कहूंगा कि 'तथास्तु' ।

श्री पी० रामचन्द्रन : मैं नहीं जानता कि क्या मुझे सदन का और अधिक समय लेना चाहिए । यदि मैं कुछ और समय लूं तो शीघ्र ही प्रश्न उठाया जायेगा कि गणपूर्ति नहीं है मैं नहीं चाहता कि माननीय सदस्यों को ऐसे प्रश्न उठाने का कष्ट करना पड़े।

इन शब्दों के साथ मैं अपने मंत्रालय की मांगों को सदन के समक्ष रखूंगा और उन माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा जिन्होंने कटौती प्रस्ताव दिए हैं । कि वे इन प्रस्तावों पर जोर न दें।

श्री के० राममूर्ति : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। क्या क्षेत्रीय बिजली बोर्ड केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण के अधीनस्थ हैं ।

श्री पी० रामचन्द्रन : इन बिजली बोर्डों का गठन राज्य बिजली बोर्डों और राज्य सरकारी की सहमति से किया गया था। यह बिजली की एकीकृत रूप से व्यवस्था करने का प्रश्न है हम एक राष्ट्रीय ग्रिड बनाने का विचार कर रहे हैं। जब तक ऐसा क्षेत्रीय ग्रिड नहीं होगा जो प्रभावी रूप से कार्यवाही कर सके, हम प्रभावी राष्ट्रीय ग्रिड नहीं बना सकते। इसके लिए सब तरफ से सहयोग की आवश्यकता है। प्रश्न यह है कि उपलब्ध विद्युत् का सदुपयोग किया जाए अन्यथा यह राष्ट्रीय बरबादी है। इसलिए हम चाहते हैं कि क्षेत्रीय बिजली बोर्ड प्रभावी रूप से कार्य करे हम यह सब इस उद्देश्य को कर लेकर रहे हैं।

श्री के० राममूर्ति : मेरा प्रश्न यह है कि क्या क्षेत्रीय बिजली बोर्ड केन्द्रीय विजली प्राधिकरण के अधीनस्थ हैं या नहीं।

श्री पी० रामचन्द्रन : अधीनस्थ होने का कोई प्रश्न नहीं है। क्षेत्रीय बिजली बोर्ड केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण के परामर्श से काम करती है। इन बोर्डों का गठन राज्य बिजली बोर्डों के परामर्श से किया जाता है। अधीनस्थ होने का प्रश्न कहां उठता है? एक विशेष उद्देश्य के लिए इन बोर्डों का गठन किया जाता है। अधीनस्थ अथवा अवज्ञा का कोई प्रश्न नहीं है। प्रश्न उपलब्ध विद्युत का अधिकतम उपभोग का है जिसके लिए इन बोर्डों का गठन किया गया है। इसमें अधीनस्थ का प्रश्न कहां उठता है?

श्री के० राममूर्ति : मैं सभापति महोदय के द्वारा मंत्री महोदय को सुझाव दूंगा कि वे अपने उत्तर को जो उन्होंने मुझे लिखित रूप में दिया है, शुद्ध करें जिसमें यह बताया गया है सभी क्षेत्रीय बिजली बोर्ड केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण के अधीन हैं, वे अपना उत्तर शुद्ध करें।

सभापति महोदय : जैसा कि मैं मंत्री महोदय को समझी हूं, उन्होंने कहा है कि केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण क्षेत्रीय बिजली बोडे को ऐसे निदेश देगी जो आवश्यक समझा जाए। उस सीमा तक आप उन्हें अधीनस्थ समझ सकती हैं। परन्तु वह "अधीनस्थ" शब्द पसन्द नहीं करते हैं।

श्री के० राममूर्ति : उन्होंने इस सदन को, मेरे अतारांकित प्रश्न का स्पष्ट उत्तर दिया है जिसमें बताया गया है कि सभी क्षेत्रीय बिजली बोर्ड केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण के अधीनस्थ हैं। इसका मतलब है कि वे राज्य बिजली बोर्डों के कार्यकरण में हस्तक्षेप कर रहे हैं। विद्युत् के एकीकृत रूप से व्यवस्था करने के सीमित उद्देश्य के लिए क्षेत्रीय बिजली बोर्ड केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण के अधीनस्थ हैं।

श्री ए० के० राय (धनबाद) : क्या मंत्री महोदय ने आज के समाचार पत्र में यह समाचार देखा है कि पावर इंजीनियर्स एसोसिएशन ने मंत्री महोदय के इस दावे का खंडन किया है कि इस वर्ष 3,022 मेगावाट क्षमता की विद्युत् का उत्पादन किया गया है। उनका कहना है कि केवल 1,500 मेगावाट क्षमता पैदा की गई है। क्या वह विद्युत् इंजीनियर्स एसोसिएशन की टिप्पणी पर कुछ कहेंगे?

श्री पी० रामचन्द्रन : जो कुछ प्रकाशित हुआ है, मैं उस पर नहीं बोलूंगा। परन्तु मैं एक बात कहना चाहता हूं। विद्युत् विकास के क्षेत्र में इन एककों को एक विशेष समय में

पूरा किया जाता है और इन एककों को स्थापित होने में कुछ समय लगता है। यहां तक कि जब एक एकक चलाया जाता है तो यह कुछ दिन चलेगा और तब यह बंद हो जाएगा तथा बियरिंग तथा अन्य बातों की जांच करने हेतु मशीन को बाहर निकाला जायेगा तथा यह देखा जाएगा कि सब ठीक काम कर रहे हैं या नहीं। जब परियोजना व्यवहार में पूरी हो जाती है, हम इसे 'परियोजना का पूरा होना' नाम देते हैं। यदि कोई अपने ढंग से सोचे तो मैं क्या कर सकता हूं। अब तक पूरे हुए एकक 5,000 मेगावाट में से 65 प्रतिशत से अधिक वाणिज्यिक विद्युत् का उत्पादन कर रहे हैं और शेष एकक अगले 6 से 8 सप्ताह वाणिज्यिक विद्युत् का उत्पादन करेंगे क्योंकि प्रतिष्ठापित होने में समय लगता है। इसमें विवाद का कोई प्रश्न नहीं है। माना किसी एकक को जांच हेतु बाहर निकाला जाता है और कोई कहता है ऐसा नहीं किया गया है तो आप क्या कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हमने विजयवाड़ा जैसे एककों को शामिल नहीं किया है यद्यपि वहां काम पूरा हो गया है। हमने इसको नहीं लिया है। उदाहरण के लिए काली नदी पर काम पूरा हो गया है परन्तु पानी की कमी के कारण हमने इसको नहीं लिया है। हम अच्छी तरह सोच समझकर निर्णय लेते हैं कि कुछ एकक पूरे हो गए हैं और फिर उन्हें लेते हैं।

डा० रामजी सिंह (भागलपुर) : सभापति महोदय, कल मैंने मंत्रीजी के सामने जो कुछ विचार रखे थे, उसके सम्बन्ध में उन्होंने कुछ नहीं कहा। खैर, मैं तो डिमांड्स का समर्थन करता ही हूं, लेकिन क्या माननीय मंत्री जी से मैं यह जान सकता हूं कि कहलगांव के सुपर थर्मल पावर स्टेशन का जो क्लेम था, वहां 4 हजार मिलियन टन कोयला रिजर्व है, पानी काफी ज्योदा है, वहां की फिजिबलिटी रिपोर्ट भी हो गई है, फिर भी उसकी मांग को अभी तक नजरन्दाज किया गया है, क्या इस पर मंत्री महोदय सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे ?

श्री पी० रामचन्द्रन : हम किसी राज्य की मांग की उपेक्षा नहीं कर रहे हैं। यह एक वृहत विद्युत् कार्यक्रम की योजना का प्रश्न है। ज्योंही परियोजना रिपोर्ट तैयार होगी हम अनेक योजनाओं को मंजूरी देंगे। हमने बिहार में पहले ही तेनुघाट और मुजफ्फरपुर जैसी परियोजनाओं को स्वीकृति दी है और कोयलाकारों जैसी अन्य पन बिजली परियोजनाएं हैं। जब इन परियोजनाओं पर कार्य आरम्भ होगा तथा पूरा होगा तब बिहार में पर्याप्त विद्युत् उपलब्ध होगी। जब मांग बढ़ेगी, तब अगले वृहत्त तापीय बिजली घरों पर विचार किया जाएगा। तो कहलगांव परियोजना पर भी विचार किया जाएगा।

श्री यमुना प्रसाद शास्त्री (रीवां) : मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि मध्य-प्रदेश के सिंगरौली में कोयले का सबसे बड़ा डिपाजिट है और कई वर्ष पहले भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के और रूस के विशेषज्ञ भी वहां गए थे और उन्होंने यह निश्चित किया था कि यहां पर सुपर थर्मल पावर स्टेशन बनाया जा सकता है और उसमें कास्ट आफ प्रोडक्शन भी बहुत कम होगा क्योंकि पास में ही कोयले की बड़ी खदान है। इसको और बिजली की कमी को देखते हुए क्या मध्य प्रदेश के सिंगरौली में सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्थापित करने की आपकी कोई योजना है।

श्री पी० रामचन्द्रन : सिंग्रोली में एक बड़ा तापीय बिजलीघर बन रहा है। मध्य प्रदेश में कोरबा में सुपर तापीय बिजली घर बन रहा है। अतः किसी क्षेत्र के उपेक्षित रहने का प्रश्न ही नहीं है। यह सच है कि सिंग्रौली क्षेत्र में बड़े बड़े निक्षेप हैं और हम इसके निकट और तापीय बिजलीघर बनाने की बात सोच रहे हैं। अतः किसी क्षेत्र के उपेक्षित रहने की बात नहीं है।

सभापति महोदय : अनुदानों की मांगों पर कटौती प्रस्तावों को मतदान के लिए रखने से पूर्व मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या माननीय सदस्य अपना कटौती प्रस्ताव वापस लेते हैं।

कुछ माननीय सदस्य : वे उपस्थित नहीं हैं।

सभापति महोदय : मैं सभी प्रस्तावों को एक साथ रखती हूं।

श्री के० राममूर्ति : आप कृपया मेरे कटौती प्रस्ताव संख्या 144, 153 तथा 162 को पृथक रूप से रखें।

श्री ए० के० राय : मेरे प्रस्ताव से संख्या 105, 106, 107, 108 भी।

सभापति महोदय : मैं श्री ए० के० राय का कटौती प्रस्ताव संख्या 105 लेती हूं और इसे मतदान के लिए रखूंगी। मैं अब श्री ए० के० राय का कटौती प्रस्ताव संख्या 105 मतदान के लिए रखती हूं। प्रस्ताव निम्नलिखित है।

105. इस्पात और विद्युत् संयंत्रों को कोयले की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए रेलवे पर नियंत्रण रखने में असफलता।

कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब मैं कटौती प्रस्ताव संख्या 106 मतदान के लिए रखती हूं।

106. धनबाद कोयला क्षेत्रों में खनकों को पीने का पानी और क्वार्टर उपलब्ध कराने में विफलता।

कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब मैं कटौती प्रस्ताव संख्या 107 मतदान के लिए रखती हूं।

श्री ए० के० राय : सभापति महोदय कृपया इसे पढ़ दें।

सभापति महोदय : कटौती प्रस्ताव संख्या 107 इस प्रकार है :

107. कर्मकारों के लिए नए मजूरी बोर्ड को अन्तिम रूप देने में विलम्ब।

श्री ए० के० राय : मैं इस पर मत विभाजन चाहता हूं।

सभापति महोदय : लाबी पहले ही खाली हो चुकी है। यदि दरवाजे नहीं खुले हैं तो हम मत विभाजन आरम्भ करते हैं।

प्रश्न यह है :

"कि कोयला और लिगनाइट शीर्ष के अन्तर्गत मांग को घटाकर 1 रुपया कर दिया जाए"

107. "कर्मकारों के लिए नए मजूरी बोर्ड को अन्तिम रूप देने मे विलम्ब"

लोकसभा में मत विभाजन हुआ।

पक्ष में

1. श्री ए० के० राय
2. श्री रघुनाथ सिंह वर्मा

विपक्ष में

अर्गल, श्री छबिराम
अमीन, प्रो० आर० के०

निम्नलिखित सदस्यों ने विपक्ष में अपना मत रिकार्ड कराया

1. श्री काजिम अली मिर्जा
2. श्री रघुनाथ सिंह वर्मा

उग्रसेन, श्री
उरांव, श्री लालू
कपूर, श्री लखन लाल
कुरील, श्री आर० एल०
खां, कुंवर मुहमूद अली
घोषाल, श्री सुधीर
चक्रवर्ती, प्रो० दिलीप
चतुर्वेदी, श्री शंभुनाथ
चन्द्रशेखर सिंह, श्री
चौहान, श्री बेगाराम
चौहान, श्री भारत सिंह
जसरोटिया, श्री बलदेव सिंह
जैन, श्री कचरूलाल हेमराज
जायसवाल, श्री अनन्तराम
ढिल्लों, श्री इकबाल सिंह
तिवारी श्री द्वारिकानाथ
तिवारी, श्री बृजभूषण
देशमुख, श्री राम प्रसाद
नायक, श्री लक्ष्मीनारायण
पटनायक, श्री बीजू

पटेल, श्री धर्म सिंह भाई
परमार, श्री नटवर लाल
पाटिल, श्री चन्द्रकान्त
पिपिल, श्री मोहन लाल
फर्नान्डीज, श्री जार्ज
फिरंगी, प्रसाद, श्री
बलदेव, प्रकाश डा०
बल, श्री प्रद्युमन किशोर
बालकराम, श्री
भंवर, श्री भागीरथ
मंगलदेव, श्री
मंडल, श्री धनिक लाल
महाला, श्री के० एल०
माथुर, श्री जगदीश प्रसाद
मिश्र, श्री जनेश्वर
मुण्डा, श्री गोबिन्द
मैती, श्रीमती आभा
मोहिन्द्र सिंह, श्री
यादव, श्री विनायक प्रसाद
राघवजी, श्री
राघवेन्द्र सिंह, श्री
राजदा, श्री रत्न सिंह
राठौर, डा० भगवान दास
रामकिशन, श्री
रामचन्द्रन, श्री पी०
रामजी सिंह, डा०
रामधन, श्री
रामदेव सिंह, श्री
राममूर्ति, श्री के०
राय, श्री गौरी शंकर
राय, श्री शिवराम
शास्त्री, श्री रामधारी
शास्त्री, श्री यमुना प्रसाद
शिव नारायण, श्री
शुक्ल, श्री चिमन भाई एच०
शुक्ल, श्री मदन लाल
सैयद लियाकत हुसैन, श्री
सरकार, श्री शक्ति कुमार

सरसूनिया श्री शिव नारायण
साय, श्री लारंग
साय, श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव
सामन्त सिंहेरा, श्री पदमाचरण
सिंधा, श्री सचिन्द्र लाल
सुखेन्द्र सिंह, श्री
सूरजभान, श्री
सोमानी, श्री रूप लाल

सभापति महोदय : शुद्धि के अध्यधीन मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है :

पक्ष में	2
विपक्ष में	69

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब मैं कटौती प्रस्ताव संख्या 108 सभा के मतदान के लिए रखती हूं।

108. बवेजा कमेटी प्रतिवेदन को पूर्णरूपेण अस्वीकृत करने की आवश्यकता।

प्रस्ताव मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब मैं कटौती प्रस्ताव संख्या 144 मतदान के लिए रखती हूं

श्री के० राममूर्ति : कृपया इसे पढ़ दीजिए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि ऊजा मंत्रालय शीर्ष के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपए कम कर दिए जाएं" :

144. देश में बिजली के वितरण के महत्वपूर्ण क्षेत्र में सीमन्स जैसी विदेशी बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों का प्रवेश रोकने की आवश्यकता :

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब मैं श्री के० राममूर्ति का कटौती प्रस्ताव संख्या 153 मतदान के लिए रखती हूं।

153. "राज्य विद्युत् बोर्ड के अध्यक्षों को केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण का अधीनस्थ कार्यालय समझे जाने वाले क्षेत्रीय विद्युत् बोर्डों का सदस्य बना कर राज्य विद्युत् बोर्डों की स्वायत्तता में हस्तक्षेप।"

कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब मैं कटौती प्रस्ताव संख्या 162 मतदान के लिए रखूंगी।

श्री के० राममूर्ति : कृपया इसे पढ़ दीजिए।

सभापति महोदय : मैं कटौती प्रस्ताव संख्या 162 पढ़ती हूं जो इस प्रकार है :

162. "विद्युत् पारेषण केन्द्रों को उपकरण सप्लाई करने के सम्बन्ध में सीमैन्स से हुए समझौते की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच कराने में असफलता ।"

श्री के० राममूर्ति : इस पर मैं मत विभाजन चाहता हूं ।

सभापति महोदय : लाबी खाली होने दीजिए । लाबी खाली हो गई है । प्रश्न यह है

"विद्युत् विकास शीर्ष के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपए घटा दिए जाएं"

"विद्युत् पारेषण केन्द्रों को उपकरण सप्लाई करने के सम्बन्ध में सीमैन्स से हुए समझौते की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच कराने में असफलता ।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ

पक्ष में

कृष्णन, श्रीमती पार्वती
कोडियन, श्री पी० के०
गोपाल, श्री के०
चटर्जी, श्री सोमनाथ
चन्द्रप्पन, श्री सी० के०
डामोर, श्री सोमजी भाई
नायक, श्री लक्ष्मीनारायण
नायक, श्री एस० एच०
नायर, श्री बी० के०
नायडू, श्री पी० राजगोपाल
पाटिल, श्री विजय कुमार
मावलंकर, प्रो० पी० जी०
रवि, श्री वयालार
राजन, श्री के० ए०
राममूर्ति, श्री के०
राय, श्री ए० के०
लक्ष्मीनारायण, श्री एम० आर०
वेंकटरामन, श्री आर०
हाल्दर, श्री कृष्ण चन्द्र

विपक्ष में

अर्गल, श्री छबिराम
अमीन, प्रो० आर० के०
उग्रसेन, श्री
उरांव, श्री लालू
कपूर, श्री लखन लाल
कृष्ण कान्त, श्री

कुरील, श्री आर० एल०
खाँ, कुंवर मुहमूद अली
घोषाल, श्री सुधीर
चक्रवर्ती, प्रो० दिलीप
चतुर्वेदी, श्री शंभूनाथ
चन्द्रशेखर सिंह, श्री
चौहान, श्री बेगाराम
चौहान, श्री भारत सिंह
जसरोटिया, श्री बलदेव सिंह
जायसवाल, श्री अनन्तराम
जैन, श्री कचरूलाल हेमराज
ढिल्लों, श्री इकबाल सिंह
तिवारी, श्री द्वारिकानाथ
तिवारी, श्री बृजभूषण
तिवारी, श्री मदन
दास, श्री श्याम सुन्दर
देशमुख, श्री राम प्रसाद
धुर्वे, श्री श्यामलाल
नायक, श्री लक्ष्मीनारायण
पटनायक, श्री बीजू
पटेल, श्री धर्मसिंह भाई
परमार, श्री नटवरलाल
पाटिल, श्री चन्द्रकान्त
पिपिल, श्री मोहन लाल
प्रधान, श्री गणनाथ
फर्नान्डीज, श्री जार्ज
फिरंगी प्रसाद, श्री
बलदेव, प्रकाश डा०
बल, श्री प्रद्युमन किशोर
बालकराम, श्री
भंवर, श्री भागीरथ
मंगलदेव, श्री
मंडल, श्री धनिक लाल
महाला, श्री के० एल०
माथुर, श्री जगदीश प्रसाद
मानकर, श्री लक्ष्मण राव
मिर्जा, श्री सैयद काजिम अली
मिश्र, श्री जनेश्वर

मैती, श्रीमती आभा
मोहिन्दर सिंह, श्री
राघवजी, श्री
राघवेन्द्र सिंह, श्री
राजदा, श्री रत्न सिंह
राठौर, डा० भगवान दास
राम किंकर, श्री
रामकिशन, श्री
रामचन्द्रन, श्री पी०
रामजी सिंह, डा०
रामधन, श्री
रामदेव सिंह, श्री
रमापति सिंह, श्री
राय, श्री गौरी शंकर
राय, श्री शिवराम
वर्मा, श्री फूल चन्द
वर्मा, श्री रघुनाथ सिंह
शास्त्री, श्री रामधारी
शास्त्री, श्री यमुना प्रसाद
शिव नारायण, श्री
शुक्ल, श्री चिमन भाई एच०
शुक्ल, श्री मदन लाल
सैयद लियाकत हुसैन, श्री
सरकार, श्री शक्ति कुमार
सारण, श्री दौलतराम
सरसूनिया, श्री शिव नारायण
साय, श्री लारंग
साय, श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव
सामन्त सिंहेरा, श्री पदमाचरण
सिंधा, श्री सचिन्द्र लाल
सिन्हा, श्री पूर्ण नारायण
सुखेन्द्र सिंह, श्री
सूरजभान, श्री
सोमानी, श्री रूप लाल

पक्ष में 18

विपक्ष में 78

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

सभापति महोदय : अब मैं वह सभी कटौती प्रस्ताव, जो पेश किए जा चुके हैं, सभा में मतदान के लिए रखती हूं ।

श्री के० ए० राजन : मैं अपने कटौती प्रस्ताव पर पृथक रूप में मतदान चाहता हूं ।

सभापति महोदय : मैंने सदस्यों से कहा था कि जो सदस्य अपने कटौती प्रस्तावों पर पृथक रूप से मतदान चाहते हैं वे अपने नाम दें। माननीय सदस्य उस समय अनुपस्थित थे अतः मुझे खेद है कि इस स्थिति में अब आपके कटौती प्रस्ताव अलग से नहीं रख सकती हूं। जो प्रस्ताव पहले ही पेश किए जा चुके हैं अब मैं उन सभी को मतदान के लिए रखती हूं ।

निम्नलिखित सदस्यों ने भी अपना मत रिकार्ड कराया

पक्ष में श्री पी० शिवशंकर

विपक्ष में श्री गोविन्द मुंडा

श्री के० ए० राजन : मैंने अपने कटौती प्रस्ताव पेश किए हैं ।

सभापति महोदय : मैं सभी को एक साथ मतदान के लिए रखूंगी ।

श्री के० ए० राजन : यह कहने का मेरा अधिकार है कि मेरे कटौती प्रस्ताव पृथक रूप में रखे जाएं ।

सभापति महोदय : मेरे सामने कटौती प्रस्ताव संख्या 105, 106, 107, 108, 144, 162 आदि हैं इन में से आप कौन से प्रस्ताव पर मतदान चाहते हैं ।

श्री के० ए० राजन : 331

सभापति महोदय : इसमें संख्या 331 नहीं है । मैंने इसे देखा है । कटौती प्रस्ताव संख्या 171 तक ही पेश हुए हैं । पेश किए गए कटौती प्रस्ताव हैं संख्या 28–38, 52–57, 76–85, 86–94 ।

श्री वयालार रवि : मैं इसे अब पेश करूंगा ।

सभापति महोदय : अब कोई प्रस्ताव पेश नहीं किया जा सकता । प्रस्ताव पहले ही पेश हो चुके हैं ।

श्री वयालार रवि : किसके द्वारा ।

सभापति महोदय : सदस्यों द्वारा ।

श्री वयालार रवि : उनके नाम बताइए ।

सभापति महोदय : श्री राजगोपाल नायडू 28–30, श्री रोबिन सेन 76–85। श्री विजयमंडल के नाम से कटौती प्रस्ताव संख्या 86 से 94 तक हैं। श्री ए० के० राय के 99 से 124 तथा 171; श्री के० ए० राजन के नाम से 125 से 139 तक और श्री के० राममूर्ति के नाम से कटौती प्रस्ताव संख्या 142 से 170 दिये गये हैं। जो प्रस्ताव पेश हो चुके हैं मैं उन सभी को मतदान के लिये रखती हूं।

कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये और स्वीकृत हुये।

एक माननीय सदस्य : मैं अपने कटौती प्रस्ताव को पृथक रूप में रखवाना चाहता हूं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : जो माननीय सदस्य प्रस्ताव भेजते हैं उन्हें यह बताना चाहिये कि उन्होंने कौन सा प्रस्ताव पेश किया है।

श्री के० गोपाल : सभी कटौती प्रस्ताव।

सभापति महोदय : मैं इस प्रश्न को फिर से लेने के लिये तैयार नहीं हूं। मैंने सदस्यों से पूछा था कि जो सदस्य पृथक रूप में अपने प्रस्ताव चाहते हैं उन्हें अपने कटौती प्रस्तावों की संख्या बतानी चाहिये। उस समय कुछ माननीय सदस्य उपस्थित नहीं थे। अतः मैं सभी कटौती प्रस्तावों को सभा के मतदान के लिये रखती हूं। जो पक्ष में हों वे हां, कहेंगे।

कुछ माननीय सदस्य : "हां"।

सभापति महोदय : जो विपक्ष में हों वे "नहीं" कहें।

बहुत से माननीय सदस्य : "नहीं"।

सभापति महोदय : मेरे विचार से विपक्ष वालों की संख्या अधिक है और शेष सभी प्रस्ताव अस्वीकृत हैं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है, कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई ऊर्जा मंत्रालय सम्बन्धी मांग संख्या 28 से 30 के संबंध में 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिये कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजीलेखा राशियों से अनधिक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं।

28. **ऊर्जा मंत्रालय** . .	14,39,000	..
29. विद्युत् विकास . .	9,24,86,000	63,55,01,000
30. कोयला और लिग्नाइट . .	3,95,57,000	96,56,11,000

जो पक्ष में मत देना चाहते हैं वे "हां" कहेंगे।

बहुत से माननीय सदस्य : "हां"।

सभापति महोदय : जो विपक्ष में मत देना चाहते हैं वे "नहीं" कहेंगे।

कुछ माननीय सदस्य : "नहीं"।

सभापति महोदय : मेरे विचार से प्रस्ताव 'हां' वालों के पक्ष में है ।

श्री के० ए० राजन : मेरे कटौती प्रस्ताव पृथक रूप से नहीं रखे गये हैं ।

सभापति महोदय : यदि आप मत विभाजन चाहते हैं तो मत विभाजन उस मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर होगा ।

(व्यवधान)

यदि आप मत विभाजन नहीं चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि मांग स्वीकृत हो गई है ।

(व्यवधान)

श्री वयालार रवि : हम मत विभाजन चाहते हैं ।

सभापति महोदय : लाबी खाली होने दीजिये ।

(व्यवधान)

श्री कृष्णकांत (चण्डीगढ़) : प्रक्रिया नियमों के अनुसार यदि कोई सदस्य अपने किसी कटौती प्रस्ताव पर मत विभाजन चाहता है तो उसे इंकार नहीं किया जा सकता । यह सदन के प्रत्येक सदस्य का अधिकार है । यदि कोई सदस्य अपना कटौती प्रस्ताव सभा में मतदान के लिये रखवाना चाहता है, तो उसकी बात मानी जानी चाहिये । अध्यक्षपीठ स्वविवेक से इंकार नहीं कर सकता ।

श्री के० गोपाल : इतना ही नहीं, यदि कोई सदस्य मत विभाजन चाहता है, तो आप उसे कैसे रोक सकती हैं ?

(व्यवधान)

सभापति महोदय : अब लाबी खाली तो हो रही हैं, जैसी कि स्थिति है, मैंने माननीय सदस्यों से विचार विमर्श किया है । इसके परिणामस्वरूप दो माननीय सदस्य सात कटौती प्रस्तावों को पृथक पृथक रखवाना चाहते हैं और मैं ऐसा कर चुकी हूं । यदि आप में से कोई सदस्य अन्य किसी कटौती प्रस्ताव पर मत दान चाहता है तो पेशकर्ता को ऐसा प्रस्ताव करना चाहिये और मैं इसे मतदान के लिये रखंगी ।

श्री के० ए० राजन : मैं अपने कटौती प्रस्ताव संख्या 139 पर मतदान चाहता हूं ।

(व्यवधान)

प्रो० पी० जी० मावलंकर : श्री कृष्णकांत ने ठीक कहा है. . .

(व्यवधान)

श्री के० गोपाल : इससे भी अधिक, जब आप मांगों को रखते हैं और हम उन पर मत विभाजन चाहते हैं आप अनुमति नहीं दे रही हैं. . . . .

(व्यवधान)

प्रो० पी० जी० मावलंकर : जब आप ने पूछा कि क्या कोई सदस्य अपने कटौती प्रस्तावों को पृथक रूप से सभा के मतदान के लिय रखवाना चाहता है तब कुछ सदस्यों ने अपने कटौती प्रस्तावों की संख्या बताई; परन्तु दुर्भाग्यवश ऐसा प्रतीत होता है कि शोर शराबे के बीच अध्यक्षपीठ एक विशेष सदस्य के कटौती प्रस्ताव की संख्या नहीं सुन सकीं। श्री राजन का कहना है कि उनका कटौती प्रस्ताव संख्या 139 सभा में मतदान के लिये रखा जाना चाहिये। मैं आभारी हूंगा यदि आप ऐसा करती हैं...

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं यह बात स्पष्ट करना चाहती हूं कि यदि कोई सदस्य किसी चीज़ पर मत विभाजन चाहता है तो उसे इंकार करने का तो प्रश्न ही नहीं है। मत विभाजन की मांग के अधिकार से किसी सदस्य को वंचित रखने की बिल्कुल कोई इच्छा नहीं है। परन्तु निष्पक्ष रूप से आप सभी को इस बात से सहमत होना चाहिये कि मैंने यह पूछा था कि क्या कोई सदस्य अपने कटौती प्रस्ताव पर पृथक रूप से मत विभाजन चाहते हैं। उस समय केवल दो ही सदस्य खड़े हुये और उन्होंने सात कटौती प्रस्ताव दिये ..... (व्यवधान)। मुझे समाप्त करने दी जाए। श्री मावलंकर आप अपने स्थान पर बैठ जाइये। मैं समझ सकती हूं कि कुछ सदस्य इस बात पर विचलित हैं क्योंकि उन्हें बोलने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है।

(व्यवधान)

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : हम केवल अपने अधिकार का उपयोग कर रहे हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं स्पष्ट करती हूं। आप अपने स्थानों पर बैठेंगें ? लॉबी खाली हो गयी है ' (व्यवधान) जहां तक बोलने का प्रश्न है यदि एक सदस्य होता तो मैं समय दे सकती थी परन्तु बहुत से सदस्य खड़े हो गये (व्यवधान)। कुछ भी हो लाबी खाली हो गयी है (व्यवधान) जब बहुत से सदस्य एक साथ बोलेंगे तो मैं सुन नही पाऊंगी। (व्यवधान) यदि इस समय भी कोई एक सदस्य ऐसा हो जो बोलना चाहता हो (व्यवधान) मैं श्री राजगोपाल नायडु से पूछ रही हूं कि क्या वह बोलना चाहते हैं (व्यवधान)

कई माननीय सदस्य : मांग पास हो चुकी है।

सभापति महोदय : सुझाव यह है कि सभी कटौती प्रस्ताव निपट चुके हैं (व्यवधान)

कुछ माननीय सदस्य : नहीं ;

इस्पात तथा खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : अध्यक्ष पीठ द्वारा घोषणा की जा चुकी है कि कटौती प्रस्ताव निपट चुके हैं और माँग स्वीकृत हो चुकी है। इस से पीछे नहीं हटा जा सकता।

सभापति महोदय : मैं मांग के बारे में केवल एक मत विभाजन कराऊंगी जो पक्ष में वे हां कहेंगे।

कुछ माननीय सदस्य : "हां"

(**व्यवधान**)

सभापति महोदय : मैं कटौती प्रस्ताव ले चुकी हूं (**व्यवधान**) आप लिखित में दें कि आप कौन-सा कटौती प्रस्ताव चाहते हैं । (**व्यवधान**) मेरे विचार से श्री के० ए० राजन अपने कटौती प्रस्ताव संख्या 139 पर मत विभाजन चाहते हैं । क्या ऐसा है ।

श्री के० ए० राजन : जी हां ।

सभापति महोदय : 139 के पश्चात अन्य कोई और (**व्यवधान**) ठीक है ।

श्री के० गोपाल : महोदय मैं एक व्यवस्था के प्रश्न पर खड़ा होता हूं । (व्यवधान)

सभापति महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है आप उठाइये ।

श्री के० गोपाल : जब सभा की कार्यवाही चल रही हो तब अध्यक्षपीठ को चाहिए कि प्रक्रिया नियमों तथा अन्य मामलों में सचिव लोक सभा ही परामर्श दे सकता है । परन्तु यहां एक मन्त्री महोदय आपके पास तक आये और उन्होंने परामर्श दिया । मैं यह जानना चाहता हूं कि सदन की कार्यवाही के मामले में आपको उनके द्वारा परामर्श दिये जाने का औचित्य क्या है । इस पर आपको व्यवस्था देनी चाहिये । क्या आप उनकी बात मानेंगे ।

श्री कंवरलाल गुप्ता : कहीं कोई भ्रम प्रतीत होता है । (**व्यवधान**) मेरे विचार से से आपको अभिव्यक्ति तथा मतदान का अधिकार देना चाहिये । हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है । आप इसे स्वीकार करने पर विचार करें । (**व्यवधान**) ।

सभापति महोदय : क्या आप सब अपना स्थान ग्रहण करेंगे । जहां तक श्री के गोपाल द्वारा व्यवस्था का प्रश्न उठाने की बात है, उनकी बात ठीक है क्योंकि नियमानुसार सचिव ही आवश्यक परामर्श देगा अर्थात् मार्ग निर्देशन करेगा। सचिव के परामर्श पर मैं श्री के० गोपाल के कटौती प्रस्ताव संख्या 139 को अनुमति दे रहा हूं ।

श्री बीजू पटनायक : उन्होंने कटौती प्रस्ताव संख्या 337 के बारे में कहा है ।

सभापति महोदय : क्या आप मेरी बात सुनेंगे ? प्रश्न यह है :

"कि कोयला और लिगनाइट शीर्षक के अन्तर्गत मांग को घटाकर एक रुपया कर दिया जाय ।

139. विभिन्न उद्योगों को कोयले का वितरण करने के लिए एक समुचित नीति का निर्धारण करने में असफलता ।

जो सदस्य पक्ष में हों वे हां कहेंगे ।

कुछ माननीय सदस्य : "हां"

सभापति महोदय : जो विपक्ष में हों वे "नहीं" कहेंगे ।

अनेक सदस्य : "नहीं" ।

सभापति महोदय : प्रस्ताव विपक्ष के समर्थन में है ।

कुछ माननीय सदस्य : पक्ष वालों के समर्थन में है ।

सभापति महोदय : ठीक है मत विभाजन होगा ।

लॉबी पहले ही खाली हो चुकी हैं । इसलिए खोले नहीं गये हैं ।

(व्यवधान)

लोक सभा में मत विभाजन हुआ :

श्री वयालार रवि : लाबी खाली नहीं हुई हैं ।

सभापति महोदय : लॉबी खाली हो गयी हैं ।

श्री के० गोपाल : जी नहीं ।

सभापति महोदय : मांगों पर मत विभाजन के लिये मैंने लॉबी (खाली करायी थीं)

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : लॉबी अब खाली हुयी हैं ।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : उतेजित होने की आवश्यकता नहीं है । कृपया समझने का प्रयत्न करें । जब मांगों पर मत विभाजन के लिए मैंने लॉबी खाली कराने के लिये कहा था उसके पश्चात से द्वार नहीं खोले गये हैं । यदि आप चाहते हैं कि लॉबी फिर से खाली करायी जाय तो इन्हें खाली कराया जायेगा । कृपया लॉबी खाली करायें ।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : लॉबी खाली हो गई हैं । मैं कटौती प्रस्ताव संख्या 139 सभा में मतदान के लिये रख रही हूं ।

प्रश्न यह है :

"कि कोयला और लिगनाइट शीर्षक के अन्तर्गत मांग को घटा कर 1 रुपया करा दिया जाये ।"

(विभिन्न उद्योगों को कोयले का वितरण करने के लिये एक समुचित नीति का निर्धारण करने में असफलता ।)

लोकसभा में मत विभाजन हुआ ।

पक्ष में

कृष्णन, श्रीमती पार्वती
कामाक्षैया, श्री डी०
किस्कू, श्री जदुनाथ
कोडियन, श्री पी० के०

गोडे, श्री संतोष राव
चटर्जी, श्री सोमनाथ
चन्द्रप्पन, श्री सी० के०
टिर्की, श्री पायस
डामोर, श्री सोमजी भाई
दास, श्री रेणुपद
देसाई, श्री दाजीबा
देव, श्री वी० किशोर चन्द्र
नायक, श्री एस० एच०
नायर, श्री बी० के०
नायडू, श्री पी० राजगोपाल
पटनायक, श्री सिवाजी
पाटिल श्री विजय कुमार
बसु श्री धीरेन्द्र नाथ
रवि, श्री वयालार
राचैया, श्री वी०
राजन, श्री के० ए०
राममूर्ति, श्री के०
राय, श्री के० ए०
राव, श्री जी० मल्लिकार्जुन
लक्ष्मीनारायण, श्री एम० आर०
वेंकटरामन, श्री आर०
शंकरानंद, श्री बी०
शायजा, श्रीमती शनो एम०
साहा, श्री ए० के०
स्टीफन, श्री सी० एम०
हाल्दर, श्री कृष्ण चन्द्र

विपक्ष में :

अंसारी, श्री फकीर अली
अमीन, प्रो० आर० के०
उग्रसेन, श्री
उरांव, श्री लालू

कपूर, श्री लखन लाल
कृष्ण कांत, श्री
कुरील, श्री आर० एल०
खां, श्री गुलाम मोहम्मद
खां, श्री महमूद हसन
गुप्त, श्री कंवर लाल
घोषाल, श्री सुधीर
चक्रवर्ती, प्रो० दिलीप
चतुर्वेदी, श्री शंभुनाथ
चौहान , श्री भारत सिंह
जसरोटिया, श्री बलदेव सिंह
जैन, श्री कचरुलाल हेमराज
ढिल्लों, श्री इकबाल सिंह
तिवारी, श्री द्वारिका नाथ
तिवारी, श्री बृजभूषण
तिवारी, श्री मदन
दास, श्री श्याम सुन्दर
देशमुख, श्री राम प्रसाद
धुर्वे, श्री श्याम लाल
नायक, श्री लक्ष्मीनारायण
पटेल श्री धर्मसिंह भाई
परमार, श्री नटवर लाल
पिपिल, श्री मोहन लाल

प्रधान, श्री अमर नाथ
फर्नान्डीज, श्री जार्ज
फिरंगी प्रसाद, श्री
बलदेव, प्रकाश डा०
बल, श्री प्रद्युमन किशोर
बालक राम, श्री

बृजराज सिंह, श्री
भंवर, श्री भागीरथ
मंडल, श्री धनिक लाल
महाला, श्री के० एल०
माथुर, श्री जगदीश प्रसाद
मानकर, श्री लक्ष्मी राव
मिर्जा, श्री सैयद कासिम अली
मिश्र, श्री जनेश्वर
मुण्डा, श्री गोबिन्द
मैती, श्रीमती आभा
मोहिन्दर सिंह, श्री
राघवजी, श्री
राघवेन्द्र सिंह, श्री
राजदा, श्री रत्न सिंह
राम किंकर, श्री
राम किशन, श्री
रामचन्द्रन, श्री पी०
रामजी सिंह, डा०
रामधन, श्री
रमापति सिंह, श्री
राय, श्री शिवराम
वर्मा, श्री फूल चन्द
वर्मा, श्री रघुनाथसिंह
शास्त्री, श्री रामधारी
शिव नारायण, श्री
शुक्ल, श्री चिमन भाई एच०
शुक्ल, श्री मदन लाल
सैयद लियाकत हुसैन,
सरकार, श्री शक्ति कुमार
सारण, श्री दौलतराम
सरसूनिया, श्री शिव नारायण
साय, श्री लारंग
साय, श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव

सामन्त सिंहेरा, श्री पदमाचरण

सिंघा, श्री सचिन्द्र लाल

सिन्हा, श्री पूर्ण नारायण

सुखेन्द्र सिंह, श्री

सूरज भान, श्री

सोमानी, श्री रूप लाल

छेत्री, श्री छत्र बहादुर,

निम्नलिखित सदस्यों ने भी अपना मत रिकार्ड कराया है :

पक्ष में

श्री के० गोपाल

श्री पी० शिवशंकर

विपक्ष में

श्री नरेन्द्र सिंह

श्री छवि राम अर्गल

श्री मंगल देव

श्री वाई० पी० शास्त्री

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

सभापति महोदय : अब मैं भाग संख्या 28 से 30 मतदान के लिये रखती हूं :—

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं एक व्यवस्था के प्रश्न पर खड़ा होता हूं।

सभापति महोदय : मत विभाजन के समय कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता।

श्री सोमनाथ चटर्जी : कृपया मुझे बोलने की अनुमति दी जाये। आपने एक विचार व्यक्त किया कि जिन सदस्यों को बोलने की अनुमति नहीं दी गई वे विचलित हैं और इसी कारण यह कुछ बातें हुई हैं। यह विचार अच्छा नहीं है क्योंकि यहां हम लोगों के हित के लिए कार्यक्रम आये हैं।

सभापति महोदय : यह एक व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। अब मैं मांग मतदान के लिये रखती हूं। लॉबी खाली हो गई है।

श्री सोमगाथ चटर्जी : व्यवस्था के प्रश्न पर आपका क्या निर्णय है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। आप किस नियम के अन्तर्गत व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं। लाबी खाली हो गयी हैं अब मैं मांग संख्या 28 से 30 मत दान के लिये रखता हूं।

(व्यवधान)

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। मैं मांग संख्या 28 से 30 मत दान के लिये रखता हूं।

प्रश्न यह है,

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई ऊर्जा मंत्रालय सम्बन्धी मांग संख्या 28 से 30 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 3 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजीलेखा राशियों से अनधिक राशियां ऊर्जा मन्त्रालय की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं।

मांग सं०	मांग का नाम	सदन की स्वीकृति के लिये पेश की जाने वाली अनुदान की मांग की रकम	
1	2	3	4
	ऊर्जा मंत्रालय	राजस्व रुपये	रुपये
28.	ऊर्जा मन्त्रालय	8,80,000.	..
29.	विद्युत् विकास .		36,24,00,000
30.	कोयला और लिग्नाइट . .	..	31,31,00,000

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।

पक्ष में :

1. प्रो० आर० के० अमीन
2. श्री फकीर अली अंसारी
3. श्री छबिराम अर्गल
4. श्री प्रद्युमन बल
5. श्री बालक राम
6. डा० बलदेव प्रकाश
7. श्री भागीरथ भंवर
8. श्री ब्रज राज सिंह
9. प्रो० दिलीप चक्रवर्ती
10. श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी
11. श्री छत्रबहादुर छेतरी
12. श्री एस० एस० दास

*13. श्री दाजीभा देसाई
14. श्री श्याम लाल ध्रुवे
15. श्री जार्ज फर्नांडीज
16. श्री सुधीर घोषाल
17. श्री कंवर लाल गुप्त
18. कचरु लाल हेमराज
19. श्री अनन्तराम जायसवाल
20. श्री एल० एल० कपूर
21. श्री गुलाम मोहम्मद खां
22. श्री कुंवर महमूद अली
23. श्री कृष्ण कांत
*24. श्रीमती पार्वती कृष्णन
25. श्री आर० एल० कुरील
26. श्री सैयद लियाकत हुसैन
27. श्री के० एल० मयाब्रा
28. श्रीमती आभा मैती
29. श्री मंगल देव
30. श्री लक्षमण राव मानकर
31. श्री जगदीश प्रसाद माथुर
32. श्री सैयद कासिम अली मिर्जा
33. श्री जनेश्वर मिश्र
34. श्री महेन्द्र सिंह
35. श्री गोविन्द मुडा
36. श्री नरेन्द्र सिंह
37. श्री लक्ष्मी नारायण नायक
38. श्री लालू उरांव
39. श्री नटवर लाल बी० परमार
40. श्री धर्मसिंह भाई पटेल
41. श्री फिरंगी प्रसाद
42. श्री मोहन लाल पिपिल
43. श्री राघवेन्द्र सिंह
44. श्री राघव जी
45. श्री रतन सिंह राजदा
46. श्री रामदेव सिंह
47. श्री राम धन
48. श्री राम किंकर
49. श्री राम किशन
50. श्री पी० रामा चन्द्रन

*पक्ष में गलती से मत दिया ।

51. श्री रामा पति सिंह
52. डा0 रामजी सिंह
53. श्री लारंग साई
54. श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव साई
55. श्री पदमचरण सामत सिंघेरा
56. श्री दौलत राम सारन
57. श्री एस० के० सरकार
58. श्री शिव नारायण सरसूनिया
59. श्री राम धारी शास्त्री
60. श्री वी० पी० शास्त्री
61. श्री शिव नारायण
62. श्री चिमन भाई एच० शुक्ल
63. श्री मदन लाल शुक्ल
64. श्री सचिन्द्र लाल सिन्हा
65. श्री पूर्ण नारायण सिंहा
66. श्री रूप लाल सोमानी
67. श्री सुखेन्द्र सिंह
68. श्री सूरज भान
69. श्री ब्रज भूषण तिवारी
70. श्री डी० एन० तिवारी
71. श्री मदन तिवारी
72. श्री फूल चन्द वर्मा
73. श्री रघुनाथ सिंह वर्मा

विपक्ष में :—

1. श्री धीरेन्द्र नाथ बसु
2. श्री सी० के० चन्द्रप्पन
3. श्री सोमनाथ चटर्जी
**4. श्री बेगाराम चौहान
**5. श्री भारत सिंह चौहान
6. श्री सोमजीभाई डामोर
7. श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव
*8. श्री राम प्रसाद देशमुख
9. श्री संतोष राव गौडे
10. श्री तरुण गोगोई
11. श्री के० गोपाल
12. श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर
13. श्री राम चन्द्रन कडनापल्ली

14. श्री पी० के० कोडियन
15. श्री एन० आर० लक्ष्मीनारायणन
16. श्री कुसुम कृष्णमूर्ति
17. श्री पी० राजगोपाल नायडु
18. श्री एस० एच० नायडू
19. श्री बी० के० नायर
20. श्री विजयकुमार एन० पाटिल
21. श्री शिवाजी पटनायक
**22. श्री गणनाथ प्रधान
23. श्री बी० राचैया
24. श्री शिवराम राय
25. श्री के० ए० राजन
26. श्री के० रामामूर्ति
27. श्री जी० माल्लिकार्जुनरवि
28. श्री ए० के० राम
29. श्री बी० शंकरा नन्द
30. श्री सी० एम० स्टीफन
31. श्री के० सूर्य नारायण
32. श्री आर० वेकटारमन

**विपक्ष में गलती से मत दिया।

अध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्यधीन मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है :

पक्ष में : 73

विपक्ष में : 32

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

निम्नलिखित सदस्यों ने भी अपना मत रिकार्ड कराया :

पक्ष में :

श्री धनिक लाल मंडल
श्री इकबाल सिंह ढिल्लों
श्री बी० पी० मंडल
श्री उग्रसेन
श्री शिव राम राय
श्री भारत सिंह चौहान
श्री बेगाराम चौहान

श्री गणनाथ प्रधान
श्री राम प्रसाद देशमुख

विपक्ष में

श्री वयालार रवि
श्री पी० वी० नरसिंह राव
श्री पी० शिवशंकर
श्री दाजीब देसाई
श्रीमती पार्वती कृष्णन

सभापति महोदय : अब सदन में उद्योग मंत्रायलय की मांगों पर चर्चा होगी जिसके लिए आधे घन्टे का समय आवंटित किया गया है.....

(**व्यवधान**)

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं एक व्यवस्था के प्रश्न पर खड़ा होता हूं (**व्यवधान**)

प्रो० पी० जी० मावलंकर (गांधीनगर) : मेरा एक व्यवस्था का **प्रश्न** है --

सभापति महोदय : जब सदन के समक्ष कोई कार्य नहीं है तब व्यवस्था का प्रश्न कैसे उठ सकता है। व्यवस्था का प्रश्न आने वाले सभापति द्वारा लिया जायेगा।

प्रो० पी० जी० मावलंकर (गांधीनगर) : हम आने वाले सभापति तक प्रतीक्षा नहीं कर सकते। मैं एक व्यवस्था के प्रश्न पर खड़ा होता हूं और मेरा अनुरोध है कि आप नियम संख्या 376(I) और 380 देखें। मैं इन नियमों को आप के तथा सदन के लाभार्थ पढ़ता हूं। नियम 376(I) में बताया गया है :

"औचित्य प्रश्न इन नियमों के या संविधान के ऐसे अनुच्छेदों के, जिनसे सभा का कार्य विनियमित होता है, निर्वयन या प्रवर्तन के सम्बन्ध में होगा और उसके द्वारा ऐसा प्रश्न उठाया जाएगा जो अध्यक्ष के संज्ञान में हो "

नियम 380 में बताया गया है :

"यदि अध्यक्ष की यह राय हो कि वाद-विवाद में कोई ऐसा शब्द था ऐसे शब्द प्रयुक्त किए गए हैं जो मानता निकारक या अशिष्ट, या असंसदीय या अभद्र हैं तो वह, स्वविवेक से, आदेश दे सकेगा कि ऐसा शब्द या ऐसे शब्द सभा की कार्यवाही में से निकाल दिए जाएं"

सभापति महोदय : यदि किसी समय ऐसे शब्द प्रयोग किए गए हैं, तो निश्चय ही उन्ह निकाल दिया जाएगा। उनका कोई प्रश्न नही हैं : मामले पर विचार किया जाएगा और यदि कोई ऐसी बात है जिस पर किसी को आपभि है और जो अभद्र है तो उसे निकाल दिया जाएगा।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : मैं अपना व्यवस्था का प्रश्न बनाता हूं । मैं दो नियमों के संगत उद्धरण पहले ही पढ़ चका हूं जिनके आधार पर में अपना व्यवस्था का प्रश्न बना रहा हूं । मैं नियम 376(1) और 380 उद्धृत कर चुका हूं। मैं इन्हें फिर से इसलिए नहीं पढ़ना चाहता क्योंकि मैं जानता हूं कि आप इन नियमों से परिचित हैं । अब बात यह उठती है कि ऊर्जा मंत्रालय की मांगों पर चर्चा के समय, उस समय अध्यक्षपीठ ने ऐसे विचार व्यक्त किए वे नियम 376 और 380 का उल्लंघन करते हैं और वे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित हुए हैं । मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता, मेरा अनुरोध है कि उस समय अध्यक्षपीठ ने जो विचार व्यक्त किए वे यदि अभद्र नहीं तो असंसदीय और गरिमा रहित हैं, उन्हें कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया जाना चाहिए।

दूसरे और अन्त में, यदि आप नियम 376(1) पढ़ें तो हम में से कुछ ने जैसा कि आज मझे भी करने का अवसर मिला, गणपूर्ति का प्रश्न उठाया नियम 376 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इस सभा की कार्यवाही संविधान के सिद्धांतों और अनुच्छेदों के अनुरूप होनी चाहिए । भारत के संविधान में कहा गया है कि सभा की गणपूर्ति सभा की कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग होगी। कुल सदस्य संख्या 544 है अतः गणपूर्ति 54 होगी। संख्या गिनने के पश्चात् जो 54 से बहुत कम थी, यदि मैंने और मेरे कुछ माननीय साथियों ने गणपूर्ति का प्रश्न उठाया वह हमारे क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत था। केवल इतना ही नहीं, हमने इस सभा में आकर संविधान के प्रति निष्ठावान रहने की शपथ ली है। तब, यदि हमने बार बार गणपूर्ति की मांग की है तो वह उचित मांग की है और मुझे खेद है कि अध्यक्षपीठ ने यह विचार व्यक्त किया कि हमारी यह कार्यवाही गतिरोध है। मुझे इस शब्द 'गतिरोध' से बड़ा असंतोष है और मेरा सुझाव है कि यह गतिरोध' शब्द कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया जाना चाहिए क्योंकि हम गतिरोध पैदा करने का प्रयत्न नहीं कर रहे थे अपितु इस सदन की संवैधानिक आवश्यकताओं के अनरूप कार्यवाही करने की मांग कर रहे थे। अतः ये शब्द कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिए जाने चाहिएं।

श्री सोमनाथ चटर्जी:-- सभापति महोदया, दिन में जो घटना हुई वह यह है कि जब कुछ सदस्य, जिनके नाम अध्यक्ष द्वारा पुकारे जाने थे, अनुपस्थित थे, मैंने अपना नाम बोलने के लिए अध्यक्ष महोदय के पास भेजा था और उनसे अनुरोध किया था कि वह मुझे थोड़ा सा समय बोलने के लिए दें। उस समय कुछ सदस्य उपस्थित थे और अध्यक्ष महोदय से यह अनुरोध किया गया कि वह मुझे तथा एक दो सदस्यों को और थोड़ा समय बोलने के लिए दें । इसके पश्चात् हमें बोलने की अनुमति नहीं दी गई और मंत्री महोदय को बोलने की अनुमति दी गई ।

सभापति महोदय : व्यवस्था के प्रश्न से यह कहां तक सम्बद्ध है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मेरी समझ में नहीं आता आज इसमें खराबी क्या है।

सभापति महोदय : खराबी कुछ नहीं हो सकती ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : इसके पश्चात् कुछ सदस्य सभा से बाहर चले गए । बहुत से अन्य सदस्य भी अन्य अवसरों पर गणपूर्ति की मांग करते हैं । मैं श्री मावलंकर द्वारा उठाए गए व्यवस्था के प्रश्न का समर्थन कर रहा हूं। परन्तु सभापति महोदय ने आगे

विचार व्यक्त किया कि जिन सदस्यों को बोलने की अनुमति नहीं दी जाती वे विचलित हो जाते हैं जैसा कि यह मेरा अथवा किसी अन्य माननीय सदस्य का व्यक्तिगत मामला हो। हम ये प्रश्न अथवा व्यवस्था के प्रश्न इस सदन के सदस्यों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए उठा रहे थे। अतः मेरे विचार से ऐसी टिप्पणी अभद्र और असंसदीय तथा सदन के सदस्यों पर आक्षेप है। अतः मैं अनुरोध करता हूं कि नियम 380 को 376 तथा 356 के साथ पढ़ते हुए उस भाग को कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : आपने उस अभिव्यक्ति को उद्धृत किया है। वह भी कार्यवाही वृतान्त में जानी चाहिए अथवा नहीं ? मैं इस बारे में स्पष्टीकरण चाहते हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : जो मैंने कहा है उसे रहने दिया जाए परन्तु जो अध्यक्षपीठ ने कहा है उसे निकाल दिया जाना चाहिए। अध्यक्षपीठ ने ऐसे शब्द प्रयोग किए हैं जो अनुचित हैं। सभापति महोदय के शब्द कार्यवाही वृतांत से निकाल दिए जाने चाहिएं और जो मैंने कहा है वह कार्यवाही वृतांत में जाना चाहिए ताकि सदन को आगे आने वाली पीढ़ी को यह पता चल सके कि इस सदन के सदस्यों के प्रति कैसे शब्दों का प्रयोग किया गया।

श्री के० गोपाल : (मरूर) : आज एक अभूतपूर्व स्थिति पैदा हो गई है। जब मांगों पर चर्चा होती है तो अध्यक्षपीठ जो सदस्य अपने कटौती प्रस्ताव देना चाहते हैं 15 मिनट में पर्ची भेजने के लिए कहते हैं। चर्चा के पश्चात्, कोई सदस्य अपने प्रस्ताव पर मत विभाजन के लिए जोर दे सकता है। यदि किसी कटौती प्रस्ताव पर इस प्रकार का बल नहीं दिया जाता तो सभी कटौती प्रस्ताव एक साथ रख दिए जाते हैं। आज शोरशराबे में मांग मतदान के लिए रखी गयीं और स्वीकार कर ली गईं क्योंकि सत्तारूढ़ दल के सदस्यों ने पक्ष में मत दिए। इसके पश्चात श्री राजन का कटौती प्रस्ताव संख्या 139 लिया गया। मांगों के स्वीकृत हो जाने पर कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया। मैंने आपत्ति उठायी। यह बहुत ही अनियमित है। मांग स्वीकृत हो जाने के पश्चात् कटौती प्रस्ताव किस प्रकार मतदान के लिए रखा जा सकता है। अतः उन्होंने मांगों को को फिर से मतदान के लिए रखा। दूसरे शब्दों में मांगों पर दो बार मतदान हुआ।

सभापति महोदय : यदि आवश्यकता होगी तो पहले मतदान को कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया जाएगा।

श्री के गोपाल : हम यह जानना चाहते हैं कि क्या दुगनी राशि दी जाएगी।

सभापति महोदय : पहले उन पर पूरी तरह मतदान नहीं हुआ था।

श्री के० गोपाल : आप रिकार्ड देखिए।

सभापति महोदय : ठीक है, मैं रिकार्ड देखूंगी।

श्री वयालार रवि : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

सभापति महोदय : क्या मत भी उसी विषय पर है ?

श्री वयालार रवि : नहीं यह एक भिन्न पहलू पर है।

सभापति महोदय : पहले मुझे आप इस व्यवस्था के प्रश्न के निपटने दीजिए । पांच पांच व्यवस्था के प्रश्न एक साथ नहीं लिये जा सकते।

जहां तक प्रो० मावलंकर के व्यवस्था के प्रश्न का सम्बन्ध है, मेरा विचार है कि यह दुर्भाग्य की बात है कि गतिरोध शब्द का प्रयोग किया गया। मैं कार्यवाही देखूंगी, और यदि ऐसा है तो उसे ठीक कर दिया जाएगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी ने जो प्रश्न उठाया है, मैं कार्यवाही देखूंगी क्योंकि मैं उस समय यहां नहीं थी।

श्री सी० एम० स्टीफन : "मैं" से क्या तात्पर्य है ?

सभापति महोदय : अध्यक्षपीठ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यदि ऐसा हो ?

सभापति महोदय : उपयक्त कार्यवाही की जायेगी।

श्री के० गोपाल : मेरे प्रश्न का क्या हुआ ?

सभापति महोदय : आप कहते हैं कि यह रिकार्ड में है, मुझे बताया गया है कि रिकार्ड में ऐसा नहीं है। मैं इसे देखूंगी और उचित कार्यवाही की जायेगी।

श्री बी० पी० मंडल (मधेपुरम) : आप रिकार्ड कब देखेंगी ? हम उस समय के बारे में जानना चाहते हैं ····रिकार्ड आप अभी देख सकती हैं।

सभापति महोदय : इस समय नहीं। यह लिपिबद्ध होना है। इसमें तकनीकी कठिनाई है। मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं जो मत जानता हो कि लोग किस गति से टाइप आदि करेंगे।

श्री वयालार रवि : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जब कोई सदस्य गणपूर्ति की मांग करता है तो और घंटी बजाई जाती है, तथा फिर से बजाई जाती है और फिर भी यदि गणपूर्ति नहीं होती तो यह प्रक्रिया अपनाई जाती है कि सभा कुछ समय के लिये स्थगित कर दी जाती है परन्तु यह प्रक्रिया नहीं अपनाई गई।

सभापति महोदय : इसमें व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

श्री वयालार रवि : मैं चाहता हूं कि यह बात कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित की जाये कि गणपूर्ति के लिये तीन बार घन्टी बजाई गई।

सभापति महोदय : आप कार्यवाही वृत्तांत में अपना नाम सम्मिलित करना चाहते हैं।

श्री दयालार रवि : मैं इस मामले पर अध्यक्ष महोदय से बात करूंगा। अध्यक्ष महोदय को हम सभी के लाभार्थ अपनी व्यवस्था देनी चाहिये। यदि गणपूर्ति नहीं है तो सभा स्थगित होनी चाहिए। दुर्भाग्यवश, गणपूर्ति के बिना ही अध्यक्षपीठ ने चर्चा होने दी। यह बहुत ही असंवैधानिक है।

सभापति महोदय : आपके विचार कार्यवाही वृत्तांत में आ चुके हैं। अब आप अपना स्थान ग्रहण करें।

उद्योग मंत्रालय

सभापति महोदय : अब सदन में उद्योग मंत्रालय की मांग संख्या 58 से 61 के बारे में चर्चा होगी और इसके लिए 8 घन्टे का समय निर्धारित किया गया है।

उद्योग मंत्रालय के सम्बन्ध में निम्नलिखित मागें प्रस्तुत की गईं :

मांग संख्या	शीर्षक	राजस्व	राशि पूंजी
		रुपये	रुपये
	उद्योग मंत्रालय		
58.	उद्योग मंत्रालय	68,17,000	
59.	उद्योग	3,54,33,000	42,42,80,000
60.	ग्रामोद्योग और लघु उद्योग	15,06,18,000	17,38,99,000
61.	वस्त्र, हथकरघा तथा हस्तशिल्प	20,93,02,000	9,31,57,000

माननीय सदस्य, अनुदानों की मांगों पर जिनके कटौती प्रस्ताव परिचालित किए गए हैं, यदि चाहें तो अपने प्रस्ताव पेश कर सकते हैं और 15 मिनट के अन्दर अध्यक्षपीठ को पर्ची भेज सकते हैं जिसमें उनके कटौती प्रस्ताव, जिसे वे पेश करना चाहते हैं, दर्शायी गई हो। वर्ना कटौती प्रस्ताव पेश किए माने जाएंगे।

श्री आर० वेंकटारमण (मद्रास दक्षिण) : सभापति महोदय, इधर उधर की चर्चा के बाद अब हम देश की अर्थव्यवस्था के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलु पर अपना ध्यान केन्द्रित करेंगे। 15-20 मिनट के थोड़े से समय में हथ करघा से लेकर भारी उद्योगों तक के व्यापक क्षेत्र पर विचार व्यक्त करना संभव नहीं हो पायेगा। फिर भी, मैं कुछ मुद्दे उठाने की कोशिश करूंगा जिन पर देश में उद्योगों के राष्ट्रीय विकास को बनाए रखने के लिए नीति निर्णय आवश्यक हैं।

राष्ट्रमंडलीय उद्योग मंत्री सम्मेलन में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि भारत आज विश्व के 10 औद्योगिक देशों में से एक है। मैंने आंकड़े देखे और यह पाया कि गत वर्ष 1977 के लिए अमरीका के आंकड़ों के बारे में है और इसका श्रेय 1977 से पहले विद्यमान सरकार को जाना चाहिए। गत दो वर्षों में जो प्रगति हुई है उसके बारे में मुझे संदेह है, भय है कि जब अगले आंकड़े प्रकाशित होंगे तो हम उन 10 देशों में नहीं रहेंगे जिसकी हम शेखी बघारते हैं।

गत वर्ष जब इस विषय पर चर्चा हुई थी मैं उपस्थित नहीं था अत: जानकारी प्राप्त करने के विचार से मैंने मंत्री महोदय का व्यापक उत्तर पढ़ा था। उनके मंत्रालय के बारे

में जो भी आलोचना हुई अपने भाषण में कम से कम 12 बार उन्होंने इसके लिए कांग्रेस के कुशासन को दोषी ठहराया । इसी कारण मुझे वर्ष 1977-78 के दौरान, जनता शासन का प्रथम वर्ष, उनके मंत्रालय के कार्यकरण के बारे में अध्ययन करने की प्रेरणा मिली और इस कार्य करण को मैंने पहली सरकार के अन्तिम वर्ष और इसी मंत्रालय के वर्ष 1976-77 के कार्यकरण से तुलना की । मेरे विचार से यह तुलना ठीक है क्योंकि 31 मार्च, 1977 को जिस मंत्री ने कार्यभार छोड़ा वही औद्योगिक संगठन अप्रैल 1977 में नए मंत्री महोदय को मिला और यदि उस संगठन ने कोई विकास किया है तो नए मंत्रालय को उसे कम से कम कायम रखना चाहिए यदि यह कार्य निष्पादन में और सुधार नहीं कर सकता । इस बात के उत्तर में उद्योग मंत्री ने गत वर्ष कहा था कि गत 30 वर्षों में औसत विकास दर 4 प्रतिशत रही है। मेरे विचार से यह विवेकहीन उत्तर है क्योंकि जब नए प्रबन्ध को कुछ परिसम्पत्तियां सौंपी जाती हैं और, यदि वही परिसम्पत्तियां पहले वर्ष में 10 प्रतिशत विकास दर उपलब्ध करती हैं और नए प्रबन्ध के अधीन 6 प्रतिशत तब दोनों प्रबन्धों की तुलनात्मक कुशलता स्पष्ट हो जाती है ।

भारी उद्योग मंत्रालय के अधीन आने वाले सरकारी उद्योमों को लीजिए । बी० एच० ई० एल०, एच० एम० टी०, एम० ई० सी० आदि सहित 16 उद्योग हैं । वर्ष 1975-76 में हमने वर्ष 1974-75 की तुलना में 32 प्रतिशत विकास दर प्राप्त की । हम इसे छोड़ते हैं । वर्ष 1976-77 में वर्ष 1975-76 की तुलना में विकास दर 10 प्रतिशत थी। वर्ष 1977-78 में विकास दर 6 प्रतिशत रह गई । जनता सरकार के शासन के पहले वर्ष में यह विकास दर पहले वर्ष की तुलना में 6 प्रतिशत रह गई ।

वर्ष 1976-77 में मंत्रालय के अधीन में उद्योगों के समग्र लाभ को देखें तो पता चलता है कि वर्ष 1976-77 में लाभ 61.16 करोड़ रुपए था और जनता शासन के पहले वर्ष, 1977-78 में 10 करोड़ रुपए का घाटा था । 61.16 करोड़ रुपए की राशि के लाभ के विरुद्ध जनता सरकार के प्रबन्ध के प्रथम वर्ष में 10 करोड़ रुपए की राशि का घाटा हुआ । इस श्रेणी में आनेवाले 16 उद्योगों में से 11 उद्यागों को घाटा हुआ जबकि पहले वर्ष में केवल 7 उद्योगों को घाटा था । यदि उत्पादन मूल्य देखें तो पता चलता है कि भारत हैवी प्लेटस एण्ड वैसल्स ने वर्ष 1976-77 में 29.56 करोड़ रुपए की राशि के माल का उपादन किया इसने वर्ष 1977-78 में 25.46 करोड़ रुपए की राशि के माल का उत्पादन किया जो 14 प्रतिशत कम है । एच० ई० सी० के मामले में इसका उत्पादन 86.13 करोड़ रुपए से घटकर 39.44 करोड़ रुपए का रह गया । 54 प्रतिशत की कमी आई । एम० ए० एम० सी० के मामले में उत्पादन 34.01 करोड़ रुपए से घटकर 19.7 करोड़ रुपए रह गया, 43 प्रतिशत की कमी आई । स्कूटर्स इन्डिया के मामले में उत्पादन 10.85 करोड़ रुपए से घटकर 8.84 करोड़ रुपए रह गया, 19 प्रतिशत की कमी आई । बहुत थोड़े से उद्योगों के अच्छा कार्य किया है । बी० एच० ई० एल०, भारत पम्पस एण्ड कांप्रेसर्स तथा तुंगभद्रा स्टील के मामले में सुधार हुआ है । यदि औसत निष्पादन देखा जाए तो वर्ष 1976-77 की 10 प्रतिशत विकास दर वर्ष 1977-78 में घटकर 6 प्रतिशत रह गई । इन तथ्यों के सामने कांग्रेस शासन के 30 वर्षों के शासन को कुशासन नहीं कहा जा सकता क्योंकि जनता शानस के पहले ही वर्ष में निष्पादन बहुत खराब रहा है ।

केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक और वाणिज्यिक उपक्रमों के कार्यकरण पर सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो द्वारा प्रकाशित वार्षिक प्रतिवेदन के अनुसार हैवी इंजीनियरिंग के अधीन पूंजीगत माल के लेखों के विश्लेषण से पता चलता है कि वर्ष 1976-77 में 26.13 करोड़ रुपए की राशि के ब्याज और करों का भुगतान करने के बाद भी इसने लाभ कमाया है और जनता शासन के प्रथम वर्ष में 43.72 करोड़ रुपए की राशि का घाटा हुआ है। मैं और भी आंकड़े दे सकता हूं।

अब मैं कुछ प्रमुख बातों का उल्लेख करूंगा। जहां तक उद्योग मंत्रालय के अधीन उद्योगों का प्रश्न है, स्थिति भिन्न नहीं है। एन० आई० डी० सी०, जिसने वर्ष 1976-77 में 6.75 लाख रुपए की राशि का लाभ कमाया, को 43.55 लाख रुपये की राशि का घाटा हुआ। एन० एस० आई० सी० जिने 72 लाख रुपये का घाटा था यह घाटा बढ़कर 91 लाख हो गया। हिन्दुस्तान साल्ट को, जिसे थोड़ा सा अर्थात 0.17 लाख रुपये की राशि का लाभ था, उसे 16.44 लाख का घाटा हुआ। मैं कागज निगम की बात नहीं करूंगा क्योंकि यह अभी बन ही रहा है। नेशनल इन्स्ट्रूमेंटस कलकत्ता का 40 लाख रुपये की राशि का घाटा बढ़कर 92 लाख हो गया। भारत ओपथैल्मिक ग्लास का घाटा 46 लाख से बढ़कर 78 लाख हो गया। चर्म तथा जूता उद्योग का घाटा 219 लाख से बढ़कर 281 लाख हो गया। इन घाटों के विपरीत कुछ उद्योगों ने लाभ कमाये हैं। इन्ट्रूमेंट्स इण्डिया लिमिटेड, कोटा का लाभ 119 लाख से बढकर 158 लाख हुआ है परन्तु मंत्री महोदय कृपया इन आंकडों की जांच करें। इनमें कोई गलती हो सकती है। प्रतिवेदन के पृष्ठ 11 पर उल्लेख किया गया है कि वर्ष 1977-78 का लाभ 297.64 लाख रुपये का परतु मैंने सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो दारा प्रकाशित लेखा जोखा जिसका लेखा परीक्षा हो चुकी है, देखा और आंकड़ों का मिलान किया तो पता चला कि आँकड़ें भिन्न भिन्न है। यह राशी 158 लाख हो गई है ये कुछ बातें हैं। मंत्री महोदय स्पष्ट स्थिति जानना चाहेंगे।

यदि हिन्दुस्तान केबिल्स का मामला लें तो पता चलता है कि इसका लाभ 207 लाख से बढ़कर 383 लाख हो गया है। अतः मैं इस बात पर बल देना चाहूंगा कि सार्वजनिक उद्यमों के निष्पादन पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो यह विश्वास करते हैं कि हमारे देश में सार्वजिनक उपक्रमों को एक भूमिका निभानी है। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि प्रत्येक मामले में इसका समर्थन किया जाए, चाहे इसे घाटा ही हो, अकार्यकुशल हो और क्षमता से कम उत्पादन करे।

अब लघु उद्योगों के निष्पादन की ओर ध्यान दीजिए। जनता सरकार यह नारा लगाती रही है कि वे लघु उद्योगों पर अधिकाधिक बल दे रहे हैं। यहां भी निष्पादन पिछली सरकार के अन्तिम वर्ष की तुलना में ठीक नहीं है। वर्ष 1976-77 में पंजीकृत किए गए 26,496 कारखानों की तुलना में वर्ष 1977-78 में राज्यों के सभी उद्योग निदेशालयों में 17314 कारखाने पंजीकृत किए गए।

आंकड़े स्वयंमेव स्थिति के परिचायक हैं जो जनता शासन के प्रथम वर्ष का निष्पादन का रिकार्ड है।

वर्ष 1978-79 के लेखे अभी तैयार नहीं हैं अतः इन पर टिपणी अगले वर्ष ही की जा सकती है। तो भी, मंत्रालय में इस वर्ष गत वर्ष की तुलना में 8 प्रतिशत विकास दर

का दावा किया है। यदि 8 प्रतिशत के इन आंकड़ों को यदि थोड़ा गहराई से देखें तो पता चलता है कि इस 8 प्रतिशत विकास दर का अधिकांश आज 13% विद्युत् उत्पादन और 30 प्रतिशत जल विद्युत् उत्पादन विकास को जाता है। इसके लिए हमें अच्छे मानसून को धन्यवाद देना चाहिए। तापीय विद्युत् के उत्पादन में कमी आई है।

इस्पात, कोयला तथा इंजीनियरिंग जैसे मूल उद्योगों में उत्पादन में कमी आ गई है और उस बारे में निश्चिन्त होने की कोई बात नहीं है।

वार्षिक प्रतिवेदन के पृष्ठ 109 पर मंत्रालय ने दावा किया है :

"पूरी तरह से उत्पादन एककों को पिछले वर्ष के दौरान कुल मिलाकर 9.7 करोड़ रु० की हानि हुई। इसकी तुलना में, यह अनुमान लगाया जाता है कि इस चालू वर्ष के दौरान उनको 28 करोड़ का लाभ होगा। एककों के कार्य को सुधारने के लिए किए जा रहे उपायों के कारण अगले वर्ष 54 करोड़ रु० का लाभ होने की संभालना है....."

इसको पढ़ने वाले सदस्यों को यह पता चलेगा कि उनमें सुधार हो रहा है। परन्तु यदि आप 1976-77 के कार्य निष्पादन से तुलना करें तो आप को पता चलेगा कि 1976-77 में 61.16 करोड़ रु० का लाभ हुआ। 1978-79 में जनता सरकार के सुधरे कार्यकरण के कारण 28 करोड़ का लाभ होगा और 1979-80 के अधिक सुधरे कार्यकरण के परिणाम स्वरूप केवल 54 करोड़ का लाभ होगा। मैं नहीं जानता कि जनता सरकार को पिछली सरकार के 1976-77 के कार्य निष्पादन की स्थिति तक पहुंचने के लिए कितना समय लगेगा।

सभापति महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि मैं कितना समय ले चुका हूं।

सभापति महोदय : आप ने 17 मिनट का समय ले लिया है।

श्री आर० वैंकटारमन : मैं नहीं जानता कि मुझे क्या करना पड़ेगा। यदि संभव हुआ तो मैं संक्षेप में बोलने का प्रयास करूंगा।

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम इस देश में उद्योगों में विविधता लाने के लिए बनाया गया था। वास्तव में हमारी आजादी के आरंभिक वर्षों में लोग केवल चीनी तथा कपड़ा मिलों जैसे परम्परागत उद्योग ही स्थापित करना चाहते थे। अतः हमने औद्यौगिक क्षेत्र को रासायनिक इंजीनियरिंग, तेल शोधन तथा अन्य उद्योगों में विविधता लाने के उद्देश्य से हमने लाइसेंस देने की प्रणाली का सहारा लिया। औद्योगिक क्षेत्र में विविधता की दृष्टि से हमने जो प्रगति की है वह वास्तव में उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के कार्यकरण की सफलता है। परन्तु इसके साथ ही दुर्भाग्य से इस अधिनियम के कार्यकरण के परिणामस्वरूप कुछ अनचाही बुराइयां भी आ गई हैं। खाद संयंत्र के विकास को बढ़ावा देती है परन्तु उसके साथ ही यह त्रुटि आदि को भी उत्पन्न करती है। इसी प्रकार इसके साथ अनेक बुराइयां पैदा हो गई हैं। एक बुराई यह है कि लाइसेंसों के माध्यम से उद्योगों के विकास को नियन्त्रित करके हमने कुछ उद्योगों को अपने हाथों में शक्ति संचित करने के योग्य बनाया है। वास्तव में हमने एक लम्बी प्रतिबन्धित उद्योगों की एक सूची तैयार की और यह कहा कि इन उद्योगों में आगे विकास की कोई संभावना नहीं होगी।

मैं 1960-1970 के प्रारंभिक वर्षों में मैं इस देश में पूंजी निवेश आमंत्रित करने के लिए विदेशों में स्थित भारत निवेश केन्द्रों की कार्य देखता था। एक अवसर पर एक अमरीकी निवेशकर्त्ता ने कहा कि "आपके देश को पूंजी निवेश की आवश्यकता नहीं है। ऐसा लगता है कि आपने स्वयं अमरीका से अधिक विकास कर लिया है।" मैं इस बात पर हैरान रह गया और पूछा "किस प्रकार"। तब उसने प्रतिबन्धित उद्योगों की सूची दिखाई और कहा "आपके देश में ये सभी उद्योग प्रतिबन्धित हैं। अमरीका में इन में से किसी पर प्रतिबन्ध नहीं है। इससे पता चलता है कि आपको इनमें से किसी उद्योग के लिए कोई आवश्यकता नहीं है।" मैं इस बात को यह दिखाने के लिए उदाहरण के रूप में पेश कर रहा हूं कि उद्योगों के विकास पर प्रतिबन्ध लगा करके आपने उद्योग विकास और विनियमन अधिनियम के उद्देश्य का दुरुपयोग किया है। यह बहुत समय से हो रहा है। 1977-78 में जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों में भी मैंने पाया है कि 108 उद्योग प्रति बन्धित सूची में रखे गए हैं। मेरा सरकार से सुझाव है कि उन उद्योगों के अतिरिक्त जिनको लघु उद्योगों के संरक्षण के उद्देश्य से विनियमित अथवा प्रतिबन्धित किया जाना है, किसी उद्योग पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाना चाहिए। अन्यथा उद्योगों का निर्बाध विकास नहीं होगा और प्रतिबन्ध और कमियों के साथ कोई भी देश समृद्ध नहीं हुआ है। प्रत्येक समृद्ध देश उत्पादित वस्तुओं की बहुलता के कारण विकास कर सका है। जहां कहीं भी विकास की संभावना है, निवेश का निर्णय उद्यमी पर छोड़ा जाना चाहिए और सरकार को उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और ऐसे निर्णय नहीं करने चाहिएं जो नितान्त रूप से घटिया हों।

सामान्य नीति के बारे में दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जनता पार्टी के मन में बड़े उद्योगों के प्रति सरकार के रवैये के बारे में बहुत भ्रांतियां हैं। सरकार ने उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के कार्यकरण को जांच करने के लिए एक उद्योगपति श्री एच० पी० नन्दा की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की थी। उस समिति ने कुछ सिफारिशें की हैं। उनका उल्लेख करने के लिए मेरे पास समय नहीं है। उस समिति की एक सिफारिश यह है कि 'कोर' क्षेत्र के उद्योगों को लाइसेंस देने की प्रथा बिल्कुल समाप्त की जानी चाहिए। दूसरी ओर हम देखते हैं कि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा पार्टी को सुझाव दिए गए हैं कि 100 करोड़ रु० से अधिक के पूंजी निवेश वाले किसी एकक को विस्तार की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। और इसलिए एक सीमा निर्धारित की जानी चाहिए। देश इस सरकार से केवल इतना जानने को उत्सुक है कि सरकार की इस बारे में क्या नीति है? दो वर्षों के पश्चात् भी यदि आप अपनी नीति नहीं निर्धारित करते, तो कोई विकास नहीं होगा और कोई उद्योग स्थापित नहीं होगा। ऐसे भी क्षेत्र हैं जिनमें आपको गैर-सरकारी उद्यम को प्रोत्साहन देना चाहिए चूंकि हमने मिली जुली अर्थव्यवस्था को स्वीकार किया है। ऐसे क्षेत्र भी हैं जिनको हमने सरकारी क्षेत्र के लिए सुरक्षित किया है और हमें इसे स्पष्ट करना चाहिए। जब तक आप देश को यह स्पष्ट नहीं करेंगे कि कौन-कौन से क्षेत्रों में गैर-सरकारी उद्यम के लिए स्थान होगा और किन किन क्षेत्रों में इसका कोई स्थान नहीं होगा और उनमें केवल सरकारी क्षेत्र को ही अनुमति होगी, मुझे डर है कि देश में अधिकाधिक कमी होती जाएगी। अब समय आ चुका है जबकि सरकार को निश्चित नीति की घोषणा करनी चाहिए।

तीसरी बात जिसका मैं उल्लेख करना चाहता हूं वह है राष्ट्रीयकरण का प्रश्न प्रधान मंत्री कहते हैं कि वे केवल राष्ट्रीयकरण के लिए ही राष्ट्रीयकरण के पक्ष में नहीं है, दूसरी ओर ऐसे मंत्री हैं जो यह कह रहे हैं कि वे हर उद्योग का राष्ट्रीयकरण करेंगे। मेरा सभा से अनुरोध है कि राष्ट्रीयकरण के बारे में सिद्धांत का प्रतिपादन प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू द्वारा किया गया है। उन्होंने कहा था : "उपलब्ध राष्ट्रीय संसाधनों का निवेश नवीनतम एवं आधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ नए उद्योगों के निर्माण में किया जाना चाहिए न कि विद्यमान एककों की खरीद में किया जाना चाहिए।" इसका कारण यह था कि यदि आप विद्यमान एकक को खरीदते हैं तो आप रोजगार में एक भी वृद्धि नहीं करेंगे, न ही देश में सामान की वृद्धि होगी। यदि आप उसी राशि का निवेश नए उद्यमों में करेंगे, तो आप अधिक वस्तुएं तथा अधिक रोजगार पैदा कर सकेंगे। अतः राष्ट्रीयकरण के बारे में मेरा सुझाव यह है कि सरकार अपनी नीति स्पष्ट करें और यह कहे कि नवीनतम आधुनिक प्रौद्योगिकी पर आधारित नए उद्योगों की स्थापना स्वयं सरकार द्वारा की जाएगी और सरकार के संसाधनों का दुरुपयोग उन वर्तमान बीमा एककों को खरीदने के अतिरिक्त, जिनका राष्ट्रीयकरण किन्हीं अन्य कारणों से अनिवार्य हो गया है, अन्य एककों को खरीदने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

मैं एक अन्य बात का भी उल्लेख करना चाहूंगा जिसके बारे में राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर विचारों में भ्रांति है। "समुचित प्रौद्योगिकी" के प्रचार पर बहुत अधिक व्यय किया जाता है। वास्तव में यह विकासशील देशों को प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निचले स्तर पर रखने के लिए और अति आधुनिक विकसित वस्तुओं के लिए भावी बाजार बनाए रखने मात्र के लिए विकसित देशों की एक चाल है। वास्तव में, यह एक नव-साम्राज्यवाद है और वे इस पर बहुत पैसा व्यय कर रहे हैं। मैं सभा का ध्यान कल "हिन्दु" में प्रकाशित हुए एक निम्नलिखित टिप्पणी की ओर दिलाना चाहता हूं :—

> "भारत के विकास की वर्तमान परिस्थितियों में (इसके लाभ तथा कमजोरियों एवं कमियों की पृष्ठभूमि में विकसित तकनीकी जानकारी और आधुनिक संयंत्रों एवं उपकरणों के आयात के बिना काम नहीं चल सकता। वास्तव में, प्रत्यक्ष रूप से प्रथकरण की प्रवृति जो कि "उपयुक्त" संकेत पर के अन्तर्गत (उस श्रेणी से समबन्ध करके जिसका समर्थन कुछ ऐसे निहित स्वार्थ काफी लम्बे समय से कर रहे है जिनका विचार है कि भारत जैसे निर्धन देश को वास्तव में द्रुत औद्योगिक विकास की आवश्यकता नहीं है) प्रौद्योगिकी के पिछड़े और अकुशल ढंग के अव्यवहार्य समर्थन में अन्तर्निहित हैं, सपेक्ष आत्मनिर्भरता की हानि के लिए भारतीय आर्थिक और प्रौद्योगिकीय क्षेत्रों को लचीला बनाने का एक निश्चित तरीका है।"

अतः यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है जिसके बारे में मेरे जैसे व्यक्ति जानकारी चाहते हैं। मैं जानता हूं कि "समुचित प्रौद्योगिकी" के सिद्धांत का प्रचार किस रुचि के साथ किया जा रहा है। वास्तव में वे एक काम यह करते हैं कि वे हमारे कुछ सिविल कर्मचारियों को अपने प्रभाव के अन्तर्गत लेते हैं। वे हमारे प्रौद्योगिकीविदों को अपने प्रभाव के अन्तर्गत लेते हैं और इस का प्रयास करते हैं कि विकासशील देशों को पिछड़ेपन के स्तर पर ही रखा जाए। अतः हमें इस बारे में बहुत सर्तक होना चाहिए और प्रौद्योगिकी के चयन

में हमें अपना निर्णय स्वयं करना चाहिए तथा हमें यह निर्णय करने के योग्य होना चाहिए कि हमारे लिए क्या उचित है तथा हमें इन लोगों द्वारा निदेशित नहीं होना चाहिए।

मैं अन्त में यह कहना चाहता हूं कि क्रोम लैदर कम्पनी आफ मद्रास काफी समय से, एक वर्ष से अधिक समय से बन्द है। मंत्री महोदय ने मुझे लिखा था कि उन्होंने तमिलनाडु सरकार को इसे अपने अधिकार में लेने तथा बैंक के माध्यम से इसे चलाने को कहा है। इस बारे में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वे सभी भूख हड़ताल पर हैं। मैंने मंत्री महोदय को पत्र लिखा है। मुझे आशा है कि वे इस पर कुछ कार्रवाई करेंगे।

उद्योग मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए गये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
58	4	श्री धीरेन्द्र नाथ बसु:	देश में उद्योगों के नियमित और समेकित विकास के लिए तथा आदानों का सावधानी से पर्यवेक्षण और प्रबन्ध कर औद्योगिक विकास के लिए सुविचारित औद्योगिक योजनाएं तैयार करने में असफलता	राशि में से 100 रु० घटा दिए जाएं
58	5.	,,	औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो, नई दिल्ली द्वारा औद्योगिक लागत के सम्बन्ध में विधिवत और नियमित रूप में परामर्श देने में असफलता।	,,
58	6.	,,	राष्ट्रीयता उत्पादक परिषद की प्रशिक्षण कार्यक्रमों, उत्पादकता सर्वेक्षणों, व्यावहारिक अनुसंधानों और सेवाओं को लागू करके उत्पादकता बढाने में असफलता।	,,
58	7.	,,	नए चुने पिछड़े क्षेत्रों में कारखाने स्थापित करने में असफलता।	,,
58	8.	,,	भारी इंजीनियरिंग निगम और अन्य भारी उद्योगों की बढी हुई क्षमता का उपयोग करने में असफलता।	,,

1	2	3	4	5
58	9.	श्री धीरेन्द्र नाथ बसु	नागालैंड, मिजोरम, असम, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी क्षेत्र के उद्योगों की स्थापना करने में असफलता ।	राशि में से 100 रु० घटा दिए जाएं
58	10.	,,	पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग में एच० एम० टी० का कारखाना स्थापित करने में असफलता ।	,,
58	46.	,,	ब्रिटेनिया इंजीनियरी कम्पनी लिमिटेड के मोकामेह कारखाने को फिर से चालू करने में असफलता ।	,,
58	47.	,,	सभी सरकारी उपक्रमों के आस्तियों और लेखों की जांच करने की आवश्यकता ।	,,
58	48.	,,	संयुक्त क्षेत्रों और सरकारी उपक्रमों जैसे स्कूटर इण्डिया लिमिटेड; भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड, भारत हैवी प्लेटस एण्ड वैसल्स लिमिटेड, जेसप एण्ड कम्पनी, ब्रेथवेट एण्ड कम्पनी लिमिटेड और भारत वैगन एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड के कार्यकरण के लिए सुविचारित योजना तैयार करने में असफलता ।	,,
60	64.	,,	ग्राम और लघु उद्योगों का विकास करने में असफलता।	राशि को कम करके 1 रु० किया जाए
60	65.	,,	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा जिलों में विशेषकर पिछड़े क्षेत्रों जैसे कटवा, मोन्टेश्वर पूर्वस्थली, बालारघाट, पांडुआ और कालना तथा आसाम के आदिवासी क्षेत्रों में अपनी सेवाओं का विस्तार करने में असफलता ।	,,

1	2	3	4	5
60	66.	श्री धीरेन्द्र नाथ बसु	भारतीय कपास निगम द्वारा समर्थन मूल्य देने और राष्ट्रीय कपड़ा निगम मिलों को ही नहीं वरन गैर-सरकारी क्षेत्र की मिलों को भी व्यापारिक आधार पर बेचने के लिए कपास खरीदने में असफलता ।	राशि को कम करके 1 रु० किया जाए ।
60	67.	,,	भारतीय कपास निगम द्वारा 1978-79 के वर्ष से कपास का संचित भण्डार रखने में असफलता ।	,,
60	69.	,,	भारत के सभी जिलों के गांव और पिछड़े क्षेत्रों में लघु और कुटीर उद्योगों की स्थापना करने में असफलता ।	राशि में से 100 रु० घटा दिए जाएं
60	70.	,,	खादी और ग्रामोद्योग आयोग के कार्यकरण में सुधार करने और पिछले ऋणों का भुगतान करने में असफलता ।	,,
60	71.	,,	लघु उद्योगों के सम्बन्ध में ऋण मंजूर करने की योजना लागू करने और राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड को और वित्तीय सहायता देने में असफलता ।	,,
60	72.	,,	औद्योगिक सहकारी समितियों की गतिविधियों को तेज करने में असफलता ।	,,
60	73.	,,	विपणन सहायता योजना द्वारा विपणन अनुसंधान और सूचना व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने और सुपर बाजार आदि जैसी विपणन की वर्तमान सुविधाओं का उपयोग करने में असफलता ।	,,

1	2	3	4	5
61	80.	श्री धीरेन्द्र नाथ बसु	राष्ट्रीय कपड़ा निगम के अन्तर्गत कपड़ा मिलों द्वारा क्षमता के अनुरूप उत्पादन करने में असफलता।	राशि को कम करके 1 रु० किया जाए ।
61	81.	,,	भारी निवेश के बावजूद राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा लगातार होने वाली अपनी हानि को कम करने में असफलता।	,,
61	82.	,,	हस्तशिल्प उद्योगों का विकास करने में असफलता।	,,
61	83.	,,	हथकरघा और शक्तिचालित करघा उद्योगों का विकास करने में असफलता।	,,
59	49.	श्री पी० राजगोपाल नायडु	बड़े औद्योगिक घरानों की वृद्धि को रोकने में असफलता।	राशि में से 100 रु० घटा दिए जाएं।
59	50.	,,	अपने–उद्योगों में बहु-राष्ट्रीय फर्मों के प्रभाव को करने में असफलता ।	,,
59	51.	,,	औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो, नई दिल्ली द्वारा किए गए काम सम्बन्धी प्रतिवेदन सभा पटल पर रखने में असफलता ।	,,
59	52.	,,	देश की बढ़ती हुई आवश्यकता के लिए पर्याप्त मात्रा में सीमेंट का उत्पादन करने में असफलता।	,,
59	53.	,,	सीमेन्ट की लागत कम करने में असफलता ।	,,
59	54.	,,	देश के लिए आवश्यक कृत्रिम अंगों का पर्याप्त संख्या में निर्माण करने में असफलता।	,,
59	55.	,,	देश के लिए आवश्यक फोटो फिल्म सामग्री का पर्याप्त मात्रा में उत्पादन करने में असफलता।	,,

1	2	3	4	5
59	56.	श्री पी० राजगोपाल नायडु	उद्योगों की स्थापना के लिए राज सहायता देने हेतु पिछड़े क्षेत्रों का उचित रूप में पता लगाने में असफलता।	राशि में से 100 रु० घटा दिए जाएं
59	57.	,,	आन्ध्र प्रदेश में नए उद्योग शुरू करने के लिए राज सहायता देने हेतु चित्तूर जिले के कुप्पम, पालमनरे और पुंगानूर तालुकों को पिछड़ा क्षेत्र घोषित करने की आवश्यकता।	,,
59	58.	,,	रायलसीमा में कोई भारी उद्योग शुरू करने में असफलता।	,,
59	59.	,,	देश में सरकारी क्षेत्र के उद्योगों की उपेक्षा।	
60	74.	,,	ग्रामीण उद्योगों का सर्वेक्षण करने और ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों का विकास करने के लिए योजना तैयार करने में असफलता।	,,
60	75.	,,	लघु उद्योग सेवा इकाइयों में छोटे उद्यमियों को लाभदायक परामर्श देने में कुशलता की कमी।	,,
60	76.	,,	अनुसूचित बैंकों को शीघ्र और बिना किसी प्रकार की कठिनाई पैदा किए ग्रामीण और लघु उद्योगों को ऋण देने के लिए प्रोत्साहित करने में असफलता।	,,
60	77.	,,	ग्रामीण और लघु उद्योगों के उत्पादों को बेचने के लिए बाजारों का निर्माण करने में असफलता।	,,
60	78.	,,	नारियल जटा उद्योग का अपेक्षित विकास करने में असफलता।	,,
61	85.	,,	धोतियों और साड़ियों को हथ-करघा क्षेत्र में ही बनाया जाना अनिवार्य बनाने में असफलता।	,,

1	2	3	4	5
59	60.	श्री रोबिन सेन	वित्तीय सहायता और तकनीकी जानकारी के रूप में बड़े एकाधिकार गृहों और मध्य दर्जे के उद्यमियों को विदेशी एकाधिकार पूंजी के साथ सहयोग करने से रोकने में असफलता।	राशि में से 100 रु० घटा दिए जाएं
59	61.	,,	विभिन्न उद्योगों में बहुराष्ट्रीय फर्मों के द्वारा बड़े उद्यमियों को आधुनिकीकरण और पुर्नगठन करने से रोकने में असफलता, जिसके परिणामस्वरूप बहुत से कर्मचारी बेकार और फालतू हो गए हैं।	,,
59	62.	,,	सिरेमिक समूह, बर्न एण्ड कम्पनी लिमिटेड के कर्मचारियों के वर्तमान वेतनमान और महंगाई भत्ते का पुनरीक्षण करने के लिए रिफैक्टरी एण्ड सिरेमिक कर्मचारी संघ को दिए गए आश्वासनों को लागू करने में असफलता।	,,
58	86.	,,	मंत्रालय की नीतियां निर्धारित करने में नौकरशाहों के प्रभाव को कम करने में असफलता ।	राशि को कम करके 1 रु० कर दिया जाए
59	92.	,,	संतालडिही और चन्द्रपुरा (दामोदर घाटी निगम) को भारत हैवी इलैक्ट्रिक्लस लिमिटेड द्वारा दोषपूर्ण मशीनरी का सप्लाई करना।	,,
59	93.	,,	भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड और सीमेन्स के बीच समझौता जिससे एक विदेशी बहुराष्ट्रीय फर्म को महत्वपूर्ण उद्योगों में हस्तक्षेप करने का अवसर दिया जा रहा है।	,,

1	2	3	4	5
58	87.	श्री भगत राम	सरकारी उपक्रम ब्यूरो के अवांछित हस्तक्षेप और विभिन्न सरकारी उपक्रमों के प्रबन्धकों की श्रमिक विरोधी नीति के कारण वेतन संबंधी बातचीत में किसी समझौते पर पहुंचने में असफलता ।	राशि को कम करके 1 रु० किया जाए
58	88.	,,	सरकारी उपक्रमों का लोक-तंत्रीकरण करने में असफलता और नौकरशाहों पर अत्यधिक निर्भरता।	,,
58	89.	,	सरकारी उपक्रमों में ठेका प्रणाली को समाप्त करने में असफलता ।	,,
58	90.	,,	राज्य के कपास के कुल उत्पादन का उपयोग करने के लिए पंजाब में बुनाई समेत कपड़ा मिलों की स्थापना करने की आवश्यकता तथा राज्य में स्थापित किए जा रहे दो मिलों में से प्रत्येक को 1200 करघे आबंटित करने की आवश्यकता ।	राशि में से 100 रु० घटा दिए जाएं
58	91.	,,	खरार कपड़ा मिल, खरार (पंजाब) के प्रबंधकों द्वारा कर्मचारियों को गुन्डों के आक्रमण, कर्मचारियों पर झूठे मामले चलाने, पुलिस के अभूतपूर्व दमन और निकृष्ट कोटि के नौकरशाही रवैये से बचाने में असफलता, जिसके परिणाम-स्वरूप मिल लम्बे समय से बन्द पड़ा है ।	,,

1	2	3	4	5
58	169.	श्री ए० के० साहा	कई वर्षों से राजसहायता प्राप्त कर रहे उद्योगों के मामलों की जांच करने के लिए एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति गठित करने की आवश्यकता ।	राशि में से 100 रु० घटा दिया जाएं
59	179.	,,	सुन्दरवन, 24 परगना, पश्चिम बंगाल में नमक उद्योग स्थापित करने की आवश्यकता ।	,,
60	183.	,,	लघु तथा कुटीर उद्योगों के लिए कच्चे माल की सप्लाई को नियमित करने की आवश्यकता ।	,,
60	184.	,,	लघु तथा कुटीर उद्योगों के के उत्पादों के लिए सुनियोजित विपणन सुविधायें प्रदान करने की आवश्यकता ।	,,
58	170.	श्री मुकन्द मण्डल	राष्ट्रीयकृत क्षेत्र के कार्य क्षेत्र का विस्तार करने में विफलता ।	,,
58	171.	,,	एकाधिकार तथा बहुराष्ट्रीय निगमों के शिकंजे से छुटकारा पाने में विफलता ।	,,
58	172.	,,	देशी प्रौद्योगिकी और उद्योग में आत्मनिर्भरता की भावना भरने में विफलता ।	,,
58	173.	,,	पश्चिमी बंगाल में बंकुरा तथा पुरुलिया जैसे पिछड़े जिलों में औद्योगिक एकक स्थापित करने में असफलता ।	,,
58	174.	,,	पश्चिमी बंगाल में पुरुलिया जिले में जहां कि कच्चा माल तथा अन्य वस्तुएं उपलब्ध हैं लघु सीमेंट कारखाना स्थापित करने में विफलता ।	,,
58	175.	,,	पश्चिमी बंगाल में उद्योगों के विकास और संरक्षण के लिए वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता ।	,,

1	2	3	4	5
58	176.	श्री मुकन्द मण्डल	देश भर में उद्योगों के लिए आवश्यक समूची सामग्री के लिए सामान कीमत हेतु राष्ट्रीय नीति की आवश्यकता ।	राशि में से 100 रुपए घटा दिए जाएं
58	177.	,,	सब राज्यों को उनकी वास्तविक आवश्यकता अथवा मांग के अनुसार कच्चे माल के उचित वितरण की आवश्यकता ।	,,
58	178.	,,	भारतीय पटसन निगम द्वारा पटसन उत्पादकों से पटसन की खरीद करने में विफलता ।	,,
59	180.	,,	सरकारी क्षेत्र के उद्योगों के प्रबन्ध का पुनर्गठन करने में विफलता ।	,,
59	181.	,,	रुग्ण उद्योगों के पुनरुत्थान के लिए उनके प्रबन्ध में श्रमिकों का प्रतिनिधित्व देने की आवश्यकता ।	,,
59	182.	,,	सब क्षेत्रों के निवेश प्रस्तावों की जांच करने के लिए औद्योगिक परामर्शदात्री परिषद का गठन करने की आवश्यकता ।	,,
60	185.	,,	लघु तथा कुटीर उद्योगों को को आर्थिक तथा तकनीकी सहायता प्रदान करने में असफलता ।	,,
60	186.	,,	लघु तथा कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने में असफलता ।	,,
60	187.	,,	लघु तथा कुटीर उद्योगों के विकास के लिए परिषद का गठन करने में असफलता ।	,,

1	2	3	4	5
61	188.	श्री मुकुन्द मण्डल	सरकार द्वारा सहकारी समितियों के माध्यम से बुनकरों को धागों तथा करघों की सप्लाई करने की आवश्यकता ।	राशि में से 100 रुपए घटा दिए जाएं
61	189.	श्री पी० के० कोडियन	कपड़े के मूल्यों में वृद्धि को रोकने में विफलता ।	,,
61	190.	,,	मनमाने ढंग से कपड़े के मूल्यों में वृद्धि करने के लिए गैर-सरकारी कपड़ा मिलों के मालिकों के विरुद्ध कठोर कार्यवाहीं करने की आवश्यकता ।	,,
61	191.	,,	जनसाधारण के उपयोग के लिए नियंत्रित किस्म का कपड़ा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने में विफलता ।	,,
61	192.	,,	हथकरघा बनकरों को सस्ते मूल्यों पर पर्याप्त मात्रा में धागा उपलब्ध कराने की आवश्यकता ।	,,
61	193.	,,	हथकरघा बुनकरों की समस्याओं और कठिनाइयों की जांच करने और उन्हें हल करने के लिए मार्गोपाय सुझाने हेतु एक समिति का गठन करने की आवश्यकता ।	,,
58	194.	,,	उन क्षेत्रों में भी विदेशी कम्पनियों से तकनीकी सहयोग करने की प्रवृत्ति, जिनमें देश में उपलब्ध प्रौद्योगिकी जानकारी औद्योगिक विकास की आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम है ।	राशि घटा कर 1 रुपया कर दी जाए
58	195.	,,	बहुराष्ट्रीय निगमों और सरकारी उपक्रमों के बीच सहयोग के करार ।	,,
58	196.	,,	बड़े औद्योगिक घरानों संबन्धी जांच आयोग के कार्य में धीमी और असंतोषजनक प्रगति ।	राशि में से 100 रुपए घटा दिए जाएं
59	197.	,,	संयुक्त क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना करने की नीति को बन्द करने की आवश्यकता ।	,,

1	2	3	4	5
59	198.	श्री पी० के० कोडियन	औद्योगिक क्षेत्र में एकाधिकार के विस्तार को रोकने के लिए प्रभावकारी उपाय करने में असफलता ।	राशि में से 100 रुपए घटा दिए जाएं
59	199.	,,	उद्योगों को बड़े घरानों से अलग करने की दृष्टि से उन्हें समाप्त करने की आवश्यकता ।	,,
59	200.	,,	भारत में बड़े औद्योगिक घरानों की आस्तियों के लगातार बढ़ते चले जाने की जांच करने के लिए एक समिति की स्थापना करने की आवश्यकता ।	,,
59	201.	,,	देश के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में विदेशी बहुराष्ट्रीय फर्मों के बढ़ते हुए प्रभाव को कम करने में असफलता ।	,,
59	202.	,,	सरकारी क्षेत्र में और अधिक उपभोक्ता उद्योगों की स्थापना करने की आवश्यकता ।	,,
59	203.	,,	औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो द्वारा सरकारी उपक्रमों के कार्यकरण में अवांछनीय हस्ताक्षेप और प्रबंधकों और श्रमिकों के बीच अच्छी और उचित ताल-मेल होने को रोकना ।	,,
59	204.	,,	सीमेंट के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में असफलता ।	,,
59	205.	,,	सीमन्स और भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड के बीच उदार शर्तों वाला प्रस्तावित करार रद्द करने की आवश्यकता ।	,,

1	2	3	4	5
59	206.	श्री पी० के० कोडियन	सरकारी उपक्रमों में देश में उपलब्ध तकनीकी जानकारी के विकास को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता ।	राशि में से 100 रुपए घटा दिए जाएं
60	207.	,,	औद्योगिक सहकारी समितियों के विकास के लिए दिए जाने वाले धन में वृद्धि करने की आवश्यकता ।	,,
60	208.	,,	पर्याप्त संस्थागत वित्तीय सहायता न मिलने के कारण औद्योगिक सहकारी कारखानों के सामने आने वाली कठिनाइयां ।	,,
60	209.	,,	औद्योगिक सहकारी कारखानों की स्थापना के लिए केरल में औद्योगिक सहकारी विकास बैंक स्थापित करने को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता ।	,,
60	210.	,,	केरल में नारियल जटा विकास योजना को लागू करने में तेजी लाने की आवश्यकता ।	,,
60	211.	,,	देश में नारियल जटा और नारियल जटा उत्पादों को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रभावकारी उपाय करने आवश्यकता ।	,,
60	212.	,,	जिला औद्योगिक केन्द्रों की स्थापना में धीमी-गति ।	,,
60	213.	,,	जिला औद्योगिक केन्द्रों के कार्यक्रम में नारियल जटा, हथकरघा और हस्तशिल्प जैसे परम्परागत उद्योगों के विकास को वरीयता दिए जाने के आवश्यकता ।	,,
60	214.	,,	जिला औद्योगिक केन्द्रों और गहन ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में समन्वय स्थापित करने में असफलता ।	,,

1	2	3	4	5
60	215.	श्री पी० के० कोडियन	जिला औद्योगिक केन्द्रों की स्थापना के लिए पुराने औद्योगिक क्षेत्रों के सभी उपलब्ध भवनों का उपयोग किए जाने की आवश्यकता ।	राशि में से 100 रूपए घटा दिए जाएं
60	216.	,,	लघु क्षेत्र में महिला औद्योगिक इकाइयों को विशेष महत्व दिए जाने की आवश्यकता ।	,,
60	217.	,,	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लोगों द्वारा स्थापित किए गए औद्योगिक कारखानों को विशेष सहायता देने की आवश्यकता ।	,,

प्रो० आर० के० अमीन (सुरेन्द्रनगर) : सभापति महोदय मैं मांगों पर चर्चा को उस स्थिति, अर्थात्, गत वर्ष की उद्योग मंत्रालय की अच्छी बातें और बुरी बातें क्या हैं, पर विचार करने का एक अवसर समझता हूं और इस आधार पर हम कहां हैं और अगले वर्ष हमारा कहां जाने का विचार है ?

अब हम यदि पीछे देखते है तो हमें पता चलता है कि मंत्रालय ने गत वर्ष के दौरान काफी अच्छा कार्य किया है। औद्योगिक विकास पिछले वर्ष की अपेक्षा अधिक हुआ है। यह 8.5 प्रतिशत तक पहुंच गया है। यह और भी अच्छा कार्य कर सकता था परन्तु कम से कम इसने उचित स्तर तक पहुंचने का प्रयास किया है। गत वर्ष इसने औद्योगिक सलाह के लिये नये जिला केन्द्र स्थापित किये। इसने काफी लम्बी अवधि के बाद स्थिति का मुकाबला करने के लिये लघु सीमेंट संयंत्र की स्थापना करने की दृष्टि से लघु सीमेंट-नीति बनाई है। इसने ऐसी वस्तुओं की एक बड़ी सूची की घोषणा की है जो कुटीर तथा लघु उद्योगों के लिये आरक्षित है। यद्यपि यह अच्छा है कि इन अच्छी बातों की तारीफ की जाये तथापि ऐसी अनेक बातें है जो अच्छी नहीं है जिनके बारे में मैं बताना चाहूंगा ताकि अगले वर्ष जब मंत्री महोदय द्वारा नीति बनाई जाये तो वह इन पहलुओं पर और अधिक ध्यान दे सकें।

सभापति महोदया, कुछ मिनट पहले ही मेरे माननीय मित्र ने उपयुक्त प्रोद्योगिकी के प्रश्न पर ध्यान आकर्षित किया और उन्हे इस पर आपत्ति है। मेरी अपनी शिकायत यह है कि मंत्रालय ने

उचित प्रौद्योगिकी नीति नही बनाई है, अर्थात्, मंत्रालय द्वारा उपयुक्त प्रौद्योगिकी नीति नहीं बनाई गई है। जब जनता पार्टी सत्तारूढ हुई तब इसने यह संकेत दिया था कि हम गांधीजी के सिद्धातों का पालन करेंगे, यह कि अधिकाधिक रोजगार देने के लिये हम विकेन्द्रीकरण करना चाहते है और लघु तथा कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं और वह भी ग्रामीण क्षेत्रों के लिये तथा गरीब लोगों के लिये। हमारी रोजगार प्रधान नीति होंगी। अब हम क्या वैसे ही काम कर रहे हैं। वह नीति क्रियान्वित करने के लिये उस नीति में एक महत्वपूर्ण बात यह थी कि प्रौद्योगिकी नीति बनाई जाये और वह भी एक-दो सिद्धांतों की घोषणा करके नहीं अपितु वह भलीभांति संस्थागत होनी चाहिये, अर्थात् जब आप किसी तकनीक का चयन करें, उदाहरण के लिये कपड़े को लीजिए, तो आपको यह निर्णय करना है कि विद्युत करघा के लिये कितने प्रतिशत होगा और हथकरधा के लिये कितने प्रतिशत होगा। इसके बाद जब आप सीमेंट संयंत्र के बारें में निर्णय करें तो हमें यह निर्णय करना है कि क्या इसे 50 टन, 100 टन, 200 टन या 300 टन क्षमता का संयंत्र होना चाहिये या नहीं तथा आप हमारी अपनी परिस्थतियों और संसाधनों को देखते हुए उपयुक्त प्रोद्योगिकी पर भी विचार करेंगे। यह बहुत जरूरी है क्योंकि हम प्रौद्योगिकी को पश्चिम की एक बनी बनाई वस्तु के रूप में नहीं ले सकते है। उससे हमारे देश की उपभोक्ता आवश्यकताएं पूरी होनी चाहिये। हम गरीब लोगों को संतुष्ट करना चाहते है और उनका स्तर बढ़ाना चाहते है। वस्तुओं और सेवाओं के लिये उनकी मांगें वही नहीं है जो पाश्चात्य देशों के लोगों की हैं। अतः हमारी मांगे पूरी करने के लिए, अपने संसाधनों और अपने अकुशल श्रमिकों को देखते हुए, प्रौद्योगिकी ऐसी होनी चाहिये जो हमारे उत्पादन के उपयुक्त हो। इसके लिये संस्थागत ढांचे की आवश्यकता है जहां प्रौद्योगिकी के लिये विकल्पों का अध्ययन क्रियान्वयन तथा परीक्षण किया जा रहा है। उस संस्था में खोज अनुसंधान और परीक्षण साथ-साथ चलना चाहिये। हमारे वैज्ञानिक तथा अनुसंधान केन्द्र जिन्हे 1950 के बाद स्थापित किया गया था, ठीक नहीं है। वे भी देश की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं हैं। संभवतया, यदि आप गत 30 वर्षों का रिकार्ड देखे तों जो कुछ अनुसंधान किया गया है वह अब तक उद्योग तक नहीं लाया गया है। अब, उद्योग मंत्री को समूचे ढांचे में आमूल सुधार करना चाहिये था और एक ऐसा संस्थागत ढांचा बनाना चाहिये था जो उपयुक्त प्रौद्योगिकी का चयन करके के लिये उपयुक्त होता।

सभापति महोदया, मैं दूसरी बात यह कहना चाहूंगा कि गत वर्ष के दौरान हमने कतिपय नीति सम्बन्धी कतिपय वक्तव्य दिये जो उस रोजगार प्रधान नीति के अनुरूप नहीं थे जो हमने अपनाई है। हम सरकारी क्षेत्र में पर्याप्त संसाधन बढ़ाये बिना राष्ट्रीयकरण के बारे में बात करते हैं; हमारी एक अधिग्रहण सम्बन्धी नीति है परन्तु वह भी बिना किसी उद्देश्य तथा संगत मार्गदर्शी सिद्धान्त के है और इसीलिये सरकार को किसी टायर एकक के अधिग्रहण के बारे में न्यायालय द्वारा की गई कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा। ऐसा ही लाइसेंस के बारे में है। विकेन्द्रीकरण के लिये लाइसेंस समाप्त करने की आवश्यकता होती है जबकि लाइसेंस नीति जारी है और मैं फ्लोर मिल सम्बन्धी एक मामले को जानता हूं जिसमें गत दो वर्षों से कोई निर्णय नहीं किया गया है जिसके परिणामस्वरूप विद्यमान फ्लोर मिलों का

एकाधिकार हो रहा है क्योंकि सरकार उस ढंग के बारे में निर्णय नहीं कर पा रही है। जिस ढंग से लाइसेंस दिये जाने हैं। ऐसे विलम्ब से एकाधिकारवादियों को लाभ पहुंचता है तथा साथ ही उपभोक्ताओं को कठिनाई होती है ।

सभापति महोदया, यह पता चलता है कि एक ओर तो रुग्ण एककों का स्वस्थ्य एककों में विलम्ब करने की नीति अपनाई जा रही है और दूसरी ओर आप देखते हैं कि इतना अधिक विलम्ब होता है। रुग्ण एकक की बीमारी तत्काल दूर की जानी चाहिये और डाक्टर को समय पर आना चाहिए। यदि डाक्टर उस समय आता है जब रोगी मर जाता तो क्या फायदा। जब मैं रुग्ण एकक द्वारा दिये गये आवेदन-पत्र की तारिख की सूची देखता और उस पर अंतिम निर्णय की तारीख देखता हूं तो पाता हूं कि छह महीने, आठ महीने और कभी कभी तो नौ महीनों का विलम्ब हुआ है। इसका मतलब है कि आप रुग्णताओं के बारे में गंभीरता पूर्वक विचार नहीं कर रहे हैं। उसके बाद अन्ततोगत्वा आपकों इसे परिवार एकक (फैमिली-यूनिट) को देना पड़ता है । एक ओर तो आप परिवार एककों को समाज के लिये अभिशाप समझते हैं, साथ ही आप चाहे जो नीति अपनायें, आपकों रूग्ण एककों को उन्हें ही देना पड़ता है। ऐसा नहीं होना चाहिए और मंत्रालय को दृढ नीति बनानी चाहिये तथा ऐसे मामलों के सम्बन्ध में दृढता पूर्वक कहना चाहिये ।

जब मैने इन कमजोरियों को बताया है तो मै एक-दो ऐसे उद्योग लेता हूं जहां यें कमजोरियां दिखाई देती हैं। सर्वप्रथम मैं कपड़ा उद्योग को लेता हूं। सभी कपड़ा मिलों जनता कपड़ा सप्लाई करने के लिये लगाई गई अनिवार्यता गत वर्ष हटा दी गई। फाइन और सुपर फाइन कपड़ा बनाने वाली बहुत-सी स्वस्थ मिलें अपनी ओर से यह अनिवार्यता पूरी करवाने के लिये अन्य मिलों का एक या दो रुपये प्रति मीटर के हिसाब से सहायता दिया करती थी। बिना किसी प्रति-भार या व्यवस्था के मंत्री महोदय ने यह भार हटा दिया जिससे सरकार द्वारा यह अनिवार्यता हटाने और राष्ट्रीय कपड़ा निगम में रखने के निर्णय से स्वस्थ मिलों को अप्रत्याशित लाभ हो गया। इसे क्यों लिया गया? ऐसा करने में क्या बात थी? क्या आपने हथकरघा या विद्युतकरघा क्षेत्र को जहां, श्रम-प्रधान पद्धतियां अपनाई जा सकती हैं, प्रोत्साहन देने के लिये अच्छी मिलों पर कोई अन्य वित्तीय अनिवार्यता लागू की है? उस समय ऐसा कुछ नहीं किया गया था।

सभापति महोदया, मैं दूसरा उदाहरण रूई उद्योग का देना चाहता हूं। किसानों को उपलब्ध रूई के मूल्य समूची व्यवस्था पर निर्भर करते हैं। यदि आप समर्थन मूल्य देते हैं तो क्या आपके पास समर्थन मूल्य पर रूई खरीदने की व्यवस्था है। क्या आप उन विनियमों का पालन करते हैं कि कोई भी व्यक्ति एक या दो महीने के स्टाक से अधिक नहीं रख सकता है? क्या आप सभी सूती कपड़ा मिलों पर यह अनिवार्यता लागू करते है कि वे 10 प्रतिशत मानव-निर्मित रेशे का उपयोग करें? क्या आपके पास रूई व्यापारियों को पर्याप्त उधार देने की कोई व्यवस्था है? आपके पास क्या वायदा व्यापार का ढांचा है? यदि आप इनमें से किसी एक के साथ भी अव्यवस्थित ढंग से काम करेंगे तो रूई उत्पादकों के प्रति अन्याय होना अवश्यम्भावी है। उद्योग मंत्री महोदय को संरक्षक की भांति देख-रेख करनी चाहिए।

वह यह नहीं कह सकते कि मैंने रूई निगम को समर्थन मूल्य पर रूई खरीदने का अनुदेश देकर अपना कार्य कर दिया है परन्तु बाद के तथा अन्य पहलुओं का क्या होता है उनसे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है। यदि वह इस बात पर उत्साहपूर्वक आगे कार्यवाही किये बिना उसके दायित्व वाणिज्य तथा वित्त मंत्री पर डालते हैं तो चाहे वह कितनी ही दवा दें, उससे कोई फायदा नहीं होगा ? वह वाणिज्य मंत्री के पास जायें और उन्हे बतायें कि वायदा व्यापार का ढ़ांचा इस प्रकार लागू किया जाये। उन्हें वित्त मंत्री के पास जाकर उनको बताना चाहिए कि समर्थन मूल्य किस प्रकार का होना चाहिये। आप उन्हें बताएं कि : व्यापारियों और रूई उत्पादकों को समर्थन मूल्य पर 95 प्रतिशत उधार दो। आप उसे उन कपड़ा मिलों को भी दे सकते हैं जो रूई खरीद रही हैं। आप उधार का 95 प्रतिशत समर्थन मूल्य पर दे सकते हैं और यदि मूल्य समर्थन मूल्य से अधिक हो जाये तो और अधिक अन्तर पर दे सकते हैं। इस बात की आवश्यकता है और यदि उद्योग मंत्री इस पहलू को नहीं देखते हैं तो मुझे भय है कि उन्होंने जो अन्य कदम उठाये हैं उनका भी कोई परिणाम नहीं निकलेगा । कुछ कदम अनुचित विलम्ब के बाद उठाये गये हैं। रूई उत्पादक पिछले दो-तीन वर्षों में काफी धन गंवा रहे हैं। उत्पादकों के लिये 10 प्रतिशत मानव-निर्मित रेशे के उपयोग का आपका नियम अब भी चल रहा है। अभी हाल ही में इनमें से कुछ को छोड़ा गया है परन्तु वह भी काफी विलम्ब के बाद जिससे रूई उत्पादकों को बेहद तकलीफ हुई है। पिछले दो वर्षों में मूल्य गिर रहे थे। कि मंत्री महोदय को 18 महीने पहले ही यह निर्णय करना चाहिये था परन्तु मंत्री महोदय को इस बारे में आश्वस्त करने में रूई उत्पादकों को 2 वर्ष तक काफी परेशानी हुई कि इस नियम को सदा के लिये हटाया जाना चाहिये।

मानव-निर्मित रेशे के कपड़ों और व्यापार संतुलन के सम्बध में यह बिल्कुल स्पष्ट है कि 1976–77 में हमने जो कुछ निर्यात किया उसकी तुलना में 1977–78 में कमी हुई। अभी-भी इसमें 1978–79 में कमी हो रही है। यदि आप कच्चे माल, अर्थात्, मानव-निर्मित रेशे के आयात को देखें तो पता चलता है कि कुल लागत लगभग 190 करोड़ रुपये से 200 करोड़ रुपये तक की आई है। मानव निर्मित रेशे से बने कपड़े का हम कुल कितना निर्यात कर रहे हैं। यह लगभग 8 से 10 करोड़ रुपये तक का है। केवल मानव-निर्मित रेश के कारण घाटे के व्यापार का संतुलन लगभग 90 करोड़ रुपये का बैठता है । यदि हमने कपड़ा मिलों पर निर्यात की अनिवार्यता नहीं लागू की जो पूर्णरूपेण या आंशिक रूप से मानव निर्मित रेशे का उपयोग कर रही हैं तो ऐसा घाटा जारी रहेगा। अतः आपको कम से कम रेशे के आयात पर प्रतिबन्ध लगाना होगा। जिसकी रूई के साथ सीधी प्रतिस्पर्धा है। देश में रूई का मूल्य काफी अधिक है। यह पर्याप्त से भी ज्यादा है। अतः यह आवश्यक है कि कम से कम 'किसमोस' रेशे के आयात पर प्रतिबन्ध लगाया जाये क्योंकि इसकी रूई के साथ सीधी प्रतिस्पर्धा है।

अब मैं उस एक कमी के बारे में बताना चाहता हूं जो सरकार की कपड़ा नीति में है। 3–4 वर्ष पहले जब कपड़ा उद्योग संकट में था तो यह समझा गया कि उन्हें कम ब्याज दर पर ऋण दिये जाएं या जो आसान शर्तों पर ऋण के नाम से जाने जाते हैं । परन्तु गत दो वर्षों के दौरान वे काफी लाभ कमा रहे हैं। एक बड़ा मिल मालिक, जो पिछले 50

वर्षों से अहमदाबाद में इस उद्योग में है, ने बताया है कि उसने अपने जीवन में कपड़ा मिलों द्वारा इतना अधिक मुनाफा कमाया जाना पहले कभी नही देखा। एक ऐसा सुझाव जो उस समय दिया गया था जब कपड़ा मिलें संकट में थीं और रुग्ण भी उसे अभी-भी क्रियान्वित किया जा रहा है जब वे स्वस्थ्य हैं और रूग्ण नहीं हैं। वस्तुतः इसे बहुत पहले बंद कर दिया जाना चाहिये था। परन्तु अभी भी आप इसे जारी रखे हुए हैं यह तो ऐसा है जैसे स्वस्थ्य व्यक्ति को दवा दी जा रही हो जबकि किसी रोगी व्यक्ति के लिये की उसकी जरुरत थी। उस समय ऐसा कदम उपयुक्त होता परन्तु इतने अधिक विलम्ब के बाद नहीं। यदि आप ऐसी ही दवा स्वस्थ व्यक्ति को देते रहे तो उसका कोई लाभ नहीं होगा। अतः मेरा निवेदन है कि आसान शर्तों पर दिये जाने वाले ऋण को तुरन्त समाप्त किया जाये। यही मेरा निवेदन है। औद्योगिक विकास बैंक अभी भी कपड़ा एककों को ऋण दे रहे हैं। यद्यपि वे काफी लाभ कमा रहे हैं। वे अपने ही साधनों से अपनी आवश्यकताएं पूरी कर सकते हैं।

इसके बाद यह कहा गया है कि हथकरघा उद्योग को प्रोत्साहित किया जाना है। हथकरघा उद्योग काफी मंहगा कार्य है। इसका आस्तित्व केवल निर्यात संभावना पर ही निर्भर है। निर्यात के लिये उन्हें 100 प्रतिशत सूती कपड़ों की आवश्यकता है। उन्हे कैसे पता चल सकता है कि कपड़ा मिल से प्राप्त धागा 100 प्रतिशत सूती है। धागा सप्लाई करते समय सूती कपड़ा मिलें सूती धागे के साथ कृत्रिम रेशा मिला देती हैं। अतः जब वे अपनी वस्तु विदेशों में भेजते हैं तो उन्हे तत्काल अस्वीकार कर दिया जाता है। जब-जब भी हथकरघा वालों ने अपनी वस्तुओं का निर्यात किया है, उन्हे अस्वीकार किया गया है। उदाहरण के लिये जब आस्ट्रेलिया को समान का निर्यात किया गया तो उसे अस्वीकार कर दिया गया क्योंकि उनमें कृत्रिम धागा मिला हुआ था। अतः सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि विदेशों में भेजे जाने वाला सूती कपड़ा 100 प्रतिशत सूती धागे से बना हुआ हो। यदि आवश्यक हो तो यह कार्य राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा किया जाना चाहिये। हथकरघा के सम्बन्ध में स्वयं राष्ट्रीय कपड़ा निगम इस उद्योग को 100 प्रतिशत रूई सप्लाई करने का काम आरंभ कर सकता है।

मेरी एक और बात रेशम के कीड़े के पालन के बारे में है। केन्द्रीय रेशम बोर्ड बम्बई में है। परन्तु रेशम उत्पादन का हमारा कार्य कर्नाटक, जम्मू तथा कश्मीर में तथा बनारस के आस पास होता है न कि बम्बई में। रेशम बोर्ड को निर्यात के लिये प्रमाण पत्र जारी करने का कार्य सौपा गया है जबकि इसे विकास सम्बन्धी कार्य की देखरेख करनी चाहिये। रेशम के कीड़े पालन का कार्य अत्यधिक श्रम प्रधान उद्योग है। यह कच्चा रेशम तथा कच्चे रेशम से कपड़े बनाने के मामले में इन दोनों ही बातों में श्रम प्रधान है। गत वर्ष हमने इन कपड़ों के निर्यात से लगभग 40 करोड़ रुपये कमाये। अब इस बारे में क्या किया जाना है। ऐसा किस लिये है कि मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिये कि रेशम के कीड़े उद्योग में विकास हो, उचित तंत्र स्थापित करने के बारे में नहीं सोच रहा है। इसमें रोजगार की भारी संभावना है। बोर्ड बम्बई में नहीं बल्कि उनमें से किसी एक स्थान पर होना चाहिये जहां उद्योग स्थित है। विकास संबंधी कार्य इसके सुपुर्द किया जाना चाहिये, न कि वस्तुओं के निर्यात के लिये प्रमाण पत्र जारी करने का काम। यह कार्य तो निर्यात संवर्धन परिषदों का है।

अध्यक्ष महोदय : श्री अमीन, मैं अगले वक्ता को बुला रहा हूं :

श्री देवव्रत बरुआ (कालियाबोर) : सभापति महोदय, इस सरकार की नीतियों पर कुछ बोलना कठिन है। इस बारे में इतनी भ्रांति रही है, परस्पर विरोधी उद्देश्य बतलाए गये हैं और परस्पर विरोधी नीति संबंधी घोषणाएं की गई हैं कि किसी को यह मालूम नहीं कि विभिन्न स्तरों पर सरकार की नीति क्या है । इस सरकार ने दो वर्ष पहले सत्ता संभाली थी और तब से वे परस्पर लड़ते झगड़ते चले आ रहे हैं। उदाहरण के लिये मैं उनकी बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों संबंधी नीति को लेना चाहूंगा। यह दावा किया है कि ये बहु राष्ट्रीय कंपनियां राष्ट्र के हितों के विरूद्ध काम कर रही हैं। मैं सरकार से यह जानना चाहूंगा कि इन बहु-राष्ट्रीय कंपनियों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिये असल में किया क्या जा रहा है। मैंने कंपनी कार्य विभाग से कुछेक प्रश्न पूछे थे। मुझे यह जान कर आश्चर्य हुआ कि उन्होंने अपने उत्तर में केवल विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम से संबंधित मामलों का ही उल्लेख किया जो हम सभी को भली-भांति मालूम है। यह केवल शेयर धारिता से संबधित है उस नियंत्रण से नहीं जो विदेशियों के हाथों में है वहां क्या हो रहा है। मैं यहां कंपनी कार्य विभाग से नहीं जानना चाहता था। लेकिन उन्होंने इस सवाल का उत्तर देना पसंद नहीं किया और इस सवाल को उन्होंने वित्त मंत्रालय भेज दिया। मैंने बहु राष्ट्रीय कंपनियों द्वारा प्रयोग किए जा रहे नियंत्रण के बारे में पूछा था। वित्त मंत्रालय ने कहा था कि इसका निर्णय उनकी जनरल बाडी मीटिंग में मतदान द्वारा किया जाता है और सरकार का उससे कुछ लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि वे कंपनी के अंतरिक मामलों में दखल नहीं देते है । बहु-राष्ट्रीय कंपनियों के बहत से रूप है। भारत में भारतीय कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं कहा जाता है यदि वे भारत में पंजीकृत हों और 50 प्रतिशत से कम शेयर उनके पास हों। उनमें से बहुत सी कंपनियां अपने मनमाने ढंग से कार्य कर रही है। पिछली सरकार का उन पर कुछ नियंत्रण था। फिलिप्स इण्डिया लि० ने एक उदाहरण पेश करने के लिए 300 प्रतिशत तक अधिक उत्पादन कर डाला। इस तरह के कार्य भारतीय उद्यमियों को बाहर धकेल रहे हैं और कुछ बहुत अच्छी कंपनियां काम करने में असमर्थ है। और फिर सरकार यह कह कर कोई कार्रवाई नहीं करती है कि उसे कोई अधिकार नहीं है । सरकार आइ डी आई एक्ट में संशोधन द्वारा आवश्यक शक्तियां भी ग्रहण नहीं कर रही है और फिर भी वे बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बाहर धकेलने की बात कर रहे हैं।

बड़े उद्योगपतियों के बारे में काफी कुछ कहा जा चुका है। यहां भी कुछ नहीं किया गया है। कंपनी अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत बड़े उद्योगों को कंपनियों से अलग करने की व्यवस्था है। व्यावसायिक प्रबंधकों के जरिये ऐसा किया जा सकता है क्योंकि इन प्रबंधकों की नियुक्ति तभी की जा सकेगी जब उन्हें योग्य और सक्षम पाया जाए। मैंने उस मंत्रालय से यह प्रश्न पूछा कि प्राक्करण के बारे में क्या किया गया है तो मंत्रालय ने बेझिझक उत्तर दिया कि कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बड़े उद्योगों के नियंत्रण के किसी भी कंपनी को अलग करना आवश्यक नहीं समझा गया। वास्तव में यहीं उत्तर था जो मुझे दिया गया।

अब बड़ी कंपनियों के प्रबंधक निदेशक की नियुक्ति सरकार के हाथों में है । मैंने जब पूछा कि बड़ी कंपनियों और बहु-राष्ट्रीय कंपनियों के कितने प्रबंध निदेशकों की नियुक्ति

अस्वीकृत की गई है, तो उत्तर मिला कि व्यावहारिक रूप में कोई नियुक्ति अस्वीकृत ही की ई है। उन्होंने बतलाया कि केवल दो मामलों में नियुक्ति का अनुमोददन नही किया गया, लेकिन कार नहीं बताए गए। मैं उन कारों को जानना चाहूंगा।

एकाधिकार नियंत्रण के बारे में फिर कुछ नहीं किया गया है। मुझे एक उत्तर मिला था लेकिन मे उसे उद्धत नहीं कर रहा हूं। ग्रामीज उद्योगों के बारे में पुनः बड़ी बातें हो रही है लेकिन इस संबंध में क्या किया जा रहा है?

वाणिज्य मंत्रालय ने केवल उस निर्यात का श्रेय ले रहा है जो निर्यात वे कर रहे हैं बल्कि निर्यात न किये जाने का भी श्रेय ले रहा है यदि वे निर्यात नहीं कर पाते हैं, तो वे कहते हैं कि देश की सहायता की दृष्टि से ऐसा किया जा रहा है; वे निर्यात करने और न कर सकने दोनों का श्रेय लेते हैं। निर्यात मूलतः आवश्यक है और 'आयात न करना' भी आवश्यक है यदि उससे हमारी अर्थव्यवस्था में सुविधा मिलती है तो। जनता शासन के दो वर्षों के अन्दर, हमारी अर्थव्यवस्था आयात पर निर्भर हो गई है। पहले ऐसा नहीं था। आजकल हम हर वस्तु यहां तक कि नमक, सीमेंट आदि का भी आयात कर रहे हैं। ऐसा क्या है जो हम बाहर से नहीं मंगा रहे हैं? जो क्षमता या सामर्थ्य पहले उपलब्ध था वही अब भी उपलब्ध है और देश की आवश्यकताओं को वह पूरा कर सकता है। तेल और खाद्यान्न का भी आयात किया जा रहा है। उसके बावजूद, हम आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाने में असमर्थ है। हम लघु उद्योग क्षेत्र में रोजगार उत्पन्न करने की बातें कर रहे हैं। लेकिन आयात करने तो हम देश में नहीं बल्कि देश के बाहर रोजगार उत्पन्न कर रहे हैं। मैं आपको आंकड़े दे सकता हूं, लेकिन मेरे पास समय नहीं है। आई० डी० पी० एस० की आर्डर बुक्स सारी खाली हैं, लेकिन फिर भी उच्च ताप संयंत्रों का आयात मुक्त रूप से किया जा रहा है। वस्तुतः सभी सरकारी क्षेत्र उद्यमों की यही स्थिति है अत्यधिक विदेशी मुद्रा के नाम पर। ठीक है, लेकिन उन्हें यह भी जानना चाहिये कि विदेशी का उपयोग कैसे करें।

हाल ही में, स्टील अथारिटी ने इस्पात के उत्पादन में 8 प्रतिशत कटौती की घोषणा की है। क्या सरकार निजी क्षेत्र की किसी कम्पनी को उत्पादन में इस तरह कटौती करने दे सकती थी, जिससे जमाखोरी तथा काला बाजारी को बढ़ावा मिले। उन्होंने कोयले की कमी और परिवहन के कुप्रबन्ध के कारण हो सकता है कोई निर्णय किया हो, लेकिन वे इसकी घोषणा कैसे कर सकते हैं? यदि निजी क्षेत्र ने ऐसा किया होता तो उनकी शामत आ गई होती। दूसरी ओर, ऐसा विभाग राष्ट्रीय परमिटों की ख़िलाफत कर रहा है।

हिन्दुस्तान टाइम्स को 15 अप्रैल, 1979 के अंक में छपे निम्नांकित समाचार ने इस भ्रम को और बढ़ा दिया है।

"सरकारी क्षेत्र के विस्तार को रोकने का प्रस्ताव

सरकार सार्वजनिक क्षेत्र को उसके वर्तमान स्तर तक ही सीमित रखने और राज्य संचालित एककों की उपयोगिता में सुधार करने के बारे में काफी बलपूर्वक विचार कर रही है। सूत्रों के अनुसार, वित्त मंत्रालय इस नीति के विरूध है कि जितना हजम न किया जा सके

उससे ज्यादा खाया न जाये । मंत्रालय नई परियोजनाओं पर तब तक विचार करने के पक्ष में नहीं है जब तक कि वे विद्युत अथवा उर्वरक कारखानों जितने महत्वपूर्ण न हों।

उद्योग मंत्री के विचार इसके विपरीत मालूम होते हैं, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र के प्रबन्ध का निर्धारण हाल ही में स्वयं प्रधान मंत्री द्वारा किये जाने के बाद उन्हें किसी कठिन स्थिति में उलझा दिया गया प्रतीत होता हैं।"

यह सब स्पष्ट किया जाना चाहिये। मैं अभी तक यही विश्वास करने का प्रयत्न करता हूं कि हमारी सरकार है और हालांकि मैं सोचता हूं कि यह खबर बहुत सच है, फिर भी मैं सरकार से स्पष्ट जानना चाहूंगा कि वास्तव में हो क्या रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र में उत्साह एक दम ठण्डा पड़ गया है । मेरे विचार में सार्वजनिक क्षेत्र के कार्य निष्पादन के लिये मंत्रियों को जिम्मेवार ठहराया जाना चाहिये। आर्थिक मंत्रालयों के मंत्रियों से काम कराया जाना चाहिये उन्हें अपना गृह कार्य करना पड़ता है। वास्तव में उन्हें अपना दिमाग अपने अपने मंत्रालयों के कार्य में लगाना चाहिये।

मैं सुझाव देना चाहूंगा कि औद्योगिक क्षेत्र में, हमारा लक्ष्य उत्पादन में कम से कम 10 प्रतिशत की दर से वृद्धि का होना चाहिये। कुछ न कुछ विकास दर तो हमारे यहां है ही। उदाहरण के लिये, आटोमोबोइल उद्योग में क्या हो रहा है ? मैं हमारे यहां ट्रकों के उत्पादन में वद्धि हो रही है। अब यह परिवहन का सबसे मंहगा साधन है। सरकार कह रही है कि कोयले की ढलाई ट्रकों द्वारा की जानी चाहिये, जबकि रेलों की क्षमता को सीमित किया जा रहा है। इसका नाम जिन्हें मिल रहा है? हर दिशा में मूल्यों को ऊपर चढ़ाने वाला यह अर्थशास्त्र किस तरह का है?

रुग्ण उद्योगों को ही लीजिये। अब तक, 2500 करोड़ रु० बैंक अग्रिम के रूप में रुग्ण उद्योग में लग चुका है । रुग्ण उद्योगों के बारे में कौनसी ही नीति अपनाई जा रही है? उद्योगों को रुग्ण होने से किस तरह रोका जाये? सरकार किस तरह का नियंत्रण रखने की बात सोच रही है? अब तक, यह सब घोषणाओं के स्तर तक ही था।

दूसरी ओर, उत्पादन की वद्धि श्रैमिकों की कीमत पर है । और यदि श्रमिक न हों तो बेरोजगारी उत्पन्न होने के साथ यदि मांग भी कम हो जाती है। हमारा राष्ट्रीय उद्देश्य यह होना चाहिये था कि वद्धि के साथ साथ रोजगार के अवसर अधिकतम हों। लेकिन, दुर्भाग्य से, हम आज भी प्रौद्योगिकी का आयात कर रहे हैं। हर 3 माह बाद विदेशी समिति आती है और वे प्रौद्योगिक के आयात की अनुमति दे रहे हैं। ईक्विटी और सामान्य दोनों तरह की उपभोक्ता प्रौद्योगिकी का आयात किया जा रहा है। एक कार्टूनकार ने—पता नहीं कि वह आबू था या कोई अन्य—कहा था कि अब जब हम परमाणु विस्फोट करने जा रहे हैं, हमें चाकलेट और च्युइंगगम का उत्पाद करना चाहिये। वास्तव में, इस देश के पास हर वस्तु का उत्पादन करने की प्रौद्योगिकी मौजूद है । हमारे पास शिक्षित जनशक्ति उपलब्ध है। वे बाहर चले गये हैं और विश्व भर में बिखर गये हैं, लेकिन हम उन्हें प्रौद्योगिकी उत्पादन के लिये एक जुट करने में असफल रहे हैं। जब मैं परमाणु शक्ति संयंत्र देखने गया था तब स्वर्गीय श्री साराभाई ने मुझे बतलाया था कि वे हर किसी चीज का उत्पादन करा

सकते हैं क्योंकि नेहरू जी उनका उत्पादन भारत में ही चाहते थे । किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं थी। कई विशेषज्ञ आई० डी० पी० एल० और बी० एच० ई० एल० जायेंगे और अपनी जरूरतें उन्हें बतायेंगे और वे उनकी रूपरेखा तैयार कर देंगे । लेकिन हम, और सरकार भी, तकनीकी विकास महा निदेशालय पर निर्भर करते हैं और निदेशालय कहता है कि ऐसी प्रौद्योगिकी अभी उपलब्ध नहीं है। इसका यही मतलब है कोई भी इसका निर्माण नहीं कर रहा है। लेकिन प्रश्न यह है कि इसका निर्माण कौन कर सकता है। इस पहलू पर उन्होंने अभी गौर नहीं किया है। विदेशी प्रौद्योगिकी का आयात करने से उत्पादन में वृद्धि के बजाय, स्पर्धा समाप्त हो जाती है। यही होता आ रहा है । मैं यह नहीं कर रहा हूं कि यही सरकार ऐसा कर रही है। लेकिन हमारे राष्ट्रीय जीवन में, यह एक महान मूल होती है अर्थात मैं प्रौद्योगिकी प्राप्त कर रहे हैं और जो व्यक्ति उस प्रौद्योगिकी को प्राप्त कर लेता है वह बाद में प्रत्येक अन्य प्रतियोगी को समाप्त करने का प्रयत्न करने लगता है।

जब कोका कोला आया--यह अच्छी बात है एक तरह से, कि वह कम्पनी जा रही है--तब भारत में सैंकड़ों लोग ऐसे थे जो अच्छे किस्म का और स्वास्थ्यवर्धक ठण्डा पेय बना रहे थे। कोका कोला में उन सबको धक्का मार दिया । इस तरह से, जब आप किसी प्रौद्योगिकी और बड़े नाम के साथ कोई विदेशी सहयोग प्राप्त करते हैं तो हर किसी को रास्ते से हटा दिया जाता है। उधर भारत में कहीं एक संयंत्र था जो बीयर का उत्पादन कर रहा था। मैं उसका नाम जानता हूं। मैं बताऊंगा नहीं। उसका कोई भारतीय नाम ही था। लेकिन वह अपना माल बेच नहीं सका। फिर वह विदेश चला गया, वहां से कोई विदेशी नाम ग्रहण किया हालांकि प्रौद्योगिकी में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। केवल नाम में ही परिवर्तन हुआ था। उक्त नाम के लिये उन्हें कुछ देना पड़ा था । उसके तत्काल बाद देश ने उस बीयर को खरीदना शुरू कर दिया। उस कम्पनी के माल की खरीद बढ़ गई।

बम्बई में एक कम्पनी दांत साफ करने के ब्रुश बना रही थी लेकिन माल बिकता नहीं था। बाद में बहुराष्ट्रीय कम्पनी ने उस कम्पनी से कहा कि अपना ब्रुश 50 पैसे में हमें दो लेकिन उसका पैकिंग हमारे नाम से करो। उन्होंने उसी ब्रुश को 1.50 रु० में बेचा और वह बिकने लगा। उस कम्पनी को भी 50 पैसे प्रति ब्रुश मिलने लगा और वह बढ़ने लग गई । यही समस्या है । केवल नाम ही बिक रहा है और बेचा जा रहा है।

प्रौद्योगिकी आयात की इस पुनरावृत्ति को हमें रोकना चाहिये । टायरों के क्षेत्र में, डनलप है, फायरस्टोन है और कुछ दूसरे भी सभी की एक ही प्रौद्योगिकी है, एक ही तरह के सहयोग समझौते हैं जिनकी कीमत भी वही 30 लाख रु० या 50 लाख रु० है। और तकनीकी सहयोग को बनाये रखने के लिये लगातार नई प्रौद्योगिकी की, दुहाई दी जा रही है। प्रौद्योगिकी के आयात के लिये सरकार द्वारा निर्धारित किये गये मार्गदर्शी विदेश बहुत ही घटिया है। उनमें सभी कुछ शामिल है। उन्नत प्रौद्योगिकी के लिये, हम यह कर सकते हैं, वह कर सकते हैं। लेकिन बात यह है कि इस प्रौद्योगिकी का आयात एक ही बार में कर लिया जा सकता था, जैसे जापान ने किया तब उन्होंने इसे विकसित किया। हम उस प्रौद्योगिकी का आयात कर सकते थे जो बहुत एडवांस न हों। और उसके बाद हम अपने देश में

सरकारी क्षेत्र में उसका विकास कर सकते हैं तथा जो भी कम्पनी उस प्रौद्योगिकी लेना चाहे, उसे दे सकते हैं। औद्योगिक विकास के लिये यही तरीका है। फिर कोई इस तरह का अनुबन्ध नहीं करेगा कि यह प्रौद्योगिकी किसी दूसरे को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।

प्रौद्योगिकी के हस्तांन्तरण सम्बन्धी हर अनुबन्ध में एक खण्ड होता है कि यह प्रौद्योगिकी गुप्त रहेगी, किसी और को नहीं दी जायेगी। बल्ब बनाने वाली कुछ कम्पनियों ने, चाहे फिलिप्स हो या कोई दूसरी —प्रौद्योगिकी को गुप्त रखने का अनुबन्ध लिया हुआ है। फिर भी भारत में ऐसी कम्पनियां हैं जो अच्छी किस्म के बल्ब बना रही है। टायरों के साथ की यही है। 4–5 अन्य कम्पनियां हैं जिनका प्रौद्योगिकी अधिक है और फिर भी वे अच्छे टायर बना रही हैं और कोई भी यह नहीं पूछता कि कौन सा टायर बेहतर है।

यह राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिये ताकि प्रौद्योगिक का आयात ही न करते रहें। भारत जैसे देश में, हमारी प्रौद्योगिकी आयात नीति बड़ी सीमित होनी चाहिये। इसे हम ऐसे क्षेत्रों तक सीमित रख सकते हैं जैसे कि रेल की खोज; या वे क्षेत्र जहां हम विदेशी सहयोग प्राप्त करने से कदाचित, इन्कार नहीं कर सकते, हम किसी का सहयोग ले सकते हैं, जो धन खर्च करे और कुछ खोज बीन करे। हमारे लिये यही ठीक है।

एक अन्य क्षेत्र जहां हम बुरी तरह विफल हुए हैं वह है पिछड़े क्षेत्रों के प्रति हमारी नीति। पिछले शासन के दौरान और उस पार्टी के शासन के दौरान जिस पार्टी से मैं सम्बन्ध हैं, पिछड़े क्षेत्रों का विकास करने के लिये कुछ प्रयास किये गये थे। लेकिन अब पिछड़े क्षेत्रों का विकास करने के बारे में कोई चर्चा नहीं होती है। मेरे विचार में, पिछड़े क्षेत्रों को उस तरह की सहायता की जरूरत नहीं है जो उन्हें दी गई है। उन्हें जरूरत है बिजली की समान उपलब्धता की।मेरा असम राज्य पिछड़ा हुआ है। यदि आप मझे यहां-वहां थोड़ा बहुत धन दे दें तो उससे मेरी मदद नहीं होगी। एक औद्योगिक लाइसेंस देने से कुछ नहीं होगा क्योंकि बिजली के बिना असम कोई नहीं जायेगा। यदि बिजली सप्लाई की जाये —विकसित क्षेत्र में इस समय दी जा रही प्रति व्यक्ति विद्युत उपलब्धता का 1/4 नहीं—तो मेरी मदद हो सकेगी। पिछली असम सरकार और वर्तमान राज्य सरकार द्वारा लिये गये कोंई भी प्रयास केन्द्रीय सरकार की इस नीति को नहीं बदल सके। जब तक बिजली प्रदान नहीं की जाती और समान परिवहन सुविधायें उपलब्ध नहीं की जातीं, तब तक इसे विकसित नहीं किया जा सकेगा। संभवतः असम को समान परिवहन सुविधायें न मिल सकें, लेकिन उनमें समानता लाने के लिये कुछ प्रयास तो किये जा सकते हैं। ब्रह्मपुत्र मार्ग से हमें अच्छी परिवहन सुविधायें मिल सकती हैं, लेकिन इसका विकास करने के लिये कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। संविधान में व्यवस्था है कि राष्ट्रीय रेल मार्ग, राष्ट्रीय सड़क मार्ग, राष्ट्रीय वायुमार्ग की तरह राष्ट्रीय जलमार्ग भी होना चाहिये, लेकिन 30 वर्ष बीत जाने के बाद भी, ब्रह्मपुत्र को राष्ट्रीय जल मार्ग घोषिन करने के मामले पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। मैंने जब संबंधित मंत्री महोदय से एक सवाल किया तो उन्होंने कहा, "ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं हैं। एक घोषणा तक नहीं की गई है कि ब्रह्मपुत्र राष्ट्रीय जलमार्ग है। इसके अलावा, पिछड़े क्षेत्र को विकास सामग्री का समान कोटा मिलना चाहिये। सीमेंट में असम को अभी भीं हरियाणा और पंजाब के कोटे का 1/7 कोटा मिल रहा है। जब भी हम कहते हैं कि

इसमें वृद्धि की जाये तो वे कहते हैं "नहीं"। असम में, सीमेंट का काला बाजार मूल्य सीमेंट के असली मूल्य से हमेशा 2 1/2 गुना अधिक रहता है और फिर भी कोटा बढ़ाने की मांग का कोई जवाब नहीं दिया जाता। इसलिये, यदि पिछड़े क्षेत्रों को विकसित करना है, तो उन्हें समान सुविधायें दी जानी चाहिये। यह उनको कुछ धन देने का प्रश्न नहीं है।

यदि लघु उद्योगों को विकसित करना है, तो सारे प्रतिबन्ध हटाने होंगे। कोई प्रति बन्ध न रहने पर भी बहुत से प्रतिबन्ध उठ खड़े होते हैं--जैसे अनेक फार्मों को दाखिल करना। कभी कभी वे लघु उद्योगों के रूप में घोषित होना पसन्द नहीं करते।

मैं उन सरकारी क्षेत्र उद्योगों को देखने गया था जिन्हें उत्पादन बढ़ाने की अनुमति नहीं दी गई। आयुद्ध सामग्री निर्माण कारखाना, जबलपुर में, उनकी क्षमता का 20 प्रतिशत उत्पादन हो रहा है। उन्होंने कहा कि वे अन्य उपभोक्ता वस्तुयें, बनाना चाहेंगे। लेकिन यहां से किसी ने उनको टेलीफोन कर दिया कि उनको यह अधिकार नहीं है कि वे जो चाहें करते चले जायें। आज उनके वस्तुओं का उत्पादन करने की क्षमता है। मेने सुना है कि आई० डी० पी० एल० सबसे अच्छी किस्म के ब्लैड बनाने की क्षमता रखता है लेकिन उन्हें निरुत्साहित किया गया। यही युक्ति यहां काम करती है। उन वस्तुओं का उत्पादन करने वाले बड़े उद्योगपतियों के उकसाने या पहल करने पर किसी मंत्रालय से कोई न कोई टेलीफोन कर देता है उस वस्तु का उत्पादन करने की उत्कष्ट क्षमता के बावजूद उन्हें अनुमति नहीं दी जाती है। इन सब बातों से, यही प्रतीत होता है कि आज हमारी कोई औद्योगिक नीति नहीं है और जो है वे है केवल भ्रामक तथा राजनीतिक कारवाइयां और राजनीतिक वक्तव्य। हर मंत्रालय दूसरे मंत्रालयों के उद्देश्यों के विपरीत कार्य कर रहा है। मैं नहीं जानता कि वे किस तरह सहयोग कर रहे है, काम कर रहे है और स्वयं को सरकार कह रहे है। मुझे आशा है कि सरकार इन सब बातों पर गौर करेगी और सुनिश्चित करेगी कि हम वास्तव में प्रगति की दिशा में बढ़ रहे है।

श्री श्याम सुन्दर दास (सीतामढ़ी) : सभापति महोदया, मैं उद्योग विभाग के मातहत मांगों का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

(श्री एम० सत्यनारायण राव पीठासीन हुए)

इस सरकार का जो इंडस्ट्रियल पालिसी का स्टेट मेंट दिसम्बर 1977 में हुआ था उसके एक अंश का कार्यान्वियन पिछले साल मई में शरू हुआ। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हमें जो 1977 में मेन्डेट प्राप्त हुआ था, उसी मेन्डेट के अनुसार हमारी नई औद्योगिक नीति इंडस्ट्रियल पालिसी स्टेटमेंट के बाद से दिसम्बर, 1977 से लागू की गई। अब उसके तहत डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेन्टर के मातहत कुटीर उद्योग और छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने का काम शुरू किया गया है।

सभापति जी, आपको स्मरण होगा कि जिस समय यह घोषणा की गई थी उस समय सरकार ने यह कहा था कि चार वर्षों के अन्दर देश के सभी जिलों में जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना हो जायेगी लेकिन एक साल के अन्दर अन्दर ही हमने जिला उद्योग खोलने का जो टारगेट रखा था उससे कहीं ज्यादा केन्द्र खोल दिये गये है और अभी 246 उद्योग केन्द्र

चल रहे है। 1979 तक सारे देश में जिला उद्योग केन्द्र खुल जायेंगे। यह सिद्ध करता है कि हमारी सरकार की जो नीति थी उस नीति का कितना सफलतापूर्वक कार्यान्वयन किया गया और आगे भी इस नीति को कार्यान्वित करने के लिये सरकार कृत संकल्प है। सरकार की नीयत में इस बारे में कोई खोट नहीं है।

आपको यह भी स्मरण कराना चाहूंगा कि जिन क्षेत्रों में जिला उद्योग केन्द्र खोलने की बात चली तो उस समय इनके बारे में शंका प्रकट की गई थी। शुरू में जब प्लानिंग शुरू हुई तो उस साल ब्लाक डवलपमेंट आफिसर के तहत ब्लाक डवलपमेंट एरियाज बने थे। वे रूरल इंडस्ट्रीज के विकास के लिये बने थे लेकिन वह प्रयोग चल नहीं सका था। इसीलिये जब जिला उद्योग केन्द्र की घोषणा की गई तो कई लोगों ने आशंका प्रकट की थी और पिछले साल जब इसी विभाग की मांगों पर बहस चल रही थी तब भी कई माननीय सदस्यों ने आशंका प्रकट की थी कि जब पिछला प्रयोग असफल हुआ है तो कहीं यह प्रयोग भी असफल न हो जाये। लेकिन जहां पिछला प्रयोग ग्रामोद्योग या गांधीजी की याद की पूर्ति के रूप में किया गया था वहां समूचे देश की जो औद्योगिक नीति थी, उसके एक अंश के रूप में ग्रामोद्योग के विकास का कार्यक्रम चालू कर नहीं किया गया था,। इसके कारण ही वह फेल हो गया।

1967 के चुनाव के बाद जब केन्द्र में कांग्रेस की सरकार थी और विभिन्न राज्यों में विभिन्न दलों की सरकारें थीं तो केन्द्रीय स्पोन्सर्ड स्कीम के अन्तर्गत आने वाले कार्यक्रमों को बन्द कर दिया गया था। लेकिन आज यह प्रसन्नता की बात है कि आज भी जब कई राज्यों में विभिन्न दलों की सरकारें है तब जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना की जा रही है और सभी राज्य सरकारें पूरी निष्ठा के साथ इस कार्यक्रम का समर्थन कर रही है। महज इसलिये इस कार्यक्रम को लागू कर रही है कि इससे उत्पादन बढ़ेगा और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

जहां तक जिला उद्योग केन्द्र की प्रगति का सवाल है, उसमें कुछ ऐसे सवाल आते है जिनकी ओर मैं उद्योग मंत्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। खासकर हमें अपने राज्य का अनुभव है, बिहार में करीब 18 जिला उद्योग केन्द्र है और उनमें जितने भी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स की नियुक्ति हुई है, सब के सब प्राविन्शियल सर्विस के आदमी है। मुझे याद आता है कि उद्योग मंत्री ने पब्लिक सेक्टर के बारे में चर्चा करते हुए एक जगह जिक्र किया था कि पब्लिक सैक्टर का एक नया मैनेजमेंट कल्चर होना चाहिये।

दूसरी जगह उन्होंने यह भी कहा था कि पब्लिक सैक्टर में एक होशियारी है, वहां ब्यरोक्रेसी का बहुत प्रेडोमीनेंट हो गया है, जो कि नहीं होना चाहिये। लेकिन जैसे कि डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर्स में, खासकर हमारे राज्य में जो स्थिति है, उस हिसाब से सब जगह सिविल सर्वेन्टस को रखा गया है जिनको कि विकास के कार्यक्रम का न व्यावहारिक ज्ञान है और न सिद्धान्तिक ज्ञान है। ठीक है, कि 7 लोगों को उसकी ट्रेनिंग दी गई है, लेकिन मेरी तो अपनी राय है कि उसके लिये जब तक कोई स्वतन्त्र पर्सनल की व्यवस्था नहीं होगी जो कि उस काम को कर सके, तब तक सिर्फ प्रशासनिक अधिकारियों को जिला उद्योग केन्द्र में बैठाने का कोई अच्छा असर नहीं होगा।

दूसरी जो त्रुटि देखने में आई है व्यवहार में, चाहे स्माल स्केल इंडस्ट्री हो या काटेज इंडस्ट्री हो, यह सही है कि बड़े उद्योगों के लिये बड़े इन्फ्रा स्ट्रक्चर है जैसे सड़कें है रेल और बिजली हैं, लेकिन यह मानना कि छोटे उद्योग और कुटीर उद्योग को शायद उतने इन्फ्रा स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, तो सरकार वहां यह गलती कर रही है। जो रा मैटीरियल आना चाहिये, उसके लिये मार्केटिंग के लिये भी इन्फ्रा स्ट्रक्चर की आवश्यकता है लेकिन सरकार उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रही थी। डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर्स का 3, 4 जगह का मेरा अनुभव है, उनके पास सिर्फ अपने विभाग के काम के लायक साधन है, लेकिन सरकार की ओर से जो इन्फ्रा स्ट्रक्चर के लिये करना चाहिये वह नहीं हो रहा है, जैसे कि कोई बड़ा उद्योग खुलता है तो सरकार पर उसकी जिम्मेदारी रहती है कि वह इन्फ्रा स्ट्रक्चर उसे मुहैय्या करे। लेकिन छोटे उद्योगों के सम्बन्ध में शायद राज्य सरकारें अभी अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह नहीं कर रही है।

पिछले दिनों केन्द्रीय सरकार ने प्रोग्रस रिपोर्ट भी मांगी थी। महाराष्ट्र और आन्ध्र सरकार से डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर के मैनेजर्स ने करीब करीब सब लोगों ने रिपोर्ट और एक्शन प्लान भेजा, लेकिन बिहार में 18 में से केवल 5 जगह से रिपोर्ट और एक्शन प्लान आया है। वहां यह कमी लगती है।

एक और कमी भी लगती है, बहुत से कार्य शुरू किये गये है, जिसमें टैक्नो इकनामिक सर्वे किया गया है। वह बहुत जल्दबाजी में किया गया है। जैसे इंडियन काउन्सिल आफ एप्लायड इकनामिक रिसर्च है, इस तरह के जो प्रोफेशनल आर्गेनाइजेशवस है, चाहे यूनिवर्सिटीज हैं, इनको भी सरकार को सचेत करना चाहिये ताकि वह ठीक से टैक्नो इकनामिक सर्वे करें और इवैल्यूशन तथा मोनिटरिंग का काम भी कर सकेंगे। मोनिटरिंग के लिये सरकार ने एक मशीनरी इवाल्व की है, लेकिन सरकार के द्वारा एक्सपर्टस लोगों को इसमें इन्वोल्व करना चाहिये। लेकिन इसके वावजूद भी एक शहर में पिछले मई से काम शुरू हुआ है, एक साल भी पूरा नहीं हुआ है, इतने दिनों के अन्दर जितने नये उद्योगों का रजिस्ट्रेशन हुआ, नये उद्योगों को प्रोडक्शन में लाया गया, जितने लोगों को एम्पलायमेंट में लाया गया, वहां स्थिति काफी सन्तोषप्रद है।

एक और चीज में केन्द्रीय सरकार के ध्यान में लाना चाहूंगा। पिछले कितने ही सालों से क्षेत्रीय विषमता बढ़ती जा रही है, जो बैकवर्ड रीजन्स है उनमें बैकवर्डनेन्स बहुत बढ़ती जा रही है और जो फावर्ड रीजन है वह आगे बढ़ते जा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर द्वारा इन इम्बैलेन्सेज को सुधारने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बिहार में कई उद्योगों के लिये बिहार के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन ने चाहा, बिहार के इंडस्ट्री मिनिस्टर की ओर से इतने प्रपोजल्स आये लेकिन वह अभी तक सेंटर में इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में पैंडिंग पड़े हुए है। इस साल जो उद्योग मंत्रालय की रिपोर्ट आई है उसमें भी कुछ चीजों का जिक्र किया गया है जैसे उत्तर बिहार में कलस्टर आफ शुगर फैक्टरीज है और उसके बगासे पर आधारित पेपर प्लान्टस के लिये रा-मैटीरल की मांग है, उसके लिये बेतिया में काम करने का प्रपोजल आया लेकिन बहुत समय से हमको पता चल रहा था कि केन्द्रीय सरकार उसको क्लीयर करने की स्थिति में आ गई है। लेकिन एक डेढ़ महीने से वह फाइल वैसे ही पड़ी हुई है। मैं चाहूंगा कि उद्योग मंत्री जवाब देते हुए स्पष्ट रूप से बतायें कि क्या वह बेतिया वाली फैक्टरी स्थापित करने जा रहे है या नहीं।

बिहार राज्य की तरफ से तीन जगह स्पिनिंग मिल लगाने के बारे में भी डिमांड की गई है, मगर सेंटर ने अभी तक उसको क्लीयर नहीं किया है। इसी तरह बिहार के इण्डस्ट्रियल डेवेलपमेंट कमिश्नर और कार्पोरेशन दोनों ने एक सीमेंट फैक्टरी लगाने की भी मांग की है। वह फाइल भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पेंडिंग पड़ी हुई है। यह सही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का रुख हमारी समस्याओं के प्रति सहानुभूतिपूर्ण है, लेकिन अभी तक यह निर्णय नहीं हो पा रहा है। मेरा निवेदन है कि इस बारे में शीघ्रतापूर्वक निर्णय किया जाना चाहिये।

पिछले दिनों 15 मार्च को राज्य सभा में यह प्रश्न उठाया गया है कि मयूर (केरल) में बिड़ला का कारखाना बिना लाइसेंस और बिना अनुमति के किसी खास वस्तु का उत्पादन कर रहा है और नागदा (मध्य प्रदेश) में बिड़ला के एक यूनिट में लाइसेंस्ड कैपेसिटी से कहीं ज्यादा उत्पादन हो रहा है। राज्य मंत्री, श्री जगदम्बी प्रसाद यादव, ने वहां यह आश्वासन दिया कि इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है। मैं चाहूंगा कि उद्योग मंत्री स्पष्ट रूप से बतायें कि वह इस विषय में क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं।

आंध्र में बिड़ला साबुन का एक कारखाना है। उस कारखाने के खुलने से पहले वहां पर साबुन के 300 काटेज इंडस्ट्री के यूनिटस थे। लेकिन उस कारखाने के खुलने के बाद उनमें से 200 यूनिटस बन्द हो गये हैं। एक तरफ तो सरकार चाहती है कि बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउसिज के एकाधिकार, मानोपल्ली, को कम किया जाये, मगर तूसरी तरफ उनके द्वारा कानून का प्रत्यक्ष उल्लंघन किये जाने पर भी उनके विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। सरकार को इस सम्बन्ध में कोई निर्णयात्मक कदम उठाना चाहिये उसे केवल घोषणायें करने तक सीमित नहीं रहना चाहिये।

बिहार राज्य से वहां पर कास्टिक सोडा की एक फैक्टरी स्थापित करने का भी एक प्रस्ताव आया है। चार पांच साल पहले बिड़ला की ओर से कास्टिक सोडा की फैक्टरी लगाने की अनुमति मांगी गई थी, लेकिन एम० आर० टी० पी० एक्ट के कारण वह अनुमति नहीं दी गई। पेट्रोलियम, केमिकल्ज और फर्टलाइजर्ज मिनिस्ट्री ने भी उसकी अनुमति नहीं दी। तब इन लोगों ने तत्कालीन मुख्य मंत्री से मिल कर यह चाहा कि अगर उनके नाम पर लाइसेंस नहीं दिया जाता है, तो बिहार सरकार यह कहे कि उसका इंडस्ट्रियल डेवेलपमेंट कार्पोरेशन उनके साथ मिल कर जायंट सैक्टर में कास्टिक सोडा का कारखाना लगाना चाहता है। उस कारखाने के लिये अनुमति दे दी गई।

वह कारखाना जायंट सेक्टर में होगा, जिसमें 25 परसेंट शेयर बिड़ला की तीन फैक्टरियों—सैन्टुयरी, ग्वालियर रेयन और एक अन्य —फैक्टरी के रहेंगे 26 परसेंट शेयर बिहार सरकार के होंगे और बकिया ईक्विटी शेयर बेचे जायेंगे। बिड़ला ने कहा है कि अगर कोई शेयर नहीं खरीदेगा, तो हम खरीद लेंगे। यद्यपि उनके शेयर 25 परसेंट रहेंगे लेकिन मैनेजमेंट उन्हीं के हाथ में रहेगा।

बिजली के लिये वे चाहते हैं कि उन्हें बिजली कनसेशनल रेट पर 9 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब —से दी जाये, और सरकार उनको डेढ़ पैसा प्रति यूनिट का अनुदान दे। आज भागलपुर का सिल्क उद्योग बिजली के बिना बन्द पड़ा हुआ है। उत्तर बिहार में चौबीस घंटों में

केवल दो तीन घंटों तक बिजली मिलती है। बिहार के इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड ने कहा है कि वे बिजली के लिये अपना कैप्टिव प्लांट लगायें, हम उन लोगों के फायदे के लिये 25 करोड़ रुपया खर्च कर के एक एक्स्ट्रा प्लांट नहीं लगा सकते हैं।

मैं उद्योग मंत्री से कहूंगा कि पिछली सरकार ने जो समझौता किया था उसको वह रद्द करें, उसकी सब टर्म्ज एण्ड कन्डीशन्ज को देखें। यदि कास्टिक सौडा की इस फैक्टरी की अनुमति दी गई, तो बिहार के पब्लिक एक्सचेकर पर बहुत बड़ा बर्डन पड़ेगा।

इसी सन्दर्भ में मैं एक बात और कहना चाहूंगा। बिहार में और बिहार ही क्या समूचे नार्दन रीजन में पावर की बहुत शार्टेज है और अभी सरकार इस स्थिति में नहीं है कि तात्कालिक इस का कोई निदान करे। हो सकता है उत्तर बिहार का यह पावर का प्रालम मुजफ्फरपुर का जो थर्मल पावर स्टेशन है उस के चालू होने के बाद समाप्त हो जाय लेकिन उसमें अभी तीन साल का समय लगेगा। तब तक या तो उत्तर बिहार का औद्योगीकरण नहीं होगा या सरकार वहां ऐसे उद्योग लगाने की तरफ ध्यान दे जिन में पावर का कन्जम्पशन बहुत कम होता है। ज्यालाजिकल सर्वे डिपार्टमेंट को इस के ऊपर कुछ काम करना चाहिये।

उदाहरण के लिये मैं कहना चाहूंगा कि कलकत्ता में ग्लास फैक्ट्री है। उस के लिये सैंड उत्तर प्रदेश के नैनी से आता है। जहां तक मेरी खबर है और इस के सम्बन्ध में उद्योग के लोगों से जो मुझे जानकारी मिली है उस के आधार पर मैं निश्चित इस राय का हूं कि दक्षिण बिहार में और उत्तर बिहार के कुछ स्थानों में यह सैंड मिल सकता है। सिर्फ उस की वाशिंग की आवश्यकता है। तो क्या सरकार इस पोजीशन में है कि बिहार में सैंड वांशिग का प्लांट वह लगाये? इस ग्लास का काफी मात्रा में एक्सपोर्ट होता है। अगर यह फ्लांट लग जाय तो कलकत्ते के ग्लास उद्योग को जो उत्तरप्रदेश से सैंड मंगाना पड़ता है वह उस को उत्तर बिहर से मिल जायगा।

इसी तरह से हैंड मेड पेपर की बात है। डिस्ट्रिक्ट इण्डस्ट्रीज सेंटर के द्वारा यह उद्योग वहां चलाया जा सकता है जिस में पुराने कपड़े और पुराने कागज को रा-मैटीरियल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह के कई उद्योग वहां लगाये जा सकते हैं जिन में पावर न लगे।

मौरीशस में बगासे का उपयोग गनी बैग्स बनाने के काम में करते हैं। जिस तरह से हम जूट के बोरे बनाते हैं उसी तरह वहां बगासे का उपयोग कर के बोरे बनाये जाते हैं। तो इस उद्योग को भी वहां चलाया जा सकता है। इस के उपर भी सरकार को ध्यान देना चाहिये और सरकार को अपनी पहल इस में करनी चाहिये।

तो ऐसे कई उद्योग हैं जो वहां चलाये जा सकते हैं जिस में पावर का कन्जम्पशन ज्यादा नहीं होगा लेकिन एम्प्लायमेंट ज्यादा जनरेट होगी। ऐसे ही उद्योगों की तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिये क्योंकि दो तीन वर्षों तक बिहार में बिजली की समस्याओं का कोई समाधान होने वाला नहीं है। तब तक या तो वहां का औधोगिकरण बन्द हो और नहीं तो इस के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। मैं उद्योग मंत्री जी से चाहूंगा कि अपना उत्तर देते समय इस बात का भी उत्तर हमें देंगे।

श्री विजयकुमार एन० पाटिल (धूलिया) : सभापति महोदय, जनता पार्टी के चुनावों

के समय लोगों को अनेक वचन दिये थे। लोगों ने भी सोचा कि उनमें से कुछ तो अवश्य ही पूरे किये जायेंगे। पिछले वर्ष, उद्योग मंत्री, श्री जार्ज फर्नान्डीस को औद्योगिक भागों के सम्बन्ध में नीति बनाने के लिये कम समय मिला था क्योंकि तब वह नये नये मंत्री बने थे। लेकिन इस वर्ष उनसे तथा जनता सरकार से काफी अपेक्षा थी। किन्तु, आज हम सरकारी उपक्रमों में ठहराव देख रहे हैं, जिसके परिणमस्वरूप इस देश के गरीब लोगों पर कारों का बोझ बढ़ता चला जाता है।

बहुत से सरकारी क्षेत्र उपक्रमों में उच्चतम स्तर पर ऐसे सिफारिशी लोगों को नियुक्त किया गया है जिन्हें न तो पर्याप्त तकनीकी ज्ञान है और न ही वे प्रबन्ध संचालन में विशेषज्ञता तथा अनुभव रखते हैं। सरकारी क्षेत्र उपक्रमों में नियुक्तियों के मामले में, गत 30 वर्षों के दौरान जो आलोचना कांग्रेस के शासन काल में की गई थी वही आज जानता शासन में भी हो रहा है।

उत्पादन और कार्यकुशलता में गिरावट की एक मिसाल बी० एच० ई० एल० है जो बहुत से अनुबन्ध खोता जा रहा है । राज्य विद्युत बोर्डों से भी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि० को ठेके नहीं मिल रहे हैं क्योंकि जिन वस्तुओं की जरूरत राज्य विद्युत बोर्डों की है भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि0 के पास उनका उत्पादन करने के लिये तकनीकी जानकारी का अभाव है। आज के समाचार पत्रों में यह रिपोर्ट दी गई है। कि सरकारी क्षेत्र उपक्रम किस तरह अधिकाधिक ठेके प्राप्त करने में पिछड़ रहे हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि गत वर्ष औद्योगिक उत्पादन 8 प्रतिशत वृद्धि हुई। लेकिन हमें यह नहीं भूल जाना चाहिये कि आपातकाल के दौरान औद्योगिक विकास 9 से 20 प्रतिशत तक वृदि हुई और हम इस वर्ष के दौरान 10 प्रतिशत वृद्धि से ज्यादा की अपेक्षा नहीं कर सकते। लेकिन यह समस्या सुलझने वाली नहीं है। दूसरी बात यह है कि जनता सरकार ने आश्वासन दिया था कि ग्रामों पर आधारित उद्योगों पर अधिक बल दिया जायेगा और लघु उद्योगों के संरक्षण के लिये कानून बनाया जायेगा, लेकिन अभी तक कोई कानून नहीं बना है, जहां तक ग्राम्य आधारित उद्योगों का सम्बन्ध है, आज स्थिति यह है कि अच्छे किस्म की बैलगाड़ी बनाने वाले उद्योग भी बम्बई के उपनगरों में स्थित है। हमें कोई भी उधोग ग्रामीण क्षेत्रों में आता दिखाई नहीं दे रहा है हालांकि पांच लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में कुछ उद्योगों को लाइसेंस देना बन्द कर दिया गया है। कुछ अन्य कमियां हैं जिनकी वजह से उद्योगपति ग्रामीण क्षेत्रों में, यहां तक कि पिछड़े क्षेत्रों में भी नये उद्योग लगाने के लिये आगे नहीं आ रहे हैं। हम यह भी देख रहे हैं कि लाइसैंस सम्बन्धी नीति में कोई सुधार दहीं हुआ है। दफ्तरशाही प्रक्रियाओं और पुराने नियमों के कारण, हम देखते हैं कि लोगों को चावल आटा मिल के लिये भी लाइसैंस प्राप्त करना बहुत कठिन हो गया है। यदि कोई शिक्षित बेरोजगार युवक पत्थर पीसने वाली चक्की लगाना चाहता है तो उसे अनेक कठिनाइयों को पार करना पड़ता है। इसलिये स्पष्ट है कि उस दिशा में भी कोई सुधार नहीं हुआ है।

जहां तक जिला उद्योग केन्द्रों का सम्बन्ध है पिछले एक वर्ष में हमने उनका कार्य देखा है और वह उतना सन्तोषजनक नहीं हैं जितनी अपेक्षा की गई थी। अधिक संख्या में असैनिक कर्मचारी तैनात किये जाते हैं और कोई भी परिणाम नहीं निकलता और परिणाम के बारे में किसी जिले में स्थापित औद्योगिक एकको और जिले में नये उद्यमियों के दिये

गये ऋण की राशि से निर्णय किया जाये। और अगर मंत्री महोदय इस वर्ष अच्छे आंकड़े प्रस्तुत करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि जिला उद्योग सेवा केन्द्रों की स्थापना करने के क्षेत्र में कुछ उपलब्ध हुई है।

दूसरे, लघु उद्योगों को सहायता देने सम्बन्धी नीति में उतार चढ़ाव हुआ है। पिछड़े जिलों में मूल पूंजी (सीड कैपीटल) के थी बारे में हमें संसद में बहस करनी होगी। उदाहरण के लिये, महाराष्ट्र में एक योजना भी जिसके माध्यम से केन्द्रीय सरकार चन्द्रपुर, औरंगाबाद और रत्नागिरि जिलें में प्रतिशत मूल पूंजी दे रही थी। ऐसा समाचार था कि इस योजना को बन्द कर दिया जायेगा। इस लिये जिन लोगों ने राज्य सरकार की सहायता से इन जिलों में उद्योग स्थापित करने की योजना बनाई थी और इन जिलों में मूलाधार ढांचे का विकास करने के लिये काफी समय मात्रा में धनराशि लगाई थी, पुनः यह अनुरोध करना पड़ा कि इस नीति को न बदला जाय और सौभाग्य की बात है कि सरकार ने इस योजना को एक वर्ष और आगे की अवधि के लिये फिर से बढ़ा दिया है। परन्तु हमें पता चलता है कि नीति में और फेर बदल करने से उद्योग में स्थिरता आती है और जो व्यक्ति किसी स्थान विशेष कर उद्योग की स्थापना करना चाहता है, उसे इस बारे में फिर से सोचना पड़ता है।

1पछड क्षेत्रों के बारे में काफी चर्चा की गई है और यह कहा गया है कि पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना की जायेगी। लेकिन वास्तविक स्थिति क्या है? मेरे जिला धूलिया का उदाहरण आप लें। धूलिया में रेमण्ड वूलन कम्पनी का फार्म है, जिसका संचालन सिंघानी ग्रुप द्वारा किया जाता है। इसके पास भैड़ों के चरने के लिये 30 वर्ग मील क्षेत्र जमीन है। लेकिन जब उनके लिये परिष्करण एकक की स्थापना का प्रश्न सामने आया और जिससे लोगों को रोजगार प्राप्त होता, तो से इसने एक अन्य जिले में परिष्करण एकक चालू कर दिया। हालांकि धूलिया एक पिछड़ा जिला है, परन्तु सरकार ने सिंघानिया ग्रुप को एक अन्य जिले में उद्योग स्थापित करने नहीं रोका। जब सरकार की यह नीति थी कि सरकारी क्षेत्र में या गैर सरकारी क्षेत्र में कुछ उद्योग पिछड़े जिलों में चालू किये जाने चाहिये किसी अन्य जिले में परिष्करण एकक प्रारम्भ करने के लिये यह उद्योगपतियों के लिये बाधा नहीं थी। इसलिये, जिन बातों के बारे में वचन दिया गया है, वे केवल कागज पर ही हैं और पूरी नहीं होती। इसलिये, मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि जब हम ग्रामीण उद्योगों की बात करते हैं, जब हम पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने की बात करते हैं, तो वह यह सुनिश्चित तो करें कि कम से कम कुछ मात्रा में तो उसे सही साबित किया जाये।

खादी ग्रामोद्योग के बारे में, हमें क्या पता चलता है कि आपके द्वारा किसी मिश्रित खादी का उत्पादन करने के बावजूद खादी का बहुत बड़ा भण्डार खादी भवनों में अम्बिका पड़ा है। इसलिये, हमें अन्य सहायक उद्योगों पर अधिक जोर देना चाहिये, जिससे हम अधिक संख्या में लोगों को रोजगार दे सके–

एक माननीय सदस्य : पालिएस्टर खादी।

श्री विजय कुमार एन० पटिल : पालिएस्टर खादी से रोजगार में बढ़ोतरी नहीं की जा सकती। यह केवल एक परिवर्तन है और हमें नहीं पता कि मंत्री महोदय के मस्तिष्क में क्या है।

मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि अगर खादी ग्रामोद्योग जिलों को निम्बोली बीजों के संग्रह के लिये, निर्माण कार्य के लिये चूने का उत्पादन करने के लिये गांवों में अधिक संख्या में गोबर गैस संयंत्रों की स्थापना करने के लिये और लघु उद्योगों द्वारा गोबर गैस संयंत्रों के लिये लोहे के कन्टैनरों का उत्पादन करने के लिये अधिक मात्रा में राजसहायता और ऋण दिया जाता है, तो इससे ग्रामीण क्षेत्रों में और पिछड़े क्षेत्रों में लघु उद्योगों के विकास में काफी सहायता होगी।

अन्त में, मैं कुछ शब्द कपड़ा मिलों के बारे में कहना चाहूंगा। मैं एक ऐसे जिले से आता हूं जहां अनेक ऐंसी कपड़ा मिले हैं, जो एन० टी० सी० के माध्यम से चलाई जा रही है। हमें जो पता चला है कि कोयला उपलब्ध नहीं होता है और उसकी वजह से हमें कुछ पारियां बन्द करनी पड़ती हैं। हम वहां अधिक संख्या में मजदूर तैनात नहीं कर पाते हैं। इसलिये मैं मंत्री महोदय से यह अनुरोध करूंगा कि वह कोयले की उस कटौती के बारे में ध्यान दें, जो रेल मंत्रालय और उद्योग मंत्रालय और अन्य विभागों के असहयोग से की गई है और बीमार कपड़ा मिलों के प्रश्न का, हालांकि इन मिलों को लाभ में चलाये जाने की संभावना है, कोयले और अन्य चीजों की समुचित और ठीक समय पर सप्लाई के माध्यम से केवल तकनीकी सुधारों द्वारा समाधान किया जा सकता है।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं और यह आशा करता हूं कि जिला उद्योग सेवा केन्द्रों पर अधिक ध्यान दिया जायगा और वे योजना प्रधान होने के बजाय परिणामोन्मुख होंगे और यह कि हम केवल वादों पर ही विश्वास नहीं करेंगे, बल्कि उनके कार्य निष्पादन पर ध्यान देंगे और मैं यह आशा करता हूं कि माननीय मंत्री महोदय, जो मजदूर यूनियनों और श्रमिक यूनियनों के माध्यम से अतीत में अपनी गतिशीलता के लिये विख्यात हैं और मैं आशा करता हूं कि उनकी गतिशीलता देश में उद्योग की स्थापना में अधिक सहायक होगी।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर (सीकर) : सभापति, महोदय, मैं उद्योग मंत्री जी को इस बात के लिए तो बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने जिला उद्योग केन्द्र स्थापित करने की योजना बनाई और उस के कारण एक चेतना प्रत्येक क्षेत्र में नये उद्योग लगाने की आई है लेकिन केवल उद्योग केन्द्र की योजना बना कर ही काम नहीं चलने वाला है क्योंकि जो कुछ भी पिछली सरकार ने अपने देश के अन्दर किवा है, जो विकासशील क्षेत्र और अनडेवलप्ड क्षेत्र बना कर सारे देश को विभक्त किया है, उस विभाजन रेखा को समाप्त करने की दृष्टि से कोई भी योजना नहीं बनाई गई है जिसके कारण सभी क्षेत्रों को समान रूप से औद्योगिक विकास करने का अवसर मिले।

पिछले सरकार ने हर एक प्रान्त के अन्दर कुछ जिलों को औद्योगिक दृष्टि से बैकवर्ड माना था मगर मैं अपने प्रान्त के बारे में यह जानता हूं कि जिन जिलों को हमारी पिछली

कांग्रेस सरकार ने बैकवर्ड घोषित किा था, वास्तव में वे औद्योगिक दृष्टि से बेकवर्ड नहीं थे, सब से ज्यादा औद्योगिक दृष्टि से आगे थे और आज भी हैं लेकिन केन्द्रीय सरकार की ओर से 15 परसेन्ट जो सब्सीडी मिलती है, उस के कारण सुखाड़िया साहब के जिले को या उस समय के उद्योग मंत्री के जिले को या उस समय के फाइनेन्स मिनिस्टर के जिले को बैकवर्ड जिला घोषित कर दिया गया। बाकी प्रान्तों में भी ऐसी ही स्थिति होगी क्योंकि पिछली कांग्रेस सरकार के जमाने में प्रान्तीय सरकारों की सिफारिशों के आधार पर केन्द्र पिछड़े जिले घोषिति करता था। इस प्रकार से इस तरह का इम्बलेंस पिछली कांग्रेस सरकार के कारण हुआ था। इसलिए मेरा कहना यह है कि केवल औद्योगिक केन्द्र खोलने मात्र से ही यह चीज दूर नहीं होगी बल्कि सरकार को अपनी सारी नीति पर पुनः विचार करना होगा कि किस प्रकार से पिछली सरकार ने योजना बनाई थी और कुछ जिलों को बिल्कुल ही बैकवर्ड रखा और जिलों में उद्योग होते हुए भी वैकवर्ड माना गया। उन जिलों में आज भी कोई भी आदमी उद्योग खोलना चाहेगा क्योंकि उसको केन्द्र की तरफ से 15 प्रतिशत सब्सीडी मिलती है और वह जो पिछड़े हुए जिले हैं, उनमें उद्योग खोलना नहीं चाहेगा। इस नीति के बारे में मंत्री महोदय ने कुछ नहीं किया जब तक इस नीति में अमूलभूत परिवर्तन नहीं किया जाता, तब तक औद्योगिक केन्द्र खोलने से कोई काम होने वाला नहीं है।

एक बात मैं और कहना चाहूंगा। हमार देश की जो फाइनन्शियल इंस्टीट्यशन्स हैं, जो उद्योगीकरण में मदद करती हैं जैसे आई० डी० बी० आई०, आई० एफ० सी० आई० या आई० सी० आई० सी० आई० इस प्रकार की जो छः इंस्टीट्यूशन्स हैं, उन्होंने जो लोन दिया है, कुल लोन का 50 प्रतिशत लोन उन्होंने केवल 4 स्टेट्स के अन्दर ही दिया है, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडू और वैस्ट बंगाल इनको 50 पर सेन्ट लोन दिया गया है और 50 प्रतिशत बाकी की जो स्टेट्स हैं, उनको दिया गया है। आखिर यह पैसा जो इनके पास आया है, यह केन्द्र सरकार ने दिया है या जनता से इकट्ठा किया हुआ पैसा है या दूसरी सोर्सेज से जो पैसा आता है, वह पैसा है। उस पैसे का वितरण और समान रूप से या जहां भी आवश्यकता है उन आवश्यकताओं के अनुसार नहीं किया गया तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से पिछली कांग्रेस सरकार की नीति थी, उससे कुछ क्षेत्रों को ही फायदा होगा। मैं जार्ज फर्नान्डीस साहब से निवेदन करूंगा कि इस प्रकार से पैसे का अधिकांश भाग केवल कुछ क्षेत्रों में ी दे दिया जाता है और बाकी के जो दूसरे क्षेत्र हैं, वे उससे वंचित रह जाते हैं, तो इस प्रकार की नीति जो कि पिछली कांग्रेस सरकार की नीति थी, उसमें परिवर्तन करने के लिए कौन से उपाय सोचे हैं, जिसके द्वारा सभी क्षेत्रों को फायदा पहुंच सके।

अगली बात मैं यह कहना चाहता हूं कि लेटर आफ इन्टेन्ट जो यहां से इशू होते हैं, उन के बारे में जो जानकारी मुझे मिली है वह यह है कि 50 पर सन्ट महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और वेस्ट बंगाल को मिल जाते हैं। 50 पर सेन्ट इन चार स्टेटस को जारी हुए और बाकी 50 पर सेन्ट दूसरे सारे प्रान्तों को जाते हैं। इस प्रकार जो इम्बैलेंस हमारे देश के अन्दर औद्योगिक विकास की प्रक्रिया के बारे में पिछली सरकार के जमाने में प्रारम्भ हुआ, वर्तमान मंत्री महोदय ने अगर इसमें परिवर्तन नहीं किया, तो समूचे देश के अन्दर जो रोजगार देने की बात आप करते हैं। और नई औद्योगिक नीति की जो बात आपने की है, वह सफल

नहीं होगी। म एक छोटा सा उदाहरण मंत्री महोदय के सामने रखना चाहूंगा। आप का टैक्स-टाइल कमिश्नर जो स्पिंडल्स एलोट करता है और उसमें जहां तक पावरलूम का सवाल है, महाराष्ट्र के अन्दटु और दूसरे इलाकों में जिन्होंने गैर-कानूनी स्पिंडल्स लगा दिये, उन्हीं को रेगूलेराइज कर दिया जाता है और जिन स्टेट्स के लोगों ने गैर-कानूनी स्पिंडिल्स नहीं लगाए हैं, उनको कुछ नहीं मिलता है। हमारे राजस्थान की क्या हालत है। वह 44 प्रतिशत ऊन सारे देश का उत्पादित करता है। लेकिन हम को जो स्पिन्डल्स मिले हैं पांच प्रतिशत मिले हैं। अगर आप कहें कि आंध्र में, महाराष्ट्र में रूई पैदा होती है इसलिए उनको स्पिन्डिल्स मिले हैं तो राजस्थान भी 44 प्रतिशत ऊन पैदा करता है और उस पर भी हमें पांच प्रतिशत स्पिंडल्स मिलें। यह कहां तक उचित है?

देश में जनता सरकार के आने के बाद भी पिछली सरकार ने जो नीतियां बनायी थीं, उन नीतियों में जो परिवर्तन करना आवश्यक था वह परिवर्तन हम नहीं कर पाये हैं। उसके परिणामस्वरूप देश का जो विकास होना था, विकास को जो गति मिलनी थी, वह नहीं मिल पायी है और पिछड़े प्रांतों और पिछड़े जिलों का विकास नहीं हो पा रहा है। माननीय मंत्री महोदय इस दृष्टि से विचार करें।

माननीय मंत्री महोदय ने आठ परसेंट के ग्रोथ रेट की बात कही है। मैं चाहूंगा कि वे उसमें और अन्य सारी योजनयओं में सफल हों। लेकिन आज भी हमें अपने देश के अन्दर सीमेन्ट, स्टील, पेपर बाहर से मंगाना पड़ता है। जो चीजें अपने देश में निर्मित हो सकती हैं वे भी कुछ सैद्धान्तिक विवाद के कारण से आज अपने देश के अन्दर नहीं हो पा रही हैं। मंत्री जी व्यावहारिकता के नाते इस पर विचार करें।

जहां तक सीमेंट का सवाल है, इसक उद्योग 25 करोड़ रुपये की पूंजी के बिना नहीं लग सकता। इसे सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया लगा सकती है या बड़े घराने के लोग लगा सकते हैं। हमारी सीमेंट कारपोरेशन इस मैदान में नहीं आ रही है। अब माननीय मंत्री जी ने नया नारा दिया है—मिनी सीमेंट प्लान्ट का। मुझे पता नहीं कि देश में कहीं मिनी सीमेंट प्लान्ट लगे हैं या लगने जा रहे हैं। अगर आप नहीं चाहते कि बड़े घराने इस व्यापार में आयें तो आप फैसला कर लीजिए और सीमेंट कारपोरेशन को कहिये कि वह इस क्षेत्र में आये। अभी मेरे से पहले बोलने वाले असम के माननीय सदस्य ने कहा कि असम में सीमेंट का ढाई गुना ब्लेक चल रहा है। क्योंकि वहां सीमेंट की कमी है। माननीय मंत्री जी मानते हैं कि सीमेंट देश में बाहर से मंगाना पड़ता है। हमारी पब्लिक सेक्टर यह कारखाने लगा नहीं सकती तो फिर जो लोग ये कारखाने लगाने के लिए लायसेंस की मांग करते हैं तो उनको लायसेंस देने के बारे में क्यों नहीं विचार किया जाता। हमें देश में उत्पादन की बात को सोचना चाहिए न कि छोटे और बड़े घरानों के किसी विवाद में पड़ना चाहिए। आपने मिनी प्लांट की बात कह दी। इनसे तो सीमेंट का उत्पादन नहीं होगा।

इसी प्रकार से अन्य उद्योगों में भी स्थिति है। सभापति महोदय, राजस्थान के अन्दर सांभर उद्योग एक गवर्नमेंट का कंसर्न है। वहां पर नमक पर आधारित उद्योग लगाये जा सकते हैं।

राजस्थान गवर्नमेंट ने एक उद्योग लगा भी रखा है। सांभर प्रोजेक्ट राजस्थान के अन्दर सब से बड़ा प्रोजेक्ट है। वहां पर हमारे मंत्री महोदय का जो विभाग है वह भी कदम उठाये। आज हम को बाहर से जो चीजें मंगानी पड़ रही हैं उन चीजों का उपादन इसी देश में हो सकता है।

हमारे देश में सैद्धांतिक चर्चा के नाम पर एक कंफ्यूजन क्रियेट किया गया है। मैं समझता हूं कि इस बारे में मंत्री महोदय को एक स्पष्ट नीति का निर्धारण करना होगा। अभी कहा गया था कि प्रतिवर्ष देश के अन्दर एक लाख बसें और ट्रकें सड़क पर लायेंगे। अब ये कहां आयेंगे? आज जो देश के अन्दर उत्पादन और यातायात की स्थिति है उसको देखते हुए तो यह संभव नहीं मालूम होता। जो लक्ष्य हमने निर्धारित किया है वह लक्ष्य पूरा होना चाहिए। लेकिन वर्तमान जो हमारे उद्योग हैं उनमें ऐसा नहीं लगता है कि यह पूरा होगा।

आज देश में एक चर्चा चलायी गयी कि कुछ उद्योगों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। उनमें मोटर, व्हेकल्स का उत्पादन करने वाले उद्योग भी हैं। जब हम राष्ट्रीकरण की बात कह रहे हैं तो मुझे लगता है कि सभी क्षेत्रों में जितना पूंजी विनियोजन होना चाहिए वह नहीं होगा। हमारे पिछले वित्त मंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि पूंजी विनियोजन का काम बिल्कुल ठप्प होता जा रहा है। अगर पूंजी नियोजन का काम ठप्प हो जाएगा तो स्पष्ट है कि हमारा उत्पादन उत्पादन नहीं बढ़ेगा। इसमें सरकार की नीति स्पष्ट नहीं है। सरकार की नीति स्पष्ट न होने के कारण न सरकारी क्षेत्र में कुछ काम किया जा सकता है और प्राइवेट सक्टर के लोग कुछ काम कर सकते हैं। आपने कहा कि मोटर उद्योग का स्टील उद्योग का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। अल्यूमिनियम का राष्ट्रीयकरण होना चाहिये। तो या तो आप एक झटके में राष्ट्रीयकरण कर दोजिये, नहीं तो इस प्रकार की चर्चा हवा में छोड़ कर सारे देश के विकास की गति को अवरुद्ध करना अच्छी बात नहीं है।

अगर देश का कोई उद्योगपति किसी चीज़ का निर्माण करता है तो उसको प्रोत्साहन देना चाहिये। अभी एक सवाल आया कि जयपुर इंजीनियरिंग कम्पनी ने डायलेसिस मशीन का पम्प बनाया। उसी पर लोग नाराज हैं कि क्यों बनाया। अगर प्राइवेट सेक्टर के रिसर्च और डेवलपमेंट के कारण कोई आदमी मशीनरी बनाये तो हमें उस पर एतराज नहीं होना चाहिये। लेकिन जहां तक मल्टीनेशनल कम्पनियोंका सवाल आता है उनसे सभी प्रकार के समझौते किये जाते हैं। आपने एम० आर० टी० पी० में 20 करोड़ की सीमा निर्धारित की है। लेकिन आज रुपये की वैल्यू घट गई है और उस नाते से अगर व्यावहारिक तौर से सोचें तो उस सीमा में परिवर्तन करना होगा। अगर परिवर्तन नहीं किया तो काम नहीं चलेग। हम यह नहीं कहते कि आप नियंत्रण न करें। जितने भी नियंत्रण सम्भव हो सकते हैं जिससे देश का शोषण न हो, उतने नियंत्रण लगायें, लेकिन आज हमारे यहां के लोग यहां का पैसा ले जा कर दुनिया के दूसरे देशों में उद्योग खोल रहे हैं, नाइजीरिया में, इंजोनीसिया में कागज और सीमेंट के कारखाने लगाते हैं और ऐसा इस वजह से करते हैं कि यहां उनको साधन नहीं मिलते हैं। इसलिये बाहर के देशों में जाते हैं। अगर देश से डाक्टर्स, इंजीनियर्स को

बाहर नहीं जाने देना चाहते तो उसी प्रकार से हमें उद्योगपतियों को भी बाहर नहीं जाने देना चाहिये और देश में ही उद्योग बढ़ाने के लिये उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिये। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है।

जहां तक मल्टी नेशनल्स का सवाल है, मेरे से पूर्व वक्ता ने कहा था कि जिस प्रकार के सैक्टर्स के अन्दर उनको आज अलाऊ किया जा रहा वह देश हित में नहीं है। माननीय बरूआ साहब ने अभी कहा था कि चौक्लेट से ले कर टाफी, पेस्ट और टूथ ब्रूश मल्टी नेशनल्स बनाती हैं। क्या उनको रोका नहीं जा सकता है? अगर आप यह काम देश में बड़े घरानों को नहीं देना चाहते हैं तो पब्लिक सैक्टर को इस क्षेत्र में जाना चाहिये। लेकिन ऐसा भी नहीं। अगर कंज्यूमर गुड्स में मल्टी नेशनल की जगह पब्लिक सैक्टर जायेगा तो देश को कुछ फायदा ही हो सकता है। लेकिन देश का जिस प्रकार से यह कम्पनियां शोषण कर रही ह उस बारे में अधिक कहना मुनासिब नहीं समझता। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा जिसके बारे में मंत्री जी अपने उत्तर में बतायें कि बी० एच०ई० एल० और सीमन्स के बीच जो समझौता हुआ और जिस कारण देश में विवाद खड़ा हुआ है, उसमें कोई ग्लौबल टेंडर नहीं लिया गया, वह कहां तक उचित है। जो टरबाइन्स दूसरी कम्पनियां बढ़िया बना सकती थीं, उनसे न बनवाकर सीमेन्स को ही क्यों यह काम दिया गया। जो चीज़े हमारे देश के छोटे छोटे कारखाने बना सकते थे जैसे बटन, स्विच गीयर्स, यह चीजें भी सीमेंस कम्पनी बनायेगी, इससे हमारे उद्योगों की प्रतिष्ठा को बड़ा भारी धक्का लगा है। इसलिये मैं चाहूंगा सिमेंस कम्पनी से जो समझौता हुआ है और उसके कारण से जो हमारे स्थानीय उद्योगों को नुक्सान हो रहा है, उस नीति का आप स्पष्टीकरण करें कि ऐसा क्यों किया गया।

मेरी तो राय है कि अगर इस समझौते को समाप्त किया जा सकता है तो उसको समाप्त किया जाये। हमारे देश के जो इंजीनियर्स बी० एच० ई० एल० में काम करते हैं उसकी योग्यता में किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है, क्योंकि मैंने स्वयं उस क्षेत्र को देखा था। उनका कहना है कि हम सब प्रकार की चीजें अपनी प्रतिभा के द्वारा बना सकते हैं। यदि ऐसा है तो इस प्रकार का समझौता मल्टी नेशनल से नहीं करना चाहिये और उसके कारण के फैली हुई शंकाओं का आपको निराकरण करना चाहिये। इतना ही मैं कहना चाहता हूं।

श्री धीरेन्द्र नाथ बसु : (कटवा) : सभापति महोदय, देश की औद्योगिक स्थिति और आर्थिक स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब है।

सबसे पहले, मैं सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। जबकि हम उद्योगों के राष्ट्रीयकरण को प्रोत्साहन देते हैं, हमें यह अवश्य देखना होगा कि सरकारी उपक्रम या राष्ट्रीयकृत उद्योगों का संचालन समुचित प्रकार से ऐसे लोगों द्वारा किया जाए जिन्हें प्रबन्ध सम्बन्धी तकनीकी जानकारी हो। परन्तु, हमें क्या पता चलता है कि अधिकांश सरकारी उपक्रम इस समय घाटे में चल रहे हैं--सरकारी क्षेत्र के लगभग सभी उपक्रमों की 35 से 50 प्रतिशत क्षमता का ही इस समय उपयोग किया जा रहा है। वे कहते हैं कि ऐसा विभिन्न कारणों से है। वे क्या कहते हैं—वे कहते हैं कि इसका कारण बिजली की, मालडिब्बों की कमी और कोयले का उपलब्ध न हो पाना है। कम से कम, सदन में ऊर्जा मंत्री ने यह बताया था कि बिजली की कोई कमी नहीं होनी चाहिए।

परन्तु माल डिब्बों की कमी की वजह से, हम औद्योगिक क्षेत्रों में कोयला नहीं भेज सकते। परन्तु रेल मंत्री ने सदन में बार-बार बताया है कि माल डिब्बे पर्याप्त संख्या में हैं और माल डिब्बों की कोई कमी नहीं है। यह एक पारस्परिक विरोधी वक्तव्य है। हमें यह पता चलता है कि शायद मंत्रालयों के बीच बेहतर तालमेल नहीं है।

श्रीमान् जी, पिछले पन्द्रह वर्ष के रिकार्ड से, इस वर्ष प्रस्तुत निष्पत्ति बजट से और इस वर्ष प्रस्तुत उद्योगों सम्बन्धी प्रतिवेदन और आर्थिक सर्वेक्षण से यह पता चलता है कि निम्नलिखित वर्षों के लिए सकल राष्ट्रीय आय में सरकारी क्षेत्र और गैर-सरकारी क्षेत्र का योगदान निम्न प्रकार है :—

1950–51	सकल राष्ट्रीय आय	9.340 करोड़ रु०
	सरकारी क्षेत्र का अंश	500 करोड़ रु० (5.4%)
	गैर-सरकारी क्षेत्र का अंश	8,830 करोड़ रु० (94.6%)
	कर की वसूली	627 करोड़ रु० (6.7%)
1955–56	सकल राष्ट्रीय आय	9,499 करोड़ रु० (सभी उद्योग)
	सरकारी क्षेत्र का अंश	581 करोड़ रु० (5.7%)
	गैर-सरकारी क्षेत्र का अंश	9,908 करोड़ रु० (94.3%)
	कर की वसूली	761 करोड़ रु०
1960–61	सकल राष्ट्रीय आय	13,999 करोड़ रु०
	सरकारी क्षेत्र का अंश	1,558 करोड़ रु० (11.1%)
	गैर-सरकारी क्षेत्र का अंश	4,441 करोड़ रु० (89.9%)
	कर की वसूली	1,355 करोड़ रु० (9.7%)
1965–66	सकल राष्ट्रीय आय	21,866 करोड़ रु०
	सरकारी क्षेत्र का अंश	2,960 करोड़ रु० (13.5%)
	गैर-सरकारी क्षेत्र का अंश	18,906 करोड़ रु० (86.5%)
	कर की वसूली	2,903 करोड़ रु० (13.3%)
1970–71	सकल राष्ट्रीय आय	36,548 करोड़ रु०
	सरकारी क्षेत्र का अंश	5,485 करोड़ रु०
	गैर-सरकारी क्षेत्र का अंश	31,063 करोड़ रु० (85%)
	कर की वसूली	2,735 करोड़ रु०
1977–78	सकल राष्ट्रीय आय	69,551 करोड़ रु०
	सरकारी क्षेत्र का अंश	9,287 करोड़ रु० (13.9%)
	गैर-सरकारी क्षेत्र का अंश	60,264 करोड़ रु० (86.1%)

कुल कर की वसूली के रूप में 9,206 करोड़ रु० की राशि प्राप्त हुई। मैंने इन सभी आंकड़ों का उल्लेख यह दर्शाने के लिए किया है कि सरकारी क्षेत्र में कितनी पुंजी लगाई गई है और सकल राष्ट्रीय आय में कितना कम उनका अंशदान है।

सभापति महोदय, उस दिन वित्त मंत्री ने बिल्कुल सही उल्लेख किया था कि सरकारी उपक्रमों को 40,000 करोड़ रु० का घाटा हुआ है। इससे पता चलता है कि कुप्रबन्ध चल रहा है और वे ठीक प्रकार से प्रबन्ध नहीं चला पा रहे हैं, क्योंकि उनमें ऐसे तकनीकी आदमी नहीं हैं जो प्रबन्ध का अच्छी प्रकार संचालन कर सकें। इसलिए, आपको इस बारे में नीति बदलनी होगी। अगर आप इस तरीके से लचते रहे तो, राजकोष के संसाधनों का ह्रास करते रहेंगे।

अब, पश्चिम बंगाल में गत एक सप्ताह से बिजली की कमी, परिवहन सम्बन्धी कठिनाइयों और उनके माल की अनुपलब्धता और इसी प्रकार की अन्य बातों की वजह से सभी उद्योग बन्द पड़े हैं। मैं आश्चर्यचकित हूं कि उद्योग मंत्री दिल्ली में बैठे हुए यह सब देख रहे हैं। पूर्वी क्षेत्र में जो कुछ हो रहा है वह यह है कि या तो अनेक उद्योग बन्द हो गए हैं या कुछ उद्योगों में बड़ी संख्या में मजदूरों को जबरन छुट्टी पर भेज दिया गया है। अगर इसी तरह से यह सब चलता रहा, तो इस देश में या तो अव्यवस्था फैल जाएगी या क्रान्ति होगी। इसलिए मैं मंत्री महोदय को यह बताना चाहता हूं कि यदि औद्योगिक विकास नीति में संशोधन नहीं किया जाता, तब तक उद्योग का सुधार नहीं हो सकता। जो कुछ हम देखते हैं—वह यह है कि सम्पूर्ण भारत में औद्योगिक और आर्थिक स्थिति बिगड़ती जा रही है। कहीं भी कोई सुधार दिखाई नहीं देता। इसके क्या कारण हैं। मंत्री महोदय का कहना है कि राष्ट्रीय कपड़ा निगम को फायदा हुआ है, परन्तु मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि वे जनता धोतियों का उत्पादन नहीं कर रहे हैं। राष्ट्रीय वस्त्र निगम का प्रबन्ध निदेशक बम्बई में रहता है और वह पश्चिम बंगाल में नहीं आता अथवा मिलों में कतई नहीं जाता।

अब, सभापति महोदय, मैं इसका उल्लेख करना चाहूंगा कि सरकार ने किन-किन कम्पनियों का अधिग्रहण किया है। उन्होंने ब्रिटेनिया इंजीनियरिंग कम्पनी का अधिग्रहण किया है और विशेषज्ञों ने 11 करोड़ रु० की उनकी आस्तियां होने का अनमान लगाया है, जबकि उन्होंने मुआवजे के रूप में 16 करोड़ रु० की राशि का भुगतान किया है। ब्रिटेनिया इंजीनियरिंग कम्पनी के मोकामेह एकक में 8 करोड़ रु० मल्य की संपत्ति आंकी गई थी, जबकि दो वर्ष बाद उन्हें 12 करोड़ रु० की राशि का भुगतान किया गया है। कैसे?

अब कुछ शब्द मैं लाइसेंसिंग नीति के बारे में कहना चाहूंगा। माननीय मंत्री महोदय मुझसे इस बारे में सहमत होंगे कि बिड़ला उद्योग समूह के बारे में एक जांच आयोग नियुक्त किया गया था और जाँच आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि लाइसेन्स गलत तरीके से जारी किए गए। जांच-पड़ताल का काम चल रहा था और बिड़ला उद्योग समूह ने कुछ रोक आदेश ले रखे थे और गत दो वर्षों के दौरान रोक आदेश को समाप्त नहीं कराया गया था। यह स्थिति है। नये लाइसेन्स भी जारी किए गए हैं और अपने रेयन एकक के बारे में विस्तार करने की उन्हें अनमति दे दी गई है। आप कहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र को प्राथमिकता दी जाएगी, परन्तु हमें जो पता चलता है वह यह है कि बड़े उद्योग क्षेत्र को अधिकाधिक प्राथमिकता मिल रही है। नौकरशाह सब कुछ कर रहे हैं। वे आपके सामने कागज पेश करते हैं और आप दस्तखत कर देते हैं। यह सब हो रहा है और मैं आपको यह बताना चाहूंगा। बिड़ला उद्योग समूह के बारे में सरकार ने नियमों का उल्लंघन करके उद्योगों का विस्तार करने के लिए उन्हें औद्योगिक

लाइसेंस दिए हैं। बहु राष्ट्रीय कम्पनियों को प्राथमिकता दी जा रही है। मुझे खशी है कि उस दिन माननीय उद्योग मंत्री ने यह घोषणा की कि वह इस मामले पर ध्यान देंगे। यह बहुत जरूरी है। अगर इस समय उद्योगों के विकास की अनुमति नहीं दी जाती है, तो रोजगार की समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है? प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री और उद्योग मंत्री द्वारा पहले ही यह घोषणा की जा चुकी है कि वे ग्रामीण समस्याओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे। परन्तु वस्तुतः क्या हुआ है? केवल भाषण देना काफी नहीं है, आपको कुछ काम करके दिखाना चाहिए। लघ उद्योग और ग्रामोद्योगों को प्राथमिकता नहीं दी गई है। आपको उन्हें सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। आप केवल भाषण न दें, बल्कि कृषि-क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता भी दें। खेती के उपकरणों सम्बन्धी उद्योगों की स्थापना सभी ग्रामीण क्षेत्रों में की जानी चाहिए। मुझे खशी है कि कुछ जिलों में कुछ औद्योगिक केन्द्र खोले गए हैं। मन्त्री महोदय ने एक अच्छा काम किया है। लेकिन इन उद्योगों के वित्त पोषण, विशेषकर आर्थिक संकट-ग्रस्त उद्योगों के वित्तपोषण के बारे में क्या कार्यवाही की गई है? इस बारे में जो कुछ हुआ है वह यह है। अगर वे ऋण के लिए इस वर्ष आवेदन करते हैं, तो यह ऋण उन्हें लगभग दो वर्ष बाद प्राप्त होगा। तब तक उद्योग और भी अधिक आर्थिक संकटग्रस्त हो जाता है और कुछ उद्योग तो बिल्कुल ही समाप्त हो जाएंगे। यह तो यह कहने के समान है कि डाक्टर आ गया है, लेकिन मरीज मर गया है। ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए और आवश्यक उपचारात्मक उपाय किए जाने चाहिएं, केवल कागज पर ही नहीं, बल्कि उन्हें क्रियान्ति भी किया जाना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री पदमाचरण सामन्तसिंहेरा (पुरी) : मैं इस बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं, लेकिन मैं उड़िया में बोलूंगा।

सभापति महोदय, हमारे उद्योग मंत्री एक समाजवादी क्रांतिकारी हैं। हमें यह आशा थी कि वह उद्योग में कुछ परिवर्तन करेंगे, क्योंकि उन्हें इस क्षेत्र में काफी अनुभव है। लेकिन जैसा कि हमने देखा कि उद्योगों की स्थापना करने के लिए बहुराष्ट्रीय उद्योगपति को सभी प्रकार की प्राथमिकता मिल रही है। उन्हें आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। इसलिए, सरकार को अब दो बातों के बारे में निर्णय करना चाहिए। जमींदारी का उन्मूलन किया जा चुका है। राजा अब सत्तारूढ़ नहीं रहे। कृषि से पूंजीवाद को समाप्त किया जा रहा है। लेकिन पूंजीपतियों ने अन्य क्षेत्रों में अपना दमन चक्र प्रारम्भ कर दिया है। उनका मुख्य उद्देश्य अपने उद्योगों का विकास करके सम्पत्ति का संचय करना है। वे लोगों को परेशान कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, मैं बड़े घरानों के बारे में कुछ शब्द कहना चाहूंगा जिनकी सम्पत्ति 100 करोड़ रु० थी । अब वह बढ़ कर 1000 करोड़ हो गई है। वे किसान नहीं हैं। वे खेती नहीं करते, वे केवल उद्योगों से कमाई करते हैं। अब उनकी सम्पत्ति बढ़कर 5000 करोड़ रुपए हो गई है। अब 60 करोड़ लोगों के पास 43000 करोड़ रु० हैं, तो अब हमें यह देखना होगा कि उनकी आय कैसे कम हो। हमने कुटीर उद्योगों को प्राथमिकता देने का निर्णय किया किया है।

*उड़िया में दिए गए भाषण के अंग्रेजी हिन्दी अनुवाद का रूपांतरण।

श्रीमान् जी, समुद्र के किनारे होने की वजह से पुरी में मछली का व्यापार होता है। गरीब मछआ यह धंधा करता है। टाटा, बिड़ला, टोबैको कम्पनी और लीवर कम्पनी ने पुरी क्षेत्र में अब अपने व्यापार का विस्तार किया है। अगर वे ऐसे व्यापार में पूंजी लगाते हैं, तो गरीब व्यापारी अपने व्यापार में कैसे सुधार कर सकता है। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने इस क्षेत्र में लोगों को सताना और उनका दमन करना प्रारम्भ कर दिया है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह इस मामले की ओर ध्यान दें। दूसरी बात, मैं सरकारी क्षेत्र की कम्पनियव के बारे में कहना चाहूंगा। कुछ माननीय सदस्यों ने यह कहते हुए अपने विचार व्यक्त किए हैं कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रम की स्थिति अब बहुत खराब हो चुकी है और भविष्य में इसमें सुधार नहीं किया जा सकता। ऐसा क्यों होगा ? अगर किसी व्यक्ति के पुत्र का व्यवहार खराब हो जाता है, तो पिता का यह कर्त्तव्य नहीं है कि उसकी हत्या कर दे। उसका तो यह कर्तव्य है कि उसके आचरण में सुधार करने के लिए कार्यवाही करे।

हमारी सरकार का उद्देश्य समाजवादी ढांचे की सरकार की स्थापना करना है। सरकारी क्षेत्र के उपक्रम इस उद्देश्य को प्राप्त करने में हमारी सहायता कर सकते हैं। ऐसी कम्पनियों में 1500 करोड़ रु० की पूंजी लगी हुई है। भारत का कुल राजस्व 3000 करोड़ रु० है। इतनी धनराशि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अन्तग्रस्त है। अगर हम इसकी जांच करें, तो हमें यह पता चलेगा कि इस क्षेत्र में कई सौ करोड़ रु० का घाटा है। इसलिए मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि जो अधिकारी घाटे से सम्बद्ध हैं, उन्हें दण्ड दिया जाना चाहिये। घाटे की प्रतिपूर्ति करने के लिए उनके विरुद्ध समुचित कार्रवाई की जानी चाहिए। कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो बिल प्रस्तुत करते हैं, जिनमें विदेशी दौरों पर उनके व्यय और आतिथ्य पर खर्च होने का तर्क दिया जाता है। लाखों रुपयों का घाटा होता है, जबकि मनोरंजन पर वे भारी धनराशि खर्च करते हैं। ऐसे घाटे के बावजूद, विभाग के लिए वे गाड़ियां खरीदते है। जहां करोड़ों रु० का घाटा है, वहां भी नए अतिथि गृहों का निर्माण किया गया है। इन अनावश्यक खर्चों को रोका जाना चाहिए। दूसरे, तकनीकी विशेषज्ञों की नियुक्ति प्रबन्धकों के रूप में की जानी चाहिए। सलाहकार भी नियक्त किए जाने चाहिएं। क्योंकि सम्बद्ध अधिकारी केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों से अधिक वेतन प्राप्त करते हैं। इसके बावजूद अगर वे ठीक प्रकार कार्य नहीं करते, तो उन्हें दण्ड दिया जाना चाहिए।

एक अन्य उदाहरण का उल्लेख करते हुए, मैं यह कहना चाहूंगा कि सरकारी उपक्रम के अन्तर्गत 17 संस्थानों का संचालन किया जा रहा है। जबकि उत्पादन में वृद्धि हो रही है, लेकिन फिर भी घाटा हो रहा है। वर्ष 1976–77 में 828 करोड़ रु० मूल्य का उत्पादन किया गया और 61 करोड़ रु० का लाभ हुआ। परन्तु वर्ष 1977–78 में 878 करोड़ रु० का उत्पादन हुआ और लगभग 16 करोड़ रु० का घाटा हुआ। यह सब क्या हो रहा है? सरकारी प्रतिवेदन में यह कहा गया है कि कोयले की कमी की वजह से घाटा हुआ। कुछ भी कारण हो, लेकिन जब उत्पादन में वद्धि हो रही है, तो घाटा कैसे हो सकता है। इसलिए इस मामले की अच्छी तरह जांच की जानी चाहिए, अन्यथा कुछ भी नहीं हो सकेगा।

दूसरी बात, मैं खादी बोर्ड, लघु उद्योगों और विद्युत् चालित करघों में पूर्ण रोजगार के बारे में कहना चाहूंगा। वर्ष 1977–78 के अन्त तक, एक करोड़ और चौहत्तर लाख लोगों को ऐसे उद्योगों में रोजगार दिया गया है। परन्तु वर्ष 1982–83 तक सरकार के लक्ष्य के अनसार हम तीन करोड़ पांच लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध करेंगे। यह कैसे सम्भव है? जनता सरकार ने 10 वर्ष की अवधि में बेरोजगारी समाप्त करने का निर्णय किया है। प्रत्येक वर्ष जनसंख्या में 1 करोड़ और 30 लाख लोगों की बढ़ोतरी हो जाती है। $1\frac{1}{2}$ करोड़ क्विंटल खाद्यान्न की उनके लिए जरूरत पड़ती है। एक लाख बीस हजार स्कूल और तीन लाख अध्यापकों की उनके लिए जरूरत होगी। उसी हिसाब से उन्हें औद्योगिक उत्पादों की जरूरत होगी। इसलिए अगर उद्योग का ठीक से प्रबन्ध नहीं चलाया जाता, तो सभी व्यक्तियों को रोजगार नहीं मिल सकता और बेरोजगारी की समस्या का समय सीमा के अन्दर समाधान नहीं किया जा सकता। इसलिए कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

तीसरे, सरकार को अपने औद्योगिक नीति को अन्तिम रूप देना चाहिए। क्या सुविकसित क्षेत्र या पिछड़े और निर्धन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी? श्रीमान् जी, उड़ीसा एक ऐसा राज्य है, जहां वर्ष 1971 में कुल जनसंख्या के 61 प्रतिशत लोग गरीबी के स्तर से नीचे थे। कुछ दिन पहले कृषि और प्रौद्योगिकी के उड़ीसा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति ने अपने भाषण में यह कहा था कि उड़ीसा में कुल जनसंख्या के 85 प्रतिशत लोग गरीबी के स्तर से नीचे हैं। हमारा देश स्वतंत्र है और प्रत्येक वर्ष विकास कार्य किए जाते हैं। इसके बावजूद अगर उड़ीसा में निर्धनता में वृद्धि हुई है, तो यह वस्तुतः बड़े खेद की बात है। भारत में कुल जनसंख्या के 46 प्रतिशत लोग गरीबी के स्तर से नीचे हैं। छठी योजना में गरीबी का स्तर घटकर 36 प्रतिशत रह गया है।

अभी हाल में हमने त्रिपुरा की यात्रा की थी। हमने वहां भी वही स्थिति देखी। इस सन्दर्भ में मैं सरकार से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि उड़ीसा जैसे पिछड़े राज्यों के औद्योगिक विकास के लिए समुचित प्राथमिकता दी जानी चाहिए। पूंजीपतियों को उद्योग बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उद्योगों को केवल उन्हीं राज्यों में आरम्भ किया जाए, जो अल्प-विकसित हैं।

लघु उद्योगों के बारे में बोलते हुए, मैं सरकार को यह सुझाव देना चाहूंगा कि सभी लघु उद्योगों का सरकार द्वारा पूरी तरह से और समुचित प्रकार से वित्त पोषण किया जाए। अन्यथा लोगों को सताए जाने और उनका दमन करने में वृद्धि होगी। नीति के बारे में बोलते हुए मैं यह कहना चाहूंगा कि देश को तभी विकसित कहा जा सकता है, जब वह औद्योगिक दृष्टि से विकसित हो। सरकार ने यह घोषणा की है कि लघु उद्योगों का विकास करने के लिए पिछड़े क्षेत्र को प्राथमिकता दी जाएगी। मुझे नहीं पता कि उड़ीसा को पिछड़े क्षेत्रों में शामिल किया गया है अथवा नहीं? यह कहा गया है कि ये पिछड़े क्षेत्र पूर्वोत्तर क्षेत्र में हैं। 146 जिले पिछड़े घोषित किए गए हैं और उन जिलों को समुचित सुविधाएं दी गई हैं। जैसा मैं समझता हूं और मैं यह सुझाव भी देना चाहूंगा कि निर्धन और अल्प-विकसित क्षेत्रों को पिछड़े क्षेत्र माना जाना चाहिए और उन्हें उचित सहायता दी जानी चाहिए।

श्रीमान जी, दिल्ली में औद्योगिक विकास निगम का एक कार्यालय है। इस कार्यालय से मुझे यह पता चला कि पिछले वर्ष 6 लाख रु० का कुल लाभ हुआ था, जबकि इस वर्ष 45 लाख रु० का लाभ हुआ है। उस कार्यालय का प्रबन्ध निदेशक विदेशी दौरों पर जाता है। विदेशों में कार्य शुरू किया गया है, जो घाटे में चल रहा है। ऐसा केवल कुप्रबन्ध की वजह से हो रहा है। यह सीधे सरकार के नियंत्रण में है। अगर ऐसे कार्यालय में कुप्रबन्ध है, तो मैं नहीं समझता कि हमें सरकार पर या सरकारी उपक्रम पर विश्वास भी कर सकते हैं?

अब मैं जिला औद्योगिक केन्द्रों के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। 246 जिला औद्योगिक केन्द्र हैं। कुछ समय पहले मंत्री महोदय से मुझे एक पत्र प्राप्त हुआ था। जिसमें यह कहा गया है कि ऐसे 144 जिलों में काम शुरू हो गया है। बाकी जिला औद्योगिक केन्द्रों में काम क्यों नहीं शुरू हुआ है। सरकार की योजना के अनुसार लघु उद्योगों को कार्यालय में नहीं जाना पड़ेगा। सभी प्रकार का सामान और सहायता की सप्लाई सरकार द्वारा की जाएगी। अधिकारी औद्योगिक एककों में मिलेंगे।

श्रीमान् जी, हमारे देश में गीता, पुराण और बाइबिल सभी कुछ है। हम सभी में विश्वास करते हैं। उद्यमियों की सहायता करने के लिए मंत्री महोदय ने सभी संभव योजनाओं को प्रारम्भ करने का निर्णय किया है, जबकि अधिकारी समुचित ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप लघु उद्योग विफल रहे हैं। इसलिए, मैं सरकार को यह सुझाव देना चाहूंगा कि सम्बन्धित अधिकारियों को दण्ड दिया जाए। नौकरशाह अफसरों की रिपोर्ट पर निर्भर रहना शर्म की बात है।

श्रीमान जी, लघु उद्योग और कुटीर उद्योगों की स्थापना करने के लिए बेरोजगार स्नातकों और स्नातकोत्तरों को धन देकर उनके लिए रोजगार उपलब्ध कराने के लिए हमने निर्णय किया है। उपबन्ध के अनुसार कुल पूंजी निवेश की 25% धनराशि उन्हें जमा करनी होगी। काफी कठिनाइयों के बाद वे अपनी शिक्षा पूरी करते हैं। वे बहुत गरीब होते हैं। कुल धनराशि की 25 प्रतिशत राशि वे कैसे और कहां से जमा करेंगे? अभी हाल ही में सरकार ने 25% में से $12\frac{1}{2}$% धनराशि भुगतान करने का निर्णय किया है। जो व्यक्ति निर्धन है और काफी कठिनाइयों से जिसने अपनी शिक्षा पूरी की है, वे इतनी धनराशि का भुगतान कभी भी नहीं कर सकते। उनमें से अधिकांश छात्रों ने अपनी जमीन बेचकर अपनी शिक्षा पूरी की है। इस मामले में सरकार को अपनी नीति में ढील देनी चाहिए। श्रीमान् जी, सैकड़ों स्नातकों ने अपनी कठिनाइयां मुझे बताई हैं। मैं उनकी समस्याओं को अच्छी तरह जानता हूं। उन्हें औद्योगिक विकास निगम से या बैंकों से या अन्य सरकारी संस्थाओं से कोई भी धनराशि प्राप्त नहीं हुई है, हालांकि उन्होंने इसके लिए काफी पहले आवेदन किया था। इसलिए सरकार की नीति बदली जानी चाहिए, अन्यथा हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। सरकार द्वारा विशेष उपाय किए जाने चाहिएं।

जूता उद्योग और चमड़ा निगम का मामला लीजिए। बड़े उद्योगपतियों को इस बारे में वास्तविक सुविधाएं मिल रही हैं, न कि गरीब लोगों को। बाटा जैसी कम्पनी गरीब लोगों

से वास्तविक लाभ प्राप्त कर रही है, सभी प्रकार की मशीनें और आवश्यक उपकरण उन्हें मिल रहे हैं, लेकिन गरीब लोगों को सुविधा नहीं मिलती। मोची को लाभ नहीं मिलता। केवल पूंजीपतियों को लाभ प्राप्त हो रहा है और वे अपने उद्योग को बढ़ा रहे हैं। बाटा कम्पनी गरीब मोची से कम कीमत पर जूतों की खरीद करती है। वे उन जूतों पर अपनी सील लगा देते हैं और विदेशों में उनका निर्यात करके मुनाफा कमाते हैं। हालांकि वे पूंजी नहीं लगाते, लेकिन सारा मुनाफा वे प्राप्त करते हैं। इसीलिए इस मामले की जांच की जानी चाहिए। वे यह तर्क देते हैं कि गरीब मोची विदेशी लोगों की रुचि के मुताबिक जूते नहीं बनाता। मोची को समुचित प्रशिक्षण क्यों नहीं दिया जाता। बड़े उद्योगपति उनके उत्पादों के लिए शल्क में छूट और रियायत प्राप्त कर लेते ह। उदाहरण के लिए वे 25 रु० प्रति जोड़े की दर से जूते खरीदते हैं और उन्हीं जूतों को 100 रु० प्रति जोड़े की दर से बेचते हैं। परन्तु गरीब मोची को अपने व्यापार में कोई रियायत नहीं मिलती। ऐसी असंगति क्यों? यह असंगति समाप्त की जानी चाहिए।

अब मैं सीमेन्ट और कागज उद्योग के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। हमें आजादी प्राप्त किए हुए 30 वर्ष हो चुके हैं। हम विदेशों से अपनी जरूरत का कागज क्यों मंगाते हैं? कागज की कमी की वजह से हम समाचार पत्र छापने में असमर्थ हैं। इसके लिए भी हम विदेशों पर आश्रित हैं। सरकार को अभी निर्णय करना चाहिए। हमारे माननीय उद्योग मंत्री एक क्रांतिकारी मंत्री हैं। उन्हें सदन को यह आश्वासन देना चाहिए कि आगामी आगामी तीन वर्षों के अन्दर वह सीमेंट और कागज का आयात बन्द कर देंगे। ऐसे सभी निश्चित निर्णय किए जाने चाहिए। जनता सरकार ने यह निर्णय किया था कि हमारे देश में सनलाइट साबुन नहीं होना चाहिए। जनता कार्य-कारिणी समिति में भी यह निर्णय किया गया था। परन्तु ऐसा साबुन अभी भी हमारे देश में है, हालांकि इस बारे में मंत्री महोदय ने घोषणा की थी। माचिस कारखाने के बारे में भी सरकार ने कुछ निर्णय लिए थे। लेकिन मुझे कोई फर्क दिखाई नहीं देता। अब पूंजीपतियों के बीच एक लाबी है। टाटा और बिड़ला कम्पनी ने श्री बीजू पटनायक के विरुद्ध एक षड़यन्त्र शुरू कर दिया है, क्योंकि उन्होंने कम्पनी का राष्ट्रीयकरण करने के लिए कुछ सुझाव दिए थे। पूंजीपति और सरकार के सचिव तथा अवर सचिव के बीच सम्बन्ध है। वे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को निरुत्साहित कर रहे हैं। इसलिए सरकार को अपने निर्णय पर दृढ़ रहना चाहिए और ऐसे दृष्टिकोण को समाप्त करने के लिए साहसी निर्णय किए जाने चाहिए। अन्त में, मैं सरकार से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि उड़ीसा के औद्योगिक विकास के लिए सरकार को समुचित प्राथमिकता देनी चाहिए। हम इस मामले को अपनी उस बैठक में उठाएंगे जो 24 तारीख को होगी। मुझे खुशी है कि हमारे उद्योग मंत्री ही एक मात्र ऐसे उद्योग मंत्री, हैं जिन्होंने औद्योगिक विकास के बारे में चर्चा करने के लिए अपने देश के सभी संसद् सदस्यों और विधायकों को आमंत्रित किया है वस्तुतः उनकी इस मामले में काफी रुचि है। परन्तु अन्य मंत्रियों की उतनी रुचि नहीं है। वे केवल अपने अधिकारियों पर, उनकी मंजूरी के लिए आश्रित हैं। इसलिए मैं माननीय उद्योग मंत्री को धन्यवाद देना चाहूंगा। इन शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्रीमती पार्वती कृष्णन (कोयम्बटूर) : सभापति महोदय, जब हम उद्योग मंत्रालय की मांगों पर चर्चा करते हैं, तो बेन्जामिन फ्रेंकलिन की यह उक्ति, मेरे मस्तिष्क में आती है कि जीवन में मृत्यु और करों के अलावा कुछ भी निश्चित नहीं है। यहां, हमारे एक मंत्री हैं, जो मौसम में और गैर-मौसम में, जब वह होटल व्यापार या अन्य इसी प्रकार की चर्चा नहीं करते, तो सदैव हमें लघु उद्योग और कुटीर उद्योग के लिए अपनी चिन्ता को हमारे समक्ष प्रकट करते हैं और फिर भी, इस वर्ष की आर्थिक समीक्षा में हम यह देखते हैं कि, उनकी और उनकी सरकार की इतनी अधिक रुचि होने के बावजूद, लघु उद्योगों की प्रगति के बारे में वस्तुत: कुछ ठोस कार्यवाही हमें दिखाई नहीं देती। क्यों? इसका सामान्य सा कारण यह है कि लघु उद्योगों की निरन्तर उपेक्षा की जा रही है। मंत्री महोदय मेरे साथ सहमत हैं, क्योंकि वह स्वीकृति में अपना सिर हिला रहे हैं।

इसमें यह कहा गया है:

"लघु क्षेत्र भी आर्थिक संकट से ग्रस्त हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, गत वर्ष लघु क्षेत्र में 8000 आर्थिक संकटग्रस्त एकक थे और उन्हें 200 करोड़ रु० का ऋण दिया गया था....

.....यद्यपि रुग्ण एककों की संख्या उन एककों से 2 प्रतिशत से भी कम है जिनके जमा खाते हैं, अप्राप्य जमा राशि इस क्षेत्र के लिए कुल राशि की लगभग 15 प्रतिशत होगी। नई नीति में लघु क्षेत्र पर दिये गये जोर पर विचार करते हुए इसकी समस्याओं की ओर उचित ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।"

इसके बाद अगले पृष्ठ पर हमें लम्बा-चौड़ा भाषण दिया गया है। उसमें कहा गया है कि:

"इस निर्धारण में देश के कुल औद्योगिक उत्पादन में लघु उद्योग के योगदान को ध्यान में नहीं रखा गया है। अर्थव्यवस्था में कार्यकलाप के उच्च स्तर और लघु उद्योगों को दी गई विभिन्न रियायतों से चालू वर्ष में औद्योगिक उत्पादन में उनके योगदान में काफी वृद्धि होनी चाहिए थी।

मैं यह सोचकर प्रसन्न हूं कि वे यह आशा करते हैं कि काफी योगदान मिलना चाहिए था। इसीलिए आप मद संख्या 68 के अन्तर्गत कर लगाने के लिए 30 लाख रुपए की सीमा को कम करके 15 लाख रुपए करके अपने बजट में उन्हें यह पुरस्कार दे रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं कि क्या कठिनाई थी, उनको संरक्षण देने, अधिक कार्य-कलाप उत्पन्न करने के लिए उन्हें प्रोत्साहन देने हेतु यह सीमा किस प्रकार 30 लाख रुपए तक बढ़ाई गई। अब लघु उद्योग के नाम पर यह कम करके 15 लाख रुपए की गई है।

लघु उद्योग की विभिन्न समस्याएं मंत्री महोदय के ध्यान में लाई गई हैं और मेरे पास मेरी फाइल में कुछ पत्र हैं जिनमें कहा गया है कि उन्होंने इस मामले की जांच कर ली है और बाद में सूचित कर देंगे। मुझे अभी तक उनसे कोई सूचना नहीं मिली है। परन्तु मुझे एक विशेष समस्या, जिसमें उनका सीधा सम्बन्ध है, के बारे में वित्त मंत्रालय से प्राप्त उत्तर में जो सूचना मिली है वह यह है कि यह समस्या लघु उद्योग के लिए चिंताजनक है।

उत्पादन-शुल्क एकत्र करने की एक प्रक्रिया है। जहां कहीं सहायक एकक हैं वे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि०, जो उनके नियंत्रण में है, को वस्तुएं सप्लाई कर रहे हैं, उदाहरण के लिए जहां उन्हें कच्चा माल दिया जाता है, जहां उन्हें प्रत्येक वस्तु दी जाती है, वे जो कुछ वसूल करते हैं वह श्रम प्रभार है। उस वस्तु पर उन्हें उत्पादन-शुल्क अदा करना पड़ता है जब वह उनके वर्कशाप से निकलती है और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि० तक नहीं पहुंचती है, और उन्हें कहा जाता है कि वे अपना पैसा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि० से उस समय वापस ले सकते हैं जब तैयार माल अंतिम रूप से भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि० से निकलता है और बाजार में जाता है। सामान्यतया, लघु क्षेत्र की इस धन राशि को प्रतिबद्ध किया जाता है। अतः वर्ष प्रति वर्ष लघु उद्योग का यह अनुरोध रहा है कि जब उत्पाद भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि० से तैयार होकर निकले उस समय इस शुल्क को वसूल क्यों न किया जाए? श्रम प्रभार के लिए ऐसा क्यों है कि उनसे भुगतान करवाया जा रहा है? और वित्त मंत्रालय का कहना है कि यही एक ऐसा तरीका है जिससे ऐसा किया जा सकता है और मंत्री महोदय को अभी उत्तर देना है कि क्या वह इस पर विचार कर रहे हैं या इसे छोड़ दिया है या वह वी० एच० ई० एल० –सीमेन्स सौदा में व्यस्त थे, मुझे पता नहीं है परन्तु कुछ भी हो, लघु क्षेत्र महसूस करता है कि उसकी उपेक्षा की गई है।

इसी प्रकार जहां तक मोटर गाड़ियों का सम्बन्ध है, मोटरगाड़ियों के लिए जो पुर्जे बनाए जा रहे हैं उन पर उत्पादन-शुल्क नहीं लगता है परन्तु लघु उद्योग वाले लोग, जो मोटरगाड़ियों के लिए विशेष पुर्जे के लिए छोटे 'नट' और 'बोल्ट' बनाते हैं उन पर कर लगता है, उन्हें उत्पादन-शुल्क अदा करना पड़ता है। वित्त मंत्री का भी यही उत्तर है:

> "जहां तक मोटर गाड़ियों और डीजल इंजन के पुर्जों पर मध्यवर्ती स्तर पर की गई माल तैयार करने (प्रोसेसिंग) का सम्बन्ध है, यदि माल तैयार करने का ऐसा काम निर्माण करने के समान होता है तो ऐसे मध्यवर्ती उत्पादों पर उचित दर से केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क अदा करना होगा।"

मेरी बात यह है कि यह उत्पाद मोटरगाड़ियों के पुर्जों के अलावा और कहीं नहीं जाता है। इसमें आगे कहा गया है कि:

> "केन्द्रीय उत्पादन लेवी की देयता का सिद्धान्त व्यापक क्षेत्र पर लागू होता है, आदि आदि।"

इसके बाद एक बड़ी हास्यास्पद बात आती है जिस पर किसी को हंसी आ सकती है और वह यह है कि "तथापि टैरिफ मद 68 के अन्तर्गत आने वाले लघु क्षेत्र के एककों को उपलब्ध एक वर्ष में 30 लाख रुपए तक की वर्तमान छूट से सामान्यतया लघु निर्माताओं के हितों की देख-रेख की जानी चाहिए।" यह बात वास्तव में आश्चर्यजनक है। सर्वप्रथम, विषय का अध्ययन करने और यह सुनिश्चित करने की आप अपने लघु उद्योग भी उसके विकास के लिए किस प्रकार सहायता कर सकते हैं, के बजाए यह रोजमर्रा का उत्तर है जो किसी को उसकी बहन या भाई से मिलता है या मुझे नहीं पता है कि आप अन्य मंत्रालयों को क्या कहते हैं। इसके बाद 30 लाख रुपए की वह सीमा, जिसका उल्लेख किया गया है, अधिसूचना द्वारा कम करके 15 लाख रुपए कैसे कर दी गई है?

इसी प्रकार जहां तक कच्चे माल का सम्बन्ध है, मंत्री महोदय को निश्चय ही उन पर निगरानी रखनी चाहिए और रेलवे बिजली मंत्रालय, कोयला, स्पात मंत्रालयों आदि के बीच समन्वय रखना चाहिए। आज अकेले कोयम्बटूर में लघु क्षेत्र के लगभग 30,000 श्रमिक बेरोजगार हैं, जिनकी जबरन छुट्टी की गई है क्योंकि कच्चा लोहा उन्हें उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, कोक उपलब्ध नहीं है और एस० आई० डी० सी० ओ० के माध्यम से कच्चा माल देने की आपने जो नई प्रणाली चलाई है उससे, आपको पता चलेगा कि, उनके द्वारा की गई मांगों पर भी विचार नहीं किया जाता है। अतः क्या उन्हें इसकी जांच नहीं करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करने के लिए एक निगरानी एजेंसी नहीं रखनी चाहिए कि लघु उद्योग को कुछ प्राथमिकता दी जाए? भाषणों में तो प्राथमिकता दी जाती है; जैसे हिमालय में जल-प्रपात है वैसे शब्दों का भण्डार है परन्तु क्या यह प्राथमिकता उत्पादन शुल्क से राहत देने और कच्चा माल समय पर उपलब्ध कराने के संदर्भ में दी जाती है? उदाहरणार्थ, आज कोयम्बतूर में लघु उद्योगों को प्रतिमास 3000 टन कोक चाहिए परन्तु केवल 1000 टन मिल रहा है जो एक तिहाई भी नहीं है। आप उन श्रमिकों की संख्या के बारे में सोच सकते हैं जो बेरोजगार हैं, तमिलनाडु में तिरुचि, और केरल तथा उनके जन्म स्थान वाले राज्य कर्नाटक आदि की बात ही छोड़िए। वे कोयला क्षेत्रों से मीलों दूर हैं और उन सभी को कोक की इस कमी से कठिनाई हो रही है। पहले जब वे स्वयं अपने संगठन के माध्यम से इसका कार्य करते थे वे केवल काम के खर्चे समेत लगभग 500 रुपए प्रति टन अदा करते थे, जहां तक एस० आई० डी० सी० ओ० का सम्बन्ध है, यह 200 रुपए प्रति टन तक बढ़ गया है। अतः मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करती हूं कि वह जोर से बोलना छोड़ कर इस मामले की गंभीरतापूर्वक जांच करें कि लघु उद्योगों की किस प्रकार सहायता की जाए और किस प्रकार उन्हें अधिकाधिक संरक्षण दिया जाए।

अन्य पहलू, समन्वय के बारे में हमें आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया है कि एक विभाग जहां अधिक उत्पादन हुआ है वह बिजली विभाग है इसमें 13.1 प्रतिशत वृद्धि हुई है। पश्चिम बंगाल के लोगों का जब दुःख दूर होगा तो उनके लिए यह प्रसन्नता की बात होगी क्योंकि बिजली की कमी के कारण उनके उद्योग को बंद करना पड़ा है। वहां की सरकार केन्द्रीय सरकार से अपील कर रही है। मंत्री महोदय ने क्या किया है? मुझे याद है कि जब वह पहली बार नये-नये आए तो उन्होंने कहा कि वह बिजली के अनेक लाभ पहुंचाएंगे, आदि। उनके साथ समूची कठिनाई यह है कि वह तीस वर्षों के बारे में सदा एक बात दोहराते रहते हैं और इसी प्रकार की बात कहते हैं। दो वर्ष बीत गए हैं और अब समय आ गया है कि वह उसे दोहराना बंद कर दें। जोन मोरले ने कहा है कि, "राजनीति के लिए सही याददाश्त वही है कि जिसे यह मालूम हो कि क्या याद रखना है और क्या भूल जाना है।" मैं समझती हूं कि अब वह उस प्रकार की टिप्पणी को भूल जाएं और यह याद करें कि वह कहां से चले थे तथा अब वह वहां से आगे बढ़ें। चूंकि बिजली का उत्पादन जहां था वहीं है इसीलिए पश्चिम बंगाल में आपके समक्ष समस्या उत्पन्न हो रही है, तमिलनाडु में भी आपके समक्ष समस्या है जहां बिजली की कटौती की गई है और कपड़ा तथा अन्य उद्योग प्रभावित हैं; यह समस्या बिहार और गुजरात में भी इतनी ही विकट है।

सभा के सदस्य कल ही ऊर्जा मंत्रालय की मांगों पर बहुत ही ओजपूर्ण ढंग से चर्चा कर रहे थे और यह चर्चा आज भी जारी है; मंत्री महोदय इसके साक्षी थे। परन्तु इस पर चर्चा कर लेना ही पर्याप्त नहीं है। बात यह है कि समूचे प्रश्न पर गंभीरतापूर्वक ध्यान दिया जाता है क्योंकि हमारे उद्योगों के विकास और प्रगति के लिए ऊर्जा अत्यंत आवश्यक है, चाहे वह सरकारी क्षेत्र में हो या गैर-सरकारी क्षेत्र में, भारी उद्योग हो या लघु उद्योग। आप अपने ऊर्जा के संसाधन के बिना क्या करेंगे? आप यह गारंटी कैसे देंगे कि हमारे देश में औद्योगिक कार्य-कलाप प्रगति करते रहें और उनमें मास प्रति मास तथा वर्ष प्रति वर्ष सुधार होता रहे? केवल आंकड़े पर्याप्त नहीं हैं; वास्तविकता हमारे सामने है। एक दिन भी ऐसा नहीं होता जब आप समाचार-पत्रों में यह नहीं पढ़ते हों कि कभी कहीं और कभी कहीं, बिजली की कमी है। अतः आप एक विभाग को दूसरे विभाग से तथा एक मंत्रालय को दूसरे मंत्रालय से अलग नहीं कर सकते हैं। आपको इस मामले में संपूर्ण रूप से विचार करना चाहिए। मैं समझती हूं कि आपको सभा में यह उत्तर देना है कि आप यह सुनिश्चित करने के लिए इस मामले में क्या कर रहे हैं कि जहां कहीं कोयले की आवश्यकता हो वहां वह पर्याप्त मात्रा में दिया जाए, न केवल उनके सरकारी क्षेत्र में ही अपितु अन्य एककों और लघु क्षेत्र में भी पहुंचाया जाए। इसी प्रकार उन्हें यह भी बताना पड़ेगा कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कर रहे हैं कि हमारी बिजली उत्पादन क्षमता बढ़े और वह बढ़ी हुई रखी जाए ताकि उद्योग प्रभावित न हों।

अब मैं अगली बात यह कहना चाहती हूं कि अधिष्ठापित क्षमता के उपयोग का क्या हो रहा है। हमारी कुल अधिष्ठापित क्षमता का किस सीमा तक उपयोग किया जा रहा है? मैं सरकारी क्षेत्र आदि के कार्यकरण के कतिपय पहलुओं के बारे में कुछ नहीं कहने जा रही हूं क्योंकि सरकारी क्षेत्र इन वर्षों में विकास करता रहा है जिसमें श्रमिकों तथा अन्य सभी वर्गों ने अपनी भूमिका निभाई और उसे भली भांति निभाया है। परन्तु कुल मिला कर अधिष्ठापित क्षमता का क्या हुआ है चाहे वह आपके इंजीनियरी उद्योग में हो या कपड़ा उद्योग में या किसी अन्य उद्योग में ? उदाहरण के लिए हम सीमेंट के बारे में जानते हैं। सीमेंट की बनावटी कमी है। सवाई माधोपुर में जो आपके देश का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना है, महीनों से क्षमता बेकार पड़ी है क्योंकि वहां कुप्रबन्ध है और इसीलिए भी है कि सरकार ने इस सम्बन्ध में उदासीनता अपना रखी है और वह उसे चालू करने के लिए आगे नहीं आ रही है। क्या सीमेंट कारखानों में आपकी अधिष्ठापित क्षमता इष्टतम स्तर तक काम में लाई जा रही है या नहीं? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं? यह गारंटी देने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है कि महत्वपूर्ण उद्योगों की अधिष्ठापित क्षमताओं का उपयोग किया जाए? हम भली भांति जानते हैं और पहले भी ऐसा कहा गया है कि अधिष्ठापित क्षमता का उपयोग, विशेषकर गैर-सरकारी उद्योगों में पूर्णतया अपेक्षित है क्योंकि इससे उनका मुनाफा बढ़ाने में मदद मिलती है। वह इस बारे में जानते हैं। जब वह इस पक्ष में थे, तब वह इस बारे में अथक रूप से बोलते थे। यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं कि अधिष्ठापित क्षमता का इष्टतम उपयोग किया जाए और उपभोक्ताओं को सामग्री उपलब्ध कराई जाए?

आज यदि समूचे देश में बढ़ती हुई बहुत बड़ी चोर-बाजारी है तो वह सीमेंट में है। मंत्रालय चाहे जो कुछ कहे परन्तु आज जीवन की वास्तविकता यह है कि आज देश में और विकासशील देश में कहीं भी जाएं जहां आवास अत्याधिक महत्वपूर्ण है या जहां आपने सब प्रकार के आवास प्लान बना रखे हैं जिनके बारे में मौसम में और मौसम के अलावा, संसद् में और संसद् के बाहर जिस चीज के बारे में बातचीत होती है वह यह है कि काले बाजार में अत्याधिक मात्रा में सीमेंट उपलब्ध है अन्यथा यदि आप कम लागत वाले मकान बनाना चाहें तो बहुतायत में उपलब्ध नहीं है।

हमारी अनेक सहकारिताएं हैं जिन्हें श्रमिक चला रहे हैं। वे इन सहकारिताओं को बनाते हैं, 'हुड़को' से ऋण लेते हैं और उसके बाद उन्हें पता चलता है कि जितना उन्होंने सही-सही अनुमान लगाया था सीमेंट के कारण उससे कहीं अधिक खर्चा हो गया है। इस्पात और सीमेंट ये दो चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक हैं और काले बाजार में सरलता-पूर्वक मिलती हैं और वे खुले बाजार में उपलब्ध हैं। यह अधिष्ठापित क्षमता के साथ भी जुड़ी हुई हैं क्योंकि कालाबाजार कुछ ऐसी बात है जिसमें व्यापारी और उद्योगपति मिलजुल-कर कार्य कर रहे हैं। आज कोयले की कमी है । जहां तक स्टेशन स्टाकयार्ड का सम्बन्ध है, इसकी कमी है परन्तु आप इसी कोयले को तिरुचि में मद्रास में, कोयम्बटूर में, किसी ऐसे स्थान पर जहां लघु उद्योग हो, काले बाजार में ले सकते हैं।

यही बात कच्चे लोहे के बारे में है और इसी प्रकार जहां आवास का सम्बन्ध है, यही बात सीमेंट के बारे में है। अतः मुख्य बात यह है कि आप इस पर किस प्रकार नियंत्रण करेंगे? इस पर नियंत्रण करने का एक तरीका तो यह है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि आपकी अधिष्ठापित क्षमता का इष्टतम उपयोग हो रहा है या नहीं। दूसरे यह भी गारंटी दी जाए कि ये सामग्री प्रभोक्ताओं के पास पहुंचे न कि व्यापारियों के पास क्योंकि जब ये प्रभोक्ताओं को मिल जाती हैं तो काला बाजार की गुंजाइश कहां रहती है? मैं आपको कुछ उद्योगों के बारे में एक बात बता दूं। स्कूटर्स इंडिया को लीजिए। आप कुछ मशीनें बेचने जा रहे हैं क्योंकि आप उनका प्रयोग नहीं कर रहे हैं। इसीलिए इसे विज्ञापित किया गया है, परन्तु जब आप इन मशीनों को बेचते हैं या नीलामी में बेचते हैं तो क्या आप यह गारंटी देते हैं कि वह प्रभोक्ताओं को मिलें? आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। बहुत से ऐसे मामले हैं जहां यह धन व्यापारी को मिला है, जो सटोरिया होता है और जो इसे खरीद कर प्रभोक्ता को बेचते समय मुनाफा कमा लेता है। इस पर कर नहीं लगाया जाता है। जो व्यक्ति अंतिम रूप से उसे खरीदता है और लघु उद्योग स्थापित करता है तो उस पर कराधान की ये सब विभिन्न मदें जो विद्यमान हैं लागू होती हैं परन्तु व्यापारी साफ बच निकलता है। अतः मंत्री महोदय, आपको एक बात यह देखनी है कि जब आप अपनी मशीनें बेंचें जिसके लिए आपको गारंटी की आवश्यकता नहीं है···

आप क्यों मुस्करा रहे हैं? मुझे कामरेड मिनिस्टर के नाम से आपको सम्बोधित करना चाहिए था। अच्छा, कामरेड मिनिस्टर। कामरेड मिनिस्टर, जब आप अपनी मशीनें बेचें तो आप कम से कम यह गारंटी दें कि वह प्रभोक्ता को मिले क्योंकि लघु उद्योगों में इस समय जो लोग आपको मशीनें खरीदने के लिए आगे आ रहे हैं वे प्रोप्राइटरी कम्पनियां हैं जिनके

पास सीमित धन है और उन्हें व्यापारी की दया पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए क्योंकि जो काला बाजारी चल रही है वह भी उसका ही एक रूप है। सीमेंट, कच्चा लोहा और कोक में ही काला बाजारी नहीं हो रही है अपितु, यह भी काला बाजारी का ही एक रूप है यद्यपि यह कानूनी रूप में है। अतः कृपया यह सुनिश्चित कीजिए कि प्रभोक्ता ही उसे खरीदे। मैं नहीं समझती कि यह बहुत मुश्किल काम है क्योंकि आपका इतना बड़ा मंत्रालय है और सारे कर्मचारी फाइलें इधर-उधर भेजने के अलावा कुछ, नहीं करते। उन्हें कोई उपयोगी काम दीजिए और इस बात पर नियंत्रण रखिए कि वह वास्तव में प्रभोक्ता ही हैं जो इसे खरीद रहे हैं।

अंत में मैं प्रौद्योगिकी के बारे में बोलना चाहती हूं। बहुत से अन्य सदस्य इस बारे में बोल चुके हैं। मेरे पास विस्तार पूर्वक बोलने का समय नहीं है। जहां तक भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि० सीमेन्स समझौते का सम्बन्ध है, आपके आर० एण्ड डी० अनुभाग पर गंभीर प्रभाव पड़ने वाला है क्योंकि आखिर आपने एक ऐसा समझौता किया है जो 10 या 15 वर्षों के लिए हैं। आपने इतनी लम्बी अवधि का समझौता क्यों किया है। आपके पास देश में बहुत से तकनीशियन हैं जो प्रति वर्ष विभिन्न भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, इंजीनियरी कालेजों और भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर जैसे संस्थानों से निकल रहे हैं। जब हम एक समिति में भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर गए तो हमें बताया गया कि बहुत बार विदेशी दलों को बुलाया जाता है। वे तीन या पांच या सात सप्ताह लगाते हैं। हमारे देश के बारे में, हमारे प्रतिभावान व्यक्तियों के बारे में और हमारे देश में जो कुछ विद्यमान है उसके बारे में वे क्या जानते हैं? संयुक्त राष्ट्र और विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों या सीमेन्स जैसी फर्मों के ये तथाकथित विशेषज्ञ प्रायः भारतीय विज्ञान संस्थान में आते हैं और कहते हैं "कृपया आप रिपोर्ट लिख दीजिए। हम हस्ताक्षर कर देंगे।" हमारे पास जो वैज्ञानिक हैं वे अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के उत्तरदायी वैज्ञानिक हैं। हमारे देश में प्रतिभावान भी बहुत हैं। यह प्रौद्योगिकी समझौता क्यों किया गया है? आप उद्योग को, वह सुनिश्चित करने कि हमारी प्रौद्योगिकी और हमारे इंजीनियरों को आगे आने के लिए प्रोत्साहित किया जाए उन्हें उनका काम करने के लिए जानकारी दी जाए और वे हमारे देश में बढ़ती हुई खोजों में अपना योगदान दें, के बजाय विभिन्न बहुराष्ट्रीय निगमों के साथ प्रौद्योगिकी समझौता क्यों करने दिया जा रहा है? हम अपने ऐसे छात्रों और इंजीनियरों को शिक्षा देने में करदाता का धन क्यों खर्च करते हैं जो हमारे लोगों की सेवा करने की इच्छा रखते हैं परन्तु जिन्हें इस बात को लेकर बाहर भेज दिया जाता है कि उन्हें काम करने का क्षेत्र नहीं दिया जाता और न ही इन्हें, प्रोत्साहित किया जाता है क्योंकि बहुराष्ट्रीय निगमों के तथाकथित प्रौद्योगिकीविदों को और विदेशी सहयोग समझौतों को हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के जन्म सिद्ध अधिकार में हस्तक्षेप करने दिया जाता है?

श्री यमुना प्रसाद शास्त्री (रीवा) : सभापति महोदय, इस समय उद्योग मंत्रालय की मांगों पर चर्चा को सुनते हुए मुझे ऐसा लगा कि हमारे विपक्ष के माननीय सदस्यों के मन में वही पुरानी धारणा बनी हुई है कि उद्योगों का लक्ष्य केवल उत्पादन बढ़ाना है, और जैसे इस देश के करोड़ों लोगों को रोजगार देना उसका लक्ष्य नहीं है। हमारी वर्तमान सरकार

ने पुरानी दिशा को छोड़कर भारत की सही स्थिति को पहचाना है और अपनी उद्योग नीति का लक्ष्य यह निर्धारित किया है कि हमें उत्पादन तो बढ़ाना है, लेकिन उसके साथ साथ हमें यह भी देखना है कि हमारे देश के करोड़ों बेरोजगार लोगों को काम दिया जाए, ताकि उद्योगों से जो उत्पादन हो, उसको खरीदने के लिए क्रय-शक्ति इस देश के लोगों में रहे। सरकार की यह धारणा है कि हमारे देश में ऐसी हालत न हो कि उद्योगों में उत्पादन तो बढ़े, लेकिन लोगों में क्रय-शक्ति न रहे, और न हम निर्यात कर सकें, और इस देश में एक मंदी की स्थिति आए। कुछ दिनों पूर्व हमने देखा था कि हमारे देश में तो एक तरफ अभाव की स्थिति थी, लोगों के पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं था कोई भी उपभोक्ता सामान खरीदने के लिए उनके पास पैसा नहीं था, और दूसरी तरफ कपड़े के अम्बार लगे हुए थे और उनके बिकने का कोई अवसर नहीं था।

ऐसी स्थिति आज हम नहीं होने देना चाहते, इसलिए एक नई दिशा की ओर हमारी सरकार बढ़ी है जिसमें सर्वप्रथम लक्ष्य हमारा यह है कि हम देश के लोगों को रोजगार मुहैया करें और वह रोजगार हम तभी मुहैया कर सकते हैं जब इस देश में लोगों को छोटे-छोटे उद्यमों में, घरेलू उद्योग धन्धों में हम काम दें। अगर हमें यह करना है तो निश्चित ही कभी-कभी उत्पादन में ह्रास भी हो सकता है, घटबढ़ भी हो सकती है। बड़े उद्योगों पर कुछ रोक लगाने की भी आवश्यकता हो जाती है।

एक तरफ तो यह बात कहते हैं कि मोनोपली हाउसेज पर आप कोई रोक नहीं लगा रहे हैं, इनके मुनाफे पर रोक नहीं लगा रहे हैं, इनकी वृद्धि को आप नहीं रोक रहे हैं और दूसरी तरफ, यह भी कहते हैं कि आप देश को पीछे ले जा रहे हैं। एक तरफ गांधी जी की बात भी हमारे कांग्रेस के लोग करते हैं और दूसरी तरफ महात्मा गांधी की नीतियों का उपहास भी करते हैं और कहते हैं कि एप्रोप्रिएट टेक्नोलोजी के नाम पर आप देश को पीछे ले जा रहे हैं। यह तो जो विकसित देश हैं वे चाहते ही हैं कि हम पीछे ही रहें और उन्हीं के उद्देश्य को पूरा करने के लिए आप एप्रोप्रिएट टेक्नोलोजी की बात करते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है। इस से स्पष्ट जाहिर होता है कि हम गहराई तक इस देश की समस्याओं को समझ नहीं पा रहे हैं जो कि हमारी वर्तमान सरकार ने समझा है और वर्तमान उद्योग नीति इसी आधार पर आज चल रही है। इसी को लेकर हर एक जिले में उद्योग केन्द्रों की स्थापना की गई है। अब यह तो स्वाभाविक है कि जब हम नई नीति पर चलते ह, एक नई राह अख्तियार करते हैं तो कुछ अड़चनें आती हैं। लेकिन उतनी अड़चनें आज नहीं हैं। पहले साल में 1977-78 में जरूर 3.9 प्रतिशत की वृद्धि औद्योगिक उत्पादन में हुई, लेकिन इस साल 78-79 का जो वर्ष है इसमें पिछले 8-9 महीनों का, अप्रैल से लेकर अक्तूबर तक का जो ग्रोथ रेट आया है वह 7.5 प्रतिशत है जो कि पिछले साल की अपेक्षा करीब दुगुना है और सन् 70 से लेकर 78 तक जो औसत उत्पादन वृद्धि थी 4.8 प्रतिशत रहा है उससे काफी अधिक है। इस पर हमें गर्व करना चाहिए और इस बात की हमें अनदेखी नहीं करनी चाहिए। इसको कैसे भुला सकते हैं? क्या इस बात को आप असत्य मानते हैं? पिछले 8-10 महीनों के जो आंकड़े दिए गए हैं जिसमें यह बताया गया है कि हमारी उत्पादन वृद्धि 7.5 % इसको क्या आप असत्य मानते हैं और क्या इसके पीछे के सालों में उस समय किसी भी साल, केवल एक साल 76-77 को छोड़ कर बाकी किसी भी वर्ष में

इतना उत्पादन था? यह ग्रोथ रेट कभी थी? लेकिन आज 7.5 प्रतिशत की ग्रोथ रेट है और अनुमान हमारा यह है कि इस वर्ष 1978–79 के अंत तक के जो अंतिम आंकड़े तैयार होंगे उसमें 8 प्रतिशत की वृद्धि औद्योगिक उत्पादन में होगी और अगले साल इस ग्रोथ रेट में और भी वृद्धि होगी। यह कोई साधारण उपलब्धि नहीं है। इस उपलब्धि पर हमें गर्व करना चाहिए।

दूसरी बात मुझे वह कहनी है, बार बार यहां पब्लिक सेक्टर पर हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने बहुत बड़ा प्रहार किया है और कहा है कि यह पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग जो हैं इनमें तो घाटा हो रहा है, इसलिए इसकी उपयोगिता पर उन्होंने शंका व्यक्त की है और इस तरह की बात की है कि जैसे इस पब्लिक सेक्टर को समाप्त कर देना चाहिए। लेकिन यह कहते हुए वे यह भूल जाते हैं कि पब्लिक सेक्टर...

श्री वयालार रवि (चिरयिंकील): हम नहीं कहते हैं। आपकी जनता पार्टी इसे खत्म करने का प्रयत्न कर रही है। हम पब्लिक सेक्टर को डिफेंड करते हैं। आप की जनता पार्टी के लोग ऐसा कहते हैं।

श्री यमुदा प्रसाद शास्त्री (रीवा): आप ने नहीं कहा हो, लेकिन इस बात की वकालत इस तरह की गई और पब्लिक सेक्टर पर इस तरह का प्रहार किया गया है कि जैसे उस की कोई उपयोगिता नहीं है। लेकिन पब्लिक सेक्टर का विचार करते हुए हमें यह भी देखना चाहिए कि यद्यपि जितनी इस देश में पूंजी उद्योगों में लगी हुई है उसका केवल 40 प्रतिशत अंश ही पब्लिक सेक्टर में लगा हुआ है, 60 प्रतिशत प्राइवेट सेक्टर में लगा हुआ है, लेकिन 40 प्रतिशत पूंजी के लगे होने के बाद भी दो तिहाई श्रमिक से ज्यादा इसमें लगे हुए हैं। 210.98 लाख मजदूर उद्योगों में लगे हुए हैं जिसमें से 143.5 लाख केवल पब्लिक सेक्टर में हैं और जहां 60 प्रतिशत की पूंजी लगी हुई है प्राइवेट सेक्टर में वहां केवल 70 लाख लोगों का काम मिला हुआ है। इस बात को भूलिए मत। 70 लाख से दुगुने 143.5 लाख लोगों को पब्लिक सेक्टर ने काम दिया है जहां केवल 40 प्रतिशत पूंजी लगी हुई है और प्राइवेट सेक्टर ने केवल 70 लाख लोगों को, एक तिहाई से भी कम लोगों को काम दिया हुआ है। इसके बाद भी जो प्रतिवर्ष काम देने का, रोजगार देने का प्रतिशत है वह प्राइवेट सेक्टर में केवल 2.2 प्रतिशत है और पब्लिक सेक्टर में 3.8 प्रतिशत है। इन बातों की तरफ अनदेखी करनी चाहिए क्या? इतने लोगों को वहां पर रोजगार मिल रहा है।

इसके अलावा टैक्स इवेज़न और दूसरी माल-प्रैक्टिसेज़ जो हैं, जिस तरह का भ्रष्टाचार प्राइवेट सेक्टर में है उसकी तुलना आप पब्लिक सेक्टर से कीजिए। पब्लिक सेक्टर का घाटा जो है उसमें आप इस बात को भूल जाते हैं कि वे एक्साइज भी चुकाते हैं, प्रान्तों के टैक्सेज भी देते हैं, रायल्टी भी देते हैं और यह सारा पैसा भी तो सरकारी खजाने में ही जाता है। दूसरी ओर प्राइवेट सेक्टर के लोग कितना अधिक टैक्स इवेज़न करते हैं—क्या इस पर भी कभी आपकी नजर गई है? टैक्स इवेज़न पब्लिक सेक्टर में संभव नहीं है। स्वयं कानून मंत्री ने राज्य सभा में बताया कि एम० आर० टी० पी० ए० के होते हुए भी उनके मुनाफे पर कोई रोक नहीं लगी है और नाजायज फायदा उन्होंने उठाया है। आज 6 हजार करोड़ की पूंजी केवल बीस बड़े घरानों के पास है। यह धन अगर पब्लिक सेक्टर के पास होता तो

उसका उपयोग इस देश के विकास के लिए हो सकता था क्योंकि आज देश में विकास की बड़ी आवश्यकता है। आज अगर स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज का जाल बिछाना हो, गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों को रोजगार देना हो तो उसके लिए पूंजी निवेश की आवश्यकता होगी। यह पैसा कहां से आएगा।? इसी तरह से मुनाफाखोरों के पास उद्योग-धंधे बने रहे और वे मुनाफा कमाते रहे, उनपर कोई अंकुश न हो तो फिर इस देश के विकास के लिए धन कहां से मिल सकता है? छट्टी योजना में 11 लाख 60 अरब खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है। देखने पर यह बड़ी धनराशि मालूम होती है लेकिन वास्तविकता यह है कि यदि आप इस देश के 65 करोड़ लोगों में उसको बांटें तो प्रति व्यक्ति केवल 300 रुपए का खर्चा होता है। इतना पैसा खर्च करके आप इस देश के लोगों का जीवन-स्तर कैसे ऊंचा उठाएंगे? यदि इसके लिए पैसे की आवश्यकता हो तो प्राइवेट सेक्टर पर केवल अंकुश ही नहीं, इस मिश्रित अर्थ-व्यवस्था को समाप्त करके सारे उत्पादन के साधन जनता के हाथ में आने चाहिए और इस प्रकार से पब्लिक सेक्टर का उपहास एवं जनता के पक्ष के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर के मुनाफे पर अंकुश लगना ही चाहिए।

श्रीमन्, इसके अलावा कुछ क्षेत्रों में हालत बड़ी गम्भीर है जैसे कि सीमेंट का मामला है। सीमेन्ट की बड़ी कमी है। यह सुनकर बड़ा आश्चर्य होता है कि सीमेंट का आयात करना पड़ रहा है। इस प्रकार कुछ मामलों में हालत बड़ी चिंताजनक है। मैं चाहूंगा उद्योग मंत्री जी इस तरफ विशेष ध्यान दें। सीमेंट का उत्पादन करने के लिए हमारे देश में इतने अधिक साधन हैं, सीमेंट का हम इतना अधिक उत्पादन कर सकते हैं कि बाहर से उसको मंगाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। इस सम्बन्ध में कांग्रेस वालों ने तो कोई काम किया नहीं था। न तो उनको सिंचाई के साधन बनाने थे, न गरीब लोगों के लिए घर बनाने थे और इसीलिए उन्होंने सीमेंट के उत्पादन की क्षमता नहीं बढ़ाई। आज देश में सीमेंट की बड़ी कमी है क्योंकि वृहत् पैमाने पर नियंत्रण निर्माण कार्य चल रहे हैं। लाखों हेक्टर भूमि पर सिंचाई के साधन उपलब्ध करने हैं, घरेलू उद्योग धंधों को बढ़ाना है। इन कार्यों के लिए सीमेंट की आवश्यकता है। चूंकि सीमेंट की कमी है इसलिए उसका आयात करना पड़ रहा है। जितनी जल्दी सीमेंट का आयात बन्द हो उतना ही अच्छा है। अधिक आयात करने का परिणाम यह होगा कि रुपए की कीमत गिरती चली जाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो हमारे पास विदेशी मुद्रा का भंडार है उसको हम इधर-उधर खर्च कर दें और उसका वास्तविक सदुपयोग न कर सकें। इसलिए इस बात की बड़ी आवश्यकता है कि जहां पर सीमेंट के लिए प्रचुर मात्रा में कच्चा माल है वहां पर जल्दी से जल्दी सीमेंट के कारखाने स्थापित किए जाएं ताकि सीमेंट का आयात न करना पड़े।

मैं स्वयं जिस क्षेत्र से आता हूं--मध्य प्रदेश के रीवां संभाग से--वहां चूने का पत्थर और कोयला अपार मात्रा में उपलब्ध है, यदि उसका पूरा उपयोग किया जाए तो वहां पर एक करोड़ टन सीमेंट बन सकता है, इतना अधिक वहां पर कच्चा माल उपलब्ध है। इसके लिए आपको कोई विशेष धन एकत्रित नहीं करना पड़ेगा, कास्ट-आफ-प्रोडक्शन भी वहां कम आएगी, क्योंकि कच्चा माल वहीं पर उपलब्ध है।

इसी तरह की बात इस्पात की है। हालांकि उसका इस मंत्रालय से सम्बन्ध नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं––यह बड़ी विचित्र स्थिति है कि हमारे देश में अपार आयरन-ओर पड़ा है, करोड़ों टन आयरन-ओर है, लेकिन उसकी खपत नहीं हो रही है। जापान खरीदता नहीं है, हम उसका उपयोग नहीं करते हैं, हमको बाहर से स्टील आयात करना पड़ रहा है क्योंकि हम अपने देश में स्टील का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में नहीं कर पा रहे हैं। हमारे देश में इस समय जो स्टील के कारखाने हैं, उनमें उत्पादन घटता जा रहा है, यह बड़ी शोचनीय स्थिति है। दिन-प्रति-दिन स्टील की कीमतों में वृद्धि की जा रही है––इस पर हमको विचार करना चाहिए।

इसी तरह से आटोमोबाइल इण्डस्ट्री की हालत भी बड़ी शोचनीय हो गई है, उनमें दिन-प्रति-दिन घाटा होता जा रहा है। इसका मूल कारण यह है कि यह इण्डस्ट्री व्यक्तिगत हाथों में है। सरकार को शीघ्रातिशीघ्र इस इण्डस्ट्री का राष्ट्रीयकरण करना चाहिए, जिस से कि उनकी क्षमता का पूरा उपयोग हो सके।

इन शब्दों के साथ मैं उद्योग मंत्रालय की मांगों का समर्थन करता हूं और पुनः यह मांग करता हूं कि कम से कम इस्पात, एलूमिनियम, आटोमोबाइल, सीमेंट और कागज के कारखानों का शीघ्रातिशीघ्र राष्ट्रीयकरण किया जाए। ये उद्योग सार्वजनिक हाथों में आने चाहिए। मैं कागज के सम्बन्ध में बतलाना चाहता हूं––मेरे अपने प्रदेश में शहडोल जिले में बिरला का एक कागज का कारखाना है, जिसमें जानबूझ कर पिछले तीन महीनों से उत्पादन को बन्द कर दिया गया है। तमाम मजदूरों को काम पर से अलग कर दिया गया है। जहां पर प्रतिदिन 100 से 80 टन कागज बनता था, आज केवल 15 टन कागज का उत्पादन किया जा रहा है। जानबूझ कर देश की आर्थिक स्थिति के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है ––इस तरह की विसंगत स्थिति को शीघ्र दूर किया जाना चाहिए। आप जानते हैं इस समय देश में कागज की भी कमी है, न्यूज-प्रिंट की कमी है, इनका आयात करना पड़ रहा है, जब कि इनके रा-मैटीरियल की हमारे यहां कोई कमी नहीं है। स्वयं मध्य प्रदेश में इतना अधिक बांस है, इसका दूसरा रा-मैटीरियल जिसे "सलई" की लकड़ी कहते हैं––वह बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध है, यदि उनका पूरा उपयोग किया जाए तो देश में कागज की कमी हो ही नहीं सकती। लेकिन जब तक यह उद्योग व्यक्तिगत हाथों में रहेगा, इस तरह की बनावटी कमी उत्पन्न करके वे लोग इस देश की जनता को लूटते रहेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं उद्योग मंत्री जी को पुनः धन्यवाद देता हूं––उन्होंने नई नीति और नई दिशा का निर्धारण किया है और मैं यह कामना करता हूं कि वे इन नीतियों को सफलता पूर्वक चला सकें और इस देश के लोगों को काम दे कर समानता की राह पर आगे बढ़ा सकें।

श्री छविराम अर्गल (मुरैना) : सभापति महोदय, माननीय उद्योग मंत्री जी ने 1979–80 के लिए उद्योग विभाग के लिए अनुदान की जो मांगें रखी हैं, मैं उनका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

माननीय सभापति जी, प्रतिपक्ष की ओर से बड़ी जोर-शोर से आलोचना की गई है। लेकिन पिछले 30 सालों में जब-जब इनमें परिवर्तन हुए, इनके उद्योग मंत्रियों ने औद्योगिक नीतियों में परिवर्तन तो किए, लेकिन कोई क्रांतिकारी कदम नहीं उठाए गए। परन्तु हमारे उद्योग मंत्री जी ने जैसे ही उद्योग विभाग का कार्यभार संभाला, जनता पार्टी की रीति और नीति के अनुसार अनेक क्रांतिकारी परिवर्तन किए। आपको मालूम है--औद्योगिक लाइसेंस नीति एवं प्रक्रिया में बहुत बड़ा परिवर्तन किया तथा उनकी सीमाओं को घटाया और बढ़ाया गया। बड़े उद्योगों में 5 करोड़ की सीमा को घटा कर 3 करोड़ किया गया और मध्यम उद्योगों के लिए 1 करोड़ की सीमा को बढ़ा कर 3 करोड़ किया। इससे स्पष्ट है कि जनता पार्टी के चुनाव घोषणा-पत्र में जो कहा गया था, सरकार ने उन अधिकांश सिफारिशों को स्वीकार किया, खास तौर से लाइसेंस प्रणाली में जो परिवर्तन किया है--वह हमारे दल की स्पष्ट घोषणा के अनुसार हुआ है--इसके लिए मंत्री महोदय धन्यवाद के पात्र हैं।

सभापति महोदय, मैं उस क्षेत्र से चुन कर आता हूं जो बहुत पिछड़ा हुआ है। वैसे तो सम्पूर्ण मध्य प्रदेश राज्य ही पिछड़ा हुआ है लेकिन उसमें भी मुरैना जिला बहुत पिछड़ा हुआ है। हमारे प्रदेश में 45 जिले हैं और मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि आपने जो डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेन्टर के लिए औद्योगिक पिछड़े एरिया घोषित किए हैं, उनके लिए मध्य प्रदेश में सिर्फ 22 जिलों को लिया है और इसमें भी यह कहना चाहूंगा कि जो सम्पूर्ण जिले हैं उनको घोषित नहीं किया है बल्कि उनमें एक या दो ब्लाक को या तहसील को सेलेक्ट किया है। मैं चाहूंगा कि सम्पूर्ण जिले को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ घोषित किया जाना चाहिए।

मैं आपसे यह भी कहना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश पिछड़ा राज्य होने के कारण यहां पर कुछ ऐसे पिछड़े इलाके हैं, जहां पर उद्योग नहीं खोले जाते हैं। वहां पर उद्योग डालने में लोग असमर्थ रहते हैं। मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि मध्य प्रदेश में आई० डी० पी० एल०, एच० एम० टी० और बी० एच० ई० एल० के कुछ कारखाने चालू किए जाने चाहिए जिससे वहां के बेरोजगार हरिजनों और आदिवासियों को रोजगार मिल सके। ऐसा आप करेंगे, तो आपकी बड़ी कृपा होगी।

आपने एच० एम० टी० की 25वीं वर्षगांठ पर यह घोषणा की थी कि हम एच० एम० टी० के 25 कारखाने देश भर में खोलेंगे। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि उस घोषणा के मुताबिक आप मध्य प्रदेश में एच० एम० टी० का कारखाना खोलें। इसी प्रकार से इन्डियन टेलीफोन इंडस्ट्री का कारखाना भी मध्य प्रदेश में खोला जाए। इससे वहां के लोगों को रोजगार मिल सकेगा।

मैं आप का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे मध्य प्रदेश में सीमेंट का इतना रा-मैटीरियल उपलब्ध है लेकिन फिर भी हमें बाहर से सीमेंट आयात करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश में, मुरैना जो मेरी कांस्टीटुएंसी

है, वहां पर सवलगढ़, कलारस और शिवपुर के आसपास सीमेंट के पत्थर हैं, जिसके बारे में जियोलोजिकल डिपार्टमेंट ने अपनी रिपोर्ट यह दी है कि अगर वहां पर कारखाना डाला जाए, तो 5 लाख टन रोज सीमेंट वहां उपलब्ध हो सकता है। इसी प्रकार से सतना और कई दूसरी जगहों पर भी सीमेंट के पत्थरों के पर्याप्त भंडार हैं। वहां पर अगर सीमेंट के कारखाने डाले जाएंगे, तो उनसे पब्लिक को लाभ हो सकता है। सीमेंट की वितरण प्रणाली में भी सुधार होना चाहिए। मेरी आपसे प्रार्थना है कि सीमेंट का वितरण अगर सरकार अपने हाथ में लेगी, तो उससे लोगों को सीमेंट मिल सकेगा और सीमेंट में जो मिलावट होती है, वह भी बन्द हो सकती है। आज जो सीमेंट में मिलावट होने से बहुत से मकान गिर जाते हैं और मैं चाहूंगा कि इसको भी सरकार को रोकना चाहिए।

एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि जो बड़े बड़े औद्योगिक घराने हैं जैसे टाटा, बिरला, डालमिया और सिंघानिया, इनकी पूंजी जो पहले 50 करोड़ रुपए थी, वह अब बढ़ कर 200 करोड़ रुपए हो गई है । यह पूंजी नहीं बढ़ने देनी चाहिए और इस पर रोक लगनी चाहिए। दूसरी तरफ जो सरकारी क्षेत्र में आपकी 13,000 करोड़ रुपए की पूंजी लगी हुई है, वह कम है। उस क्षेत्र में पूंजी को बढ़ाया जाना चाहिए। सरकारी क्षेत्र के कारखानों में जो घाटा होता है, वह इसलिए होता है कि अफसरशाही ठीक ढंग से काम नहीं करती है। इसमें उन लोगों के ट्रांसफर और परिवर्तन की बहुत आवश्यकता है।

आप यह भी देखेंगे कि कागज की कमी हर जगह दिखाई देती है और यह कमी गलत ढंग की वितरण व्यवस्था होने के कारण है । इससे लोगों को कागज ठीक ढंग से नहीं मिल पाता है। मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि सरकारी कारखानों में जो आप के मैनेजिंग डाइरेक्टर होते हैं, उनमें आप कुछ जनता के प्रतिनिधि भी रखें। चाहे संसद सदस्य हों या और व्यक्ति हों जिससे कि लोग वहां ठीक ढंग से काम कर सकें, उन पर अंकुश रहे। इस तरफ भी मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा।

ज्यादातर देखा जाता है कि कृषि क्षेत्र में बिजली की कमी दिखाई देती है। औद्योगिक क्षेत्र में भी बिजली का आभाव दिखाई देता है जिससे कि कारखानों के उत्पादन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। मध्य प्रदेश में इसके लिए काफी स्कोप है । अगर आप बिजली की कमी को दूर करना चाहते हैं तो कोयले के आधार पर और भी बिजली पैदा की जा सकती है। लेकिन ज्यादातर यह देखा जाता है कि मूल्यों में वृद्धि होती रहती है। मूल्यों में वृद्धि नहीं होनी चाहिए, इन पर नियंत्रण होना चाहिए।

सभापति महोदय, मध्य प्रदेश में पर्याप्त वन सम्पदा है। वहां खनिजों का भी भण्डार है। इसके साथ साथ वहां कोयले का भी अपार भण्डार है। इन सारी चीजों का दोहन किया जाना चाहिए और बड़े पैमाने पर किया जाना चाहिए जिससे कि इस सारी सम्पदा का लाभ मिल सके। आज हम देखते हैं कि कोयले के अभाव के कारण कई गाड़ियां बंद करनी पड़ी

हैं। भारत सरकार के विभागों में आपस में तालमेल होना चाहिए । ऊर्जा मंत्रालय कहता है कि हमें रेलवे विभाग डिब्बे नहीं देता, रेलवे विभाग दूसरी बात कहता है । अगर इन विभागों में आपस में तालमेल होगा तभी काम हम आगे बढ़ा पाएंगे और तभी काम ठीक हो सकता है ।

सभापति महोदय, मध्य प्रदेश में जिला औद्योगिक केन्द्रों की स्थापना के बारे में एक प्रश्न के उत्तर में बताया गया था कि 22 जिला उद्योग केन्द्रों में 366.44 लाख रुपए के पूंजीगत निवेश से 4156 नए एककों की स्थापना की जा चुकी है जिनमें 31-12-78 तक 10,071 व्यक्तियो को रोजगार प्रदान किया गया है। मध्य प्रदेश में स्वीकृत किए गए 45 जिला उद्योग केन्द्रों में से 22 पिछड़े उद्योग केन्द्र घोषित किए गए हैं। उद्योग मंत्री ने यह भी कहा था कि हम इनको बढ़ा करके ज्यादा लोगों को रोजगार उपलब्ध कराएंगे। मैं कहना चाहूंगा कि इतने बड़े प्रदेश में इन उद्योग केन्द्रों के माध्यम से केवल दस हजार लोगों को रोजगार मिला है। यह न के बराबर है। जितने भी पिछड़े केन्द्र हैं वे भी उद्योग केन्द्र ठीक ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं। हमारे मुरैना जिले में कई लोगों ने आवेदन पत्र दिए हैं जो कि वित्त निगम के विचाराधीन हैं। मंत्री जी ने कहा था कि हम इन आवेदन पत्रों को एक ही टेबल पर निबटायेंगे । इसके लिए आपने संचालक की नियुक्ति की थी, डायरेक्टर तैनात किया था। मंत्री जी देखें कि इन लोगों का आवेदन पत्र वित्त निगम के अधीन विचाराधीन हैं जिनका निबटारा नहीं हो रहा है। मैं चाहूंगा कि छोटे उद्योगों के लिए जितने भी आवेदन पत्र आयें उनको एक ही टेबल पर निबटाया जाए। सारी सुविधाओं को एक ही टेबल पर प्रदान किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय, अब मैं कुछ उद्योगों के बारे में आपके सामने आंकड़े रखना चाहता हूं जिनकी क्षमता का अन्य क्षेत्रों पर भी असर हो सकता है। अप्रैल-नवम्बर, 1978 की अवधि के उत्पादन के ब्योरेवार आंकड़ों की 1977 की उसी अवधि के आंकड़ों से तुलना करने पर यह पता चलता है कि पेराई के मौसम के जून 1978 तक चलते रहने के कारण चीनी के उत्पादन में 149.6 प्रतिशत की अभूतपूर्व वृद्धि हुई। इसी प्रकार शिशु आहार के उत्पादन में 9.3 प्रतिशत की, बिस्कुटों के उत्पादन में 6.5 प्रतिशत की, वनास्पति के उत्पादन में 21.5 प्रतिशत की और नमक के उत्पादन में 32.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसी प्रकार से पूंजी निवेश के कुछ आंकड़े भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं।

सभापति महोदय: अब समाप्त कीजिए।

श्री छबिराम अर्गल: वाणिज्यिक गाड़ियों और जीपों आदि के उत्पादन में वृद्धि हुई। उधर छोटे लोग जो स्कूटरों का इस्तेमाल करते हैं उनका उत्पादन घटा है। यह नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार और भी बहुत से छोटे उद्योगों में गिरावट आयी है, जैसे चमड़े और

रबड़ के जूते, अखबारी कागज, पिसाई की चक्कियां, क्लोरमफेनिकोल, पोलिएस्ट्रिन, सिन्थेटिक रबड़, सल्फ़ी दवायें, कैप्रोलेक्टम और एजो रंजक पदार्थ। जहां तक जूतों का सम्बन्ध है, उनके उत्पादन में कमी एक बड़े यूनिट में हड़ताल होने के कारण हुई थी। यह हड़ताल अब समाप्त हो गई है। पिसाई की चक्कियों के उत्पादन में भी कभी पिछले वर्ष अधिक उत्पादन होने के परिणामस्वरूप हुई।...

सभापति महोदय : अब आप बैठ जाइए। बहुत समय आपको मिल चुका है। अब 7 बज गए हैं।

अब सभा कल 11 बजे तक के लिये स्थगित होती है।

इसके बाद लोकसभा बुधवार, 18 अप्रैल, 1979/28 चैत्र, 1901 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

244LSS/79—Sec.-V—210—29-8-79—GIPF.